त्रयोदश माला, खंड 33, अंक 29

सोमवार, 28 अप्रैल, 2003
8 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

(खंड 33 में अंक 21 से 30 तक हैं)

PARLIAMENT LIBRARY
No. ....
Date 20/1/04

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

अजीत सिंह यादव
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 32, बारहवां सत्र, 2003/1925 (शक)]

अंक 29, सोमवार, 28 अप्रैल, 2003/8 वैशाख, 1925 (शक)

विषय	कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 523, 525, 526, 528 और 529	1–29
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 524, 527 और 530 से 542	29–67
अतारांकित प्रश्न संख्या 5243 से 5472	67–376
सभा पटल पर रखे गये पत्र	377–381
राज्य सभा से संदेश	381–383
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन	383–384
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	384
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	
प्रतिमाओं का अनावरण करने के बारे में	384–385
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) शिक्षा के मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन के बारे में	389–391
(दो) एयर इंडिया के कुछ पायलटों द्वारा सार्स से प्रभावित क्षेत्रों में उड़ानों का प्रचालन न किए जाने के कारण उनके निलंबन और इससे उड़ानों के प्रचालन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में	391–397
(तीन) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में केन्द्र के कथित निर्णय के बारे में	400–403
(चार) महिला आरक्षण विधेयक के बारे में	408–409
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	409–411

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित +चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय

कालम

नियम 377 के अधीन मामले 411-417

(एक) धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डीडी-1 और डीडी-2 चैनलों के बेहतर प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए भामेर गांव में एक टीवी रिले टावर स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री रामदास रुपला गावीत 411-412

(दो) बिहार के बेगूसराय संसदीय निर्वाच क्षेत्र में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का समुचित रखरखाव किये जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह 412

(तीन) राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बारूदी सुरंगों के विस्फोट के कारण बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रभावित लोगों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी 412-413

(चार) चंडीगढ़ में आवासों के तलक्षेत्र अनुपात में वृद्धि करने और भवनों में आवश्यकता आधारित अतिरिक्त निर्माण को नियमित किये जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल 413-414

(पांच) एड्स से लड़ने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ 414

(छह) देश के किसी भी भाग में रहने वाले अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के लिए एक वृहत समान नीति तैयार किये जाने की आवश्यकता

श्री के. मलयसामी 414-415

(सात) सिखों के विवाहों के पंजीकरण के लिए आनंद विवाह अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता

सरदार सिमरनजीत सिंह मान 415

(आठ) भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु वन कानूनों में छूट दिये जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा 416

(नौ) क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण के लिए तमिलनाडु के नेशनल मैरीन पार्क के नजदीक मुनैकाडु में लाल शैवाल की खेती पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

श्री पी. मोहन 416-417

(दस) देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए ठोस उपाय किये जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 417

वित्त विधेयक, 2003—*विचाराधीन* 418-484

विचार करने के लिए प्रस्ताव 418

विषय	कालम
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	418–422
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति	422–425
कुंवर अखिलेश सिंह	425–432
श्री अनादि साहू	432–437
श्री पवन कुमार बंसल	437–447
श्री सुरेश रामराव जाधव	448–452
श्री बालकृष्ण चौहान	452–455
श्री बिक्रम केशरी देव	455–461
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	461–468
डा. अरुण कुमार	468–472
श्री सी. श्रीनिवासन	473–477
श्री वरकला राधाकृष्णन	477–482
श्री के.ए. सांगतम	482–484

विषय		कालम
नियम 377 के अधीन मामले		411–417
(एक)	धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डीडी-1 और डीडी-2 चैनलों के बेहतर प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए भामेर गांव में एक टीवी रिले टावर स्थापित किये जाने की आवश्यकता	
	श्री रामदास रुपला गावीत	411–412
(दो)	बिहार के बेगूसराय संसदीय निर्वाच क्षेत्र में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का समुचित रखरखाव किये जाने की आवश्यकता	
	श्री राजो सिंह	412
(तीन)	राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बारूदी सुरंगों के विस्फोट के कारण बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रभावित लोगों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
	कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	412–413
(चार)	चंडीगढ़ में आवासों के तलक्षेत्र अनुपात में वृद्धि करने और भवनों में आवश्यकता आधारित अतिरिक्त निर्माण को नियमित किये जाने की आवश्यकता	
	श्री पवन कुमार बंसल	413–414
(पांच)	एड्स से लड़ने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता	
	डा. मन्दा जगन्नाथ	414
(छह)	देश के किसी भी भाग में रहने वाले अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के लिए एक वृहत समान नीति तैयार किये जाने की आवश्यकता	
	श्री के. मलयसामी	414–415
(सात)	सिखों के विवाहों के पंजीकरण के लिए आनंद विवाह अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
	सरदार सिमरनजीत सिंह मान	415
(आठ)	भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु वन कानूनों में छूट दिये जाने की आवश्यकता	
	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	416
(नौ)	क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण के लिए तमिलनाडु के नेशनल मैरीन पार्क के नजदीक मुनैकाडु में लाल शैवाल की खेती पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. मोहन	416–417
(दस)	देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए ठोस उपाय किये जाने की आवश्यकता	
	श्री रामजीलाल सुमन	417
वित्त विधेयक, 2003—*विचाराधीन*		418–484
विचार करने के लिए प्रस्ताव		418

विषय	कालम
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	418–422
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति	422–425
कुंवर अखिलेश सिंह	425–432
श्री अनादि साहू	432–437
श्री पवन कुमार बंसल	437–447
श्री सुरेश रामराव जाधव	448–452
श्री बालकृष्ण चौहान	452–455
श्री बिक्रम केशरी देव	455–461
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	461–468
डा. अरुण कुमार	468–472
श्री सी. श्रीनिवासन	473–477
श्री वरकला राधाकृष्णन	477–482
श्री के.ए. सांगतम	482–484

लोक सभा

सोमवार, 28 अप्रैल, 2003/8 वैशाख, 1925 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, एयर-इंडिया के 27 पायलटों को निलम्बित कर दिया गया है। यह बहुत गंभीर मामला है। सरकार को पायलटों से बातचीत करनी चाहिए। सार्स का मामला बहुत गंभीर मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस मामले को जीरो आवर में उठाइयेगा, मैं आपको इजाजत दूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है। पहले पायलट्स अपने को आश्वस्त करेंगे, तभी उड़ानें भरेंगे। अप्रैल के महीने में एयर-इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को इससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। पायलट्स की हड़ताल बहुत गंभीर मामला है। उन्हें विश्वास में लिये बिना, इस तरह का व्यवहार उनके साथ न्यायसंगत नहीं है। उनके स्वास्थ्य की परीक्षा होनी चाहिए थी, तथा उन्हें विश्वास में लेना चाहिए था कि उनके स्वास्थ्य पर सार्स का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस विषय पर अपना वक्तव्य दे।

अध्यक्ष महोदय: मैं भी समझता हूं कि मामला बहुत गंभीर है लेकिन आप इसे जीरो आवर में उठाइयेगा। मैंने एडजर्नमेंट मोशन और सस्पेंशन ऑफ क्वैश्चन आवर का नोटिस भी नहीं लिया है।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

किसानों के कल्याण हेतु योजनाएं/कार्यक्रम

*523. **श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में ही संसाधन के अभाव में किसानों के कल्याण हेतु योजनाएं/कार्यक्रम शुरू नहीं किये जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए निर्धारित भारी धनराशि वर्ष 2000-2001 के दौरान अप्रयुक्त पड़ी रही;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा धनराशि निर्धारित करने और उसके उचित उपयोग हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) फसलों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए उपलब्ध संसाधनों से कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा बहुत सी केन्द्रीय क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शुरू की गई हैं और क्रियान्वित की जा रही हैं, जिससे किसानों को उनके जीवन-यापन पद्धति में सुधार लाने में मदद मिलती है।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत वर्ष 2000-01 के दौरान राज्य सरकारों के पास लगभग 299 करोड़ रु. की धनराशि, अप्रयुक्त शेष बची थी। यह वर्ष 2000-01 के दौरान प्लान स्कीमों के लिए प्रावधान किए गए 1965 करोड़ रु. के बजट प्राक्कलन तथा 1692 करोड़ रु. के संशोधित प्राक्कलन में से है।

(घ) और (ङ) राज्यों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशियों के मुख्य कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ, क्रियान्वयनकारी एजेंसियों को कोष उपलब्ध कराने में राज्य स्तर पर प्रशासनिक विलम्ब, बहुत सी राज्य सरकारों का समान अनुदान प्रदान करने में सक्षम होना तथा मौसम की प्रतिकूल स्थितियां शामिल हैं।

राज्य सरकारों को यथाशीघ्र कोष की निर्मुक्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य को केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति के मामले में मंजूरी आदेश की प्राप्ति के लिए कृषि भवन स्थित सी.सी.ए. के कार्यालय में एक विशेष कक्ष का गठन किया गया है। कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा स्कीमों के क्रियान्वयन की मानीटरिंग भी नियमित रूप से की जाती है। बृहत प्रबंध स्कीम के तहत धनराशि दो किस्तों में निर्मुक्ति की जाती है दूसरी किस्त राज्य सरकारों से

प्राप्त उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर जारी की जाती है। उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब होने की स्थिति में दूसरी किस्त में समानुरूप (ग्रेडिड) कटौती की जाती है तथा इन राज्यों से होने वाली बचत को फंड की इष्टतम उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से अधिक निष्पादन करने वाले राज्यों को अन्तरित कर दिया जाता है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं किसान परिवार से आता हूं। आज भारत में 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कृषि या कृषकों के बिना टिक नहीं सकता।

महोदय, माननीय मंत्री ने अपने जवाब में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में कहा और संसाधनों की कमी के कारण इन कल्याणकारी योजनाओं को न क्रियान्वित किये जाने के कारण बताए। मंत्री महोदय ने कहा कि इसका प्रमुख कारण न व्यय की गई शेष राशि का मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा समतुल्य अनुदान न दे पाना है।

महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी जानते हैं कि राज्य सरकारों के पास पर्याप्त राशि नहीं है। वे सभी अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी ऋण लेने हेतु विश्व बैंक से सम्पर्क कर रहे हैं। आज कोई भी राज्य सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के समतुल्य अनुदान नहीं प्रदान कर सकता। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, माननीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 2000-01 के दौरान राज्य सरकारों के पास करीब 299 करोड़ रु. की राशि बिना व्यय के पड़ी रही है। पिछले सप्ताह श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने रक्षा बजट न व्यय किये जाने के बारे में प्रश्न काल की कार्यवाही स्थगित करने के लिए बाध्य किया था।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: मैं मानीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि क्या शेष राशि के न व्यय किये जाने की स्थिति बराबर बनी रहेगी या नहीं। अंतिम प्रयोक्ता किसान केन्द्र और राज्यों की समस्याओं के बीच फंसे पड़े हैं और उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। क्या सरकार कोई ऐसी योजना लाएगी जिससे इन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राशि सीधे प्रदान की जाए। हमारे पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और स्वजलधारा योजना जैसी कई योजनाएं हैं। क्या मंत्री महोदय इसी तर्ज पर कोई योजना बना रहे हैं जिससे इन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राशि प्रत्यक्ष रूप से प्रदान की जाए?

श्री अजित सिंह: अध्यक्ष महोदय, समतुल्य अनुदान विभिन्न योजनाओं में भिन्न-भिन्न है। कुछ योजनाएं तो शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित हैं। इसलिए, यह योजनाओं पर निर्भर करता है। ये योजनाएं केवल राज्यों के परामर्श के बाद ही स्वीकृत होती हैं। वृहत् प्रबंधन में राज्यों का प्राधिकार है। हम उन्हें पैसा देंगे और वे योजनाएं सुझाते हैं। ऐसा नहीं कि ये राशि व्यपगत हो जाती हैं। ये राशि व्यपगत नहीं होती हैं। यह किसी विशेष वर्ष में व्यय नहीं भी हो सकती है; लेकिन यह अगले साल में जारी रहती है। अब हमने एक प्रणाली बनाई है कि पहली किस्त जारी करने के बाद, दूसरी किस्त जारी होने के पूर्व, हम जांच करते हैं कि क्या पहली किस्त में जारी की गई राशि व्यय की गई है या नहीं और उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है या नहीं।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी: उत्तर बहुत अस्पष्ट है। मैं महबूबनगर जिले का हूं जहां 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। जैसा कि मंत्री महोदय भी जानते हैं, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बहुत पिछड़ा क्षेत्र है और महबूबनगर बहुत पिछड़ा जिला है। कल उन्होंने स्वयं बहुत अच्छा भाषण दिया और वारंगल में तेलंगाना के लोगों को आश्वस्त किया कि किसानों का ध्यान रखा जाएगा। महबूबनगर जिले में, कृषक आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि योजनाओं की कमी के कारण कृषकों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। वृहत् प्रबंधन में हमने देखा है कि 90 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को दी जा रही है और राज्य सरकार को वार्षिक योजना बनानी है, लेकिन कोई राज्य सरकार ऐसा नहीं कर रही है और वह इसके बारे में जानते हैं।

इसलिए, मैं चाहता हूं—पुन: मैं वही प्रश्न कर रहा हूं—कि वह हमें बताएं कि क्या वह कुछ योजना बनाने के बारे में सोच रहे हैं जो सीधे अंतिम प्रयोक्ता किसान तक पहुंचे ताकि वे आत्महत्या नहीं करें। आज हम सूचना प्रौद्योगिकी पर काफी राशि व्यय कर रहे हैं; लेकिन हम अपने किसानों को भूल रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी गौण विषय हैं। हमारे लोगों का मुख्य पेशा कृषि है।

श्री अजित सिंह: माननीय सदस्य उस जिले से आते हैं जो पिछले वर्ष सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुआ था और वहां से बहुत पलायन हुआ था। हमें समस्याओं का पता है। जैसा कि मैंने कहा, गत वर्ष किसानों को सूखे के कारण काफी परेशानी हुई थी। पुन:, मुझे कहना है कि कृषि राज्य का विषय है; हम केवल योजना बना सकते हैं और धनराशि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन उसका कार्यान्वयन तो राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाना है।

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, भारत के बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में प्राकृतिक कारणों या अनेक कारणों से किसी क्षेत्र में बाढ़, तो कहीं सूखे और कहीं ओले पड़ने के कारण किसानों की फसलें लगातार नष्ट होती हैं। इस बात को महसूस करते हुए

केन्द्रीय सरकार ने पहल करके किसानों के कल्याण के लिए फसल बीमा योजना लागू की है। फसल बीमा योजना के तहत किसान जब खाद या बीज लेते हैं, तो उसी समय प्रीमियम डिडक्ट कर लिया जाता है। उसके बाद किसी कारणवश अगर फसल नष्ट होती है, तो किसानों को आर्थिक लाभ मिलना चाहिए। आज स्थिति यह है कि हिन्दुस्तान का 70 फीसदी हिस्सा अल्प वर्षा के कारण सूखे की चपेट में है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य तो पिछले तीन-तीन, चार-चार और पांच-पांच वर्षों से लगातार सूखे की चपेट में आ रहे हैं। देखने में यह आया है, खासकर मेरे अपने क्षेत्र में, कि किसानों से प्रीमियम ले लिया गया है, लेकिन फसल बीमा योजना का जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए था, वह लाभ उनको नहीं मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस बात का असैसमेंट कराया है, कोई सर्वेक्षण कराया है कि सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे कितने किसान हैं, जिनको फसल बीमा योजना के तहत कवर किया गया है? इसके साथ ही जो क्षेत्र पहले ही केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार द्वारा सूखाग्रस्त घोषित कर दिए गए हैं और जहां फसलें नष्ट हुई हैं, उन क्षेत्रों के किसानों को बीमा का पैसा क्या मिल गया है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री अजित सिंह: अध्यक्ष महोदय, जब से यह स्कीम शुरू हुई है, तब से पिछले पांच क्राप सीजन में सूखे से प्रभावित किसानों को 1796.80 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए हैं। यह राशि करीब 77 लाख किसान को पे-आउट की गई है। करीब 25 करोड़ रुपये के किसानों के क्लेम अभी पैंडिंग हैं। उसका कारण यह कि इसमें आधा शेयर स्टेट्स का होता है और उन्होंने पैसा रिलीज नहीं किया है। यह कहना कि किसानों को इंशोरेंस का पैसा नहीं मिल रहा है, सही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि क्या ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया या नहीं? मैंने दूसरा सवाल यह किया था कि ऐसे सर्वेक्षण के बाद जिन किसानों को इनका लाभ नहीं दिया जा सका, उन किसानों को इसका लाभ मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार के स्तर पर क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्री अजित सिंह: इंश्योरेंस के जो मापदंड हैं, उनके अनुसार राज्य सरकार रिपोर्ट भेजती है और यहां की कमेटी क्लेम्स सैटलमेंट के बारे में सब चीजें तय करती है। कहीं सूखा पड़ा, कहीं सूखा न पड़ने के बावजूद फसल नहीं हुई, या वह दूसरी किसी वजह से नष्ट हुई, इनकी वजह से कितना क्लेम किसानों को मिलना चाहिए, वह इन सब चीजों को देखती है। इसके अंतर्गत जितने किसान इंश्योर्ड होते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: जहां 33 पैसे से कम आनावारी आई है, उन क्षेत्रों के लिए क्या आप कोई मापदंड सुनिश्चित करेंगे जिससे फसल बीमा का लाभ किसानों को मिल सके। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बार-बार प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू: यह प्रश्न कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कार्यक्रमों और योजनाओं से संबधित है। मैं जानता हूं कि कृषि राज्य का विषय है। संघीय ढांचे में, सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसमें राज्यों के उप मुख्यमंत्री होते हैं, ने सभी केन्द्रीय योजनाओं को राज्य सरकारों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। अभी क्या हो रहा है? यदि केन्द्र सरकार द्वारा कोई योजना बनाई जाती है और यदि वे उस योजना को कार्यान्वित करना चाहते हैं, तो उन्हें प्रथम चरण में 50% राशि भेजनी होती है और उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद, वे शेष राशि भेजते हैं। इसलिए, योजनाएं सही ढंग से क्रियान्वित नहीं हो पाती हैं। संघीय ढांचे में, हमें राज्यों पर विशेष जोर देना है और उन पर विश्वास करना है। केन्द्र को सभी योजनाएं अपने पास रखने की क्या जरूरत है?

क्या सरकार सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के अनुसार और राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णय के अनुसार सभी योजनाओं को राज्यों को स्थानांतरित करने को तैयार हैं? आपको राज्य सरकारों को अनुसंधान और विकास, वित्त और अन्य सुविधाएं देनी चाहिए और उसे कृषि मंत्रालय के पास नहीं रखना चाहिए। क्या सरकार सभी योजनाओं को राज्यों को स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं?

श्री अजित सिंह: वृहत प्रबंधन के अंतर्गत, राज्य सरकारों को योजनाएं सुझाने की स्वतंत्रता है, और उन पर हमारे साथ चर्चा करने के बाद, योजना स्वीकृत हो जाती है और धनराशि जारी कर दी जाती है। कई माननीय सदस्य यहां सुझाव देते हैं कि हमें राज्यों को दी गई धनराशि पर निगरानी रखनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनका उपयोग किया जा रहा है या नहीं। हम कहते हैं कि यह संभव नहीं है। लेकिन कम से कम हम आधी राशि देते हैं और उसका उपयोग प्रमाण-पत्र मांगते हैं। मैं नहीं समझता कि अधिकांश सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि हमें इस प्रणाली को समाप्त कर पूरी राशि सीधे राज्यों को दे देनी चाहिए।

श्री के. येरननायडू: महोदय, मैं मंत्री महोदय के साथ झगड़ा नहीं कर रहा हूं। भारत एक महान देश है। हमारे पास केन्द्र और राज्यों के लिए पृथक-पृथक कार्य हैं ...*(व्यवधान)* केन्द्र सरकार अन्य योजनाओं पर ध्यान दे सकती है। लेकिन कृषि राज्य का

विषय है। इसलिए, कृषि मंत्रालय के लिए आवंटित राशि राज्यों को स्थानांतरित कर देनी चाहिए ताकि राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बना सकें ...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह: यह वृहत प्रबंधन का मामला है।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं आपने पहले ही उन्हें जवाब दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, दलित और आदिवासी किसानों के लिए स्पैशल कम्पोनैंट प्लान की स्कीम भारत सरकार ने शुरू की है। ऐसे दलित और आदिवासियों की देश में 22.5 परसैंट आबादी है, इसलिए एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट को 22.5 परसैंट पैसा उनके ऊपर खर्च करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने 2002-2003 में उन पर कितना पैसा खर्च किया और 2003-2004 में कितना खर्च करने वाली है? यदि दलित आदिवासी किसानों को न्याय देना है तो बजट का 22.5 परसैंट उन पर खर्च करना चाहिए।

श्री अजित सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमारी स्कीम्स कहीं कृषि से रिलेटिड हैं, कहीं हॉर्टिकल्चर से रिलेटिड हैं, कहीं फिशरीज से रिलेटिड हैं, कहीं भंडारण के लिए हैं और कही वाटर शैड प्रोग्राम्स के लिए हैं। उनमें हम असिस्टैंस के तौर पर जो ग्रान्ट देते हैं, उसकी दर एससी और एसटी के लिए ज्यादा है। अगर भंडारण के लिए 25 परसैंट ग्रान्ट हैं तो वह एससी, एसटी के लोगों को 33 परसेंट दी जाएगी लेकिन हमारी स्कीम्स किसी भी सैक्शन या सोसायटी के वैलफेयर के लिए नहीं है। हम प्रयास करते हैं कि देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े और उसमें तरक्की हो-जैसे फिशरीज है, लाइव स्टॉक हैं। हम जब भी असिस्टैंस के तौर पर ग्रान्ट देते हैं, उससे शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग लाभान्वित होते हैं, हम उन्हें दूसरे सैक्शन्स के मुकाबले ज्यादा दर पर सहायता देते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल: महोदय, वह नहीं जानते कि एस.टी.पी. क्या है?

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री राष्ट्रपाल, कृपया बैठिए। मंत्री महोदय, आपको उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनके प्रश्नों को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया है। आपको उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी: माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं, यह सदन भी जानता है और सारा देश भी जानता है कि वर्तमान स्थिति में किसानों की इस देश के अंदर क्या दुर्दशा है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का जो हाल है, आंध्र प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या की है और इस प्रकार पूरे देश का किसान असंतुष्ट है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि किसानों के हित में बहुत सी कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं। अगर देखा जाये तो मालूम होगा कि गांवों में बेरोजगारी की वजह से वहां के मजदूर और छोटे किसानों का निरंतर शहरों की ओर पलायन हो रहा है। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वे ई.एस. योजना चलाते हैं जिसके तहत ग्रामीणजनों को काम दिया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तिवारी जी, आप सीधे प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष जी, मेरा सीधा प्रश्न यह है कि जब मजदूरों और किसानों को कृषि क्षेत्र से कोई ऐसा आकर्षण नहीं मिलता तभी वे 500-1000 रुपये की नौकरी करने के लिए शहरों की ओर भागने की कोशिश करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिसमें मजदूरों और किसानों में कुछ ऐसा आकर्षण पैदा हो सके ताकि गांव का मजदूर और किसान वहीं काम करे और छोटी-मोटी नौकरी के लिए शहरों की तरफ न भागे। दूसरी बात यह है कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तिवारी जी, आपके इस प्रश्न का जवाब तो आने दीजिए।

श्री अजित सिंह: माननीय स्पीकर साहब, जैसा माननीय सदस्य ने कहा और सब माननीय सदस्य मानते हैं कि खेती अब फायदे का सौदा नहीं रह गयी है। इसे रिम्युनरेटिव बनाने की जरूरत है, तभी इसमें इनवैस्टमेंट बढ़ेगा और लोगों का शहरों की तरफ पलायन रुकेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी सरकार की बहुत सी स्कीम्स हैं जिससे गांवों में इनवैस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन यह एक समस्या रही है जिसे सब ने माना है ...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी इसका निदान बतायें ...*(व्यवधान)* पांच-दस साल में इसका क्या प्रतिशत बैठेगा, यह समस्या है। कृषि घाटे का सौदा है, इसे सब मानते हैं लेकिन क्या मंत्री जी के पास ऐसी कोई योजना है? ...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया: अध्यक्ष जी, सदन को गुमराह किया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष जी, आज किसानों की हालत दयनीय हो रही है, माननीय मंत्री जी उनके लिए क्या करने जा रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तिवारी जी, माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है। प्लीज बैठिये।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: माननीय मंत्री जी, यह विषय गंभीर प्रश्न है, इस ओर ध्यान दें ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने माननीय मंत्री जी से कह दिया है वे इस ओर ध्यान दें।

श्री सुन्दर लाल तिवारी: अध्यक्ष जी, मैं एक दिन अखबार पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर कृषकों के हित में काम नहीं किया जायेगा तो माननीय मंत्री जी ने इस्तीफा देने की बात कही थी। माननीय मंत्री जी, आप कब इस्तीफा देंगे?

अध्यक्ष महोदय: वह पुरानी बात हो गई है। वह बात इतिहास में रह गई है। अभी नहीं है।

श्री सुबोध मोहिते: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का जो जवाब दिया है, वह चार बातों को कान्ट्राडिक्ट करता है।

[अनुवाद]

जवाब में कहा गया है कि वर्ष 2000-01 के दौरान योजना स्कीमों के लिए उपलब्ध कराई गयी 1,692 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमान राशि के मुकाबले, 299 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च नहीं की गई है। जैसाकि यहां बताया गया है धन व्यय न करने के प्रमुख कारण हैं: (1) प्रशासनिक देरी, (2) समतुल्य धनराशि न मुहैया कराया जाना; और (3) उपयोगिता प्रमाणपत्र का जारी न किया जाना।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, मैं इस सवाल का जवाब एक वर्ड में चाहता हूं।

[अनुवाद]

प्रश्न का विषय किसानों की स्थिति सुधारने के बारे में है।

श्री अजित सिंह: प्रश्न का यह विषय नहीं है।

श्री सुबोध मोहिते: हां, मंत्री के जवाब के पहले पैरा में, यह कहा गया है, किसानों की जीवन स्थिति को सुधारना, पहले पैरा में यह लिखा है।

मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न ये हैं: किसानों की जीवन स्थिति में सुधार नापने के क्या सूचक हैं? लक्ष्य क्या हैं? कृषि आधारित उद्योगों द्वारा क्या हासिल किया गया है?

श्री अजित सिंह: यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है। यह एक विशेष प्रश्न है कि हम कतिपय योजनाओं के लिए राज्यों को धन देते हैं। यह धनराशि उपयोग के तरीके और एक विशेष वर्ष में कितनी धनराशि अप्रयुक्त रह गई, से संबंधित है। यदि आप किसानों की स्थिति, उनकी स्थिति सुधारने और कृषि क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो यह अलग मुद्दा है।

श्री सुबोध मोहिते: मैं इस बारे में माननीय मंत्री महोदय से सहमत नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप उनसे सहमत नहीं हो सकते हैं। लेकिन यह प्रश्न काल है। इस प्रश्न का कुछ और उत्तर नहीं दिया जा सकता।

राष्ट्रीय पशुधन नीति

***525. श्री राजैया मल्याला:**
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक समान राष्ट्रीय पशुधन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और नीति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) रोजगार सृजन करने और पशु प्रजनन के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए भी योजना में राज्यों द्वारा की गई मांग के अनुरूप पशुधन क्षेत्र के लिए और अधिक धनराशि आबंटित करने हेतु क्या कार्रवाई की गई?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) पशुधन, पशुधन उत्पादों, आहार और चारा संसाधनों में गुणात्मक और मात्रात्मक सुधार लाने तथा विभिन्न प्रबंधकीय हस्तक्षेपों तथा पशुपालन विस्तार कार्यक्रम के जरिए प्रजनन, पोषण तथा स्वास्थ्य देखभाल के बारे में आधुनिक प्रौद्योगिकियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए राष्ट्रीय पशुधन नीति तैयार की जा रही है ताकि भावी नीतियों और कार्यक्रमों का मार्गनिर्देशन हो सके।

(ग) 1682.95 करोड़ रुपए के नौवीं योजना आवंटन को दसवीं योजना में बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

खुरपका और मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम, कुक्कुट/डेयरी उद्यम पूंजीगत कोष, स्वच्छ और गुणवत्ता वाले दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण तथा डेटाबेस सूचना नेटवर्किंग का सुदृढ़ीकरण नामक नई योजनाओं को दसवीं योजना अवधि के दौरान हाथ में लिया जा रहा है।

विगत पांच वर्षों के दौरान सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय योजनागत स्कीम के तहत जारी धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
राशि (लाख रुपए में)	9028	12527	13420	15528	15181

श्री राजैया मल्याला: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय द्वारा सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य पढ़ा है। मैं इस प्रश्न के संबंध में कुछ और सूचना चाहता हूं। सरकार ने किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए डब्ल्यूटीओ व्यवस्था के अंतर्गत पशुधन के सस्ती नस्लों का आयात रोकने हेतु जिससे किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, क्या कदम उठाये हैं? यह पहला प्रश्न है।

दूसरा, पिछले दिनों राज्यों के पशुपालन मंत्रियों के सम्मलेन में क्या सिफारिशें की गई? सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सीधा प्रश्न क्यों नहीं पूछते? आपको पृष्ठभूमि बताने की जरूरत नहीं है। कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री राजैया मल्याला: मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मेरा प्रश्न सिफारिशों विशेषकर पशुधन क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के बारे में है। मुझे यह देखकर काफी खुशी है कि दसवीं योजना में योजना आवंटन में वृद्धि हुई है। लेकिन यदि हम वर्षवार आंकड़े देखें तो पता लगेगा कि वर्ष 2002-03 में इसमें कमी की गई है। मैं सीधे माननीय मंत्री महोदय से इस प्रश्न के बारे में पूछना चाहता हूं।

श्री अजीत सिंह: जैसाकि माननीय मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है दसवीं योजना में पशुधन क्षेत्र के लिए धनराशि बढ़ायी गयी है। दसवीं योजना में मुख्य बल पशुओं की बीमारी रोकने, पशुधन, नस्ल सुधार और विकास, चारा विकास, डेयरी और कुक्कुट विकास और मत्स्य विकास पर है। बढ़ाये गये धन को इन उद्देश्यों में लगाया गया है। पशुधन के बारे में एक राष्ट्रीय नीति बनायी जा रह है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी: महोदय, कृपया मुझे एक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए जो मैं पहले प्रश्न के दौरान पूछना चाहता था। हमारे मंत्री महोदय का कहना है कि एक विशेष वर्ष में 299 करोड़ रुपये की राशि खर्च किए बिना पड़ी हुई है जबकि क्रियान्वयन एजेंसियां यह सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं कर सकीं कि धनराशि समय से लोगों तक पहुंचे। लेकिन दूसरी ओर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्रियान्वयन के बारे में मुझे एक प्रश्न पूछना है। वे यह देखने के लिए क्या योजनायें तैयार कर रहे हैं कि कृषि क्षेत्र से संबंधित जरूरतमंद लोगों तक धनराशि पहुंचे?

अगली बात, 24 अप्रैल, 2000 को एक पुस्तक जारी करते हुए हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 2007 तक भूखमुक्त भारत बनाने का आह्वान किया। रेलवे परिवहन क्षेत्र का एक मुख्य अंग है जिसका अपना अलग बजट होता है। लेकिन 80% लोग कृषि पर निर्भर हैं। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें दो वक्त का भोजन नहीं मिलता। माननीय मंत्री महोदय ने एक बार बताया था कि विकास कार्यक्रमों को लागू न किये जाने का एक मुख्य कारण कृषि विकास के लिए अपर्याप्त धनराशि दिया जाना है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि और धनराशि के लिए वे माननीय प्रधानमंत्री और सरकार के समक्ष किसानों का मुद्दा उठायें। मेरा यह भी अनुरोध है कि कृषि के लिए अलग बजट होना चाहिये। हमारा दावा है और हम कहते हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कृषि पर ही राष्ट्रीय हित निर्भर हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हम केवल बातें ही करते हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि समय पर क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों को प्राप्त करने की क्या योजनायें हैं और दूसरी बात मैं जानना चाहूंगा कि क्या वह भारत सरकार के समक्ष कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं ताकि कृषि के लिए अलग बजट हो।

श्री अजित सिंह: महोदय, हम इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री से इस संबंध में बात कर रहे हैं। जैसाकि माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, सरकार का हमेशा यही

प्रयास रहा है कि योजनाओं से प्रत्येक उपभोक्ता को अधिकतम लाभ हो। इस बारे में हमें माननीय सदस्यों और राज्य सरकारों का सहयोग चाहिए। लेकिन यह प्रश्न एक समान राष्ट्रीय पशुधन नीति के बारे में है न कि किसानों के कल्याण हेतु योजनाओं के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री वाई.जी. महाजन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय पशुधन नीति बनाते समय हर राज्य की राय ली जाएगी या नहीं तथा पशुधन नीति बनाते समय गोहत्या-बंदी का विषय सरकार लेना चाहती है या नहीं? ...*(व्यवधान)*

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि देश में आज अकाल की स्थिति है। कई राज्यों में, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पशुधन नष्ट हो रहा है। पशुधन को बचाने के लिए तथा उनके चारे-पानी के प्रबंध के लिए सरकार क्या कर रही है? उसी तरह पशुधन से दूध उत्पादन होता है, जैसे आनंद ने सहकारी क्षेत्र में और एनडीडीबी ने बहुत अच्छा काम किया है, फिर दूसरे राज्यों में सहकारी क्षेत्र में दूध का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ रहा है और इसके लिए सरकार क्या कर रही है।

श्री अजित सिंह: अध्यक्ष महोदय, पॉलिसी में स्टेट्स की हम राय ले रहे हैं और उनके सुझावों के लिए हमने उनको लिखा है। अभी हमने एनिमल हस्बैन्डरी के मंत्रियों की एक मीटिंग भी नेशनल पॉलिसी पर उनके कमैन्ट्स जानने के लिए बुलाई थी। पशुधन के सामने अकाल की वजह से जो समस्या आ रही है उसके लिए एनसीसीएफ से भी पैसा दिया गया है, और पीएम रिलीफ फंड से भी पैसा दिया गया है। आगे यह समस्या फॉडर की रहने वाली है इसलिए टैन्थ फाइव ईयर प्लान में फॉडर कंजर्वेशन के लिए, फॉडर डिपो बनाने के लिए, फॉडर बैंक्स बनाने के लिए हम स्पैशल स्कीम्स बना रहे हैं।

श्री वाई.जी. महाजन: गोहत्या बंदी का मामला क्या आप पशुधन नीति में लेने वाले हैं या नहीं?

श्री अजित सिंह: वह मामला सरकार के विचाराधीन है।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना में पशुपालन के लिए 1682 करोड़ रुपये थे जो बढ़ाकर इस बार 2500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

महोदय, हिन्दुस्तान में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां 70 से 80 प्रतिशत लोग पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। ये इलाके ऐसे हैं जहां वर्षा कम होती है या जहां उद्योग नहीं हैं। इनमें से कुछ इलाके, खासकर पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, पाली और बीकानेर आदि में वर्षा कम होती है और अकाल की स्थिति है। वहां जीविका के दूसरे साधन नहीं हैं क्योंकि कोई उद्योगपति भी वहां इनवैस्टमेंट नहीं करता है। ऐसी स्थिति में वहां पशुपालन के लिए अभी जो साधन हैं, वे पूरे नहीं हैं। राजस्थान सरकार वे साधन नहीं दे सकती है। वहां अस्पताल नहीं हैं, अस्पताल हैं तो दवा नहीं हैं, दवा हैं तो डाक्टर नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे इलाकों में भारत सरकार क्या कोई सर्वेक्षण कराएगी, जहां ज्यादातर किसान पशुपालन पर निर्भर रहते हैं, और उनको आइडैन्टिफाइ करने के बाद क्या भारत सरकार ऐसे इलाकों के लिए अलग से पैकेज देगी ताकि वहां के किसान जो भूखे मर रहे हैं, जहां किसानों की जीविका का कोई साधन नहीं है, उनको कुछ सुविधाएं मिल सकें?

श्री अजित सिंह: माननीय सदस्य ने कहा है कि कुछ इलाके हमारे देश में ऐसे हैं जहां ज्यादातर लोग पशुधन पर निर्भर रहते हैं। जो भी हमारी एनिमल हस्बैन्ड्री की स्कीम्स हैं, चाहे फॉडर डैवलपमेंट हो, या डिसीज कंट्रोल हो या पोलट्री डैवलपमेंट हो, जाहिर है कि किसानों को उन इलाकों में उनसे ही ज्यादा फायदा होगा क्योंकि पशुधन के लिए ही वे स्कीम्स हैं। जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि राजस्थान में पशुधन पर ज्यादा लोग निर्भर रहते हैं, उनका ज्यादा फायदा भी उसी क्षेत्र के किसानों को होगा।

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: आपने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया। मैं आपसे कह रहा हूं कि आज वहां पशुधन मर रह है, उन्हें दवा नहीं मिल रही है। क्या आप सर्वेक्षण कराकर वहां के लिए कोई पैकेज देने की घोषणा करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर ध्यान दे दें।

श्री अजित सिंह: हम सर्वे कराते ही हैं और देखते हैं कि क्या पॉपुलेशन है और उन पर सूखे का क्या असर पड़ रहा है।

इस बारे में सरकार चिन्तित है। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी सम्भव होगा, खासकर राजस्थान के पश्चिमी इलाके के लिए, जहां इस बार चौथी बार लगातार सूखा पड़ा है, वहां पशुधन को बचाने के लिए क्या-क्या स्टैप्स उठाए जाने चाहिए, इस बारे में हम स्टेट गवर्नमेंट्स से निरंतर सम्पर्क में हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से यहां वनस्पति-धन, पशु-धन और मनुष्य-धन बहुत मल्टीप्लाई होता है। जहां यह हमारी कमजोरी का एक कारण है वहां यही हमारी शक्ति का भी प्रतीक है। वनस्पति-धन और पशु-धन का उपयोग करने के लिए

अगर किसी चीज की जरूरत है, तो वह है स्पष्ट दृष्टिकोण, जिसका अभाव है। इस हेतु जो प्लानिंग होनी चाहिए, इस हेतु जो दूरगामी प्लानिंग की जरूरत है, वह नहीं हुई है और बदकिस्मती से हम केवल इश्यूज की चर्चा करते हैं, पालिसी की चर्चा कभी नहीं करते, जबकि इस हेतु शीघ्रातिशीघ्र पालिसी बनाई जानी चाहिए। इसीलिए नैशनल लाइव स्टॉक के बारे में हमारी जो नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए, वह न होने के कारण हम इस मामले में बहुत पीछे हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि उसे हम बनाने जा रहे हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन यह जरूरी है कि वह कितने दिन में बनेगी, कितनी जल्दी बनेगी और उसका रूप क्या होगा, उसके ऊपर अमल कैसे होगा, इस बारे में मंत्री महोदय बता सकें, तो अच्छा होगा।

श्री अजित सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उचित कहा है कि अब हमारे देश के एग्रीकल्चर में पशुधन बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है और एनीमल हस्बैंड्री, लाइव स्टॉक का जी.डी.पी. में शेयर भी बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद, चार-पांच साल बाद, पहली बार हमने एनीमल हस्बैंड्री मिनिस्टर्स की मीटिंग हमने इसीलिए बुलाई है जिससे इस संबंध में पूरे इश्यूज को हाइलाइट किये जा सके और पॉलिसी बनाई जा सके। माननीय सदस्य ने कहा था कि 1996 में एक पॉलिसी बनी थी। मैं इस बारे में बताना चाहता हूं कि 1993 में पालिसी बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई थी, 1996 में पालिसी का ड्राफ्ट बना, जिसे राज्यों को कमेंटस हेतु भेजा गया और स्टेट्स के विचार मांगे गए, किन्तु किसी भी स्टेट ने इस बारे में अपने कमेंट्स नहीं दिए। चूंकि अब स्थिति बदल चुकी है, इसलिए हमने इस बारे में निर्णय लिया है कि फिर से एक मीटिंग बुलाई जाए ताकि जल्दी से जल्दी एक नेशनल पॉलिसी बनाई जा सके।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैं भी इस विषय में प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपने मुझे आश्वस्त किया था कि मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा, लेकिन आपने अगला प्रश्न प्रारम्भ कर दिया है। मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका नहीं दिया है। इसलिए मैं अपना विरोध प्रकट करने हेतु सदन से बहिर्गमन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप बहिर्गमन मत कीजिए। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस प्रश्न के ऊपर अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु मेरे पास 8-10 माननीय सदस्यों के नाम थे। इसलिए मैंने आपको मौका नहीं दिया। इस विषय पर यदि आप आधे घंटे की चर्चा की मांग करेंगे, तो मैं आपको आधे घंटे की चर्चा सदन में करने की अनुमति नियमानुसार दे सकता हूं। उस समय आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अब मैं प्रश्न संख्या 526 पर आता हूं।

श्री जे.एस. बराड़: महोदय, हमें भी कभी प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है ...*(व्यवधान)*

कृषि में अनुसंधान और विकास पर निवेश

***526. श्री चाडा सुरेश रेड्डी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खाद्य तेलों के आयात में कमी लाने के लिए कृषि में अनुसंधान और विकास पर और अधिक निवेश करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) सरकार दसवीं योजना में देश में तिलहनों पर अनुसंधान एवं विकास के लिए आबंटन को बढ़ाने का प्रस्ताव करती है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्तपोषित अपने संस्थानों और नौ तिलहनी फसलों (मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम, अलसी, तिल, रामतिल और अरण्डी) पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं, तेलताड़ और तेल वाले वृक्षों से संबंधित तिलहनी अनुसंधान में कुल निवेश को नौवीं योजना के 14493.79 लाख रुपये से बढ़ाकर दसवीं योजना में 24757.82 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। तेल वाले वृक्षों को बढ़ावा देने के लिए एन.ओ.वी.ओ.डी. बोर्ड के माध्यम से आबंटन को नौवीं योजना के 2465 लाख रुपये की तुलना में दसवीं योजना में 3000 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। तेलताड़ खाद्य तेल का एक अन्य स्रोत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इलुरू (आंध्र प्रदेश) में एक राष्ट्रीय तेलताड़ अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की है। तेलताड़ अनुसंधान के लिए आबंटन को नौवीं योजना के 790 लाख रुपये से बढ़ाकर दसवीं योजना में 1145 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है।

तिलहन एवं दलहनों के प्रौद्योगिकी मिशन के तहत देश में तिलहनों और दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आबंटन को

नौवीं योजना के 808.63 करोड़ रुपये की तुलना में दसवीं योजना में 950 करोड़ रुपये किया गया है।

विभिन्न तिलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और स्थिर बनाने के लिए बहु रोगरोधी किस्मों का विकास करने हेतु कदम उठाए गए हैं। सूरजमुखी और कुसुम के उच्चतर उपज क्षमता वाले संकरों का विकास किया जा रहा है। तोरिया-सरसों में एक स्थिर नर-बन्ध्यता प्रणाली की पहचान की गई है, जिसने इस फसल में संकर के विकास की संभावना को बढ़ाया है। दसवीं योजना में जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ताकि जैव और अजैव दबावों की प्रतिरोधी किस्मों का विकास करने के लिए इस युक्ति का लाभ उठाया जा सके। तेल तथा तेल से बने भोजन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं। गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। चूंकि अग्रपंक्ति के प्रदर्शन को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया माना जाता है, अत: इसकी प्राथमिकता पर निरन्तर ध्यान दिया जाएगा।

श्री चाडा सुरेश रेड्डी: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि एक वर्ष के दौरान कृषि में अनुसंधान और विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है और अगले वर्ष विशेषकर देश में पाम आयल की खेती पर कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह: अध्यक्ष महोदय, मानीय सदस्य ने ऑयल सीड्स के बजट की जो बात कही है, इस संबंध में मैंने अभी बताया कि नौवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितना धन बढ़ाया गया है। पॉम आयल का एक रिसर्च सेंटर हमने आंध्र प्रदेश में खोला है। हम पॉम आयल को एन्करेज करना चाहते हैं। अपने देश में एक बड़े पैमाने पर पॉम आयल इम्पोर्ट करते हैं। अगले साल की रिसर्च एंड डैवलपमेंट की एग्जैक्ट फिगर्स क्या हैं, वह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता।

[अनुवाद]

श्री चाडा सुरेश रेड्डी: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या देश में ऐसा कोई अनुसंधान संस्थान है जहां कृषि के क्षेत्र में विशेषकर पाम ऑयल की खेती के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है।

श्री अजित सिंह: महोदय, जैसाकि मैंने उल्लेख किया है आंध्र प्रदेश में एक तेल अनुसंधान संस्थान अभी शुरू किया गया है। औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन शीघ्र किया जायेगा।

श्री जे.एस. बराड़: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं अपने को अनुसंधान और विकास तक सीमित करता हूं। पंजाब सरकार ने कृषि के विविधीकरण हेतु विभिन्न कृषि नकदी फसलों पर काफी अध्ययन करके आपको नवीनतम प्रस्ताव भेजा है। पंजाब में आज कृषि की स्थिति सबसे खराब है। क्या मंत्री जी इस योजना पर कार्यवाही करेंगे और इस पर तत्काल आगे बढ़ेंगे ताकि हम अपने राज्य को बचा सकें।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह: अध्यक्ष महोदय, जोहल कमेटी की रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट से आई थी। उसमें कहा गया था कि क्या डायवर्सीफिकेशन के लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री पैसा दे सकती है। डायवर्सीफिकेशन के लिए अलग से कोई फंड नहीं है, यही हमने कहा था। उसके बाद उस पर कोई बड़ा फॉलोअप नहीं हुआ है।

श्री जे.एस. बराड़: महोदय, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप विनती बाद में कर सकते हैं, अभी आप प्रश्न पूछिए।

श्री जे.एस. बराड़: महोदय, पंजाब के किसान को आपसे बहुत उम्मीद है। डायवर्सीफिकेशन के बिना देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा।

[अनुवाद]

भूमिगत जल का अधिक प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि 117 ब्लाकों में से 90 ब्लाक खारा हो गया है। अत: महोदय मेरे विचार से उन्हें इस योजना पर काम करना चाहिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह: माननीय सदस्य ने कहा कि पंजाब को बहुत उम्मीद है, पंजाब से देश को खेती के मामले में बहुत उम्मीद है और वह उम्मीद अभी तक सही सिद्ध हुई है। सरकार के पास डायवर्सीफिकेशन के लिए बहुत सी स्कीम्स हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। अगर पंजाब सरकार कोई स्पेसिफिक प्लान बना कर कुछ करना चाहती है तो उसके लिए हम उनसे जरूरत बात करेंगे।

[अनुवाद]

सरदार सिमरनजीत सिंह मान: पंजाब सरकार ने जोहल समिति के अंतर्गत एक विशेष योजना भेजी है। मुझे श्री जे.एस. बराड़ के अच्छे प्रश्न के साथ सम्बद्ध किया जाए। धन्यवाद।

श्री श्रीनिवास पाटील: महोदय, मूंगफली उत्पादकों को विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में पहले अपनी फसल

का उचित मूल्य मिल रहा था किन्तु आयात की उदार नीति के कारण जब से पाम आयल का आयात किया जाने लगा है—स्थानीय बाजार में पाम आयल बहुत अधिक मात्रा में है। इसलिए मूंगफली उत्पादकों विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के उत्पादक यह फसल उगाने के लिए आकर्षित नहीं हो रहे हैं। यदि अनुसंधान द्वारा और उन्हें कुछ राजसहायता देकर उनकी सहायता की जाती है तब विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में मूंगफली की फसल उगाई जायेगी और वे देश में लगभग सभी राज्यों की सहायता करने की स्थिति में हो जाएंगे। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मूंगफली उत्पादकों की सहायता करने हेतु कोई नीति है।

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह: महोदय, हमारे देश में ऑयल सीड्स और एडीबल ऑयल की बहुत कमी है, इसीलिए हम उन्हें बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। साथ ही उनकी हम यहां भी प्राइसेस बढ़ा रहे हैं जैसे-ग्राउंडनट और मस्टर्ड ऑयल की प्राइसेस पिछले सालों में कई बार पढ़ाई गई हैं। जहां तक रिसर्च का सवाल है, जूनागढ़, गुजरात में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्राउंडनट पर रिसर्च करने के लिए ऑलरेडी है।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, हो सकता है कि हमारा सवाल मूल प्रश्न से कुछ अलग हो जाए, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। यहां अनुसंधान कार्यक्रम आरम्भ करने की बात कही जा रही है और आप करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह प्रयोगशाला तक ही सीमित रहेगा या आम जनता तक पहुंचेगा। हमारे भारत में कुछ महत्वपूर्ण नस्ल है जैसे—यमुनापारी बकरी और भदावरी भैंस, मंत्री जी ने भी कहा कि यह नस्ल धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है, यह दुनिया की मानी हुई नस्ल है। इस नस्ल को रोकने के लिए आपने क्या-क्या काम और उपाय किये हैं? हम बताना चाहते हैं कि बरनाला साहब जब 1977-78 में, जनता सरकार में कृषि मंत्री थे, उस समय चौधरी साहब ने मुझे चिट्ठी लिखी थी और हम उनसे मिले भी थे। उस समय मेरे पास पशुधन विभाग उत्तर प्रदेश में था। उस समय बरनाला साहब ने दो करोड़ रुपए का प्रावधान करने की कोशिश की थी। अगर कहीं पूरी पत्रावली मिल जाए तो क्या उसके अनुसार माननीय मंत्री जी इस नस्ल को बचाने का कोई उपाय करेंगे, यह हम आपसे पूछना चाहते हैं, ताकि आम जनता तक आपका यह कार्यक्रम पहुंचे?

श्री अजित सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने शुरू में ही कहा कि यह सवाल थोड़ा मूल प्रश्न से हट कर है, लेकिन ऑयल सीड्स के सवाल में यमुनापारी बकरी आ गई तो यह पूरा हट कर है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह पूरा सवाल इस प्रश्न से हट कर है, तब भी आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अजित सिंह: माननीय सदस्य की चिन्ता सही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्हें मालूम है और मुझे भी मालूम है तथा आप भी जानते हैं, लेकिन इनका प्रश्न महत्वपूर्ण है।

...(व्यवधान)

श्री अजित सिंह: माननीय सदस्य की चिन्ता सही है कि जो हमारी लोकल ब्रीड्स हैं, उनको किस तरह प्रिजर्व किया जाये। इसके बारे में अलग से हम स्कीम बना रहे हैं। यमुनापारी बकरी के बारे में भी हमें मालूम है, हम जानते हैं और जोधपुर की जो ब्रीड है, उसके बारे में भी, और गुजरात में जो लाइवस्टाक है, उसके बारे में भी हमें मालूम है।

श्री मुलायम सिंह यादव: चौधरी साहब को यमुनापारी बकरी की बड़ी चिन्ता थी। जब वे बीमार पड़े तो उन्होंने यमुनापारी बकरी मंगाई थी। आपको पता होना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह: मैं अभी बीमार नहीं पड़ा हूं, जब पड़ूंगा तो आप एक बकरी भिजवा दीजिएगा।

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: महोदय, क्या हम इस प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या हम पशुधन के इस प्रश्न पर पुन: चर्चा करने जा रहे हैं? यदि ऐसा है तो हम प्रश्न पूछेंगे। मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि यहां प्रश्न पाम आयल के बारे में है। यदि आप पुन: पशुधन पर चर्चा करने जा रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तब हम कुछ प्रश्न पूछेंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री शरद पवार, आप ठीक कह रहे हैं। किन्तु एक विशेष मामला होने के कारण सदस्य द्वारा मंत्री द्वारा और अध्यक्ष द्वारा भी इसकी अनुमति दी गई थी।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, नारियल का पेड़ एक तैल वाला पेड़ होता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसे प्रौद्योगिकी मिशन में शामिल किया गया है। कुछ समय पहले कन्याकुलम में एक अनुसंधान केन्द्र था। यह केन्द्र अब ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। अब नारियल का पेड़ तेल वाला पेड़ माना जाता है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: नारियल के रोग कुटकी (माइट) से लड़ने के लिए प्रौद्योगकी मिशन के अंतर्गत क्या कदम उठाये गये हैं? दूसरे इस रोग को समाप्त करने के लिए क्या अनुसंधान कार्य किया जा रहा है?

श्री अजित सिंह: नारियल में कुटकी रोग ने केरल और कर्नाटक में भी बड़े क्षेत्रों को प्रभावित किया है और हमारी अनुसंधान प्रणाली में इसके लिए एक कीटनाशी तैयार किया है। इसका इस्तेमाल किया गया है और अब हम जैविकीय तरीकों पर कार्य कर रहे हैं क्योंकि कीटनाशी जिसका पता लगाया गया था बहुत व्यावहारिक नहीं था।

श्री वरकला राधाकृष्णन: वृक्षों की कटाई हो रही है और उन्हें हटाया जा रहा है। क्या नारियल को बचाने के लिए कोई योजना है?

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप उन्हें इस तरह व्यवधान नहीं पहुंचा सकते, श्री राजो सिंह।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह: अध्यक्ष महोदय, तिलहन अनुसंधान के संबंध में सरकार ने विस्तारपूर्वक विवरण दिया है। तिलहन फसलों के नौ बिन्दु हैं, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम, अलसी, तिल, रामतिल और अरंडी। जो किसान इन चीजों की खेती कर रहे थे, आज वे इनसे अलग हटते जा रहे हैं, क्योंकि इनका उचित मूल्य बाजार में उपलब्ध नहीं हो पाता है। जो लागत आती है, उससे कम मूल्य उपलब्ध होता है। इनकी तरफ फिर से किसानों को आकर्षित करने के लिए आपके पास कौन सा रास्ता है, मैं आपके माध्यम से सरकार से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं?

श्री अजित सिंह: अलसी और अरंडी के अलावा ये जितने भी ऑयलसीड्स हैं, इन्हें सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत खरीदती है। इनका न्यूनतम मसर्थन मूल्य पिछले वर्षों में लगातार बढ़ाया गया है, जिससे वह रैम्युनरेटिव हो और किसान इन्हें ज्यादा पैदा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 527, श्री के.पी. सिंह देव। वह उपस्थित नहीं हैं।

श्री पी. राजेन्द्रन; वह भी उपस्थित नहीं हैं। किन्तु यदि मंत्री उत्तर देने के लिए तैयार हैं तो वह उत्तर दे सकते हैं।

डा. साहिब सिंह वर्मा: यदि कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं मैं उनसे पूछ सकता हूं। ठीक है। हम प्रश्न संख्या 528 लेते हैं—श्री के. मलयसामी।

सी.आई.एस.एफ. द्वारा विमानपत्तनों पर सुरक्षा जांच

*528. **श्री के. मलयसामी:**
श्री हरीभाऊ शंकर महाले:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तनों पर सी.आई.एस.एफ. द्वारा सुरक्षा और जांच पड़ताल के नाम पर विमान यात्रियों को तंग करने एवं उनके साथ दुर्व्यवहार करने संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा के साथ समझौता किये बिना इस समस्या के समाधान हेतु क्या कार्रवाई किये जाने का प्रस्ताव है?

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जब भी कोई शिकायत मिलती है, सी.आई.एस.एफ. तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसकी भली प्रकार जांच-पड़ताल की जाती है और जहां कहीं जरूरी हो, शीघ्र कार्रवाई की जाती है। एक चालू प्रक्रिया के रूप में इस समस्या से और आगे निपटने के लिए, हवाई अड्डों पर तैनात सी.आई.एस.एफ. के कार्मिकों को व्यवहार और शिष्टाचार संबंधी नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। यात्री से मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर हिदायतों/मार्ग-निर्देशों की पुनरावृत्ति की जाती है।

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी: धन्यवाद महोदय। मैं उत्तर देख सकता हूं। दिया गया उत्तर अनुपयुक्त, अपूर्ण और बचने वाला है। इसलिए इससे प्रश्न का प्रयोजन पूरा नहीं हुआ है। महोदय, जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, हमारे बहुत से सदस्यों को किसी न किसी प्रकार का अनुभव हुआ है। महोदय, सुरक्षा और तलाशी के नाम पर हवाई अड्डों पर जो होता है वह बहुत ही असामान्य बात है, खासकर इस काम से पुलिस को हटाकर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को लगाने के बाद से स्थिति असामान्य हुई

है क्योंकि पुलिस का रवैया पेशेवर रहा है और वह सुरक्षा आदि के कार्य करने में अधिक सक्षम है।

असल में होता क्या है कि वे हैंडबैग की तलाशी के नाम पर शेविंग ब्लेड्स तक को निकाल बाहर करते हैं। महिलाओं की सेफ्टी पिन तक को निकालते हैं। मैं नहीं समझ पाता कि शेविंग ब्लेड्स या सेफ्टी पिन सुरक्षा के लिए कैसे खतरा पैदा करती हैं। यह सब न केवल उनके द्वारा बैग से निकाला जाता है बल्कि वापिस भी नहीं किया जाता है। मेरा यह अनुभव रहा है। मेरे पास 7ओ' क्लाक ब्लेड्स का एक आयातित पैक था। यह सारी चीजें निकाली गई और मुझे वापस भी नहीं की गईं। जहां तक मेरा संबंध है, मेरा यही अनुभव है।

अध्यक्ष महोदय, जब मदुरै में छह-सात संसद सदस्य एक साथ आए तो यही हुआ। ये लोग जो भी विधि अपनाते हैं, वह एक समान नहीं होती। ये दिल्ली में कुछ करते हैं, तो चेन्नई में कुछ और तथा मदुरै में उससे भी अलग। मंत्री महोदय ने कहा है कि वह उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं और जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी जांच करा रहे हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर आप कौन सी विधि अपनाते हैं? पर्यवेक्षण और निगरानी की सामान्य विधि सर्वविदित है। पर संसद सदस्य से शिकायत प्राप्त होने पर आप क्या करते हैं? ...*(व्यवधान)* क्या आप मुझे बोलने देंगे? जब कोई संसद सदस्य या यात्री शिकायत करता है तो वास्तविकता का पता लगाने के लिए उन्हें संबद्ध नहीं किया जाता। दूसरी ओर, कोई अधिकारी जाता है, जांच करता है और कह देता है कि सब कुछ ठीक-ठाक है। मेरा प्रश्न यह है कि शिकायतों की कुल संख्या कितनी है? आपने कहा है कि कुछ शिकायतें आई हैं। मुझे तो लगता है कि लिखित और अलिखित बहुत सारी शिकायतें हैं। पहले तो यही बताएं कि शिकायतें कितनी हैं? दूसरे, क्या आपके पास सुरक्षा प्रणाली की निगरानी के लिए आपके पदक्रम अनुशासन के अलावा किसी तीसरी एजेंसी से निगरानी कराने का कोई तरीका है? मैं यह नहीं कह रहा कि आज कुछ नहीं कर रहे हैं किन्तु आप जो कह रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं है। आप जो प्रशिक्षण दे रहे हैं या जो सिखा रहे हैं उसका कार्यान्वयन हो रहा है या नहीं, क्या यह जानने के लिए कोई तीसरी एजेंसी काम कर रही है? अंत में, आप जो भी जानकारी आज सभा में एकत्र करने जा रहे हैं क्या उसके दृष्टिगत प्रणाली की समीक्षा करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय: श्री मलयसामी, आप कब तक प्रश्न करते रहेंगे? कृपया बैठ जाइए। अब सीधे-सीधे प्रश्न कर सकते हैं। आप प्रश्न-काल में भाषणबाजी नहीं कर सकते।

अब मंत्री महोदय उत्तर दें।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदय, जहां तक एयरपोर्ट की सुरक्षा का काम है, वह बहुत थैंक्सलैस जॉब है। जो सुरक्षा अधिकारी इस काम को करते हैं, वे यात्रियों की जान की रक्षा की खातिर ही अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं लेकिन यह सही है कि आई.सी.-814 के अपहरण के बाद कुछ नियम सख्त हुए हैं। इसके बाद 11.9.2001 को जो घटना हुई, उससे पूरी दुनिया में सिक्योरिटी और सेफ्टी पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। उसकी एक बड़ी लिस्ट है।

इन्होंने सी.आई.एस.एफ. का जो सवाल उठाया है, आई.सी. 814 के अपहरण के बाद, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने यह निर्णय लिया था कि जितने एयरपोर्ट्स हैं, यानी जिन 68 एयरपोर्ट्स से एयर ऑपरेशन होता है, वहां सिक्योरिटी का जिम्मा सी.आई.एस.एफ. पैरामिलिट्री फोर्स को दिया जाये। उसी निर्णय के आधार पर हमने सी.आई.एस.एफ. को सुरक्षा का जिम्मा दिया है। जैसा अभी मलयसामी जी ने बताया कि उनकी जांच के समय एक रेजर ब्लेड की घटना हुई थी, वह ब्लेड 7 ओ-क्लॉक का था, जो लिया गया था। उनकी शिकायत जायज है और हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक ऐसी सिर्फ 15 शिकायतें मिली हैं जिनमें से 8 मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट ने शिकायत की हैं, जबकि 15 मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट ऐसे भी हैं जिन्होंने सी.आई.एस.एफ. के काम की सराहना की है। चूंकि सुरक्षा के काम में सरकार बहुत पाबंद है, हम यह जरूर कोशिश कर रहे हैं कि सुरक्षा के नाम पर गैर जरूरी तौर पर सांसदों को या आम यात्रियों को परेशान न किया जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी: श्री रामदास आठवले, कृपया आप मुझे दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने दें। आपको बाद में भी अवसर मिल सकता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न शेविंग ब्लेड्स का है। आपका इस प्रश्न से क्या संबंध है? आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. मलयसामी: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पहले की प्रणाली के अंतर्गत नियमित पुलिस का कार्यभार जब से सी.आई.एस.एफ. ने संभाला है उसमें कोई सुधार अथवा बेहतर

परिणाम प्राप्त हुए हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन लोगों पर और कितना धन खर्च किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, हम कमिश्नर, सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के जरिए सर्वे करवाते रहते हैं और उसमें पहले से काफी सुधार हुआ है। यह सही है कि इस पर थोड़ा खर्च बढ़ा है। हम पैसेंजर्स से जो 200 रुपये लेते हैं, उसमें से 180 रुपये सिक्युरिटी पर खर्च करते हैं। सी.आई.एस.एफ. लगाने से पहले से खर्च थोड़ा बढ़ा है। अभी करीब 200 करोड़ रुपये इस पर खर्च हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, जो मुद्दा उठाया गया है वह बहुत प्रासंगिक है लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि दिशा-निर्देशों में कुछ गलत है।

परसों ही मैंने इंडियन एयरलाइन्स से यहां से गुवाहाटी की यात्रा की। जब मैं वायुयान पर चढ़ रहा था, मुझसे एक छोटी सिगार ले ली गयी और उन्होंने मुझे एक रसीद थमा दी और उसे मुझसे गुवाहाटी हवाई अड्डे से ले लेने के लिए कहा गया। जब मैं कल वापस आया, हम हवाई अड्डे पर गये और उसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वह नहीं है। जब मैं विमान में चढ़ रहा था तो उन्होंने मुझे यह वापिस कर दी। सर्वोच्च अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में ड्यूटी पर तैनात सी.आई.एस.एफ. जवानों के लिए इसे निकलवाना आवश्यक तो नहीं था। दिशानिर्देश में इस बात का खुलासा नहीं है कि कितनी बड़ी सिगार को बाहर निकलवाना चाहिए। यह लगभग तर्जनी के आकार की थी। इसलिए, जैसाकि माननीय सदस्य ने मुद्दा उठाया है, इस बारे में बहुत स्पष्ट दिशा-निर्देश होने चाहिए कि किस तरह की सिगार किस तरह के ब्लैड और किस तरह के उपकरणों को बाहर निकलवा लेना चाहिए। माननीय मंत्री जी सरकार में हैं और वह इस बारे में बेहतर जानते हैं। इसीलिए, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि दिशा-निर्देश उचित हों। उन्हें कृपा करके यह कार्य करना चाहिए और वे जो कर रहे हैं उनकी समीक्षा करनी चाहिए। मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराता। वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं; वे बहुत विनम्र और बहुत अच्छे हैं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष जी, हम इकाऊ गाइडलाइन से चलते हैं, जिसमें 84 चीजों की लिस्ट है और उसमें कई बार कहीं-कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है। माननीय सदस्य का सुझाव सही है। हम इस लिस्ट को छोटा बना रहे हैं। कई लोगों ने लैडर प्वाइंट पर फ्रिसकिंग तथा महिलाओं के पिन के बारे में सवाल उठाया है। हम उस लिस्ट को भी छोटा करके बी.आई.एस.एफ. के अधिकारियों को दे रहे हैं।

श्री चन्द्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो सी.आई.एस.एफ. को ऐप्वाइंट किया गया है, मुझे उस संबंध में बहुत बुरा अनुभव है। मैंने दो बार इनके डी.जी., श्री मिश्रा से मिलकर कम्प्लेंट की थी। हमारे दो केन्द्रीय मंत्री श्री अन्ना साहब तथा श्री विखे पाटिल को भी एक दिन उन्होंने रोक लिया था। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं वहां गया और उनको समझाया। लेकिन जैसे महाराष्ट्र सरकार की पुलिस है, दिल्ली में दिल्ली पुलिस है, पहले उनके वहां प्रोटोकॉल आफिसर रहते थे ताकि किसी तरह का झगड़ा न हो। हम लोग वहां वी.आई.पी. के नाते जाते हैं लेकिन बाकी पैसेंजर्स की बहुत ज्यादा शिकायतें आती हैं। वे कहते हैं कि हम 10,000 रुपये की टिकट लेकर जाते हैं लेकिन हमारे साथ बहुत बुरी तरह बर्ताव किया जाता है। मैं कहना चाहूंगा कि मुम्बई एयरपोर्ट के अधिकारी वहां मौजूद नहीं रहते। लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। मुम्बई एयरपोर्ट पर जो आपके अधिकारी होते हैं। शायद श्री सहाय उनका नाम है, मैंने दो-तीन बार उनको कंटेक्ट करने की कोशिश की। वे वहां से काफी दूर रहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई जिम्मेदार ऑफिसर्स वहां रहेंगे ताकि वहां प्रोटोकोल के माध्यम से, जो भी वीआईपीज आते हैं, उनके साथ डिसीप्लिन्ड वे में व्यवहार हो, ऐसी क्या आपने कोई व्यवस्था की है? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि 68 एयरपोर्ट पर, जो वहां एमपीज होते हैं, ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आप उत्तर दीजिए नहीं तो इनका प्रश्न चलता रहेगा।

श्री चन्द्रकांत खैरे: 68 एयरपोर्ट पर, वहां जो लोकल एमपीज होते हैं, आपने लोकल कमेटी भी अभी तक फॉर्म नहीं की है जिसका चेयरपर्सन एमपी होता है और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट आदि उसके कार्यकर्ता या पदाधिकारी होते हैं या मैम्बर्स होते हैं। अभी तक आपने वह कमेटी क्यों फॉर्म नहीं की?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: जहां तक प्रोटोकोल देने का सवाल है, माननीय सदस्य जो यहां के सांसद हैं, उन्हें पूरे स्टॉफ के लोग पहचानते हैं। सीआईएसएफ को लगाने के पीछे जो हमारा जो उद्देश्य है, उसी उद्देश्य पर उन्होंने सवाल उठाया है। जल्दी ही सीआईएसएफ के लोग सब को पहचानने लगेंगे, वैसे हमने देखा है कि जिन एयरपोर्ट पर स्टेट पुलिस होती थी, कई बार पहचानने की वजह से ही, वे लोग उनको सैल्यूट करते रह जाते थे और

वे बिना फ्रिस्किंग के निकल जाते थे। हमने इसीलिए अब सीआईएसएफ को लगाया है।

श्री चन्द्रकांत खैरे: बिना सिक्योरिटी चैक किसी को आगे भेजने की जरूरत नहीं है। तलाशी हमारी भी रोज होती है। हम तलाशी के लिए कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं। तलाशी के लिए हम कभी रोकटोक नहीं करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: एयरपोर्ट ऑथोरिटी, इंडियन एयरलाइन्स और प्राइवेट कैरियर के जो एम्पलाईज वहां होते हैं, बोर्डिंग कार्ड के साथ जो वीआईपीज होते हैं, वे उनको पूरा सम्मान देते हैं लेकिन हमने सुरक्षा अधिकारियों को एक लिस्ट दी हुई है और वे इग्जेम्पटेड कैटेगरी के अलावा किसी को नहीं पहचानते हैं। ऐसा हमने उन्हें निर्देश दिया हुआ है।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद: अध्यक्ष महोदय, सुरक्षा पर कोई भी व्यक्ति कोई समझौता नहीं करना चाहता। लेकिन सी.आई.एस.एफ. जवानों की तैनाती की गई है, वे यात्रियों के साथ बर्ताव करना नहीं जानते। वे यात्रियों के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार नहीं करते और वे लोगों से बहुत रूखा व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए आप इनकी तैनाती को इनके स्थानों से बहुत दूर किये जाने के मामले को लें। कालीकट हवाई अड्डे पर, केरल में, लोग मलयालम नहीं बोल पाते। यात्री हिन्दी नहीं बोल पाते। मामला क्या है—वे इस बारे में बात नहीं कर पाते। वहां ऐसा कोई नहीं है जिससे शिकायत की जाए। यात्री शिकायत नहीं कर पाते। वहां कोई भी जवाबदेह नहीं है। वहां क्या सी.आई.एस.एफ. का कैप्टन है? क्या उनका चीफ वहां पर उपलब्ध होता है? वहां कोई नहीं है। इसलिए पूरी प्रणाली में, कई दोष हैं। प्रणाली में सुधार किया जाना है।

इसीलिए, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस स्थिति में सुधार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

महोदय, आपकी अनुमति से, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि सी.आई.एस.एफ. लोगों की मदद के लिए वहां पर स्थानीय लोगों की पुलिस होनी चाहिए। अन्यथा, यह बहुत मुश्किल है। सी.आई.एस.एफ. के जवान यात्रियों के साथ व्यवहार करना नहीं जानते।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदय, जब सीआईएसएफ के ऑफिशियल्स एयरपोर्ट पर ड्यूटी के लिए आते हैं, सीआईएसएफ इस बात का ध्यान रखती है कि उस क्षेत्र में जहां वे लगे हैं, अगर उस भाषा के जानकार कांस्टेबल उनको मिलते हैं तो वे जरूर उनको प्रायोरिटी देते हैं। इस बात का हम खास तौर पर ध्यान रखते हैं, लेकिन इस तरह की कुछ शिकायतें भाषा के मामले में आ रही हैं। फिर भी उनको बोलने का काम कम है और जांच का काम हमने ज्यादा दिया हुआ है। इसलिए भाषा की ज्यादा दिक्कत संबंधी शिकायतें हमें अभी तक नहीं मिली हैं।

श्री रामदास आठवले: अध्यक्ष महोदय, जब फ्रिस्किंग होती है, उसमें जो ऑब्जेकशनेबल मालूम होता है, वहीं पता लग जाता है लेकिन उसके बावजूद भी बैग लेकर जब हम अंदर जाते हैं तो अंदर जाने के बाद भी वे बैग पूरा खोलकर चैक करते हैं। जब फ्रिस्किंग होती है तो ऑब्जेकशनेबल हथियार चाहे छोटा भी है, तभी मालूम पड़ जाता है। फिर दुबारा बैग खोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। मेरा प्रश्न है कि आप वहां सीआईएसएफ 80 प्रतिशत रख लीजिए लेकिन 20 प्रतिशत तो जो लोकल पुलिस है, उसे वहां रखने के बारे में आपको विचार करना चाहिए। इस बारे में आपका क्या विचार है?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैंने पहले ही इस सवाल का जवाब दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आपने इस प्रश्न का जवाब दे दिया है।

[अनुवाद]

नागर विमानन और आई.ए.एफ. के बीच सहयोग

***529. श्री सुरेश रामराव जाधव:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा और नागर विमानन क्षेत्र में निर्णय प्रक्रिया और वस्तु सूची प्रबंधन मानदंड में कुछ असमानताएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के हवाई क्षेत्र की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के क्रम में भारतीय वायु सेना (आई.ए.एफ.) और नागर विमानन के बीच व्यापक सहयोग के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

[हिन्दी]

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) नागर विमान के क्षेत्राधिकार के अधीन भारतीय वायुक्षेत्र में वायुक्षेत्र प्रबंधन और एयर नेवीगेशन सेवाओं के

संबंध में लागू क्रियाविधि अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा स्थापित उन मानकों और सिफारिशशुदा प्रेक्टिस (एस ए आर पी एस) के अनुरूप हैं जो विमान प्रचालनों की सुरक्षा के हित में विश्व भर में एक रूप है। ये एस ए आर पी एस रक्षा प्रचालनों के बारे में लागू नहीं हैं।

(ग) सिविल उड़ानें सिविल प्रचालनों के लिए आरक्षित वायुक्षेत्र के भीतर ही प्रचालन करती हैं। किसी सिविल विमान के सभी अभीष्ट प्रचालनों के लिए उड़ान योजनाएं वायुसेना मिलिटरी संपर्क यूनिट (ए एफ एम एल यू) को भेजी जाती हैं जो इस संबंध में सिविल उड़ानों के लिए वायु रक्षा स्वीकृति नम्बर जारी करता है। किसी सिविल उड़ान को वायु रक्षा स्वीकृति के बगैर भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाती। सिविल और डिफैंस के बीच वायु क्षेत्र का आवंटन परस्पर परामर्श से किया जाता है। रक्षा आरक्षित वायु क्षेत्र से होकर विमान यातायात सेवा मार्गों का प्रचालन समुचित रक्षा प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाता है। भा.वि.प्रा. भी संबंधित रक्षा प्राधिकारियों से समन्वय स्थापित करने और नाजुक स्थिति की मानिटरिंग और विश्लेषण के उद्देश्य से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विमान यातायात नियंत्रण काम्पलैक्स में एक संयुक्त नियंत्रण और विश्लेषण सेंटर स्थापित कर रहा है।

श्री सुरेश रामराव जाधव: अध्यक्ष महोदय, इन दिनों एयर इंडिया के पायलटों की हड़ताल चल रही है। वायुसेना के पायलट भी बोइंग विमान और एयरबस चला सकते हैं। अगर पहले से तालमेल ठीक होता, तो इस हड़ताल की नौबत नहीं आती और आज यह स्थिति पैदा नहीं होती। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास ऐसी कोई कार्य योजना है कि हड़ताल के समय वायुसेना के पायलटों का उपयोग किया जा सके?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। हड़ताल के बारे में अलग से बातचीत कर सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

मुरारी समिति की सिफारिशें

***524. श्री जी. एम. बनातवाला: क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परम्परागत मछुआरों पर भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा मशीनीकृत मत्स्यन के प्रभाव के संबंध में उच्चाधिकार प्राप्त मुरारी समिति द्वारा की नई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सिफारिशों को स्वीकार करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) और (ख) देश में भारतीय जल क्षेत्र में विदेशी जलयानों के संचालन के खिलाफ मछुआरों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए फरवरी, 1995 में श्री पी. मुरारी की अध्यक्षता में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति पर समीक्षा समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों और उस पर वर्तमान स्थिति, की गई कार्रवाई विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति संबंधी समीक्षा समिति की सिफारिशें

1. संयुक्त उद्यम/चार्टर/पट्टा/परीक्षण मात्स्यिकी द्वारा मछली पकड़ने के लिए जारी सभी परमिट कानूनी प्रक्रियाओं, जैसा की अपेक्षित हो, के अधीन तत्काल रद्द कर दिए जाने चाहिए।

2. संयुक्त उद्यम/चार्टर/पट्टा/परीक्षण मात्स्यिकी यानों को मछली पकड़ने के लिए भविष्य में कोई नवीकरण, विस्तार अथवा नए लाइसेंस/परमिट जारी नहीं किए जाने चाहिए।

3. मछली पकड़ने के लिए सभी लाइसेंस/परमिट सार्वजनिक दस्तावेज बनाए जायें तथा उनकी प्रति पंजीकृत प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाए।

4. जिन क्षेत्र का दोहन पहले ही किया जा रहा है, उनकी तथा पारंपरिक क्राफ्टों अथवा 20 मीटर आकार से कम के यांत्रिकृत यानों को संचालित कर रहे मछुआरों द्वारा जिन क्षेत्रों का मध्यकाल में दोहन किया जा सकता है, उनकी 20 मीटर लंबाई से ऊपर के किसी भी यान द्वारा दोहन के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए सिवाय इस समय संचालित भारतीय यानों के जो सिफारिश 1 और 7 के अधीन केवल तीन वर्ष के लिए चालू क्षेत्रों में संचालित कर सकते हैं।

5. चूंकि 20 मीटर से कम आकार वाली भारतीय यांत्रिककृत नौकाओं के पास पश्चिम तट पर लगभग 70-90 मीटर गहराई में मछली पकड़ने की क्षमता है, अत: 150 मीटर गहराई के तट से दूरी 20 मीटर से अधिक की लंबाई वाले सभी यानों के लिए प्रतिबंधित होनी चाहिए सिवाय

पैरा 4 में उल्लिखित यानों के जहां 150 मीटर गहराई वाला क्षेत्र तट से 100 नाटीकल मील से कम है वहां 100 नाटीकल मील तक की दूरी 20 मीटर लंबाई से कम वाले भारतीय यानों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। कन्याकुमारी से लेकर पूर्वी तट पर 20 मीटर से कम आकार वाले भारतीय यान 100 मीटर गहराई अथवा तट से 50 नाटीकल मील तक जो भी दूर हो जा सकेंगे। सिवाय पैरा-4 में दी गई छूट के। गहराई वाले क्षेत्र को समन्वयकों द्वारा भी परिभाषित किया जाएगा जिसमें तट से दूरी निर्दिष्ट की जाएगी, दूरी का निर्धारण राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यालय/तट रक्षक/भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण द्वारा किया जाएगा।

6. अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों के संबंध में तट से 50 नाटीकल मील की दूरी पैरा-4 के प्रावधानों के साथ केवल 20 मीटर लंबाई से कम वाले भारतीय यानों के लिए आरक्षित होगी। इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो, द्वीपसमूहों के बीच जल को केवल भारतीय यानों के लिए आरक्षित रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चाहे कुछ भाग 50 नाटीकल मील से भी अधिक क्यों न हो जाए, सीमा को पारिभाषित किया जाएगा।

7. 20 मीटर लंबाई से ऊपर के जलयानों के लिए खुले क्षेत्र में ट्रूना तथा ट्रूना जैसी मछलियां, स्किवड तथा कटल फिश, मध्य-जल अथवा वेलापावर्ती क्षेत्र में गहरे समुद्र की फिन मछलियां तथा महासागरीय ट्रूना का ट्रूना लांग लाइनिंग, ट्रूना पर्स सीनिंग, स्किवड जिगिंग तथा मिड वाटर ट्रालिंग द्वारा दोहन के लिए संसाधन विशिष्ट जलयानों को इस शर्त पर अनुमति दी जाए कि ये वस्तुत: भारतीय पंजीकृत जलयान हैं। भारतीय स्वामियों की कम से कम 51 प्रतिशत ऋण के साथ-साथ इक्विटी होनी चाहिए।

8. विभिन्न मत्स्यन ग्राउंड के लिए बेड़े के आकार को अधिकतम सतत उत्पादन तथा संसाधनों के संरक्षण के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए।

9. हमारे जल क्षेत्र में मात्स्यिकी संसाधनों के संरक्षण, मछुआरों की सुरक्षा तथा समुद्र, गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में विवाद को कम करने के उद्देश्य से संसद का मत्स्य समुदाय से विचार-विमर्श करके विनियम बनाना चाहिए।

10. पारंपरिक, छोटे मशीनीकृत, बड़े गहरे समुद्र में जाने वाले जलयानों में विवाद को रोकने के लिए तट रक्षक द्वारा कड़ी निगरानी की जाए। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विदेशी जलयानों द्वारा अनधिकृत मछली को रोकने तथा स्वदेशी जलयानों द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र की निगरानी को रोकने के लिए तट रक्षक को अत्याधुनिक नेविगेशन प्रणाली निगरानी तथा हथियार एवं उचित कार्यप्रणाली के साथ सुदृढ़ीकरण, विस्तार, तकनीकी रूप से उन्नयन किया जाए।

11. यांत्रीकृत नावों और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय बेड़ों के लिए परंपरागत मछुआरों द्वारा प्रयोग किए गए प्रौद्योगिकीय दक्षता और उपकरण के लिए संवर्धन के लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने के साथ-साथ धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए ताकि प्रत्येक कानून और प्रणाली द्वारा आरक्षित क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक मछली पकड़ सकें। नौचालन और मछली पकड़ने के उपकरण दोनों के लिए ही इस उद्देश्य से ड्यूटी रियायतें और रियायती धनराशि उपलब्ध कराई जाए कि परंपरागत क्षेत्र को प्राथमिकता देने के साथ सभी तीन श्रेणियों का अत्युन्नत स्तर से प्रतिस्पर्धात्मक उन्नयन हो सके।

12. परंपरागत और छोटे यंत्रीकृत क्षेत्रों को ईंधन की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति तथा हाई स्पीड डीजल और केरोसीन प्रदान करके गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को दिए गए लाभों को ध्यान में रखते हुए राजसहायता प्रदान करके सहायता दी जाए।

13. सभी प्रकार की समुद्री मात्स्यिकी एक ही मंत्रालय के अधीन होनी चाहिए। सरकार को इस तरह का भारतीय मात्स्यिकी प्राधिकरण को स्थापित करने पर विचार करना चाहिए जो इस तरह काम करें जैसा दूसरे देशों में गठित इस प्रकार के प्राधिकरण करते हैं और नीतियों को तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार हो सकें।

14. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण का भी आधुनिक तकनालौजी और उपकरण के प्रयोग से तकनीकी रूप से संवर्धन करना चाहिए ताकि यह सभी प्रकार की मछली की स्थिति विभिन्न प्रौद्योगिकियों और पारिस्थितिकीजन्य परिवर्तनों के अध्ययन प्रभाव का पता लगा सके और व्यवस्था कर सके। इस उद्देश्य के लिए भारतीय दूर संवेदन एजेंसियों और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण के बीच परस्पर समन्वय और सहयोग होना चाहिए।

15. बाई-कैच फेंकने के कारण मात्स्यिकी संसाधनों की होने वाली बरबादी को रोकने के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के सृजन को सरकार को प्राथमिकता देनी

चाहिए। इसे मछुआरों तथा उनकी सहकारिताओं के उत्पादों के मूल्य परिवर्धन के लिए मत्स्य योजना एवं आहार निर्माण इकाईयों, मत्स्य प्रसंस्करण सुविधाओं, बर्फ की फैक्टरियों, शीत गृहों की श्रृंखला उपलब्ध करार प्राप्त किया जा सकता है।

16. पूर्व एवं पश्चिम तटों के साथ-साथ लक्षद्वीप तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप के द्वीपसमूहों में मौजूदा तथा आधुनिक उन्नत यानों के लिए मत्स्यन बंदरगाहों जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता के आधार पर सृजित किया जाना चाहिए।

17. विपणन तथा अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए बड़े यानों के उन्नयन तथा अधिग्रहण के लिए मछुआरों/मछुआरिनों तथा उनकी सहकारिताओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

18. सरकार को मछली के रखरखाव तथा प्रसंस्करण पहलुओं के अतिरिक्त नए उपकरणों, बड़े यानों को चलाने तथा नयी मत्स्य तकनीकी में मछुआरों/मछुआरिनों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता देनी चाहिए।

19. उद्योगों द्वारा निकलने वाले गंदगी/बहि:स्रावों/गंदे पानी के खतरे से निपटने के लिए सरकार को प्रभाव कदम उठाने चाहिए।

20. सरकार को छ: महीने के भीतर समिति की सिफारिशों पर निर्णय लेना चाहिए।

21. गहरे समुद्र में मत्स्य नीति की प्रत्येक 3-5 वर्ष पर समयबद्ध रूप से पुनरीक्षा होनी चाहिए।

मुरारी समिति (1996) की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

1. मुरारी समिति को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति, 1991 की समीक्षा करने के लिए फरवरी, 1995 में नियुक्त किया गया था क्योंकि पारंपरिक मछुआरों द्वारा नीति के खिलाफ बहुत सी आपत्तियां उठाई गई थी। समिति ने 21 सिफारिशें की थी जिन्हें सरकार ने सिफारिश संख्या 1 को छोड़कर आंशिक संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया था। सिफारिश संख्या 1 के संबंध में आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति का यह निर्णय था कि मौजूदा वैध परमिटों/अनुमतियों की विधि मंत्रालय के परामर्श से पृथक-पृथक मामलों में निर्णित अधिनियम के प्रावधानों अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा आदेशों और अथवा/प्रदत्त अनुमोदनों में निर्धारित शर्तों के किसी उल्लंघन के लिए तथा इस प्रकार के अनुमोदनों को रद्द करने अथवा अन्यथा के लिए की गई कार्रवाई पर समुद्री क्षेत्र अधिनियम के प्रावधान के प्रकाश में पृथक-पृथक जांच की जाए। इस निर्णय को तदनुसार लागू किया गया था।

2. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नीति, 1991 को सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। संयुक्त उद्यम, पट्टे, टैस्ट फिशिंग तथा चार्टर के तहत नवम्बर, 1996 से कोई भी नया परमिट/विस्तार अथवा परमिटों/अनुमतियों का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

3. भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (एफएसआई), मुंबई को संयुक्त उद्यम, पट्टे तथा चार्टरिंग के तहत सभी वैध परमिटों/अनुमतियों जिन्हें सार्वजनिक दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को अभिरक्षक के रूप में नामजद किया गया है। भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण को इस उद्देश्य के लिए परमिटों/अनुमतियों की प्रतियां उपलब्ध कराई गई थी।

4. इसे संबंधित समुद्री मात्स्यिकी विनियमन अधिनियमों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

5, 6 एवं 7. इन सिफारिशों में उठाए गए मुद्दे मत्स्यन जलयानों के विभिन्न वर्गीकरणों से संबंधित मछली पकड़ने से क्रियाकलापों की सीमा निर्धारित करने के संबंध में है। दिसंबर, 1999 में इस मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञों के दल का गठन किया गया है। जो एक बृहद समुद्र मत्स्यन की नीति का मसौदा तैयार करने के लिए इन सिफारिशों की जांच करेगा। विशेषज्ञ दल की सिफारिशों की जांच के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा, कम से कम 51 प्रतिशत भारतीय हिस्सेदारी रखने वाली भारतीय कंपनियों के स्वामित्व में 32 संसाधन विशिष्ट गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों को 2002-03 के दौरान भारतीय ई.ई.जैड में संचालन की अनुमति दी गई है।

8. सितंबर, 1996 में कृषि मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया गया था ताकि 20 मीटर लंबाई से कम वाले विभिन्न श्रेणियों के मत्स्यन जलयानों की क्षेत्रवार आवश्यकताओं का जायजा लिया जा सके तथा मात्स्यिकी संसाधनों आदि का संरक्षण किया जा सके समिति ने अपनी कार्यवाही पूरी कर ली है तथा इसकी रिपोर्ट सरकार को मिल गई है। सिफारिशों के अनुसार दसवीं योजना के दौरान मध्यम आकार (18 मीटर) के मत्स्यन यानों के लिए नई योजना की औपचरिकताएं शुरू की जाएंगी।

9. भारत सरकार ने भारतीय ई ई जैड में मत्स्य क्रियाकलापों के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने के उद्देश्य से नवम्बर 2002 में कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश परंपरागत तथा छोटी मत्स्यन नौकाओं के संचालन तंत्र के आगे केवल गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों द्वारा मछली पकड़ने की निर्धारित करते हैं।

11. भारतीय ई ई जैड में मत्स्यन जलयानों के संचालन की निगरानी करने के लिए संचार की अधिप्राप्ति के उद्देश्य से तटरक्षकों को सहायता दी जा रही है। इस प्रयोजन के लिए तटरक्षकों को लगभग 5.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसके अलावा समुद्री राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सहायता करने के लिए मंत्रालय एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है जिससे गश्ती नौकाओं आदि की खरीद के माध्यम से उनके समुद्री मत्स्य विनियमन अधिनियमों का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके।

11. एवं 12. कृषि मंत्रालय नौवीं योजना के अंत तक ईंधन की लागत तथा 20 मीटर लंबाई से कम वाले यांत्रिकृत नौकाओं के एचएसडी तेल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए राजसहायता प्रदान करके परंपरागत जलयानों के मोटरीकरण के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा था।

13. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सहित समुद्री मात्स्यिकी के मामले को कृषि मंत्रालय के तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग को अंतरित कर दिया गया है।

14. ई एफ सी मीमो पहले ही अनुमोदित कर दिया गया है। 2 ट्रना लांग लाइनर मत्स्यन जलयानों की खरीद उद्देश्य से कोंटेशन आमंत्रण के लिए सार्वभौमिक निविदा प्रकाशित की गई है।

15. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, मत्स्यन प्रसंस्करण में अनुसंधान एवं विकास के अलावा मछली के शीत श्रृंखला तथा प्रसंस्करण के लिए मूलभूत सुविधाओं का सृजन के उद्देश्य से अनेक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है।

16. कृषि मंत्रालय मत्स्यन बंदरगाहों और मछली उतारने वाले केन्द्रों के निर्माण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। योजना के अंतर्गत अब तक छः बड़े मत्स्यन बंदरगाहों, 50 छोटे मत्स्य बंदरगाहों और 184 मछली उतारने वाले केन्द्रों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 6 बड़े मत्स्य बंदरगाहों, 33 छोटे मत्स्य बंदरगाहों और 130 मछली उतारने वाले केन्द्रों का निर्माण पूरा हो चुका है। इस योजना के तहत मत्स्यन बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों के विकास के लिए कार्यक्रम को दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2002-07) में जारी रखा गया है।

17. राज्य सरकारें एन सी डी सी फिशकापफेड आदि की सहायता से विभिन्न योजनाएं चला रही हैं।

18. कृषि मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्रीय योजना का क्रियान्वयन कर रहा है ताकि मछुआरों की दक्षता को और अधिक बढ़ाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग ने प्रसंस्करण आदि में मछुआरा समुदाय को प्रशिक्षित करने तथा परंपरागत मत्स्यन प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ और विपणन के लिए भी एक योजना शुरू की है।

19. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को समुद्री जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को रोकने का काम सौंपा गया है।

20. और 21. सरकार द्वारा स्वीकार की गई मुरारी समिति की सिफारिशों को लागू और क्रियान्वित किया जा रहा है। गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी नीति के संबंध में मंत्रालय में एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है जिसे समुद्री मात्स्यिकी के लिए एक वृहत नीति तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। विशेषज्ञ दल ने जून, 2001 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। विशेषज्ञ दल की सिफारिशों की जांच के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

ठेका श्रमिकों को रोजगार

***527. श्री के.पी. सिंह देव:**
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ठेका श्रमिकों के रोजगार के संबंध में एक नया विधान लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित विधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इससे उद्योगों को बाजार मांग के अनुरूप अस्थायी आधार पर श्रमिक रखने की अनुमति होगी;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को रखने और निकालने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी पहल का औचित्य क्या है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) से (ङ) आर्थिक उदारीकरण तथा विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में और अधिनियम के प्रशासन में प्राप्त अनुभव के आधार पर सरकार ने ठेका श्रम (विनियम एवं उत्सादन) अधिनियम 1970 की समीक्षा का कार्य आरम्भ कर दिया है। अधिनियम में किए जाने वाले संशोधनों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कृषि निवेश में कमी

*530. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि निवेश के हिस्से में कमी आई है जैसाकि इस संबंध में सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का प्रतिशत वर्ष 1993-94 में 1.6 प्रतिशत से घटकर अनुवर्ती वर्षों में 1.3 प्रतिशत हो गया है, से पता चलता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में सकल की पूंजी निर्माण (जी.सी.एफ.) के रूप में मापित कृषि में निवेश का हिस्सा वास्तविक रूप में 1993-94 में 1.6% से घटकर 2001-02 में 1.3% हो गया (1993-94 मूल्यों पर)।

(ख) जी.डी.पी. में कृषि जी.सी.एफ. के हिस्से में कमी 1993-94 से 2001-02 अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में जी.सी.एफ. में महत्वपूर्ण कमी को प्रदर्शित करता है। जबकि कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र के जी.सी.एफ. में इस अवधि के दौरान 5 वर्षों में कमी हुई, निजी क्षेत्र में यह केवल दो वर्षों में घटा। इसके अलावा जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में जी.सी.एफ. 1993-94 में 4,467 करोड़ रुपये से केवल 7.3% बढ़कर 2001-02 में 4,794 करोड़ रुपए हुआ यह इसी इसी अवधि के दौरान निजी क्षेत्र में 46.5% बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप कृषि में कुल जी.सी.एफ. में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 1993-94 में 33.0% से घटकर 2001-02 में 26.5% हो गया।

(ग) से (ङ) कृषि में निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में बहुत सी बातें शामिल हैं जिनमें सिंचाई, भूमि विकास, अनुसंधान, प्रशिक्षण, ऋण तथा विपणन को कवर किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में किसानों को ऋण की उपलब्धता बढ़ाने, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने, ग्रामीण सड़कों के निर्माण, अधिक मूल्य वाली बागवानी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के आरंभ किए जाने आदि से न केवल सार्वजनिक निवेश में वृद्धि होती है बल्कि यह निजी क्षेत्र में निवेश के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। इस संदर्भ 2003-04 के केन्द्रीय बजट में तैयार किए गए प्रस्तावों का काफी महत्व है। इसमें उच्च प्रौद्योगिकी बागवानी और परिशुद्ध खेती संबंधी एक नई केन्द्रीय स्कीम बनाया जाना ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए निजी बैंकों को प्रोत्साहित करने जैसे उपायों के माध्यम से ऋण तक बेहतर पहुंच और स्व-सहाय्य समूह (एस.एच.जी.) नाबार्ड द्वारा प्रचारित बैंक लिंकेज कार्यक्रम का संवर्धन शामिल है विशेषकर उन राज्यों में जो इस संबंध में पिछड़े हुए हैं।

[हिन्दी]

श्रम अदालतों की स्थापना

*531. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:**
डा. मदन प्रसाद जायसवाल:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने श्रम संबंधी मामलों के शीघ्र निपटान हेतु अतिरिक्त श्रम अदालतें/औद्योगिक न्यायधिकरण और लोक अदालतों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मार्च, 2003 तक इन अदालतों के माध्यम से राज्य-वार कितने मामले निपटाए गए और कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) सरकार द्वारा लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) और (ख) वर्तमान में देश के विभिन्न भागों में 17 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सह-श्रम न्यायालय हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान कोई अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय स्थापित नहीं किया गया है। तथापि, चार केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों ने दिल्ली, कानपुर, चंडीगढ़ और हैदराबाद में 9 लोक अदालतें आयोजित की हैं।

(ग) मार्च, 2003 तक 17 केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण -सह-श्रम न्यायालयों द्वारा निपटाए और उनमें लंबित मामलों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अहमदाबाद, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, चंड़ीगढ़ और दिल्ली (प्रत्येक में एक-एक) पांच और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय खोलने का निर्णय लिया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लोक अदालतों के माध्यम से लंबित मामलों के त्वरित निपटान हेतु विवादों के न्याय-निर्णयन की एक नयी प्लान स्कीम का प्रस्ताव किया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में मार्च, 2003 तक लंबित निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय का नाम	मार्च, 2003 तक			
			निपटाए गए मामले	लंबित मामले	निपटाए गए मामले	लंबित मामले
1	2	3	4	5	6	7
1.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	83	403	5	82
		कोलकाता	86	149	45	157
2.	झारखंड	धनबाद-I	143	1733	36	374
		धनबाद-II	343	1281	38	347
3.	महाराष्ट्र	मुंबई-I	65	187	38	43
		मुंबई-II	138	321	162	340
		नागपुर	70	64	7	00
4.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	168	1237	7	543
5.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	33	630	187	632
		लखनऊ	197	330	20	28
6.	दिल्ली	नई दिल्ली	234	1154	39	302
7.	राजस्थान	जयपुर	37	100	83	75
8.	कर्नाटक	बंगलौर	125	304	48	148
9.	तमिलनाडु	चेन्नई	317	309	163	28
10.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	95	381	20	82
11.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	44	526	117	707
12.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	391	1789	86	297
		कुल	2569	10898	1101	4185

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वाहकों की बेड़ा विस्तार योजना

***532. श्री भास्करराव पाटील:**
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय वाहकों की बेड़ा विस्तार संबंधी महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बेड़े के विस्तार हेतु आवश्यक धनराशि किन स्रोतों से जुटाई जाएगी;

(घ) क्या सरकार का कम भीड़-भाड़ वाले मार्गों पर परिचालन हेतु छोटे विमान खरीदने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन): (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने पुराने विमानों को हटाने तथा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 43 नए विमान क्रय करने का प्रस्ताव दिया है। एअर इंडिया को भी पुराने विमानों को हटाने, फ्लीट को युक्तिसंगत करने तथा कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नए विमान क्रय करने की योजना है। एअर इंडिया का प्रस्ताव अभी सरकार के पास अनुमोदन के लिए प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जैसा कि सभी एयरलाइनें करती हैं और एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा पहले भी किया जाता रहा है, दोनों राष्ट्रीय एयरलाइनें नए विमान क्रय करने के लिए भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में वाणिज्यिक उधार के माध्यम से पूंजी की व्यवस्था करेंगी।

(घ) और (ङ) अभी दोनों एयरलाइनों का छोटे विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अभी हाल ही में इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 4 छोटे विमान उत्तर-पूर्वी परिषद की वित्तीय सहायता से लीज पर लिये गये हैं जिन्हें पूर्वोत्तर राज्यों में चलाया जा रहा है।

जैव-डीजल उत्पादकों को खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा वित्त-पोषण

***533. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी) ने देश में जैव डीजल (बायो-डीजल) उत्पादक इकाइयों का वित्त पोषण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और जैव-डीजल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग की नीति क्या है;

(ग) इस मामले में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस प्रकार की वित्तीय सहायता दिए जाने का अश्वासन दिया गया;

(घ) खादी ग्रामोद्योग आयोग के तत्वावधान में ऐसे संयंत्रों को कब तक पूर्ण रूप से परिचालित किया जाना है; और

(ङ) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अन्य गैर-उत्पादक गतिविधियों को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

प्राचीन विरासत का रखरखाव

***534. श्री चिन्मयानन्द स्वामी:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश की प्राचीन विरासतों के संरक्षण विकास और रखाव के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उक्त राशि का इस प्रयोजन हेतु व्यय किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) मिजोरम राज्य को छोड़कर जहां कोई केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सभी राज्यों की प्राचीन धरोहर की संरक्षा, संरक्षण, रासायनिक उपचार एवं पर्यावरण संबंधी विकास के वास्ते वर्ष 2003-2004 के लिए आवंटन की राशि में काफी वृद्धि करके उसे 122.02 करोड़ रुपए कर दिया है।

[अनुवाद]

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं

***535. श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निर्माणाधीन बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर बाढ़ से होने वाली क्षति में कितनी कमी होने की आशा है; और

(ग) परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ग) बाढ़ प्रबंधन राज्य का विषय होने के कारण बाढ़ नियंत्रण के लिए स्कीमों की आयोजना, वित्तपोषण और निष्पादन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा अपनी राज्य योजना के अन्तर्गत, योजना आयोग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई निधियों से उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता तकनीकी उत्प्रेरक और प्रोत्साहनात्मक प्रकृति की होती है।

वर्तमान में भारत सरकार बाढ़ क्षेत्र में विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है। इन स्कीमों के पूरा होने पर किस बाढ़ से हुई क्षति को कितना कम किए जाने की संभावना है तथा ये स्कीमें कब तक पूरा कर ली जाएगी इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I से IV में दिया गया है।

विवरण I

केन्द्र प्रयोजित/केन्द्र क्षेत्र स्कीमों के तहत बाढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजना

स्कीम का नाम : गंगा बेसिन राज्यों में गंभीर कटावरोधी कार्य

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्थापना लागत (लाख रुपये में)	बाढ़ों से होने वाली क्षतियों की सीमा जिन्हें कम किए जाने की संभावना है				
			संरक्षित क्षेत्र (हेक्टे.)	जनसंख्या	भूमि कटाव	सार्वजनिक उपयोगिता सड़क मार्ग/भवनों आदि	पूरा होने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
बिहार							
1.	(1) 5 स्परों के साथ जगलाही द्वितीय पुरानी लाइन (2) तीन स्परों के साथ के.ए.एस. तृतीय पुरानी लाइन, और (3) 2 स्परों के साथ पांचवें के.जी. पुरानी लाइन के निर्माण संबंधी स्कीम	1701 (संशोधित 1462 लाख रुपये)	11850	25 की गांवों की जनसंख्या	-	करहगोला में गंगा दार्जिलिंग मार्ग गुरूद्वारा, रेल लाइन एवं जीटी रोड, पुलिस स्टेशन	2003-04
2.	अमीराबाद गोगाची रीवेटमेंट के लिए पी/ई तथा गंगा नदी के बायें तट पर बेड बार का निर्माण	432	25165	106 गांवों की जनसंख्या	-	कंटाकोश रिंग बंध, गोगाची में लालबथानी डावेल	पूरा होने की सूचना
3.	हाजीपुर महनार रोड की सुरक्षा के लिए हसनपुर गांव के पास गंगा नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षा कार्य	302	1500	50,600	-	हाजीपुर-महनार पीडब्ल्यूडी रोड	पूरा होने की सूचना
4.	भोजपुर जिला में गंगा नदी पर नेकनामटोला का बाढ़ सुरक्षा कार्य	749	9708.50	5000	32.29 हेक्टे.	पक्का घर-150 कच्चा घर 285	2003-04

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	बक्सर जिला में अर्जुनपुर और उमरपुर में गंगा नदी के दायें तट पर कटाव सुरक्षा संबंधी स्कीमें	492	1600	22000	90 हेक्टे.	हेटमेंट-190 पक्का घर-1200 कच्चा घर 2500	पूरा होने की सूचना
6.	अमरपुर के पास कसबा रूपनगर में कटावरोधी कार्य	726	18500	2,65,000	–	बरौनी रिफाइनरी थर्मल प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट रेलवे यार्ड और राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर सुधा डेयरी	2003-04
7.	सिताब-दियारा कटाव प्रवण की सुरक्षा के लिए कटावरोधी (कार्य बिहार का भाग)	326	1600	15,000	–	पक्का घर-150 कच्चा घर 320	2003-04
8.	चम्पारण तटबंध को ऊंचा उठाना और सुदृढ़ करना	749	157532	75,00,000	–	पक्का घर-150 कच्चा घर-20056	2003-04

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्थापना लागत (लाख रुपये में)	पूरा होने की संभावित तिथि	सुरक्षित क्षेत्र	जनसंख्या	भूमि कटाव	जन उपयोगिता		
							सड़क	भवन	घर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल									
	पी.एस. भागवंगोला, मुर्शिदाबाद में गांव अलईपुर मौजा हमनपुर में जलांगी तक और गांव खगंबाना, मौजा नाशीपुर में फरक्का बराज के प्रतिप्रवाह में गंगा नदी दायां तट की सुरक्षा संबंधी स्कीम	2940.72	2003-04	570	60000	कृषि-270 हेक्टे. बगीचा-100 हेक्टे. वासभूमि-200 हेक्टे.	एसटी राजमार्ग 10 कि.मी. गांव 12 कि.मी.	विद्यालय-2 मस्जिद-3 मंदिर-1 बाजार-1	पक्का-500 सेमी पक्का-800 कच्चा-10,000
2.	सं एम 1 (काकजोंपाड़ा), सं 8 (अर्जुनपुर), यू 3 एवं यू 4 (हजारपुर) में गंगा पदमा नदी के दायां तट पर बेड़ बार्ग और कुली, मुर्शिदाबाद जिले में एन आई के 200 एमयू/एम पर अतिरिक्त नए बार का नवीकरण	398.72	2003-04	16.0	–	कृषि-3.23 हेक्टे. बगीचा-12.15 हेक्टे. बासभूमि-11.34 हेक्टे. परती भूमि-1 हेक्टे.	पक्का-3 कि.मी. सेमी पक्का-6 किमी. कच्चा-5 किमी.	मदरसा-1 विद्यालय-4 मस्जिद-4 मंदिर-1	पक्का-192 सेमी पक्का-463 कच्चा-702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	पी.एस. सुती में चन्द्रपुरा (150 मी.), धुलियान में लालपुर (250 मी.), महेशपुर (150 मी.), कांकजोपारा (150 मी.), पी.एस.- फरक्का, जिला- मुर्शिदाबाद में कुलती (200 मी.) में मौजूदा तट सुरक्षा कार्यों का विस्तार और उसकी मरम्मत	535.75	2003-04	19.00	–	कृषि-0.50 हेक्टे. बगीचा-8 हेक्टे. वासभूमि-10.02 हेक्टे. परती भूमि-0.35 हेक्टे.	सेमी पक्का-3 कि.मी. ग्राम मार्ग-5.25 किमी. अन्य धातु रोड एल.एस.	मदरसा-1 विद्यालय-6 मस्जिद-1 मंदिर-2 बाजार-एल.एस.	पक्का-505 सेमी पक्का-420 कच्चा-925
4.	पी.एस एवं ब्लाक मानिकचक एवं इंगलिश बाजार मालदा में खासकोल, दौलातोला के पास छठे पुराने तटबंध पर तट सुरक्षा कार्यों संबंधी स्कीम	557.18	पूरी कर ली गई है	38949	–	कृषि-1127 हेक्टे. बगीचा-282 हेक्टे. वास भूमि-282 हेक्टे. परती भूमि-187 हेक्टे.	–	–	–

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्थापना लागत (लाख रुपये में)	बाढ़ से होने वाली क्षतियों की सीमा जिन्हें कम किए जाने की संभावना है				पूरा होने की संभावित तिथि
			संरक्षित क्षेत्र हेक्टे.	जनसंख्या	भूमि कटाव	सार्वजनिक उपयोगिता सड़क मार्ग/ भवन आदि	
1	2	3	4	5	6	7	8
उत्तर प्रदेश							
1क.	शेरपुर गांव जिला बलिया के अतिरिक्त एन.एच.-19 बलिया बैरिया तटबंध की सुरक्षा के लिए गंगा नदी के बाएं किनारे पर बाढ़ प्रबंधन संबंधी कार्य	511	24800	4500	10.5	35000 घर	पूरा होने की सूचना
1ख.	गाजीपुर जिले में गंगा नदी पर शेरपुर गांव के निकट 25 नलकूपों के समूह की सुरक्षा के लिए स्कीम	123.50	51.0	–	–	25 ट्यूबेल का समूह	2003-04
2.	फैजाबाद जिले में घाघरा नदी के दाएं किनारे पर 0.6 से 1.7 कि.मी. तक रौनाही तटबंध के बाट सुरक्षा कार्य	310.00	3500	15376	21	1324 घर 4 किमी. सड़क	2003-04
3.	कुशीनगर जिले में गंडक नदी नदी के दाएं किनारे पर 1.5 किमी. से 2.2 किमी. तक अहिरौली दान पिपराघाट बाढ़ सुरक्षा कार्य	302.00	8484	45253	17	5000 घर 1 चीनी मिली 1 सिनेमा हाल	2003-04

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	मऊ जिले में घाघरा दाएं किनारें पर बीबी पुर बेलौली के बाढ़ सुरक्षा कार्य	376.00	356	9200	100	45 घर	2003-04
5.	कुशीनगर जिले में गंडक नदी के दाएं किनारे के साथ पिपरा-पिपरासी रिटायर्ड तटबंध को ऊंचा उठना और उसे सुदृढ़ करना	378.00	32495	–	–	7000 घर 3 चीनी मिल 2 सिनेमा हाल	2003-04
6.	बस्ती जिले में घाघरा नदी के दांये किनारे पर 0 कि.मी. से 10.4 कि.मी. तक विक्रम जोत घुमवा तटबंध के बाढ़ सुरक्षा कार्य	644.00	10121	187840	–	10 घर	पूरा होने की सूचना
उत्तरांचल							
1.	टिहरी गढ़वाल जिले में ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे पर मुनि-की रेती के बाद सुरक्षा कार्य	335.00	9	–	9	109 घर	2003-04

विवरण II

केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के तहत बाढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	बाढ़ से सुरक्षित क्षेत्र के लिए संभावित लाभ (हेक्ट.)	पूरा होने की संभावित तिथि
असम				
1.	धोला, हातीधुली में ब्रह्मपुत्र नदी का एवल्शन (अनुषंगिक कटावरोधी उपाय सहित नदी को इसके मूल मार्ग से मोड़ने के लिए उपाय)	1047.00	16200	अप्रैल, 2003
2.	हरांग जल निकास विकास स्कीम	3049.00	11850	दिसंबर, 2003
3.	पगलादिया बांध परियोजना (बहुउद्देश्यीय परियोजना)	54290	40000	जनवरी, 2008

विवरण III

केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अंतर्गत बाढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	बाढ़ से सुरक्षित क्षेत्र के लिए संभावित लाभ	पूरा होने की संभावित तिथि
बिहार				
1.	लालबकिया और बागमती नदियों के तटबंधों को ऊपर उठाना सुदृढ़ीकरण और विस्तार			
	लालबकिया	358.70	इस परियोना से अन्य संपत्तियों जैसे रेल लाइन आदि सहित कई गांवों के अतिरिक्त नेपाल में गौर बाजार और भारत में बरगनिया के घनी आबादी वाले कस्बों की सुरक्षा होगी	31.03.2004
	बागमती	503.00	यह संभावना है कि फसलों, घरों की क्षति के संबंध में वर्ष दर बाढ़ में कमी आई है तथा जन उपयोगी सेवाओं में पर्याप्त कमी आयेगी।	31.03.2004

विवरण IV

केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अंतर्गत बाढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजनाएं

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)	बाढ़ से सुरक्षित क्षेत्र के लिए संभावित लाभ	पूरा होने की संभावित तिथि
1.	नेपाल के हिस्से में कोसी और गंडक नदियों पर तटबंधों का अनुरक्षण			
	बिहार			
	कोसी नदी पर तटबंध का अनुरक्षण	2700.00	पूर्वी/पश्चिमी नहर प्रणाली की सुरक्षा सहित अनुप्रवाह पर बाढ़ प्रबंधन के लिए तटबंधों का अनुरक्षण आवश्यक है।	यह एक निरंतर चलने वाला क्रियाकलाप है और विगत वर्ष में बाढ़ से हुई क्षति कम करने के लिए मानसून के शुरू होने से पूर्व प्रत्येक वर्ष इन तटबंधों पर कार्य किया जाता है।
	उत्तर प्रदेश			
	गंडक नदी पर तटबंध का अनुरक्षण	800.00	नदी के स्पिल को रोकने तथा पश्चिमी नहर की सुरक्षा करने के लिए नेपाल के हिस्से में गंडक के दायें तट का अनुरक्षण आवश्यक है क्योंकि नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका एक व्यापक कमान क्षेत्र है।	

विवरण V

केन्द्र प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अंतर्गत बाढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजनाएं

स्कीम का नाम : सीमावर्ती साझी स्कीमें

क्र.सं.	स्कीम का नाम	स्थापना लागत (लाख रुपये में)	बाढ़ों से होने वाली क्षतियों की सीमा जिन्हें कम किए जाने की संभावना है			सार्वजनिक उपयोगिता			पूरा होने की संभावित तिथि
			सुरक्षित क्षेत्र	जनसंख्या	भूमि कटाव	सड़क	भवन	मकान	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
पश्चिम बंगाल									
1.	जिला दक्षिण दिनाजपुर के रायनंदा और कृष्णापुर में कटाव से अटारी नदी के बांये तट की सुरक्षा	42.85	500 हेक्टे.	5000	कृषि-10 हेक्टे.	पक्की सड़क-425 एम	उप डाकघर-1 स्टाफ क्वार्टर-3 पंप हाउस-1	पक्के-10 सेमी पक्के-70 कच्चे-40	प्रगति पर
2.	मुर्शिदाबाद जिले के लालपाड़ा-घोषपुरा, मौजा लालपुर में गंगा/पद्मा नदी के दांये तट में मौजूदा सुरक्षा कार्य का नवीकरण	110.00	9.00 हेक्टे.	उपलब्ध नहीं	वासभूमि-11.12 एकड़	नगरीय सड़क-3	विद्यालय-1 मंदिर-1 धर्मशाला-1	पक्के-8 सेमी पक्के-30	प्रगति पर
3.	जिला मुर्शिदाबाद मौजा के तहत गांव चिन्तामणि में 100 मी. की दूरी में मौजूदा सुरक्षा कार्य में अनुप्रवाह की ओर 3 बेड-वार का निर्माण	313.20	22.50 हेक्टे.	6000	कृषि-3.38 हेक्टे. बगीचा-5.62 हेक्टे. वासभूमि-12.38 हेक्टे. परती भूमि 1.12 हेक्टे.	गांव की सड़कें-5 किमी. तटबंध सड़क-1 किमी. स्टेट हाइवे-1 किमी.	विद्यालय-1 मस्जिद-1 मंदिर-1	पक्के-15 सेमी पक्के-200 कच्चे-400	प्रगति पर
पंजाब									
	अमृतसर फिरोजपुर और गुरदासपुर सीमावर्ती जिलों में रावी और सतलज नदी पर प्रति सुधारात्मक उपाय-सीमावर्ती बाहरी चौकी, सीमा पर बाड़ लगाना और खेती योग्य भूमि को सुरक्षा प्रदान करना	149.50	फिरोजपुर जिला-मोहम्मदीवाला और कसोक की सुरक्षा अमृतसर जिला-कक्करमणि और चहरपुर की सुरक्षा						2003
असम									
1.	स्टीमर घाट का क्षेत्र करीमगंज नगर, जिला, करीमगंज, लंबाई-110 मीटर पर कुशियारा नदी के बांये तट पर स्थिरीकरण उपाय	96.00	5.83	3500	5.83 हेक्टे.	–	सिनेमा हाल, केन्द्रीय जल आयोग कार्यालय आदि	127	प्रगति पर

[हिन्दी]

आई.सी.ए.आर. को सांविधिक शक्तियां

***536. श्री राधामोहन सिंह:**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) को कोई सांविधिक शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के अनेक कृषि विश्वविद्यालय गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में असमर्थ हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री अजित सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) "कृषि के लिए शिक्षा : कृषि मोर्चे पर आशा की शताब्दी का सेतु" नामक कृषि शिक्षा पर समिति की रिपोर्ट में सृजित किया गया है कि इस समय सामान्य वित्तीय संकट है। समिति ने कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए केन्द्रीय और राज्य दोनों ही स्तर पर जी.डी.पी. के 1 प्रतिशत के बराबर आवंटन की सिफारिश की जिसका कम से कम 20 प्रतिशत केन्द्र और राज्य दोनों ही स्तर पर कृषि शिक्षा के लिए होना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को नौवीं योजना के दौरान आवंटन ए.जी.डी.पी. का 0.3 प्रतिशत के लगभग था जिसका 11.7 प्रतिशत कृषि शिक्षा के लिए आवंटित था। इसके अलावा केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सी ए यू) को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 100 प्रतिशत की सहायता दी गई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने महसूस किया कि कृषि शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए पर्याप्त अनुदान आवश्यक है। वित्तीय समस्याओं के बावजूद, शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और सी ए यू को केन्द्रीय सहायता प्रदान करके कृषि शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समस्त प्रयास किए गए हैं।

(घ) और (ङ) कृषि शिक्षा को समर्थन देने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्यों की होती है। तथापि, कृषि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर, दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (कैच-अप अनुदान के रूप में रु. 1000 करोड़ सहित) 16000 करोड़ रु. के प्रस्तावित कुल परिव्यय में से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि शिक्षा के लिए 1322.65 करोड़ रु. दिया गया। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को दसवीं योजना में 5368 करोड़ रु. आवंटित किए गए जिसमें से इसने 559 करोड़ रु. का आवंटन (जम्मू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए रु. 68 करोड़ छोड़कर) कृषि शिक्षा के लिए किया। इसके अलावा दसवीं योजना के लिए रु. 225 करोड़ केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को आवंटित किया गया है।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा बेड़ा विस्तार

***537. श्री राजो सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के लिए विमानों के चयन और किसी विशेष कंपनी से खरीद के संबंध में भारत सरकार पर कोई दबाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का एक यूरोपियन कंपनी एयर बस इंडस्ट्री से 43 विमान खरीदने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड ने 10,089 करोड़ रुपए की शुद्ध लागत से वर्ष 2003-04 से 2007-08 की समयावधि के दौरान एयर बस एयर बस इंडस्ट्री से 43 विमान जिनमें ए-319, ए-320 और ए-321 किस्म के विमान शामिल हैं, खरीदने के लिए अप्रैल, 2002 में इस मंत्रालय को एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(घ) परियोजना रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

बीड़ी कामगारों के लिए अस्पताल

***538. श्री वीरेन्द्र कुमार:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीड़ी कामगारों को विभिन्न राज्यों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में बीड़ी कामगारों के उपचार हेतु कितने अस्पताल और औषधालय स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या दसवीं योजना के दौरान बीड़ी कामगारों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में नए अस्पतालों एवं औषधालयों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) और (ख) श्रम मंत्रालय भारत सरकार के श्रम कल्याण संगठन द्वारा समस्त देश में अस्पतालों और औषधालयों के माध्यम से बीड़ी कामगारों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य देखरेख के क्षेत्र में अनेक कल्याण स्कीमें चलाई जा रही हैं। अधिकांश औषधालयों को मोबाइल ड्यूटी करने के लिए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में फैले कामगारों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान किया जा सके। इन सुविधाओं के अलावा विशेषज्ञता प्राप्त अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की भी पद्धति है।

(ग) श्रम मंत्रालय के श्रम कल्याण संगठन द्वारा बीड़ी कामगारों के स्वास्थ्य देख-रेख की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे देश में मध्य प्रदेश के 25 औषधालयों सहित चार अस्पताल और 207 औषधालय चलाए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) सागर (मध्य प्रदेश), बिहार शरीफ (बिहार) और मुक्कुडाल (तमिलनाडु) में एक-एक अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। बिहार शरीफ में अस्पताल के लिए स्वीकृति वर्ष 2001 में दी गई थी और अन्य दो अस्पतालों की स्वीकृति अक्टूबर, 2001 में इस शर्त के साथ दी गई थी कि इनका निर्माण कार्य 30 माह में पूरा कर लिया जाए। इनके निर्माण का कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया है।

भोजशाला मुद्दा

***539. श्री सनत कुमार मंडल:**
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हिन्दुओं द्वारा पूजा के लिए धार जिले में भोजशाला मंदिर खोलने हेतु मध्य प्रदेश राज्य सरकार को कोई निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ग) भोजशाला के संरक्षित स्मारक को किस तरह से खोला जाना चाहिए। इस पर संक्षेप में पत्राचार के आदान-प्रदान के पश्चात मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने कुछ सुझाव सिफारिशें की थी। केन्द्रीय सरकार के ये सुझाव तथा निर्णय संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। तत्पश्चात राज्य सरकार महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा औपचारिक आदेश जारी कराना चाहती थी। अपेक्षित आदेश जारी किया गया तथा आदेश की एक प्रति संलग्न विवरण-II में दी गई है।

मामले की पृष्ठभूमि और व्यावहारिक विचारों को ध्यान में रखकर जो समाधान निकला उसे सर्वाधिक प्रभावशाली तथा व्यवहार्य समझा गया प्रबंध संतोषप्रद साबित हुए हैं। विभिन्न दिवसों/तिथियों को आए आगन्तुकों की संख्या संलग्न विवरण-III पर दी गई है।

विवरण I

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2003 के पत्र संख्या एफ.44-1-96 सी-1 में की गई सिफारिशों में प्रत्येक सिफारिश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/संस्कृति विभाग भारत सरकार के विचारों को दर्शाने वाला विवरण

कलेक्टर तथा जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण/संस्कृति विभाग के विचार
1	2
1. यह कि शुक्रवार को 1 से 3 बजे अपराह्न के बीच मुस्लिम समुदाय को वर्तमान की भांति नमाज अदा करने के लिए परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।	सहमत

1	2
2. यह कि हिन्दू समुदाय को प्रत्येक वर्ष बसन्त पंचमी का पारंपरिक उत्सव मनाने के लिए परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।	सहमत
3. यह कि मंदिर परिसर में किसी नारेबाजी, पूजा अथवा हवन अथवा देवी-देवता की कोई प्रतिमा अथवा चित्र लाने अथवा कोई पूजा सामग्री लाने की मनाही के साथ हिन्दू समुदाय को प्रत्येक मंगलवार को 9.00 बजे से 11.00 बजे के दौरान परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।	इस संशोधन के साथ सहमत कि प्रत्येक मंगलवार को दिन भर सूर्योदय से सूर्यास्त तक-जो संरक्षित स्मारक को खोलने तथा बंद करने का निर्धारित सामान्य समय है, नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। उस दिन आगन्तुक एक या दो फूल और चावल के कुछ दाने ले जा सकते हैं।
4. उपर्युक्त (1) एवं (2) में सुझाई गई रियायतों के अलावा परिसर प्रत्येक दिन निर्धारित समय के दौरान शुल्क लेकर पर्यटकों के लिए भी खोला जाना चाहिए	सभी अन्य दिनों के प्रति व्यक्ति एक रुपया प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। बच्चों (15 साल तक) को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इस शुल्क से प्राप्त राशि को भोजशाला की देख-रेख पर खर्च किया जाएगा।
5. इस संरक्षित स्मारक को किसी प्रकार की क्षति को रोकने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थल पर यह सुनिश्चित करेगा कि पर्याप्त संख्या में पर्याप्त कार्मिक तैनात हों। 7. स्मारक की संख्या के लिए पर्याप्त केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल तैनात किए जाएं जैसा कि अन्य स्मारकों में किया जा रहा है।	किन्हीं अन्य संरक्षित स्मारकों की भांति अल्प संख्या में पहरा एवं निगरानी स्टाफ रखा जाएगा। किन्तु कानून और व्यवस्था बनाए रखने और भवनों/आंगतुकों की सुरक्षा एवं संरक्षण की जिम्मेदारी कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/राज्य सरकार की होगी। इस संबंध में प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 16 की उप धारा 2 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इस धारा में अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षा की गई है "..... कलेक्टर ऐसे स्मारक अथवा उसके भाग की संरक्षा के लिए उपर्युक्त प्रावधान करेंगे...."
6. प्रतिदिन परिसर में प्रवेश की अवधि संरक्षित स्मारकों में यथालागू भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियमों के अनुसार नियत की जाए।	सहमत

विवरण II

एफ संख्या 33-41/97-एम (पार्ट)
दिनांक 7.4.2003

आदेश

मैं. गौरी चटर्जी, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष नियम, 1959 के नियम 4 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 5 फरवरी, 1998 के आदेश सं. एफ सं. 11.5.97-एम में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा यह निदेश देती हूं कि धार स्थित केन्द्रीय संरक्षित स्मारक भोजशाला-कमाल मौलाना मस्जिद निम्नलिखित आधार पर खुली रहेगी:

1. यह कि मुस्लिम समुदाय को वर्तमान की भाति शुक्रवार के दिन 1 से 3 बजे अपराह्न के बीच नमाज अदा करने के लिए परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
2. यह कि हिन्दू समुदाय को प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर परम्परागत उत्सव मनाने के लिए परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
3. यह कि हिन्दू समुदाय को प्रत्येक मंगलवार के दिन सूर्योदय से सूर्यास्त-संरक्षित स्मारक को खोलने तथा बंद करने के लिए नियत सामान्य समय तक परिसर में नि: शुल्क प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। उस दिन आगंतुक एक या दो फूल और चावल के कुछ दाने ले जा सकते हैं।

4. उपर्युक्त रियायतों के अलावा, परिसर पर्यटकों के लिए प्रति दिन खुला रहेगा। प्रति व्यक्ति रुपया प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। बच्चों (15 साल की आयु तक) के लिए प्रवेश नि:शुल्क रहेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों के जारी होने तक लागू होगा।

हस्ताक्षर
(गौरी चटर्जी)
महानिदेश

विवरण III

दिनांक 8.4.2003 से 25.4.2003 के बीच भोजशाला में आने वाले आगन्तुकों की संख्या

तारीख	आगंतुकों की संख्या
8.4.2003	8679 मंगलवार
9.4.2003	468
10.4.2003	554
11.4.2003	1200 शुक्रवार
12.4.2003	351
13.4.2003	346
14.4.2003	342
15.4.2003	4553 मंगलवार
16.4.2003	313
17.4.2003	438
18.4.2003	1461 शुक्रवार
19.4.2003	272
20.4.2003	613
13.4.2003	423
22.4.2003	3855 शुक्रवार
23.4.2003	209
24.4.2003	303
25.4.2003	1276 शुक्रवार

सिंचाई क्षमता

***540. श्री रामजी मांझी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के अंतर्गत शामिल परियोजना के घटकों के माध्यम से निमित्त अतिरिक्त सिंचाई क्षमता वास्तविक सिंचाई क्षमता की तुलना से बहुत कम है जैसा कि वर्ष 1999-2000 के दौरान कृषि संबंधी स्थायी समिति द्वारा बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कार्यक्रम में कमी के कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निर्धारित सिंचाई क्षमता को शीघ्र प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (घ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित सिंचाई परियोजनाओं की प्राथमिकता निर्धारण, निष्पादन प्रचालन और रख-रखाव के साथ उनकी आयोजना, अन्वेषण, वित्तपोषण का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का है।

वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजाओं के भारी संख्या में नौवीं योजना में आने से चिन्तित होकर केन्द्र सरकार ने ऐसी निर्माणाधीन/ बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं, जिन पर पर्याप्त प्रगति की जा चुकी हो और जो राज्य सरकारों की संसाधन क्षमता से बाहर हों तथा ऐसी अन्य वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं जो कि पूरा होने की अंतिम अवस्था में हैं और जिनमें अगले चार कृषि मौसमों के दौरान सिंचाई लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं, के कार्यान्वयन को तीव्र करने के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम प्रारंभ किया। वर्ष 2000 तक 112 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया था। इन सिंचाई परियोजनाओं की चरम सिंचाई क्षमता 13801 हजार हेक्टेयर थी जिसमें से 817 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन वर्ष 1999-2000 की समाप्ति तक किया गया था। धीरे-धीरे वर्ष 2001-02 तक इस कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की संख्या बढ़कर 150 हो गई और मार्च, 2002 तक 1974 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरूआत के पश्चात कुल 21 परियोजनाएं पूरी की गई और इन परियोजनाओं के पूरा होने पर 404.48 हजार हेक्टेयर की क्षमता का सृजन हुआ था। 31 मार्च, 2003 तक 172 वृहद/मध्यम तथा 5382 लघु सिंचाई स्कीमों को 11541.7314 करोड़ रुपए की केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराई गई है। वर्ष 1996-97 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किये जाने के समय इसमें शामिल की जाने वाली स्कीमें निष्क्रिय अवस्था में थीं। वृहद परियोजनाओं के पूरा होने की अवधि 10 से 15 वर्ष तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए यह अवधि 5 वर्ष मानते

हुए अतिरिक्त क्षमता का सृजन 4 से 5 वर्ष के पश्चात ही हो सकता था योजना आयोग ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की तथा राज्यों के पास निधियों की कमी राज्य के वित्त विभाग से परियोजनाओं के लिए निधियों को समय पर जारी करने में विलंब अपेक्षित अनुमोदन मुहैया कराने में विलंब भूमि अधिग्रहण समस्याएं कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, तकनीकी बाधा, इत्यादि जैसी कमियों की पहचान की। इसके अतिरिक्त हेड वर्क्स को पूरा करने तथा नहरों की निष्क्रिय लंबाई के कारण भी क्षमता के सृजन में वृद्धि नहीं हो रही थी।

इस प्रकार की कमियों से उबरने के लिए इस कार्यक्रम की आवधिक समीक्षा की गई और कार्यक्रम को प्रभावी बनाने तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिशा-निर्देशों में समय-समय पर संशोधन किए गए। बराबर-बराबर आधार पर केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में निधियां जारी की गई। राज्यों की दयनीय वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए वर्ष 1997-98 और 1999-2000 में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत वित्त पोषण पद्धति संशोधित की गई। संशोधित वित्त पोषण पद्धति के अनुसार वर्ष 1999-2000 से विशेष श्रेणी राज्यों, जिनमें पूर्वोत्तर राज्य, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल और सिक्किम पर्वतीय राज्य तथा उड़ीसा के कालाहांडी, बोलनगीर और कोरापुट (केबीके) को 3:1 (केन्द्र: राज्य) के अनुपात में अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता जारी की जा रही है जबकि सामान्य श्रेणी के अन्य राज्यों के लिए यह अनुपात 2:1 का है। इसके अतिरिक्त, विशेष श्रेणी राज्यों और उड़ीसा के केबीके जिलों की सभी लघु परियोजनाओं (निर्माणाधीन और नई) को भी 3:1 के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराई जा रही है। विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 1:0 (केन्द्र:राज्य) तथा सामान्य श्रेणी राज्यों के लिए 4:1 (केन्द्र:राज्य) के अनुपात में केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराते हुए सुधार वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम संबंधी दिशा-निर्देशों को फरवरी, 2002 से पुन: संशोधित किया गया है। एक वर्ष (दो कार्य मौसम) में पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के एक घटक फास्ट ट्रैक के कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है और उन्हें 100% केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराई गई है।

ठेका श्रमिकों का शोषण

***541. श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन के श्रम सुधार कार्यक्रम लागू किए जाने के बाद से देश में ठेकेदारों द्वारा नियोजित श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को ठेका श्रमिकों की कठिनाइयों और शोषण के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) कार्य की अनिश्चितता, लागत में किफायत, जनशक्ति की तैनाती में लचीलापन, प्रमुख कार्य-क्षमताओं पर ध्यान केन्द्रित करने आदि जैसे कारणों से नियोक्ता अक्सर ठेका श्रम का आश्रय लेते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने ठेका श्रम के शोषण की रोकथाम के उद्देश्य से ठेका श्रम (विनियमम और उत्सादन) अधिनियम, 1970 अधिनियमित किया है। इसमें कतिपय परिस्थियों में, जहां संभव और व्यावहारिक हो, ठेका श्रम के उत्सादन का और अन्य मामलों में उनकी कार्य दशाओं के विनियमन का प्रावधान किया गया है ताकि मजदूरी के भुगतान और उनके कल्याण तथा स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम के उपबंधों/उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रवर्तन के लिए और उनके हितों के संरक्षण के लिए एक पर्याप्त औद्योगिक संबंध तंत्र पहले से ही विद्यमान है

[हिन्दी]

बंधुआ मजदूर

***542. श्री मणिकराव होडल्या गावित:**
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'एन्टी-स्लेवरी इन्टरनेशनल' ने सरकार से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ) द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार देश में बन्धुआ मजदूरों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों सहित बन्धुआ मजदूरों की राज्यवार अनुमानित कुल संख्या कितनी है;

(घ) देश में मुक्त कराए गए/पुनर्वास कराए गए बन्धुआ मजदूरों की राज्यवार और वर्षवार संख्या कितनी है; और

(ङ) उनकी दयनीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा. साहिब सिंह वर्मा): (क) जी, हां।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मानकों के अनुप्रयोग संबंधी परामर्श समिति ने अपने 88वें सत्र (जून, 2000) में भारत सरकार से बन्धुआ श्रमिकों की पहचान करने के लिए व्यापक और अधिकृत सर्वेक्षण कराने का अनुरोध किया था। एण्टी-स्लेवरी इण्टरनेशनल ने अगस्त, 2001 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार संघ परिसंघ (आई सी एफ टी यू) को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इंटी-स्लेवरी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराया जाए और देश में बंधुआ श्रमिकों की कुल संख्या का पता लगाया जाए और सर्वेक्षण की कार्य प्रणाली विकसित करने और सर्वेक्षण करने में सहयोग के लिए एक स्वतंत्र निकाय की सेवाएं ली जाएं।

(ग) विभिन्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान पहचान किए गए और मुक्त कराए गए बन्धुआ श्रमिकों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गयी है।

(घ) देश में मुक्त कराए गए/पुनर्वास किए गए बंधुआ श्रमिकों की राज्यवार और वर्षवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

(ङ) बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास में राज्य सरकारों की मदद के लिए भारत सरकार बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम 1978 से चला रही है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रति बंधुआ श्रमिक 20,000 रु. की पुनर्वास सहायता प्रदान की जाती है, जिसे केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा 50:50 आधार पर वहन किया जाता है और पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जिसके तहत स्थानीय दशाओं और मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की जरूरतों के आधार भूमि-आधारित, गैर-भूमि आधारित, कौशल शिल्प आधारित पुनर्वास पैकेज तैयार किए जाते हैं।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में मुक्त कराए गए/पुनर्वास किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या

वर्ष	राज्य का नाम	मुक्त कराए गए/ पुनर्वास किए गए बंधुआ श्रमिकों की संख्या
2000-2001	अरुणाचल प्रदेश	1576
	राजस्थान	24
	तमिलनाडु	3656
2001-2002	बिहार	28
	हरियाणा	7
	महाराष्ट्र	14
	कर्नाटक	36
	तमिलनाडु	3844
2002-2003	बिहार	125
	कर्नाटक	1854
	हरियाणा	21
	महाराष्ट्र	5
	पंजाब	69
	छत्तीसगढ़	124

विवरण II

अब तक मुक्त कराए गए और पुनर्वास किए गए और बंधुआ श्रमिकों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या

वर्ष	अरूणाचल प्रदेश	आंध्र प्रदेश	बिहार	गुजरात	हरियाणा	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	छत्तीसगढ़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1978-79	—	2000	625	—	—	1512	83	850	—	1256	—	797	10266	1500	—
1979-80	—	2387	331	—	—	1357	30	—	—	1050	—	527	—	500	—
1980-81	—	1959	1117	—	—	7258	—	—	—	1511	—	518	85	842	—
1981-82	—	1630	452	—	—	4209	76	86	—	5531	—	18	50	1912	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1982-83	—	—	362	—	—	4509	—	90	—	9554	—	958	10654	4520	—
1983-84	—	—	1812	20	—	7400	329	3691	—	1530	—	618	1310	2786	—
1984-85	—	7946	1516	—	21	2010	=	103	—	10577	—	1000	10240	6121	—
1985-86	—	2990	850	24	—	6115	=	—	1300	3412	—	234	6258	5712	—
1986-87	—	500	702	20	—	2698	=	—	—	2076	—	767	—	3281	—
1987-88	—	—	345	—	—	—	=	—	—	1253	—	130	—	145	—
1988-89	—	—	638	—	—	3613	=	—	—	2165	—	135	—	150	—
1989-90	—	—	106	—	—	4389	=	4341	—	1216	—	242	—	—	—
1990-91	—	—	2035	—	—	—	—	2736	—	1130	—	—	—	—	—
1991-92	—	—	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1992-93	—	1950	356	—	—	5600	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1993-94	—	4638	175	—	—	3381	192	—	—	1134	—	54	51	—	—
1994-95	—	1920	743	—	—	1180	—	—	—	1113	—	105	786	—	—
1995-96	—	1632	—	—	—	—	—	—	—	1152	—	114	—	—	—
1996-97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1148	—	—	175	—	—
1997-98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6000	—	—
1998-99	—	—	98	—	—	—	—	—	—	35	—	—	5578	249	—
1999-00	1416	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80	6620	79	—
2000-01	1576	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	3656	—	—
2001-02	—	—	28	—	7	36	—	—	14	—	—	—	3844	—	—
2002-03	—	—	125	—	21	1854	—	—	5	—	69	—	—	—	124
कुल	2992	29552	12521	64	49	57121	710	11897	1319	46843	69	6321	65573	27797	124

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

5243. श्री वाई.वी. राव: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का विचार अपना प्रथम ढलवाँ इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रस्तावित क्षमता कितनी होगी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) सेल द्वारा एक स्पंज लोहा संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव अवधारणा चरण पर है और इसकी शक्यता और व्यवहार्यता प्रमाणित होने पर इस पर विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

भू-जल स्तर को ऊपर लाना

5244. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जल संचयन के माध्यम से भू-जल स्तर को ऊपर लाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जोहड़ों/एनीकुट/बांधों का निर्माण कार्य वर्ष 1990-91 से जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौर क्या है;

(ग) वर्षा जल का कितना प्रतिशत भाग नदियों और नालों में बहकर नष्ट हो जाता है और इस वर्ष जल से कुल कितनी भूमि की सिंचाई किये जाने की संभवना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निवारात्मक कदम उठाये गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण पर अध्ययन हेतु वर्ष 1994-95 के दौरान प्रयोगिक आधार पर एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम प्रारंभ की थी जिसके अंतर्गत भूमि जल स्तर उठाने हेतु तालाबों/चेक बांधों/परिस्रवण टैंकों/पुनर्भरण टैंकों और अन्य वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1997-98 के दौरान 3.30 करोड़ रुपए की लागत से अध्ययन पूरे किए गए थे। इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम को विस्तारित किया गया था जिसके अंतर्गत 27 राज्यों/संघ क्षेत्रों में क्रियान्वयन हेतु 174 पुनर्भरण परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था। नौवीं योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु अनुमोदित पुनर्भरण परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) देश में वार्षिक रूप से औसतन 4000 बी सी एम वर्षा (हिमपात सहित) होती है। इसमें से वार्षिक रूप से औसतन 1869 बिलियन घन मीटर जल देश की नदी प्रणालियों में बह जाता है और वार्षिक पुनर्भरणीय भूमि जल उपयोग संसाधन 432 बीसीएम है। वर्तमान में 605 बीसीएम का उपयोग सतही और भूमि जल संसाधन से किया जाता है। शेष जल समुद्र में बह जाता है जिसमें से जल की निश्चित मात्रा नदियों की पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं के लिए आवश्यक होती है। विभिन्न स्थलों पर विभिन्न राज्यों, निजी अभिकरणों गैर-सरकारी संगठनों आदि द्वारा वर्षा जल संचयन क्रियान्वित किया जा रहा है। देश में विभिन्न प्रयोजनों हेतु संचयन और उपयोग किए जा रहे वर्षा जल की मात्रा का कोई आकलन नहीं किया गया है।

(घ) जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के संवर्द्धन हेतु स्कीमों की आयोजना, वित्त पोषण और निष्पादन का दायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का है केन्द्र सरकार द्वारा देश में वर्षा जल संचयन हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. देश में भूमि जल के पुनर्भरण का अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का क्रियान्वयन।

2. भूमि जल स्तरों में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्र विशेष कृत्रिम पुनर्भरण स्कीमें तैयार करने में सहायता करने की दृष्टि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भूमि जल के कृतिम पुनर्भरण पर मैनुअल/दिशानिर्देश का परिचालन।

3. वर्षा जल संचयन और भूमि जल के कृत्रिम पुनर्भरण पर जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन।

4. भूमि जल प्रबंधन और विकास के विनियमन और नियंत्रण के लिए पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन।

5. वर्षा जल का संचयन करने तथा भविष्य में इसे भंडारित करने की विभिन्न तकनीकों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए छत के वर्षा जल संचयन पर एक वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.सीजी.डब्ल्यू बी इंडिया.काम) प्रारंभ करना।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 'भूमि जल के पुनर्भरण के अध्ययन' पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित पुनर्भरण परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	10
2.	असम	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	1
4.	बिहार	2
5.	गुजरात	3
6.	हरियाणा	8
7.	हिमाचल प्रदेश	6
8.	झारखंड	5
9.	जम्मू व कश्मीर	8
10.	कर्नाटक	2
11.	केरल	13
12.	मध्य प्रदेश	5
13.	महाराष्ट्र	4
14.	मेघालय	1

1	2	3
15.	मिजोरम	1
16.	नागालैंड	3
17.	उड़ीसा	8
18.	पंजाब	17
19.	राजस्थान	18
20.	तमिलनाडु	10
21.	उत्तर प्रदेश	10
22.	उत्तरांचल	1
23.	पश्चिम बंगाल	7
24.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	18
25.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	3
26.	लक्षद्वीप	2
27.	चंडीगढ़	7
	कुल	174

[अनुवाद]

उड़ानों को प्रयोग में न लाना

5245. श्री एम. के. सुब्बा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया का विचार गुवाहाटी-बैंकाक उड़ान का प्रयोग न करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोल्ड रोल्ड स्टीलियम शुरू करना

5246. डा. वी. सरोजा: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा स्टील ने अपनी पहली ब्रांड वाला कोल्ड रोल्ड स्टील टाटा स्टीलियम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन संयंत्रों/क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां इनकी आपूर्ति की जानी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) ने 27 फरवरी, 2003 को गोवा में अपना प्रथम बांडिड शीत बेल्लित इस्पात "टाटा स्टीलियम" लांच किया है। टिस्को ने दावा किया है कि यह ब्रांड उत्कृष्ट क्वालिटी और विश्वसनीय सेवा वाला उत्पाद है तथा ग्राहकों (फैब्रीकेटर) की विश्वसनीय उत्पाद के रूप में उनकी पहचान बनाने में सहायता करता है जो उनको और उनके ग्राहकों को उपयोगिता देता है। टिस्को का मानना है कि इस ब्रांड से उन्हें लाभ होगा क्योंकि यह ग्राहक के प्रति विश्वास और मूल्य आधारित जागरूकता लाने में सहायक है।

(ग) टाटा स्टीलियम शीत बेल्लित इस्पात का ब्रांड है और यह फर्नीचर, ड्रम/बैरल, हल्की इंजीनियरी, पुर्जों और आटो अनुषंगी क्षेत्रों को सप्लाई किया जाता है।

[हिन्दी]

कम पानी के साथ गेहूं की किस्मों का विकास

5247. श्री राम सिंह कस्वां:
श्री वाई. जी. महाजन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने गेहूं की ऐसी किस्मों का विकास किया है जिनके लिए कम पानी की आवश्यकता होती है लेकिन वे बेहतर उपज प्रदान करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे गेहूं की संभावित प्रति हैक्टेयर उपज कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न राज्यों के लिए संस्तुत गेहूं की ऐसी महत्वपूर्ण किस्मों का विवरण उनकी प्रति हैक्टेयर औसत उपज के साथ संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

देश के बारानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता वाली गेहूं की महत्वपूर्ण किस्मों की सूची

किस्म का नाम	औसत उपज क्विं/है.	उगाने वाले क्षेत्र
पी बी डब्ल्यू-396	33.30	पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर और ऊना सहित राजस्थान के अन्य भाग, तथा हिमाचल प्रदेश की पौंटा घाटी
एच डी-4672 (ड्यूरम)	22.00	मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़
वी एल-804	23.50	जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी प्रदेश राज्य
सी-306	25.80	बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम
के-8027	26.50	बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम
एच डी-2781	15.80	कर्नाटक तथा महाराष्ट्र
के-9644	12.40	कर्नाटक तथा महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में नागर विमानन योजना

5248. श्री शिवाजी माने: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाई गई नागर विमानन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके अंतर्गत आज की तिथि तक कितनी प्रगति की गई है;

(ग) क्या इन योजनाओं पर कार्य कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो आज की तिथि तक इन पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है; और

(ङ) इन योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि स्वीकृत हुई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) महाराष्ट्र में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ की गई मुख्य नागर विमानन योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(1) मुम्बई हवाई अड्डे पर नए अंतराष्ट्रीय टर्मिनल परिसर (फेस-3) का निर्माण एवं टर्मिनल-1 पर सुरक्षा के अधीन क्षेत्र सहित बे सं. 17,18 एवं 19 पर एयरोब्रिज का निर्माण तथा अन्य विविध इंजीनियरिंग कार्य किए गए।

(2) नागपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का निर्माण, एप्रन का विस्तार नया टैक्सी-वे तथा कार्गो काम्पलैक्स के अंदर पुराने टर्मिनल भवन का आशोधन किया गया।

(3) औरंगाबाद हवाई अड्डे पर रनवे का सुदृढ़ीकरण किया गया।

(ख) और (ग) उपरोक्त सभी कार्य नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे किए गए।

(घ) उपरोक्त योजनाओं पर 103.21 करोड़ रुपये खर्च हुए।

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 118.78 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे।

[अनुवाद]

लंबित वन विकास परियोजनाएं

5249. श्री खेलसाय सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में जैव-ईंधन वनरोपण परियोजनाएं आरंभ करने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(ग) इसे स्वीकृत किये जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि मजदूर

5250. श्री राम सिंह राठवा: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में राज्यवार कुल कितने कृषि मजदूर हैं और संबंधित राज्यों की कुल जनसंख्या में इनका अनुपात कितनी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	कृषि श्रमिकों की संख्या	कुल जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13818754	18.16
2.	अरुणाचल प्रदेश	18569	1.69
3.	असम	1289902	4.84
4.	बिहार	13527884	16.32
5.	छत्तीसगढ़	3088216	14.84
6.	गुजरात	4987657	10.31
7.	हरियाणा	1276143	6.05
8.	हिमाचल प्रदेश	92761	1.53
9.	जम्मू एवं कश्मीर	248577	2.47
10.	झारखंड	2861939	10.64
11.	कर्नाटक	6209153	11.77
12.	केरल	1653601	5.19
13.	मध्य प्रदेश	7380878	12.25
14.	महाराष्ट्र	11290945	11.67
15.	मणिपुर	120991	5.07
16.	मेघालय	172975	7.50
17.	नागालैंड	33852	1.70
18.	उड़ीसा	5001075	13.62
19.	पंजाब	1498976	6.16
20.	राजस्थान	2529225	4.48
21.	सिक्किम	16939	3.13
22.	तमिलनाडु	8665020	13.95
23.	त्रिपुरा	278334	8.72
24.	उत्तर प्रदेश	13604812	8.19
25.	उत्तरांचल	258752	3.05
26.	पश्चिम बंगाल	7350988	9.16
27.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	5092	1.43
28.	चंडीगढ़	387	0.04
29.	दादर एवं नागर हवेली	14743	6.69
30.	दिल्ली	13559	0.10
31.	गोवा	36150	2.69
32.	दमन और दीव	1287	0.81
33.	लक्षद्वीप	0	0
34.	मिजोरम	27494	3.09
35.	पांडिचेरी	72095	7.40

[अनुवाद]

नदियों की सफाई

5251. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रीय पर्यावरण और अनुसंधान अभियांत्रिकी संस्थान (नीरी) ने हाल ही में नागपुर में "नाग नदी" के संबंध में एक विस्तृत अध्ययन कराया है ताकि नगर को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु नदी का पुनरुद्धार किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो "नाग नदी" और "पीली नदी" की स्थिति को सुधारने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(घ) इसका पुनरुद्धार कब तक कर दिये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (घ) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग और अनुसंधान संस्थान (नीरी) को नागपुर शहर के अपशिष्ट जल से प्रदूषित होने वाली नाग नदी और पीली नदी के सर्वेक्षण और जांच के लिए वर्ष 1999 में 1.25 लाख रुपये की राशि दी गई थी। इन नदियों के प्रदूषण की स्थिति और परियोजना के लिए राशियों की आवश्यकता राज्य सरकार द्वारा सर्वेक्षण और जांच के आधार पर तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के तैयार होने के बाद ही जानी जा सकेगी।

[हिन्दी]

पर्यटन विकास के लिए झारखंड को धनराशि

5252. **श्री राम टहल चौधरी:**
श्री लक्ष्मण गिलुआ:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पर्यटन विकास के लिए झारखंड सरकार हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी है/ जारी की गयी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य में किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन सी योजनाएं की हैं; और

(घ) इन योजनाओं को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) झारखंड में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8 परियोजनाओं हेतु 286.49 लाख रुपये की राशि की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई थी।

(ग) दसवीं योजना में पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास, उत्पाद/अवसंरचना के विकास एवं गंतव्य विकास तथा भारी राजस्व सर्जन करने वाली परियोजनाओं की सहायता के लिए योजनाएं तैयार की हैं, जिसके दिशा-निर्देश सभी राज्यों को आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु परिचालित कर दिए गए हैं।

(घ) झारखंड से सभी प्रकार से पूर्ण ऐसा कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र की लंबित परियोजनाएं

5253. **श्री मोहन रावले:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मार्च 2001 में केन्द्र सरकार को मुम्बई ट्रांस हार्बर सी लिंक परियोजना नामक एक प्रस्ताव भेजा था जिसके अंतर्गत उसने मुख्य भूमि पर विकास को प्रोत्साहित करके द्वीप नगर पर भीड़-भाड़ को कम करने हेतु मुख्य भूमि से मुम्बई को जोड़ने के लिए एक सी लिंक (समुद्री लिंक) का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, हां।

(ख) तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 1991, के विस्तारित उपबंधों के अनुसार प्रस्तावित निर्माण, जो कि अंशत: तटीय विनियमन जोन-1 (1) के क्षेत्र में आते हैं जिनमें कच्छ वनस्पतियां हैं, अनुमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण पर सी एन जी का प्रभाव

5254. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीएनजी ईंधन के प्रयोग के कारण दिल्ली में वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या देश के अन्य महानगरों के संबंध में भी सीएनजी के प्रयोग को अनिवार्य किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) दिल्ली के परिवेशी वायु गुणता मानीटरी आंकड़ा से यह पता चला है कि सामान्य तौर पर वायु गुणता में सुधार हुआ है। इसका श्रेय, प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए अन्य उपायों के साथ-साथ संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) की शुरुआत को जाता है।

(ग) दिल्ली ने प्रदूषण नियंत्रण हेतु किए गए उपायों में शामिल हैं:-

* सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में सुधार।
* पुराने वाहनों का चलना बंद करना।
* नए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल/बाई पास मार्गों का निर्माण।
* स्वचालित निरीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं की स्थापना।
* दो-स्ट्रोक वाले वाहनों के लिए पूर्व-मिश्रित 2-टी आयल और सीसा रहित पेट्रोल की आपूर्ति।
* सी एन जी की आपूर्ति करने वाले बिक्री केन्द्रों का विस्तार।
* साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों और मलजल शोधन संयंत्रों की स्थापना।
* नान-कन्फार्मिंग क्षेत्रों से उद्योगों को स्थानांतरित करना।

(घ) और (ङ) दिल्ली और मुम्बई में स्वच्छ ईंधन और संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) के उपयोग के लिए महानगरों के वास्ते कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं।

[अनुवाद]

राजस्थान में पानी की कमी

5255. श्री ए.सी. जोस: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान राजस्थान में ऐसे ब्लाकों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें पानी की बहुत कमी का सामना करना पड़ा है यदि उनमें से कितने ब्लाकों को उक्त अवधि के दौरान अभावग्रस्त क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा चुका है; और

(ख) इस स्थिति पर केन्द्र सरकार द्वारा काबू पाने के लिए राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जल संसाधन मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफ मानीटरिंग स्टेशनों के नेटवर्क के द्वारा राजस्थान सहित देश के विभिन्न भागों में भू-जल स्तर की लगातार निगरानी करता है। दशक (1992-2001) औसत जल स्तर आकड़ों और मई, 2002 जल स्तर आकड़ों की तुलना से पता चलता है कि राजस्थान के बूंदी, बांसवाड़ा, धौलपुर, उदयपुर, भरतपुर, वरन डुंगरपुर, करौली, अलवर और झालावाड़ जिलों में 2 मीटर तक सीकर, दौसा, डुंगरपुर, झुंझुनू और अलवर जिलों में 2-4 मीटर के बीच तथा जालोर, सिरोही, भीलवाड़ा, जयपुर, पाली, दौसा और टोंक जिले में 4 मीटर से ज्यादा गिरावट आई है।

'डार्क' ब्लाकों की गणना भूमि जल संसाधन आकलन के आधार पर की जाती है। ऐसे आकलन के अनुसार राजस्थान में 74 अति-दोहित ब्लाक हैं, जहां भूमि जल का वार्षिक दोहन वार्षिक पुनर्भरण से अधिक है तथा 20 डार्क ऐसे हैं जहां वार्षिक दोहन वार्षिक पुनर्भरण का 85% से 100% है।

(ख) जनवरी, 2001 से दिसम्बर, 2002 के दौरान राजस्थान में केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा 198 समन्वेषी नलकूल खोदे गए जिनमें से 154 नलकूप सफल रहे। सभी सफल नलकूपों के बिना किसी शुल्क के राजस्थान सरकार को सौंप दिया गया। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने 122.24 लाख रुपये की लागत से राज्य में वर्षा जल संचयन एवं भूमि जल पुनर्भरण पर 18 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

हवा में विमानों का टकराने से बाल-बाल बचना

5256. श्री सुबोध मोहिते: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 23 फरवरी, 2003 को नागपुर के निकट हवा में विमान टकराने से बाल-बाल बचे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना के संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भांडागार क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के विनिवेश प्रस्ताव

5257. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने विदेशी कंपनियों को राज्य में भांडागार और संबंधित गतिविधियों के मामले में प्रत्यक्ष रूप से अथवा संयुक्त उद्यमों के रूप में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास इस समय विदेशों के बहुत से प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (घ) विदेश निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) के डाटाबेस के अनुसार कर्नाटक में वेयरहाउसिंग संबंधी कार्यकलापों के लिए एफ.आई.पी.बी./आटोमैटिक रूट के अन्तर्गत दो प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है और भारत सरकार के पास कोई मामला लम्बित नहीं है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अनुसार वेयरहाउसिंग और इससे संबंधित कार्य-कलापों के लिए पर्यावरण मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली फसलें

5258. श्री जी. गंगा रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने मिर्च, प्याज, हल्दी और आलू जैसी चार अन्य फसलों को कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत लाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विमान किराये में वृद्धि

5259. श्री टी. गोविन्दन: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस/एयर इंडिया ने गत तीन वर्षों के दौरान अपने विमान किराये में वृद्धि की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) एअर इंडिया ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न गंतव्य स्थलों के लिए विमान किरायों में बढ़ोत्तरी की है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

मई, 2001 में इंडियन एयरलाइंस द्वारा फ्लेक्सी किराया नीति लागू करने के परिणामस्वरूप, किरायों में 2% से 15% तक बढ़ोत्तरी हुई। फरवरी, 2002 में, विमान किरायों में 10% से 15% तक बढ़ोत्तरी हुई। नवम्बर, 2002 में किरायों में 10% बढ़ोत्तरी हुई। 26 मार्च, 2003 को किराए विभिन्न सेक्टरों में 10% से 25% तक बढ़ गए।

विवरण

एअर इंडिया के किराए में वृद्धि (अप्रैल, 2000 से अप्रैल, 2003)

भारत से -तक	प्रभावित तारीख	वृद्धि%	किराए का प्रकार
1	2	3	4
मध्य अटलांटिक	4.1.2000	5%	आईटा के सभी किराए
दक्षिण अटलांटिक	4.1.2000	5%	आईटा के सभी किराए
अमेरिका/कनाडा को छोड़कर उत्तरी अटलांटिक	4.1.2000	5%	आईटा के सभी किराए

1	2	3	4
अमेरिका/कनाडा को छोड़कर उत्तर मध्य पेशिफिक	4.1.2000	21.55%	एक फंड जे श्रेणी
		15.76%	वाई एण्ड स्पेशल किराया
पेशिफिक के रास्ते अमेरिका	4.1.2000	10.25%	आईटा के सभी किराए
अफ्रीका	4.1.2000	5%	आईटा के सभी किराए
यूरोप	4.1.2000	5%	आईटा के सभी किराए
इजराईल/इरान/सऊदी को छोड़कर मध्य पूर्व	4.1.2000	10.25%	आईटा के सभी किराए
इजराईल	4.1.2000	15.76%	आईटा के सभी किराए
इरान	4.1.2000	5%	आईटा के सभी किराए
सऊदी अरेबिया	4.1.2000	5%	आईटा के सभी किराए एफआरसीएल के अतिरिक्त
		10.25%	प्रथम श्रेणी
कोरिया	4.1.2000	5%	आईटा के सभी किराए
गुवांम/हांक-कांग को छोड़कर दक्षिण पूर्व एशिया इन्डोनेशिया/फिलिपिन्स/ताइवान/थाईलैंड	4.1.2000	8.15%	आईटा के सभी किराए
थाईलैंड	4.1.2000	8.50%	आईटा के सभी किराए
गुवांम	4.1.2000	3%	आईटा के सभी किराए
दक्षिण पश्चिम पेशिफिक	4.1.2000	5%	आईटा के सभी किराए एफजेसीएल के अतिरिक्त
		8.50%	एफ एण्ड जे श्रेणी
हांग-कांग	5.1.2000	5%	आईटा के सभी किराए
कनाडा बरास्ता अटलांटिक	5.1.2000	5%	आईटा के सभी किराए
कनाडा बरास्ता अटलांटिक	5.1.2000	5%	आईटा के सभी किराए
इन्डोनेशिया	5.1.2000	8.50%	आईटा के सभी किराए
फिलिपींन्स	8.1.2000	5%	आईटा के सभी किराए
कनाडा को छोड़कर उत्तरी अटलांटिक	10.1.2000	5%	एफ एण्ड जे श्रेणी
		3%	एक्सक्रशन किराया
मध्य अटलांटिक	10.1.2000	5%	एफ एण्ड जे श्रेणी
		3%	एक्सक्रशन किराया
दक्षिण अटलांटिक	10.1.2000	5%	एफ एण्ड जे श्रेणी
		3%	एक्सक्रशन किराया

1	2	3	4
कनाडा को छोड़कर उत्तर अमेरिका बरास्ता पेशिफिक	10.1.200	5%	एफ एण्ड जे श्रेणी
		7%	जे श्रेणी
मध्य/दक्षिण अमेरिका बरास्ता पेसिफिक	10.1.2000	3%	एक्सक्रशन किराया
		5%	एफ एण्ड जे श्रेणी
		3%	इकोनामी श्रेणी
यूरोप/जापान/कनाडा दक्षिण मध्य और उत्तर			
अटलांटिक के सभी किराये के अतिरिक्त	1.1.2001	10%	आईटा के सभी किराए
यूरोप	1.1.2001	13.30%	आईटा के सभी साधारण किराया
		12.20%	एक्सक्रशन किराया
कनाडा के अतिरिक्त उत्तरी अटलांटिक	1.1.2001	15.50%	सभी साधारण किराए
		10%	सभी एक्सक्रशन किराया
दक्षिण और मध्य अटलांटिक	1.1.2001	15.50%	सभी साधारण किराए
	1.1.2001	10%	सभी एक्सक्रशन किराया
उत्तरी और मध्य पेशिफिक	1.1.2001	10%	आईटा के सभी किराए
दक्षिण पेशिफिक	1.1.2001	10%	आईटा के सभी किराए
कनाडा बरास्ता अटलांटिक	1.16.2001	10%	आईटा के सभी किराए
कनाडा बरास्ता पेशिफिक	1.21.2001	10%	आईटा के सभी किराए
जापान	3.1.2001	10%	आईटा के सभी किराए
यूएसए/कनाडा	4.1.2003	5%	आईटा के सभी किराए
यूरोप	4.1.2003	5%	आईटा के सभी किराए
मध्य पूर्व	4.1.2003	2%	आईटा के सभी किराए
अफ्रीका	4.1.2003	3%	आईटा के सभी किराए
दक्षिण पूर्व एशिया	4.1.2003	2%	आईटा के सभी किराए
जापान/कोरिया	4.1.2003	2%	आईटा के सभी किराए
आस्ट्रेलिया	4.1.2003	2%	आईटा के सभी किराए

पाम ऑयल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

5260. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश देश में पाम ऑयल के कुल वनरोपण में 59 प्रतिशत का योगदान करता है;

(ख) यदि हां, तो किसानों को पाम ऑयल के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से पाम ऑयल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का आग्रह करती आ रही है ताकि कच्चे पाम ऑयल के मूल्य घटने-बढ़ने के मद्देनजर किसानों के हितों की सुरक्षा की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। देश में आयल पाम रोपण के तहत कवर किए गए 56,116 हैक्ट. क्षेत्र में से 31,739 हैक्टे. क्षेत्र आन्ध्र प्रदेश राज्य में है जो आयल पाम रोपण के तहत कुल क्षेत्र का लगभग 59% है।

(ख) चूंकि विगत एक वर्ष से खाद्य तेल पर आयात टैरिफ में पर्याप्त वृद्धि हुई है और तेल के मूल्य सुविधाजनक है, अत: आयल पाम के किसान अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त कर रहे हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार को आयल पाम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण हेतु आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री से पत्र प्राप्त हुआ था। चूंकि आयल पाम के ताजे फलों के गुच्छे अत्यधिक नाशवान प्रकृति के हैं और इसकी उचित औसत गुणवत्ता (एफ.ए.क्यू.) निर्धारित नहीं की जा सकती है, इसलिए इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत शामिल नहीं किया गया है। तथापि, आयल पाम के किसानों को संकटकालीन बिक्री से बचाने के लिए उनके हितों की सुरक्षा हेतु सरकार ने आंध्र प्रदेश से आयल पाम के लिए मण्डी हस्तक्षेप स्कीम का कार्यान्वयन किया है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नए विमानपत्तन

5261. **श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में नए विमानपत्तनों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में इस समय कुल कितने विमानपत्तन कार्य कर रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वर्तमान में महाराष्ट्र में नए हवाई अड्डा बनाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि राज्य सरकार का नवी मुंबई में दूसरा हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र का नगर एवं औद्योगिक विकास निगम (सी.आई.डी.सी.ओ.) नवी मुंबई में दूसरे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में तकनीकी आर्थिक उपादेयता रिपोर्ट बनाएगा और वह दो समानांतर रनवे के लिए भूमि की आवश्यकता बनाएगा क्योंकि रनवे में साथ-साथ प्रचालनों की क्षमता होनी चाहिए।

(ग) महाराष्ट्र में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत पुणे के सिविल इन्कलेव सहित पांच हवाई अड्डे प्रचालन में हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पशु विकास बोर्ड की स्थापना

5262. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एल.डी.डी.बी.) की तर्ज पर राष्ट्रीय पशु विकास बोर्ड की स्थापना का कोई प्रस्ताव है और भारतीय पशु संसाधन विकास फाउंडेशन (बी.सी.आर.डी.एफ.) द्वारा एक संगठन चार्ट भी बनाया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए लागू नहीं होता।

चावल के जीन का मानचित्र तैयार करने में भारत का योगदान

5263. **श्री एस. मुरूगेसन:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत चावल की एक किस्म के जीन के सम्पूर्ण क्रम का मानचित्र तैयार करने की अंतर्राष्ट्रीय परियोजना के चरण-2 में योगदान दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारत का इसमें कुल कितना योगदान है;

(ग) योजना आयोग द्वारा इस परियोजना के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(घ) इस परियोजना के चरण-3 को कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी हां, भारत ''इंडियन इनिशिएटिव फॉर राइस जिनोम सिक्वेंसिंग'' (आई.आई.आर.जी.एस.) के माध्यम से इंटरनेशनल राइस जिनोम सिक्वेंसिंग परियोजना (आई.आर.जी.एस.पी.) में भाग

ले रहा है। यह परियोजना जून, 2000 में पांच वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली तथा दिल्ली विश्वविद्यालय, साउथ कैम्पस, नई दिल्ली में आरंभ की गई। भारत ने चावल क्रोमोसोम-2 की सिक्वेंसिंग में योगदान दिया है।

(ख) भारत ने चावल क्रोमोसोम-2 से दस मिलियन बेस जोड़ों के निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक डियोक्सीरिबोस न्यूक्लियक एसिड (डी.एन.ए.) के उच्च गुणवत्तापूर्ण चरण-2 स्तर के 15 मिलियन बेस जोड़ों से सिक्वेन्स में योगदान किया है। यह कुल चावल जिनोम के 3 प्रतिशत से कुछ अधिक है तथा लगभग 400 मिलियन बेस जोड़ों के बराबर इसका आकलन किया गया है।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.)-जैवप्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) की संयुक्त परियोजना के लिए योजना आयोग ने 2000-2005 के दौरान पांच वर्ष की अवधि के लिए 4883 लाख रु. की कुल निधि का आबंटन किया है।

(घ) चरण-3 (अंतिम सिक्वेन्स) जारी है।

यात्री सुविधाओं के लिए शुल्क

5264. श्री किरीट सोमैया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी मुम्बई विमानपत्तन पर यात्री सुविधाओं के लिए प्रयोक्ता शुल्क वसूलता है;

(ख) यदि हां, तो मुम्बई विमानपत्तन से यात्रा करने वालों की संख्या का वर्षवार ब्यौरा क्या है और प्रयोक्ता शुल्क के रूप में कुल कितनी धनराशि वसूली गई और कितनी धनराशि बचायी गयी;

(ग) क्या इसके लिए अलग से हिसाब रखा जाता है;

(घ) मुम्बई विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस राशि से यात्रियों को प्रदान की गयी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या मुम्बई विमानपत्तन का कार्यालय काउन्टर, चिकित्सा सुविधाएं, खाद्य पदार्थों के स्टॉल दिल्ली विमानपत्तन जैसे नहीं हैं; और

(छ) इन सुविधाओं का उन्नयन करने हेतु किये जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, नहीं।

(ख) मुम्बई हवाई अड्डे पर यात्री सुविधाओं पर कोई उपयोगकर्ता शुल्क नहीं लिया जाता है। यद्यपि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सम्पूर्ण भारत में इम्बार्किंग यात्रियों से यात्री सेवा शुल्क एकत्र कर रहा है; जिसमें सुरक्षा और सुविधा दो मद शामिल हैं। यात्री सेवा शुल्क के सुविधा मद से वर्ष 1999-2000 में 56.20 लाख यात्रियों से 40.68 करोड़ रुपए, वर्ष 2000-01 में 59.28 लाख यात्रियों से 43.42 करोड़ रुपए और वर्ष 2001-02 में 59.04 लाख यात्रियों से 44.64 करोड़ रुपए एकत्र किए गए थे।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) मुम्बई हवाई अड्डे के टर्मिनल 1ए और 1बी में नि:शुल्क सामान ट्रालियां, जलपान गृह और स्नैक बार, चाय, कॉफी, बोर्नवीटा, सॉफ्ट ड्रिंक, चाकलेट और आईसक्रीम के लिए स्वचालित वॉडिंग मशीन, जूस शॉप, एस.टी.डी./आई.एस.डी., डाक सेवा और दूरसंचार केन्द्र, कार रेंटल, मुद्रा विनिमय, ए.टी.एम. केन्द्र, अंतर्टर्मिनल कोच सेवा, होटल आरक्षण सुविधा, एक्जिक्यूटिव और सेरीमोनियल लांज, मैगजीन वैंडिंग, फ्लोरिस्ट, हस्तशिल्प और जेवरात, कैमिस्ट, कास्मैटिक्स और पुस्तक दुकानें, हवाई बीमा, पर्यटन सूचना काउंटर्स, चाईल्ड केयर रूम, लैफ्ट लगेज, खोई और पाई सम्पत्ति सुविधा, मनोरंजन, टी.वी. और सम्मेलन हॉल की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(च) सभी यात्री सुविधाएं दिल्ली हवाई अड्डे के स्तर की हैं।

(छ) टर्मिनल-1बी और 2ए में चौबीसों घंटे प्रथम चिकित्सा उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। टर्मिनल-2सी पर वहां के पैरामेडिकल स्टॉफ की स्वीकृति से रात के समय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में मशरूम उत्पादन को शामिल किया जाना

5265. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मशरूम उत्पादन को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से उद्योग हैं और उनमें तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मशरूम का कितना और किस प्रकार का मशरूम उत्पादन किया गया है; और

(ग) मशरूम उद्योगों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) मशरूम प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में शामिल है।

(ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए प्रसंस्कृत मशरूम उत्पादन की मात्रा संबंधी सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती। वैसे कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, प्रतिवर्ष मुख्यत: दो किस्म के मशरूम यानि वाइट बटन मशरूम और ओएस्टर मशरूम की कुल मिलाकर 40,000 मीट्रिक टन पैदावार की जाती है।

(ग) अपनी योजना स्कीमों के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय मशरूम समेत खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता देता है। यह सहायता सामान्य क्षेत्रों में पूंजीगत लागत के 25% तक जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रु. है और दुर्गम क्षेत्रों में पूंजीगत लागत के 33.33% तक जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रु. है, दी जाती है।

पर्यटक सुविधाओं पर खर्च की गई धनराशि

5266. श्री परसुराम माझी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं योजना के दौरान देश में पर्यटकों की सुविधाओं में सुधार लाने और उन्हें नई सुविधाएं प्रदान करने पर सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) इसमें राज्य सरकार का शेयर कितना था?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पर्यटन विभाग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 372.43 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता की 1563 परियोजनायें मंजूर की हैं। परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या और पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत की गई राशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वीकृत राज्य-वार पर्यटन परियोजनायें

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	53	1170.35
2.	असम	62	1840.03
3.	अरुणाचल प्रदेश	45	1084.6
4.	बिहार	44	912.68
5.	छत्तीसगढ़	7	155.28
6.	गोवा	52	936.45
7.	गुजरात	64	1653.75
8.	हरियाणा	39	933.85
9.	हिमाचल प्रदेश	63	1680.22
10.	जम्मू और कश्मीर	47	1338.06
11.	झारखंड	8	286.49
12.	कर्नाटक	88	2163.02
13.	केरल	66	3124.66
14.	मध्य प्रदेश	68	1580.41
15.	महाराष्ट्र	80	3098.52
16.	मणिपुर	40	1338.36
17.	मेघालय	26	492.36
18.	मिजोरम	47	1027.46
19.	नागालैंड	42	824.01
20.	उड़ीसा	62	1236.07
21.	पंजाब	30	690.16
22.	राजस्थान	72	1164.79
23.	सिक्किम	76	825.61

1	2	3	4
24.	तमिलनाडु	75	1579.39
25.	त्रिपुरा	41	1084.28
26.	उत्तरांचल	10	135.7
27.	उत्तर प्रदेश	104	2231.91
28.	पश्चिम बंगाल	64	1193.74
29.	अंदमान और निकोबार	7	256.65
30.	चंडीगढ़	14	150.86
31.	दादर नगर हवेली	6	66.9
32.	दिल्ली	31	550.95
33.	दमन और दीव	5	65.17
34.	लक्षद्वीप	3	51
35.	पांडिचेरी	22	319.33
	कुल	1563	37243.07

किसानों द्वारा आत्महत्या

5267. **श्री खगेन दास:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के राज्यवार कितने मामले सरकार की जानकारी में आए;

(ख) किसानों द्वारा की गई आत्महत्या के क्या कारण थे;

(ग) किसानों को दिए गए मुआवजों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश के लिए छोटे विमान

5268. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा एटीआर-42-320 विमान खरीदे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में उनकी उड़ानें शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इनका परिचालन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) एलायंस एयर ने 5 वर्ष की अवधि के लिए 4 ए.टी.आर.-42-320 विमान ड्राई लीज पर लिए हैं। इन लीज पर लिए गए विमानों को उत्तर-पूर्व विकास विभाग (डी.ओ.एन.ई.आर.) द्वारा प्रत्येक वर्ष 35 करोड़ अर्थात पांच वर्षों की अवधि में कुल 175 करोड़ के अनुमोदित बजट अनुदान से केवल उत्तर-पूर्व क्षेत्र में चलाया जाना है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बूचड़खाने

5269. **डा. चरणदास महंत:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000-2001 के दौरान और उसके बाद वर्ष-वार गाय के मांस के अलावा मांस का देशवार कितना निर्यात किया गया;

(ख) इकाईवार कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया;

(ग) क्या इन इकाइयों के पास अपने बूचड़खाने हैं या ये अन्य बूचड़खानों से मांस खरीदकर इसका निर्यात करती हैं;

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ये बूचड़खाने स्थित हैं; और

(ङ) पशुओं के अलावा इसके तहत वर्गीकृत किए गए अन्य जानवरों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वर्ष 2000-2001 और 2001-02 के दौरान अंगोला, बहरीन, ब्राजील, चीन, कांगो, मिस्र, फ्रांस, गॉबोन, जर्मनी, घाना, ग्रीस, इरान, जोर्डान, कुवैत, लेबनान, ओमान, फिलीपीन्स, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और यमन अरब गणतंत्र समेत विभिन्न देशों को गाय के मांस के अलावा मांस का निर्यात किया गया।

(ख) यह सूचना नहीं रखी जा रही है।

(ग) और (घ) कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कुछ इकाइयों के पास अपने बूचड़खाने हैं और कुछ इकाइयां निर्यात के लिए म्यूनिसिपल बूचड़खानों समेत अन्य बूचड़खानों से मांस खरीदती हैं। म्यूनिसिपल बूचड़खानें देश भर में स्थित हैं। कुछ बूचड़खाने औरंगाबाद, कोरेगांव, नांदेड़ (महाराष्ट्र), गोवा, अलीगढ़, उन्नाव, बाराबंकी, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश), मेढ़क (आन्ध्र प्रदेश) मौरी ग्राम (पश्चिम बंगाल), और डेराबस्सी (पंजाब) में निजी क्षेत्र में हैं।

(ङ) पशु-इतर वर्गीकृत किए गए अन्य जानवर ओवाइन (भेड़ और बकरी); सूअर; बत्तख; हंस आदि समेत पाल्ट्री हैं।

महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित जिले

5270. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के कई जिले सूखा से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को सिंचाई के प्रयोजनार्थ उद्वह सिंचाई को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य में लिफ्ट इरिगेशन वाले स्थानों के वित्तपोषण हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) जी हां। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने लिफ्ट सिंचाई स्कीमों का निर्माण कार्य शुरू किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लिफ्ट सिंचाई स्कीमों का क्रियान्वयन विभिन्न सिंचाई विकास निगमों द्वारा किया जाता है तथा उद्देश्य के लिए निधियां बाजार से उधार ली जाती हैं।

यू.के. आधारित इ.आई.ए. द्वारा खनन

5271. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री कैलाश मेघवाल:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यू.के. आधारित पर्यावरण जांच एजेंसी (इ.आई.ए) ने राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व के निकट जमवा रामगढ़ में खनन कार्य किया जाता है जिससे बाघ पर्यावास नष्ट हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस क्षेत्र को खनन से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) वर्तमान में केन्द्र सरकार ने राजस्थान के जामवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में खनन हेतु किसी प्रकार की स्वीकृति प्रदान नहीं की है। इसके अतिरिक्त राज्यों को सुरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर के क्षेत्र को ''पारि-संवेदनशील'' घोषित करने के प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है।

खादी ग्रामोद्योगों का कार्यनिष्पादन

5272. **श्री अम्बरीश:**
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग के कार्यनिष्पादन की समीक्षा कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समीक्षा में कोई खामियां पाई गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन खामियों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उठाए जा रहे हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम): (क) और (ख) जी, हां। संघ सरकार ने देश में

खादी ग्रामोद्योग के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करने तथा खादी और ग्रामोद्योग (के.वी.आई.) के समग्र विकास के लिए उपायों की सिफारिश करने के संबंध में श्री के.सी. पंत, उपाध्यक्ष योजना आयोग की अध्यक्षता के अंतर्गत एक सीमित गठित की है। समिति की प्रमुख सिफारिशों संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी, हां। समिति द्वारा समीक्षा के दौरान पायी गई खामियां मुख्यत: दीर्घकालिक छूट नीति की कमी कार्यशील पूंजी की पहुंच, अपर्याप्त मार्किटिंग लिंकेज तथा बुनियादी संरचना से संबंधित है। ऊपर उल्लिखित समिति की सिफारिशों के आधार पर संघ सरकार ने मई, 2001 में खादी पैकेज की घोषणा की। पैकेज में अन्य बातों के साथ-साथ दीर्घकालिक छूट नीति, ऋण को कार्यशील पूंजी में परिवर्तित करना, नवीनीकरण तथा सेल्ज आउटलेटस का आधुनिकीकरण, बांड बिल्डिंग, डिजाइन और पैकेजिंग सुविधाएं कलस्टर विकास इत्यादि शामिल हैं।

विवरण

समिति की प्रमुख सिफारिशें

1. छूट तथा खादी तथा पोलीवस्त्र संस्थानों को एम.डी.ए. तथा छूट के संबंध में—

   यह सिफारिश की गई है कि वार्षिक आधार पर छूट घोषणा करने की बजाय नीति पांच वर्ष के लिए घोषित की जानी चाहिए तथा 31.3.2000 की स्थिति अनुसार रिटेल सेल्स की कुल बिक्री पर 20% की दर दर से एम.डी.ए. दिया जाए तथा खादी संस्थानों को इन्क्रीमेन्टल सेल्ज का 20% को विकल्प के रूप में शुरु किया जाए तथा लागत चार्ट को वापस ले लिया जाए।

2. खादी संस्थानों को कार्यशील पूंजी—

   सिफारिश की गई कि खादी संस्थान जोकि एम.डी.ए. विकल्प को अपनाएंगे उन्हें कार्यशील पंजी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.एस.आई.सी.) के माध्यम से खादी संस्थानों को बैंक क्रेडिट के कानसोरटियम के रूप में 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लाइन आप क्रेडिट आफ क्रडिट प्रदान की जाए।

3. खादी कारीगरों का बीमा-

   समिति ने सिफारिश की कि एल.आई.सी./जी.आई.सी. की मदद से मृत्यु, बीमारी या अशक्तता के मद्दे खादी कारीगरों का बीमा किया जाए।

4. विलेज इण्डस्ट्रीज सेक्टर-

   सिफारिश की गई कि दो अलग स्पष्टत: पता लगाए गए स्कंधों का सृजन किया जाए, एक खादी के लिए तथा अन्य के.वी.आई.सी. के समग्र बुनियादी के ढांचे के तहत ग्रामोद्योग के लिए।

5. गुणवत्ता नियंत्रण -

   सुझाया गया कि खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद अनिवार्यत: गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो इसके सुनिश्चय हेतु कड़े उपाय किए जाएं।

6. विपणन विकास, प्रचार, बांड संवर्धन-

   के.वी.आई. उत्पादों के लिए कतिपय कामन बांड इमेजिज का सृजन सुझाया गया तथा विकेन्द्रीकृत प्रचार जागरूकता उपायों के संवर्धन के लिए के.वी.आई.सी. सुविधादाता की भूमिका अदा करेगा।

7. भवनों तथा मार्किटिंग आउटलेट्स का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण-

   समिति ने सिफारिश की कि विभागीय भवनों के साथ-साथ संस्थानों के मार्किटिंग आउटलेट्स के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए संस्थागत तंत्र का विकास किया जाए।

8. डिजाइन तथा पैकेजिंग सुविधायें-

   सिफारिश की गई कि फैशन तकनालाजी का राष्ट्रीय संस्थान, डिजाइन का राष्ट्रीय संस्थान, इत्यादि जैसे संस्थानों के साथ लिंकेज स्थापित की जाए।

9. डाटा बैंक का उन्नयन-

   सुझाया गया कि क्षमताओं, उत्पादों बिक्री इत्यादि के संबंध में डाटा बैंक का सृजन किया जाए।

10. ग्रामीण बुनियादी संरचना तथा कलस्टर विकास-

    उचित पिछड़े तथा अग्रणी लिंकेज की तथा अन्य मंत्रालयों, विभागों इत्यादि की डोवटेलिंग स्कीम की आवश्यकता को भी सुझाया गया।

11. ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण-

    के.वी.आई.सी.के आर.ई.जी.पी. को जारी रखना सुझाया गया।

12. एन.ई. क्षेत्र, जम्मू कश्मीर तथा पहाड़ी क्षेत्र के लिए पैकेज-

    इन राज्यों में कलस्टर विकास कार्यक्रम का सक्रिय संवर्धन सुझाया गया।

[अनुवाद]

कर्नाटक में पशुधन विकास एजेंसी के क्रियान्वयन के लिए सहायता राशि का निर्गमन

5273. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में 80 पशुधन विकास एजेंसियों के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने 24.2.2003 को राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना के संबंध में एक परियोजना प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कर्नाटक पशुधन विकास एजेंसी के जरिए राज्य में इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी का विस्तार तथा राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम नामक दो सम्मिलित योजनाओं के तहत 183.02 लाख रूपये की खर्च न की गई राशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) इस पर राज्य सरकार द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र और वास्तविक प्रगति रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के बाद विचार किया जाएगा।

[हिन्दी]

पुरातत्व संग्रहालयों की स्थापना

5274. श्री रामदास रूपला गावीत: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पुरातत्व संग्रहालय स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के लिए कितनी निधियां आवंटित की गई हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आठ संग्रहालयों की स्थापना का निर्णय किया है। इनमें से जागेश्वर संग्रहालय (उत्तरांचल) तथा शेख चिल्ली का मकबरा संग्रहालय, थानेस्वर (हरियाणा) जानता के लिए खोल दिए गए हैं जबकि अन्य छह संग्रहालय अर्थात (1) विक्रमशिला (बिहार); (2) कांगड़ा किला (हिमाचल प्रदेश); (3) जनाना अहाता (कर्नाटक); गार्ड रूम (कर्नाटक); (5) फतेहपुर सीकरी (उत्तर प्रदेश); तथा (6) रेजीडेंसी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) स्थापित किए जाने की प्रक्रिया में हैं।

(ग) इन संग्रहालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान क्रमश: 40 लाख तथा 40.40 लाख रुपए व्यय किए गए । चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान व्यय के लिए 37.00 लाख रुपये का नियतन किया गया है।

[अनुवाद]

खर्च न की गई धनराशि को फिर से खर्च किए जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाना

5275. श्री सी. श्रीनिवासन:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य सरकारों के केन्द्र सरकार से केन्द्र प्रायोजित योजना "एक्सटेंशन आफ फ्रोजन सीमेन टेक्नोलाजी एंड प्रोजेटी टेस्टिंग" के अंतर्गत उन्हें स्वीकृत की गई धनराशि जो खर्च नहीं हो सकी को फिर खर्च किए जाने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। कुछ राज्य सरकारों के अनुरोध पर राज्यों के पास पड़ी खर्च न की गई राशि का वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान पुनर्वैधीकरण किया गया था ताकि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए धनराशि के उपयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके। राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार हैं:-

राज्य	लाख रुपये में
(1) जम्मू एवं कश्मीर	139.79
(2) कर्नाटक	134.81
(3) उत्तर प्रदेश	41.93

[हिन्दी]

भविष्य निधि के लंबित मामले

5276. श्री राम टहल चौधरी:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भविष्य निधि के भुगतान के कई मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां तो आज तक के ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं, राज्यवार बताएं; और

(ग) कर्मचारियों को भविष्य निधि के भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये/उठाया जाना प्रस्तावित है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित कारणों से भविष्य निधि भुगतान के 390728 मामले लंबित पड़े हैं;

* सदस्य के बचत बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम और पता आदि अपठनीय होना।

* दावा फार्मों का नियोजक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समुचित रूप में अभिप्रमाणिक/प्रतिहस्ताक्षारित न होना।

* पूर्व प्राप्ति रसीद पर राजस्व टिकट न लगाना और उस पर हस्ताक्षर न होना जैसा कि दावा फार्म में अपेक्षित है।

लंबित मामलों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) कर्मचारियों को भविष्य निधि का तुरंत भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं।

* कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों को समुचित अनुदेशों के साथ सुग्राही बना दिया गया है।

* फ्रंट-आफिस कार्यचालन को सुदृढ़ किया गया है।

* नियोजकों एवं भविष्य निधि सदस्यों को योजनाओं में विशिष्ट अपेक्षाओं के बारे में सेमिनार एवं अन्य मंचों के माध्यम से शिक्षित किया जाता है।

* कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों को विश्व स्तर की सेवा मुहैया कराने के लिए रि-इन्वेन्टिग ई पी एफ इंडिया प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए बिल्कुल करीब है।

विवरण

दावों का निपटान 2002-2003

क्रमांक	राज्य का नाम	लंबित
1.	आंध्र प्रदेश	295
2.	बिहार	35
3.	छत्तीसगढ़	4048
4.	दिल्ली	31317
5.	गोवा	166
6.	गुजरात	23992
7.	हिमाचल प्रदेश	0
8.	हरियाणा	7483
9.	झारखंड	1197
10.	कर्नाटक	21690
11.	केरल	2222
12.	महाराष्ट्र	184311
13.	मध्य प्रदेश	14380
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	217
15.	उड़ीसा	133
16.	पंजाब	7958
17.	राजस्थान	5336
18.	तमिलनाडु	26545
19.	उत्तरांचल	306
20.	उत्तर प्रदेश	39073
21.	पश्चिम बंगाल	29024
	कुल	390728

[अनुवाद]

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड

5277. **श्री सईदुज्जमा:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) के भागा उत्पादों के वितरण का एकमात्र अधिकार एन.डी.डी.बी. अमूल के पूर्व चेयरमैन द्वारा निविदाएं आमंत्रित किए बिना उच्च कमीशन पर गुजरात कोआपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) को दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) धारा की बिक्री करने वाले एकमात्र एजेंट गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ (जी सी एम एम एफ) की नियुक्ति एन डी डी बी द्वारा की गई थी और जी सी एम एम एफ को दिया गया कमीशन अधिकतम खुदरा मूल्य का 1.75 प्रतिशत है। एकमात्र विक्रेता के रूप में दायित्वों को पूरा करने में जी सी एम एम एफ द्वारा किए गए कार्य की मात्रा को देखते हुए जो कमीशन दिया जा रहा है, उसे उचित समझा जाता है।

कम्पोस्ट का उत्पादन

5278. **श्री श्रीनिवास पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरों के कूड़े-कचरे जैविक अपवर्ज्य पदार्थों और जैव उर्वरकों से कम्पोस्ट का उत्पादन करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या कम्पोस्ट के उत्पादन और उसके वितरण में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कूड़े-कचरे से कम्पोस्ट के उत्पादन के लिए कोई अनुदान सहायता योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) केन्द्रीय सरकार ने कम्पोस्ट, जैव उर्वरकों के उत्पादन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं-

(1) उर्वरकों के संतुलित और समेकित प्रयोग "नामक स्कीम के अंतर्गत आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 7.89 करोड़ रु. की लागत से 30 कम्पोस्ट संयंत्रों को स्थापित किए जाने के लिए धन उपलब्ध कराया गया है जिसका उद्देश्य शहर के कचरों और बायोडिगरेडेबल जैविक कचरों से कम्पोस्ट तैयार करना है ताकि उनका खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

(2) "राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास एवं प्रयोग परियोजना" के अंतर्गत 10.44 करोड़ रु. की कुल लागत से 77 जैव उर्वरक उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए धन उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी जैव उर्वरकों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए रिवाल्विंग फंड स्कीम के अंतर्गत 80.56 लाख रुपये की कुल लागत वाली 5 परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है।

(3) इसके अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी नगर के ठोस कचरों से कम्पोस्ट तैयार किए जाने के लिए 1.35 करोड़ रु. की लागत से तैयार होने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(ख) और (ग) उर्वरकों के संतुलित और समेकित प्रयोग की स्कीम के अंतर्गत कम्पोस्ट संयंत्र नगर निगम द्वारा स्थापित किए जाने होते हैं तथापि इसमें दिन प्रतिदिन के आधार पर संयंत्रों को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों अथवा निजी उद्यमियों को शामिल करने की उन्हें पूरी छूट है।

(घ) और (ङ) उर्वरकों के संतुलित और समेकित प्रयोग को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "कार्य योजनाओं के माध्यय से राज्यों प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण कृषि के वृहद प्रबंधन" की नई स्कीम के एक घटक के रूप में चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में यंत्रीकृत कम्पोस्ट संयंत्रों को लगाने के लिए 50 लाख रु. की दर से अनुदान दिया जाता है। इस प्रकार राज्य इस नई स्कीम के अंतर्गत कम्पोस्ट संयंत्र लगाना जारी रख सकते हैं।

अयोध्या में खुदाई का ठेका देना

5279. **श्री राम विलास पासवान:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री रामजीवन सिंह:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अयोध्या में खुदाई का ठेका देने में सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ख) इस कार्य हेतु खुदाई संबंधी समझौते में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) अयोध्या में खुदाई के लिए सरकार ने कोई ठेका नहीं दिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीसीएल में कन्वेयर बेल्ट में फंसने के पश्चात श्रमिकों की मौत

5280. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल) में कन्वेयर बेल्ट दुर्घनाओं के कारण कितने श्रमिकों की मौतें हुई;

(ख) क्या अक्तूबर, 2002 में सीसीएल के बरका सायल क्षेत्र के अंतर्गत सीएचपी की मुरकुण्डा परियोजना में कन्वेयर बेल्ट में फंसने के पश्चात् अनेक श्रमिकों की मृत्यु हुई थी;

(ग) यदि हां, तो क्या मृत श्रमिकों के लिए मुआवजा की मांग किए जाने के कारण उत्पादन कार्य ठप्प पड़ गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सीसीएल के मृत श्रमिकों के आश्रितों को उचित मुआवजा न दिए जाने के कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लि. में कन्वेयर बेल्ट दुर्घटनाओं के कारण किसी की भी मृत्यु की कोई रिपोर्ट खान सुरक्षा महानिदेशालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी. नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्पांज आयरन संयंत्र

5281. श्री अनंत नायक: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा और झारखंड दोनों राज्यों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों कितने स्पांज आयरन संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) इन संयंत्रों से रोजगार के अलग-अलग कितने अवसर सृजित किए गए;

(ग) क्या स्थानीय लोगों की उनमें दी जाने वाली नौकरियों का कतिपय प्रतिशत प्रदान करने का कोई प्रावधान दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंधी में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार उड़ीसा और झारखंड में स्थापित स्पंज लोहा संयंत्रों की संख्या क्रमश: 20 और 07 है। इन राज्यों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कोई स्पंज लोहा संयंत्र नहीं है। अत: रोजगार, स्थानीय लोगों के लिए रोजगार का कुछ प्रतिशत जैसा विवरण सरकार द्वारा नहीं रखा जाता।

[हिन्दी]

विदेश जाने वाले युवकों के लिए शर्तें

5282. श्री योगी आदित्यनाथ:
श्री राम सिंह कस्वां:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत में तकनीकी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद विदेश गए युवकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने युवक भारत वापस आ गए;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में अपना तकनीकी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद विदेश जाने के इच्छुक युवकों के संबंध में कुछ शर्तें निर्धारित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते, क्योंकि उदारीकरण नीति का एक भाग होने के कारण और विदेशों में अधिकतम लोगों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी/सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा/डिग्री और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र धारकों को उत्प्रवास को अनुमति प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए धनराशि

5283. श्री पी. एस. गढ़वी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर गुजरात में सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए कृषि के विकास हेतु प्रति व्यक्ति कितना धन आवंटित किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य की ओर कितने धन की मांग की गई और केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार कितना धनराशि जारी की गयी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) संबंधित विभाग अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भू-संसाधन विभाग से सूचना एकत्रित की जा रही है।

राजस्थान के अकाल प्रवण थार मरू क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं

5284. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजस्थान के अकाल प्रवण थार मरू क्षेत्रों विशेषकर बाड़मेर और जैसलमेर में तेजी से विकास संबंधी सुविधा प्रदान करने और बुनियादी सुविधाओं का सृजन करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त विकास बोर्ड का गठन करने का है; और

(ख) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक गठित किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव कृषि मंत्रालय में कृषि एवं सहकारिता विभाग के विचाराधीन नहीं है।

जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटक स्थलों का विकास

5285. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ट्राइफेड ने जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटक स्थलों के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ किसी स्थान का चयन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनजातीय विकास के लिए नई संकल्पनाओं का पता लगाने हेतु ट्राइफेड का उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पर्यटन विभाग में इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वनीला का उत्पादन

5286. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की वनीला कृषि को प्रोत्साहन देने की कुछ योजनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में वनीला के लिए घरेलू और विदेशी बाजार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन क्षेत्रों में वनीला के मूल्य क्या थे?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) वनीला खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि में वृहद प्रबंध कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों के संपूरण/अनुपूरण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत वनीला खेली को बढ़ावा देने के लिए जिन कार्यक्रमों का शामिल किया गया है वे हैं— (1) 25% सब्सिडी के साथ गुणवत्ता वाली पौध सामग्री का उत्पादन और वितरण, तथा (2) और संभाव्य वनीला उत्पादक राज्यों में किसानों को प्रति प्लाट 500 रु. तक की सीमा में आदानों की लागत की 25% राशि की सहायता प्रदान करते हुए किसानों के खेतों में प्रदर्शन प्लाटों का संस्थापन व अुरक्षण। इसके अतिरिक्त वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत मसाला बोर्ड वनीला की खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:-

कार्यक्रम	प्रोत्साहन/उपलब्ध कराई गई सहायता
नए पौधरोपण	पौधरोपण सामग्री की लागत का 50% जो प्रति कटिंग का अधिकतम 5 रु. तक की शर्त के अधीन है।
वनीला प्रसंस्करण एककों की स्थापना	वनाली संसाधन एकक की लागत का 25% जो अधिकतम 2500 रु. तक होगा।

(ग) और (घ) भारत में वनीला के लिए कोई भी संगठित घरेलू मंडी नहीं है; तथापि वनीला की थोड़ी प्रमात्रा का निर्यात किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वनीला के निर्यात की प्रमात्रा और मूल्य संबंधी ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

वर्ष	पमात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रु)
2000-01	22.21	505.00
2001-02	26.50	1679.00
2002-03 (अप्रैल-फरवरी)	12.00	950.00

वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मण्डियों में संसाधित वनीला का प्रति कि. ग्रा. औसतन मूल्य नीचे दिया गया है:

(प्रति कि.ग्रा. अमेरिकी डालर)

वर्ष	संसाधित वनीला का औसतन मूल्य
2000-01	82.00
2001-02	153.00
2002-03	202.00

विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र को आंतरिक/ बाह्य सहायता

5287. श्री बृज भूषण शरण सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र (सी.एस.ई.) नई दिल्ली न्यास है, सोसायटी है या कार्पोरेट एकक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र लागू होने वाले आवश्यक कानूनों एवं विनियमों के सभी मानदंडों का अनुपालन करता है और यदि नहीं को उन सभी गैर-अनुपालनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र को वित्त प्रदान करने वाले विभिन्न विदेशी/भारतीय एककों के नाम क्या हैं और वर्ष 1999-2000 से 2002-03 तक के प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि प्रदान की गई एवं उसका विशेष ब्यौरा क्या है जिसके लिए धनराशि का उपयोग किया गया; और

(ङ) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र के स्वामित्व में आने वाले या उसके द्वारा उपयोग किए गए प्रत्येक जांच उपकरणों की विशिष्टताएं क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एक्स एक्स आई 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसायटी है।

(ख) यह सोसायटी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और विकास से संबंधित मामलों पर मास मीडिया के माध्यम से विशेष रूप में जागरूकता सृजित करने के लिए इंजीनियरों, वैज्ञानिकों, पत्रकारों और पर्यावरणविदों के एक ग्रुप द्वारा पंजीकृत कराई गई थी। विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली को आयकर अधिनियम की धारा 10(23)ग के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भी मान्यता प्राप्त है और यह विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 1976 के अंतर्गत पंजीकृत है।

(ग) विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र द्वारा लागू कानूनों एवं विनियमों के अपेक्षित मानदंडों का अनुपालन न किए जाने की कोई शिकायत मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र को वित्त प्रदान करने वाले मुख्य विदेशी और भारतीय दाताओं की राशियों और प्रयोजन, जिनके लिए राशियां उपलब्ध कराई गई हैं के साथ वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 तक ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दे दिए गए हैं।

(ङ) विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र के स्वामित्व वाले और उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले परीक्षण उपस्करों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

प्राप्त किए गए अनुदानों का विवरण

क्र.सं.	दानकर्त्ता का नाम	कुल राशि 2002-2003	कुल राशि 2001-2002	कुल राशि 2000-2001	कुल राशि 1999-2000	उद्देश्य
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय/यू.एन. दानकर्ता						
1.	दोराबजी टाटा	4,900,000.00	4,000,000.00	2,000,000.00	-	पर्यावरणीय प्रलेखन के लिए कार्यक्रम
2.	पर्यावरण मंत्रालय/यूएनडीपी	2,906,343.00	6,375,000.00	5,650,182.80	4,522,793.00	ग्रीन रेटिंग परियोजना के लिए
3.	सर रतन टाटा ट्रस्ट	0	25,78,320.00	5,000,000.00	0	प्रमुख कार्यक्रमों के लिए
4.	शिक्षा विभाग	0	0	373,000.00	0	पर्यावरण शिक्षा के लिए
5.	पर्यावरण मंत्रालय	280,000.00	0	0	0	पत्रकारों की कार्यशाला हेतु
6.	आई सी आई सी आई	0	0	6,000.00	4,00,000.00	लघु अवधि पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए
7.	जे एफ एस	0	0	0	175,000.00	लघु अवधि पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए
8.	अन्य	0	0	0	217,887.00	विभिन्न लघु अवधि पर्यावरणीय परियोजना
विदेशी दानकर्ता						
1.	डेन चर्चएड, नई दिल्ली, मुख्यालय-डेनमार्क	2,859,461	1,134,973.00	1,953,433.00	1,927,740.00	पर्यावरण-गरीबी संबंधों के बारे में जागरूकता पैदा करना और गरीबी उन्मूलन में अच्छे पर्यावरणीय प्रबंध के माध्यम से सफल प्रयासों को उजागर करना।
2.	जीटीजेड, नई दिल्ली, मुख्यालय-जर्मनी	0	4,148,000.00	0	3,500,000.00	प्रदूषण और कीटनाशी अवशेषों की निगरानी के लिए वैकल्पिक सुविधा स्थापित करना, विश्लेषणात्मक जांच करना और निष्कर्षों का व्यापक प्रचार करना ताकि समाज में खाद्य, जल और वायु में कीटनाशी अवशेषों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।
3.	ईईढी, नई दिल्ली, मुख्यालय-जर्मनी	8,257,421.00	5,070,531.00	10,353,838.00	9,764,910.43	जागरूकता पैदा करने, नीति अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए पर्यावरणीय कार्यक्रमों की सहायता
4.	फोर्ड फाउन्डेशन, नई दिल्ली, मुख्यालय-यूएसए	4,858,973.00	6,867,353.00	2,032,103.00	2,553,143.84	जल कृषि को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान जागरूकता सृजन आन्दोलन, शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को सहायता देना
5.	हेनरिच बाल फाउन्डेशन, जर्मनी	1,423,080.00	1,543,314.00	664,168.00	24,122.00	विश्वव्यापी पर्यावरण निगरानी के क्षेत्र में जागरूकता सृजन, अनुसंधान और आंदोलन के कार्यक्रमों के लिए

1	2	3	4	5	6	7
6.	मैकआर्थर फाउन्डेशन, यूएसए	0	3,968,650.00	4,114,800.00	4,965,667.00	प्राकृतिक संसाधन प्रबंध और विश्वव्यापी नियंत्रण के क्षेत्र में जागरूकता सृजन अनुसंधान और आंदोलन के कार्यक्रमों के लिए
7.	द रॉकफलर फाउंडेशन, यूएसए	0	960,000.00	1,024,100.00	557,700.00	विश्वव्यापी पर्यावरणीय विचार-विमर्शों पर प्रकाशन और प्रकाशन बैठकें तथा अवक्रमित भूमि पर जल प्रबंध आधारित सामुदायिक कार्यों पर अध्ययन
8.	एसआइडीए, नई दिल्ली मुख्यालय-स्वीडन	18,037,517.00	19,173,323.00	10,449,695.99	12,744,000.00	पर्यावरणीय नीति अनुसंधान, शिक्षा प्रशिक्षण आन्दोलन और जागरूकता सृजन के कार्यक्रमों के लिए
9.	डैनिश एम्बेसी, नई दिल्ली मुख्यालय-डेनमार्क	3,930,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	वायु प्रदूषण, निर्धनता-पर्यावरण संबंधों के क्षेत्र में कार्यों के लिए
10.	यूनएफ, नई दिल्ली	1,342,820.00	2,714,147.00	1,156,669.00	0	जल कृषि पर सूचनात्मक सामग्री, प्रचार और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों के लिए
11.	एनओआरएडी, नई दिल्ली मुख्यालय-नार्वे	0	4,870,615.91	0	0	भारतीय उद्योगों की ग्रीन रेटिंग और पर्यावरणीय शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए
12.	यूरोपियन डेलीगेशन, नई दिल्ली मुख्यालय-ब्रुसल्स	10,401,376.00	0	6,326,161.00	0	पर्यावरणीय स्वास्थ्य और प्रदूषण निगरानी के क्षेत्र में कार्यों के लिए
	सीडब्ल्यूसी, नीदरलैंड	3,615,000.00	0	0	0	जल प्रबंध और जल कृषकों का साऊथ एशियन नेटवर्क स्थापित करने के कार्यक्रमों के लिए
14	डानाम, डेनमार्क	4,172,880.00	0	0	0	डब्ल्यू एस एस डी से संबंधित क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए
15.	छोटी परियोजनाओं के लिए अन्य दानकर्ता	145,500.00	701,530.00	2,497,289.00	1,965,269.00	विभिन्न लघु अवधि पर्यावरणीय परियोजनाएं।

विवरण II

सी एस ई की अपनी विनिर्दिष्टियों अथवा उनके द्वारा प्रयोग किए गए परीक्षण उपकरण निम्नलिखित हैं

(1) हाई परफार्मेंस लिक्विड क्रोमोटोग्राफ-डीयोडी एरी डिटेक्टर और फ्लोरोसेंट डिटेक्टर के साथ एच पी 1000 सीरिज।

(2) ए एस 2000 आटो सैम्पलर और अन्य सहायक सामग्री के साथ ई सी डी, एफ आई डी और टी सी डी ट्रेस के साथ गैस क्रोमोटोग्राफ-थर्मोक्वेस्ट

(3) गैस क्रोमोटोग्राफ-ई सी डी के साथ एन यू सी ओ एन

(4) सी आई एन टी आर ए-5 यू वी-दृष्टवा स्पैक्ट्रोफोटो मीटर 99-0402-00

(5) मैटलर ए जी 245 इलैक्ट्रानिक बैलेंस

(6) मैटलर टापलीडॉ बैलेंस-पी बी 1502-एस

(7) अल्ट्रा प्योर वाटर (आपशन और मैक्सिमम) के लिए इलगा वाटर प्योरीफिकेशन सिस्टम

(8) रेस्पीरेबल डस्ट सैम्पलर एन एल और डी एक्स माडल (नं.-2)

(9) स्पैक्टरक्वेंट टी आर-320 (सी ओ डी डाइजिस्टर)

(10) सी आई.एफ, एन, ओ, 2 एन ओ 3, पी बी और पी एच इलैक्ट्रोड के साथ लोन मीटर

(11) मर्करी एनेलाइजर

(12) पी एच मीटर

(13) घुलित आक्सीजन मीटर

(14) टी डी एस और कन्डक्टीविटी मीटर

(15) टरबिडिटी मीटर

(16) रीमी सेन्ट्रीफ्यूज मशीन आर एण्ड सी

(17) रोटरी शेकर

(18) वैक्युम पम्प साथ रोटरी इकैपोरेटर।

केरल द्वारा वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन

5288. श्री के फ्रांसिस जार्ज: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने केरल के पालाघाट जिले में मुक्कलि में बांध के निर्माण हेतु राज्य सरकार को वर्ष 1999 में मंजूरी दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने जनवरी 2003 में बांध निर्माण कार्य रोक दिया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने बांध निर्माण के संबंध में स्थगन आदेश जारी किए जाने के पहले केरल सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम के कथित उल्लंघन के संबंध में कोई जांच करायी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार उक्त अधिनियम की सभी शर्तों को पूरा करने वाले निर्माण कार्य को एकतरफा नहीं रोका जा सकता; और

(ज) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी हां।

(ख) पर्यावरण वन एवं मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय बंगलौर के माध्यम से अगली पंचायत, मनारकाड तालुक, मनारकाड डिविजन, जिला पालाकाडा में मुकाली वन स्टेशन से पंथानथोडे में 1.25 हैक्टेयर वन भूमि के वनेतर प्रयोग के लिए अनुमोदन दिया है जिससे कतिपय शर्तों के अधीन धारा के ऊपर बांध और लीडिंग चैनल का निर्माण किया जा सके।

(ग) जी हां।

(घ) से (च) भवानी नदी पर चैक बांध के निर्माण और वृक्षों की कटाई के संबंध में भवानी रिवर वाटर प्रोटेक्शन आल पार्टी कमेटी आफ कोयम्बतूर जिला इरोड से प्राप्त एक आवेदन पर उप वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर द्वारा 28.1.2003 को स्थल निरीक्षण किया गया था। जांच से पता चला है कि बांध का निर्माण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन के अनुसार नहीं किया गया है। भवानी नदी पर और पंथानथेडे की धारा के ऊपर लीडिंग चैनल का निर्माण जिसके लिए वन भूमि के प्रयोग को स्वीकृति दी गयी थी, के स्थान पर भवानी नदी के ऊपर मिट्टी का बांध बना दिया गया है और भवानी नदी के मन्थमपोट्टी धारा के बीच लीडिंग चैनल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्य पूरी तरह से किसी भिन्न परियोजना के रूप में किया जा रहा है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा न तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदन मांगा गया था और न ही इसे पर्यावरण एवं मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। अत: कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन में किया जा रहा था। इसलिए मंत्रालय ने पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलौर द्वारा दी गई मंजूरी को अगला आदेश होने तक आस्थगित रखने का निर्णय लिया है तथा कार्य को आगे न करने का अनुरोध किया है।

(छ) और (ज) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है निर्माण कार्य वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में किया गया था। जनवरी, 2003 में आस्थगन आदेश जारी होने के बाद 7.2.2003 को राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो गया है। मामला अब न्यायाधीन है क्योंकि इस संबंध में एक मामला न्यायालय में दायर किया गया है और यह माननीय केरल उच्च न्यायालय में लंबित है तथा एक याचिका कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण में भी लंबित है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदूषण

5289. श्री चन्द्र विजय सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी. पी. सी. बी.) ने एक मानचित्र तैयार किया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गजरौला को टी.एस.पी.एम. टोटल सस्पेंडड पार्टीकल मैटर के संदर्भ में ''गंभीर रूप से अत्यधिक प्रदूषित'' शहर घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (दिल्ली-लखनऊ) पर एक बाईपास के निर्माण की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो गजरौला में टी.एस.पी.एम. का स्तर घटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और वहां के नागरिकों के जीवन की रक्षा हेतु क्या कार्य योजना बनाई गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) 1999-2000 के दौरान के परिवेशी वायु गुणवत्ता आंकड़ा के आधार पर वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से कार्य योजना तैयार करने की उत्तर प्रदेश के गजरौला कस्बे की पहचान की गई है। कार्य योजना में प्रदूषक उद्योगों की सूची तैयार करना तथा सेक्टर विशिष्ट उपशमन योजना तैयार करना शामिल है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर बाई-पास के निर्माण संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) कुल निलंबित विविक्त पदार्थों सहित वायु प्रदूषण के स्तर में कमी लाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की पहचान करना।

(2) प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु अपेक्षित सुविधाओं की स्थापना करना।

(3) क्षेत्र में परिवेशी वायु गुणवत्ता को मानीटर करना।

[हिन्दी]

दिल्ली दुग्ध योजना को घाटा

5290. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना इस समय भारी घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 31 मार्च, 2003 की तिथि के अनुसार डी.एम.एस. को कुल कितना घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा घाटे को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली दुग्ध योजना में हो रहा घाटा 1.3.2000 से दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की बिक्री मूल्य में वृद्धि, दिल्ली दुग्ध योजना संयंत्र की स्थापित क्षमता के अनुपयोग और आदान लागतों में वृद्धि के कारण दूध की प्रसंस्करण लागत में वृद्धि की वजह से है।

(ग) वर्ष 2002-2003 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना ने 16.62 करोड़ रुपए (अनन्तिम) का कुल घाटा उठाया है।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना विपणन, परिवहन प्रचालन घाटों में कमी और मानव संसाधन में कमी आदि जैसे प्रचालन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक दृष्टिकोण अपना रही है।

[अनुवाद]

आई.ए.आर.सी./एन.एस.सी. द्वारा गुणवत्ता वाले बीजों का विकास

5291. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सोया, सूरजमुखी और मूंगफली जैसे गुणवत्ता वाले बीजों के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या भारत ने बीजों के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रगति की है;

(ग) क्या बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की मांग अगले दो वर्षों में 100 लाख टन को पार करने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस मांग को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) तिलहन उत्पादन कार्यक्रम एक विशिष्ट कार्यक्रम है, जिसके अधीन सोयाबीन, सूरजमुखी और मूंगफली के प्रजनक बीज की आवश्यक मात्रा के उत्पादन के तिलहनों और दलहनों (टीएमओपी)

पर प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) को निधि प्रदान की गई है। टी एम ओ पी प्रभाग द्वारा फाउंडेशन बीज और प्रमाणित/गुणवत्ता बीज के उत्पादन के लिए राष्ट्रीय बीज निगम (एन एस सी) तथा राज्य सरकारों और किसानों को बीज के वितरण के लिए भी निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

वर्ष 2002-2003 के दौरान प्रजनक बीज उत्पादन की मात्रा मूंगफली में 2556.70 क्विंटल सोयाबीन में 8267.30 क्विंटल, सूरजमुखी किस्मों में 9.15 क्विंटल और सूरखमुखी संकरों में 13.30 क्विंटल है।

वर्तमान वर्ष अर्थात 2002-2003 के दौरान इन फसलों के प्रमाणित/गुणवत्ता बीज की आवश्यकता और उपलब्धता नीचे दी गई है:

फसल	मात्रा (लाख क्विंटलों में)	
	आवश्यकता	उपलब्धता
मूंगफली	6.64	7.30
सूरजमुखी	0.66	1.07
सोयाबीन	5.50	6.64

(ख) भारत ने सब्जी बीजों के मामले में प्रगति की है। भारत द्वारा शिमला मिर्च, तरबूज, गाजर, स्क्वैश, टमाटर, बैंगन, भिन्डी, लौकी, मूली और प्याज के बीजों के विश्वव्यापी बाजार बनाए गए हैं। तथापि विश्व बाजार में हमारी हिस्सेदारी 1% से भी कम है।

(ग) 100 लाख क्विंटल विकसित गुणवत्ता बीजों के उत्पादन को वर्ष 1998-99 में प्राप्त किया गया और तब से बीज उत्पादन सदैव 100 लाख क्विंटल से अधिक था।

(घ) लगभग 100 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता पूरी की गई है।

विमान कंपनी के अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार

5292. श्री सुनील खां: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले दिनों प्रकाशित एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा किसी निजी विमान कंपनी के अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार की घटना की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) दिनांक 25.3.2003 को मुंबई में निजी एयरलाइन के कार्मिकों के साथ केन्द्रीय मंत्री के एक मामले में शामिल होने की खबर है। नागर विमानन के संयुक्त महानिदेशक द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

विमानपत्तनों की क्षमता का उपयोग

5293. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान विमानपत्तन क्षमता का क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में किन विमानपत्तनों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ग) सरकार द्वारा इन विमानपत्तनों की समुचित क्षमता का उपयोग करने के लिए बनायी गयी योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में ऐसे विमानपत्तनों का राज्यवार क्या है जो क्षमता उपयोग के संबंध में संतृप्तता बिन्दु पर पहुंच गये हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार ने नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान इन विमानपत्तनों के उन्नयन के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(च) इस पर राज्यवार कितनी धनराशि व्यय हुई है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) वर्ष 2001-02 के दौरान पूर्वी क्षेत्र में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सेक्टरों में प्रमुख 46 विमानपत्तनों पर क्षेत्रवार मौजूदा टर्मिनल क्षमता 50.26 तथा 8.20 लाख यात्री है। ठीक इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में 136.25 एवं 92.02 लाख यात्री तथा उत्तरी क्षेत्र में 107.70 एवं 35.50 लाख यात्री तथा दक्षिण क्षेत्र में 122.77 एवं 51.20 लाख यात्री पूर्वोत्तर घरेलू सेक्टर में 10 लाख यात्री क्षमता निर्धारित की गई है।

(ख) ऐसे विमानपत्तन जहां पर मांग की अपेक्षा क्षमता अधिक है और उनकी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है, इनमें कोलकाता, पटना, पोर्टब्लेयर, रांची, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, गोवा (अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल), जयपुर, आगरा, दिल्ली (घरेलू टर्मिनल) जम्मू , जोधपुर, खजुराहो, लेह, लखनऊ, श्रीनगर, उदयपुर, वाराणसी, चेन्नई (घरेलू टर्मिनल), त्रिवेन्द्रम (घरेलू टर्मिनल), बंगलौर, हैदराबाद, कोचीन, कोयम्बटूर, कालीकट, त्रिची, विशाखापट्टनम, मदुरै, मंगलोर, अगरतला, बागडोगरा, इम्फाल, डिब्रूगढ़ और सिल्चर शामिल हैं।

(ग) टर्मिनल क्षमता का उपयोग एयरलाइनों के द्वारा जो कि विमानपत्तन सुविधाओं का उपयोग करती हैं, उड़ान प्रचालनों पर निर्भर करता है। नई सुविधाओं के सृजन होने पर आगामी 5 से 10 वर्षों के लिए भावी अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था की गई है जिसका अधिक से अधिक उपयोग हो।

(घ) वार्षिक क्षमता और मांग पर 2001-02 यातायात डाटा के आधार पर गोवा (घरेलू टर्मिनल), महाराष्ट्र में पुणे, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन तमिलनाडु में चेन्नई (अन्ना अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल) तथा केरल में त्रिवेन्द्रम (अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल) विमानपत्तन सेचुरेशन प्वाइंट पर पहुंच चुके हैं।

(ङ) विभिन्न मूलभूत सुविधाओं का आधुनिकीकरण, अन्य उन्नयन और विस्तार एक सतत् प्रक्रिया है तथा यातायात अनुपलब्धता परियोजना की व्यवहार्यता, विमान का प्रकार, भूमि उपलब्धता इत्यादि कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(च) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने समूचे देश में विमानपत्तन के आधुनिकीकरण और विस्तार पर 1687.24 करोड़ रुपए की राशि खर्च की थी।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

5294. **श्री प्रबोध पण्डा** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) देश भर में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) से (ग) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 सिक्किम को छोड़कर सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अंगीकार कर लिया गया है और कार्यान्वित किया जा रहा है। अधिनियम के उपबंधों का प्रवर्तन केन्द्रीय/राज्य प्रवर्तन तंत्र द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत तंत्र के अधिकारी निरीक्षक के रूप में नियुक्त किये जाते हैं। वे नियमित रूप से निरीक्षण करते हैं और जब कभी उनको न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने को किसी मामले की जानकारी मिलती है तो वे नियोक्ता को कम मजदूरी की भरपाई करने की सलाह देते हैं। चूककर्त्ता नियोक्ताओं के विरुद्ध अधिनियम में कानूनी और दंडात्मक प्रावधान हैं।

महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड

5295. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की चन्द्रपुर, महाराष्ट्र स्थित सहायक कंपनी महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एम.ई.एल.) देश में लौह मिश्र धातु आधारित उच्च गुणवत्ता की मैंगजीन का उत्पादन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्युत एम ई एल की मुख्य कच्ची सामग्री है;

(ग) यदि हां, तो एम ई एल को कुल कितने विद्युत की आवश्यकता है और इस कंपनी को महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड से बिजली की कितनी मात्रा मिल रही है और एम ई एल के अपने संयंत्र में कितनी बिजली का उत्पादन होता है एम एस ई बी द्वारा किस दर पर एम ई एल को बिजली की आपूर्ति की जाती है;

(घ) क्या एम ई एल के प्रबंधन और कामगारों ने एम ई एल की आवश्कता हेतु 24 मेगावाट के कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एम.ई.एल.) के लिए विद्युत प्रमुख आदान है।

(ग) एम ई एल में विद्युत की कुल आवश्यकता 280-300 मिलियन यूनिट वार्षिक है। महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम एस ई बी) के साथ संविदागत मांग 45 एमवीए (औसत भार लगभग 40 मेगावट) है। इसमें से एम ई एल को एम एस ई बी से 270-280 मिलियन यूनिट वार्षिक (40 मेगावाट) 1.6 मेगावाट अपने विद्युत उत्पादन से प्राप्त होती है। प्रेषण एवं वितरण (टी एंड डी) क्षति सहित 31.12.2002 तक एम एस ई बी से औसत विद्युत टैरिफ 3.50 रुपये/के डब्ल्यू एच रहा है तथा चन्द्रपुर क्षेत्र में टी एंड डी क्षति प्रभारों को स्थाई रूप से समाप्त करने के पश्चात 1.1.2003 से 30.6.2003 तक 3.20 रुपये/ के डब्ल्यू एच है।

(घ) से (च) एम ई एल ने विद्युत संयंत्र लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) देने के लिए अनुरोध किया था। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने निजी विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुमति देने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ

5296. **श्री जे.एस. बराड़:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2003-04 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य की विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है और इसकी कितनी मात्रा के निर्यात का प्रस्ताव है;

(ख) नई आयात-निर्यात नीति का देश के खाद्य प्रसंस्कण उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) घरेलू खाद्य प्रसंस्कृत उद्योगों की बढ़ रहे आयात से संरक्षा हेतु क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी षणमुगम): (क) प्रसंस्कृत खाद्य की विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखा गया है। समुद्री उत्पादों समेत प्रसंस्कृत खाद्य के निर्यात के लिए वर्ष, 2003-04 हेतु 19,860 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) नई आयात-निर्यात नीति का भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(ग) बढ़ रहे आयात से घरेलू उद्योगों की संरक्षा हेतु किए गए उपायों में उपयुक्त आयात टैरिफ, डम्पिंगरोधी उपाय शामिल हैं।

भूमि मामलों में सहकारी समितियों की समस्यायें

5297. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि और भूमि संबंधी मामलों में सहकारी समितियां परिनिर्धारण और प्रबंधन समस्याओं का सामना कर रहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार दसवीं योजना के दौरान देश में सहकारी समितियों के प्रशासनिक अनुशासन प्रबंधन और कार्यकरण को सुचारू बनाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सहकारी समितियों के कामकाज में कुछ कमियों देखने में आयी हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार ने एक नया बहु राज्यीय सहकारी समिति (एम एस सी एस) अधिनियम, 2002 बनाया है जिसका उद्देश्य इन समितियों को अपने कामकाज में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करना और उनके प्रबंधन को लोकतांत्रिक बनाना है। राज्य सरकारों को भी अपने-अपने राज्य सहकारी समिति अधिनियमों में इसी तर्ज पर संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की है जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों का समग्र विकास करना है और उनका आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाना है तथा साथ ही साथ इन सहकारी समितियों को व्यावसायिक बनाने और उनके प्रबंधन को लोकतांत्रिक बनाने पर ध्यान दिया गया है जिससे कि आत्मनिर्भर रूप में इनका विकास हो सके तथा इन्हें आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाया जा सके ताकि इनको बाजार की खामियों से बचाया जा सके और इन्हें सामूहिक कार्य का लाभ दिलाया जा सके। सरकार ने देश की सहकारी ऋण संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए भी कदम उठाए हैं।

सेल द्वारा चीन को मोड़े गये गर्म इस्पात तारों का निर्यात

5298. **श्री टी. एम. सेल्वागनपति:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने हाल में विभिन्न संयंत्रों के मामलों में वृहत निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेल ने चीन को मोड़े गये गर्म इस्पात तारों को चीन को निर्यात करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) हाल ही में स्टील अथॉरटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने राउरकेला इस्पात संयंत्र (112.39 करोड़ रुपए) में कोक ओवन बैटरी संख्या-1 के पुनर्निर्माण और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (23.33 करोड़ रुपए) में एक नई लेडल फर्नेस स्टील मेल्टिंग शॉप के पुनर्निर्माण की अनुमति दे दी है।

(ग) और (घ) सेल चीन को तप्त बेल्लित इस्पात क्वायलों का निर्यात करता रहा है। सेल का चीन को तप्त बेल्लित इस्पात क्वायलों का निर्यात निम्न प्रकार है:-

(अंतिम /हजार टन)

वर्षा	2001-02	2002-03
मात्रा	2.1	156

चावल और धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

5299. **डा. एम. वेंकटस्वामी:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास चावल/धान की फाइन और सुपर फाइन किस्मों की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य शुरू/निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ धान की फाइन और सुपर फाइन किस्मों को अलग-अलग रखने के संबंध में राज्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अगस्त 1997 में सरकार ने न्यूनतम मूल्य समर्थन के उद्देश्य से धान को तीन किस्मों के बजाय 2 किस्मों में पुन: वर्गीकृत किया था क्योंकि अच्छे और बहुत अच्छे धान का समुचित वर्गीकरण करने में परेशानी आ रही थी। यह निर्णय देश भर के किसानों के समग्र हितों को ध्यान में रखकर लिया गया था।

(घ) तथापि, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा अच्छे और बहुत अच्छे धान की किस्मों के लिए अलग-अलग न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की सिफारिश की जाती रही है।

(ङ) सरकार साधारण और ग्रेड 'ए' किस्म के धान के लिए अलग-अलग न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की वर्तमान नीति को जारी रखना चाहती है।

कोहिमा में विमानपत्तन

5300. **श्री के. ए. सांगतम:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग द्वारा कोहिमा में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन/विमानपत्तन के निर्माण के लिए कराए गए सर्वेक्षण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस योजना बनायी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) योजना आयोग ने कोहिमा में विमानपत्तन के निर्माण के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तटीय क्षेत्र के आसपास की परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी

5301. **श्रीमती श्यामा सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:
डा. चरणदास महंत:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अधिक खुदाई के कारण बढ़ी लवणता की खबरों के मद्देनजर भूमिगत जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु तटीय क्षेत्रों के पास-आस की सभी नयी विकास परियोजनाओं की जांच करने का निर्णय किया है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या भूमिगत जल की निकासी पर रोक लगाने को ध्यान में रखते हुए तटीय क्षेत्र के आस-पास की परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरणीय और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) तटीय पर्यावरणीय के संरक्षण एवं

सुरक्षा के प्रयोजनों हेतु केन्द्रीय सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र (सी आर जेड) अधिसूचना, 1991 जारी की थी जो तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियों को नियन्त्रित करती हैं। तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार भूमिगत जल एकत्र करने या निकालने और उच्च ज्वार-भाटा रेखा से 200 मीटर के अन्दर ऐसे मैकेनिजम के निर्माण की मनाही है। तटीय विनियमन जोन क्षेत्र में उच्च ज्वार-भाटा रेखा से 200 से 500 मीटर के भीतर पीने का पानी, उद्यान कृषि और मछली पालन हेतु हाथों से साधारण कुओं से पानी निकालने की अनुमति है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 1991 और पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 के अंतर्गत विकासात्मक परियोजना के प्रस्तावों की जांच करते समय भूमिगत जल के संरक्षण के संबंध में कड़ी शर्तें लगाती हैं।

[हिन्दी]

भिलाई इस्पात संयंत्र में स्वैच्छिक सेवा-निवृति योजना

5302. **श्री रामानंद सिंह:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र से कुल कितने श्रमिक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुये; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त संयंत्र में कुल कितने नये श्रमिक नियुक्त किये गये?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भिलाई इस्पात संयंत्र (बी एस पी) के जिन कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया था उनका संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वाले कर्मचारियों की संख्या
2000-2001	कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू नहीं थी
2001-2002	1108
2002-2003	1917

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बी एस पी में नियुक्त कुल कामगारों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	नियुक्त कामगारों की संख्या
2000-2001	3
2001-2002	326
2002-2003	198

वन भूमि संबंधी अधिसूचना का वापस लिया जाना

5303. **श्री रामजीलाल सुमन:**
डा. सुशील कुमार इन्दौरा:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 27 फरवरी, 2003 को हिमाचल प्रदेश सरकार से कहा कि वह वन भूमि के संबंध में 24 अगस्त, 1998 की अपनी अधिसूचना को वापस ले ले;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) राज्य सरकार से अधिसूचना वापस लेने के लिये कहने में हुई देरी के क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, हां।

(ख) हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 'चरागाह बिला दरख्तन' और 'गैर मुमकिन' जैसे श्रेणियों सहित सभी वनों और बंजर भूमियों, जो राज्य सरकार की संपत्ति थी अथवा जिन पर राज्य सरकार का मालिकाना हक था, को 25.2.1952 को संरक्षित वनों के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद राज्य सरकार ने दिनांक 24.8.1998 की अधिसूचना के तहत स्पष्ट किया था कि भूमि की वे दो श्रेणियां 1952 की अधिसूचना के उद्देश्य के लिए "बंजर भूमि" में शामिल नहीं है। यह वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन में था क्योंकि एक बार किसी विशिष्ट भूमि को वनों के रूप में घोषित किया गया हो अथवा उस भूमि पर भारतीय वन अधिनियम 1927 के उपबंध लागू हो तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के लागू होने के बाद कोई भी राज्य सरकार अथवा कोई अन्य प्राधिकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना वन भूमि की श्रेणी से ऐसी भूमि को अलग नहीं कर सकती है।

(ग) राज्य सरकार को इस अधिसूचना को वापिस लेने के लिए कहने में कोई विलंब नहीं हुआ है। जैसे ही राज्य सरकार की उक्त सूचना मंत्रालय के ध्यान में आई थी तभी राज्य सरकार

को 10.11.1998 को इस अधिसूचना को वापिस लेने के लिए कह दिया गया था।

[अनुवाद]

इस्पात संयंत्र का कार्यनिष्पादन

5304. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक इस्पात संयंत्र का कार्यनिष्पादन कैसा रहा;

(ख) कौन से इस्पात संयंत्र घाटे में चल रहे हैं;

(ग) घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक इस्पात संयंत्र के कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का वित्तीय निष्पादन निम्नानुसार है:-

(करोड़ रुपए)

संयंत्र	निवल लाभ (+)/(हानि (-)		
	2000-01	2001-02	2002-03
भिलाई इस्पात संयंत्र	+342	+477	+360*
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	-236	-262	-200
राउरकेला इस्पात संयंत्र	-445	-1036	-523
बोकारो इस्पात संयंत्र	+49	-459	+117
मिश्र इस्पात संयंत्र	-184	-149	+114
सेलम इस्पात संयंत्र	-155	-153	-91
विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र	-68	-103	-77
इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी	-187	-180	-12[illegible]
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र	-291	-75	+337

*दिसंबर, 2002 तक अनंतिम

(ख) दिसंबर, 2002 तक के उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2002-03 के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, मिश्र इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र, विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र और इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी को हानि हुई है।

(ग) इस्पात संयंत्रों को हुई हानि के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:-

* अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी के चलते इस्पात की खपत में ठहराव।
* इस्पात के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में मुख्यत: वैश्विक मंदी के कारण गिरावट का रुख।
* विदेशी सरकारों द्वारा अपने घरेलू इस्पात उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए किए गए सुरक्षात्मक उपाय।
* चपटे उत्पाद के क्षेत्र में अनेक नए इस्पात उत्पादकों के प्रवेश के चलते देश में चपटे उत्पादों की क्षमता में वृद्धि।
* बड़ी योजनाओं के आधुनिकीकरण पर उच्च ब्याज और मूल्यह्रास लागत।
* उच्च आदान लागत, जनशक्ति लागत और सामाजिक लागत।
* प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भाड़े और साथ ही संभारिकी परिप्रेक्ष्य में स्थानस्थिति संबंधी नुकसान।

(घ) इस्पात संयंत्रों की लाभप्रदता में सुधार करने के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

* अन्य बातों के साथ-साथ गैर-महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के स्वत्वहरण सहित कारोबार पुनर्संरचना।
* गहन लागत नियंत्रण।
* पूंजीगत व्यय पर नियंत्रण।
* बाजारोन्मुखी उत्पाद मिश्र, बिक्री और विपणन प्रयासों में वृद्धि करना, ग्राहक संतुष्टि आदि पर और अधिक ध्यान देना।
* जनशक्ति को युक्तिसंगत बताना।
* विवेकपूर्ण निधि प्रबंध
* उत्पादन स्तर में वृद्धि।

[हिन्दी]

राजस्थान में विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

5305. **श्री श्रीचन्द कृपलानी:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के विमानपत्तनों के विस्तार, विकास और आधुनिकीकरण हेतु कोई योजना तैयार की है ताकि उनका उन्नयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विमानपत्तनों के विकास और विस्तार संबंधी कार्य शुरू हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) द्वारा 30.37 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से जयपुर एयरपोर्ट पर रनवे का विस्तार तथा टर्मिनल भवन के विस्तार एवं आशोधन का कार्य किया गया। उदयपुर एयरपोर्ट पर 23 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नए टर्मिनल भवन के निर्माण, एप्रन के विस्तार तथा इससे जुड़ी सुविधाओं से संबंधित कार्य किए जाने की भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना है।

(ग) और (घ) वर्तमान समय में जयपुर एयरपोर्ट पर 25% तक रनवे के विस्तार का कार्य पूरा हो गया है। जयपुर एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन के विस्तार का कार्य तथा उदयपुर पर एप्रन का विस्तार एवं टैक्सी ट्रैक और टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य योजना स्तर पर है।

वनों के विकास के लिये नाबार्ड से धनराशि

5306. **श्री नागमणि:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात झारखंड समेत देश में वनों के विकास के लिए नाबार्ड ने धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वनों के संरक्षण हेतु धनराशि खर्च करने के संबंध में कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य द्वारा अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, हां। नाबार्ड ने वानिकी विकास के उद्देश्य से दस राज्यों में बैंकों को पुन: वित्तपोषित किया है। झारखंड में पुन: वित्तपोषिण नहीं किया गया है।

(ख) पुन: वित्तपोषण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्यों को केन्द्रीय प्रायोजित वानिकी स्कीम "दावानल नियंत्रण एवं प्रबंधन" के तहत दावानल के निवारण व नियंत्रण हेतु नौवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम में वनों की सुरक्षा के लिए ढांचागत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु धनराशि प्रदान की गई थी। नौवीं योजना के दौरान राज्यों द्वारा "दावानव नियंत्रण एवं प्रबंधन" के लिए 20.53 करोड़ रुपये तथा वन सुरक्षा की बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु 38.30 करोड़ रुपये उपयोग में लाए गए हैं। दसवीं योजना के दौरान मंत्रालय ने उपरोक्त दो घटकों को मिलाते हुए एक नई स्कीम अर्थात "एकीकृत वन सुरक्षा स्कीम" तैयार की है तथा 2002-03 के दौरान जारी की गई धनराशि 45.82 करोड़ रुपये है।

विवरण

वानिकी विकास हेतु नाबार्ड द्वारा बैंकों के पुन: वित्तपोषण संबंधी राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है

(लाख रुपये में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03
हरियाणा	990	642	351
पंजाब	99	172	107
उड़ीसा	23	50	154
पश्चिम बंगाल	1	35	—
उत्तर प्रदेश	82	147	152
गुजरात	2	—	—
महाराष्ट्र	—	185	71
आंध्र प्रदेश*	84	319	374
कर्नाटक	—	7	0
तमिलनाडु	82	65	31
कुल	1363	1622	1240

*आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में नाबार्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान "रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड V, VI और VIII के तहत संयुक्त वन प्रबंधन स्कीम हेतु 100.47 करोड़ रुपये का ऋण भी स्वीकृत किया गया है।

गुमशुदा सामान

5307. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया की घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बुक किए गए सामानों की चोरी/सामान के गुमशुदा होने के संबंध में प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में न तो क्षतिपूर्ति प्रदान की है न ही कोई जांच कराई है;

(घ) इसके शिकायत-वार कारण कारण क्या हैं;

(ङ) सरकार के पास अभी भी लंबित पड़े क्षतिपूर्ति संबंधी मामलों की संख्या कितनी है; और

(च) इनका कब तक समाधान किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

चावल उत्पादनकारी क्षेत्र के किसानों के लिए पैकेज

5308. **श्री ए. नरेन्द्र:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चावल उत्पादनकारी क्षेत्रों के किसानों को कृषि लागतों को उपलब्ध कराने हेतु किसी पैकेज डील को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश की चावल पट्टी में उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की है जहां मृदा तो उपजाऊ है परन्तु उत्पादकता क्षमता से कम है;

के लिए फार्म पर ही जल
से शुरू की गई है। स्कीम में
क प्रभावी उपयोग के माध्यम
ा बढ़ाने के लिए विशेष रूप

देशी मुद्रा की आय

ा पर्यटन और संस्कृति मंत्री

2002-2003 — 8849.78 लाख रुपये

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ताजमहल से अर्जित विदेशी मुद्रा तथा इस पर किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन टिकट वाले स्मारकों से अर्जित राजस्व भारत सरकार की संचित निधि में जमा किया जाता है। राजस्व संघटक का 75% भाग संस्कृति विभाग को विभिन्न क्रिया-कलापों के लिए वापिस कर दिया जाता है जिसमें स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास शामिल है।

विवरण I

संरक्षित स्मारकों से 28.10.2000 से प्रवेश टिकट के विक्रय द्वारा प्राप्त विदेशी विनियम (अमरीकी डालर में) का विवरण

(धनराशि अमरीकी डालर में)

.2000 12.2001	जनवरी से दिसंबर 2001	जनवरी से दिसंबर 2002	जनवरी से मार्च 2003
2	3	4	5
9685	880942	373447	284092
8829	176885	66612	55788

1	2	3	4	5
भुवनेश्वर	12386	12580	2809	2106
बंगलौर	शून्य	13288	8891	6277
भोपाल	49285	140146	49034	62608
चेन्नई	5885	30430	15046	8940
चंडीगढ़	शून्य	181	28	—
दिल्ली	82205	342416	118768	72676
धारवाड़	4520	17487	5584	4657
गुवाहाटी	शून्य	10	4	2
हैदराबाद	730	3926	748	596
जयपुर	2030	8437	1662	652
कोलकाता	शून्य	58	4	12
लखनऊ	7720	26511	13122	7700
पटना	26844	60732	45948	33021
श्रीनगर	शून्य	2230	113	—
त्रिसूर	शून्य	50	14	—
बड़ोदरा	46	शून्य	30	84
योग	440165	1716309	701864	539211

1. दिनांक 28.10.2000 से विश्वदाय स्मारकों में प्रवेश शुल्क 10 अमरीकी डालर की दर से तथा अन्य स्मारकों में 5 अमरीकी डालर की दर से लगाया गया है।
2. 1 अक्टूबर, 2001 से 14 विश्वदाय स्मारकों में प्रवेश शुल्क घटाकर 5 अमरीकी डालर जो प्रति व्यक्ति 250 रुपये के बराबर है तथा 110 अन्य स्मारकों में 2 अमरीकी डालर जो 100 रुपये के बराबर है, कर दिया गया है।

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के दौरान ताज महल से प्राप्त किए गए विदेश विनियम तथा उस पर किए गए व्यय का ब्यौरा

वर्ष	विदेशी मुद्रा में संग्रहित राजस्व (अमरीकी डालर)	किया गया व्यय	
		वर्ष	कुल
अक्तूबर 2000 से दिसंबर 2000	91,650	2000-01	21,48,430 रुपये
2001	4,93,810	2001-02	22,02,130 रुपये
2002	1,77,860	2002-03	10,17,093 रुपये
2003 (मार्च तक)	1,43,555	—	—

सिंचाई के अंतर्गत भूमि

5310. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुवा

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुल कृषि भूमि के 70 प्रतिशत से ज्यादा भूमि अभी भी असिंचित है और यह वर्षा और प्रकृति की अनिश्चितता पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में असिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है और पिछली तीन पंचवर्षीया योजनाओं के अंत में अप्रयुक्त सिंचाई क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) अंतर राज्य जल विवाद के कारण कितनी सिंचाई क्षमता उपयोग में नहीं लाई जा सकती है;

(घ) क्या नवीन सिंचाई नीति बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित वर्ष 1998-99 (नवीनतम) के भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार देश का कुल बुआई क्षेत्र 142.60 मिलियन हेक्टेयर था जिसमें से नवल सिंचित क्षेत्र 57.05 मिलियन हेक्टेयर था जिसके परिणामस्वरूप निवल बुआई क्षेत्र का 60 प्रतिशत क्षेत्र असिंचित अथवा सिंचाई के लिए वर्षाजल पर निर्भर रहता है।

(ख) प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में असिंचित भूमि का प्रतिशत संलग्न विवरण में दिया गया है। अंतिम तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अंत में अप्रयुक्त क्षमता की स्थिति निम्नानुसार है:-

(मिलियन हेक्टेयर में)

योजना	सृजित क्षमता	प्रयुक्त क्षमता	अप्रयुक्त क्षमता
सातवीं योजना के अंत में	76.52	68.59	7.93
आठवीं योजना के अंत में	86.25	77.21	9.04
नौवी योजना के अंत में	95.40	85.41	9.99

(ग) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, अंतर्राज्यीय जल विवादों के कारण देश में लगभग 696.5 हजार हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता अप्रयुक्त रह जाती है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय जल बोर्ड द्वारा सिंचाई प्रबंधन नीति प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया तथा इसे माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

विवरण

निवल सिंचित क्षेत्र (एन आई ए), शुद्ध बुआई क्षेत्र (एन एस एस) तथा असिंचित क्षेत्र के प्रतिशत का राज्य-वार विवरण

(हजार हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	शुद्ध बुआई क्षेत्र (एनएसए)	शुद्ध सिंचित क्षेत्र (एनआईए)	एन.एस.ए. की तुलना में एन.आई.ए. का प्रतिशत	असिंचित क्षेत्र का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	10987.00	4538.00	41.34	58.6
2.	अरुणाचल प्रदेश	185.00	36.00	19.46	80.54
3.	असम	2701.00	572.00	21.18	78.82

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	7431.00	3682.00	49.55	50.45
5.	गोवा	142.00	22.00	15.49	84.51
6.	गुजरात	9674.00	3058.00	31.61	68.39
7.	हरियाणा	3628.00	2842.00	78.34	21.66
8.	हिमाचल प्रदेश	549.00	103.00	18.76	81.24
9.	जम्मू और कश्मीर	733.00	309.00	42.16	57.84
10.	कर्नाटक	10489.00	2492.00	23.76	76.24
11.	केरल	2259.00	375.00	16.60	83.4
12.	मध्य प्रदेश	19839.00	6560.00	33.07	66.93
13.	महाराष्ट्र	17732.00	2946.00	16.61	83.39
14.	मणिपुर	140.00	65.00	46.43	53.57
15.	मेघालय	221.0	48.00	21.72	78.28
16.	मिजोरम	109.00	9.00	8.26	91.74
17	नागालैंड	261.00	63.00	24.14	75.86
18.	उड़ीसा	6048.00	2090.00	34.56	65.44
19.	पंजाब	4238.00	4004.00	94.48	5.52
20.	राजस्थान	16073.00	5499.00	34.21	65.79
21.	सिक्किम	95.00	16.00	16.84	83.16
22.	तमिलनाडु	5635.00	3019.00	53.58	46.42
23.	त्रिपुरा	277.00	35.00	12.64	87.36
24.	उत्तर प्रदेश	17585.00	12691.00	72.17	27.83
25.	पश्चिम बंगाल	5440.00	1911.00	35.13	64.87
	सभी राज्यों का योग	142462.00	56985.00	40.00	60.00
26.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	38.00	0.00	0.00	100.00
27.	चंडीगढ़	2.00	2.00	100.00	0.00
28.	दादरा और नगर हवेली	23.00	5.00	21.74	78.26
29.	दमन एवं दीव	4.00	1.00	25.00	75.00
30.	दिल्ली	41.00	39.00	95.12	4.88

1	2	3	4	5	6
31.	लक्षद्वीप	3.00	1.00	33.33	66.67
32.	पांडिचेरी	25.00	22.00	88.00	12.00
	संघ राज्य क्षेत्रों का योग	136.00	70.00	51.47	48.53
अखिल भारत कुल योग		142598.00	57055.00	40.01	59.99

टिप्पणी: आंकड़े, वर्ष 1998-99 के वास्ते कृषि मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार है तथा ये आकड़े अनंतिम हैं।

[अनुवाद]

बड़ी एवं छोटी पौधशालाएं

5311. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान फलों के समेकित विकास की योजना के अंतर्गत छोटी एवं बड़ी पौधशालाओं को स्थापित करने संबंधी लक्ष्य क्या है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस लक्ष्य की कितनी प्राप्ति हुई है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) फलों के समेकित विकास से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तीन वर्षों के लिए यथा-1997-98 से 1999-2000 तक की अवधि के दौरान क्रियान्वित की गई थी और इसे अक्टूबर, 2000 से कृषि में वृहद प्रबंध कार्य योजनाओं के जरिये राज्य के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत समेकित कर दिया गया था। 9वीं योजना की रूपरेखा के अनुसार इस स्कीम का अनुमोदन होने तक इसे 1999-2000 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित किया गया था इस अवधि के दौरान 32 बड़ी नर्सरियों की स्थापना के लक्ष्य की तुलना में 36 नर्सरियां स्थापित की गई जबकि 450 छोटी नर्सरियों के लक्ष्य की तुलना में 209 छोटी नर्सरियां विकसित की गई।

(घ) वृहद प्रबंध स्कीम के अनुसार राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार कार्यक्रम संचालित करने और इसके अनुसार अपने नर्सरी क्रियाकलाप को भी नियोजित करने की छूट दी गई है।

जीवाणु म्लानि रोगरोधी मिर्च

5312. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जीवाणु म्लानि रोगरोधी मिर्च का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषताएं क्या हैं और इस किस्म की प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता कितनी है; और

(ग) इस किस्म की व्यावसायिक खेती को कब शुरू किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानिक्कारा, त्रिसुर द्वारा मिर्च की जीवाणु म्लानि रोगरोधी किस्म अनुग्रह विकसित की गई है। इस किस्म की मिर्च लम्बी, हल्की, हरी-भरी और मध्यम तीखी होती है। हरी मिर्च की औसत उपज 27 टन प्रति हैक्टर है।

(ग) इस किस्म को राज्य में व्यापारिक खेती करने के लिए वर्ष 2002 में केरल राज्य किस्म रिलीज समिति द्वारा पहले ही रिलीज किया जा चुका है।

नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी अध्ययन

5313. डा. बी.बी. रमैया: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजना के वित्तीय पहलुओं का अध्यन करने हेतु आईसीआईसीआई के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु अभियंताओं के समूह को भी नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्य बल का गठन 13 दिसंबर, 2002 को किया। इस कार्य बल के विचारणीय विषय इस प्रकार हैं:-

(1) आर्थिक व्यवहार्यता, सामाजिक-आर्थिक प्रभावों, पर्यावरणीय प्रभावों तथा पुनर्स्थापना योजनाओं की पूरी तैयारी के संबंध में प्रत्येक परियोजना के मूल्यांकन संबंधी मानकों पर दिशा-निर्देश कराना;

(2) राज्यों के बीच शीघ्रता से आम सहमति बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करना;

(3) विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने और क्रियान्वयन के लिए विभिन्न परियोजना घटकों की प्राथमिकता निर्धारित करना;

(4) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त संगठनात्मक संरचना का प्रस्ताव करना;

(5) परियोजना के वित्त-पोषण के लिए विभिन्न तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श करना; और

(6) किन्हीं परियोजना घटकों में शामिल किए जा सकने वाले अन्तर्राष्ट्रीय आयामों पर विचार करना।

इस कार्यबल का संघटन नीचे दिए गए अनुसार हैं:-

1.	श्री सुरेश पी. प्रभु, सांसद सदस्य (लोक सभा)	अध्यक्ष
2.	श्री सी.सी. पटेल, सेवानिवृत सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	उपाध्यक्ष
3.	श्री दीपक दास गुप्ता, सेवानिवृत्त आई ए एस अधिकारी	पूर्णकालिक सदस्य
4.	श्री के. वी. कामथ, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आईसीआईसीआई बैंक	सदस्य
5.	श्री आर. के. पचौरी, महानिदेशक, टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्री पियुष गोयल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, मुम्बई	सदस्य
7.	श्री के. कस्तूरीरंगन, अध्यक्ष, इसरो नई दिल्ली	सदस्य
8.	श्री जी. सी. साहू, सेवानिवृत्त, प्रमुख इंजीनियर, उड़ीसा सरकार	सदस्य
9.	डा. के हरी बाबू, विधायक, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	सदस्य
10.	डा. बी. आर. चौहान, विधिक विशेषज्ञ, दिल्ली	सदस्य
11.	श्री बी.जी. वर्गीस, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	सदस्य
12.	डा. सी.डी. थट्टे सेवानिवृत्त सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य-सचिव

इस कार्य बल में विभिन्न क्षेत्रों अर्थात इंजीनियरी, वित्त आदि क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त सदस्य होते हैं और विचारणीय विषयों के अनुसार इस परियोजना को तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता सहित नदियों को परस्पर जोड़े जाने से संबंधित सभी पहलुओं पर सिफारिशें करते हैं।

[हिन्दी]

कृषि विकास कार्य में विलंब

5314. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री शिवाजी माने:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन कारणों का विश्लेषण किया है जिनके कारण कृषि विकास कार्यों एवं कृषि योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) कृषि स्कीमों के कार्यान्वयन में कोई बड़ा भारी विलंब नहीं हुआ है। विलंब को रोकने के लिए समय पर स्कीमों के निरूपण और अनुमोदन, राज्य सरकारों/कार्यान्वयनकारी अभिकरणों को राशियों की शीघ्र निर्मुक्ति, राज्यों के साथ पारस्परिक रूप से मिलकर काम करने एवं प्रबोधन तथा आगे और धनराशि की निर्मुक्ति के लिए उपयोगिता रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने पर बल देने जैसे विभिन्न उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

नदियों की जल संभरण क्षमता

5315. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिणी एवं उत्तरी भारत की प्रमुख नदियों की जल संभरण क्षमता कितनी है; और

(ख) जोड़ी जाने वाली नदियों के मार्ग को निश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) भारतीय क्षेत्र में प्रमुख नदी बेसिनों के आवाह क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	नदी बेसिनों का नाम	आवाह क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)
1	2	3
1.	सिंधु	321289
2.	(क) गंगा	861452
	(ख) ब्रह्मपुत्र, बराक और अन्य नदियां	236136
3.	साबरमती	21674
4.	माही	34842
5.	नर्मदा	98796
6.	तापी	65145
7.	ब्राह्मणी और वैतरणी	51822
8.	महानदी	141589
9.	गोदावरी	312812
10.	कृष्णा	258948
11.	पेन्नार	55123
12.	कावेरी	81155
	कुल	2540873

(ख) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय भंडारण और डायवर्जन संरचनाओं पर नदी मार्ग के रखरखाव के लिए नदी नियंत्रण संबंधी कार्यों के विस्तृत विवरण भी तैयार किए जाते हैं। अंतर संपर्क प्रस्तावों की इस समय व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

जल संसाधनों में वृद्धि करने हेतु केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

5316. श्री रामशकल:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्षा जल संचयन सहित जल संसाधनों में वृद्धि करने हेतु राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए देश में क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक राज्य सरकारों को योजनावार कितना धन आवंटित और जारी किया गया; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को अब तक कितनी सफलता हासिल हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधन स्कीमों की आयोजना, अन्वेषण, तैयारी, क्रियान्वयन एवं उनका वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों और उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है। तथापि, प्राकृतिक संसाधनों से जल को उपयोग में लाने तथा चल

रही सिंचाई स्कीमों को शीघ्र पूरा कर सिंचाई क्षमता के सृजन में गति लाने के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्रीय ऋण सहायता मुहैया कराने के वास्ते भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) प्रारंभ किया गया है। विगत तीन वर्षों के दौरान, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत विभिन्न राज्यों को कुल 7519.8836 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। वर्ष 1974-75 में प्रारंभ की गई केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास स्कीम के तहत वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 तक 28 राज्यों को 451.8299 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम की क्षेत्र सुधार परियोजना के तहत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम, भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और छत के वर्षा जल के संचयन के माध्यम से वर्षा जल संचयन को भी प्रोत्साहन दे रही है जिसके लिए राज्य सरकारों और अन्य क्रियान्वयन अभिकरणों को तकनीकी और वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड ने प्रायोगिक आधार पर ''भू जल के पुनर्भरण अध्ययन'' संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम प्रारंभ की है। इस स्कीम के तहत नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न भागों में 174 स्कीमें अनुमोदित की गई हैं। इस स्कीम को 150 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। जल संसाधन मंत्रालय ने 3000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली ''भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन'' संबंधी एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम तैयार की है। इस स्कीम में केन्द्र और लाभग्राहियों के बीच 90:10 के अनुपात में वित्त पोषण की व्यवस्था होगी तथा इसका क्रियान्वयन दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया जाएगा। इस स्कीम को ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन के लिए योजना आयोग में भेजा गया है।

गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ द्वारा ज्ञापन दिया जाना

5317. डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 10 मार्च, 2003 को ''गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ लिमिटेड, आंनद'' से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की समस्याओं का समाधान करने और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भागीदारी को बनाए रखने से संबंधित ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

कृषि पर राजसहायता

5318. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय संघों के दबाव के कारण कृषि संबंधी राजसहायता को समाप्त कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो राजसहायता को कम करने के क्या कारण हैं; और

(ग) कृषि नीति को कृषकों के अनुकूल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) जी, नहीं, कृषि संबंधी विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत भारत के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं है जिससे कि इस समय कृषि क्षेत्र को दी जा रही सब्सिडी को बन्द करना पड़े।

(ग) कृषि नीति को कृषकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने किसानों की स्थिति में सुधार करने के लिए कई कदम उठाये हैं जिसमें विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों की दी जाने वाली विशेष रिआयत/सब्सिडी शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि नीति में प्रमुख कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा के माध्यम से कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

[हिन्दी]

अनुदानों का दुरुपयोग

5319. श्री लक्ष्मण गिलुवा:
प्रो. दुखा भगत:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पास बड़े अनुदानों एवं ऋण का दुरुपयोग न किए जाने को सुनिश्चित करने हेतु समुचित साधन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान देश में अनुदानों/ऋणों के दुरुपयोग से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम): (क) जी, हां।

(ख) अनुदानों एवं ऋणों की सही उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मुख्य तन्त्रों का उपाय किया गया है:-

1. आवधिक लेखा-परीक्षा
2. बजट विचार-विमर्श प्रक्रिया
3. विलेखों के रेहन/मालबंधन द्वारा निधियों की सिक्यूरिटाइजेशन
4. सतर्कता जांच

इसके अतिरिक्त बैंकों द्वारा सुनिश्चित की गई अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं की जीवनक्षमता तथा ऋणों की पुनर्अदायगी के मूल्यांकन के बाद ही बैंकों के माध्यम से मार्जिन मनी ग्राण्ट जारी किया जाना ऋणों एवं अनुदानों की सही उपयोगिता सुनिश्चित करने में प्रभावी उपाय के रूप में भी कार्य करता है।

(ग) से (ङ) राज्यवार मामलों तथा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और-II में दिया गया है।

विवरण I

के.वी.आई.सी. में पहचान किए गए कपटों एवं की गई कार्रवाई का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	कपट की प्रकृति	की गई कार्रवाई
1.	आंध्र प्रदेश	दो मामले, जिसमें से एक में संस्थान को कपटपूर्ण छूट का क्लेम करने के लिए दोहरे लेखे रखते हुए पाया गया तथा एक अन्य संस्थान को गैर-खादी उत्पादन बेचते हुए और लाभों का क्लेम करते हुए पाया गया।	दोनों संस्थानों का प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया गया है तथा उनके विरुद्ध वसूली संबंधी कार्रवाई आरम्भ की गई है।
2.	महाराष्ट्र	सिविल निर्माण कार्य का एक मामला जिसमें एक कर्मचारी, एक ठेकेदार तथा एक आर्किटेक्ट शामिल थे।	सीबीआई ने शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए हैं और के. वी. आई. सी. ने एक अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति दी है।
3.	उड़ीसा	ऐसे बायो-गैस संयंत्रों के लिए क्लेम स्वीकृत करना जिनके बारे में यह पाया गया कि वास्तव में उनका निर्माण नहीं किया गया था।	सीबीआई ने मामला दर्ज किया है और मामले की जांच चल रही है। के.वी.आई.सी. ने पहले ही एक कर्मचारी को निलंबित, एक अन्य को अनिवार्य तौर पर सेवा निवृत्त कर दिया है तथा तीसरे कर्मचारी के विरुद्ध मूल वेतन में कमी करने का बड़ा दण्ड लगाया है।

विवरण II

पहचान की गई अनियमितताएं और बैंक अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

क्र.सं.	राज्य और बैंक का नाम	अनियमितताओं की किस्म	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	**महाराष्ट्र**		
(क)	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंढरपुर	ऋण संस्वीकृतियों के द्वारा 21 लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी (एमएम) का दावा किया गया परन्तु वास्तव में मार्जिन मनी कम्पोनेंट	बैंक के मुख्यालय (एचओ) को मामला भेजा गया। 39 लाख रुपये की मार्जिन मनी (एमएम) का रिफंड किया गया। बैंक प्राधिकारियों द्वारा संबंधित

1	2	3	4
		की सीमा तक ही राशि जारी की गई और योजना के अंतर्गत एक यूनिट को छोड़कर किसी अन्य यूनिट की स्थापना नहीं की गई।	प्रबंधक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है।
	(ख) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नासिक	22 मामलों के संबंध में ऋण स्वीकृत करके एमएम का दावा किया गया परन्तु वास्तव में कोई राशि जारी नहीं की गई। के.वी.आई.सी. के निरीक्षण स्टाफ और बैंक अधिकारी परियोजनाओं तथा लाभार्थियों का पता नहीं लगा सके।	के.वी.आई.सी. को 44.00 लाख रुपये के एमएम का पुनर्भुगतान किया गया। मामला बैंक के मुख्यालय में उठाया गया तथा संबंधित प्रबंधक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।
	(ग) यूनियन बैंक आफ इंडिया, घाटकोपर, मुम्बई	विभिन्न उद्योगों जो वास्तव में स्थापित नहीं किये गये की एकल परियोजना पर 4 लाभार्थियों के संबंध में एमएम का दावा किया गया।	बैंक द्वारा 10 लाख रुपये के एमएम का पुनर्भुगतान किया गया और संबंधित प्रबंधक के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
	(घ) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया, कावलादेवी, मुम्बई	उपर्युक्त के अनुसार 12 लाभार्थियों के लिए	24.00 लाख रुपये के एमएम का पुनर्भुगतान किया गया। मामला बैंक के मुख्यालय को भेजा गया परन्तु मुख्यालय ने सूचित किया कि क्योंकि एमएम का पुनर्भुगतान कर दिया गया है, संबंधित प्रबंधक के विरुद्ध कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है और मामले को यहीं समाप्त करने का अनुरोध किया।
	(ङ) बैंक आफ इंडिया घाटकोपर, मुम्बई	उपर्युक्त के अनुसार 4 लाभार्थियों के लिए।	10 लाख रुपये के एमएम का पुनर्भुगतान किया गया
	(च) बैंक आफ महाराष्ट्र, पैलहार जिला थाने	विद्यमान पुरानी इकाइयों के लिए 5 लाभार्थियों के मामले में एमएम का दावा किया गया	14.22 लाख रुपये के एम एम पुनर्भुगतान किया गया।
	(छ) बैंक आफ बड़ौदा, भदगांव, जिला जलगाव	कार ऋण को ब्रिक इन्डस्ट्री की प्रयोजना के रूप में दर्शा कर एम एम दावा किया गया	2.23 लाख रुपये के एमएम का पुनर्भुगतान किया गया और नागपुर में बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय ने शाखा प्रबंधक को सजग कर दिया है।
2.	**उत्तर प्रदेश**		
	(क) औरियंटल बैंक आफ कामर्स, अमेठी	योजना के अंतर्गत किसी भी प्रयोजना को संस्वीकृति दिये बिना एमएम का दावा किया गया	बैंक के सतर्कता विभाग के अनुरोध पर बैंक द्वारा 71.00 लाख रुपये के एमएम का पुनर्भुगतान किया गया। बैंक अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा गया है।
	(ख) औरियंटल बैंक आफ कामर्स, मुजफ्फरनगर मेरठ	आरईजीपी प्रारंभ करने से पूर्व ही पहले से संस्वीकृत विद्यमान इकाइयों पर एमएम का दावा किया गया	9.00 लाख रुपये के एम एम का पुर्नभुगतान संबंधी मामला शाखा को भेजा गया है। केवीआईसी के सतर्कता विभाग में अलग से जांच-पड़ताल चल रही है।

1	2	3	4
3.	**छत्तीसगढ़**		
	पंजाब नेशनल बैंक, रायपुर	आरईजीपी प्रारंभ करने से पूर्व ही पहले से संस्वीकृत विद्यमान इकाइयों पर एमएम का दावा किया गया	13.00 लाख रुपये की राशि वापिस ले ली गई और केवीआईसी के कर्मचारियों के शामिल होने के बारे में और आगे जांच-पड़ताल की अधिपुष्टि की जा रही है।
4.	**तमिलनाडु**		
	यूको बैंक, डिंडीगल	शाखा प्रबंधक द्वारा अपने पुत्र को ऋण स्वीकृत किया गया	शाखा प्रबंधक को बैंक द्वारा निलम्बित कर दिया गया है और जांच-पड़ताल चल रही हैं। केवीआईसी द्वारा जांचकर्ता अधिकारी को आवश्यक दस्तावेज दे दिये गये हैं।

[अनुवाद]

उत्तरी नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ना

5320. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नदी जल प्रबंधन से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने उत्तरी नदियों को प्रायद्वीपीय नदियों से जोड़ने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूखा प्रवण क्षेत्र

5321. **श्री बीर सिंह महतो:**
प्रो. दुखा भगत:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के सूखा प्रवण क्षेत्रों की पहचान कर ली है;

(ख) यहि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में सरकार द्वारा क्या राहत उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के भू-संसाधन विभाग द्वारा अभिज्ञात सूखा प्रवण क्षेत्रों में किया जाता है। स्कीम को वर्तमान में नौवीं योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में देश के 16 राज्यों के 183 जिलों में 705.00 करोड़ रुपये के परिव्यय से कार्यान्वित किया गया है। वर्ष 2003-2004 के लिए इस स्कीम हेतु 295.00 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है। इस स्कीम के शुरू होने से मार्च, 2002 के अंत तक 1768.24 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 98.24 लाख हैक्टेयर कुल क्षेत्र का उपचार किया गया है।

फर्जी कंपनियों द्वारा बेरोजगार लोगों के साथ धोखाधड़ी करना

5322. **श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में फर्जी रोजगार कंपनियां बेरोजगार युवकों को ठग रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में ऐसी कितनी कम्पनियां हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन फर्जी कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) से (घ) रोजगार कार्यालय राज्य/संघ शासित सरकारों के प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रणाधीन

तथा रोजगार कार्यालय अधिनियम, 1959 (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) के उपलब्धों के अनुरूप कार्य करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत निजी नियोजन एजेंसियों को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए, निजी नियोजन एजेंसियों के धोखाधड़ी के यदि कोई मामले हों तो उनका निपटान संबंधित राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा कानून के सामान्य प्रावधानों के तहत किया जाता है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का उन्नयन

5323. श्री कमल नाथ: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चार महानगरों में स्थित विमानपत्तनों का उन्नयन करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बुरी तरह प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो विमानपत्तनों के उन्नयन में विलंब के कारण क्या हैं; और

(ग) बाधाओं को दूर करने और विमानपत्तनों के उन्नयन कार्य को समयबद्ध अवधि में किए जाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) सेवाओं, प्रबंधन संस्कृति, कुशलता और समग्र उत्पादकता के स्तर में सुधार करने तथा हवाई अड्डों के उचित प्रबंधन से होने वाले आर्थिक लाभों की सम्भावनाओं को खोलने तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपेक्षित निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए चार महानगरों में स्थित हवाई अड्डों की दीर्घावधिक लीजिंग के माध्य से पुनर्संरचना करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित लीजिंग के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने में विलंब हुआ क्योंकि परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (संशोधन) बिल, 2000 जिसे नवम्बर, 2000 के दौरान संसद में पेश किया गया था पर की कई सिफारिशों पर विचार करने के समीक्षा की जा रही है।

(ग) वर्ष 2003-04 के केन्द्रीय बजट में यह घोषणा की गई कि दिल्ली और मुम्बई स्थित दो हवाई अड्डों का नवीकरण/आधुनिकीकरण किया जाएगा। बजटीय सहायता की आवश्यकता सहित वास्तविक कार्य विधि के कार्यान्वयन का कार्य किया जा रहा है। संशोधित वैधानिक प्रस्तावों को लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि हेतु मूलभूत सुविधाएं

5324. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात के कृषकों को उक्त सुविधा कब तक मिलने की संभावनाएं हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना पर प्रमुख बल दिया गया है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पनधारा प्रणाली के जरिए वर्षा सिंचित क्षेत्रों के विकास के लिए छोटी सिंचाई का विकास, वर्षा जल का दोहन तथा संरक्षण, विपणन, संसाधन तथा मूल्य-वर्धन अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, भंडारण/शीतभंडारण अवसंरचना का निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण और ग्रामीण गोदामों का निर्माण शामिल है।

भारत सरकार द्वारा गुजरात राज्य सहित सभी राज्यों में कृषि के लिए ग्रामीण अवसंरचना को मजबूत बनाने संबंधी अपनी स्कीमों का निरूपण करते समय 10वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यनीतियों/प्रमुख क्षेत्रों पर विचार किया गया।

फ्लाईंग क्लब

5325. श्री रामदास आवठले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं अन्य राज्यों में चल रहे फ्लाईंग/ग्लाईडिंग क्लबों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनको स्थापित करने की तिथि क्या है उनमें से प्रत्येक के पास कितने विमान हैं;

(ग) गत तीन वर्ष के दौरान उनको वर्षवार और क्लबवार कुल कितनी राजसहायता और अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई;

(घ) महानिदेशक नागर विमानन द्वारा प्रत्येक क्लब को क्या दर्जा प्रदान किया गया है; और

(ङ) इन फ्लाईंग/ग्लाईडिंग क्लबों की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) देश में उड़ान/ग्लाईडिंग क्लबों के विमानों की संख्या तथा सब्सिडी, स्थापनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सब्सिडी के अलावा पिछले तीन वर्षों के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा भी एक, दो और एक हंस-3 विमान क्रमश: आंध्र प्रदेश फ्लाईंग क्लब, हैदराबाद, केरल विमान प्रशिक्षण केन्द्र, तिरूवनन्तपुरम तथा मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब इंदौर प्रत्येक के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों को रेटिंग देने की कोई भी प्रणाली नहीं है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा कुल 433 व्यावसायिक पायलट लाइसेंस (विमान) तथा 108 व्यावसायिक पायलट लाइसेंस (हैलीकॉप्टर) जारी किए गए। इसके अलावा इन फ्लाइंग क्लबों द्वारा कुल 51612.32 अनुदेशक उड़ान घंटों का निष्पादन किया गया।

विवरण

स्थापना की तारीख/वर्ष सहित उड़ान क्लबों के नाम	वायुयानों की संख्या	नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दी गई राजसहायता की राशि रुपये में			
		2000-2001	2001-2002	2002-2003	
1	2	3	4	5	
(क) सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त उड़ान क्लब/विद्यालय/संस्थान					
दिल्ली फ्लाइंग क्लब, दिल्ली, 28.05.1923	-(*)	1,89,228	12,373		चूंकि सब्सिडी योजना दिनांक 1 अप्रैल, 2001 से बन्द कर दी गई है, अतएव किसी भी उड़ान क्लब को किसी भी राज सहायता का भुगतान नहीं किया गया। सिर्फ उन उड़ान क्लबों को राजसहायता प्रदान की गई जिन्होंने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन-जाति के अधीन छात्रवृत्ति योजना पर व्यय किया।
अंडमान व निकोबार उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, पोर्ट ब्लेयर, 10/1988	01(*)	0	0		
आंध्र प्रदेश उड़ान क्लब, हैदराबाद, 8.9.1958	07	1,69,280	0		
आसाम उड़ान क्लब, गुवाहाटी, 28.10.1967	02(*)	0	0		
बिहार उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, पटना, 1940	04	0	0		
जमशेदपुर सहकारी उड़ान क्लब, जमशेदपुर, 1966	03(*)	0	60,463		
गुजरात उड़ान क्लब, बड़ोदा, 20.12.1958	06	3,35,250	10,472		
हरियाणा इंस्टीट्यूट आफ सिविल एविएशन, करनाल, 1967 हरियाणा इंस्टीट्यूट आफ सिविल एविएशन, हिसार, 1965 हरियाणा इंस्टीट्यूट आफ सिविल एविएशन, पिंजौर, 1.4.1991	14	5,46,067	0		
राजकीय उड़ान प्रशिक्षण स्कूल, बंगलौर, 1948	06(*)	0	0		
केरल एविएशन प्रशिक्षण संस्थान, तिरूवनंतपुरम, 14.7.1959	05	67,145	10,085		
मध्य प्रदेश उड़ान क्लब इंदौर, भोपाल में एक शाखा सहित, 1951	13	5,34,748	84,228		
बम्बई उड़ान क्लब, मुम्बई, 9.5.1928	9	45,020	5,687		
नागपुर उड़ान क्लब, नागपुर, 1946	05(*)	0	0		
राजकीय एविएशन प्रशिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर, 1946	04	1,18,415	1,23,999		
अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर, 1962	06	14,439	0		
लुधियाना एविगेशन क्लब, लुधियाना, 1.1.1968	06	1,09,835	0		

1	2	3	4	5
नॉर्थन इंडिया उड़ान क्लब, पटियाला में कैम्प	7	2,61,950	0	
पटियाला एविएशन क्लब, पटियाला 10/1962	6	1,65,758	0	
बनस्थली विद्यापीठ उड़ान क्लब 11.8.1961	-(*)	0	0	
राजस्थान राज्य उड़ान स्कूल, जयपुर, 31.1.1975	6	2,34,844	21,532	
कोयम्बटूर एविएशन प्रशिक्षण अकादमी, कोयम्बटूर 1960	03(*)	0	0	
मद्रास उड़ान क्लब, चैन्नई, 4.3.1930	7	2,03,628	3,206	
उत्तर प्रदेश राज्य उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर, 1.8.1980	11	2,61,425	0	
राजकीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता, 7.8.1963	03	0	1,593	

(ख) नागर विमानन मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संगठन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, फुरसतगंज एयरफील्ड, उत्तर प्रदेश 21.3.1985	17	सरकार द्वारा निधियां जुटाई गई।

(ग) निजी उड़ान क्लब/स्कूल/संस्थान

स्थापना की तारीख/वर्ष सहित उड़ान क्लबों के नाम	वायुयानों की संख्या
फ्लाइटेक एविएशन अकादमी, सिकंदराबाद 1.11.1996	05
विंग्स एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद 9.10.1998	03
टाटा नगर एविएशन, जमशेदपुर 22.7.1996	05(*)
अहमदाबाद एविएशन अकादमी, अहमदाबाद 1.5.1994	06
कॉरवर अकादमी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई	03
बंगलौर एयरोनाटिक्स टैक्निकल, सर्विसेज 12.1.1994	-(*)
फ्रैंक एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर 6.11.1992	-(*)
हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल रोटरी विंग अकादमी, बंगलौर	03 हेलीकाप्टर्स
ऑरियंट फ्लाइट स्कूल, पांडिचेरी 26.12.1994	06
राजपुताना एविशन अकादमी, कोटा 22.7.1996	04
गर्ग एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर 11.10.1996	03

(घ) सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त ग्लाइडिंग क्लब/विद्यालय/संस्थान

स्थापना की तारीख/वर्ष सहित उड़ान क्लबों के नाम	वायुयानों की संख्या	नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा दी गई राजसहायता की राशि रुपये में		
		2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5
दिल्ली ग्लाइडिंग क्लब, दिल्ली 10.11.1964	7(*)	34,891	0	चूंकि सब्सिडी योजना दिनांक 1
ग्लाइडिंग और सोरिंग सेन्टर, कानपुर 27.11.1968	3	12,560	3,648	

1	2	3	4	5
देवलाली ग्लाइडिंग क्लब, नासिक 10.8.1962	3	1,00,086	23,294	अप्रैल, 2001 से बन्द कर दी गई है अतएव किसी भी उड़ान क्लब को किसी भी राज सहायता का भुगतान नहीं किया गया।
झारखंड उड़ान संस्थान, रांची (ग्लाइडिंग विंग) 1966	3(*)	0	0	
अहमदाबाद ग्लाइडिंग क्लब अहमदाबाद 19.10.1961	2	0	0	
लुधियाना एविएशन क्लब, लुधियाना (ग्लाइडिंग विंग 1.3.1977)	1(*)	0		
नारथर्न इंडिया उड़ान क्लब, पटियाला में कैम्प ग्लाइडिंग विंग)	2	0	0	
हरियाणा इंस्टीट्यूट आफ सिविल एविएशन, पिंजौर (ग्लाइडिंग विंग) 2/1982	2(*)			
हरियाणा इंस्टीट्यूट आफ सिविल एविएशन, हिसार (ग्लाइडिंग विंग) 1968	1	2,33,022	0	
राजस्थान राज्य उड़ान स्कूल जयपुर (ग्लाइडिंग विंग) 19.6.1998	2	6,441	5,355	
ग्लाइडिंग सेन्टर, पुणे (महानिदेशालय नागर विमानन का हिस्सा)	13	महानिदेशालय नागर विमानन का हिस्सा		

(*) कार्यरत नहीं।

[अनुवाद]

नदियों को जोड़ना

5326. डा. डी.वी.जी. शंकर राव: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत की नदियों के साथ जोड़ने के बारे में अपनी शंकाओं को व्यक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नदियों को जोड़ने की परियोजना को अंतिम रूप देने से पहले असम के लोगों की शंकाओं पर विचार किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) असम सरकार ने बाढ़ नियंत्रण पहलू, नदियों में न्यूनतम प्रवाह बनाए रखना, शामिल पर्यावरणीय मुद्दों तथा मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम.एस.टी.जी.) संपर्क परियोजना के प्रस्तावित बांधों के लिए विद्युत भागीदारी पर आपत्तियां उठाई हैं। इन आपत्तियों पर विचार-विमर्श किया गया तथा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एन.डब्ल्यू.डी.ए.) द्वारा राज्य सरकार को जवाब दिया गया है। तदनुसार, मानस-संकोश-तीस्ता (एम.एस.टी.जी.) संपर्क की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट एन.डब्ल्यू.डी.ए. की तकनीकी सलाहकार समिति (टी.ए.सी.) जिसमें असम सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल थे, द्वारा 11 दिसंबर, 1995 को स्वीकार की गई।

पर्यटन केन्द्र

5327. श्री जी.एस. बसवराज: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में ऐसे कौन-कौन से पर्यटन केन्द्र हैं जहां अधिकतम संख्या में घरेलू तथा विदेशी पर्यटक जाते हैं;

(ख) इससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा और भारतीय राजस्व अर्जित होता है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर्यटक केन्द्रों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) देश में विभिन्न पर्यटन केन्द्रों के लिए, पर्यटकों के आगमन के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की यात्रा करने वाले घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 2000, 2001 तथा 2002 के दौरान पर्यटन के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा क्रमश: 14,238 करोड़ रुपए 14,344 करोड़ रु. एवं 14,420 करोड़ रु. रही। पर्यटन क्षेत्र से समग्र रूप से अर्जित राजस्व की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा एकीकृत परिपथों पर बल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन हबों का सृजन, पर्यटन संस्कृति एवं नागरिक कार्यपालन के अभिमुखीकरण के साथ अवसंरचना के विकास के लिए उपायों की एक श्रृंखला की पहल की गई है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000		2001		2002	
	घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	47998204	78713	52533647	67147	60487370	210310
अरुणाचल प्रदेश	9932	2044	6349	323	3236*	175*
असम	891433	5954	1010651	6171	2833042*	4262*
बिहार	5520589	73321	6061168	85673	2755154*	164098*
गोवा	976804	291709	1047342	260071	1325296	271645
गुजरात	11408281	31748	8272969	30930	573586	34187
हरियाणा	260442	1113	276287	898	6426763	85281
हिमाचल प्रदेश	4571129	111191	5211772	135760	4958917	144383
जम्मू व कश्मीर	5393463	19400	5246948	21298	4578404	8269
कर्नाटक	18000000	208000	14117464	140703	8678170	59545
केरल	5013221	209933	5240009	208830	5568256	232564
मध्य प्रदेश	4796133	111036	5048851	107824	6487773*	111813*
महाराष्ट्र	8297158	1075169	8479695	915399	10896408	949269
मणिपुर	105167	429	76527	183	89633	221
मेघालय	169929	2327	178697	2390	268609	3146
मिजोरम	28221	235	28771	152	29417	259
नागालैंड	13272	451	9948	920	15973	1200
उड़ीसा	2888392	23723	3109976	22854	3289205	23279
पंजाब	385682	3854	474305	3258	305977*	8975*

1	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	7374391	623100	7757217	608283	8300190	428437
सिक्किम	143105	10409	203306	31028	159342	8566
तमिलनाडु	22982262	785876	23812043	773073	41274392	804641
त्रिपुरा	231902	0	254912	0	185411*	0
उत्तरांचल	—	—	9551669	44429	11818221	55762
उत्तर प्रदेश	64830000	848000	68071000	795000	73067000	109464
छत्तीसगढ़	—	—	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.
झारखंड	—	—	353177	2979	313134	2244
पश्चिम बंगाल	4737112	197061	4943097	284092	8503573*	531335*
अंडमान और निकोबार	85300	3156	84064	5539	49784*	5101*
चंडीगढ़	486355	14612	482133	15203	549566*	952*
दमन और दीव	74172	8330	580322	10290	595449	6569
दिल्ली	1497890	1127950	1324636	830092	1228059	543036
दादरा व नगर हवेली	408639	223	452000	400	580820*	415*
लक्षद्वीप	1087	597	3501	650	4180	636
पांडिचेरी	527274	23878	476804	22115	478327*	18585*
कुल	220106941	5893542	234781257	5433957	271840337*	4828624*

*अनुमानित

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ से विमान संपर्क

5328. श्री विष्णुदेव साय: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ से किन-किन राज्यों की राजधानी का विमान संपर्क है;

(ख) छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से किन-किन राज्यों की राजधानी का विमान संपर्क है;

(ग) क्या सरकार का विचार रायपुर को शेष राज्यों की राजधानी से जोड़ने का है;

(घ) छत्तीसगढ़ के किन-किन अन्य शहरों में विमान संपर्क हैं; और

(ङ) अन्य शहरों में विमान संपर्क प्रदान करने हेतु आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) महाराष्ट्र, उड़ीसा और दिल्ली राज्यों का छत्तीसगढ़ राज्य के साथ विमान संपर्क है।

(ख) निम्नलिखित राज्यों की राजधानियों का रायपुर के साथ विमान संपर्क है:-

मुम्बई

भुवनेश्वर (एक ओर)

दिल्ली।

(ग) से (ङ) फिलहाल, रायपुर को छोड़कर छत्तीसगढ़ के किसी अन्य शहर में विमान संपर्क नहीं है। इंडियन एयरलाइंस की रायपुर को अन्य राज्यों से जोड़ने या छत्तीसगढ़ से कोई नई विमान सेवा आरंभ करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं ताकि विमान परिवहन सेवाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित किया जा सके । बहरहाल यह एयरलाइंस पर निर्भर करता है कि वह सरकार द्वारा निर्धारित मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का पालन करते हुए यातायात मांग और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मद्देनजर विशिष्ट स्थानों को अपनी विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं।

[अनुवाद]

पटना विमानपत्तन का उन्नयन

5329. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयप्रकाश नारायण के नाम पर पटना सिविल विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन तथा अंतर्राष्ट्रीय मानक पर इसकी धावनपट्टी के विस्तार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन सभी सुविधाओं को कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है और उसमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) पटना विमानपत्तन का नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन कर दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के सीमित प्रचालन के लिए वहां कस्टम तथा आप्रवासन सुविधाएं मौजूद हैं।

(ख) और (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास टर्मिनल भवन तथा एप्रन के विस्तार तथा राज्य सरकार से अतिरिक्त भूमि उपलब्ध हो जाए तो एयरोब्रिजिज के प्रावधान का प्रस्ताव है। इस विमानपत्तन पर रनवे का विस्तार व्यवहार्य नहीं है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत बीमा दावे

5330. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और उसके पश्चात उड़ीसा में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कितने दावे प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितने दावों का भुगतान किया गया है तथा किसानों को जिलेवार कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या बीमा कम्पनियों ने अब तक बीमा दावों का भुगतान नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इनका कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) उड़ीसा राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम (एनएआईएस) को इसके शुरू होने से ही अर्थात रबी 1999-2000 मौसम से कार्यान्वित कर रहा है। उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्कीम के अंतर्गत जिलावार कवर किए गए किसानों, भुगतान किए गए दावों और लाभानुभोगी किसानों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उड़ीसा में रबी 1999-2000 मौसम से रबी 2001-02 मौसम के सभी उपयुक्त दावों का निपटान कर दिया गया है। तथापि, खरीफ 2002 मौसम के दावों के संबंध में कार्यान्वयन अभिकरण (आई ए) द्वारा ध्यान में लाई गई कुछ विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए उनका अभी भुगतान किया जाना है।

(घ) जैसे ही विसंगतियों का निपटारा हो जाता है तो उड़ीसा में खरीफ 2002 मौसम के दावों का निपटान कर दिया जाएगा।

विवरण

एन ए आई एस के अंतर्गत उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान जिलावार कवर किए गए किसानों, दावों और लाभानुभोगी किसानों को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	जिला	1999-2000			2000-2001			2001-2001		
		शामिल किसान	दावा (रु. में)	लाभान्वित किसान	शामिल किसान	दावा (रु. में)	लाभान्वित किसान	शामिल किसान	दावा (रु. में)	लाभान्वित किसान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	बोलांगीर	70	0	0	29350	121194874.80	29313	755	12302.79	570
2.	बालासोर	17183	0	0	40718	2140992.36	4107	18786	2434227.19	6751
3.	कटक	23307	0	0	40721	13835911.70	8870	26797	235086.28	1703
4.	धेनकनाल	15623	0	0	32520	79320730.25	29066	13040	559.00	559
5.	गंजम	21910	0	0	79436	57017838.26	35085	16177	198074.91	794
6.	कालाहांडी	2049	0	0	11775	3983599.17	16181	1209	559.00	559
7.	क्योंझर	9360	0	0	32358	476127.73	2681	5998	753282.70	3301
8.	कोरापुट	5961	0	0	15492	4024495.09	2234	3807	484603.07	1239
9.	मयूरभंज	11572	0	0	22870	2428171.25	1479	7940	559.00	559
10.	फुलबनी	792	0	0	3567	3455999.85	3543	2070	559.00	559
11.	पुरी	6776	0	0	24022	3848509.32	2124	5227	262370.14	731
12.	सम्बलपुर	3190	0	0	22761	83259459.61	21350	4543	623469.75	1165
13.	सुंदरगढ़	2608	0	0	32747	52434498.23	25363	1622	559.00	559
14.	सोनेपुर	3842	0	0	18938	31970741.48	14206	2000	559.00	559
15.	भदरक	5262	0	0	34174	6194936.60	3440	10350	2886791.53	1966
16.	जैपोर	21220	0	0	45288	21986620.50	29036	16393	304596.30	3571
17.	जगदीशपुर	1537	0	0	19501	121213.92	37	9649	344613.63	1337
18.	केन्द्रपाड़ा	5961	0	0	32694	3601411.07	6675	12907	559.00	559
19.	अंगल	8545	16556	15	37135	116915813.80	32617	6533	559.00	559
20	गाजापाटी	4	0	0	9928	182918.85	262	562	559.00	559
21.	नवपाड़ा	102	0	0	9079	30645576.45	9018	1410	559.00	559
22.	मालकंगीरल	2538	0	0	10626	13534135.77	7746	2761	559.00	559
23.	नवरंगपुर	7963	0	0	21971	2361472.85	2609	6032	559.00	559
24.	रायगाड़ा	815	0	0	10544	9197189.67	6984	1553	559.00	559
25.	खुर्दा	19721	0	0	33126	1753419.62	868	11521	2286677.17	2121
26.	नयागढ़	15158	0	0	20456	2933728.99	1993	5211	559.00	559
27.	बारगढ़	17952	0	0	79486	294598998.70	59635	27698	559.00	559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	झरसुगुड़ा	105	0	0	17084	68363621.38	17391	1252	559.00	559
29.	टेवागढ़	857	0	0	6710	11663314.15	6372	2614	559.00	559
30.	बुध	857	0	0	9897	25764390.29	9443	2515	559.00	559
	योग	232836	16556	15	804974	1069210712	375165	212721	10819946.50	19100

उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का विकास

5331. श्रीमती रीना चौधरी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के विकास हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को कितनी धनराशि निर्गत की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोकिंग कोल की कीमतें

5332. डा. सुशील कुमार इन्दौरा:
श्री नवल किशोर राय:

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इस्पात उत्पादन हेतु ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कोकिंग कोल की कीमतें आस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, ब्राजील तथा दक्षिण कोरिया की तुलना में बहुत ज्यादा हैं।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत में ज्यादा कीमतों के कारण हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप कुल उत्पादन लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गुजरात में कृषि अनुसंधान हेतु मूलभूत ढांचा

5333. श्री दिलीप संघाणी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि अनुसंधान और शिक्षा हेतु गुजरात को प्रदान किए गए मूलभूत ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वह मूलभूत ढांचे पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्तमान मूलभूत ढांचे को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) गुजरात में कृषि अनुसंधान कार्यकलापों के लिए 11 अनुसंधान संस्थानों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, चार परिसर वाले एक राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा 61 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है, जिनके माध्यम से आवश्यक ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गुजरात में अनुसंसाधन संस्थानों तथा केन्द्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों एवं अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं की सूची

1. अनुसंधान संस्थान एवं केन्द्रः

(1) राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केन्द्र, जूनागढ़

(2) राष्ट्रीय औषधीय एवं सगंधीय पौध अनुसंधान केन्द्र, आनन्द

(3) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान-क्षेत्रीय केन्द्र, वेरावल

(4) केन्द्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान-अनुसंधान केन्द्र वेरावल

(5) केन्द्रीय अन्तःप्रग्रहण मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान केन्द्र, वडोदरा

(6) केन्द्रीय बागवानी परीक्षण केन्द्र वेजापुर, पंचमहल

(7) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान-अनुसंधान केन्द्र, भुज

(8) भारतीय शुष्क बागवानी संस्थान-अनुसंधान केन्द्र, गोधरा

(9) केन्द्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान-अनुसंधान केन्द्र, सूरत

(10) केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान-अनुसंधान केन्द्र, वलसाद

(11) केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान-अनुसंधान केन्द्र, आनन्द

2. राज्य कृषि विश्वविद्यालय

गुजरात कृषि विश्वविद्यालय (जी ए यू), एस के नगर, बनासकांठा

3. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं (एआईसीआरपी)

फसल विज्ञान (गुजरात कृषि विश्वविद्यालय के केन्द्रों में)

ए आई सी आर पी-कपास, सूरत—जूनागढ़, चरौदी एवं तलोड़

ए आई सी आर पी-गन्ना—नवसारी

ए आई सी आर पी-तम्बाकू—आनन्द

ए आई सी आर पी-सूरजमुखी—अमरेली

ए आई सी आर पी-अलसी—दांतीवाड़ा, जूनागढ़ एवं तलोड़

ए आई सी आर पी-तिल—अमरेली

ए आई सी आर पी-तोरिया-सरसों—एस के नगर

ए आई सी आर पी-मूंगफली—जूनागढ़ एवं व्यारा

ए आई सी आर पी-चना—जूनागढ़

ए आई सी आर पी-मूलार्प—एस के नगर

ए आई सी आर पी-अरहर—एस के नगर एवं जूनागढ़

ए आई सी आर पी-शुष्कफली—एस के नगर

ए आई सी आर पी-चावल—नौगांव

ए आई सी आर पी-गेहूं—वीजापुर एवं जूनागढ़

ए आई सी आर पी-मक्का—गोधरा

ए आई सी आर पी-ज्वार—दीसा एवं सूरत

ए आई सी आर पी-चारा फसलें—आनन्द

ए आई सी आर पी-बाजरा—जामनगर

ए आई सी आर पी-अल्पदोहित फसलें—एस के नगर

ए आई सी आर पी-कृन्तक नियंत्रण—जूनागढ़

ए आई सी आर पी-जैविक नियंत्रण—आनन्द

ए आई सी आर पी-कृषि पक्षिविज्ञान—आनन्द एवं जूनागढ़

ए आई सी आर पी-सूत्रकृमि—जूनागढ़

ए आई सी आर पी-नाशीजीव नाशक अवशिष्ट पदार्थ—आनन्द

ए आई सी आर पी-कृषि अकारोलांजी—नवसारी

ए आई सी आर पी-प्रजनक बीज उत्पादक—आनन्द एवं जामनगर

ए आई सी आर पी-बीज प्रौद्योगिकी अनुसंधान—आनन्द एवं जामनगर

बागवानी:

ए आई सी आर पी-सब्जी—जी ए यू जूनागढ़ एवं आनन्द

ए आई सी आर पी-आलू—जी ए यू अनुसंधान केन्द्र, दीसा

ए आई सी आर पी-कंदीय फसलें—जी ए यू, नवसाद

ए आई सी आर पी-मसाले—जी ए यू, जगूदान

ए आई सी आर पी-औषधीय एवं सगंधीय पौधे—जी ए यू आनन्द

ए आई सी आर पी-उष्ण कटिबंधीय फल—जी ए यू, गामादेवी

ए आई सी आर पी-उपोष्ण कटिबंधीय फल—जी ए यू, परीन

ए आई सी आर पी-शुष्क क्षेत्रीय फल—जी ए यू, दांतीवाड़ा एवं मुंदड़ा

ए आई सी आर पी-पान—जी ए यू, आनन्द

प्राकृतिक संसाधन प्रबंध

ए आई सी आर पी-फसल अनुसंधान—जी ए यू, एस के नगर

ए आई सी आर पी-खरपतवार नियंत्रण—जी ए यू, दांतीवाड़ा

ए आई सी आर पी-कृषि मौसम विज्ञान—जी ए यू, आनन्द

ए आई सी आर पी-शुष्क भूमि कृषि—जी ए यू, दांतीवाड़ा एवं राजकोट

ए आई सी आर पी-जल प्रबंध अनुसंधान—जी ए यू, नवसारी

ए आई सी आर पी-माइक्रो एवं गौण पौषक पदार्थ व प्रदूषक तत्व—जी ए यू, आनन्द

पशु विज्ञान

ए आई सी आर पी-मुर्गीपालन, जी ए यू, आनंद

ए आई सी आर पी- ए डी एम ए एस, जी ए यू, अहमदाबाद

कृषि अभियांत्रिकी

ए आई सी आर पी-पी एच टी—जी ए यू, जूनागढ़

ए आई सी आर पी-आई ई एस—एस पी आर ई आर आई, वल्लभ विद्यानगर

वनों को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित करना

5334. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्यों में वनों को राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में घोषित करने का राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या राज्यों में वनों के ऊपर संबंधित राज्य सरकारों के राजस्व और वन विभाग का दोहरा नियंत्रण होने के कारण वन क्षेत्र में तेजी से गिरावट आई है; और

(घ) यदि हां, तो देश में वनाच्छादन में गिरावट को रोकने के लिए ऐसे वनों को राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में कब घोषित किया जाएगा।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत आने वाले वनों को राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में घोषित/अधिसूचित करने संबंधी शक्तियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रयोग की जाती हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। वन क्षेत्रों पर राजस्व और वन विभागों के दोहरे नियंत्रण से व्यवस्था में ऐसी कोई कमी नहीं है जो उन पर हानिकर प्रभाव डालती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मत्स्य पालन केन्द्रों का विकास और विस्तार

5335. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में राज्यों को विशेषकर गुजरात को मत्स्य पालन केन्द्रों के विकास और विस्तार के संबंध में सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत मात्स्यिकी विकास और विस्तार के लिए गुजरात सहित राज्यों को सहायता देती है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत विगत तीन वर्षों (2000-03) के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जारी 15264.71 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता में से गुजरात राज्य को 1076.86 लाख रुपए की राशि दी गई है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को दी गई सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न है। चालू वित्त वर्ष (2003-04) के दौरान मात्स्यिकी विकास के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता देने के लिए 5200 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

मात्स्यिकी क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के तहत विगत तीन वर्षों के दौरान (2000-03) जारी/स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2000-03 के दौरान जारी राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	591.68
2.	अरुणाचल प्रदेश	94.22
3.	असम	19.85
4.	बिहार	90.39
5.	गोवा	98.43
6.	गुजरात	1076.86
7.	हरियाणा	204.09
8.	हिमाचल प्रदेश	97.1
9.	जम्मू और कश्मीर	107.11
10.	कर्नाटक	955.95
11.	केरल	1657.06
12.	मध्य प्रदेश	164.71
13.	महाराष्ट्र	942.49
14.	मणिपुर	49.47
15.	मेघालय	45
16.	मिजोरम	128.5
17.	नागालैंड	458.42
18.	उड़ीसा	958.61
19.	पंजाब	126
20.	राजस्थान	74.26
21.	सिक्किम	22.4
22.	तमिलनाडु	2775.51
23.	त्रिपुरा	231.29
24.	उत्तर प्रदेश	1082.08
25.	पश्चिम बंगाल	2109.74
26.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	203.86
27.	दमन एवं दीव	167.05
28.	लक्षद्वीप	4.25
29.	पांडिचेरी	488.8
30.	छत्तीसगढ़	98.93
31.	उत्तरांचल	27.07
32.	झारखंड	113.53
	कुल	15264.71

[हिन्दी]

पशुपालन, कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन का विकास

5336. श्री अरुण कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरसकार को गत तीन वर्षों के दौरान दक्षिण बिहार में पशु, कुक्कुट और मत्स्य पालन के विकास हेतु बिहार सरकार से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) पशु पालन एवं डेयरी विभाग राज्य सरकारों को मुख्य रूप से पशुपालन, कुक्कुट तथा मात्स्यिकी के विकास के उद्देश्य से बुनियादी सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए सहायता प्रदान करता है। राज्यों को धनराशि प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों, धनराशि की उपलब्धता तथा निधियों के पूर्व में उपयोग के आधार पर जारी की जाती हैं। पशुपालन, कुक्कुट एवं मात्स्यिकी विकास के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य से प्राप्त प्रस्तावों तथा जारी धनराशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य से प्राप्त प्रस्ताव तथा उसे जारी धनराशि

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना	2000-01		2001-02		2002-03	
		प्रस्ताव	निर्मुक्ति	प्रस्ताव	निर्मुक्ति	प्रस्ताव	निर्मुक्ति
1.	राष्ट्रीय गोपशु तथा भैंस प्रजनन परियोजना	0.00	0.00	4347.03	0.00	0.00	0.00
2.	कुक्कुट/बत्तख फार्मों के लिए राज्यों को सहायता	0.00	0.00	43.00	31.20	0.00	0.00
3.	पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता	24.00	24.00	35.73	35.73	6.72	6.72
4.	व्यावसायिक दक्षता विकास	1.56	1.56	0.39	0.39	0.49	0.49
	पशुधन उत्पादन के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	16.00	16.00	12.00	12.00	15.70	15.70
6.	पशुधन संगणना	6.00	6.00	6.00	6.00	2.60	2.60
7.	राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण	16.88	0.00	47.54	47.54	32.10	32.10
8.	प्रशिक्षण एवं विस्तार	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के अंतर्गत रिक्त पद

5337. **श्री बालकृष्ण चौहान:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय में अंतर्गत विभागों और उपक्रमों में श्रेणी क, ख, ग, और घ के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों के (ओ.बी.सी.) के कर्मचारियों की इस समय श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों और उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) का आरक्षण कोटा पूरी तरह से भरा जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त वर्गों के लिए आरक्षण कोटे को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या ओ.बी.सी. के कर्मचारियों को पदोन्नति के समय भी उन्हें आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है;

(छ) यदि हां, तो क्या ओ.बी.सी. के लिए आरक्षित पदों के लिए ओ.बी.सी. उम्मीदवारों के न मिलने पर इन पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क), (ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सिविल पदों/सेवाओं में 27% पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

हैंगर हेतु भूमि का आवंटन

5338. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय विमाननपत्तन प्राधिकरण के नियमों के अनुसार हैंगर निर्माण हेतु भूमि को पट्टे पर देने की क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इंदौर विमानपत्तन पर भूमि आवंटन हेतु मैसर्स प्राइम एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड से आवेदन प्राप्त हुआ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें भूमि का आवंटन कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) हैंगर के निर्माण के लिए निजी कंपनियों को पट्टे पर भूमि आवंटित करने का कार्य, प्रचालनिक एवं योजनागत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्ताव और स्थल योजना को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात प्रैस अधिसूचनाओं के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करके किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कंपनी को प्रैस विज्ञापनों के जरिए प्रतियोगी बोलियों में भाग लेना होता है।

अधिकारियों के विदेशी दौरे

5339. डा. महेन्द्र सिंह पाल: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में 31 मार्च, 2003 की तिथि के अनुसार इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के एक्जिक्यूटिव द्वारा कितने विदेश दौरे किए गए और प्रत्येक दौरे का उद्देश्य क्या था;

(ख) गत तीन वर्षों की समवर्ती अवधि की तुलना में उक्त अवधि में दौरों में तीव्र वृद्धि के क्या कारण हैं और उस पर कितना व्यय किया गया है:

(ग) इनमें से प्रत्येक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दौरा संबंधित रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्टों को संतोषजनक पाया गया था?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

लंबित पर्यटन विकास योजनाएं

5340. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 372.43 करोड़ रुपये की मात्र 1563 पर्यटन विकास योजनाएं स्वीकृत की गई थी; और

(ख) यदि हां। तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा शेष योजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में नौवीं योजना के दौरान 372.43 करोड़ रुपये के केन्द्रीय वित्तीय घटक की 1563 पर्यटन परियोजनायें स्वीकृत की थी। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से 31.12.2002 तक प्राप्त सूचना के अनुसार इन परियोजनाओं में से 571 परियोजनायें पूरी हो गई हैं।

(ख) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को शेष परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करा लेने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

कोयर बोर्ड का जागरूकता कार्यक्रम

5341. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयर बोर्ड नारियल की जटाओं से निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार लाने हेतु गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है;

(ख) यहि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कोयर बोर्ड द्वारा ऐसे कितने कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और किन-किन स्थानों पर किया गया तथा इन कार्यक्रमों में कितने विनिर्माताओं ने भाग लिया; और

(ग) सरकार द्वारा कोयर बोर्ड के गिरते हुए निर्यात को बढ़ाने के लिए इसकी गुणवत्ता को बनाए रखने की आवश्यकता के मद्देनजर विनिर्माताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम): (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम के विवरण इस प्रकार हैं:-

वर्ष	केरल		तमिलनाडु		कर्नाटक		आंध्र प्रदेश		उड़ीसा	
	कैंपों की संख्या	प्रतिभागी	कैंपों की संख्या	प्रतिभागी	कैंपों की संख्या	प्रतिभागी	कैंपों की संख्या	प्रतिभागी	कैंपों की संख्या	प्रतिभागी
2000-01	13	849	6	440	1	65	3	225	3	220
2001-02	8	470	5	300	3	160	2	100	4	252
2002-03	16	665	8	813	10	625	2	61	4	120

गुणवत्ता सुधार कैंप निम्न स्थानों पर संचालित किए गए थे:-

केरल

कोझीकोड, बाडागरा, कन्नूर, तृश्शूर, उत्तरी पारावूर, चेरथाला और कयमकुलम

तमिलनाडु

कराईक्कल, पांडिचेरी, कोझापझयार, मनारगुडी, कुल्लीथलाई और पोलाची।

कर्नाटक

नीलखंतहाली, बिडीडी, होनेलगेरे, अरसिकेरे, गिन्डसी, तिप्तूर, चेन्नपटना, कांडवारा और अलीबाग (महाराष्ट्र)

उड़ीसा

पटनईका, कुसापुर, अकालीपडा और अलहनत

आंध्र प्रदेश

राजामुंदरी और इसुकुपुडी

(ग) सरकार, कोयर बोर्ड के माध्यम से कयर उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच, गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता सृजित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है, जिसमें शामिल हैं- मोटरराईज्ड कयर यार्न, स्पिनिंग इकाइयों में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम संचालित करना, कयरेट के एप्लीकेशन पर क्षेत्रीय डिमोन्सट्रेशन, डाईंग, ब्लीचिंग में सेवा सुविधाओं का विस्तार आदि। गुणवत्ता कैंप आयोजित करने के अतिरिक्त, कोयर बोर्ड, कयर यार्न विनिर्माताओं के सहयोग से क्षेत्रीय डिमोन्सट्रेशन आयोजित करने, केरल के निर्यातोन्मुख निर्माण केन्द्रों में कयर यार्न के उत्पादन के लिए स्पिनरों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले ग्रीन हस्क फाईबर की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, कयर के उपयोग को लोकप्रिय बना रहा है।

[हिन्दी]

आलू का उत्पादन

5342. श्री चिन्मयानन्द स्वामी:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में आलू उत्पादन रिकार्ड किया गया;

(ख) देश के प्रमुख आलू उत्पादन राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में आलू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में आलू के उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-

वर्ष	उत्पादन ('000 मी.टन में)
1999-2000	24713.2
2000-2001	22488.4
2001-2002	24082.0

(ख) आलू उत्पादन प्रमुख राज्य से हैं: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, असम और मध्य प्रदेश।

(ग) भारत सरकार ने 9वीं योजना के दौरान "मूल व कंद फसलों सहित सब्जियों के समेकित विकास" संबंधित स्कीम का

क्रियान्वयन किया। इस स्कीम को अक्टूबर, 2002 से "कृषि में वृहद प्रबंध-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण" नामक स्कीम में समाहित कर दिया गया है। इस स्कीम के तहत राज्यों को उनकी आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए अत्यधिक छूट दी गई है। इस स्कीम के कार्यक्रम अब कार्य योजनाओं के जरिए संचालित किये जा सकते हैं। इस स्कीम का उद्देश्य पुराने कल्टीवरों को नये कल्टीवरों से प्रतिस्थापित करके तथा प्रदर्शन कृषक प्रशिक्षण आदि के जरिए उत्पादन तथा कटाई पश्चात प्रबंध की उन्नत प्रौद्योगिकियों के प्रचार-प्रसार के जरिए आलू सहित सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बीज निगम तथा राज्य फार्म निगम भी किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराते हैं।

राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के माध्यम से सरकार आलू सहित शीतागार सुविधाओं की स्थापना के लिए उद्यमियों को बैंक-एन्डेड पूंजी निवेश राजसहायता प्रदान करती है। सरकार आलू के मामले में मण्डी हस्तक्षेप स्कीम के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकार के प्रस्तावों का समर्थन भी करती है। इन उपायों से देश में आलू के उत्पादन में वृद्धि करने में मदद मिली है।

जम्मू और कश्मीर में पर्यटन विकास

5343. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू कश्मीर सरकार को पर्यटन विकास हेतु कितनी धनराशि आवंटित/निर्गत की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान राज्य में कितने कार्यों का निष्पादन किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन-किन योजनाओं का प्रस्ताव है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, पर्यटक अवसंरचना के विकास हेतु, जम्मू और कश्मीर में 47 परियोजानाओं के लिए 1338.10 लाख रुपयों की वित्तीय सहायता मंजूर की गई है और आज तक 923.76 लाख रुपए रिलीज किए गए हैं। अभी तक 20 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं।

(ग) पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास उत्पाद/अवसंरचना के विकास एवं गंतव्य विकास तथा वृहद राजस्व सर्जक परियोजनाओं को सहायता हेतु योजना तैयार की है।

[अनुवाद]

कालीकट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान

5344 **श्री रमेश चेन्नितला: क्या नागर विमानन मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालीकट विमानपत्तन से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विमानपत्तन का विकास किये जाने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) मौजूदा समय में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस कालीकट से खाड़ी क्षेत्र के विभिन्न स्थानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमानों का प्रचालन कर रही हैं।

(ख) से (घ) कालीकट एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन के विस्तार एवं आशोधन और उनसे संबंधित कार्यों को करने की एक योजना के लिए 89.48 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्य के शुरू होने की उम्मीद है।

द्विपक्षीय अनुसंधान परियोजना

5345. **श्री एम.के. सुब्बा: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुवाहाटी विश्वविद्यालय और इटली के एक गैर-सरकारी संगठन जिसे यूनेस्को ने मंजुली द्वीप की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के संबंध में द्विपक्षीय अनुसंधान परियोजना के लिए कहा था, ने कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक आरंभ होने की सम्भावना है;

(ग) क्या मंजुली को सांस्कृतिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या असम सरकार ने केन्द्र सरकार से सहायता का अनुरोध किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। यूनेस्को ने सूचित किया है कि भूदृश्यों की सांस्कृतिक विरासत तथा क्षेत्रीय प्रबंधन का मूल्यांकन करने तथा सूचना का विनियम करने के लिए हौलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन के एक इतालवी विशेषज्ञ ने जनवरी, 2003 में यूनेस्को के सहयोग से एक तथ्यान्वेषी मिशन शुरू किया गया था। गुवाहाटी विश्वविद्यालय की भागीदारी की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। मजुली द्वीप समूह में मूर्त तथा अमूर्त दोनों प्रकार की अपार सांस्कृतिक दाय वैष्णव सम्प्रदाय के मठों में परिरक्षित है।

(ङ) और (च) असम सरकार के अनुरोध पर, पर्यटन विभाग, भारत सरकार ने, असम सरकार को, मंजुली द्वीप समूह को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए व्यावहारिकता अध्ययन करने के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं।

सेतुसमुद्रम नहर परियोजना

5346. डा. वी. सरोजा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेतुसमुद्रम नहर परियोजना का तकनीकी-आर्थिक पर्यावरण संबंधी आकलन अध्ययन पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परियोजना पर कार्य आरंभ करने का है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) पोत परिवहन द्वारा कराई गई सूचना के अनुसार, सेतुसमुद्रम नहर परियोजना का तकनीकी-आर्थिक-पर्यावरण संबंधी आकलन अध्ययन पूरा नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

लंबित सिंचाई परियोजनाएं

5347. श्री खेल साय सिंह: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने बनावेल सिंचाई परियोजना, गंगापुर टैंक परियोजना तथा बरोधी टैंक परियोजना के अनुमोदन तथा मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) बनावेल सिंचाई परियोजना के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 10.7.1998 को सिद्धांत रूप में अनुमोदन दे दिया गया था। गंगापुर टैंक परियोजना के लिए वानिकी मंजूरी के प्रस्ताव को 26.2.2003 को राज्य सरकार को लौटा दिया गया था क्योंकि यह निर्धारित प्रारूप में नहीं था। बरोधी टैंक परियोजना के संबंध में 17.2.2003 को राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है।

बेरोजगारी स्तर में कमी

5348. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) ने देश में बेरोजगारी संबंधी अपने नवीनतम विश्लेषण में बताया है कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में बेरोजगारी स्तर कम करने की दिशा में कोई खास प्रयास नहीं किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में बेरोजगारी स्तर के बारे में नवीनतम स्थिति के संबंध में एनएसएस के क्या निष्कर्ष रहे;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों में बेरोजगारी स्तर में कितनी वृद्धि/कमी हुई;

(घ) क्या सरकार ने एनएसएस के निष्कर्षों का विश्लेषण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) वर्ष 1993-1994 एवं 1999-2000 (ताजा सर्वेक्षण) के दौरान चालू दैनिक स्थिति आधार पर देश में बेरोजगारी की अनुमानित दर क्रमश: 5.99% एवं 7.32 के लगभग थी।

(ग) चुनिंदा राज्यों एवं अखिल भारत स्तर पर चालू दैनिक स्थिति आधार बेरोजगारी दरें अनुबंध में दी गई हैं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के निष्कर्ष दर्शाते हैं कि वर्ष 1994-2000 के दौरान देश में बेरोजगार व्यक्तियों की

संख्या बढ़ी है। बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाने के लिए सरकार ने 10वीं योजना के दौरान प्रति वर्ष 10 मिलियन रोजगार अवसर सृजित करने के उपाय एवं कार्यक्रम सुझाने हेतु योजना आयोग में एक विशेष दल का गठन किया। 10वीं योजना को अंतिम रूप देते समय दल की सिफारिशों पर विचार किया गया है।

विवरण

चुनिंदा राज्य	बेरोजगारी दर 1999-2000 (%)	1993-1994 (%)
आंध्र प्रदेश	8.03	6.69
असम	8.03	8.03
बिहार	7.32	6.34
गुजरात	4.55	5.70
हरियाणा	4.77	6.51
हिमाचल प्रदेश	2.96	1.80
कर्नाटक	4.57	4.94
केरल	20.97	15.51
मध्य प्रदेश	4.45	3.56
महाराष्ट्र	7.16	5.09
उड़ीसा	7.34	7.30
पंजाब	4.03	3.10
राजस्थान	3.13	1.31
तमिलनाडु	11.78	11.41
उत्तर प्रदेश	4.08	3.45
पश्चिम बंगाल	14.99	10.06
अखिल भारत	7.32	5.99

सरदार सरोवर परियोजना के प्रभावित लोगों का पुनर्वास

5349. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के निष्पादन के कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में कितने लोग प्रभावित हुए;

(ख) क्या सरकार ने उनके उपयुक्त पुनर्वास हेतु प्रभावी कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) को मुहैया कराई गई सूचना के अनुसार नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना के पूर्ण जलाशय स्तर 138.68 मीटर पर जलमग्नता के कारण प्रभावित परिवारों की संख्या इस प्रकार है:

महाराष्ट्र	3221
मध्य प्रदेश	33014
गुजरात	4728
कुल	40963

(ख) और (ग) सरदार सरोवर परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास का उत्तरदायित्व मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात सरकार का है। प्रत्येक राज्य सरकार ने पुनर्स्थापन और पुनर्वास पैकेज बनाए हैं। जो नर्मदा जल विवादत अधिकरण पंचाट के अनुसार देय पुनर्वास लाभों से बेहतर हैं। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण ने परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के साथ-साथ पूर्ण स्तर तक बांध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए कार्रवाई योजना का अनुमोदन किया है। इस योजना के अनुसार जैसे ही परियोजना से प्रभावित परिवारों का पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास मानीटरिंग अभिकरणों के अनुसार संतोषजनक ढंग से पूरा कर लिए जाते हैं तो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण चरणों में बांध की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति देगा। केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय और नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, अनुमोदित कार्रवाई योजना के अनुसार परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास को शीघ्रता से पूरा करने के लिए राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरदार सरोवर बांध ने पूर्ण जलाशय स्तर तक परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास को शीघ्रता पूरा करने के लिए भी राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही हैं ताकि पूर्ण ऊंचाई तक बांध का निर्माण कर इसे यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।

निजी संचालकों को उड़ान की अनुमति देना

5350. श्री सुबोध मोहिते: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान नागर विमानन मंत्रालय द्वारा विदेशी निजी संचालकों को उड़ान की अनुमति का ब्यौरा क्या है;

(ख) नागर विमानन मंत्रालय से कितने विदेशी निजी संचालक पंजीकृत हैं;

(ग) ऐसी उड़ानों की अनुमति दिए जाने से लाभ कमाने वाले संचालकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस प्रकार की अनुमति देने से इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया का कार्यकरण और लाभ प्रभावित हुआ है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) वायु सेवा समझौते के मुताबिक, एयरलाइनों को विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर परिचालनों के लिए अपने-अपने देशों द्वारा नामजद किया जाता है। उनकी अपनी मेजोरिटी आनरशिप और उस देश के राष्ट्रिकों का सबस्टैंटिव कन्ट्रोल होता है। पिछले एक साल के दौरान श्रीलंका, सिंगापुर, कतर, कीनिया, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, मलेशिया, इटली तथा गल्फ एयर के तीन स्वामी देशों के साथ द्विपक्षीय नागर विमानन वार्ताएं हुई और हर पक्ष के लिए हर दिशा में प्रति सप्ताह लगभग 15000 सीटें क्लियर की गईं। इनमें से कुछ देशों की एयरलाइनों को भारत में अतिरिक्त विमानपत्तनों पर प्रवेश की अनुमति भी दी गयी है।

(ख) इस समय 51 विदेशी एयरलाइनें भारत को/से/में अनुसूचित वायु सेवाएं प्रचालित कर रही हैं।

(ग) विदेशी एयरलाइनों के संबंध में इस तरह के आंकड़े भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(घ) चूंकि यातायात अधिकार आपसदारी के सिद्धांत पर निर्भर होते हैं, भारतीय वाहकों को भी समान अधिकार प्राप्त हैं । इससे भी बढ़कर, प्रचालनों के असन्तुलन के मामले में विदेशी एयरलाइनों को राष्ट्रीय वाहकों के साथ व्यावसायिक समझौते भी करने पड़ते हैं।

नारियल उत्पाद

5351. श्री टी. गोविन्दन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में नारियल उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में नारियल के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई हैं। अखिल भारतीय स्तर पर भी नारियल के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। क्योंकि कुछ राज्यों में जो उत्पादन में कमी आई थी वह अन्य राज्यों में उत्पादन में हुई वृद्धि से बराबर हो गई है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान नारियल के राज्यवार और वर्षवार उत्पादन को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

[हिन्दी]

कृषि के विविधीकरण हेतु सहायता

5352. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कृषि के विविधीकरण हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार बाह्य सहायता की मांग करने के लिए 1792.50 करोड़ रुपये की कृषि नवीकरण और विविधीकरण परियोजना संबंधी संकल्पना कागजात प्रस्तुत किए हैं। परियोजना में 2.5 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार करने के लिए इसे पांच वर्षों की अवधि के लिए तैयार किया गया है।

(ग) प्रस्ताव की भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में जांच की गई है अनुमोदन/टिप्पणियों के लिए इसे योजना आयोग को अग्रेषित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को सहायता

5353. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं/केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाओं के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए आई बी पी) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को कितनी धनराशि जारी की गई?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): पिछले दो वर्षों के दौरान त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार को 6 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए 66.741 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

मत्स्यन क्षेत्र का समेकित विकास

5354. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने सरकार ने राज्य में मत्स्यन क्षेत्र के समेकित विकास हेतु कोई परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजना हेतु कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया और निर्णय क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने विभिन्न पहलुओं को कवर करने वाले ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनमें वित्तीय सहायता मांगी गई थी। इनमें सामाजिक सुरक्षा उपाय जैसे पहलु शामिल थे ताकि उनकी मृत्यु पर मछुआरों की पुत्रियों, आश्रितों के विवाह के लिए उन्हें सहायता दी जा सके , मात्स्यिकी बंदरगाहों तथा मछली उतारने के केन्द्रों का विकास किया जा सके, इसके अलावा, इनमें कल्याण उपाय तथा मछुआरिनों को प्रशिक्षण के पहलू भी शामिल थे इन प्रस्तावों में 30 करोड़ रु. से अधिक की वित्तीय अंतर्निहितायें थी।

(ग) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता चालू योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार प्रस्ताव की प्राप्ति पर दी जाती है। वर्ष 2002-2003 के दौरान, केरल सरकार को 485.49 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है। यदि प्रस्ताव मौजूदा योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं तो राज्य सरकार को सुझाव दिया जाता है कि वह ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे अन्य विभागों द्वारा क्रियान्वित कार्यक्रमों के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पुन: तैयार करे।

पर्यटन योजनाओं को लागू करना

5355. श्री किरीट सोमैया: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों की मदद से पर्यटन क्षेत्र में योजनाओं को लागू करने हेतु कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी योजनाओं को लागू करने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मछुआरों का विकास

5356. डा. मदन प्रसाद जायसवाल: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकर ने मछुआरों के विकास और उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार चालू विभिन्न विकासीय तथा कल्याण योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार प्रस्तावों के प्राप्त होने पर बिहार सहित राज्यों को वित्तीय सहायता देती है। नौवीं योजना (1997-2002) मात्स्यिकी क्षेत्र में इन योजनाओं के तहत बिहार सरकार को 270.45 लाख रुपए की राशि दी गई थी। वर्ष 2002-2003 के दौरान मछुआरों के कल्याण के लिए 156 घरों के निर्माण तथा 15 ट्यूबवेलों को लगाने के लिए बिहार सरकार को 32.10 लाख रुपए की सहायता दी गई है। बिहार सरकार से प्राप्त

238.74 करोड़ रुपए के वित्तीय अंतर्निहिता वाले प्रस्ताव की जिसमें 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मांगी गई है, योजना आयोग के परामर्श से जांच की गई है तथा राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि वह अधिक उत्पादकता तथा मत्स्य उत्पादन के लिए मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की मदद से चल रही सरकारी योजनाओं के तहत निजी क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करें।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का विस्तार

5357. श्री परसुराम माझी: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों के विस्तार हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन इस्पात संयंत्रों का विस्तार किया जा रहा है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उन पर अनुमानित कितनी धनराशि खर्च की जाएगी?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य भूमि को लाना

5358. श्री प्रकाश वी. पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में खेती योग्य भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां तो विशेषकर महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दसवीं योजना के दौरान सिंचित भूमि के प्रतिशत में भारी वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) सिंचाई एक राज्य का विषय होने के कारण, सभी किस्मों की सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों की परिकल्पना, नियोजन, जांच और निष्पादन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके योजना आवंटनों और उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

सिंचाई के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.वी.पी.) के अंतर्गत केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) प्रदान कर रही है ताकि चिह्नित की गई चल रही प्रमुख और मध्यम सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च, 2003 के अंत तक 28 राज्यों को 11541.73 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

भारत सरकार ने निर्माण की प्रगति अवस्था वाली परियोजनाओं को एक वर्ष के समय में पूरा करने के लिए राज्यों को 100% ऋण सहायता प्रदान करने के लिए ए.आई.वी.पी. के अंतर्गत एक फास्ट ट्रैक कार्यक्रम आरंभ किया है।

मार्च, 2003 के अंत तक महाराष्ट्र को राज्य में चल रही 15 प्रमुख और मध्यम परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में 416.10 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है और वर्ष 2002-03 के दौरान फास्ट ट्रैक कार्यक्रम के अंतर्गत 6 अन्य परियोजनाओं के लिए 22.16 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र का दसवीं योजना का परिव्यय 15255.01 करोड़ रुपए है जो सभी राज्यों के लिए एक साथ लिए गए 91849.69 करोड़ रुपए के परिव्यय का लगभग 16% है।

(ग) और (घ) राज्यों के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वीकृत 91849.69 करोड़ रुपए के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के समग्र परिव्यय के अनुसार, दसवीं योजना के दौरान सिंचाई क्षमता का सृजन विद्यमान क्षमता के लगभग 15% बढ़ने की संभावना है। अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए लक्ष्य राज्य सरकारों द्वारा वर्षानुवर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं जो वार्षिक योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए गए परिव्यय पर निर्भर करते हैं।

[हिन्दी]

भगवान बुद्ध के अवशेष

5359. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में किन-किन स्थानों से खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध के अवशेष मिले हैं;

(ख) क्या अवशेषों के उचित रख-रखाव हेतु सिफारिशें करने हेतु 1984 में एक कृतक बल गठित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त कृतक बल ने उक्त अवशेषों को संग्रहालय में रखने की सिफारिश की थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को परियोजनाओं को केन्द्र सरकार के पास भेजने से पहले भूमि प्रदान करने तथा परियोजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया था; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) देश में उत्खनन के दौरान बुद्ध की स्मृति-अवशेष मंजूषाएं विभिन्न स्थानों से मिली हैं जिनके नाम हैं:- वैशाली (बिहार); अमरावती बट्टीप्रोलु, जग्गाययापेट, कावापरम तथा नागार्जुनकोंडा (सभी पांच आंध्र प्रदेश में); अम्बारन (जम्मू और कश्मीर); पिपरहवा (उत्तर प्रदेश); ललितगिरि (उड़ीसा); सांची सोनारी मुरेलखुर्द, अंधेर तथा सतधारा (सभी पांच मध्य प्रदेश में); संधोल (पंजाब); कन्हेरी तथा सोपारा (दोनों महाराष्ट्र में) तथा देवनिमोरी (गुजरात)।

(ख) से (च) केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 1984 में नियुक्त कृतिक बल ने अन्य बातों के साथ-साथ बुद्ध के स्मृति-अवशेषों को रखने के लिए स्तूपों के निर्माण हेतु पिपरहवा, वैशाली तथा अमरावती में स्थलों की पहचान करने की सिफारिश की थी। अमरावती में प्राप्त अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भा.पु.स.) के स्थल संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। वैशाली के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने स्तूप के निर्माण के प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था क्योंकि यह स्थापित पुरातत्वीय मानकों के विरुद्ध था। इसके अलावा, वहां इसका एक स्थल संग्रहालय है। गनवारिया तथा पिपरहवा (प्राचीन कपिलवस्तु) से प्राप्त उत्खनित सामग्री को रखने के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पिपरहवा (जिला सिद्धार्थनगर), उत्तर प्रदेश में पहले ही एक संग्रहालय भवन का निर्माण कर लिया है।

[अनुवाद]

मदर डेयरी के फल और सब्जी बूथ

5360. श्री ए.सी. जोस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मदर डेयर के बूथ स्थापित करने हेतु एमसीडी/एनडीएमसी अथवा राज्य सरकार से ली गई भूमि का ब्यौरा क्या हैं और उसकी शर्तें क्या हैं;

(ख) क्या उक्त बूथों ने फलों तथा सब्जियों के अलावा बहुत सी अन्य वस्तुएं रखना तथा बेचना प्रारंभ कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो बूथों द्वारा फलों तथा सब्जियों के अलावा बेची जाने वाली अन्य वस्तुओं की सूची क्या है;

(घ) ऐसी वस्तुएं किन स्रोतों से खरीदी जाती हैं और क्या ये वस्तुएं घटिया स्तर की होती हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी घटिया वस्तुओं की खरीद रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) फल और सब्जी बूथ स्थापित करने के लिए भूमि विभिन्न स्थानीय और अन्य प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस पर दी जाती है। विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा आवंटित स्थलों की संख्या नीचे दी गई है:-

प्राधिकरण	स्थलों की संख्या
दिल्ली विकास प्राधिकरण	155
दिल्ली नगर निगम	39
दिल्ली नगर निगम (एस एंड जे जे)	18
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	05
भूमि और विकास कार्यालय	26
दिल्ली प्रशासन	02
दिल्ली छावनी	02
नोएडा	18
फरीदाबाद हुड़ा	03
रेलवे	02
अन्य	12
कुल	282

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न फल और सब्जी बूथों द्वारा बेची जाने वाली अन्य वस्तुओं की सूची नीचे दी गई है:-

मदर डेयर ब्रांड

पालीपैक के दूध, आईस्क्रीम, दिल्ली मिस्टी दही, लस्सी फ्लेवर्ड दूध, मक्खन।

सफल ब्रांड

फ्रोजन सब्जियां, जैम, आचार, प्यूरी, स्क्वेश कैचअप, फ्रूटबिक्स, चावल, नमकीन।

धारा ब्रांड

विभिन्न खाद्य तेल।

विभिन्न राज्य सहकारी परिसंघ/संघ के उत्पाद

घी, पनीर, क्रीम, वेजीटेबल आयल, मसालें।

(घ) फल और सब्जी बूथों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं को मदर डेयरी फूड प्रसंस्करण लिमिटेड और विभिन्न राज्य सहकारी डेयरी परिसंघ/संघों द्वारा सप्लाई किया जाता है। बेची जाने वाली वस्तुएं घटिया किस्म की नहीं होती हैं।

(ङ) उपरोक्त (घ) को देखते हुए लागू नहीं होता।

जाली प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र

5361. **डा. चरणदास महंत:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व बैंक की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, मुम्बई, बंगलौर तथा कुछ अन्य शहरों में जाली प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) विश्व बैंक अध्ययन में प्रदूषण नियंत्रक (पी यू सी) प्रमाण पत्र सिस्टम सहित वाहन उत्सर्जन निरीक्षण प्रणाली की प्रभावी क्षमता को सुधारने के लिए अपेक्षित संशोधन हेतु क्षेत्रों की पहचान की गई है।

(ग) वाहनों की नम्बर प्लेटों की रिकार्डिंग के लिए वेब कैमरा की शुरूआत करके प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र सिस्टम को सशक्त बनाया गया है। राज्य सरकारों द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

सफदरजंग विमानपत्तन

5362. **श्री रामशेठ ठाकुर:**
श्री अशोक ना. मोहोल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रतिष्ठित सफदरजंग विमानपत्तन को बंद करने और अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने हेतु क्षेत्र का व्यावसायीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा क्षेत्र के सौन्दर्यकरण और पर्यावरण के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाये गए है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास सफदरजंग विमानपत्तन सहित अपने विभिन्न विमानपत्तनों पर खाली पड़ी भूमि के लिए विस्तृत योजना बनाने के लिए वास्तुविद/सलाह नियुक्त करने की योजना है।

(ग) इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किये जाने वाले सलाहकार को अपना प्रस्ताव इस ढंग से तैयार करना होगा ताकि क्षेत्र का सौंदर्य ओर पर्यावरण बना रह सके।

मछली उतराई केन्द्रों का निर्माण

5363. **श्री सी. श्रीनिवासन:**
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विशेषकर कर्नाटक में कोदीवेंगरे में मछली उतराई केन्द्रों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता स्वीकृत और जारी करने के लिए कुछ राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों की स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) जी, हां। मछली उतारने के केन्द्रों के निर्माण के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत संघ सरकार द्वारा स्वीकृत कर्नाटक में कोडिबेंगरे सहित विभिन्न राज्यों में चल रही परियोजनाओं का स्थल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	50 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत स्वीकृत मछली उतारने के केन्द्रों के साथ राज्यों के नाम	स्वीकृत लागत	50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के विरुद्ध जारी धनराशि	प्रस्ताव की स्थिति
1	2	3	4	5
(1)	आंध्र प्रदेश			
1.	मंगीपुडी एफएलसी	17.00	2.10	राज्य सरकार से प्रगति रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है।
2.	बरूआ एफएलसी	83.00	22.00	मार्च, 2003 में अनुमोदित राज्य सरकार ने निर्माण कार्य अभी शुरू करना है।
3.	पेरूपलेम एफएलसी	88.86	24.00	तदैव
4.	गोंडिसमुद्रम एफएलसी	88.86	23.90	तदैव
5.	इसकपल्ल्पट्टपुपलेम एफएलसी	85.62	23.00	तदैव
6.	थाचिटपलेम एफएलसी	84.86	23.00	तदैव
7.	नवालेरेवु एफ एफलसी	79.35	23.00	तदैव
8.	बंद्रेबंदुपेट्टा एफएलसी	79.00	23.00	तदैव
9.	चिंतापुल्ली एफएलसी	79.77	23.20	तदैव
10.	पुडीमदका एफएलसी	78.00	22.60	तदैव
11.	मुक्कम एफएलसी	79.77	23.20	तदैव
12.	मायपडु एफएलसी	81.16	23.525	तदैव
(2)	कर्नाटक			
1.	अल्वेकोडि एफएलसी	89.53	10.00	केवल 4% परियोजना कार्य पूरा हुआ है।
2.	बेलिकेरी एफएलसी	67.40	25.00	राज्यों द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में संशोधन के कारण राज्यों द्वारा परियोजना कार्य अभी शुरू नही किया गया है।
3.	हेजोमोदिकोडि एफएलसी	95.00	47.50	90% परियोजना कार्य पूरा हो गया है।
4.	कोडिबेंगरे एफएलसी	55.50	27.75	जेटी 1.10.2000 को खुल गई।
(3)	उड़ीसा			
1.	कोर्तानिया एफएलसी	172.00	86.00	परियोजना कार्य पूरा होने वाला है।
2.	पेंथाकटा एफएलसी	80.20	5.00	राज्य द्वारा परियोजना कार्य अभी हाथ में लिया जाना है।

1	2	3	4	5
	3. तालासारी एफएलसी	162.10	81.05	परियोजना पूरी होने वाली है।
	4. गोपालपुर ऑन सीएफएलसी	96.00	48.00	लैंडिंग प्लेटफार्म, नीलामी हॉल नेट मेंडिंग शेड पैदल पथ और एप्रोच रोड का निर्माण पूरा हो गया है।
	5. हटा बराड़ी एफएलसी	62.00	16.00	राज्य से प्रगति रिपोर्ट नहीं मिली हैं।
	6. नैरी चरण-3 एफएलसी	38.86	15.00	राज्य से प्रगति रिपोर्ट नहीं मिली हैं।
	7. बालूगांव एफएलसी	235.50	57.75	मार्च, 2003 में स्वीकृत। राज्य सरकार ने अभी निर्माण कार्य शुरू करना है।
(4)	महाराष्ट्र			
	1. सरजेकोटा	30.00	–	राज्य ने निर्माण अभी शुरू नहीं किया है।
	2. अलीबाग कोलीवाडा एफएलसी	32.53	16.265	90% परियोजना कार्य पूरा।
	3. एकदारा कोलीवाडा एफएलसी	38.86	19.33	कार्य पूरा राज्य ने पूरा होने की रिपोर्ट भेजनी है।
	4. तरकारली एफएलसी	53.38	26.67	-वही-
	5. अचरा पीरवाडा	55.16	27.58	कार्य प्रगति पर
	6. तारा मुमब्री एफएलसी	97.02	48.51	कार्य पूरा। राज्य ने पूरा होने की रिपोर्ट भेजनी है।
	7. राजपुरी कोलीवाडा	73.96	36.98	-वही-
(5)	गुजरात			
	1. नवबंदर एफएलसी	163.30	55.00	राज्य द्वारा परियोजना के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति ली जा रही है।
	2. धामलेज एफएलसी	31.00	8.00	कार्य प्रगति पर
(6)	केरल			
	1. मोयलाली कुद्दापुरम एफएलसी	85.20	42.60	परियोजना के मुख्य मदें पूरी हो गई हैं।
	2. कन्हेजड एफएलसी	28.42	2.50	राज्य के निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया है।
	3. थिकोड़ी एफएलसी	49.25	24.625	परियोजना के मुख्य मदें पूरी हो गई हैं।
	4. पूवर एफएलसी	26.99	2.50	राज्य के निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया है।
	5. कदापडा एफएलसी	18.52	9.26	कार्य प्रगति पर
	6. कटोरपोलाथाई एफएलसी	50.25	25.125	कार्य पूरा। राज्य ने अभी पूरा होने की रिपोर्ट भेजनी है।
(7)	तमिलनाडु			
	1. आरकोकुटोकुरई	132.32	35.00	राज्य ने निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया है।

1	2	3	4	5
2.	वीरपंडियपटिनम	132.32	35.00	-वही-
3.	पुलिकट	132.32	66.16	70% परियोजना कार्य पूरा
4.	पुनाकयाल	132.32	66.16	80% परियोजना कार्य पूरा
5.	थेंगापटिनम	132.32	35.00	राज्य ने निर्माण कार्य अभी शुरू नही किया है।
6.	मुदासलोदाई	132.32	66.16	80% परियोजना कार्य पूरा
7.	पम्बन	132.32	35.00	राज्य ने निर्माण कार्य अभी शुरू नही किया है।
8.	जगतपटिनम	132.32	66.16	80% परियोजना कार्य पूरा।
9.	नागपटिनम	132.32	35.00	राज्य ने निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं किया है।
10.	सेथुपवस्त्रम	132.32	66.16	70% परियोजना कार्य पूरा
(8)	गोवा			
1.	मालिम एफएलसी	89.25	44.625	कार्य प्रगति पर
2.	कटथाना एफएलसी	89.20	44.60	70% परियोजना कार्य पूरा
3.	कोटालिम एफएलसी	89.31	44.655	80% परियोजना कार्य पूरा

उर्वरकों की कम खपत

5364. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में उर्वरकों की कम खपत वाले क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो पता लगाये गए ऐसे क्षेत्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उर्वरकों की खपत के स्तर में मानक स्तर तक वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं;

(घ) क्या उर्वरकों की खुदरा कीमतों में बार-बार परिवर्तनों के कारण खपत कम हो गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) वर्ष 2001-02 के दौरान देश में फसलगत क्षेत्र के लिए औसत उर्वरक उपभोग 90.1 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर है। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, उत्तरांचल के पहाड़ी इलाके, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों (मणिपुर के अलावा) में उपभोग राष्ट्रीय औसत से कहीं कम है। सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों का उपभोग वर्षा सिंचित क्षेत्रों से सामान्यत: अधिक है।

(ग) सरकार समेकित जल, पौषणिक तथा पनधारा बंध और उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग, इसके साथ ही देश में भिन्न उर्वरक उपभोग क्षेत्रों में उच्च पौषणिक उपयोग को बढ़ाने के लिए जैविक खाद और जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है।

इन क्षेत्रों में उर्वरक उपभोग और फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए भू जल स्रोतों के उचित उपयोग हेतु सरकार "पूर्वी भारत में फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए फार्म जल प्रबंध" स्कीम कार्यान्वित कर रही है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2000-01 और 2002-03 के दौरान मुख्यत: देश में चल रही सूखा परिस्थितियों के कारण उर्वरकों का उपभोग घटा है और न कि उर्वरकों के एम.आर.पी. बढ़ने के कारण।

[हिन्दी]

सी.सी.एल. धोरी क्षेत्र के अंतर्गत विस्फोट के कारण घायल/मारे गए व्यक्ति

5365. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) झारखंड राज्य के बोकारो जिले में सी सी एल, धोरी क्षेत्र के अंतर्गत अमल परियोजना का विस्तार करते हुए किए गए विस्फोट में अभी तक कितने लोग घायल हुए/मारे गए;

(ख) क्या घायल/मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों को पर्याप्त मुआवजे का भुगतान किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आज की तिथि के अनुसार मुआवजों के भुगतान से संबंधित कितने मामले विचाराधीन हैं; और इन्हें कब तक निपटाये जाने का प्रस्ताव हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) पिछले दस वर्षों के दौरान, खान सुरक्षा महानिदेशालय को सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, धोरी क्षेत्र के अंतर्गत अमल परियोजना में विस्फोट की वजह से 10.12.1998 को केवल एक दुर्घटना की सूचना मिली। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति मारा गया और एक अन्य को मामूली चोटे आयीं।

(ख) से (घ) मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया क्योंकि मारा गया व्यक्ति खान में नियोजित नहीं था। तथापि, प्रबंधक द्वारा उनके परिवार को अन्त्येष्टि क्रिया के लिए 15,000 हजार रुपये की राशि का भुगतान किया गया था।

(ङ) मुआवजे का भुगतान खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा विनियमित नहीं किया जाता, अत: ये ब्यौरे मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

केरल में सहकारी क्षेत्र हेतु धनराशि

5366. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल के सहकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई है; और

(ख) वर्ष 2003-04 के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) ने गत तीन वर्षों (2000-01 से 2002-03) के दौरान केरल के सहकारी क्षेत्र में 187.847 करोड़ रुपए की स्वीकृति की हैं।

(ख) राज्य-परिव्यय का निर्णय गत वर्ष में निधियों की उपयोगिता और अगले वर्ष के दौरान शुरू किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2003-2004 के लिए केरल का परिव्यय लगभग 50.00 करोड़ रुपए होने की संभावना है।

[हिन्दी]

अवैध प्रव्रजन

5367. श्री हरीभाऊ शंकर महालेः क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नौकरी तलाश में विदेश गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों से अवैध रूप से विदेश जाकर नौकरी कर रहे व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेश में रोजगार ग्रहण करने के लिए उत्प्रवासी संरक्षकों द्वारा 8.90 लाख व्यक्तियों को उत्प्रवास अनुमति दी गयी थी।

(ख) ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) अवैध रूप से प्रवास का जब भी कोई मामला सरकार की जानकारी में आता है तब अपने संबंधित मिशन के साथ समन्वय करते हुए अवैध रूप से गए प्रवासियों को वापस भेजने की कार्रवाई की जाती है और साथ-साथ कानून के अंतर्गत जांच और अभियोजना के लिए संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के पास

रिपोर्ट दर्ज की जाती हैं । यदि कोई भर्ती एजेंट शामिल होता है तो उसका पंजीकरण निलंबित/निरस्त करने और पुलिस प्राधिकारियों के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रयुक्त राडार प्रणाली

5368. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा द्वितीय (सेकेण्डरी) राडार के प्रयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वायुसेना ने भारतीय विमानन प्राधिकरण को प्राइमरी राडार का प्रयोग करने की सलाह दी थी;

(ग) यदि हां, तो प्राइमरी राडार प्राप्त करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उड्डयन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यथाशीघ्र प्राइमरी राडार प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी हां। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सिविल प्रचालनों के लिए वायु यातायात नियंत्रण के उद्देश्य से प्राइमरी राडारों की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की प्राइमरी राडार देने की कोई योजना नहीं है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओं) की जरूरतों के मुताबिक वायु प्रचालनों की सुरक्षा के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लगाए गये सेकेंडरी राडार पर्याप्त हैं।

विपणन यार्ड और गोदामों की स्थापना

5369. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सहित कई राज्य सरकारों ने किसानों को अतिरिक्त भंडारण और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विपणन यार्डों तथा सरकारी गोदामों की स्थापना का कोई प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव अभी भी केन्द्र सरकार के समक्ष लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पर कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है तथा राज्य-वार कितनी सहायता दिए जाने का प्रस्ताव हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) सरकार ने ग्रामीण गोदामों के विनिर्माण/पुनरूद्धार/विस्तार हेतु पूंजी निवेश राजसहायता की एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना शुरू की है। यह योजना राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) के माध्यम से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय जो इस मंत्रालय का सम्बद्ध कार्यालय है, के द्वारा कार्यान्वित की गई है। गुजरात सरकार की ओर से ग्रामीण गोदामों के विनिर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विपणन यार्डों एवं गोदामों के विनिर्माण हेतु नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित ग्रामीण अवस्थापना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) की योजना के तहत, बिहार, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक केरल तथा त्रिपुरा राज्य सरकारों ने विपणन यार्डों एवं गोदामों के विनिर्माण हेतु ऋण प्राप्त किए हैं। गुजरात राज्य सरकार से विपणन यार्डों/गोदामों के विनिर्माण हेतु आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत सहायता की मांग का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ हैं।

नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ. के तहत विपणन यार्डों/गोदामों हेतु स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

शेष राज्यों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

आर.आई.डी.एफ. के तहत विपणन यार्डों/गोदामों हेतु स्वीकृत योजनाओं की राज्य-वार स्थिति

(रु. करोड़ में)

आर.आई.डी.एफ./ट्रांच राज्य	योजनाओं की संख्या	स्वीकृत धनराशि
आर.आई.डी.एफ. III		
जम्मू	18	20.93
आर.आई.डी.एफ. V		
कर्नाटक	7	2.12
आर.आई.डी.एफ VI		
कर्नाटक	13	2.19
त्रिपुरा	5	4.05
आर.आई.डी.एफ VII		
बिहार	1311	39.30
कर्नाटक	16	1.81
केरल	108	9.72
कुल	1478	80.12

समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण

5370. **श्री मोहन रावले:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी 2002 में महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने के लिए समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण नामक योजना भेजी थी; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार ने समृद्ध विरासत संबंधी किसी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक के संरक्षक के लिए केन्द्र सरकार से फरवरी, 2002 में अनुरोध नहीं किया है। तथापि, केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र में केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों के संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं आरंभ की है तथा वर्ष 2002-2003 के दौरान इन पर 319.87 लाख रु. का व्यय किया है।

क्रोमाइट खानों के श्रमिकों की सुरक्षा

5271. **श्री के.पी. सिंह देव:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के सुकिन्दा घाटी में क्रोमाइट खानों के प्रबंधन द्वारा इस क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के कारण तपेदिक तथा बीमारियों से ग्रस्त श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संकटों से खान श्रमिकों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) धात्विक खान विनियम, 1961 के विनियम 124 के अंतर्गत खान कामगारों के धूल से बचाव हेतु तथा खान विनियमावली, 1955 के विनियम 29 ख में उनकी नियोजन पूर्व एवं प्रत्येक 5 वर्षों में आवधिक चिकित्सा जांच के विस्तृत प्रावधान हैं। खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान खानों में इन प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति की जांच की जाती है और कोई कमी पाए जाने पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

विमानपत्तनों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं

5372. **श्री भास्करराव पाटील:**
श्री नरेश पुगलिया:
श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राउंड हैंडलिंग को खासतौर पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सौंपने का उनका निर्णय निजी विमानन कंपनियों को प्रभावित करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) निजी विमानन कंपनियों के हितों की अनदेखी करने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार किया जा रहा है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राज सहायता की वसूली

5373. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि खादी का उत्पादन करने वाली कई इकाइयों और उद्यमियों के पास खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बड़ी धनराशि फंसी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या खादी का उत्पादन किए बिना इन इकाइयों द्वारा राजसहायता प्राप्त की गयी;

(ग) यदि हां, तो ऐसी इकाइयों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध कितना बकाया है;

(घ) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बकाया राशि की वसूली हेतु गंभीर प्रयास नहीं किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त बकाया की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और खादी और ग्रामोद्योग आयोग की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। खादी का उत्पादन कर रही इकाइयों को छूट के रूप में सब्सिडी दी जाती है, जोकि खादी उत्पादन पर आधारित न होकर खुदरा बिक्री पर आधारित है ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र योजना (आई एस ई सी) के अंतर्गत ब्याज के रूप में सब्सिडी के मामले में यह वित्तपोषण करने वाले बैंकों को उपयोगिता के सिद्धांत पर जारी किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) से (च) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) राज्य बोर्डों तथा खादी संस्थानों से अपनी देय राशियों की वसूली के लिए संगठित प्रयास कर रहा है। कार्यशील पूंजी के रूप में निधियां वसूल नहीं की जाती है, क्योंकि कार्यान्वयन अभिकरण उन्हें अपने पास रोक कर खादी के सतत उत्पादन के लिए पुन: प्रयोग कर सकते हैं। केवल पूंजीगत व्यय ऋणों का ही भुगतान किस्तों में होता है। के.वी.आई.सी. ने 31.3.2002 तक 172.59 करोड़ रुपये का मूलधन पहले ही वसूल कर लिया है। और आगे खादी ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम (धारा 19-बी) के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न राज्यों की सक्षम अदालतों में वसूली के लिए मामले भी फाईल किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त देय राशियों की शीघ्र एवं प्रभावपूर्ण वसूली सुनिश्चित करने के लिए वसूली निष्पादन का अनुवीक्षण किया जा रहा है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.)

5374. **श्री चन्द्रनाथ सिंह:**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के कारण छोटे किसान विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त करने में असफल रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त इस प्रकार की शिकायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने छोटे किसानों को विभिन्न फसलों के लिए सीधे एम.एस.पी. का लाभ देने की कोई योजना बनायी हैं;

(घ) यदि हां, तो इस योजना के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) बागवानी और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) सरकार प्रत्येक मौसम में प्रमुख कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है और सार्वजनिक तथा सहकारी एजेंसियों भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.—धान, गेहूं और मोटे अनाज) भारतीय पटसन निगम (जे.सी.आई.-जूट) भारतीय कपास निगम (सी.सी.आई.-कपास), राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड-दलहन तथा तिलहन) तथा तम्बाकू बोर्ड (तम्बाकू) के अलावा राज्य सरकारों द्वारा नामित अन्य एजेन्सियों के माध्यम से खरीद कार्य आयोजित करती है। यदि बाजार मूल्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे गिर जाते हैं तो नामित केन्द्रीय नोडल एजेन्सियों को खरीद कार्य करने के लिए मण्डी में हस्तक्षेप करना होता है। हाल ही के वर्षों में प्रमुख कृषि जिन्सों की भारी मात्रा में खरीद हुई है। खरीद कार्यों की मानिटरिंग की जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे चल रहे मूल्यों के मामले संबंधित विभागों/मंत्रालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जाते हैं।

(ङ) सरकार बागवानी के संवर्धन के लिए कई स्कीमें कार्यान्वित कर रही है और इनमें जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी के

एकीकृत विकास के कार्यक्रम सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में बागवानी के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड तथा नारियल विकास बोर्ड आदि द्वारा शुरू की गई विभिन्न स्कीमें शामिल हैं।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक नई स्कीम "राष्ट्रीय आर्गेनिक खेती परियोजना" के प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा रही है जिसमें एक राष्ट्रीय आर्गेनिक खेती संस्थान की स्थापना, आर्गेनिक खेती के लिए क्षमता निर्माण, आर्गेनिक खेती का संवर्धन और विस्तार आदि शामिल है।

[हिन्दी]

विशेष ग्रामीण उद्योग कोष की स्थापना

5375. श्री राधामोहन सिंह: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गांवों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए निकट भविष्य में विशेष ग्रामीण उद्योग कोष की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग के विकास के लिए विशेष रियायतें तथा प्रोत्साहन देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे लागू करने के लिए राज्य सरकारों को कब तक सूचित किए जाने की संभावना है?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग के विकास के लिए पहले ही विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) का कार्यान्वयन देश में खादी और ग्रामोद्योग (के.वी.आई.सी.) द्वारा किया जा रहा है। मार्जिन मनी सहायता 10.00 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए 25% की दर से प्रदान की जाती है तथा 10.00 लाख रुपये से ऊपर की तथा 25 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए 10 लाख रुपये तक के लिए 25% की दर से मार्जिन मनी दी जाती है, जमा शेष परियोजना लागत के लिए 10% की दर से प्रदान की जाती है। अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग/महिलाओं/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपूर्व सैनिक तथा अल्प समुदाय के हितग्राही/संस्थान और पहाड़ी बार्डर और आदिवासी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप के मामले में 10.00 लाख रुपये तक की परियोजना लागत के लिए मार्जिन मनी अनुदान 30% की दर से परन्तु इसे ऊपर तथा 25.00 लाख रुपये तक की परियोजना के लिए 10 लाख रुपये तक यह 30% की दर से जमा शेष परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की दर से प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

बीना नदी परियोजना के विस्थापित परिवारों का पुनर्वास

5376. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में बीना नदी परियोजना के कार्यान्वयन के कारण कितने परिवारों के विस्थापित होने की संभावना है;

(ख) उनके पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम प्रस्तावित हैं; और

(ग) इस परियोजना पर अब तक क्या प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बीना नदी परियोजना इस समय अन्वेषण अवस्था में है अत: विस्थापित होने वाले परिवारों की संख्या नही बताई जा सकती।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

संक्रमित पौध सामग्री के आयात में अनियमितताएं

5377. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 की रिपोर्ट संख्या-2 के पैरा 6.2 में राजस्व हानि का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने उन परिस्थितियों की जांच की है जिसके अंतर्गत पौध संरक्षण अधिकारी वर्ष 1987 से 2000 तक के दौरान आयातित पौध सामग्री का निरीक्षण करने में असफल रहा और जिसके परिणामस्वरूप देश में संक्रमित पौध सामग्री के आयात से

जोखिम उत्पन्न हुआ और 1.66 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(च) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 1987 से जुलाई 2000 तक देश में पौध सामग्री की सभी खेपों के आवश्यक प्रमाणीकरण के बिना आयात से देश में संक्रमित पौध सामग्री के आयात का खतरा बना और 1.66 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई तथा इस अवधि के दौरान इस कार्यालय पर हुआ 81.59 लाख रुपये का व्यय निष्फल रहा। पौध संरक्षण अधिकारी से प्रमाणीकरण के बगैर खेपों को निर्मुक्त करने में कस्टम प्राधिकारी भी गलती कर रहे थे और इस मामले की कस्टम प्राधिकारियों तथा कृषि मंत्रालय दोनों द्वारा जांच किए जाने की जरूरत है।

(ग) से (च) निदेशक (निरीक्षण), लेखा परीक्षा (केन्द्रीय) के निदेशक का कार्यालय कोलकता को विभाग की टिप्पणियां पहले ही भेजी जा चुकी हैं। टिप्पणियों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है। जुलाई, 2000 से कस्टम प्राधिकारी खेपों को भेज रहे हैं और इनकी संगरोध जांच की जा रही है।

विवरण

31.3.2001 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, संघ सरकार (सिविल) में शामिल करने हेतु पौध संगरोध स्टेशन कलिंगपोंग से संबंधित "राजस्व की हानि" के संबंध में मसौदा पैराग्राफ

अनियमितताओं के मुद्दे

1. सितंबर, 1987 से जुलाई, 2000 तक आयातित पौध सामग्री की सभी खेपों को पी.पी.ओ. से बिना किसी आवश्यक प्रमाण-पत्र के देश में आने की अनुमति थी। सम्पूर्ण लापरवाही और असफलता के कारण देश में संक्रमित पौध सामग्री के आयात का खतरा बना और सितंबर, 1987 से जुलाई, 2000 के लिए 1.66 करोड़ रुपये की राजस्व हानि हुई।

2. चूंकि पी.पी.ओ. ने संक्रमित पौध सामग्री का ऐसा कोई एक भी निरीक्षण नहीं किया, सितंबर, 1987 से जुलाई 2000 की अवधि के दौरान उनके कार्यालय पर व्यय की गई राशि का एक बड़ा भाग जो 81.59 लाख रुपये था, निष्फल था।

टिप्पणियां

लेखा परीक्षा ने स्वयं यह टिप्पणी की है कि पी.पी.ओ. सितंबर 1987 से जुलाई, 2000 की अवधि के लिए कृषि उत्पादों की आयातित खेपों की जांच नहीं कर सका क्योंकि कस्टम प्राधिकारी (जिनके लिए पी.पी.ओ. से निरीक्षण और स्वीकृति प्रमाण-पत्र के बाद ही इन खेपों को निर्मुक्त करना अनिवार्य था) ने पौध संगरोध स्टेशन (पी.पी.ओ.) पानी टंकी को इन खेपों के बारे में सूचित नहीं किया और बिना किसी निरीक्षण के इन खेपों को निर्मुक्त कर दिया। लेखा परीक्षा द्वारा वह भी उल्लेख किया गया कि कस्टम अधीक्षक, भूमि कस्टम केन्द्र पानी टंकी ने नकसलवाड़ी मंडल के सहायक कस्टम आयुक्त को इस संबंध में निर्देश लेने के लिए केवल दिसम्बर 1998 में लिखा। निर्देशों के प्राप्त न होने के कारण कस्टम अधीक्षक भूमि कस्टम केन्द्र, पानी टंकी ने जुलाई 2000 तक पी.पी.ओ. को आयातित पौध सामग्री की कोई खेप नहीं भेजी। पी.पी.ओ. द्वारा निरीक्षण केवल अगस्त 2000 से शुरू हो सके जब इन खेपों के निरीक्षण हेतु पी.पी.ओ. को कहा गया। आगे यह भी कहा गया है कि आलोच्य अवधि के दौरान पौध संगरोध स्टेशन, पानी टंकी में कृषि जिंसों का निरीक्षण न करने का पौध संगरोध स्टेशन, पानी टंकी में पौध संरक्षण अधिकारी की ओर से की गई लापरवाही अथवा किसी प्रकार की चूक नहीं थी क्योंकि पौध संगरोध अधिकारी की ऐसी खेपों का निरीक्षण करने हेतु न तो कोई पहुंच थी और न ही उसके पास कोई अधिकार था जब तक प्रवेश/आयात दस्तावेजों के बिल में अधिकारिक तौर पर कस्टम विभाग द्वारा उन्हें जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। संदर्भावधि के दौरान किसी आयातकर्त्ता अथवा उनके कस्टम एजेंटों ने प्रवेश बिलों के साथ पौध संरक्षण अधिकारी पानी टंकी से संपर्क नहीं किया। आगे यह उल्लेख किया जाता है कि एल.सी.एस. पानी टंकी में कस्टम अधिकारियों ने समय-समय पर उनके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए बहुत से अनुदेशों के बावजूद ऐसी किसी खेप का उल्लेख नहीं किया।

पौध संगरोध स्टेशन पानी टंकी को खोलना डी.आई.पी. अधिनियम, 1914 और पी.एफ.एस. आदेश, 1989 के प्रावधानों के तहत कानूनी/सांविधिक आवश्यकताओं के कार्यान्वयन के लिए एक अनिवार्य कदम था। आलोच्य अवधि के दौरान सामग्री का निरीक्षण न करना पौध संरक्षण अधिकारी (पी.पी.ओ.) के नियंत्रण से बाहर था क्योंकि सक्षम कस्टम अधिकारियों ने निरीक्षण/निर्मुक्त के लिए पौध संगरोध स्टेशन पानी टंकी में पौध सामग्री नहीं भेजी। हालांकि, सितबंर 1987 में पौध संगरोध स्टेशन पानी टंकी की स्थापना से प्रमुख पौध संगरोध कार्यकलाप के रूप में पी.एस.सी.एस. को जारी किया जाता रहा है जिसका कस्टम अधिकारियों से संबंध नहीं है।

अनियमितताओं के मुद्दे

3. कस्टम अधिकारी भी पी.पी.ओ, से निरीक्षण और प्रमाणीकरण के बिना खेपों की निर्मुक्त करने के कारण गलती कर रहे थे।

4. ऐसी गंभीर गलतियों के लिए जिससे कि वित्तीय हानियां होने के अलावा देश में संक्रमित पौध सामग्री के आने का खतरा बना रहता है के मामले में कस्टम अधिकारी और कृषि मंत्रालय दोनों के द्वारा जांच की आवश्यकता है।

टिप्पणियां

पानी टंकी में पौध संगरोध अधिकारी अथवा अन्य पौध संगरोध अधिकारी गलती पर नहीं थे। चूंकि कस्टम प्राधिकारियों ने खेपों को उनके पास नहीं भेजा था और उसका पौध संगरोध दृष्टिकोण से निरीक्षण किए बिना निर्मुक्त किया था अत: वे ही इस गलती के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि पौध/पौध सामग्री को पौध संगरोध स्टेशन पानी टंकी को भेजने की कानूनी बाध्यता की उनकी जिम्मेदारी है। इससे आगे यह कहा गया है कि पौध संगरोध अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सभी संभव कदम उठाए गए और खेपों को पौध संगरोध निरीक्षण कराने के लिए कस्टम अधिकारियों से संपर्क किया गया था।

पूर्वोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए तथा खेपों का पौध संगरोध निरीक्षण कराने के लिए पी.पी.ओ. पानी टंकी द्वारा किए गए प्रयासों के प्रकाश में भी कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग पौध संरक्षण संगरोध और संचयन निदेशालय तथा पौध संगरोध स्टेशन पानी टंकी के संदर्भानुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट से पैराग्राफ हटाने का अनुरोध किया जाता है।

श्रम बोर्ड से सीटू और एआईटीयूसी का हट जाना

5378. श्री सुनील खां: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीटू तथा एआईटीयूसी के प्रतिनिधि श्रम बोर्ड से हटा दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) और (ख) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के नामितियों के नामों पर अंतिम निर्णय लेने की दृष्टि से छ: कर्मचारी संगठनों से नामों का पैनल भेजने का अनुरोध किया गया था। तथापि एटक और सीटू से नामों के पैनल प्राप्त नहीं हुए हैं और उन्हें नामों के पैनल भेजने का पुन: अनुरोध किया गया है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफ.पी.आई.) में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग शुरू करना

5379. श्री अशोक ना. मोहोल: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या एफ.पी.आई. पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने का बड़ा प्रभाव पड़ा है;

(ग) एफ.पी.आई. के लिए अधिक विदेशी निवेश पाने में सरकार किस सीमा तक सफल रही है; और

(घ) महाराष्ट्र में एफ.पी.आई. के विकास के लिए केन्द्र सरकार कितनी सहायता देने पर सहमत हुई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन.टी. षणमुगम): (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि इस बारे में कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) ताड़ के कच्चे तेल और उसके खंडों, अन्य सोया तेल और उसके खंडों को छोड़कर, अप्रैल-नवम्बर, 2001 की अवधि की तुलना में अप्रैल-नवम्बर 2002 की अवधि के दौरान आयातित अधिकांश प्रसंस्कृत खाद्य मदों के आंकड़े कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं दर्शाते।

(ग) जुलाई, 1991 से नवम्बर, 2002 तक महाराष्ट्र के लिए कुल 1207.15 करोड़ रु. के कुल पूंजी निवेश वाले 125 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं।

(घ) मंत्रालय की स्कीमें राज्य या क्षेत्र विशेष नहीं हैं। इसलिए महाराष्ट्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विकास के लिए कोई विशिष्ट निधि आवंटित नहीं की गई है।

भाड़े पर केबिन कर्मचारी

5380 श्री विनय कुमार सोराके: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया द्वारा ठेका आधार पर 300 केबिन कर्मचारियों की सेवाएं लेने के हाल के प्रयास को मजदूर/कर्मचारी संघों द्वारा ठुकरा दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या एअर इंडिया को नियमित आधार पर केबिन कर्मचारी भर्ती करने पड़े थे;

(ग) क्या अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों की लोचदार भर्ती नीति है; और

(घ) यदि हां, तो एअर इंडिया द्वारा श्रमिक संघों के दबाव की रणनीति के समक्ष झुकने के क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जी, नहीं। तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए विगत में एअर इंडिया द्वारा फ्लाइंग/ग्राउंड ड्यूटी के लिए ठेके पर स्टाफ की भर्ती करने का निर्णय लिया गया। परिणामस्वरूप यह महसूस किया गया था कि अतिरिक्त केबिन क्रू की आवश्यकता लम्बे समय तक बनी रहेगी। इसलिए केबिन क्रू को नियमित आधार पर नियुक्त किए जाने का निर्णय लिया गया था।

(ग) और (घ) अलग-अलग एयरलाइनों के लिए नीतियों में अंतर होता रहता है, जहां कुछ एयरलाइनों में कर्मचारी ठेके पर हैं, वहीं अन्य एयरलाइनों में नियमित कर्मचारी हैं।

मुम्बई विमानपत्तन के निकट मलिन बस्तियां

5381. श्री नरेश पुगलिया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुम्बई तथा मुम्बई उपनगरीय जिला में भारतीय विमानपत्तन के स्वामित्व वाली भूमि का ब्यौरा क्या है जिस पर मलिन बस्तियों का कब्जा है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मलिन बस्तियों में रहने वालों को मुफ्त में आवास देने की योजना शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से सरकारी भूमि पर योजना कार्यान्वयन हेतु एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह अनुरोध केन्द्र सरकार के पास कब से लंबित है; और

(ङ) विलंब के क्या कारण हैं और महाराष्ट्र सरकार को कब तक अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) कुल मिलाकर लगभग 160 एकड़ क्षेत्र पर स्लम बस्तियों का कब्जा है। इसमें से जुहू विमानपत्तन पर लगभग 30 एकड़ तथा छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, मुम्बई पर 130 एकड़ भूमि पर कब्जा किया हुआ है।

(ख) राज्य सरकार ने स्लम पुनर्वास कार्यक्रम के तहत उन स्लम वासियों के लिए नि:शुल्क मकान देने का कार्यक्रम शुरू किया है, जो कि राज्य सरकार की भूमि, वृहद मुंबई नगर निगम की भूमि राज्य उपक्रमों की भूमि तथा अर्ध सरकारी संगठनों सहित निजी भूमि पर भी रह रहे हैं।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दलहन विकास बोर्ड की स्थापना

5382. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में हाल ही में स्थापित दलहन (तूर दाल) विकास बोर्ड गंभीर वित्तीय संकट में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से बोर्ड को वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

बाढ़ प्रवण जोन

5383. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश में बाढ़ प्रवण जिलों और जोनों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो बाढ़ प्रवण जिलों और जोनों की कुल संख्या क्या है और कौन-सी नदियां बाढ़ का कारण हैं;

(ग) क्या दसवीं योजना में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से जुड़ी नदियों से आने वाली बाढ़ नियंत्रित करने के लिए कोई व्यापक कार्य योजना प्रस्तावित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश में 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र का बाढ़ प्रवण क्षेत्र के रूप में आकलन किया है। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I पर दिया गया है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग द्वारा तत्काल ध्यान हेतु अभिज्ञात जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-II पर दी गई है। बाढ़ क्षति संबंधी सूचना सहित कुछ राज्यों के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा बाढ़ से प्रभावित जिलों के नामों की सूचना दी जा रही है। इस सूचना के आधार पर पिछले पांच वर्षों के दौरान कम से कम एक बार बाढ़ से प्रभावित जिलों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-III पर दी गई है। ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी सहायक नदियां तथा तीस्ता, टोरसा, जलढाका गंगा क्षेत्र में गंगा और यमुना तथा उनकी उत्तरी तट की सहायक नदियां, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में झेलम, रावी चेनाब तथा केन्द्रीय और दक्कन क्षेत्र में महानदी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी, बैतरनी मुख्यतः बाढ़ का कारण हैं।

(ग) और (घ) जल संसाधन के विकास के क्षेत्र में भारत सरकार की बंगलादेश नेपाल और भूटान सहित पड़ोसी देशों के साथ निरंतर बातचीत जारी है। नेपाल के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के क्षेत्र अन्वेषण, अध्ययन और तैयारी हेतु प्रारंभ की जाने वाली सप्त कोसी उच्च बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना और सन कोसी भंडारण सह-डाइवर्सन स्कीम पर सहमति हो गई है जिसके लिए नेपाल में एक संयुक्त परियोजना कार्यालय स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना से अन्य बातों के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण संबंधी लाभ होंगे। "भारत और नेपाल की साझी नदियों पर बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली" से संबंधित एक स्कीम वर्ष 1989 से चल रही है। इसके अतिरिक्त, बाढ़ की समस्याओं से संबंधित एक स्थाई समिति भारत और नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिए भी कार्य कर रही है। वर्तमान करारों और समझौते के क्रियान्वयन सहित जल संसाधन के क्षेत्र में सहायोग से संबंधित उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के लिए भारत और नेपाल के जल संसाधन सचिवों की अध्यक्षता में जल संसाधन संबंधी एक संयुक्त समिति का भी गठन किया गया है।

जहां तक भूटान का संबंध है, भूटान में स्थित 35 जल मौसम वैज्ञानिक केन्द्रों समेत "भारत और भूटान की साझी नदियों पर जल मौसम वैज्ञानिक और बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना हेतु एक व्यापक स्कीम" प्रचालन में है। इन केन्द्रों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग भारत में बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने के लिए किया जाता है।

जहां तक भारत का संबंध है, बंगलादेश निम्न समुद्रतटीय देश होने के कारण, वहां पर बाढ़ से संबंधित कोई समस्या नहीं है।

विवरण I

बाढ़ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का राज्यवार विवरण (राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	बाढ़ के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र (मि. हेक्टे.)	आर बी ए द्वारा विचार किए गए अनुसार सुरक्षित क्षेत्र (मि.हेक्टे.)
1.	आंध्र प्रदेश	1.39	0.700
2.	असम	3.15	1.305
3.	बिहार	4.26	1.566
4.	गुजरात	1.39	0.362
5.	हरियाणा	2.35	1.095
6.	हिमाचल प्रदेश	0.23	—
7.	जम्मू व कश्मीर	0.08	0.012
8.	कर्नाटक	0.02	0.001
9.	केरल	0.87	0.011
10.	मध्य प्रदेश	0.26	—
11.	महाराष्ट्र	0.23	0.001
12.	मणिपुर	0.08	0.073
13.	मेघालय	0.02	0.075
14.	उड़ीसा	1.40	0.351
15.	पंजाब	3.70	2.407
16.	राजस्थान	3.26	0.016
17.	तमिलनाडु	0.45	0.029
18.	त्रिपुरा	0.33	0.009
19.	उत्तर प्रदेश	7.34	0.739
20.	पश्चिम बंगाल	2.65	1.001
21.	दिल्ली	0.05	0.023
22.	पांडिचेरी	0.01	नगण्य
	कुल	33.52	9.776
	अर्थात	35 मि.हेक्टे.	10.00 मि.हेक्टे.

उपरोक्त तालिका के अनुसार देश में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र निम्नानुसार है:-

(क) राज्यों में बाढ़ प्रवण क्षेत्र-34.0 मि. हेक्टे.

(ख) अब तक राज्यों में सुरक्षित क्षेत्र 10.0 मि. हेक्टे.

सुरक्षा कार्यों के विफल होने के कारण सूचित बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र (कल्पित) में शामिल किया गया बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र (-) 4.00 मि. हेक्टे.

देश में कुल प्रवण क्षेत्र 40.00 मि. हेक्टे.

विवरण II

तत्काल ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय बाढ़ आयोग (आर.बी.ए.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश में बाढ़ प्रवण जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश	खम्माम, पूर्व एवं पश्चिम गोदावरी, महबूब नगर, नालगोण्डा कृष्णा, गुन्टूर, नेल्लोर कुडप्पा और श्रीकाकुलम
असम	शिवसागर, नोगोंग, लखीमपुर दरोंग, कामरूप, गोलपाड़ा, काचर और डिब्रूगढ़
बिहार	सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पुर्णियां छपरा (सारण) पश्चिम चन्पारण (बेतिया), संथाल परगना, भागलपुर, भोजपुर (शाहाबाद), कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली समस्तीपुर; बेगुसराय, पटना, पलामू, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), गया, सीवान रोहतास, नालंदा और औरंगाबाद
गुजरात	मेहसाणा, साबरकंठा, जूनागढ़, खेड़ा जामनगर राजकोट, वलसाड, गांधीनगर, बडोदरा, भरूच, सुरेन्द्रनगर, भावनगर बनासकंठा, अमरेली, अहमदाबाद और सूरत
हिमाचल प्रदेश	उना, कांगड़ा और मंडी
जम्मू व कश्मीर	बारामूला अनन्तनाग और श्रीनगर
कर्नाटक	उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़
मध्य प्रदेश	होशगांबाद, सीहोर, खरगौन, भोपाल और विदिशा
पंजाब	लुधियाना, फिरोजपुर, संगरूर, फरीदकोट और अमृतसर
उत्तर प्रदेश	फर्रूखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, हमीरपुर, बाराबंकी, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, सहारनपुर, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, देवरिया, गोण्डा, सुल्तानपुर, जौनपुर, हरदोई, फैजाबाद, रायबरेली, बस्ती, लखनऊ और बहराइच
पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, पश्चिम, दिनापुर, कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, बीरभूम, 24 परगना, हुगली, मिदनापुर और बर्दवान

विवरण III

गत पांच वर्ष अर्थात 1998 से 2002 के दौरान कम से कम एक बार आई बाढ़ से प्रभावित जिलों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	बिहार	उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	असम	हिमाचल प्रदेश	गुजरात
1	2	3	4	5	6	7
1.	मुजफ्फरपुर	बहराइच	नदिया	धेमाज	कांगड़ा	मेहसाणा
2.	पूर्वी चंपारण	कुशीनगर	मुर्शिदाबाद	उत्तरी लखीमपुर	शिमला	साबरकांठा
3.	पश्चिम चंपारण	संत कबीर नगर	दक्षिण दिनाजपुर	कारबी आंगलोग	मंडी	नवसारी

1	2	3	4	5	6	7
4.	सीतामढ़ी	बिजनौर	बर्दवान	जोरहट	सोलन	आनंद
5.	शिवहर	गोंडा	बांकुरा	डिब्रूगढ़	सिरमौर	खेड़ा
6.	सारन	देवरिया	पुरूलिया	सोनितपुर	बिलासपुर	जामनगर
7.	सीवान	बस्ती	मिदनापुर	गोलाघाट	कुल्लू	दाहोद
8.	गोपालगंज	बाराबंकी	हावड़ा	धुबरी	हमीरपुर	राजकोट
9.	दरभंगा	खीरी	हुगली	बोगाईगांव	ठना	वलसाड़
10.	समस्तीपुर	फर्रूखाबाद	24 परगना (दक्षिण)	शिवसागर	चंबा	गांधीनगर
11.	मधुवनी	कन्नौज	24 परगना (उत्तर)	नागांव	किन्नौर	वड़ोदरा
12.	सहरसा	शाहजहापुर	मालदा	बारपेटा	लाहौल	भरूच
13.	सुपौल	हरदोई	उत्तरी दिनाजपुर	नालबाड़ी	स्पीति	नर्मदा
14.	मधेपुरा	गोरखपुर	बीरभूम	कामरूप		सुन्दरनगर
15.	पटना	सिद्धार्थनगर	कोलकाता	गोलपाड़ा		भावनगर
16.	नालंदा	महाराजगंज		तिनसुकिया		बनासकांठा
17.	कटिहार	चंदोली		मोरीगांव		अमरेली
18.	खगड़िया	बरेली		हाफलोंग		अहमदाबाद
19.	बेगुसराय	आजमगढ़		दरांग		डैंग्स
20.	शेखपुरा			काचर		जूनागढ़
21.	लखीसराय			कोकराझार		कच्छ
22.	पूर्णिया			हैलाकांडी		पंचमहल
23.	अररिया			करीमगंज		पाटन
24.	किशनगंज					पोरबंदर
25.	भागलपुर					सूरत
26.	वैशाली					
27.	साहेबगंज					
28.	जहानाबाद					
29.	पाकुर					
30.	मुंगेर					
31.	बांका					

गत पांच वर्ष अर्थात् 1998 से 2000 के दौरान कम से कम एक बार आई बाढ़ से प्रभावित जिलों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	अरूणाचल प्रदेश	उड़ीसा	पंजाब	महाराष्ट्र	राजस्थान	मेघालय
1.	तवांग	अंगुल	पटियाला	गढचिरोली	अलवर	तुरा
2.	पश्चिम कामेंग	बोलनगीर	कपूरथला	यावतमल	बांसवाड़ा	बाघमारा
3.	पूर्वी कामेंग	बालासोर	अमृतसर	वर्धा	भरतपुर	नंग्सटोईन
4.	निचली सुबनसिरी	भद्रक	फरीदकोट	चन्दरपुर	बीकानेर	शिलांग
5.	पापुममारे	कटक	भंटिडा	भंडारा	चुरू	जोवाई
6.	ऊपरी सुबनसिरी	जगतसिंहपुर	मोंगा		दौसा	
7.	पश्चिम सियांग	मयूरभंज	गुरदासपुर		जयपुर	
8.	पूर्वी सियांग	केन्द्रपाड़ा	संगरूर		झालावाड़	
9.	ऊपरी सियांग	नवरंगपुर	होशियारपुर		झुंझुनू	
10.	देबांग घाटी	नौवापाड़ा	मनसा		करौली	
11.	लोहित	संभलपुर खुर्दा			सवाई माधोपुर	
12.	चांगलांग	कालाहांड़ी			नागौर	
13.	तिरप	पुरी			कोटा	
14.		क्योंझर			सीकर	
15.		नयागढ़			टोंक	
16.		ताजपुर			बारन	
17.		सुन्दरगढ़			भीलवाड़ा	
18.		खेनकनाल			बूंदी	
19.		कोरापुट			चित्तौड़गढ़	
20.					गंगानगर	
21.					जैसलमेर	
22.					पाली	
23.					बाड़मेर	
24.					सिरोही	
25.					जालौर	

क्र.सं.	तमिलनाडु
1.	चेन्नई
2.	कांचीपुरम
3.	थिरूवन्नानाली
4.	विल्लुपुरम
5.	कुड्डालोर
6.	नागापट्टिनम
7.	थिरूवरूर
8.	झांझावुर
9.	परम्बलूर
10.	तिरूचिरापल्ली
11.	करूर
12.	डिंगीगुल
13.	पुड्डुकोटाई
14.	मदुरै
15.	थेनी
16.	विरूधुनगर
17.	शिवगंगा
18.	रामनाथपुरम
19.	तुथुकुंडी
20.	तिरूनेलवेली
21.	कन्याकुमारी
22.	नीलगिरी
23.	कोयम्बटूर
24.	इरोड
25.	नमक्कल
26.	सालम
27.	धर्मपुरी

तिलहन/दालों की आवश्यकता

5384. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तिलहन की कुल आवश्यकता का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा दसवीं योजना के अवधि के दौरान स्वावलंबन प्राप्त हेतु तिलहन और दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) नौंवी योजना अवधि के दौरान आयातित और निर्यात किए गए तिलहन और दालों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी कीमत क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) वर्ष 2002-03 के दौरान योजना आयोग ने तिलहनों के लिए 270.00 लाख मी. टन की आवश्यकता मूल्यांकित की है। तिलहनों/खाद्य तेलों की राज्य-वार आवश्यकता की गणना नहीं की गयी है जबकि देश के लिए समग्र रूप से यह गणना की गयी है। किन्तु वर्ष 2002-03 के दौरान तिलहनों के राज्यवार उत्पादन लक्ष्य देश में कुल 270.00 लाख मी. टन है जो कि संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ग) तिलहनों और दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से और इन फसलों के उत्पादन में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए दो केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं अर्थात तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.) तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना (एन.पी.डी.पी.) कार्यान्वयनाधीन हैं। दोनों योजनाओं के अंतर्गत बीजों का उत्पादन और वितरण बीज मिनिकिटों का वितरण उन्नत फार्म आदानों, स्प्रिंकलर सैटों राइडजोवियम कल्चर और सूक्ष्म पोषक तत्वों आदि का वितिरण जैसे विभिन्न आदानों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया की जाती है उत्पादन प्रौद्योगिकी को किसानों के बीच प्रसारित करने के उद्देश्य से भा.कृ.अ. परिषद द्वारा अग्रणी प्रदर्शन और ब्लाक प्रदर्शन राज्यों के कृषि विभागों द्वारा आयोजित किए जाते हैं।

(घ) नौंवी योजनावधि के दौरान आयात और निर्यात किए गए तिलहनों और दलहनों का उनकी लागत के साथ ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वर्ष 2002-03 के दौरान तिलहनों का राज्य-वार उत्पादन लक्ष्य

(लाख मी. टन में)

क्र.सं.	राज्य	तिलहन का उत्पादन लक्ष्य
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	30.50
2.	असम	1.95
3.	बिहार	4.55
4.	गुजरात	33.70
5.	हरियाणा	10.20
6.	जम्मू और कश्मीर	0.50
7.	कर्नाटक	18.05
8.	मध्य प्रदेश	58.35
9.	महाराष्ट्र	26.85
10.	उड़ीसा	6.20
11.	पंजाब	3.35
12.	राजस्थान	34.30
13.	तमिलनाडु	18.70
14.	उत्तर प्रदेश	17.00
15.	पश्चिम बंगाल	4.90
16.	अन्य	0.90
	कुल	270.00

विवरण II

नौवीं योजना अवधि के दौरान तिलहनों और दलहनों के आयात-निर्यात का ब्यौरा

वर्ष	तिलहन		दलहन	
	मात्रा (लाख मी. टन मे)	मूल्य (करोड़ रु. में)	मात्रा (लाख मी. टन मे)	मूल्य (करोड़ रु. में)
आयात				
1997-98	—	2.47	10.08	1194.64
1998-99	—	8.52	5.64	708.71
1999-2000	—	15.42	2.51	354.69
2000-2001	—	7.21	3.49	498.47
2001-2002	—	1.35	21.77	3155.66
निर्यात				
1997-98	3.75	868.8	1.68	360.89
1998-99	1.64	463.1	1.04	223.03
1999-2000	2.69	745.5	1.94	419.56
2000-2001	4.13	911.7	2.44	537.08
2001-2002	3.73	860.3	1.60	366.18

औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता

5385. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण दिए जाने के लिए दी गयी वित्तीय सहायता का राज्यवार और संस्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित महिलाओं की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सहायता के दुरूपयोग के संबंध में कोई अनियमितता सरकार के ध्यान में आयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई) का प्रशासनिक कार्य एवं निधिकरण संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु एक विशेष परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पिछले 2 वर्षों के दौरान, पूर्वोत्तर क्षेत्र के निम्नलिखित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मुख्यत: संस्थान भवनों के निर्माण एवं नवीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्र में अवस्थित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	पिछले 2 वर्षों के दौरान दी गई वित्तीय सहायता (रु. लाख में)
1.	अरूणाचल प्रदेश	यूपिया	105.00
2.	नागालैंड	दीमापुर	38.50
3.	मणिपुर	तकयेल	0.13
4.	मेघालय	शिलांग	36.136
5.	त्रिपुरा	इंदिरानगर	6.00
6.	असम	माजबट	8.49

(ख) वित्तीय सहायता, मुख्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के लिए दी गई है तथा प्रशिक्षण अवसंरचना के पूर्ण होने के पश्चात ही वास्तविक प्रशिक्षण आरंभ किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

संचार एवं उड्डयन निगरानी प्रणाली

5386. डा. एन. वेंकटस्वामी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक बेहतर हवाई यातायात प्रबंधन हेतु सरकार ने उपग्रह आधारित संचार और उड्डयन निगरानी प्रणाली उपलब्ध कराने की व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो कितने विमनापत्तनों पर ये प्रणाली लगायी जा रही है;

(ग) क्या इस प्रणाली की स्थापना हेतु हैदराबाद विमानपत्तन की भी पहचान की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) भारत में सभी मुख्य विमानपत्तनों को इस योजना के अंतर्गत लाया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) हैदराबाद विमानपत्तन सहित सभी विमानपत्तनों पर बहुत अच्छे उपग्रह संचार नेटवर्क के प्रावधान के लिए बहुत छोटे एपर्चर टर्मिनल (वी-सेट) बनाने के लिए कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है।

सुपारी और नारियल के लिए मूल्य स्थिरीकरण योजना

5387. श्री पी.सी. थामस: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ पादप फसलों जैसे रबर, चाय और काफी के लिए घोषित मूल्य स्थिरीकरण योजना को सुपारी और नारियल जैसे कृषि उत्पादों के लिए बढ़ाए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) योजना की विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा किसानों को सुपारी और नारियल का बेहतर मूल्य देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) बागवानी उत्पाद और स्थानीकृत स्वरूप को सुपारी के मूल्यों को स्थिर करने के लिए सरकार ने इसे बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत कवर किया है, जबकि कोपरा/प्रसंस्कृत नारियल वृक्ष मूल का तिलहन होने के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत कवर किया गया है।

(ग) बाजार हस्तक्षेप योजना एक दिए गए समय के लिए कार्यान्वित की गयी है जिसमें आधिक्य की परिस्थितियों के अंतर्गत किसी जिंस की निर्धारित मात्रा उत्पादन लागत और बाजार मूल्य के आधार पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर खरीदी जाती है। यदि कोई हानि हो तो उसे केन्द्र और राज्य सरकार के बीच बराबर वहन किया जाता है। दूसरी तरफ बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य स्तर से नीचे गिरने की स्थिति में केन्द्रीय नामित एजेन्सी के माध्यम से मूल्य समर्थन परिचालनों के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, मूल्यों को स्थिरता देने में समर्थन करते हैं।

(घ) वर्ष 2002-2003 के दौरान कर्नाटक और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सुपारी की अधिप्राप्ति के लिए सरकार ने बाजार हस्तक्षेप योजना कार्यान्वित की है। वर्ष 2002-2003 के दौरान केरल सरकार से एक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है। वर्ष 2003-04 के दौरान सुपारी के लिए हस्तक्षेप योजना कार्यान्वित करने के लिए अंडमान और निकोबार प्रशासन से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जो कि विचाराधीन है। सरकार कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वार्षिक आधार पर निर्धारित करती है।

तिलहनों के लिए कृतिक बल की स्थापना

5388. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तिलहनों संबंधी कृतिक बल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस अंतर-मंत्रालयीय कृतिक बल की सिफारिशों पर चर्चा कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या कोई आम राय बन गई है; और

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) तिलहनों के बारे में कोई कृतिक बल गठित नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होता।

[हिन्दी]

इंडियन एयरलाइंस की नई सेवाएं

5389. श्री श्रीचन्द्र कृपलानी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस द्वारा शुरू की गई नई हवाई सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) नई हवाई सेवाएं शुरू करने हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं; और

(ग) आज की तारीख के अनुसार इंडियन एयरलाइंस के घाटे वाले मार्गों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) पिछले तीन वर्षों में इंडियन एयरलाइंस/अलाइंस एयर द्वारा आरंभ की गयी नई सेवाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इंडियन एयरलाइंस नये मार्गों पर सेवा आरंभ करने से पहले सम्पर्क की आवश्यकता , विमान की उपलब्धता, व्यावसायिक व्यवहार्यता तथा अपने विमानन बेड़े के प्रचालनिक क्षमता को ध्यान में रखती हैं।

(ग) एक ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वर्तमान प्रचालन में विगत तीन वर्षों के दौरान घरेलू/अंतर्राष्टीय नेटवर्क पर शुरू किये गये नये क्षेत्र

घरेलू नेटवर्क		अंतराष्ट्रीय नेटवर्क	
सेक्टर	शुरू किये जाने की तारीख	सेक्टर	शुरू किये जाने की तारीख
1	2	3	4
लखनऊ-रांची	4.1.2002	चेन्नई-मस्कट	29.10.2000
सिलचर-गुवाहाटी	21.1.2002	दिल्ली-सिंगापुर	25.3.2001
मुंबई-जयपुर (नॉन स्टाप)	12.2.2002	हैदराबाद-दुबई	8.6.2001
मुंबई-पुणे	31.3.2002	हैदराबाद-बैंकाक	28.10.2001
पटना-बागरडोगरा	25.4.2002	त्रिवेन्द्रम-शारजहां	12.1.2002

1	2	3	4
पटना-गुवाहाटी	25.4.2002		
गुहाटी-लीलाबाड़ी	9.10.2002	जयपुर-दुबई	12.2.2002
मुंबई-चंडीगढ़	27.10.2002	दिल्ली-दुबई	12.2.2002
कोलकत्ता-गया	18.12.2002	कालीकट-मसकट**	14.2.2002
गुहाटी-दीमापुर	2.1.2003	कालीकट-दुबई**	16.2.2002
गुहाटी-एजवल	5.4.2003	कोचीन-दोहा/बहरीन*	31.3.2002
कोलकत्ता-शिलोंग	7.4.2003	चेन्नई-दुबई	31.3.2002
अगरतला-सिलचर	15.4.2003	गया-बैंकाक	18.12.2002

**आईसी/एआई जेवी उड़ानों की पुनर्संरचना

*कोचीन-दोहा लिंक हटाये जाने के बाद पुनः शुरूवात।

विवरण II

जिन सेवाओं में हानि हुई (अप्रैल-सितंबर, 2002): इंडियन एयरलाइंस तथा अलाइंस एयर की उड़ानें

क्र.सं.	घरेलू सेक्टर
1	2
1.	दिल्ली-जयपुर-जोधपुर-उदयपुर-मुम्बई
2.	मुंबई-चेन्नई
3.	मुंबई-जयपुर
4.	मुंबई-कोलकाता
5.	दिल्ल-लखनऊ-पटना-रांची कोलकाता
6.	कोलकाता-मुंबई
7.	मुंबई-राजकोट-बड़ोदरा-मुंबई
8.	बंगलौर-गोवा-पुणे-बंगलौर
9.	मुंबई-हैदराबाद
10.	कोलकाता-गुवाहाटी
11.	मुंबई-अहमदाबाद
12.	गोवा-मुंबई
13.	मुंबई-जामनगर-भुज-मुंबई
14.	मुंबई-मंगलौर
15.	चेन्नई बंगलौर
16.	मुंबई-अहमदाबाद
17.	बंगलौर-कोचीन
18.	मुंबई-भावनगर
19.	मुंबई-हैदराबाद
20.	दिल्ली-लेह
21.	दिल्ली-पटना-बागडोगरा-गुवाहाटी
22.	दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर
23.	दिल्ली-अहमदाबाद
24.	मुंबई-इंदौर-भोपाल-दिल्ली
25.	दिल्ली-आगरा-खुजराहो-वाराणसी
26.	दिल्ली-मुंबई-अहमदाबाद-औरंगाबाद
27.	चेन्नई-त्रिवेन्द्रम
28.	बंगलौर-त्रिवेन्द्रम
29.	दिल्ली-चेन्नई
30.	दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर-दिल्ली
31.	चेन्नई-तिरूपति-हैदराबाद
32.	चेन्नई-बंगलौर

1	2
33.	मुंबई-बंगलौर-अहमदाबाद
34.	दिल्ली-मुंबई
35.	हैदराबाद-मुंबई
36.	सिल्चर-गुवाहाटी
37.	कोलकाता-जयपुर-अहमदाबाद-कोलकाता
38.	दिल्ल-मुंबई-त्रिवेन्द्रम
39.	मुंबई-पुट्टापार्थी
40.	कोलकाता-भुवनेश्वर
41.	मुंबई-नागपुर
42.	कोलकाता-अहमदाबाद-जयपुर-कोलकाता
43.	लेह-जम्मू
44.	कोलकाता-सिल्चर-इम्फाल
45.	कोलकाता-सिल्चर
46.	कोलकाता-तेजपुर-दीमापुर-कोलकाता
47.	कोलकाता-अगरतला
48.	लेह-श्रीनगर
49.	लेह-चंडीगढ़
50.	दिल्ली-मुम्बई-गोवा
51.	बंगलौर-दिल्ली
52.	कोलकाता-आईजोल-इम्फाल
53.	कोलकाता-अगरतला
54.	दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर
55.	कोलकाता-अगरतला
56.	कोलकाता-जोरहाट-दीमापुर-कोलकाता
	अंतरराष्ट्रीय
1	दिल्ली-काठमांडू
2	कोलकाता-काठमांडू
3	कोलकाता-ढ़ाका

[अनुवाद]

गिर वन में वन भूमि का परिवर्तन

5390. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा गुजरात में वन भूमि विशेषकर गिर वन में वन भूमि बचाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या वन भूमि के परिवर्तन के कारण वन्यजीव की हानि होने का पता चला है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार गिर वन सहित गुजरात में वन भूमि के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. वनों को अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों, आरक्षित वनों और अन्य श्रेणियों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

2. गिर में कतिपय वनों को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के रूप में घोषित करते हुए उन पर अधिक ध्यान दिया गया है। क्षेत्र को सीमांकित कर दिया गया है और अवैध कब्जों से क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए पत्थर की दीवार बनाकर सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

3. फील्ड कर्मचारियों द्वारा पहरा देने और प्रभावी निगरानी की व्यवस्था की गई है।

4. भारतीय वन अधिनियम, 1927 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों को लागू किया गया है।

(ख) राज्य सरकार की सूचना के अनुसार, वन भूमि के वनेतर उपयोग के कारण वन्यजीवों की मृत्यु नहीं हुई है क्योंकि गिर संरक्षित क्षेत्र में ऐसा कोई वन भूमि वनेतर उपयोग करने नहीं दिया गया है जिसका नकारात्मक प्रभाव हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आईपीएम-एक हेतु संसाधन वस्तु सूची

5391. श्री सईदुज्जमा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आई सी ए आर की एक इकाई राष्ट्रीय एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन केन्द्र ने आई पी एम-एक हेतु एक वस्तु सूची निकाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उत्पादों में से अनेक उत्पादों का विदेशी मुदा कमाने और अनुसंधान तथा विकास को सहायता देने हेतु आसानी से निर्यात किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) कुछ पर्यावरण हितैषी उत्पादों को उन विभिन्न देशों को निर्यात किया जा सकता है जहां इसी तरह के कीट विद्यमान होती हैं। इससे विदेशी मुद्रा भी अर्जित की जा सकती है तथा अनुसंधान व विकास में भी सहायता मिलती है।

(ग) कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं (विवरण संलग्न है) के बड़े पैमाने पर सवंर्धन तथा फील्ड रिलीज के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी पहले ही विकसित की जा चुकी है, जिससे अन्य देशों जहां इसी तरह के कीट विद्यमान होते हैं, को निर्यात करने से विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। इससे देश के अंतर्गत अनुसंधान व विकास संबंधी गतिविधियों को सहायता मिल सकती है तथा अन्य देशों से सहयोग अथवा विभिन्न कीटों, फसलों, स्थितियों व आवश्यकताओं के सदंर्भ में आगे सुधार के लिए न्यूक्लियस सम्बर्धन की आपूर्ति से मदद मिल सकती है।

बहुत सी प्रौद्योगिकियों का उपयोग व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा बढ़िया जैविक एजेंटों/जैविक कीटनाशी दवाओं के उत्पादन में किया जाता है।

विवरण

परजीवी

ऐफिटिस प्राक्लिया

ब्रैकान ब्रिवाइकार्निस

ब्रैकिमीरिया नेफैंटिडिस

बी. नौसैटोई

ब्रैकान हीबेटर

केलौनस ब्लैकबर्नि

कैपिडासोमा कौक्लेरी

सी.फलैवाइपस (गन्ना प्रजाति)

सीफलैवाइपस (मक्का प्रजाति)

इलैस्मस नेफैंटिडिस

गौनिओजम नेफैंटिडिस

लेप्टोमैस्ट्रिक्सि डैक्टाइलेपि

स्टयूमौप्सिस इन्फेरेन्स

ट्रिकाग्रैमा प्रजाति

टेलेनॉमस रीमस

परभक्षी

ब्रूमाइडस सुचुरैलिस

किलोकोरस बिजुगस

क्राइसोपर्ला कैर्निया

क्राइप्टोलैमस मौंट्राजियरी

कौक्सिनेला प्रजाति

किलोकोर स्निग्रिटस

एपिरिकैर्निया मिलिनोल्यूका

मैल्लैडा प्रजा. (अस्टर)

मैल्लैडा बौनिनोन्सिस

मिनोंचिलस सेक्समैकुलैटस

फारास्काइन्मस हौर्नि

साइम्नस प्रजा.

साइम्नस कौक्सिबोरा

कीट रोगजनक

बैसिलस थुरिंगिन्सस का बनना

एच ए एन पी बी

चिलो इंफस्कैटेलस का जी वी

प्लुटेला जाइलोस्टेला का जी वी

बैकुलॉवयरस आरिक्टस

वर्टिसिलियम लिकैनि

ब्यूवेरिया बैसियाना

मेटाराइजियम ऐनिसोप्ली

नाम्युरैया रिलेई

प्रतिद्वन्द्वी कीट

ट्रिकाजर्मा प्रजा.

पी स्यूडोमॉनास फलोरेसेन्स

खरपतवार कीट

क्राप्टोबैगस सौल्विनी

न्योकेटिना ब्रुची

न्योकेटिना ईकॉर्नी

जाइकोग्रैमा बाइकौलौरैटा

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर विश्राम गृह

5392. श्री नागमणि: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना, गया और रांची विमानपत्तनों पर विश्राम गृह की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त विमानपत्तनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) विश्राम गृह सुविधा पटना तथा रांची हवाई अड्डों पर उपलब्ध है।

(ख) गया हवाई अड्डे पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का निर्माणाधीन नए टर्मिनल भवन में विश्राम गृह बनाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

विदेशी पर्यटकों का उत्पीड़न

5393. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में विदेशी पर्यटकों के प्रति हिंसा और धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को स्थिति से निपटने के लिए अलग कानून बनाने का निदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी पर्यटकों के प्रति धोखाधड़ी के कुछ मामले रिपोर्ट किए गए हैं। इस संबंध में राज्य-वार प्राप्त शिकायतें नीचे दी गई हैं:-

राज्य का नाम	प्राप्त शिकायतों की संख्या
हिमाचल प्रदेश	03
महाराष्ट्र	70
राजस्थान	5
तमिलनाडु	11
उत्तर प्रदेश	4
उत्तरांचल	1
पश्चिम बंगाल	9
दिल्ली	11

(ग) और (घ) पर्यटकों की सुरक्षा एवं संरक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है। पर्यटक विभाग, भारत सरकार ने इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को अलग पर्यटक पुलिस गठित करने का परामर्श दिया है। गोवा, केरल, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में पर्यटक पुलिस गठित कर ली है।

[हिन्दी]

दलहनों का समर्थन मूल्य

5394. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दलहनों का समर्थन मूल्य निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समय विभिन्न दलहनों का समर्थन मूल्य क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) सरकार अरहर (तुर), मूंग, उड़द (लेंटिल) और चने के लिए प्रत्येक मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) निर्धारित करती है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) फसल वर्ष 2002-03 के लिए विभिन्न दलहनों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य निम्नवत: है।

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्रम. सं.	वस्तुएं	न्यूनतम समर्थन मूल्य
1.	अरहर (तुर)	1320
2.	मूंग	1330
3.	उड़द	1330
4.	मसूर (लेंटिल)	1320
5.	चना	1220

सरकार ने उपरोक्त विभिन्न दलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 5 रुपये प्रति क्विंटल के विशेष सूखा राहत मूल्य के भुगतान की घोषणा की है।

[अनुवाद]

अग्रिम पर्यटन भाड़ा योजना

5395. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अग्रिम क्रय पर्यटन (ए पी ई फक्स) और भाड़ा योजना को और आगे बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह योजना किन सेक्टरों में उपलब्ध होगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां। एपेक्स फेयर योजना, जो 31 मार्च 2003 तक वैध थी, को 31 मार्च, 2004 तक बढ़ा दिया गया है।

(ख) एपेक्स फेयर योजना का पर्याप्त इस्तेमाल किया जा रहा है तथा इससे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है।

(ग) एपेक्स फेयर्स अभी इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रचालित केवल 55 घरेलू सेक्टरों में ही लागू है। सेक्टरों की सूची विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

क्र.सं.	सेक्टर
1	2
1.	मुम्बई-कोलकाता
2.	मुम्बई-अहमदाबाद
3.	मुम्बई-बंगलौर
4.	मुम्बई-भोपाल
5.	मुम्बई-कालीकट
6.	मुम्बई-चेन्नई
7.	मुम्बई-कोचीन
8.	मुम्बई-कोयम्बटूर
9.	मुम्बई-दिल्ली
10.	मुम्बई-हैदराबाद
11.	मुम्बई-इंदौर
12.	मुम्बई-जयपुर
13.	मुम्बई-जोधपुर
14.	मुम्बई-लखनऊ
15.	मुम्बई-मंगलौर
16.	मुम्बई-नागपुर
17.	मुम्बई-पटना
18.	मुम्बई-पुणे
19.	मुम्बई-त्रिवेन्द्रम
20.	मुम्बई-उदयपुर
21.	मुम्बई-औरंगाबाद
22.	दिल्ली-अहमदाबाद
23.	दिल्ली-औरंगाबाद

1	2
24.	दिल्ली-बंगलौर
25.	दिल्ली-भोपाल
26.	दिल्ली-कालीकट
27.	दिल्ली-चेन्नई
28.	दिल्ली-कोचीन
29.	दिल्ली-कोयम्बटूर
30.	दिल्ली-गुवाहाटी
31.	दिल्ली-हैदराबाद
32.	दिल्ली-इंदौर
33.	दिल्ली-जम्मू
34.	दिल्ली-कोलकाता
35.	दिल्ली-लखनऊ
36.	दिल्ली-पटना
37.	दिल्ली-पुणे
38.	दिल्ली-त्रिवेन्द्रम
39.	दिल्ली-उदयपुर
40.	दिल्ली-वडोदरा
41.	दिल्ली-वाराणसी
42.	दिल्ली-बागडोगरा
43.	कोलकाता-बागडोगरा
44.	कोलकाता-बंगलौर
45.	कोलकाता-गुवाहाटी
46.	कोलकात-हैदराबाद
47.	चेन्नई-कालीकट
48.	चेन्नई-कोचीन
49.	चेन्नई-कोयम्बटूर
50.	चेन्नई-हैदराबाद
51.	चेन्नई-कोलकाता
52.	चेन्नई-मदुरै
53.	चेन्नई-त्रिवेन्द्रम
54.	हैदराबाद-अहमदाबाद
55.	बंगलौर-अहमदाबाद

विमानन क्षमता की कमी

5396. श्री मनसुखभाई डी वसावा:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **नागर विमान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमानन क्षमता की कमी और अपर्याप्त यातायात मांग के संबंध में सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या एयरलाइंस को उक्त सर्वेक्षण के न होने के कारण भारी घाटा उठाना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) यद्यपि, सरकार ने पीछे हाल ही में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है, विमानन सेक्टर में क्षमता और मांग परिदृश्य की लगातार मानिटरिंग सरकार द्वारा की जा रही है। जहां तक अंतरराष्ट्रीय सेक्टर का संबंध है, द्विपक्षीय चर्चाएं समय-समय पर विभिन्न देशों के साथ की जाती हैं ताकि यातायात और क्षमता में वृद्धि की समीक्षा की जा सके। सीजनल मांग की समस्या होने पर, उसका हल भी पीक शीतकालीन पर्यटक सीजन के दौरान मुक्त आकाश नीति अपनाकर किया जाता है। जहां तक घरेलू सेक्टर का संबंध है अगले पांच वर्षों के लिए घरेलू सेक्टर में संभावित वृद्धि का आकलन करने के उद्देश्य से डीजीसीए की अध्यक्षता में अप्रैल, 2001 में एक समिति बनाई गई थी। समिति के निष्कर्ष के मुताबिक यद्यपि घरेलू यातायात की वार्षिक वृद्धि दर अधिक-कम हो सकती है तथापि, यह वृद्धि वर्ष 2001 से 2005 की समयावधि के दौरान औसतन 5% की दर से बढ़ने की संभावना थी जो 7% तक बढ़ सकती है बशर्ते कुछ दूसरे कारक अनुकूल रहें। मामला-

दर-मामला के आधार पर विमान आयात करने और विमान परिवहन सेवाओं संबंधी अनापत्ति-प्रमाण-पत्र देने के लिए नए मामलों पर विचार करते समय इस रिपोर्ट पर विचार किए जाने का निर्णय किया गया बशर्ते दूसरी जरूरतों/पैरामीटरों की पूर्ति हो सके।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तमिलनाडु में स्मारकों का संरक्षण

5397. **श्री पी.डी. एलानगोवन:** क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में एतिहासिक स्मारकों विशेषकर गंगाईकोंडा चोलापुरम, दारास्वरम और कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम स्थित मंदिरों के संरक्षण हेतु कोई धनराशि आवंटित की है अथवा कोई विशेष योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्मारक-वार कितनी राशि वितरित की गई है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) सरकार ने गंगईकोंडा चोलापुरम, दारासुरम तथा कैलाशनाथ मंदिर सहित तमिलनाडु में 28 स्मारकों के लिए निधियां आवंटित की हैं और परिप्रेक्ष्य योजना बनाई है। कांचीपुरम तथा तीन वर्षों के व्यय का ब्यौरा और 2003-2004 के लिए आवंटन का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

विवरण I

क्र.सं.	स्मारक का नाम	स्थान	जिला	व्यय		
				2000-2001	2001-2002	2002-2003
1	2	3	4	5	6	7
1.	बृहदीश्वर मंदिर	जी.के.सी. पुरा	तंजावुर	—	—	—
2.	ऐरावतेश्वर मंदिर का महाद्वार	दारासुरम	तंजावुर	4.26	0.89	—
3.	कैलाशनाथ मंदिर	कांचीपुरम	कांचीपुरम	4.77	4.90	7.84
4.	बृहदीश्वर मंदिर	तंजावुर	तंजावुर	4.34	4.86	6.23
5.	ऐरावतेश्वर मंदिर	दारासुरम	तंजावुर	2.12	—	14.59
6.	लघु शिवलिंग छोटा किला	तंजावुर	तंजावुर	—	—	9.34
7.	वेंकटेस पेरूमल मंदिर	तिरुमुक्कुडी	कांचीपुरम	3.91	—	—
8.	इन किला तथा कब्रिस्तान	सद्रास	कांचीपुरम	1.67	4.62	—
9.	स्मारक समूह	मामल्लापुरम	कांचीपुरम	6.357	25.93	41.97
10.	शैलकृत चोता शीर्ष गुफा	सालावंकुप्पम	कांचीपुरम	2.90	2.51	—
11.	महापाषाणी स्थल तथा दफन अवशेष	सानुर	कांचीपुरम	2.25	1.49	—
12.	ब्रह्मपुरीस्वरा मंदिर	ब्रह्मदेसम	विल्लुपुरम	4.95	4.66	—
13.	अलांगया नरसिम्हा स्वामी मंदिर	एन्नईराम	विल्लुपुरम	—	—	22.24
14.	किला परिसर तथा मंदिर	जिंजी	विल्लुपुरम	4.86	—	7.52
15.	आपातसहायेस्वर मंदिर	सेंदामंगलम	विल्लुपुरम पुडुक्कोट्टई	—	4.22	—

1	2	3	4	5	6	7
16.	शिव मंदिर	तिरूमयम	पुडुक्कोट्टई	—	0.15	—
17.	शिव मंदिर	अम्मानकुरूची	पुडुक्कोट्टई	—	5.00	—
18.	पाण्डवानेस्वर मंदिर	पुवालालकुडी	पुडुक्कोट्टई	4.93	0.46	—
19.	शिव मंदिर	कुन्नानडारकोड्ल	पुडुक्कोट्टई	1.35	—	—
20.	शिव मंदिर	विसालुर	पुडुक्कोट्टई	2.72	—	8.66
21.	सिक्कनाथस्वामी मंदिर	कुडुकमियांमलई	पुडुक्कोट्टई	—	0.27	—
22.	जैन गुफा मंदिर	सातन्नावसल	पुडुक्कोट्टई	1.90	0.76	—
23.	किला	वेल्लौर	वेल्लौर	9.20	4.62	20.00
24.	श्री जलकंतेस्वर मंदिर	वेल्लौर	वेल्लौर	4.76	3.51	—
25.	श्री बलिस्वरा मंदिर	तिरूवलिसवरम	तिरूनेलवेली	3.66	3.53	0.24
26.	पाचीन स्थल	कुनातुर	तिरूनेलवेली	4.99	0.39	1.07
27.	भक्तनवातसल मंदिर	सिरादेवी	तिरूनेलवेली	0.29	11.23	0.25
28.	शैलकृत मंदिर	तिरामलपुरम	तिरूनेलवेली	0.04	0.08	0.04
29.	भगवती मंदिर	चितराल	कन्याकुमारी	7.81	4.66	0.63
30.	किला वट्टराकोट्टई	वट्टराकोट्टई	कन्याकुमारी	4.15	5.15	0.22
31.	श्री पार्थसारथी तथा कृष्ण मंदिर	पार्थिवपुरम	कन्याकुमारी	5.21	4.05	0.61
32.	मूर्ति डोलमेस समूह	कोट्टागिरि	नीलीगिरिस	—	0.01	—
33.	अनाइव भवन	चेन्नई	चेन्नई	—	4.02	1.34
34	ब्लाक सं. 36-2 (किला संग्रहा.)	चेन्नई	चेन्नई	3.06	—	—
35.	महापाषाणी स्थल	नेवाली	तिरूवलुर	0.82	3.52	—
36.	पहाड़ी किला तथा मंदिर (वानरदराज पेरूमल मंदिर)	चिन्नाकवंदानुर	सलेम	4.74	4.95	9.81
37.	रंगनाथस्वामी मंदिर, नमक्कल	नमक्कल	सलेम	4.49	—	—
38.	कांरंगुनाथास्वर मंदिर	श्री निवासनाल्लुर	सलेम	2.66	—	—
39.	श्री नीतिस्वरस्वामी मंदिर	श्री मुशनम	कुड्डालौर	2.08	—	—
	तमिलनाडु			**111.261**	**113.57**	**152.60**

विवरण II

क्र.सं.	स्मारक/स्थान का नाम	अनन्तिम प्रावधान 2003-2004 (लाख रुपयों में)
1.	क्लाइव भवन, चेन्नई	10.00
2.	कैलाशनाथ मंदिर, कांचीपुरम	10.00
3.	सिक्कनाथस्वामी मंदिर, कुटुमियांमलई	20.00
4.	पहाड़ी पर स्मारक समूह, मामल्लापुरम	20.00
5.	पहाड़ी पर किला तथा मंदिर, चिन्नाकवंदानुर	10.00
6.	बृहदीस्वर मंदिर, तंजावुर	10.00
7.	बृहदीस्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम	20.00
8.	ऐरावतेस्वर मंदिर दारासुरम	20.00
9.	शिव मंदिर अम्मानकुरूची	10.00
10.	किला तथा परकोटा दीवार वेल्लोर	20.00
11.	आपातसहायेस्वर मंदिर, सेंदामगलम	15.00
12.	एकम्बरेस्वर मंदिर, सेतुर	10.00
13.	किला, तिरूमयम	15.00
14.	नर्सिंग सिस्टर्स हाउस, चेन्नई	15.00
15.	चट्टान पर किला (डिंडिगुल किला) पल्लवपट्टी	10.00
16.	नित्यकल्याण स्वामी मंदिर, तिरूविदनतई	5.00
17.	मुंकुन्दुम्मीस्वरा मंदिर पी.वी. कलातुर	10.00
18.	पंच पांडव विस्तर, जैन मूर्ति तथा पंच पांडवों पर ब्राह्मी एव विटटेलुत्टू अभिलेख किलाईउर	5.00
19.	स्मारक समूह, वल्लीमाली	8.00
20.	श्री भक्तवातसल मंदिर चेरनमहादेवी	10.00
21.	बलीस्वर मंदिर तिरूवलेस्वरम	10.00
	कुल	263.00
जैन सिविल जमाव कार्य		
1.	जैन मंदिर, तिरूमलई	0.67
2.	जैन नक्काशी तथा भगवती मंदिर, तिमचनाथुमलई	15.94
	कुल	16.61

काजू उत्पादन का विकास

5398. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान काजू उत्पादन के विकास हेतु बनायी तथा लागू की गई योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी सहायता प्रदान की गई;

(ग) उक्त उवधि के दौरान क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई; और

(घ) सरकार के विशेषकर तमिलनाडु में काजू के उत्पादन को बढ़ावा देने के और क्या कार्यक्रम हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) सितंबर 2000 तक नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान काजू एवं कोको के समेकित विकास कार्यक्रम पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की गई थी। अक्टूबर, 2000 से इस योजना को कृषि में वृहद प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना सम्पूरण/अनुपूरण कार्य योजना के माध्यम से राज्य के प्रयासों के तहत शामिल कर दिया गया था।

(ख) नवीं योजना के दौरान काजू स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) उपलब्धियां का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वृहद प्रबंधन योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके तहत राज्य सरकार महसूस की गई आवश्यकताओं एवं जरूरतों के अनुसार अपने क्रियाकलापों को प्राथमिकता दे सकती है। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2002-03 के दौरान काजू के विकास के लिए 2.34 करोड़ रु. की धनराशि निर्धारित की है।

विवरण I

नौवीं योजना (1997-2000) के दौरान काजू योजना के तहत दी गई सहायता

क्र.सं.	राज्य	दी गई सहायता
1	2	3
1.	केरल	295.210
2.	कर्नाटक	336.150

1	2	3
3.	गोवा	332.300
4.	महाराष्ट्र	1775.940
5.	आंध्र प्रदेश	286.904
6.	तमिलनाडु	413.510
7.	उड़ीसा	841.980**
8.	मध्य प्रदेश	79.400
9.	चंडीगढ़	0
10.	पश्चिम बंगाल	2.000
11.	असम	1.600
12.	त्रिपुरा	23.150
13.	मणिपुर	36.350
14.	मेघालय	15.180
15.	नागालैंड	13.300
16.	अंडमान और निकोबार	1.170
17.	पांडिचेरी	8.450
	कुल	4462.594

**2000-01 तक की गई निर्मुक्ति

विवरण II

नौवीं योजना के दौरान काजू योजना के तहत प्राप्त उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य	पौध रोपण विकास और रख रखाव	पौध संरक्षण उपाय	क्षेत्रीय नर्सरियां (नर्सरियां)	प्लांट पदर्शन	किसानों का प्रशिक्षण
		हेक्टेयर	हेक्टेयर	संख्या	संख्या	किसानों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
	केरल	3573	7623	शून्य	267	3530
2.	कर्नाटक	7113	7631	1	373	5121
3.	गोवा	6777	7559	2	कोई कार्यक्रम नहीं	3660
4.	महाराष्ट्र	37926	61647	14	47	2205
5.	आंध्र प्रदेश	9144	8376	1	40	3260
6.	तमिलनाडु	8847	8376	2	288	2265
7.	उड़ीसा	18970	10322	8	82	3290
8.	मध्य प्रदेश	1774	1307	शून्य	—	34
9.	चंडीगढ़	—	—	1	—	कार्यान्वित नहीं
10.	पश्चिम बंगाल	545	कोई कार्यक्रम नहीं	शून्य	—	400
11.	असम	—	कोई कार्यक्रम नहीं	1	—	304
12.	त्रिपुरा	50	कोई कार्यक्रम नहीं	1	+	500
13.	मणिपुर	450	325	शून्य	—	300

1	2	3	4	5	6	7
14.	मेघालय	250	कोई कार्यक्रम नहीं	1	—	कार्यान्वित नहीं
15.	नागालैंड	200	कोई कार्यक्रम नहीं	1	—	504
16.	अंडमान और निकोबार	—	कोई कार्यक्रम नहीं	शून्य	—	कोई कार्यक्रम नहीं
17.	पांडिचेरी	—	कोई कार्यक्रम नहीं	शून्य	—	कोई कार्यक्रम नहीं

आकर्षक विदेशी पक्षियों का आयात

5399. **श्री वाई.जी. महाजन:**
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने आकर्षक विदेशी पक्षियों की कुछ प्रजातियों का आयात बढ़ाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ भारतीय पक्षियों को गलती से विदेशी पक्षी घोषित कर दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस विसंगति को दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) अमरीका और यू.के. द्वारा विदेशी पक्षियों के आयात में भारी कटौती करने के उत्तरदायी कारण क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) वर्तमान में पक्षियों को बंदी प्रजनन वाली विदेशी प्रजातियों के व्यापार को भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति, जो वन्यजीव संरक्षण तथा अवैध शिकार और व्यापार पर नियंत्रण संबंधी सर्वोच्च सलाहकार बाडी है, के निर्णयानुसार विनियमित किया जाता है। आयात-निर्यात (एग्जिम) नीति के तहत बंदी प्रजनन वाले विदेशी पक्षियों की केवल छः प्रजातियों का निर्यात किया जा सकता है। "आल इंडियां बर्ड ब्रीडर्स एसोसिएशन" तथा बंदी प्रजनन वाले विदेशी पक्षियों को सभी प्रजातियों के निर्यात की अनुमति देने के संबंध में अनुरोध करने वाले अन्यों के प्रस्ताव पर भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने फरवरी, 2003 में आयोजित इसकी बैठक में सावधानीपूर्वक विचार किया था। सदस्य इस बात पर एकमत थे कि बंदी प्रजनन वाले विदेशी पक्षियों की प्रजातियों की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस प्रकार के अनेक मामले सरकार के ध्यान में आए हैं जहां निर्यातकों ने भारतीय प्रजातियों का निर्यात विदेशी प्रजातियों के छद्म रूप में करने का प्रयत्न किया है।

(घ) भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बंदी प्रजनन वाले विदेशी पक्षियों की केवल छः प्रजातियों की अनुमति दी जाएगी। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिसमें वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के तहत सम्पत्ति को जब्त किया जाना भी शामिल है।

(ङ) पर्यावरणीय जांच एजेंसी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार यू.के. संयुक्त राज्य अमरीका ने संरक्षण के हितों में कई पक्षी प्रजातियों के आयात पर प्रतिबंध लगाते हुए 1992 में विदेशी वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम बनाया था। इसी यू.के. ने भी परिवहन के दौरान बड़ी संख्या में पक्षियों की मृत्यु होने की वजह से आयात से मना कर दिया।

[हिन्दी]

युद्ध जोखिम बीमा

5400. **श्री रामदास आठवले:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने कुवैत के रास्ते आने-जाने वाली सभी एयरलाइनों से भारी युद्ध जोखिम बीमा प्रीमियम की उनकी मांग के बारे में अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनियों के साथ बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और बीमा कंपनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश की घरेलू एयरलाइनों द्वारा बीमा पर कितनी राशि व्यय की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) मार्च, 2003 में इराक युद्ध के आरंभ

होने के पश्चात एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन को अपने बीमाकर्ताओं से नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बीमा अंडर राइटर्स ने कुवैत में प्रचालित होने वाली एयरलाइनों पर युद्ध के संकट के कारण, अतिरिक्त बीमा प्रीमियम लगाने का निर्णय किया था। बीमाकर्ताओं के साथ एक सफल वार्ता के पश्चात इन उड़ानों पर अतिरिक्त बीमा प्रीमियम को हटा दिया गया था। इस प्रकार, इस ओर प्रीमियम का कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ा है।

(ग) नए वर्ष 2002-03 (1.10.2002 से 30.9.2003 तक) के लिए इंडियन एयरलाइंस ने वैमानिक बीमे की राशि का अनुमान लगभग यू एस डी 35.4 मिलियन लगाया है। जो कि 182.13 करोड़ रुपए के बराबर है। (सेवा कर सहित)

[अनुवाद]

कुतुब मीनार परिसर में अंधेरा

5401. **डा. डी.वी.जी. शंकर राव: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली स्थित कुतुब मीनार कुछ महीनों तक बिजली आपूर्ति के बिना रही;

(ख) यदि हां, तो इस ऐतिहासिक स्मारक को विद्युत आपूर्ति न करने के क्या कारण हैं;

(ग) यहां विद्युत आपूर्ति कब बहाल की गई; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली पर्यटन तथा परिवहन विकास निगम लि. ने, जो कुतुब मीनार की प्रकाश व्यवस्था की देखभाल करते हैं, सूचित किया है कि प्रकाश व्यवस्था से दिल्ली पर्यटन पर वित्तीय बोझ पड़ता है तथा क्योंकि दिल्ली सरकार के योजना बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, अत: प्रकाश व्यवस्था का कार्य स्थगित कर दिया गया है।

(ग) सितंबर, 2002 में कुतुब मीनार महोत्सव के दौरान अस्थायी तौर पर बिजली पुन: चालू की गई थी।

(घ) बिजली की लागत तथा वार्षिक रखरखाव शुल्कों को वित्त-पोषित करने के लिए प्रायोजकों को अनुमति देने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर विदेशी एयरलाइनों का परिचालन

5402. **श्री जी.एस. बसवराज: क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में विभिन्न विमानपत्तनों से अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर आने-वाली विदेशी एयरलाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ विदेशी एयरलाइनों को जनवरी 2002 से देश में कुछ अतिरिक्त मार्गों पर चलने की अनुमति दी गई; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) कुल 51 विदेशी एयरलाइनें भारत के लिए प्रति सप्ताह 543 सेवाएं प्रचालित कर रही हैं जिसमें प्रत्येक दिशा के लिए प्रति सप्ताह उपलब्ध कराई गई सीटों की कुल संख्या 125440 है। मौजूदा समय में विदेशी एयरलाइनें भारत के 13 हवाई अड्डों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अमृतसर, हैदराबाद, कोचीन, त्रिवेन्द्रम, त्रिची, बंगलौर, वाराणसी, पटना तथा गया के लिए प्रचालन कर रही हैं।

(ख) और (ग) विभिन्न हवाई अड्डों के लिए अपनी एयरलाइनों के प्रचालन के लिए अन्य देशों के अनुरोधों की सतत् प्रक्रिया के रूप में जांच की जाती है, जो कि यात्रियों की संख्या आदि पर निर्भर करता है तथा जनवरी, 2002 से भारत में विभिन्न हवाई अड्डों पर प्रवेश की अनुमति निम्नलिखित देशों की निर्धारित एयरलाइनों को दी गयी है:-

देश	हवाई अड्डा
ईरान	दिल्ली
श्रीलंका	बंगलौर, गया, कोचीन
सिंगापुर	हैदराबाद
कतर	हैदराबाद, कोचीन
केन्या	दिल्ली
सऊदी अरब	कोचीन
गल्फ एअर	कोचीन

नदियों को आपस में जोड़ना

5403. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री अधीर चौधरी:
श्री कैलाश मेघवाल:
डा. चरणदास महंत:
श्री अशोक ना. मोहोल:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा नदियों को आपस में जोड़ने हेतु गठित कृतिक बल ने परियोजना के संबंध में विशेषज्ञता वाले संस्थानों और विशेषज्ञों की राय लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) कृतिक बल को तकनीकी अथवा विशेषज्ञ राय देने वाले विशेषज्ञता वाले संस्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में और क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्य बल ने 27 मार्च, 2003 को आयोजित दूसरी बैठक में विशिष्ठ विषयों पर नीति पत्रों को तैयार करने के लिए संसाधन संस्थानों/व्यक्तियों के रूप में कुछ संस्थानों/विशेषज्ञों की पहचान की है। इस संबंध में विवरण संलग्न है।

(ग) इस कार्यबल को उक्त संस्थान/विशेषज्ञों से राय प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	शीर्षक/विषय	विशेषज्ञ/संस्थान
1.	वन्यजीव/पर्यावरण	प्रो. समर सिंह, डा. दिलीप बिस्वास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एन ई ई आर आई) वन्य अनुसंधान (एफ आर आई) वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (आई आई एफ एम)
2.	पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास तथा सामाजिक विषय	श्री बब्बर टाटा सामाजिक अध्ययन संस्थान टी आई एस)
3.	वित्त, अर्थशास्त्र	राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.)
4.	अन्तर्राष्ट्रीय आयाम	प्रो. बी.जी. वर्गीस नीति अनुसंधान केन्द्र (सी पी आर) एवं पूर्व राजदूत दासगुप्ता
5.	संस्थागत व्यवस्था	भारतीय प्रबंध संस्थान (आई आई एम), अहमदाबाद
6.	इंजीनियरी प्रौद्योगिकी, निर्माण प्रबंधन, उपस्कर, अनुसंधान एवं विकास	इंजीनियरी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी)
7.	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) दूरसंचार आयोग, दूरसंचार परामर्शदाता इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल)

हिमालय का जंगली बकरा

5404. श्री थाई.थी. राव:
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी हिमालय की संकटापन्न प्रजाति "हिमालय का जंगली बकरा" विलुप्त होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण अफ्रीका भेजे गए इनमें से कुछ पशुओं का वहां प्रजनन और प्रफलन हुआ है तथा विदेशी प्रजाति होने के कारण दक्षिणी अफ्रीकी प्राधिकारियों ने उनको नष्ट करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संकटापन्न प्रजाति को नष्ट होने और मारने से बचाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पशुओं को वापस भारतीय पर्यावास में लाने की क्या कार्य योजना है और सरकार ने क्या कदम उठाए हैं।

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) हिमालय जंगली बकरा भारत में एक संकटापन्न प्रजाति है। इसे वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है तथा इस प्रकार इसके विलुप्त होने को रोकने के लिए इसे कानून के तहत सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है। यह प्रजाति अपने प्राकृतिक आवास स्थल में जी रही है।

(ख) से (घ) हिमालयन जंगली बकरा दक्षिणी अफ्रीका का देशज नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में इसके विदेशी प्रजाति होने की वजह से स्थानीय प्राधिकारियों ने इस प्रजाति की संख्या को कम (संरक्षण प्रबंधन उद्देश्य से मारने)करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार दक्षिण अफ्रीका सरकार से हिमालय जंगली बकरों को पकड़ने की अनुमति देने तथा इन जानवरों को पकड़ने के लिए लाजिस्टिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान कराने की पक्की पुष्टि करने का अनुरोध कर चुकी है। तथापि यह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पर्यटन कार्य योजना की समीक्षा

5405. **श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटक क्षेत्र में नियत लक्ष्य की प्राप्ति में आई कमियों को पहचान करने तथा पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु मई 1992 में शुरू की गई राष्ट्रीय पर्यटन कार्य योजना की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का निजी क्षेत्र से निवेश आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) देश में पर्यटक क्षेत्र की वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा करने एवं 1992 में घोषित की गई राष्ट्रीय पर्यटन कार्य योजना के ढांचे से परे, भविष्य में पर्यटन के विकास के लिए राष्ट्रीय प्रयासों के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 तैयार की गई है।

(ख) मोटे तौर पर इस नीति में निम्नलिखित उद्देश्य प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं:-

* आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन के रूप में पर्यटन को अवस्थित करना;
* रोजगार सृजन एवं आर्थिक विकास के लिए पर्यटन के प्रत्यक्ष एवं बहुविध प्रभावों का उपयोग करना;
* पर्यटन विकास के प्रमुख चालक के रूप में घरेलू पर्यटन पर फोकस करना;
* वैश्विक ब्रांड के रूप में भारत को अवस्थित करना;
* भारत की अनदेखी सभ्यता, हैरिटेज एवं संस्कृति पर आधारित एकीकृत पर्यटन परिपथों का सृजन एवं विकास करना;
* यह सुनिश्चित करना कि भारत आने वाले पर्यटक शारीरिक रूप से पुष्टि, मानसिक कायाकल्प वाला, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध आध्यात्मिक रूप से उदात्त एवं अपने को भारत के रंग में रंगा हुआ महसूस करें।

(ग) और (घ) यह नीति सुविधाकारक एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए, सरकार के साथ निजी क्षेत्र की विवेचनात्मक भूमिका को स्वीकार करती है।

[अनुवाद]

पर्यावरण और सामाजिक रूप से सतत् पहल के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन

5406. **डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:**
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और कनाडा सरकार ने भारतीय उद्योगों में पर्यावरण और सामाजिक रूप से सतत पहल के क्रियान्वयन को समर्थन देने की परियोजना हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय उद्योग परिसंघ (सी आई आई) की पर्यावरणीय प्रबंधन परियोजना, चरण-II के लिए भारत सरकार और कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण.(सी आई डी ए) कनाडा सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर 31 मार्च, 2003 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली इस पंचवर्षीय परियोजना में सहायता प्रदान करने के लिए कनाडा सरकार द्वारा 9 मिलियन कनाडा डालर का योगदान दिया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय उद्योग और केन्द्रीय/राज्य सरकारों में पर्यावरणीय और सामाजिक तौर पर दीर्घकालिक पहलों को बढ़ावा देना है। इस परियोजना से लक्षित पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों के संबंध में भारतीय उद्योग को मार्गदर्शन प्रदान करने, कारोबार करने में पर्यावरणीय और सामाजिक मुद्दों को समाविष्ट करने हेतु उद्योग की क्षमता में वृद्धि करने और राज्य और केन्द्रीय सरकारों का ज्ञानवर्धन करने में भारतीय उद्योग परिसंघ की क्षमता के मजबूत होने की आशा है जिससे पर्यावरणीय तथा सामाजिक व्यवसाय के प्रमुख क्षेत्रों में नीति के विकास और क्रियान्वयन में सहायता मिलेगी।

जल प्रयोक्ता संघ

5407. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से जल प्रयोक्ता संघ गठित करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने अभी तक ऐसे संघों का गठन नहीं किया हैं; और

(ग) सरकार द्वारा जल प्रयोक्ता संघों के गठन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) झारखंड, मिजोरम सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तरांचल ने अभी तक जल उपयोक्ता संघ का गठन नहीं किया है।

(ग) जल उपयोक्ता संघ के गठन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्न कदम उठाए गए हैं- (1) पंजीकृत जल उपयोक्ता संघों को 500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से एक मुश्त कार्यात्मक अनुदान मुहैया कराना जिसमें क्रमश: 225:225:50 के अनुपात में केन्द्र, राज्य तथा किसानों की भागीदारी होनी चाहिए (2) सहभागिता सिंचाई प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय, राज्य तथा परियोजना स्तर पर सम्मेलन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित करना, तथा (3) राज्यों को सहभागिता सिंचाई प्रबंधन अधिनियम के वास्ते माडल अधिनियम तथा दिशा-निर्देश, सिंचाई अधिनियमों में संशोधन मुहैया कराना।

मुख्य गतिविधियों के लिए केन्द्रीय सहायता के जारी किए जाने को प्रस्तावित 'पुनर्संरचित कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम' के अंतर्गत जल उपभोक्ता संघों तथा वितरण समितियों के गठन से जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

भोपाल और इंदौर के लिए विमान संपर्क

5408. डा. लक्ष्मीनारायण पांडेय: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत से औद्योगिक घरानों और विमान यात्रियों ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और वाणिज्यिक शहर इंदौर को वायुमार्ग के द्वारा रायपुर, जयपुर, उदयपुर और अहमदाबाद से जोड़ने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) मध्य प्रदेश के शहरों को अन्य स्थलों जैसे रायपुर, जयपुर, उदयपुर और अहमदाबाद इत्यादि से वायु संपर्क द्वारा जोड़ने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

इंडियन एयरलाइंस के बेड़े के विमान वर्तमान अनुसूची के अनुसार सेवाएं प्रदान करने हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इंडियन एयरलाइंस की भोपाल और इंदौर को रायपुर, जयपुर, उदयपुर और अहमदाबाद से वायु संपर्क प्रदान करने की कोई योजना नहीं है।

हालांकि, सरकार ने मार्ग संवितरण दिशानिर्देश बनाए हैं, ताकि उत्तर-पूर्व क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की वायु परिवहन आवश्यकताओं के अनुसार वायु परिवहन सेवाओं का बेहतर नियमितीकरण हो सके। तथापि, यह एयरलाइनों के ऊपर है कि वह यायायात की मांग एवं व्यावसायिक उपयोगिता के अनुसार सरकार के मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का पालन करते हुए किसी स्थान विशेष के लिए सेवाएं प्रदान करे।

[अनुवाद]

लंबित पर्यटन परियोजनाएं

5409. श्री दिलीप संघाणी: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात समेत कुछ राज्यों की पर्यटन परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त परियोजनाओं को सरकार द्वारा कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) इस मंत्रालय के पास गुजरात का कोई भी पर्यटन प्रस्ताव पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित नहीं है। परन्तु आंध्र प्रदेश से एक पर्यटन प्रस्ताव और गोवा से तीन प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुए हैं। सामान्यतया परियोजना प्रस्ताव पर निर्णय पूरी सूचना की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर ले लिया जाता है।

[हिन्दी]

बिहार को जल आपूर्ति

5410. **श्री अरुण कुमार:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण बिहार के कितने जिलों में अंतर-राज्य सिंचाई परियोजनाओं द्वारा जल प्रदान करने का प्रस्ताव था;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त जिलों को जल की कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई; और

(ग) उपलब्ध कराए गए जल में से उपयोग में लाए गए और व्यर्थ बह जाने वाले जल की मात्रा कितनी है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के अंतर्गत रिक्त पद

5411. **श्री बालकृष्ण चौहान:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत विभागों और उपक्रमों में श्रेणी क, ख, ग और घ के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्गों के (ओ.बी.सी.) के कर्मचारियों की इस समय श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) केन्द्र सरकार की सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों और उपक्रमों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) का आरक्षण कोटा पूरी तरह से भरा जा चुका है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त वर्गों के लिए आरक्षण कोटे को कब तक भरे जाने की संभावना है;

(च) क्या ओ.बी.सी. के कर्मचारियों को पदोन्नति के समय भी उन्हें आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है;

(छ) यदि हां, तो ओ.बी.सी.के लिए आरक्षित पदों के लिए ओ.बी.सी. उम्मीदवारों के न मिलने पर इन पदों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाता है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दिल्ली से उड़ानें

5412. **श्री त्रिलोचन कानूनगो:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन एयरलाइंस की कितनी उड़ानें दिल्ली से अन्य महानगरों के लिए चल रही हैं;

(ख) अन्य विमान सेवाओं द्वारा दिल्ली से अन्य महानगरों के लिए कितनी उड़ानें चलायी जा रही हैं;

(ग) इनमें से कितनी उड़ानों में एयरबस का प्रयोग किया जा रहा है;

(घ) जनवरी, 2003 के प्रत्येक दिन के दौरान प्रत्येक उड़ान जे श्रेणी (एग्जक्यूटिव क्लास) और वाई श्रेणी (इकानॉमी क्लास) में यात्रियों की संख्या कितनी रही;

(ङ) क्या सरकार दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए दैनिक एयरबस सेवा चलाने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो कब तक; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस (एलायंस एयर को मिलाकर) जेट एयरवेज तथा एयर सहारा दिल्ली से महानगरों (जैसे मुम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलौर तथा चेन्नई) के लिए उड़ानों की संख्या क्रमश: 24, 22 तथा 10 हैं। इनमें से 23 उड़ानें एयरबस के विमानों द्वारा प्रचलित की जाती है।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) इंडियन एयरलाइंस के बेड़े में उपलब्ध एयरबस ए-320 विमान वर्तमान अनुसूची की सेवाओं के प्रचालन के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। इसलिए इंडियन एयरलाइंस के पास दिल्ली से भुवनेश्वर की एयरबस सेवा को सप्ताह में तीन से बढ़ाकर दैनिक करने की कोई योजना नहीं है।

सूखे के कारण फसलों को क्षति

5413. **श्री सवशीभाई मकवाना:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे गुजरात में व्याप्त सूखे के कारण कृषि और बागवानी फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप प्रभावित जिलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (घ) गुजरात सरकार द्वारा वर्तमान सूखे को देखते हुए केन्द्रीय सहायता हेतु प्रस्तुत ज्ञापन में राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सभी प्रमुख फसलें से सूखे से प्रभावित हुई हैं। राज्य सरकार के अनुसार खरीफ के दौरान 81.22 लाख हैक्टेयर के सामान्य क्षेत्र की तुलना में 79.95 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बोया गया और रबी में 17.37 लाख हैक्टेयर सामान्य क्षेत्र की तुलना में 15.33 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बोया गया। राज्य सरकार ने राज्य में 13 जिले यथा अहमदाबाद, आनन्द, बनासकांठा, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, खेड़ा पंचमहल, पाटन, पोरबंदर, राजकोट, साबरकाठा और सुरेन्द्रनगर सूखा प्रभावित घोषित किए हैं वर्ष 2002-03 के लिए आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) के केन्द्रीय हिस्से के 133.46 करोड़ रुपए राज्य को निर्मुक्त कर दिए गए थे ताकि सूखे सहित प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तत्काल राहत उपाय किए जा सकें।

[हिन्दी]

बिहार की बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

5414. **श्री राजो सिंह:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में शुरू की गई वड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के अंतर्गत परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजनाएं निर्धारित समयावधि के भीतर पूरी कर ली गई हैं;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में 13.90 हजार हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता तथा 102.26 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली पुनपुन बैराज स्कीम नामक एक वृहद सिंचाई परियोजना एवं 2.92 हजार हेक्टेयर की चरम सिंचाई क्षमता तथा 11.18 करोड़ रुपए का अनुमानित लागत वाली मुनहरा बैराज नामक एक मध्यम सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी।

(ख) दसवीं योजना अवधि के वास्ते पुनपुन बैराज स्कीम के लिए 80.00 करोड़ रुपए का तथा वर्ष 2002-03 के वास्ते 10.00 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया। मुनहरा बैराज के वास्ते दसवीं योजना अवधि के लिए 10 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2002-2003 के लिए 5.00 करोड़ रुपए परिव्यय मुहैया कराया गया।

(ग) दसवीं योजना में पुनपुन बैराज स्कीम एक निर्माणाधीन (चल रही) स्कीम है एवं इसे दसवीं योजना के बाद पूरा करने का लक्ष्य है। मुनहरा बैराज को वर्ष 2003-2004 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(घ) और (ङ) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण, सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, अन्वेषण, क्रियान्वयन तथा उनका वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है तथा परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा उसको दी गई प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

मार्गों के सुव्यवस्थीकरण से होने वाली हानि

5415. **श्री अम्बरीश:**
श्री सी. श्रीनिवासन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया के विमान मार्गों के सुव्यवस्थीकरण से उन्हें नुकसान होगा परन्तु निजी और विदेशी विमान सेवाओं को इस प्रक्रिया से लाभ होगा;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार मार्गों की नीलामी के कारण एअर इंडिया द्वारा अर्जित कुल आय कितनी हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान एअर इंडिया द्वारा वर्षवार और मार्ग-वार किन मार्गों की नीलामी की गई है;

(ङ) एअर इंडिया से इन मार्गों को किन विमान सेवाओं ने प्राप्त किया;

(च) क्या इंडियन एयरलाइंस ने इन मार्गों पर उड़ान संचालन के लिए अनुरोध किया था;

(छ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस अनुरोध को अस्वीकार किया है; और

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचालनों के लिए एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मार्गों के आवंटन से संबंधित सरकार द्वारा 3.1.2002 को जारी निर्देश स्थगित कर दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ज) मार्गों की नीलामी की ऐसी कोई प्रणाली नहीं हैं। बहरहाल, कुछ देशों के साथ भारत विमान सेवा समझौता, प्रचालन में असंतुलन के मामले में निर्धारित भारतीय एयरलाइनों को वाणिज्यिक समझौता उपलब्ध कराता है। एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस दोनों को ही मामले-मामले के आधार पर वाणिज्यिक समझौते के लिए निर्धारित किया गया है।

काबिनी जलाशय से पानी छोड़ा जाना

5416. **श्री एस.डी.एन.आर वाडियार:** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के आरंभ से मेट्टूर जलाशय के लिए काबिनी जलाशय से कुल कितने क्यूसेक पानी छोड़ा गया है; और

(ख) कर्नाटक को अन्य कौन सी नदियों और किन जलाशयों से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ा गया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) कर्नाटक के काबिनी और कृष्णाराजसागर जलाशय से बाह्य प्रवाह तमिलनाडु के मेत्तूर जलाशय में अंतर्वाह के रूप में पहुंचता है। तथापि, इन जलाशयों का संपूर्ण बाह्य प्रवाह अनिकट चैनलों के माध्यम से मार्ग में आने वाली बाधाओं और नदी खंड में होने वाली क्षतियों के कारण मेत्तूर जलाशय में नहीं पहुंच पाता है। चालू जल वर्ष 2002-2003 के दौरान जून से मार्च तक कृष्णाराजसागर (केआरएस) और काबिनी जलाशयों से हजार मिलियन क्यूबिक फीट (टीएमसी) में बाह्य प्रवाहों का मासिक विवरण नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मेत्तूर बांध तक काबिनी और कृष्णाराजसागर के नीचे 29456 वर्ग कि.मी. के निचले आवाह से जल तमिलनाडु के मेत्तूर में अंतर्वाह के रूप में भी पहुंचता है।

	बाह्य प्रवाह (टीएमसी)	
माह	कृष्णाराजसागर	काबिनी
1	2	3
जून, 2002	0.715	1.290
जुलाई, 2002	1.673	9.346
अगस्त, 2002	2.608	24.182
सितंबर, 2002	2.392	8.658
अक्टूबर, 2002	6.778	0.000
नवम्बर, 2002	9.401	0.000
दिसंबर, 2002	2.531	0.000

1	2	3
जनवरी, 2003	1.909	2.005
फरवरी, 2003	1.815	2.495
मार्च, 2003	1.025	0.975
कुल	30.847	48951

'कयर' निर्यात में कमी

5417. **श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कयर और उसके उत्पादों ने गुणवत्ता और मूल्य में कमी दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान गुणवत्ता और मूल्य में कयर और उसके उत्पादों के निर्यात को दर्शाते हुए इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कयर और उसके उत्पादों को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम): (क) और (ख) जी, हां। वास्तव में मात्रा एवं मूल्य दोनों में कयर एवं कयर उत्पादों, के निर्यात में हल्की सी वृद्धि हुई। विगत तीन वर्षों के दौरान मात्रा एवं मूल्य में कयर और कयर उत्पादों के निर्यात का विवरण निम्नोक्त है:-

वर्ष	मात्रा (एम.टी.)	मूल्य (लाख रु. में)
2000-01	67493.08	31366.22
2001-02	71334.81	32058.35
2002-03	82634.00	34512.75

(ग) कयर और कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कयर बोर्ड ने कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ हैं:- प्रदर्शनियों/केटॉलॉग शोज में भाग लेना, विदेश में उत्पाद संवर्धन कार्यक्रम, आई एस ओ 9000 प्रमाणन प्राप्त करने के लिए निर्यातकों को सहायता आदि। कयर क्षेत्र में लघु निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना "विदेश बाजार विकास सहायता" भी प्रारंभ की गई है, जो कि 2000-2001 से प्रभावी है।

प्रोजेक्ट टाइगर

5418. **श्री खेलसाय सिंह: क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिनांक 23 जनवरी, 2003 की पहले से स्वीकृत छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्तावित नई प्रोजेक्ट टाइगर योजना अधिसूचित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(घ) इसके कब तक अधिसूचित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इसकी हाथी पुनर्वास योजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (घ) बाघ परियोजना की संचालन समिति की 23 जनवरी, 2003 को आयोजित 37वीं बैठक में बाघ परियोजना स्कीम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के अचानकमार उदान्ती और सीतान्दी वन्यजीव अभ्यारण्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। उपर्युक्त को बाघ परियोजना स्कीम में शामिल करने के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के अनुमोदन हेतु कार्रवाई की गई है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हाथी पुनर्वास हेतु छत्तीसगढ़ को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई इसलिए उनकी स्थिति का प्रश्न नहीं उठता।

भिलाई इस्पात संयंत्र

5419. **श्री विलास मुत्तेमवार: क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भिलाई इस्पात संयंत्र (बी एस पी) ने 8 मि.मी. से 25 मि.मी. थिकनेस पाइप निर्माण में अग्रवर्ती समैकीकरण हेतु संभाव्यता अध्ययन करने के लिए मेकन (एम ई सी ओ एन) को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) क्या वाइडर पाइप मार्केट में उपलब्ध अवसरों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसकी पूर्वानुमानित मांग कितनी है; और

(ङ) भिलाई इस्पात संयंत्र के क्रियाकलाप के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों की रिपोर्टों पर कब तक अंतिम निर्णय किए जाने की संभावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) भिलाई इस्पात संयंत्र ने भिलाई में पाइप संयंत्र की संस्थापना हेतु संभाव्यता अध्ययन करने के लिए मेकान को नियुक्त नहीं किया गया है। तथापि, इंजीनियर एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी ई टी), जो सेल का एक आंतरिक परामर्शदाता है, इस समय इस संयंत्र के लिए संभाव्यता अध्ययन कर रहा है, यह अध्ययन कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

वन रक्षकों को आधारभूत संरचनाओं संबंधी सुविधाएं

5420. **श्री परसुराम माझी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन रक्षकों को आधारभूत संरचनाओं संबंधी सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव काफी लंबे समय से सरकार के पास विचाराधीन रहा था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें नक्सलवाद प्रभावित वनीय क्षेत्रों विशेषकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पर्याप्त हथियार और गोलाबारूद दिए जाने हेतु कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) फारेस्ट गार्डों को विशिष्ट तौर पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करवाएं जाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, राज्य सरकारों को फील्ड स्टाफ हेतु बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए जिसमें फारेस्ट गार्ड भी शामिल हैं, विभिन्न स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

(ख) फारेस्ट गार्डों को विशिष्ट तौर पर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विशेषकर उड़ीसा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हथियार तथा गोलाबारूद प्रदान किए जाने संबंधी कोई स्कीम नहीं है। तथापि राज्य सरकारों को विभिन्न स्कीमों के तहत बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु जिसमें हथियार तथा गोला-बारूद भी शामिल हैं, केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इन धनराशियों को राज्य सरकारों द्वारा उनकी अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार उपयोग किया जाता है।

मुम्बई विमानपत्तन के लिए धनराशि

5421. **श्री किरीट सोमैया:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई विमानपत्तन प्राधिकरण ने मार्च, 2003 में 500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव को बोर्ड से स्वीकृति के बाद मंत्रालय को भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) उक्त प्रस्ताव से कौन से लाभ प्राप्त होने की संभावना है और उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फसल पूर्वानुमान के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग

5422. **श्री प्रकाश वी. पाटील:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सही फसल पूर्वानुमान के लिए रिमोट सेंसिंग के उपयोग का तरीका निकाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह तरीका सफल प्रायोगिक परियोजना के बाद विकसित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस परियोजना को महाराष्ट्र समेत राज्यों में कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार अंतरिक्ष, मौसम विज्ञान और भू-आधारित अवलोकनों का उपयोग करके कृषि उपज का पूर्वानुमानन (एफ.ए.एस.ए.एल) नामक परियोजना को छत्रक परियोजना के रूप में कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है जिसका उद्देश्य फसल पुर्वानुमानन पर प्राथमिकता ध्यान केन्द्रित

करके कृषि के लिए विविध दूरसंवेदी अनुप्रयोग का उपयोग करना है। इस परियोजना को अंतरिक्ष विभाग और कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस पद्धति में तीन प्रकार के अवलोकनों से आदानों का समेकन होता है अर्थात दूरसंवेदन, मौसम और फील्ड अवलोकनों, तथा सम्पूरण और अनुपूरण सूचना मूहैया करना, इच्छित कवरेज, परिशुद्धता और समयबद्धता के पुर्वानुमान और अनुमान करना।

कृषि में दूरसंचार के अन्य उपयोग में भू-उपयोग और परती भूमि मानचित्रण, सूखा मूल्यांकन, मृदा स्रोत सर्वेक्षण, फसल प्रणाली विश्लेषण बागवानी फसल कवरेज आदि शामिल हैं।

(ग) चयन की गयी फसलों के फसल का क्षेत्रफल और उत्पादन मूल्यांकन के लिए दूर संवेदी अनुप्रयोगों के उपकरणों को विकसित किया गया है और इन्हें फसल के क्षेत्रफल और उत्पादन अनुमानन (सी.ए.पी.ई.) योजना के अंतर्गत वैधीकृत किया गया है और इसे कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा वित्तपोषित और अंतरिक्ष विभाग द्वारा चलाया जा रहा है।

(घ) और (ङ) इस परियोजना में कवरेज के लिए महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों की विभिन्न फसलों के महत्व पर विचार किया जा रहा है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया हैं।

विवरण

पूर्वानुमान के लिए कवर किए जाने वाले राज्य

राज्य	एल.आई. एस.एस. III और स्कीम का नं.	1 (क)	1 (ख)	2 (क)	2 (ख)	3	4	5	6	7	8	9 (क)	9 (ख)	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
आंध्र प्रदेश	30	4	2	6	3	9	6	5	4	—	5	2	2	—	—
असम	14	9	6	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	7	—
बिहार	16	8	7	—	—	—	7	6	—	2	9	8	—	8	6
गुजरात	21	13	—	8	5	3	9	—	2	—	6	1	5	5	8
हिमाचल प्रदेश	9	24	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	9
हरियाणा	9	12	—	9	—	5	—	—	5	—	7	—	—	3	3
जम्मू और कश्मीर	29	15	—	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	10	—
कर्नाटक	22	11	4	3	2	7	4	1	7	—	4	4	3	—	—
मध्य प्रदेश	46	6	—	2	—	8	3	—	9	—	—	6	—	4	4
महाराष्ट्र	32	10	—	1	1	2	9	4	1	—	2	5	4	—	—
उड़ीसा	19	7	5	—	—	—	—	7	—	4	—	—	6	—	—
पंजाब	8	3	—	—	—	—	10	—	3	—	8	—	—	9	2
राजस्थान	37	19	—	7	—	1	1	—	6	—	—	7	—	1	5
तमिलनाडु	16	5	3	4	4	6	—	2	8	—	3	3	1	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
उत्तर प्रदेश	35	1	—	5	—	4	2	3	—	—	1	9	—	2	1
पश्चिम बंगाल	16	2	1	—	—	—	12	—	—	1	—	—	—	6	7
अन्य	64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
योग	423	416	211	248	221	248	301	170	221	65	189	255	140	231	197

एल आई एस एस III
*1 (क)-चावल (के) 3-बाजरा (के) 7-जूट
1 (ख)-चावल (आर) 4-मक्का (के) 8-गन्ना (के) 11-गेहूं
2 (क)-ज्वार (के) 5-रागी 9 (क)-मूंगफली (के)
2 (ख)-ज्वार (आर) 6-कपास 9(ख)-मूंगफली (आर)
(के) खरीफ 10-रेपसीड/ससों
(आर) रबी
और एल आई एस एस. सेल्फ स्कैनर का लीनियर इमेज

प्राणी उद्यानों को बंद करना

5423. **डा. चरणदास महंत:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत पांच वर्षों के दौरान तथा उसके बाद देश में अनेक प्राणी उद्यानों को बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके बंद करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार की वित्तीय सहायता और प्राणी उद्यानों को पुन: स्थापित: करने हेतु वैकल्पिक स्थानों के आवंटन हेतु राज्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ग) जी, हां। पिछले पांच वर्षों के दौरान 90 चिड़ियाघर जो चिड़ियाघर नियमावली, 1992 की मान्यता के तहत निर्धारित मानदंडों और शर्तों को पूरा नहीं करते थे, उनकी मान्यता रद्द कर दी गई थी उन्हें और बंद कर दिया गया था। ऐसे चिड़ियाघरों की राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी, हां। 12 चिड़ियाघरों को जो, उनके वर्तमान स्थानों पर उपयुक्त नहीं हैं, नए स्थानों पर पुन: स्थापित किया जाना है। केन्द्रीय चिड़ियाघरों प्राधिकरण ने अब तक इन चिड़ियाघरों के विकास के लिए 785.61 लाख रुपये की कुल धनराशि प्रदान की है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	प्राणी उद्यान का नाम	अवस्थिति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	अलीसागर हिरण उद्यान	अलीसागर
2.		भेल हिरण उद्यान	हैदराबाद
3.		हिरण प्रजनन फार्म, पखल	वारंगल

1	2	3	4
4.		हिरण उद्यान	कांडलेरू
5.		हिरण उद्यान अनुसंधान स्टेशन वेमपल्ली	सिरसपुर
6.		हिरण उद्यान एयर फोर्स स्टेशन	सिकन्दराबाद
7.		हिरण उद्यान, बेगमपेट	हैदराबाद
8.		क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र	तिरूपति
9.		अनारपंथी शैक्षिक समिति	अनारपंथी
10.	असम	बिजनी उद्यान तथा मिनी चिड़ियाघर	गुवाहाटी
11.	बिहार	अंजता पर्यटक चिड़ियाघर मिरशिकार टोली	पटना
12.		अमर पर्यटक चिड़याघर	पटना
13.		बजरंग चिड़ियाघर	दरभंगा
14.		भारत चिड़ियाघर गुलजार बाग	पटना
15.		डायमंड पर्यटक चिड़ियाघर	पटना
16.		जेमिनी पर्यटक चिड़ियाघर	पटना
17.		जयप्रकाश चिड़ियाघर	बोधगया
18.		न्यू जनता ट्रैवलिंग चिड़ियाघर, मिरशिकार टोली	पटना
19.		न्यू रेमंड पर्यटक	पटना
20.		रेमंड पर्यटक चिड़ियाघर मिरशिकार टोली	पटना
21.		श्री प्रमोद (टूरिंग चिड़ियाघर)	मुजफ्फरपुर
22.		पर्यटक जनता चिड़ियाघर	पटना
23.	छत्तीसगढ़	बैलाडिया हिरण उद्यान	बस्तर
24.	दमन व द्वीव	हिरण उद्यान	दमन
25.	गुजरात	नर्मदा वन्यजीव परिसर	नर्मदा सागर
26.	हरियाणा	हिरण उद्यान, एन एफ एल	पानीपत
27.		मिनी चिड़ियाघर एच ए पी	मधुबन
28.		मिनी चिड़ियाघर सिरसा जिला	अबूबशहर सिरसा जिला
29.		मिनी चिड़ियाघर, भिवानी	भिवानी
30.		मिनी चिड़ियाघर, जींद	जिंद
31.		मिनी चिड़ियाघर, पिंजौर	पिंजौर

1	2	3	4
32.	झारखंड	चाचा नेहरू आईलैंड	तैलेया
33.	कर्नाटक	चिल्ड्रेन पार्क मिनी चिड़ियाघर	शिमोगा
34.		डियर चिल्ड्रेन और कदरी पहाड़ी पर सर्प उद्यान	मंगलौर
35.		जिजीहल आर एफ पर हिरण उद्यान	बेल्लारी
36.		बालबाघ हिरण उद्यान	बंगलौर
37.		मिनी चिड़ियाघर, महाराजा उद्यान	हसन
38.	मध्य प्रदेश	भारदा चिड़ियाघर	रेजन
39.		वन प्रशिक्षण स्कूल वन्यजीव पार्क	बेतूल
40.	महाराष्ट्र	मगरमच्छ केन्द्र तरोबा	चन्द्रपुर
41.		दादासाहेब वागैर स्नैक पार्क	यवतमाल
42.		डियर पार्क	गंगापुर
43.		हूतात्मा बाग प्राणी संग्रहालय	सोलापुरन
44.		जवाहर लाल नेहरू उद्यान, पांडवलेन	नासिक
45.		नेहरू गार्डन	सांगानेर
46.		रामबाग चीतल पार्क	चन्द्रपुर
47.		समीर उद्यान चिड़ियाघर सकरावाड्डी	अहमदाबाद
48.		शांतिनिकेतन स्टूडेंट नेचर क्लब और चिड़ियाघर	सांगली
49.		शिवाजी उद्यान	नासिक
50.		श्री गजानंद वाटिका	बुलदाना
51.		सर्प पार्क	नागपुर
52.		वायु सेना नगर चिड़ियाघर	नागपुर
53.		विवेकानन्द विद्या मंदिर चिड़ियाघर	बुलदाना
54.	उड़ीसा	पाम बीच चिड़ियाघर	गंजम
55.		साइंस कार्नर आफ बाल भवन एनसीएसटीसी नेटवर्क	भुवनेश्वर
56.	पंजाब	अग्रसर अथेनव नेचर पार्क	पटियाला कैंट
57.		गैस्ट हाउस मिनी डियर पार्क, थर्मल कालोनी	भटिंडा
58.		रोज़ गार्डन मिनी चिड़ियाघर	लुधियाना
59.		मिनी चिड़ियाघर आरामबाग	अमृतसर

1	2	3	4
60.		मिनी चिड़ियाघर बंसर बाग	संगरूर
61.		मिनी चिड़ियाघर सैक्टर-6	चंडीगढ़
62.	सिक्किम	बागुवाना फेजंट फार्म	गंगटोक
63.	तमिलनाडु	डियर पार्क	मुकोम्बू
64.		मोंट फोर्ट स्कूल मिनी चिड़ियाघर येरकाल्ड	सेलू
65.		सेंट जोसिफ का मिनी चिड़ियाघर	कुनूर
66.	त्रिपुरा	डियर पार्क पाटीचारी	पाटीचारी
67.	उत्तर प्रदेश	आजाद चिड़ियाघर (टूरिंग)	वाराणसी
68.		बजरंग टूरिंग चिड़ियाघर	वाराणसी
69.		भारत मिनी चिड़ियाघर चिल्का	सहारनपुर
70.		भारतीय टूरिंग चिड़ियाघर	तालबाग
71.		बीना कमल गोल्डन चिड़ियाघर	बुलंदशहर
72.		चेतन केन्द्र रिधानी, रेन्ज	मेरठ
73.		मृग विहार वन चेतना केन्द्र-मोठ	झांसी
74.		नवाब टैंक मृगविहार	बांदा
75.	उत्तर प्रदेश	नेहरू वन चेतना केन्द्र	एटा
76.		न्यू परदेसी टूरिंग प्राणी उद्यान	हरदोई
77.		परदेसी चिड़ियाघर सीतापुर अबोध	हरदोई
78.		शुकतल चीतल उद्यान	मुजफ्फरनगर
79.		वन चेतना केन्द्र	मैसौरी
80.		वन चेतना केन्द्र मुकन्दपुर	अलीगढ़
81.		वन चेतना केन्द्र नांगल	सहारनपुर
82.		वन चेतना केन्द्र नरोरा	बुलन्दशहर
83.		वन मनोरंजन केन्द्र	रामपुर
84.		विन्धय फल मिनी चिड़ियाघर	मिर्जापुर
85.	उत्तरांचल	संजय गांधी मृगवाटिका, मंगलौर	हरिद्वार
86.	पश्चिम बंगाल	अनीता मोबाइल चिड़ियाघर बरूईपुर	साउथ परगना
87.		बिरला औद्योगिकी और प्रौद्योगिकीय संग्रहालय अनीमेलोरियम	कोलकाता

1	2	3	4
88.		दीपक मित्रा स्नेक हाउस हिन्दुस्तान उद्यान	कोलकाता
89.		फेमस मोबाइल चिडियाघर	हावड़ा
90.		जया मोबाइल चिड़ियाघर	हावड़ा

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

खानों के पट्टे का नवीकरण

5424. श्री सी. श्रीनिवासन: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में वन भूमि में खानों को पट्टे पर देने के संबंध में नीति मार्गदर्शी सिद्धांत को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो नए नीति मार्गदर्शी सिद्धांतों को कब तक तैयार किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को खानों के पट्टे के नवीकरण के लिए बहुत से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन प्रस्तावों की स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) खनन पट्टों सहित वानिकी मंजूरी के लिए प्राप्त प्रत्येक पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत गुणदोष के आधार पर विचार किया जाता है। चूंकि सभी प्रस्तावों पर गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है इसलिए वनभूमि पर खनन पट्टों के संबंध में कोई सामान्य नीति संबंधी दिशानिर्देश नहीं बनाए गए हैं। कर्नाटक के बल्लैरी-होसपेट क्षेत्र में खनन के संबंध में क्षेत्र विशिष्ट नीति संबंधी दिशा-निर्देशों को हाल ही में अंतिम रूप दिया गया है।

(ग) से (ङ) जी हां। पिछले तीन वर्षों अर्थात 2000, 2001 और 2002 के दौरान खनन पट्टों के संबंध में 20 हेक्टेयर से अधिक वनभूमि के वनेतर प्रयोग वाले मुख्य प्रस्तावों की राज्यवार स्थिति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	स्थिति
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	एस सी सी एल अदीलाबाद का खनन पट्टा	28.11.01 को अनुमोदित
2.	ए पी एम डी सी का खनन पट्टा	3.5.01 को अस्वीकृत
3.	एस सी सी एल वारंगल का खनन पट्टा	अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा है।
4.	एस सी सी एल वारंगल का खनन पट्टा	1.3.2002 को अनुमोदित
5.	लाइमस्टोन अदीलाबाद का खनन पट्टा	10.1.01 को अनुमोदित
6.	एस सी सी एल अदीलाबाद के लिए खनन पट्टा	1.1.02 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
7.	एस सी सी एल खम्मास के लिए खनन पट्टा	1.1.02 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
8.	ए पी एम डी सी विजाग का खनन पट्टा	30.7.01 को वापिस लौटाया
9.	एस सी सी एल अदीलाबाद का लिए खनन पट्टा	ई डी एस/एस आई आर 1.11.01

1	2	3
10.	मैसर्स के सी पी लि. गुन्दुर का खनन पट्टा	21.11.02 को अनुमोदित
11.	मैसर्स ककातियां सीमेन्ट कृष्णा का खनन पट्टा	18.10.02 को सिद्धांत रूप में अनुमोदित
12.	एस सी सी एल का खनन पट्टा	3.10.02 को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मांगी गई।
	छत्तीसगढ़	
13.	एस ई सी एल कोरबा का खनन पट्टा	2.4.02 को अनुमोदित
14.	रायपुर स्टील लि, राजनंदगाव का खनन पट्टा	15.5.02 को अनुमोदित
15.	बी एस पी, दुर्ग का खनन पट्टा	7.3.03 को अनुमोदित
16.	जायसवाल नेको, रायगढ़ का खनन पट्टा	प्रक्रिया के अंतर्गत
	मध्य प्रदेश	
17.	एस ई सी एल, शहडोल का खनन पट्टा	19.7.00 को अनुमोदित
18.	जे के मिनरल्स बालाघाट का खनन पट्टा	15.2.02 को अनुमोदित
19.	बालको, डिंडोरी का खनन पट्टा	16.3.2000 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
20.	बालको, डिंडोरी का खनन पट्टा	3.7.00 को अस्वीकृत
21.	डब्ल्यू सी एल, छिंदवाड़ा का खनन पट्टा	11.4.01 को अनुमोदित
22.	डब्ल्यू सी एल, छिंदवाड़ा का खनन पट्टा	20.3.01 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
23.	डब्ल्यू सी एल, पथाखेरा का खनन पट्टा	20.3.01 को अनुमोदित
24.	जयलाल भारतलाल सतना का खनन पट्टा	28.11.01 को वापिस लौटाया गया
25.	एस ई सी एल, सिद्ध का खनन पट्टा	12.8.02 को अनुमोदित
26.	एस ई सी एल, शहडोल का खनन पट्टा	प्रक्रिया के अंतर्गत
27.	एस ई सी एल, शहडोल का खनन पट्टा	10.2.02 को अतिरिक्त सूचना मांगी गई
	महाराष्ट्र	
28.	मैसर्स एम ओ आई एल का खनन पट्टा	20.5.02 को अनुमोदित
29.	डब्ल्यू सी एल का खनन पट्टा	1.6.01 को अनुमोदित
30.	डब्ल्यू सी एल का खनन पट्टा	16.1.01 को अनुमोदित
31.	डब्ल्यू सी एल चन्द्रपुर का खनन पट्टा	12.6.02 को अनुमोदित
32.	मानिकगढ़ सीमेंट चन्द्रपुर का खनन पट्टा	28.11.01 को अनुमोदित
	हिमाचल प्रदेश	
33.	गगल सीमेन्ट वर्क्स का खनन पट्टा	25.1.01 को अनुमोदित

1	2	3
34.	गुजरात अम्बुजा सीमेंट का खनन पट्टा	26.2.02 को अनुमोदित
	कर्नाटक	
35.	एम एम एल थिमापनगुडी का खनन पट्टा	18.4.01 को अनुमोदित
36.	बालाजी माइंस एंड मिनरल लि. खानन पट्टा	10.7.00 को सिद्धांत रुप से अनुमोदित
37.	एस एस एल का खनन पट्टा	प्रक्रिया के अंतर्गत
38.	तुंगभद्रा मिनरल का खनन पट्टा	9.1.01 को अनुमोदित
39.	भारत माईन्स बेल्लारी का खनन पट्टा	20.3.01 को अनुमोदित
40.	श्रीविासुलु होसपेट का खनन	प्रक्रिया के अंतर्गत
41.	वैनगनपट्टी होसपेट का खनन पट्टा	प्रक्रिया के अंतर्गत
42.	दोद्दनावर ब्रदर्स बेलगांव का खनन पट्टा	20.6.01 को अनुमोदित
43.	मैसर्स गाविअप्पा बेल्लारी का खनन पटटा	प्रक्रिया के अंतर्गत
44.	वी एन के मेनन बेल्लारी का खनन पट्टा	प्रक्रिया के अंतर्गत
45.	ए वीरभद्रप्पा होसदुर्ग का खनन पट्टा	16.1.01 को अनुमोदित
46.	के. विश्वनाथ देवेनगेरे का खनन पट्टा	14.2.01 को अनुमोदित
47.	गोगा गुरूशांथियां, बेल्लारी का खनन पट्टा	प्रक्रिया के अंतर्गत
	उड़ीसा	
48.	बनवारीलाल क्योंझर का क्वारटीजाइट माइंस	2.11.01 को बंद
49.	मैसर्स ओ एम सी लि. का खनन पट्टा	8.6.01 को अनुमोदित
50.	मैसर्स ए एस टी सी लि. का खनन पट्टा	29.6.01 को अनुमोदित
51.	एस सरदा एंड एस सरदा का खनन पट्टा	21.6.01 को अनुमोदित
52.	जिंदल स्ट्राइपस लि. जयपुर का खनन पट्टा	5.7.01 को अनुमोदित
53.	मैसर्स डी सी जैन, क्योंझर का खनन पट्टा	3.12.02 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
54.	मैसर्स ओ एस सी जाजपुर का खनन पट्टा	5.2.01 को अनुमोदित
55.	रंगटा माइंस सुन्दरगढ़ का खनन पट्टा	6.2.01 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
56.	ओ एस सी लि. का आयरन ओर माइनिंग	4.5.01 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
57.	के जे एस अहुलवालिया, क्योंझर का खनन पट्टा	16.4.02 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
58.	जी एल अग्रवाल बोलनगीर का खनन पट्टा	12.2.02 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
59.	बी सी साहू का खनन पट्टा	10.1.03 को अस्वीकृत

1	2	3
60.	एस सी एल अंगूल का खनन पट्टा	17.10.02 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
61.	आई सी सी एल जाजपुर का खनन पट्टा	विशेषज्ञ समिति द्वारा स्थल का निरीक्षण किया जाना है।
	झारखंड	
62.	रामेश्वर मिल्स का खनन पट्टा	28.11.01 को बंद
63.	शाह ब्रदर्स का खनन पट्टा	राज्य सरकार से अतिरिक्त सूचना की प्रतीक्षा
64.	सी सी एल का खनन पट्टा	10.1.03 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
65.	सी सी एल का खनन पट्टा	प्रक्रिया के अंतर्गत
	राजस्थान	
66.	बीकानेर में आर एस एम डी सी का खनन पट्टा	1.11.02 को अनुमोदित
67.	आर एस एम डी सी, दांतेवाड़ा का खनन पट्टा	प्रक्रिया के अंतर्गत
68.	मैसर्स नलवाया मिनरल्स, डुंगेरपुर का खनन पट्टा	प्रक्रिया के अंतर्गत
69.	आर एस एम डी, जालौर का खनन पट्टा	प्रक्रिया के अंतर्गत
	बिहार	
70.	एस ए आई एल का खनन पट्टा	22.1.02 को सिद्धांत रूप से अनुमोदित
	उत्तर प्रदेश	
71.	क्वैरिंग आफ स्टोन्स, सोनभद्र	प्रक्रिया के अंतर्गत
	गोवा	
72.	चन्द्रकांत नायक का पट्टा सं 63/51	प्रक्रिया के अंतर्गत
73.	बदरूद्दीन मरानी का पट्टा सं 14/52	प्रक्रिया के अंतर्गत
74.	एस कान्तिलाल का पट्टा सं 4/52	प्रक्रिया के अंतर्गत
75.	जी एन अग्रवाल का पट्टा सं 8/48	प्रक्रिया के अंतर्गत
76.	डा. पी आर हेडे का पट्टा सं 30/50	प्रक्रिया के अंतर्गत
77.	वी एम. सलगॉवकर का पट्टा सं 13/55	प्रक्रिया के अंतर्गत
78.	एच के खान, साउथ गोवा का पट्टा सं 10/51	प्रक्रिया के अंतर्गत
79.	मैसर्स एस ओ वी ए साउथ गोवा का पट्टा सं 45/54	प्रक्रिया के अंतर्गत
80.	वी. एम. सलगांवकर का पट्टा सं 50/53	प्रक्रिया के अंतर्गत
81.	एम मारकेननहास साउथ गोवा का पट्टा सं 60/51	प्रक्रिया के अंतर्गत
82.	एम एन ए करीम साउथ गोवा का पट्टा सं 43/53	प्रक्रिया के अंतर्गत
83.	वी डी चौगुले साउथ गोवा का पट्टा सं 14/51	प्रक्रिया के अंतर्गत
84.	ए कूडोचोड़कर साउथ गोवा का पट्टा सं 53/52	प्रक्रिया के अंतर्गत
85.	ए कूडोचोड़कर साउथ गोवा का पट्टा सं 100/53	प्रक्रिया के अंतर्गत

विमानपत्तन पर उत्पीड़न

5425. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खाड़ी देशों से सहार अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, मुंबई पर पहुंचने वाले केरलवासियों का विमानपत्तन पुलिस सीमा शुल्क और उत्प्रास अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से उनके पासपोर्ट जब्त करके तथा रिश्वत मांगकर उत्पीड़न किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य जाती में इस प्रकार के उत्पीड़न को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) उत्प्रास अधिकारियों को केवल पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार है। पिछले दो वर्षों के दौरान सहार हवाई अड्डे पर परेशान करने अथवा अनावश्यक रूप से पासपोर्ट जब्त करने अथवा रिश्वत मांगने की कोई विशेष शिकायत/मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है।

भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान (आईएएसआरआई) में अनियमितताएं

5426. **श्री हरीभाऊ शंकर महाले:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग को गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान (आई ए एस आर आई) में वित्तीय और अन्य अनियमितताओं संबंधी बहुत सी शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और उक्त शिकायतों की प्राप्ति की तारीख तथा लिप्त अधिकारियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त शिकायतों की जांच करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान से संबंधित एक शिकायत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को जांच करने के लिए भेजी है।

(ख) डा. वी टी प्रभाकरन प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान को निदेशक भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्पीड़न करने के आरोप संबंधी शिकायत दिनांक 7.10.2002 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यालय में भेजी गई थी।

(ग) इस मामले की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विषय-वस्तु प्रभाग द्वारा जांच की गई थी। इस जांच पड़ताल में ऐसा कोई मामला प्रकाश में नहीं आया जिस पर कार्रवाई अपेक्षित थी।

समुद्री खाद्य पदार्थ संबंधी नीति

5427. **श्री जी एम बनातवाला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा समुद्री खाद्य पदार्थ संबंधी व्यापक नीति तैयार करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नीति के कारण और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इस नीति को कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (ग) भारत सरकार ने भारतीय मात्स्यिकी संसाधनों के सतत दोहन के उद्देश्य से एक व्यापक समुद्री मात्स्यिकी नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया था। दल ने अपनी रिपोर्ट जून, 2001 में प्रस्तुत की थी। व्यापक समुद्री मात्स्यिकी नीति को अंतिम रूप देने के लिए दल की सिफारिशों की जांच करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत फसलें

5428. **श्री रमेश चेन्नितला:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय वाणिज्यिक/बागवानी फसलें राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत शामिल की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस योजना के अंतर्गत और अधिक बागवानी/वाणिज्यिक फसलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) जी, हां। इस समय राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस)

के अंतर्गत ग्यारह वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें अर्थात गन्ना, आलू, कपास, मिर्च, हल्दी, प्याज, अदरक, जूट, टेपियोका, वार्षिक केला और अन्नास कवर किया जा रहा हैं।

(ख) और (ग) जी हां। यदि संबंधित राज्य के पास कवर किए जाने योग्य फसल/फसलों के आवश्यक पर्याप्त पिछले उपज आंकड़े उपलब्ध हैं तो एन.ए.आई.एस. के अंतर्गत और वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें लाई जा सकती हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के 'जटरोपा कर्कास' हेतु क्रेता केन्द्र

5429. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में 'जटरोपा कर्कास' के बागान की खेती को प्रोत्साहन देने हेतु योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ऐसे बागान को जैव डीजल के उत्पादन से जोड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या खादी एवं ग्रामोद्योग ने देश में उत्पादित सभी जटरोपा कर्कास को खरीदने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ राज्यवार और स्थलवार कितने क्रेता केन्द्रों की स्थापना की गई है/स्थापना की जाएगी?

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संघ प्रिय गौतम): (क) जी, हां। खेती संबंधी क्रियाकलाप केवीआईसी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठाता है।

[हिन्दी]

नई विमान सेवाएं

5430. श्री चिन्मयानन्द स्वामी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों का ब्यौरा क्या हैं जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान विमान सेवाएं शुरू की गई हैं;

(ख) क्या सरकार कुछ अन्य देशों के लिए विमान सेवाएं शुरू करने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) एअर इंडिया ने पिछले तीन वर्षों में अल आइन (संयुक्त अरब अमीरात) फ्रेंकफर्ट (जर्मनी) तथा न्यू जर्सी (संयुक्त राज्य अमेरिका) के लिए उड़ानें आरंभ की हैं। इस अवधि में ईंडियन एयरलाइंस ने संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के लिए उड़ान आरंभ की। पिछले तीन वर्ष के दौरान एयर सेशेल्स एरियाना अफगान एयरलाइंस चायाना एयरलाइंस (ताइवान), चायना इस्टर्न एयरलाइन्स (चीन) महन एयर (ईरान), तजाकिस्तान एयरलाइंस तथा वर्जिन अटलांटिक एयरलाइंस (यूनाइटेड किंगडम) ने अपने-अपने देशों से भारत के लिए प्रचालन शुरू किए हैं।

(ख) और (ग) दूसरे देशों से अपनी एयरलाइनों द्वारा विभिन्न विमानपत्तनों के लिए प्रचालन के लिए प्राप्त अनुरोधों पर विचार किया जाता है जो कि एक चलती रहने वाली प्रक्रिया का अंग है यह यातायात मांग आदि पर निर्भर करता है।

संयुक्त संयंत्र समिति और अनुसंधान एकक को धनराशि का आवंटन

5431. श्री राधामोहन सिंह: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अंतर्गत संयुक्त समिति और आर्थिक अनुसंधान एकक को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) भारत में समेकित निधि से संयुक्त संयंत्र समिति (जे पी सी) और आर्थिक अनुसंधान इकाई (ई आर यू) को उनकी स्थापना के बाद से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई। जे पी सी के कार्यों से संबंधित खर्चों को जे पी सी अकांऊट जनरल फंड जो नियंत्रण काल के दौरान उपकर लगाकर सृजित किया गया था, से उपलब्ध राशि से वहन किया जाता है। ई आर यू पर व्यय इस्पात विकास निधि से प्राप्त ब्याज से किया जाता है।

(ख) संयुक्त संयंत्र समिति लोहा और इस्पात क्षेत्र से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण और उनका प्रचार प्रसार करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। बाजार अनुसंधान कार्यकलापों और इस्पात की खपत को बढ़ावा देने सहित इस्पात उद्योग के रूख और आंकड़ों का विश्लेषण जे पी सी के अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं।

ई आर यू इस्पात उद्योग और अर्थव्यवस्था से संबंधित सामान्य अनुसंधान, परियोजना मूल्यांकन अंतर्राष्ट्रीय बाजार सूचना का संग्रहण और विश्लेषण, विश्व व्यापार संगठन में इस्पात से संबंधित जुड़े कार्यों के बारे में अध्ययन तथा इस्पात निर्यातक मंच से संबंधित मामलों के कार्य करती है।

(ग) जी हां,

(घ) उपरोक्त (ग) को देखते हुए लागू नहीं।

[अनुवाद]

बाघ परियोजना और हाथी परियोजना

5432. **श्री परसुराम माझी:** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितनी **बाघ परियोजनाएं और हाथी** परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) उन परियोजना क्षेत्रों में तेंदुओं और हाथियों सहित बाघों की कितनी संख्या है;

(ग) इन परियोजनाओं को स्थापित करने के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं पर कितना धन खर्च किया गया?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) देश में स्थापित बाघ परियोजना रिजर्वों की संख्या 27 है जबकि देश में हाथी परियोजना रिजर्वों की संख्या 25 है।

(ख) इन रिजर्वों में दी गई सूचना के अनुसार बाघों, चीतों और हाथियों की संख्या नीचे दिए अनुसार है:-

बाघ	1576
चीता	1621
हाथी	20200

(ग) बाघ परियोजना स्कीम का उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक, आर्थिक, सौन्दर्यपरक सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय मूल्यों के लिए बाघों की व्यवहार्य संख्या का अनुरक्षण सुनिश्चित करना है और जनता के लाभ, शिक्षा एवं मनोरंजन के लिए प्राकृतिक विरासत के रूप में जैविक महत्व के क्षेत्रों को हमेशा के लिए संरक्षित रखना है। हाथी परियोजना के उद्देश्यों में हाथियों का संरक्षण और उनके वासस्थलों एवं कारिडोरों का सुधार पालतू हाथियों का कल्याण, जन सहयोग को बढ़ावा देना हाथी रिजर्वों के अनुसमर्थनीय सेवाओं में सुधार शामिल है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बाघ परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई धनराशि

(लाख रुपए)

क्र.सं.	बाघ रिजर्व रेंज राज्य का नाम	2000-2001	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
1.	आंध प्रदेश	45.00	21.00	21.10
2.	अरूणाचल प्रदेश	32.607	82.76	35.875
3.	असम	156.10	46.00	65.70
4.	बिहार	87.077	50.00	25.00

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	—	35.00	32.48
6.	कर्नाटक	193.36	181.434	289.56
7.	केरल	50.00	50.00	63.75
8.	झारखंड	—	75.65	18.00
9.	मध्य प्रदेश	434.247	472.18	786.44
10.	महाराष्ट्र	167.931	209.231	621.79
11.	मेघालय	1.50	—	—
12.	मिजोरम	27.58	20.495	98.32
13.	उड़ीसा	83.31	126.81	32.88
14.	राजस्थान	299.705	170.319	294.92
15.	तमिलनाडु	60.315	16.00	125.00
16.	उत्तराचंल	—	181.825	168.00
17.	उत्तर प्रदेश	181.655	67.40	32.75
18.	पश्चिम बंगाल	98.18	142.176	168.33
	कुल	1918.567	1948.255	2879.895

हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्य-वार जारी की गई धनराशि (लाख रुपए)

असम	45.00	94.50	116.00
अरूणाचल प्रदेश	89.81	56.00	52.00
मेघालय	35.73	30.00	41.00
नागालैंड	35.17	72.13	49.00
त्रिपुरा	2.00	1.00	3.00
मिजोरम	1.00	शून्य	5.00
मणिपुर	1.00	शून्य	शून्य
आंध प्रदेश	46.30	31.00	50.00
केरल	66.05	82.00	111.88
कर्नाटक	51.00	81.00	93.00
तमिलनाडु	50.00	40.00	71.26
पश्चिम बंगाल	79.04	95.00	86.47

1 2	3	4	5
बिहार/झारखंड	5.00	22.688	45.00
उड़ीसा	29.75	102.03	108.39
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	100.00	125.14	107.00
कुल	636.85	832.488	939.00

[हिन्दी]

हवाई किराए में अंतर

5433. श्री माणिकराव होडल्या गावित: क्या **नागर विमान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों और गैर-सरकारी क्षेत्र की विमान कंपनियों के विमान किराए में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और एक अप्रैल 2003 की स्थिति के अनुसार इस संबंध में तुलनात्मक किराए का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विमान किराएं में समानता लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) घरेलू क्षेत्र के किराए नियंत्रित नहीं हैं। सभी एयरलाइन प्रचालकों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार माहौल तथा अपनी प्रचालन लागत के आधार पर किराया लेने की स्वतंत्रता है।

[अनुवाद]

कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001

5434. श्री सुनील खां:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षित संख्या में से शामिल किए गए लोगों सहित "कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा-2001" की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या योजना आयोग और वित्त मंत्रालय इस योजना के लिए धनराशि प्रदान नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना-2001 तीन वर्षों के दौरान प्रथम चरण में 10 लाख कृषि श्रमिकों को शामिल करने के लिए 50 चुनिंदा जिलों में भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से चलायी जा रही है। भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.1.2003 की स्थिति के अनुसार लगभग 2 लाख कृषि श्रमिकों को स्कीम के दायरें में लाया जा चुका है।

(ख) और (ग) प्रथम वर्ष अर्थात 2001-2002 के दौरान स्कीम के अंतर्गत सरकार का अंशदान सामाजिक सुरक्षा निधि से पूरा किया गया था। शेष अवधि के लिए वित्तपोषण के स्रोत के बारे में अभी निर्णय नहीं लिया गया है।

अजंता/एलोरा की गुफाओं को खतरा

5435. श्री सुबोध मोहिते: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए हाल के अध्ययन से पता चला है कि ध्वनि और अन्य प्रदूषण ने अजंता और एलोरा की गुफाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन गुफाओं को बचाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, नागपुर प्रभाग ने वर्ष 1998-2001 के दौरान अजंता और एलोरा गुफाओं में पर्यावरणीय अध्ययन सहित बहु-विषयक भू-तकनीकी अन्वेषण किए थे तथा उन्होंने पता लगाया है कि शोर तथा अन्य प्रदूषणों का गुफाओं पर कुछ प्रभाव पड़ा है।

(ग) इस क्षेत्र को शांत क्षेत्र घोषित किया गया है। वाहनों के यातायात का रास्ता बदल दिया गया है तथा दुकानदारों को गुफाओं की पार्श्वगिरि से हटा कर टी-बिन्दु पर अभी हाल ही में निर्मित दुकानों के परिसर में भेजा गया है। शोर तथा धूलीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए टी-बिन्दु से गुफाओं के लिए प्रदूषण रहित बसों को चलाया गया है।

रोजगार नीति

5436. **श्री ए.सी. जोस:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने इस द्वीप के युवकों के हितों की रक्षा करने हेतु अपनी रोजगार नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रशासन में लगभग 5000 रिक्तियों का प्रबंधन आकस्मिक और ठेका मजदूरों द्वारा किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या प्रशासन का विचार इन रिक्तियों को समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत भरने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) से (ङ) अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से ब्यौरा एकत्रित किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

दुर्गावती जलाशय योजना

5437. **डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को दुर्गावती जलाशय योजना अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति और कार्यान्वयन हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा दुर्गावती जलाशय परियोजना को दिनांक 16.05.1975 को प्रारंभिक रूप से 25.30 करोड़ रुपए की निवेश स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसलिए, जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति ने नवम्बर, 1998 में प्रस्तुत की गई परियोजना की 234.4 करोड़ रुपए (1998 के मूल्य स्तर) की अद्यतन अनुमानित लागत को कुछ शर्तों के अध्ययन पर स्वीकृति प्रदान की थी। बिहार सरकार ने 13.9.2002 को केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकन के लिए 379.04 करोड़ रुपये (एस ओ आर 2002) परियोजना का संशोधित अनुमान प्रस्तुत किया। केन्द्रीय जल आयोग के विशेषज्ञ निदेशालयों की टिप्पणियां बिहार सरकार को भेजी गई हैं।

[अनुवाद]

राज्य सहकारिता अधिनियम में संशोधन

5438. श्री विनय कुमार सोराके: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने चीनी तथा कताई के सहकारिता क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सहकारी समितियों के निजीकरण हेतु राज्य सहकारिता अधिनियम में संशोधन आवश्यक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अन्य राज्य कौन से है जिनके द्वारा बड़े पैमाने पर रूग्णता तथा घाटे के कारण सहकारिता क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) से (ग) तमिलनाडु सरकार ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने चीनी तथा कताई के सहकारिता क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए नहीं खोला है।

(घ) यह प्रश्न नहीं होता।

गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में भयानक आग

5439. श्री नरेश पुगलिया:
श्री चन्द्र भूषण सिंह:

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान और हाल में लगी आग के कारण गिर वन्य जीव अभ्यारण्य में हजारों हेक्टेयर वन नष्ट हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी प्रत्येक आग में कितने मूल्य की वन उपज का नुकसान हुआ;

(घ) क्या सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से ऐसी भयानक आग पर नियंत्रण रखने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी सफलता प्राप्त की गई हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) "गिर" में आग की घटनाओं से वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान क्रमशः 1092 हेक्टेयर, 532 हेक्टेयर और 2196 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ।

(ख) और (ग) "गिर" में आग की प्रत्येक घटना के ब्यौरे उसके कारणों और उपयोग की दृष्टि से वनोत्पाद की क्षति से संबंधित विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त, आग द्वारा प्रभावित क्षेत्र में मृदा शिथिलन जिससे बहुत ज्यादा अपरदन (भूमि कटाव) हो सकता है, आर्दता रिजीम गड़बड़ी आदि जैसे वास्तविक नुकसानों का मुद्रा की दृष्टि से आकलन नहीं किया जा सकता।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के परामर्श से दावानल नियंत्रण हेतु एक "राष्ट्रीय मास्टर प्लान" तैयार किया है। इस मास्टर प्लान में दावानल की मानीटरी में नवीनतम उपग्रह सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी की सहायता लेने हेतु सहायता प्रदान करना, वास्तविक क्षति का मूल्यांकन, फायर डेंजर रेटिंग प्रणालियां तैयार करना और अन्य पारम्परिक प्रविधियों का उपयोग करना, तथा अग्नि निवारण एवं नियंत्रण हेतु संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की सहायता लेना शामिल है।

विवरण

क्र.सं.	वर्ष	प्रभाग का नाम	तारीख	अवस्थिति/ बीट	अनुमानित प्रभावित क्षेत्र (हेक्टे.)	दुग्ध वनोत्पाद की किस्में	अनुमानित क्षति (रुपये)	वन्य जीवों की सूचित क्षति	आग के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2000-01	गिरी (ईस्ट)धारी	1.12.00	करंगसा	5	गिरे हुए सूखे पत्ते सूखी टहनियां और सूखी घास	–	–	दुर्घटनावश
2.			2.12.00	मोती जमवाली	10		500	–	दुर्घटनावश
3.			8.12.00	कोठारिया	10		–	–	दुर्घटनावश
4.			22.12.00	मटनमाला	1.5		100	–	दुर्घटनावश
5.			22.12.00	करमदादी	2		–	–	दुर्घटनावश
6.			25.12.00	करमदादी	20		–	–	दुर्घटनावश
7.			8.1.01	नानी जी नगर	2		250	–	दुर्घटनावश
8.			9.1.01	करकड़ी	35		1000	–	दुर्घटनावश
9.			10.1.01	नानी जी नगर	15		2500	–	दुर्घटनावश
10.			13.1.01	नानी जी नगर	3		300	–	दुर्घटनावश
11.			15.3.01	भिरालाधारी	15		700	–	दुर्घटनावश
योग गिर (ईस्ट) धारी					118.5		5350		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		गिर (पश्चिमी) जूनागढ़	27.11.00	सुदावा	12	गिरे हुए सूखे पत्ते, सूखी टहनियां और सूखी घास	600	-	दुर्घटनावश
2.			29.11.00	सोमासर	30		500	-	दुर्घटनावश
3.			3.11.00	निमा	60		1200	-	दुर्घटनावश
4.			30.11.00	दभाला	20		1300	-	दुर्घटनावश
5.			1.12.00	बखनिया	2		3000	-	दुर्घटनावश
6.			3.12.00	सिस्मल लपटानी और देवलवेल	700		8300		दुर्घटनावश
7.			4.12.00	चोरवादा	20		150	-	दुर्घटनावश
8.			6.12.00	निमा	5		325	-	दुर्घटनावश
9.			8.12.00	कंसोनिया मोती	5		150	-	दुर्घटनावश
10.			25.12.00	कमलेश्वर	60		1000	-	दुर्घटनावश
11.			30.12.00	द्रोण विदि	1.5		3000	-	दुर्घटनावश
12.			9.1.01	लीलापानी	4		1200	-	दुर्घटनावश
13.			9.1.01	अम्बलियावाड़ा	1		300	-	दुर्घटनावश
14.			16.101	कादेली	0.0005		-	-	दुर्घटनावश
15.			19.1.01	खोड़ियारविदि	10		-	-	दुर्घटनावश
16.			27.1.01	दभाला	5		600	-	दुर्घटनावश
17.			2.3.01	द्रोण विदि	2.5		3000	-	दुर्घटनावश
18.			2.3.01	कांसिया	35		-	-	दुर्घटनावश
		गिर (वैस्ट) जूनागढ़ का योग			973		24625		
2000-2001 का महायोग					1092		29975		
1.	2001-02	गिर (ईस्ट) धारी	5.11.01	ल्यूवेरिया	1	गिरे हुए सूखे पत्ते, सूखी टहनियां और सूखी घास	-	-	दुर्घटनावश
2.			14.11.01	अम्बार्डी	2		500	-	दुर्घटनावश
3.			19.11.01	नानी वेडल	50		5000	-	दुर्घटनावश
4.			30.11.01	नानी जमवाली	50		4000	-	दुर्घटनावश

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.			5.12.01	कोठारिया	15			-	दुर्घटनावश
6.			16.12.01	एमएसएस धारी	3		25	-	दुर्घटनावश (बिजली स्पार्क के कारण)
7.			29.12.01	बोरेड़ा	5		500	-	दुर्घटनावश
8.			3.1.02	धारी	5		800	-	दुर्घटनावश (बिजली स्पार्क के कारण)
9.			30.1.02	वेडल	6		500	-	दुर्घटनावश
10.			4.2.02	करंगसा	30		10000	-	दुर्घटनावश
11.			16.2.02	करंगसा	10		6000	-	दुर्घटनावश
12.			24.2.02	गिडारड़ी	20		9000	-	दुर्घटनावश
13.			30.3.03	नाना लिलिया	10		1500	-	दुर्घटनावश
14.			31.3.02	छताड़िया	40		6000	-	दुर्घटनावश
योग-गिर (ईस्ट धारी					247		43825		
1.	गिरी (पश्चिम) जूनागढ़ का योग		8.11.01	कंसिया	40		2000	-	दुर्घटनावश
2.			9.11.01	कंसिया	8		200	-	दुर्घटनावश
3.			18.11.01	छोड़ावड़ी मोती	50		1500	-	दुर्घटनावश
4.			22.11.01	द्रोण	2		150	-	दुर्घटनावश
5.			29.11.01	अलावनी	15		100	-	दुर्घटनावश
6.			6.12.01	जम्बूथला	150		2500	-	दुर्घटनावश
7.			26.1.02	खोजियार	10		100	-	दुर्घटनावश
8.			21.2.02	देडाकड़ी	7		540	-	दुर्घटनावश
9.			13.3.02	खम्बाड़ा	1		75	-	दुर्घटनावश
10.			23.3.02	कमलेश्वर	2		50	-	दुर्घटनावश
गिर (पश्चिम) जूनागढ़ का योग					285		7215		
2001-02 का महायोग					532		51040		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2002-03	गिरी (पूर्वी) धारी	11.4.02	करांगसा	700		100000	-	दुर्घटनावश (बिजली स्पार्क के कारण)
1.				नानी जामवली	50		-		दुर्घटनावश
2.			12.4.02	नानी जामवली	125		20000		दुर्घटनावश
3.			14.4.02	कांगसा	7		-		दुर्घटनावश
4.			21.4.02	मिटियाला	175		-		दुर्घटनावश
5.			25.4.02	मिटियाला	50	सूखे गिरे हुए पत्ते, टहनियां और सूखी घास	5000		जानबूझकर
6.			24.10.02	धारी	2		200		दुर्घटनावश (बिजली के करंट से)
7.			5.11.02	धारी	1.5		600		दुर्घटनावश (बिजली के करंट से)
8.			7.11.02	अम्बारडी	5		600		दुर्घटनावश
9.			15.11.02	अम्बारडी	1.5		100		दुर्घटनावश
10.			24.11.02	घवाड़िया	3		-		दुर्घटनावश
11.			5.12.02	अम्बारडी	1		100		दुर्घटनावश
12.			13.12.02	नानीजेनागर	4		100		दुर्घटनावश
13.			30.12.02	गिडारडी	4				दुर्घटनावश
14.			3.2.03	मिटियाला	5		600		दुर्घटनावश
15.			4.3.03	भेराडा	20		2000		दुर्घटनावश
16.			4.3.03	चंचाय	60		5000		दुर्घटनावश
17.			6.3.03	चंचाय	350.		15000		दुर्घटनावश
18.			12.3.03	सरसिया (पूर्वी)	85		5000		जानबूझकर
गिर पूर्वी धारी का योग					1649		154300		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	गिर (पश्चिमी) जूनागढ़		10.6.02	छोटाकियाली	10		200	-	दुर्घटनावश
2.			1.11.02	राजपाड़ा	2	8	150	-	दुर्घटनावश
3.			14.11.02	पटाला	60	शुष्क गिर पत्ते, शुष्क टहनियां और शुष्क घास	650	-	दुर्घटनावश
4.			16.11.02	सुकी खोड़ियार	40		1200	-	दुर्घटनावश
5.			10.12.02	कनेडीपुर	1		-	-	दुर्घटनावश
6.			14.12.02	रायाडी	15		225	-	दुर्घटनावश
7.			25.12.02	जामवली	50		1100	-	दुर्घटनावश
8.			10.1.03	कुटिया	3			-	दुर्घटनावश
9.			6.2.03	द्रोण विडी	2			-	दुर्घटनावश
10.			14.2.03	रायाडी	12			-	दुर्घटनावश
11.			15.2.03	गुंडयाली	10		175	-	दुर्घटनावश
12.			27.2.03	सासान	2			-	दुर्घटनावश
13.			8.3.03	वानियावाव	5			-	दुर्घटनावश
14.			18.3.03	कालीपत	110		1750	-	दुर्घटनावश
15.			18.3.03	अम्बावाड़ी खोड़ियार	25			-	दुर्घटनावश
16.			18.3.03	कालीपत	100			-	दुर्घटनावश
17.			18.3.03	कालीपत	80			-	दुर्घटनावश
18.			18.3.03	धाबीवाला विस्तार	20		250	-	दुर्घटनावश
	गिर पश्चिमी जूनागढ़ का योग				547		5700		
	2002-03 का महायोग				2196		160000		

जल भंडारण को मौलिक अधिकार बनाना

5440. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने संविधान में संशोधन करने और जल भंडारण को मौलिक अधिकार बनाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) संविधान में संशोधन करने और जल भंडारण को मौलिक अधिकार बनाने के संबंध में कर्नाटक सरकार से कोई भी अनुरोध जल संसाधन मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि परियोजनाएं

5441. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान झारखंड और बिहार समेत अनेक राज्यों के लिए कुछ कृषि परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान किन राज्यों में कृषि परियोजनाएं शुरू किए जाने की संभावना हैं; और

(घ) प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) से (घ) कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा कृषि के विकास के लिए झारखंड तथा बिहार सहित विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयनाधीन प्रमुख स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वृहद प्रबंधन स्कीम आन-फार्म जल प्रबंधन, पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, ग्रामीण गोदामों का निर्माण, कृषि-व्यापार केन्द्रों कृषि-क्लिनिकों की स्थापना कुछ प्रमुख नई स्कीमें हैं जो गत तीन वर्षों में शुरू की गई हैं।

विवरण

झारखंड और बिहार सहित विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयनाधीन प्रमुख स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	स्कीमों के नाम	राज्य का नाम
1	2	3
1.	वृहद प्रबंधन स्कीम	सभी राज्य
2.	कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन	आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
3.	आन-फार्म जल प्रबंधन	अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर मिजोरम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।
4.	तिलहन उत्पादन कार्यक्रम	सभी राज्य
5.	राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना	सभी राज्य
6	आयल पाम विकास कार्यक्रम	आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा।
7.	त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम	गोवा और केरल को छोड़कर सभी राज्य
8.	सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य में बागवानी विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन	अरूणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय मिजोरम, सिक्किम

1	2	3
9.	ग्रामीण गोदामों का निर्माण	सभी राज्य
10.	कृषि व्यापार केन्द्रों और कृषि-क्लिनिकों की स्थापना	सभी राज्य
11.	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल।

[अनुवाद]

चिंगीपुर फीडर नहर

5442. श्री प्रियरंजन दासमुंशी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरक्का बांध के साथ-साथ चिंगीपुर फीडर नहर मुर्शिदाबाद जिले को कृषि सहायता प्रदान कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त नहर द्वारा कितने हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ हुआ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) फरक्का बैराज के साथ-साथ कोई चिंगीपुर फीडर नहर नहीं है। तथापि, जंगीपुर बैराज तक फरक्का बैराज के साथ-साथ एक फीडर (पोषक) नहर है। फरक्का बैराज परियोजना की फीडर नहर से मुर्शिदाबाद जिले को प्रत्यक्षत: कोई कृषि सहायता नहीं मिलती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तिलहन में कमी

5443. श्री ए. ब्राहनैया: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2003-04 के दौरान तिलहन में लगभग छह मिलियन टन की कमी हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो क्या आने वाले वर्ष में तिलहन उत्पादन शुरू करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए त्वरित कार्यक्रम शुरू करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कमी को पूरा करने के लिए किन कदमों का प्रस्ताव किया गया है;

(घ) क्या तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु योजना कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार को कोई धनराशि दी जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) वर्ष 2003-04 के लिए फसल बुआई मौसम अभी शुरू होना है और तिलहनों का उत्पादन मौसम के रूख पर निर्भर करता है। अत: इस समय तिलहन के उत्पादन में कमी के बारे में कोई मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) कृषि के लिए राष्ट्रीय नीति के एक भाग के रूप में सरकार तिलहनों के लिए फसल विविधता पर जोर देती रही है, और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी तिलहन उत्पादन कार्यक्रम जारी रखा जा रहा है।

(घ) और (ङ) देश में तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से 408 चुनिंदा जिलों को कवर करते हुए 28 राज्यों में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ पी पी) कार्यान्वयनाधीन है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2003-04 में कोष हस्तांतरण समेत राज्यों को उनके कोषों की उपलब्धता के अनुरूप मूल्यांकित आवश्यकताओं के अनुसार 93.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है।

अनाज, दलहन, तिलहन, कपास का उत्पादन

5444. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान अनाज, दलहन, तिलहन और कपास का कितना अनुमानित उत्पादन हुआ;

(ख) इनके उत्पादन में अनुमानित कमी अथवा अधिशेष मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिशेष उत्पादन को बेचने और कमी को पूरा करने हेतु क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुक्मदेव नारायण यादव): (क) और (ख) वर्ष 2002-03 के दौरान देश में अनाजों दलहनों तिलहनों और कपास का अनुमानित उत्पादन और वर्ष 2001-02 के दौरान उत्पादन की तुलना में इसमें कमी का विवरण नीचे दिया गया है:-

(मिलियन मीटरी टन)

फसल	2001-02	2002-03*	कमी
अनाज	198.83	172.25	26.58
दलहन	13.19	11.81	1.38
तिलहन #	20.46	15.57	4.89
कपास@	10.09	8.57	1.52

*4.4.2003 को तीसरी अग्रिम अनुमान

इसमें मूंगफली, एरण्डबीज, तिल रामतिल, तोरिया और सरसों अलसी, कुसुम, सूरजमुखी और सोयाबीन शामिल हैं।

@ 170 कि.ग्रा. की मिलियन गाठें।

(ग) देश में अनाजों के भंडार की स्थिति बफर स्टाक के मानदंडों से कहीं अधिक हैं, इसलिए अनाजों के उत्पादन में कमी के कारण कोई संकट नहीं है। दलहनों और खाद्य तेलों को खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल) के तहत कवर किया जाता है और इनके खुले आयात की अनुमति हैं। इससें दलहनों तथा खाद्य तेलों की मांग और उत्पादन के बीच अन्तर को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

देश में कृषि उत्पादन एक दीर्घावधिक उन्नयन का रूख दर्शाता है, हालांकि मौसम की अनिमितताओं के कारण कुछ घट-बढ़ होती है तथापि कृषि क्षेत्र के कार्यनिष्पादन की और अधिक सुधारने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं जैसे पनधारा विकास कार्यक्रमों का संवर्धन नई प्रौद्योगिकियों के विकास और संवर्धन पर जोर देना, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय मंडी सूचना तंत्र, राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम आदि। इसके अलावा सरकार मूल्य नीति के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के लिए भी किसानों को प्रोत्साहित करती है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी हस्तक्षेप स्कीमों का कार्यान्वयन शामिल है। इनके अलावा राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने वृहद प्रबंधन प्रणाली भी अपनाई है। वृहद प्रबंधन स्कीम में 27 स्कीमों का एकीकरण करके एक स्कीम बनाई गई है ताकि कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों का सम्पूरण और अनुपूरण किया जा सके। इसमें राज्यों को लचीलापन प्रदान किया गया है कि वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए उनके समक्ष आ रही विशिष्ट समस्याओं की ओर ध्यान दे सकें, विभिन्न स्कीमों की विषय वस्तुओं में दोहरेपन से बच सकें और कृषि के चहुंमुखी विकास को लक्षित कर सकें।

राज्यों को कुंओं की खुदाई हेतु सहायता

5445. श्री ए. नरेन्द्र: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल समेत राज्यों में कुओं की खुदाई के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह धनराशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जल संसाधन मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बाल श्रम कानूनों की समीक्षा

5446. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री लक्ष्मण गिलुवा:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल श्रम कारणों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा उनमें कितने संशोधन किए गए हैं; और

(ग) उन कानूनों से अब तक कितना लाभ हुआ है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी, हां।

(ख) अधिनियम को और सख्त बनाने के लिए किए जाने वाले संशोधनों में शामिल हैं(क) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन)-

अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अपराध को सज्ञेय अपराध बनाना; (ख) शास्तियों को और अधिक सख्त तथा निवारक बनाना; और (ग) बच्चों की आयु को सबूत मुहैया कराने की जिम्मेदारी नियोजक पर होगी।

(ग) संशोधनों के पश्चात बाल श्रम प्रतिषिद करने के लिए 13 व्यावसायों तथा 57 प्रक्रियाओं को दायरे में लेने के लिए अधिनियम की अनुसूची को बढ़ा दिया गया है। पिछले 5 वर्षों के दौरान दोषी नियोजकों के खिलाफ 12,348 अभियोजन चलाए गए हैं।

[अनुवाद]

जलाशयों में जल की स्थिति

5447. डा. मन्दा जगन्नाथ: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के मुख्य जलाशयों में जल की शोचनीय स्थिति जारी है, क्योंकि निगरानी समूह को उनमें गाद के इकट्ठा होने के कारण जल के कम स्तर का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्यों को इन जलाशयों से गाद निकाले जाने के निर्देश दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) केन्द्रीय जल आयोग की मानीटरी रिपोर्ट के अनुसार देश में 70 महत्वपूर्ण प्रमुख जलाशयों की संयुक्त सक्रिय भंडारण क्षमता 130.553 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी सी एम) है जो देश में सृजित भंडारण का 74% है।

मानसून के अंत (30.09.2002) में इन जलाशयों में समग्र भंडारण 66.39 बी सी एम था जो पिछले वर्ष की इसी तिथि को 25.74 बी सी एम (एफ आर एल पर भंडारण क्षमता का 20%) की तुलना में दिनांक 17.4.03 को 23.78 बीसीएम (एफआरएल पर भंडारण क्षमता का 18%) और 35.70% बीसीएम (एफआर एल पर भंडारण क्षमता का 27%) था। यह पिछले 10 वर्षों का औसत भंडारण हैं। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस वर्ष के दौरान भंडारण स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में कम है और यह स्थिति पिछलें 10 वर्षों के औसत भंडारण से कम है। जलाशय में कम भंडारण की स्थिति वर्ष 2002 के दौरान खराब दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण हुई है। समग्र रूप से देश में मौसमी वर्षा (जून-सितंबर) सामान्य से 19% कम हुई थी जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2002 के दौरान संपूर्ण भारत में सूखे की स्थिति बनी रही।

विभिन्न जलाशयों से संग्रहीत आंकड़ों का विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि अवसादन की गति चिंताजनक नहीं है। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के दौरान किए सर्वेक्षणों से यह महसूस किया गया है कि जलाशयों में अवसादन दर उनके प्रचालन की प्रारंभिक अवधि से अधिक है जिसमें बाद में महत्वपूर्ण गिरावट आई है। इनमें से कुछ जलाशयों ऐसे भी है जो अपनी योजना अवधि पूरा करने के बाद भी कार्यरत हैं और महत्वपूर्ण लाभ प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार अत्यधिक अवसादन के कारण जलाशयों के भंडारण में कमी आने की आशंका नहीं है।

(ख) जलाशयों से गाद हटाने के संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यावरण कार्यक्रमों के लिए विदेशी सहायता

5448. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न पर्यावरणीय कार्यक्रमों के लिए ऋण के रूप में विदेशों से धनराशि प्राप्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन राज्यों के क्या नाम है; जहां उक्त धनराशि का प्रयोग किया गया हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उन पर्यावरणीय कार्यक्रमों जिनके लिए विदेशों से ऋण लिए गए हैं, संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	ऋण स्रोत	ऋण उपयोग करने वाला राज्य	ऋण की कुल धनराशि दाता मुद्रा में (मिलियन में)
1	2	3	4	5
1.	गुजरात वनीकरण एवं विकास परियोजना	जापान	गुजरात	1576 जापान येन
2.	पूर्वी कर्नाटक वनीकरण परियोजना	जापान	कर्नाटक	1596.8 जापान येन
3.	अट्टापड्डी वेस्टलैंड कम्परिहैंसिव एन्वायरमैंट प्रोजेक्ट	जापान	केरल	जापान येन 511.2
4.	भोपाल झील संरक्षण एवं प्रबंधन परियोजना	जापान	मध्य प्रदेश	जापान येन 705.5
5.	पंजाब वनीकरण परियोजना	जापान	पंजाब	जापान येन 618.8
6.	वनीकरण विकास परियोजना (आई जी नाहर)			
	(2) अरावली पहाड़ियों में वनीकरण	जापान	राजस्थान	जापान येन 1686.3
	(3) राजस्थान वनीकरण विकास परियोजना			
8.	तमिलनाडु वनीकरण परियोजना	जापान	तमिलनाडु	जापान येन 1332.4
9.	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना (पश्चिम बंगाल)	जापान	पश्चिम बंगाल	जापान येन 152.5
10.	आंध्र प्रदेश वानिकी प्रबंधन परियोजना	आई डी ए	आंध प्रदेश	अमरीकी डालर 0.15
11	औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण	आई बी आर डी	केन्द्र सरकार	अमरीकी डालर 0,20
12.	(1) आंध्र प्रदेश वानिकी परियोजना (2) आंध प्रदेश सामुदायिक वानिकी प्रबंधन परियोजना	आई डी ए	आंध्र प्रदेश	एक्स डी आर 14.08
13.	(1) औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम (2) औद्योगिक प्रदूषण निवारण (3) पारि-विकास परियोजना	आई डी ए	केन्द्र सरकार	एक्स डी आर 4.82
14.	केरल वानिकी परियोजना	आई डी ए	केरल	एक्स डी आर 2.88
15.	महाराष्ट्र वानिकी परियोजना	आई डी ए	महाराष्ट्र	एक्स डी आर 6.72
16.	मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना	आई डी ए	मध्य प्रदेश	एक्स डी आर 3.88
17.	(1) वानिकी अनुसंधान शिक्षा एवं विस्तार परियोजना (2) उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना	आई डी ए	बहु राज्यीय उत्तर प्रदेश	एक्स डी आर 6.92

[अनुवाद]

तटीय विनियनम क्षेत्रों (सी आर जेड) के नियमों में संशोधन

5449. श्री टी. गोविन्दन: क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्रों (सी आर जेड) की अधिसूचना में कुछ संशोधन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष की आज की तिथि तक जनता पर्यावरणविदों और राज्य सरकारों से कोई सुझाव/अनुरोध आमंत्रित और प्राप्त किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रकार के प्रत्येक अनुरोध/सुझाव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार को तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 में संशोधन के लिए तटीय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों, पर्यावरणविदों और अन्यों से अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों में सौर वाष्पीकरण द्वारा नमक बनाना, गुजरात में तटीय विनियमन क्षेत्र के भीतर चूने का खनन, महाराष्ट्र में आवासीय परियोजनाओं के विकास के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र के अंतर्गत छूट देना, गोवा में तटीय पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए छूट देना केरल के बैक वाटर्स के साथ आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र में कमी करना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तटीय विनियमन क्षेत्र में रेत का खनन और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए विनियमन क्षेत्र में कमी करना शामिल है।

उक्त सुझावों पर विचार करने के बाद सरकार ने तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 1991 में संशोधन जारी किए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वर्ष दर-वर्ष के आधार पर रेत के खनन की व्यवस्था तटीय विनियमन क्षेत्र में तरल प्राकृतिक गैस के भंडारण और पुनर्गैसीकरण और अंतरज्वारीय क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण की व्यवस्था है।

जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक मसौदा अधिसूचना का.आ. संख्या 51 (अ) तारीख 11.1.2002 द्वारा जारी की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की व्यवस्था की गई है (1) तटीय विनियमन जोन के क्षेत्र में 50 मीटर तक अथवा नदी, संकरी खाड़ी (क्रीक) अथवा बैक वाटर की चौड़ाई इनमें से जो भी कम हो तक विनिर्दिष्ट भागों में कतिपय शर्तों के अधीन स्थानीय निवासियों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण की अनुमति दी गई है, (2) राज्य शहरी विकास प्राधिकरणों की आवासीय स्कीमों के अंतर्गत निर्माण की अनुमति जहां तटीय विनियम क्षेत्र-2 के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में निर्माण कार्यों की अनुमति जहां 19.2.1991 से पहले निर्माण कार्य शुरू हो गये थे, (3) अधिसूचित विशेष आर्थिक जोनों और मौजूदा अधिसूचित पत्तन सीमाओं में "नो डैवलपमेंट जोन" समाप्त करना (4) कतिपय शर्तों के अधीन तटीय विनियमन जोन-III के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों के लिए आवासी इकाइयों और आधारभूत सुविधाओं के लिए अनुमति देना, और (5) अन्तरज्वारीय क्षेत्रों में सौर वाष्पीकरण द्वारा नमक बनाना। विभिन्न सुझावों/आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए 21 मई, 2002 को अधिसूचना को अंतिम रूप दे दिया गया था।

विदेशों में अवैध रूप में भेजी गयी नौकरानियां

5450. श्री वी. वेत्रिसेलवन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न एजेंसियों द्वारा काफी संख्या में नौकरानियां अवैध रूप से खाड़ी देशों में भेजी गयी है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार को प्राप्त जानकारी वाले मामलों की संख्या कितनी हैं;

(ग) इस संकट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इन एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार की जानकारी में 115 मामले आए हैं।

(ग) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ तीस वर्ष से कम आयु की घरेलू नौकरानियों की भर्ती पर रोक लगाने, कुछ देशों में रोजगार हेतु घरेलू नौकरानियों को प्रतिबंधित करने/कठोरता से उनकी छानबीन करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं तथा सभी राज्य सरकारों और संघ शासित प्रशासनों के गृह सचिवों को

धोखेबाज ऐजेन्टों की ऐसी अनैतिक गतिविधियों को रोकने हेतु उचित अनुदेश जारी करने के लिए भी लिखा गया है।

(घ) संबंधित पुलिस प्राधिकारियों के पास रिपोर्ट लिखवाई जाती है जो जांच करते हैं और ऐसी अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त पाई गई एजेंसियों/व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाते हैं।

[हिन्दी]

रात्रिकालीन उड़ानों को रद्द करना

5451. श्री रामदास आठवले: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने कुवैत में फंसे यात्रियों को लाने वाली रात्रिकालीन उड़ानों को रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने कुवैत से भारत आने वाले यात्रियों की अधिक संख्या को देखते हुए वाणिज्यिक आधार पर मार्च, 2003 में अतिरिक्त उड़ानें शुरू की है। तथापि, उसके बाद कोई अतिरिक्त मांग नहीं थी और दोनों एयरलाइनों ने कुवैत के लिए अपने सामान्य उड़ान प्रचालनों को बनाए रखा है। कुवैत में क्रू ले ओवर से बचने के लिए एअर इंडिया ने भी अपनी उड़ानों की रीस्डयूलिंग की थी।

[अनुवाद]

इको-पर्यटन

5452 श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इको-पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए ताज समूह ने विदेशी फर्मों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और चीन ने भी 2002 में पर्यटन क्षेत्र में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उस समझौता ज्ञापन का ब्यौरा क्या है जिसमें ताज की योजना अपने पर्यावरणीय पर्यटन उद्यम की देखभाल के लिए सहायक कंपनी और उप-ब्रांड की स्थापना करने का है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) ताज समूह होटल ने सूचित किया है कि वे इको-पर्यटन पर विचार कर रहे हैं लेकिन यह मुद्दा अभी तक प्रारम्भिक अवस्था में ही है।

(ख) जी हां। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय पर्यटन सहयोग करार पर 14 जनवरी, 2002 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जल संरक्षण के संबंध में जागरूकता अभियान

5453. श्री दानवे रावसाहेब पाटील: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जल संरक्षण के लिए राज्य में जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) प्रश्न का उत्तर दिए जाने के लिए जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश के मान बांध के विस्थापितों को पुनर्स्थापित करना

5454. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के मान बांध के निर्माण से प्रभावित लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन लोगों की पुनर्स्थापना करने का कोई प्रयास किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) मध्य प्रदेश में मान बांध के निर्माण के कारण कुल 993 परिवार प्रभावित हुए हैं.

(ख) और (ग) कुल प्रभावित परिवारों में से 805 परिवारों को प्रभावित ग्रामों से हटाया गया है तथा दिसंबर, 2002 तक 730

परिवारों को विस्थापित किया गया है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की नीति के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों को बसाया जा रहा है।

इंडियन एयरलाइंस में कर्मचारियों की कमी

5455. श्री के.पी. सिंह देव: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस कर्मचारियों की कमी का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो आज तक खाली पड़े पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) इंडियन एयरलाइंस में कुछ विभागों में विशेषकर उन विभागों में जो प्रचालन से संबंधित हैं मानवशक्ति की कमी है। पिछले तीन वर्षों में विमानों का उपयोग तथा नेटवर्क पर स्टेशनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन जरूरतों के साथ-साथ सामान्यत: पदों के घटते रहने को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर रिक्तियां निकाली जाती हैं।

निम्न श्रेणियों में रिक्तियों के लिए अधिसूचना/विज्ञापन दिये जा चुके हैं तथा इनमें भर्ती की प्रक्रिया जारी है:

1.	पायलेट	20
2.	इंजीनियर	121
3.	तकनीशियन	128
4.	केबिन क्रू	191 (20 केबिन क्रू पहले ही प्रशिक्षण पा रहे हैं)
5.	सहायक प्रबंधक (उड़ान प्रचालन)	21

इंडियन एयरलाइंस द्वारा रियायत

5456. श्रीमती श्यामा सिंह:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और छात्रों को दी जा रही रियायतों को सुगम बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वायु टिकटों पर रियायतें देने में नयी शर्तें लागू करने से इंडियन एयरलाइंस को कितनी बचत होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) इस मंत्रालय ने इंडियन एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि छूट प्राप्त करने वालों की वर्तमान श्रेणियों से संबंधित कोई भी प्रस्ताव अंतिम निर्णय के लिए इंडियन एयरलाइंस के निदेशक मंडल की सिफारिशों सहित मंत्रालय को भेजा जाए। ऐसा कोई भी प्रस्ताव इंडियन एयरलाइंस से प्राप्त नहीं हुआ है।

चिकित्सा परिचर्या के लिए राज्य कर्मचारी बीमा निगम द्वारा धनराशि

5457. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य कर्मचारी बीमा निगम स्वास्थ्य परिचर्या पर आधारित स्वास्थ्य योजनाओं को चलाने के लिए धनराशि उपलब्ध करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर आने वाला वहन राज्य कर्मचारी बीमा निगम और राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो इसका वर्तमान अनुपात क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकारों का विचार चिकित्सा व्यय की सीमा बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो क्या चिकित्सा व्यय की सीमा का वास्तविक निर्धारण करने के लिए राज्य कर्मचारी बीमा आयोग ने व्यावसायिक संस्थानों द्वारा सर्वेक्षण कराया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) व्यय का वहन क.रा.बी. निगम और राज्य सरकार द्वारा 7:1 के अनुपात में किया जाता है जिसके लिए एक निर्धारित अधिकतम सीमा रखी गई है और उस अधिकतम सीमा से अधिक किये गये खर्च को स्वयं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद को चिकित्सा देख-रेख के खर्च की अधिकतम सीमा नियम करने के लिए अध्ययन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तथापि, अंतरिम उपाय के रूप में, क.रा.बी. निगम ने 1.4.2003 से अधिकतम सीमा को 600 रु. से बढ़ाकर 700 रु. प्रति बीमित व्यक्ति वार्षिक करने का निर्णय लिया है।

पारिस्थितिकी पर्यटन

5458. श्री श्रीनिवास पाटील: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न वन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिमी घाटों में पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास के लिए कोई योजना बनायी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो दसवीं योजना के लिए प्रस्तावित धनराशि कितनी है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) और (ख) वर्ष 2002 में सरकार ने एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति घोषित की है जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन के संवर्धन पर अधिक बल दिया गया है। सरकार ने सुकुमार पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रबंधन हेतु ब्यौरे प्राप्त करने तथा देश में पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास हेतु परियोजनाओं/कार्यक्रमों पर विचार करने के लिए पारिस्थितिकी पर्यटन तथा पहाड़ों पर एक राष्ट्रीय समिति भी गठित की है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने पश्चिमी घाटों में पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास हेतु कोई विशिष्ट योजना नहीं बनायी है।

जल क्षेत्र में निजीकरण

5459. डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री विनय कुमार सोराके:
श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री पी. राजेन्द्रन:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपनी सुधार नीति के अनुसरण में जल क्षेत्र में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ संगठनों ने सरकार की इस पहल का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) राष्ट्रीय जल नीति-2002 में, जहां कहीं व्यवहार्य हो, विविध उपयोग हेतु जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की सहभागिता का प्रावधान है। निजी क्षेत्र की सहभागिता से उपयोगकर्त्ताओं के लिए नवीन विचारों को प्रारंभ करने, वित्तीय संसाधनों के सृजन और कार्पोरेट प्रबंधन प्रारंभ करने तथा सेवा दक्षता तथा विश्वसनीयता में सुधार लाने में सहायता प्राप्त हो सकेगी। विशेष स्थितियों के मद्देनजर भवन-निर्माण, स्वमित्व, प्रचालन, पट्टा तथा जल संसाधनों से संबंधित सुविधाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता के विभिन्न योगों पर विचार किया जा सकता है। जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधन संबंधी स्कीमों की आयोजना, तैयारी, क्रियान्वयन तथा वित्तपोषण राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से किया जाता है। अत: जल क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनुमति देना संबंधित राज्य सरकार पर निर्भर करता है।

(ग) से (ङ) जल संसाधन मंत्रालय को इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, इस क्षेत्र में निजीकरण के परिणामस्वरूप लोगों के जल संबंधी अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में विभिन्न भागों में चिंताएं व्यक्त की गई हैं। निजी क्षेत्र की सहभागिता की नीति का उद्देश्य जल संसाधन क्षेत्र में सुविधाएं/सेवाएं प्रदान करना है न कि संसाधन के रूप में जल का निजीकरण करना है।

नौकरियों में आरक्षण

5460. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या **पर्यटन और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी विभाग और स्वायत्त संस्थाओं तथा उनके मंत्रालय से जुड़े कार्यालयों में श्रेणी I और श्रेणी II के राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियों में आरक्षण नीति का पालन कड़ाई से किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ग) आरक्षित श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़े व्यक्तियों के श्रेणी I और श्रेणी II के पदों को भरने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन रिक्त पदों को तुरंत भरने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है एवं उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

मत्स्य पालन और बागवानी का विकास

5461. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में मत्स्य पालन और बागवानी के विकास के लिए क्या योजना लागू की गयी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष में इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का प्रयोग किया गया है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बागवानी और मत्स्यपालन के लिए कार्यान्वित की गई स्कीमों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। राज्यों में बागवानी के अधिकतर कार्यक्रम कृषि में वृहत् प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-कार्य योजनाओं के माध्यम से राज्य प्रयासों का सम्पूरण/अनुपूरण के अंतर्गत कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) कथित अवधि के दौरान वृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत प्रदान की गई और उपयोगिता निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। कथित अवधि के दौरान मत्स्यपालन के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण III और IV में दिया गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान मत्स्यपालन के लिए प्रदान किया गया बजट अनुमान 1500 लाख रुपए है। गत तीन वर्षों के दौरान मत्स्यपालन के अंतर्गत उपयोगिता निधियों का राज्यवार ब्यौरा और वर्ष 2003 के लिए आवंटन उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) वृहत प्रबंधन स्कीम के अंतर्गत, राज्य सरकारों को उनकी महसूस की गई जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम शुरू करने में लचीलापन प्रदान किया गया है। वर्ष 2003-04 के दौरान मत्स्यपालन के अंतर्गत ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण I

देश में बागवानी और मत्स्यपालन के लिए कार्यान्वित स्कीमों की सूची

(क) बागवानी हेतु स्कीमें

(क) अक्तूबर, 2000 से वृहत् प्रबंधन के अंतर्गत समाहित स्कीमें:

(1) फलों का एकीकृत विकास

(2) जड़ तथा कन्दीय फसलों सहित सब्जियों का एकीकृत विकास

(3) खुम्बी का एकीकृत विकास

(4) मसालों का एकीकृत विकास

(5) वाणिज्यिक पुष्पकृषि का विकास

(6) औषधीय तथा सुगंधदायक पौधों का विकास

(7) प्लास्टिक कल्चर हस्तक्षेप के माध्यम से बागवानी का विकास

(8) एकीकृत काजू तथा कोको विकास कार्यक्रम

(9) फसल उत्पादकता में सुधार हेतु मधुमक्खी पालन का विकास

(ख) चल रही स्कीमें

(1) जनजातीय/पहाड़ी क्षेत्रों का एकीकृत विकास

(2) बागवानी में मानव संसाधन विकास

(3) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी के एकीकृत विकास हेतु प्रौद्योगिकी मिशन

(4) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के कार्यक्रम

(5) नारियल विकास कार्यक्रम

(ख) मत्स्यपालन की स्कीमें

(1) मीठे पानी में जलकृषि के विकास संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

(2) 'एकीकृत तटीय जलकृषि'' संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

विवरण II

वृहत प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों को निर्मुक्त निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2000-01		2001-02		2002-03		अन्तरिम आवंटन (2003-04) (केन्द्रीय हिस्सा)
		निर्मुक्त	उपयोगिता	निर्मुक्त	उपयोगिता	निर्मुक्त	उपयोगिता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2266.97	3158.45	2250.00	3421.40	1900.00	—	3400.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	534.00	528.06	219.50	373.85	463.00	237.57	400.00
3.	असम	431.71	113.33	523.50	769.86	350.00	512.97	700.00
4.	बिहार	352.58	46.96	1800.00	1309.77	1250.00	—	1800.00
5.	झारखण्ड	—	—	1095.00	675.00	600.00	—	1200.00
6.	गोवा	26.42	138.79	200.00	199.29	162.00	102.88	200.00
7.	गुजरात	3000.00	3528.51	1900.00	625.92	1600.00	—	2300.00
8.	हरियाणा	1233.39	1272.90	1620.00	1767.57	1600.00	764.54	1600.00
9.	हिमाचल प्रदेश	1241.29	1208.09	1800.00	1751.76	1600.00	665.62	1600.00
10.	जम्मू और कश्मीर	840.05	905.34	900.00	1130.41	1932.00	745.46	1600.00
11.	कर्नाटक	6020.08	4967.87	5850.00	6072.36	5338.00	3067.29	5500.00
12.	केरल	3026.70	4750.09	2315.54	2313.54	2762.00	1506.00	2900.00
13.	मध्य प्रदेश	3920.42	4430.99	5000.00	3674.88	4350.00	2783.31	4400.00
14.	छत्तीसगढ़	963.00	272.24	1339.02	1483.00	1138.00	748.07	1400.00
15.	महाराष्ट्र	8892.11	7382.92	9000.00	9443.78	7612.00	3941.70	8000.00
16.	मणिपुर	479.13	428.44	345.00	517.11	300.00	—	600.00
17.	मेघालय	542.32	409.68	204.74	677.9	701.00	273.39	600.00
18.	मिजोरम	622.03	804.75	722.00	785.75	810.00	400.00	800.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	नागालैण्ड	1170.67	1201.50	776.80	776.80	660.00	—	800.00
20.	उड़ीसा	614.89	1884.72	1485.00	1756.58	1250.00	1279.09	2300.00
21.	पंजाब	667.29	325.02	1035.00	370.26	850.00	—	1500.00
22.	राजस्थान	6575.15	6212.89	5250.00	6667.52	6700.00	2415.57	6700.00
23.	सिक्किम	737.86	680.77	422.00	659.45	330.00	513.00	500.00
24.	तमिलनाडु	4441.27	2958.47	4500.00	5333.81	3360.00	2319.54	4200.00
25.	त्रिपुरा	475.91	597.73	630.00	653.23	900.00	352.42	800.00
26.	उत्तर प्रदेश	6333.95	5774.58	7500.00	6270.65	6885.00	2843.13	6800.00
27.	उत्तरांचल	889.97	759.40	1400.00	1469.15	1290.00	518.55	1400.00
28.	पश्चिम बंगाल	1077.83	2047.99	2500.00	1908.03	1427.00	1845.66	2400.00
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22.94	—	90.00	60.11	100.00	—	100.00
30.	चंडीगढ़	0.88	—	50.00	—	—	—	50.00
31.	दादरा और नगर हवेली	6.10	—	135.00	135.00	100.00	—	100.00
32.	दमन और द्वीव	5.07	—	45.00	45.00	—	—	50.00
33.	दिल्ली	13.38	—	—	—	80.00	—	100.00
34.	लक्षद्वीप	5.01	—	90.00	64.02	100.00	—	100.00
35.	पांडिचेरी	20.62	—	135.00	99.44	100.00	—	100.00

विवरण III

"मीठे पानी में जलकृषि के विकास" संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

(लाख रुपये)

राज्य का नाम	निर्मुक्त निधियां		
	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	25.00	35.00	28.00
असम	0.00	0.00	0.00
बिहार	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4
छत्तीसगढ़	35.00	21.48	15.17
गुजरात	0.00	0.00	0.00
हरियाणा	0.00	61.55	103.29
हिमाचल प्रदेश	22.73	5.00	25.00
जम्मू और कश्मीर	0.00	12.50	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00	40.00
केरल	0.00	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	87.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र	184.46	0.00	0.00
मणिपुर	43.47	0.00	0.00
मेघालय	0.00	45.00	0.00
मिजोरम	30.00	35.00	63.00
नागालैण्ड	103.14	109.95	90.00
उड़ीसा	0.00	0.00	181.71
पांडिचेरी	2.32	0.00	3.64
पंजाब	50.00	0.00	60.00
राजस्थान	0.00	17.26	0.00
सिक्किम	5.86	3.64	6.00
तमिलनाडु	0.00	0.00	25.42
त्रिपुरा	40.00	71.68	40.59
उत्तर प्रदेश	205.00	337.77	0.00
उत्तरांचल	27.07	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	333.99	358.96	291.63
झारखण्ड	0.00	51.97	0.00
कुल	1195.04	1166.76	973.45

विवरण IV

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम-एकीकृत तटीय जलकृषि (वी एफ डी ए) की वित्तीय उपलब्धि निर्मुक्त किया गया केन्द्रीय हिस्सा

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2000-01	2001-02	2002-03
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—
2.	गोवा	03.49	02.50	—
3.	गुजरात	16.73	28.50	08.26
4.	कर्नाटक	08.15	07.84	—
5.	केरल	45.00	45.00	—
6.	महाराष्ट्र	27.86	12.18	20.00
7.	उड़ीसा	48.75	35.89	30.00
8.	तमिलनाडु	—	—	—
9.	पश्चिम बंगाल	—	77.67	80.00
10.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—
	कुल	149.98	209.54	138.26

बिहार में इस्पात की मांग

5462. श्री अरुण कुमार: क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में इस्पात की कितनी मांग है; और

(ख) इसकी आपूर्ति के लिए क्या व्यवस्था की गयी है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) और (ख) राज्य-वार मांग आंकड़े मंत्रालय में नहीं रखे जाते। वर्तमान नीति के अनुसार किसी राज्य में लघु औद्योगिक इकाइयों की इस्पात सामग्रियों की मांग उनके संबंधित राज्य की लघु औद्योगिक निगमों के माध्यम से की जाती है। विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात का कार्यालय (डी सी आई एंड एस) मुख्य उत्पादकों से उपलब्धता के आधार पर उनकी अनुमानित मांग पर आपूर्ति करने हेतु क्षेत्र/आकार-वार आबंटन करता है।

वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के लिए बिहार लघु उद्योग निगम को विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात द्वारा किए गए आंबटनों सहित इस्पात सामग्रियों की अनुमानित मांग की स्थिति निम्नलिखित है:

(टन)

वर्ष	मांग	आबंटन
2001-02	11,300	5670
2002-03	10,500	4290
2003-04	10,650	1000 (अप्रैल-जून, 03) तिमाही

[अनुवाद]

कैरिब जैट घोटाला

5463. श्री कैलाश मेघवाल:
डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री वी. वेत्रिसेलवन:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एअर इंडिया के सेवानिवृत्त और कार्यरत कुछ उच्च अधिकारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कैरिब जैट घोटालों में सीधे तौर पर संलिप्त पाए जाने के कारण उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसके कारण 1994-95 में पेट्रोलीज डील में एअर इंडिया के 100 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में आयोजित जांच का क्या परिणाम निकला है; और

(घ) भारतीय विमानपत्तन के अधिकारियों के घोटाले में संलिप्त होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी या प्रस्तावित है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) जी, नहीं। बहरहाल, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने 3.2.2003 को एअर इंडिया लि. के तेरह (13) सेवानिवृत्त और कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध कथित रूप से लगभग 106 करोड़ रुपए की हानि पहुंचाने का एक नियमित मामला दर्ज कर लिया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस मामले में अभी अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

[हिन्दी]

बिहार की सिंचाई/पनधारा परियोजनायें

5464. श्री राजो सिंह: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के शकुपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर और बेगुसराय जिलों में प्रस्तावित/चालू सिंचाई/पनधारा परियोजनाओं का आज तक का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): बिहार के शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर एवं बेगूसराय जिलों में वृहद, मध्यम निर्माणाधीन सिंचाई/प्रस्तावित सिंचाई/वाटरशेड परियोजनाओं को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	निर्माणाधीन परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले	किस योजना में शुरु हुई	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)		3/2002 तक व्यय (करोड़ रुपए में)	चरम क्षमता (हजार हेक्टेयर में)
				मूल	नवीनतम		
(क) वृहद परियोजनाएं							
1.	ऊपरी किऊल	मंगेर	V	8.07	109.93	104.78	2767
2.	बरनार जलाशय	मुंगेर	V	8.03	230.43	66.85	2484
(ख) मध्यम परियोजनाएं							
1.	धकरानाला पंप चरण-1	मुंगेर	ए.पी. 78-80	8.43	173.60	61.09	6.08
2.	धकरानाला पंप चरण-2	मुंगेर	VII	4.76	11.49	5.43	4.02
3.	सिंधवरनी	मुंगेर	VI	4.45	34.10	9.79	9.38

बिहार के शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, मुंगेर और बेगुसराय जिलों में कोई प्रस्तावित परियोजना तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्राप्त नहीं हुई है।

जमुई जिला में 66 वाटरशेड परियोजनाएं वर्ष 1995-96 में स्वीकृत की गई।

ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	95-96	96-97	97-98	98-99	99-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	कुल
स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	29	0	0	0	0	9	14	14	66

[अनुवाद]

गोल्फ पर्यटन

5465. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या पर्यटन और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में गोल्फ पर्यटन के विकास की भारी संभावनायें हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य में नये विकसित किये जाने वाले प्रस्तावित गोल्फ के मैदान कौन से हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान किये गये आवंटनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गोल्फ चैंपियनशिप बंगलौर में आयोजित की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्री जगमोहन): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने यह सूचित किया है कि कर्नाटक राज्य के पास गोल्फ कोर्स के विकास के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव है:

(1) चिकमगलूर में चिकमगलूर गोल्फ क्लब का उन्नयन

(2) बिट्टनगाला, कोडागु जिले में कुर्ग गोल्फ लिंक का विकास

(3) तर्नीभावी समुद्रतट, दक्षिण कन्नड़ जिले में गोल्फ कोर्स का विकास

(ग) शून्य।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

थर्मामीटर कारखाने में पारे का खतरनाक अपशिष्ट

5466. श्री कैलाश मेघवाल: क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने तमिलनाडु में गत तीन वर्षों से अपने थर्मामीटर कारखाने में पारे का खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त अवधि के दौरान कंपनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिलीप सिंह जूदेव): (क) और (ख) तमिलनाडु में मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड (एच एल एल) की थर्मामीटर फैक्टरी ने वर्ष 2000 और 2001 के दौरान क्रमश: 8.7 और 1.8 टन मरक्यूरी संदूषित अपशिष्ट पैदा किए हैं। इस थर्मामीटर फैक्टरी को 8.3.2001 से बंद कर दिया गया है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ परामर्श से विस्तृत जांच के पश्चात् सरकार ने मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को मरक्यूरी संदूषित अपशिष्ट को अमरीका को निर्यात किये जाने की अनुमति दी है जिससे मरक्यूरी प्राप्त की जा सके और अपशिष्टों का अंतिम निपटान परिसंकटमय अपशिष्टों के सीमापार परिवहन नियंत्रण और उनके निपटान पर बेसल कनवेंशन तथा परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1989/2000 के उपबंधों के अनुसार हो सके। इस संबंध में समूचा खर्च मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड से तमिलनाडु में मरक्यूरी संदूषित स्थलों को सुधारने के लिए भी कहा गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राज्यीय नदियों पर बांधों/बराजों का निर्माण

5467. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा अन्तर्राज्यीय नदियों पर बांधों/बराजों का निर्माण करने के लिए कितनी स्वीकृतियां प्रदान की हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार को केन्द्र सरकार की मंजूरी के बिना अन्तर्राज्यीय नदियों पर ऐसे बांधों का निर्माण करने का प्राधिकार प्राप्त है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) सिंचाई राज्य का विषय होने के कारण बांधों/बैराजों की प्राथमिकता के निर्धारण, निष्पादन, प्रचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का होता है। किसी भी अन्तर्राज्यीय नदी पर निर्मित किये जाने वाले बांधों/बैराजों की निवेश स्वीकृति संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत की जाती है। केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरण ऐसी रिपोर्ट को जांच अन्तर्राज्यीय दृष्टिकोण और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं तथा इसे जल संसाधन मंत्रालय की समिति को प्रस्तुत किया जाता है। सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार किये जाने के पश्चात योजना आयोग परियोजना के लिए निवेश स्वीकृति मुहैया कराता है। केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति के बाद निवेश स्वीकृति राज्यों द्वारा बांधों/बैराजों के निर्माण को शुरू करने के लिए एक पूर्व उपेक्षा होती है। योजना आयोग द्वारा अनुमोदित अन्तर्राज्यीय नदियों पर अनुमोदित किये गये बांधों/बैराजों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य का नाम	वृहद/मध्यम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	लाभ (हजार हेक्टेयर में)	अनुमोदन की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	पगलादिया बांध बहुउद्देश्यीय परियोजना	असम	वृहद	542.90	54.160	3.1.2001
2.	सिधाता सिंचाई परियोजना	हिमाचल प्रदेश	मध्यम	33.62	3.150	2.2.2000
3.	अपर कृष्णा चरण-II बहुउद्देश्यीय परियोजना	कर्नाटक	वृहद	2358.86	227.00	13.12.2000
4.	बर्गी व्यपवर्तन परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	1101.23	376.514	6.7.1998
5.	ओमकारेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना	मध्य प्रदेश	वृहद	1784.29	283.32	15.5.2001
6.	ऊपरी बेदा सिंचाई परियोजना	मध्य प्रदेश	मध्यम	89.51	13.365	10.09.1998
7.	बावनथाड़ी सिंचाई	महाराष्ट्र	वृहद	161.57	57.12	16.12.1999
8.	तिल्लारी सिंचाई परियोजना	महाराष्ट्र	वृहद	217.22	34.298	31.03.2000
9.	निचली इंदिरा सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	वृहद	211.70	38.87	4.2.1999
10.	निचली सुकतेल	उड़ीसा	वृहद	217.13	29.845	25.6.1999

1	2	3	4	5	6	7
11.	कानपुर सिंचाई परियोजना	उड़ीसा	वृहद	428.32	47.709	16.9.2002
12.	रावी परियोजना यूनिट-1 (शाहपुर कांडी बांध परियोजना के साथ रंजीत सागर (थेइन) बांध तथा यू बी डी सी हाइडल परियोजना चरण-II)- बहुउद्देश्यीय	पंजाब	वृहद	5065.48	-	5.11.2001
13.	बेथ्ली सिंचाई	राजस्थान	मध्यम	13.07	4.316	26.10.1998
14.	चौली सिंचाई	राजस्थान	मध्यम	28.87	8.963	26.10.1998

दावा रहित राशियां

5468. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 दिसम्बर, 2002 की स्थिति के अनुसार इपीएफ में जमा राशि और दावारहित राशि की मद में राज्यवार कितनी राशि थी;

(ख) इस राशि के निवेश करने के मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या यह निवेश इपीएफ न्यास बोर्ड के निर्णय या सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि की कुल जमा राशि 60874.99 करोड़ रुपये थी। 31.3.2002 के लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार दावारहित निधि में पड़ी राशि 381.91 करोड़ रुपये है। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निवेश दिनांक 19.6.1998 को सरकार द्वारा अधिसूचित निवेश पैटर्न के अनुसार किया जा रहा है।

विवरण

दावारहित जमा खाता

क्र.सं.	राज्य/क्षेत्र का नाम	31.3.2002 की स्थिति के अनुसार शेष
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1,678,321,553.84
2.	बिहार	640,455.03
3.	चंडीगढ़	0.00
4.	दिल्ली	66,608,740.59
5.	गोवा	11,797,861.85
6.	गुजरात	117,248,910.31
7.	हरियाणा	61,879,817.60
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00
9.	झारखण्ड	503,214.65
10.	कर्नाटक	117,032,701.00
11.	केरल	1,755,012.70
12.	मध्य प्रदेश	3,029,590.24
13.	महाराष्ट्र	235,186,890.35
14.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	4,297,114.58

1	2	3
15.	उड़ीसा	1,142,242.08
16.	पंजाब	136,864,885.37
17.	राजस्थान	11,948,673.64
18.	तमिलनाडु	388,488,085.12
19.	उत्तरांचल	26,790,140.43
20.	उत्तर प्रदेश	107,160,561.73
21.	पश्चिम बंगाल	848,438,510.60
	कुल	3,819,131,961.71

कालीकट हवाई अड्डे पर रात में विमानों को उतारने की सुविधा

5469. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या **नागर विमानन मंत्री** 6 अगस्त, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2101 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कालीकट हवाई अड्डे पर रात में विमानों को उतारने की सुविधा को अमल में लाने में हो रही देरी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या अतिरिक्त लाइटें खरीद ली गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) रात में विमानों को उतारने की सुविधाओं पर कब तक अमल किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इस सुविधा को मुहैया कराने में अनुमानत: कितनी लागत आएगी?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) कालीकट विमानपत्तन पर रात्रि प्रचालनों के लिए नागर विमानन महानिदेशालय से अनुमति लेने के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 28 पहुंच मार्गों के लिए अतिरिक्त अवरोधक लाइटों तथा रनवे लीड-इन-लाइटों का प्रावधान करना है। देरी का मुख्य कारण पहुंच क्षेत्र का सर्वेक्षण, भूमि का अधिग्रहण तथा लीड-इन-लाइट प्रणाली के लिए विश्वव्यापी निविदा प्रक्रिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) अतिरिक्त लाइटों की आपूर्ति व प्रतिस्थापन, जांच के लिए आदेश दिसम्बर व फरवरी, 2002 में ही जारी किये जा चुके हैं।

(घ) अतिरिक्त सुविधाओं को अगस्त, 2003 तक लागू करने की योजना है। उसके बाद नागर विमानन महानिदेशालय से रात्रि प्रचालनों के लिए अनुमति लेनी होगी।

(ङ) लगभग 217 लाख रुपये।

समुद्री मत्स्य पालन

5470. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने समुद्री मत्स्यन पालन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपने प्रस्ताव देने हेतु गैर सरकारी उद्यमियों को आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस विज्ञापन का ब्यौरा क्या है और कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ग) समुद्री संसाधनों का दोहन करने के लिए ऐसे मत्स्य संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): (क) सरकार ने 1 नवम्बर, 2002 को भारतीय कंपनियों के स्वामित्व वाले भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में गहरे समुद्र में मात्स्यिकी जलयानों के प्रचालन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करते हुए एक कार्यकारी आदेश जारी किया है जिसमें भारतीय हिस्सेदारी कम से कम 51 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) दिशानिर्देशों के साथ कार्यकारी आदेश संलग्न विवरण के रूप में है।

विवरण

फाइल सं. 21005/1/2001-मा. (आई एन डी)
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 1 नवम्बर, 2002

आदेश

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 प्रविष्टि 57 द्वारा भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र

(ईईजेड) में मात्स्यिकी का विकास करने के लिए नोडल विभाग होने के नाते भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग एतद्द्वारा भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन प्रचालन करने के लिए नए दिशानिर्देशों का आदेश देता है। इस आदेश के जारी होने की तारीख से दिशानिर्देश भारतीय ईईजेड में सभी गहरे समुद्री मत्स्यन जलयानों पर लागू होंगे।

गहरे समुद्री मत्स्यन जलयानों द्वारा दिशानिर्देशों के किसी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी व्यक्ति पर जो भी उचित समझा जाएगा यह जुर्माना/दंड लगाया जाएगा।

हस्ता./-
(डी.एस. नेगी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:

(1) सभी तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मात्स्यिकी के प्रभारी सचिव

(2) सचिव, रक्षा मंत्रालय

(3) सचिव, वाणिज्य मंत्रालय

(4) सचिव, गृह मंत्रालय

(5) सचिव, जहाजरानी मंत्रालय

(6) सचिव, विदेश मंत्रालय

(7) सचिव, विधि, न्याय और उपभोक्ता मामले मंत्रालय

(8) सचिव, संचार मंत्रालय

(9) सचिव, महासागरीय विकास विभाग

(10) विदेशी व्यापार महानिदेशालय

(11) महानिदेशक, तटरक्षक बल

(12) महानिदेशक, जहाजरानी

(13) अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड

(14) अध्यक्ष, एमपीईडीए

(15) उप महानिदेशक, आईसीएआर

(16) महानिदेशक, एफएसआई

(17) अध्यक्ष, भारतीय मात्स्यिकी उद्योग संघ

(18) सचिव, गहरे समुद्री मत्स्यन उद्योग संघ

(19) सभी गहरे समुद्री मत्स्यन कंपनियां

(20) सभी संयुक्त उद्यम कंपनियां

भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्यन क्रियाकलापों के लिए दिशानिर्देश

परिभाषाएं

क्र.सं.	मद	परिभाषाएं
1.	गहरे समुद्र में मछली पकड़ना	तट रेखा (क्षेत्रीय जल) से 12 समुद्री मील से आगे मत्स्यन क्रियाकलाप
2.	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयान	20 मीटर की कुल लम्बाई वाले तथा बड़े मत्स्यन जलयान
3.	संचालन	कोई भी भारतीय उद्यमी, भागीदारी, प्राईवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी तथा निगम
4.	ई ई जैड	भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो कि तटरेखा से 200 समुद्री मील तक है तथा जो उससे आगे एवं क्षेत्रीय जल से लगा हुआ है, जो संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
5.	सी सी आर एफ	संयुक्त राष्ट्र के एफ ए ओ द्वारा परिचालित उत्तरदायी मात्स्यिकी के लिए आचार संहिता

प्रस्तावना

समुद्री मात्स्यिकी क्षमता के अभी हाल के पुनर्वैधीकरण ने यह दर्शाया है कि तट के नजदीक स्टाक पर मत्स्यन दबाव काफी बढ़ गया है तथा अधिक संख्या में प्रजातियों के संबंध में अत्यधिक दोहन स्पष्टतया बढ़ रहा है। ई ई जैड में उपलब्ध क्षमता का केवल लगभग 70 प्रतिशत का दोहन होता है जबकि अतिरिक्त प्रयास करने की संभावना मौजूद है।

2. चूंकि, भारतीय गहरे समुद्र में मत्स्यन उद्योग प्रौद्योगिकी एवं वित्त की दृष्टि से पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है, इस उद्योग से स्वयं शुरू करने के लिए, भारत सरकार ने विगत में भी गहरे समुद्र में मत्स्य उद्योग को वित्त पोषण करने, उपयुक्त प्रौद्योगिकी को लाने तथा प्रशिक्षित तकनीकी मानव शक्ति आदि के गठन के लिए बहुत से कदम उठाए थे। इन प्रयासों के हिस्से के रूप में बहुत से संयुक्त उद्यम शुरू हुए हैं तथा भारतीय स्वामित्व वाले गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का उद्यम सामने आया है।

3. इसके अलावा, इन गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयान के संचालन में सततता सुनिश्चित करने की आवश्यकता में यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके संचालन अन्य पणधारियों के हितों के साथ न टकराएं।

4. उपरोक्त विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि के उद्देश्य से तथा सभी भारतीय जलयानों द्वारा ई जैड में मत्स्यन क्रियाकलापों को ठीक प्रकार से आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश को नीचे अधिसूचित किया गया है। ये दिशानिर्देश जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे तथा भारतीय जल क्षेत्र में पकड़ने से संचालित 200 श्रृंपरों के संचालन को कवर करेंगे।

भारतीय ई.ई.जैड. में भारतीय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के प्रचालन के लिए वृहद दिशानिर्देश

भारतीय ई ई जैड में किसी भी मत्स्यन जलयान के संचालन के लिए नोडल मंत्रालय से लिखित में अनुमति (एल ओ पी) की आवश्यकता है। दोहन के मौजूदा स्तर को ध्यान में रखते हुए इस समय केवल निम्नलिखित मत्स्यन प्रक्रियाओं के लिए अनुमति प्रदान की जाती है:

(क) टूना के लिए लांग लाइनिंग

(ख) टूना पर्स सीनिंग

(ग) स्किवड जिगिंग तथा लिक्विड हैंड लाइनिंग

(घ) मध्य जल/पैलोनिक ट्रॉलिंग

(ङ) ट्रेप फिशिंग

2. भारतीय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों का संचालन समय-समय पर जारी कार्यकारी निर्देशों/आदेशों द्वारा शासित होगा।

3. गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के संचालन का क्षेत्र भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों/आदेशों द्वारा नियंत्रित होगा।

4. तट रेखा तथा निम्नलिखित स्थानों को जोड़ने वाली लाइन के बीच मत्स्यन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तट

(1) 19° 20' उत्तर-85° 30' पूर्व

(2) 20°-86° 56' पूर्व

(3) 20° 42' उत्तर-88° पूर्व

(4) 21° 8' उत्तर-89° 7' पूर्व

(5) 21° 16' उत्तर-89° 14' पूर्व

महाराष्ट्र तथा गुजरात तट रेखा

(1) 22° 54' उत्तर-67° 33 पूर्व

(2) 21° 33' उत्तर-68° 56 पूर्व

(3) 19° 2' उत्तर-72° पूर्व

(4) 18° 33'-72° पूर्व

(5) 18° उत्तर-72° 31 पूर्व

केरल तथा तमिलनाडु तटरेखा

(1) 7° 45' उत्तर-77° पूर्व

(2) 7° 45' उत्तर-78° पूर्व

(3) 7° 30' उत्तर-78° पूर्व

(4) 7° 30' उत्तर-77° पूर्व

5. निजामपत्तनम (आंध्र प्रदेश) तथा पारादीप पत्तन (उड़ीसा) के बीच केवल 24 समुद्री मील से आगे मत्स्यन की अनुमति होगी।

6. भारतीय गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के संचालन की उचित प्रकार से मानीटरिंग करने तथा समुद्र सुरक्षा की

दृष्टि से, सभी गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयान के संचालकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने जलयान की स्थिति, नियत कोर्स तथा स्पीड और लेटीट्यूड एवं लोंगीट्यूड के साथ संचालन के क्षेत्र के बारे में प्रतिदिन 0800 बजे अथवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किसी अन्य समय पर तट रक्षक को बताएंगे।

7. सदस्यों की सूची सहित यात्रा शुरू होने की तारीख, संभावित अवधि के बारे में जानकारी तट रक्षक तथा भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई के पास हर बार समुद्र में जाने से पहले प्रस्तुत कर देनी चाहिए। प्रत्येक यात्रा पूरी होने की सूचना भी वापसी पर इन एजेंसियों के पास प्रस्तुत करनी चाहिए।

8. इस संबंध में मध्य-समुद्र में फिश-कैच कर स्थानांतरण तथा बंकरिंग भारतीय रिजर्व बैंक नियम द्वारा शासित होगा।

9. संचालन इस संबंध में (अनुबंध-ख) वचन देंगे कि (क) वे उनको दी गई अनुमति के अलावा अन्य प्रकार का मत्स्यन नहीं करेंगे (ख) कंपनी किसी प्रकार के संकटाधीन समुद्री कछुओं, स्तनधारियों तथा मत्स्य प्रजातियों का दोहन नहीं करेंगी तथा जलयान बाह्य ट्रालिंग/पेयर ट्रालिंग/बुल ट्रालिंग नहीं करेंगे तथा (ग) उत्तरदायी मात्स्यिकी (सीसीआरएफ) के लिए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे।

10. संचालकों को विदेशी दल रखने के लिए सरकार से अनुमति लेनी चाहिए। प्रत्येक विदेशी दल के संबंध में ब्यौरा (नाम, पिता का नाम, पासपोर्ट संख्या, राष्ट्रीयता तथा पदनाम) उनकी नियुक्ति के कम से कम दो सप्ताह पूर्व इस मंत्रालय को प्रस्तुत करना चाहिए।

11. अनुमति पत्र को तब तक किसी अन्य कंपनी अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करना चाहिए जब तक यह सरकार द्वारा विशेष रूप से अनुमोदन प्राप्त न हो।

12. जलयान को भारतीय अनन्य आर्थिक जोन में मत्स्यन कार्य में न लगाकर नो एक्टीविटी में लगाना चाहिए और उनके प्रचालन के लिए निर्धारित क्षेत्र तक सीमित होना चाहिए और यह इसे यांत्रीकृत और परंपरागत मत्स्यन नौकाओं के लिए निर्धारित क्षेत्र के भीतर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए जैसाकि समय-समय पर समुद्री मत्स्यन विनियामक अधिनियम (एमएमआरए) की अधिसूचना/कार्यकारी आदेश आदि के जरिये केन्द्र/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है तथा उपरोक्त धारा संख्या 3 में उल्लिखित क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जलयानों को भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में किसी विशेष तट पर किसी विशेष समय पर प्रतिबंधित अवधियों के दौरान मछली पकड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जैसा कि सरकार द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाता है।

13. जैसा कि सरकार ने निर्धारित किया है सभी जलयानों को इन मारसेट "सी" अथवा जीपीएस सुविधा के साथ कम्पैरेबिल टर्मिनल से जोड़ना नहीं चाहिए। भारत सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर वैसल मानीटरिंग सिस्टम (वीएमएस) को स्थापित किया जाए।

14. जलयान के प्रचालन के लिए बेस पोर्ट पूर्वी तट पर और पश्चिमी तट पर कोई एक होगा।

15. सरकार के पास बिना किसी सूचना के किसी भी समय पर जलयान और मशीनरी तथा जलयान संबंधी उपकरणों तथा कंपनी के तट आधारित प्रसंस्करण संयंत्रों के निरीक्षण करने का अधिकार है।

16. प्रचालक को प्रत्येक समुद्री यात्रा के पूरा होने की तारीख से 15 दिन के भीतर निर्धारित प्रोफार्मे (अनुबंध 'क" पर) में भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुम्बई को समुद्री यात्रा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

17. जलयान को किसी भी समय पर भारत के क्षेत्रीय जल के भीतर मत्स्यन कार्य में नहीं लगा होना चाहिए।

18. विदेशी क्रू में किसी भी बदलाव की सूचना तटरक्षक मुख्यालय की देनी चाहिए।

19. प्रचालक को भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र/किसी विदेशी पत्तन को छोड़ने की पूर्व सूचना इस मंत्रालय को देनी चाहिए।

20. इन दिशानिर्देशों के अलावा भारतीय समुद्र में मत्स्यन कार्यों से संबंधित केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई भी कार्यकारी आदेश और विनियामक उपाय इन जलयानों पर लागू होंगे।

21. सरकार के पास समय-समय पर किसी भी अन्य शर्तों को लगाने का अधिकार है। किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर पैनेल्टी लगाई जाएगी, जो सरकार द्वारा तय की जाएगी। इसके

अतिरिक्त, इसमें से यदि किसी एक अथवा अधिक शर्तों का पालन नहीं किया जाता है अथवा उनका उल्लंघन किया जाता है तो बिना किसी सूचना के अनुमति पत्र को रद्द किया जा सकता है और जलयान को जब्त किया जा सकता है।

अनुबंध का

भारतीय स्वामित्व वाले पंजीकृत गहरे समुद्री मत्स्यन जलयानों द्वारा समुद्री यात्रा आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए

1. कंपनी/प्रचालक का नाम और पता	
2. सम्मिलित संख्या, तारीख और स्थान का प्रमाण पत्र	
3. मत्स्यन जलयान का नाम इसकी पंजीकरण संख्या और	
4. प्रस्तावित मत्स्यन का प्रकार	
5. प्रमुख विनिर्देशन:	
(क) लम्बाई	
(ख) चौड़ाई	
(ग) इंजन का एच पी	
(घ) सकल टोनेज	
(ङ) शुद्ध टोनेज	
(च) मछली रखने की क्षमता	
(छ) ईंधन तेल क्षमता	
(ज) निर्माण का वर्ष	
6. कुल क्रू क्षमता	
(क) विदेशी नागरिक (संख्या)	
(ख) भारतीय नागरिक (संख्या)	

अनुबंध काII

भारतीय स्वामित्व प्राप्त पंजीकृत गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों द्वारा समुद्री यात्रा डाटा प्रस्तुत करने संबंधी प्रपत्र

1. कंपनी/प्रचालक का नाम और पता	
2. निगम प्रमाण पत्र की संख्या, तारीख और स्थान	
3. मत्स्यन जलयान का नाम इसकी पंजीकरण संख्या और पंजीकृत पत्तन	
4. प्रस्तावित मत्स्यन का प्रकार	
5. प्रमुख विशेषताएं	
(क) लम्बाई	
(ख) चौड़ाई	
(ग) इंजन का एच पी	
(घ) सकल टोनेज	
(ङ) फिश होल्ड क्षमता	

(च) ईंधन तेल क्षमता	
(छ) निर्माण का वर्ष	
6. कुल क्रू क्षमता	
(क) विदेशी नागरिक (संख्या)	
(ख) भारतीय नागरिक (संख्या)	

अनुबंध क-III

मत्स्यन (मिड वाटर ट्रालिंग/ट्रेप मत्स्यन) का ब्यौरा

गीअर की विशिष्टता: नेट का किस्म हेड रोप लंबाई (मी).....

कोडेंड मेश साइज (एमएम) .....

तारीख									
हाल सं.									
स्थिति लेट लोंग									
गहराई (मी.)									
समय एंड शूटिंग स्टार्ट ट्रालिंग									
हाल की अवधि (घंटे)									
गति (नोट)									
कुल कैच (कि.ग्रा.)									
प्रजाति संरचना									
शार्क									
रेज									
बाराकुडा									
रिबन फिश									
पामफ्रेट									
सीअर फिश									
पील फिन टूना									
स्किपजेक टूना									
लिटल टूना									
फ्रिगेट मैकरल									

अन्य टूना									
मैकरल									
होर्स मैकरल									
करनगिड									
आयल सरडाइन									
लेजर सरडाइन									
एंचोवी									
लीगनायिड									
अन्य मत्स्यन									

*डॉप मी लाबस्टर

*ट्रेप मत्स्यन के लिए कृपया प्रजातियों का उल्लेख करें।

हस्ताक्षर

कंपनी का नाम

अनुबंध क-IV

मत्स्यन संचालन का ब्यौरा (टूना लांगलाइनिंग)

जलयान का नाम _____ गीअर की विशिष्टता _____

ओएल _____ जीआरटी _____ उपयोग किए गए वेट _____

वोएज की अवधि _____

तारीख	संचालित लि हुक	संचालन क्षेत्र	कुल कैच	कैच संघटन (कि.ग्रा.)								
				वाई एफटी	बेट	एस केजे	मार	एस डब्ल्यू ओ	साई	एस एचके	ओथ	अभ्युक्तियां

हस्ताक्षर

उद्यम कंपनी का नाम

अनुबंध-ख

10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हलफनामा

प्रतिज्ञा

हम मैसर्स ..... एततद्वारा प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे अनुमत्य जलयान वन्य जीवन (बचाव) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत यथा अधिसूचित जहां कहीं भी लागू हो, झींगापालन, पेअर ट्रालिंग (बुल ट्रालिंग) ओसिनोग्राफिक अनुसंधान तथा जोखिमयुक्त प्रजातियों के मत्स्यन में शामिल नहीं होंगे। हम यह भी प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे जलयान का संचालन मात्र अनुमति पत्र में अनुमत्य मत्स्यन की किस्म के लिए ही किया जाएगा न कि अन्य किसी प्रकार के मत्स्यन के लिए।

उक्त उल्लंघन के साथ-साथ अनुमति पत्र की शर्तों के मामले में, सरकार के पास ये सभी अधिकार होंगे कि वह दंडित करें तथा हमारे जलयानों को जब्त करें और अनुमति पत्र को रद्द करें।

डिपोनेंट

(मोहर के साथ)

(पब्लिक नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित)

[हिन्दी]

इस्पात विकास कोष

5471. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान इस्पात विकास कोष में कुल कितनी धनराशि जमा की गई;

(ख) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस धनराशि के उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस धनराशि का उपयोग रोजगार सृजन हेतु किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): (क) पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान प्रमुख उत्पादकों अर्थात सेल और टिस्को द्वारा भुगतान की गई राशि (किसी समायोजन को सम्मिलित किये बगैर) का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

	2001-2002	2002-2003	योग (करोड़ रुपए)
सेल	13.00	0.00	13.00
टिस्को	9.00	10.00	19.00

(ख) प्रमुख उत्पादकों की नकदी स्थिति को ध्यान में रखते हुए अड़तीसवीं एसडीएफ मैनेजिंग कमेटी में यह निर्णय लिया गया था कि किसी समायोजन को सम्मिलित किये बगैर सेल और टिस्को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान क्रमश: 45.00 करोड़ रुपये और 12.00 करोड़ रुपये का नकद भुगतान करेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) एसडीएफ बकाया का नकद भुगतान करने की मुख्य समस्या के कारण प्रमुख उत्पादक वित्तीय समस्या का सामना कर रहे हैं।

(ङ) सरकार के निर्णय के अनुसार, एस डी एफ की विद्यमान शेष निधि, जो प्रमुख उत्पादकों को ऋण के रूप में दी गई है, उन्हें ऋण के रूप में पुन: चक्रण की जाती रहेगी।

इन ऋणों से प्राप्त ब्याज का निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है:

(1) प्रधानमंत्री ट्राफी के लिए नकद पुरस्कार।

(2) प्रमुख उत्पादकों (टिस्को, आरआईएनएल तथा इस्को) के लघु उद्योग निगम छूट दानों की प्रतिपूर्ति।

(3) इस्पात मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनुसंधान और विकास व्यय।

(4) जेपीसी की आर्थिक अनुसंधान इकाई के लिए व्यय।

(5) लोहा और इस्पात क्षेत्र में पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण

(6) निर्यात संवर्धन तथा बाजार विकास।

(च) जी, नहीं।

(छ) उपरोक्त (च) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ईपीएफ ट्रस्टी बोर्ड में कर्मचारियों के नामितों को शामिल करना

5472. श्री सुशील खां: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईपीएफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में कर्मचारियों के नामितों को शामिल किए जाने के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) इस बोर्ड के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सीआईटीयू द्वारा कर्मचारी के नामित के नाम की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): (क) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड का गठन कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5क के उपबंधों के अनुसार और मान्यताप्राप्त कर्मचारी संगठनों में कर्मचारियों की सत्यापित सदस्यता के आधार पर किया जाता है।

(ख) वर्तमान सदस्यों के नामों के उल्लेख वाली अधिसूचना की एक प्रति संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) जी हां, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में नामितियों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए नामों का एक पैनल भेजने का जिन छः कर्मचारी संगठनों से अनुरोध किया गया था उनमें से चार संगठनों ने नामों का पैनल भेज दिया है और उनके आठ प्रतिनिधियों (प्रत्येक संगठन से दो) को नामित किया गया है। तथापि, सीटू और एटक से नामों के पैनल प्राप्त नहीं हुए हैं और उनसे पैनल भेजने के लिए पुनः अनुरोध किया गया है।

विवरण

भारत का राजपत्र
असाधारण
भाग 2–खण्ड 3–उप खण्ड (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
सं. 246 नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 17, 2003/फाल्गुन 26, 1924
श्रम मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 मार्च, 2003

का.आ. 295(अ)–कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5-अ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, दिनांक 10 अप्रैल, 1997 के भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-2, खण्ड 3(ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की दिनांक 9 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या का.आ. 321(अ) द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित केन्द्रीय न्यासी बोर्ड में नियुक्त करती है, अर्थात्:–

अध्यक्ष

(क) धारा 5-अ की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त

1. श्रम मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।

उपाध्यक्ष

(ख) धारा 5-अ की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत नियुक्त

2. श्रम राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली।

सदस्य

(ग) धारा 5-अ की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि।

3. सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110 001

4. अपर सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110 001

5. आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि

6. संयुक्त सचिव, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, (सामाजिक सुरक्षा प्रभाग), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110 001

7. वित्तीय सलाहकार, श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001

(घ) धारा 5-अ की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अंतर्गत राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

8. सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, श्रम एवं नियोजन विभाग, हैदराबाद-500002

9. सचिव, दिल्ली सरकार, श्रम विभाग, दिल्ली

10. सचिव, बिहार सरकार, श्रम और नियोजन विभाग, नया सचिवालय, पटना-800015

11. सचिव, गुजरात सरकार, श्रम एवं नियोजन विभाग, गांधी नगर, अहमदाबाद

12. आयुक्त और सचिव, हरियाणा सरकार, हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़-160001

13. सचिव, कर्नाटक सरकार, श्रम विभाग, एम.एस. बिल्डिंग, बंगलौर-560001

14. सचिव, झारखण्ड सरकार, श्रम विभाग, रांची

15. सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, भोपाल-462004

16. सचिव, महाराष्ट्र सरकार, उद्योग, श्रम एवं ऊर्जा विभाग, मुम्बई-462032

17. सचिव, उत्तरांचल सरकार, श्रम एवं नियोजन विभाग, देहरादून (उत्तरांचल)

18. सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, श्रम एवं नियोजन विभाग, रायपुर

19. आयुक्त और सचिव, राजस्थान सरकार, श्रम एवं नियोजन विभाग, जयपुर-302001

20. सचिव, तमिलनाडु सरकार, श्रम एवं नियोजन विभाग, चेन्नै

21. सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, ''बापू भवन'', लखनऊ-226001

22. सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग, राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता-700001

(ङ) धारा 5-अ की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अंतर्गत नियोजकों के प्रतिनिधि

23. श्री राम तरनेजा, भारतीय नियोजक परिसंघ

24. श्री जे.पी. चौधरी, अखिल भारतीय नियोजक संगठन

25. श्री रवि विज, पी.एच.डी. चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री

26. श्री पी. राजेन्द्रन, भारतीय उद्योग परिसंघ

27. श्री आर.के. सोमानी, एसोचेम

28. श्री वी.वी. चोपड़ा, एफ ए एस आई आई

29. श्री वीरेन्द्र उप्पल, अप्पारेल निर्यात संवर्धन परिषद

30. श्री सुबीर राहा, अध्यक्ष, स्कोप

31. बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

32. बाद में अधिसूचित किया जाएगा।

(च) धारा 5-अ की उप-धारा (1) के खण्ड (ङ) के अन्त में कर्मचारियों के प्रतिनिधि

33. श्री हंस मुख भाई दवे, भारतीय मजदूर संघ

34. श्री ए. वेंकटराम, भारतीय मजदूर संघ

35. श्री बी.एन. राय, भारतीय मजदूर संघ

36. श्री जी. संजीवा रेड्डी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक)

37. श्री अशोक सिंह, इंटक

38. श्री निर्मल घोष, इंटक

39. श्री ए.डी. नागपाल, हिन्द मजदूर सभा

40. श्री शंकर साहा, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एल.एस.)

41. बाद में अधिसूचित किया जाएगा

42. बाद में अधिसूचित किया जाएगा

(छ) धारा 5-अ की उप-धारा (1) के खण्ड (कक) के अंतर्गत नियुक्त

43. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त-पदेन सदस्य
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
मुख्यालय भविष्य निधि भवन,
14, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

[फा. संख्या वी-20012/1/2001-एसएल-2]

डी.एस. पूनिया, संयुक्त सचिव

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था और शुक्रवार को आपने कहा था कि सोमवार को मौका देंगे।

अध्यक्ष महोदय: पहले पेपर्स ले हो जाने दें, फिर मौका दूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, एयर इंडिया के पायलटों की हड़ताल चल रही है।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रोसिजर जानते हैं, पहले पेपर्स ले होने दीजिए।

अपराह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): महोदय, मैं वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड और जल संसाधन मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7553/03]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(तीन) एमएमटीसी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(चार) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(पांच) स्पान्ज आयरन इंडिया लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7554/03]

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हुकमदेव नारायण यादव): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7555/03]

(ख) (एक) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, शिमला का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7556/03]

(ग) (एक) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1999-2000 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपुर्यक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7557/03]

(3) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड और कृषि सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के बीच वर्ष 2003-2004 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7558/03]

(4) (एक) वेटरनरी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वेटरनरी काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7559/03]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चीखलीया): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूजियम, कोलकाता के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 7560/03]

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के लेखाओं पर लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 7561/03]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): महोदय, मैं श्री दिलीप सिंह जूदेव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 12 और 13 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 1257(अ) जो 2 दिसम्बर, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 जुलाई, 1987 की अधिसूचना संख्या का.आ. 728(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7562/03]

(2) (एक) वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया, देहरादून के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7563/03]

(4) (एक) सेंट्रल जू अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल जू अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 7564/03]

(6) (एक) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलाजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पद्मजा नायडू हिमालयन जूलाजिकल पार्क, दार्जिलिंग के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 7565/03]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित तीन संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 3 मार्च, 2003 को हुई अपनी बैठक में लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया:

कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की लोक लेखा समिति के लिए 1 मई, 2003 से प्रारंभ और 30 अप्रैल, 2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और सभा में से सात सदस्यों का उक्त समिति में कार्य करने के लिए सभापति के निर्देशानुसार चयन किया जाए"

(2) "मुझे लोक सभा को यह सूचना देनी है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को विधिवत उक्त समिति के लिए चुन लिया गया:

(1) श्री संतोष बागड़ोदिया

(2) श्री के. रहमान खान

(3) डा. अलादी पी. राजकुमार

(4) श्री सी.पी. तिरुनावुक्करासु

(5) श्री लेखराज वचानी

(6) प्रो. रामगोपाल यादव

(7) श्री प्रशांत चटर्जी

(दो) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 3 मार्च, 2003 को हुई अपनी बैठक में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया:

कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा लोक सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के लिए 1 मई, 2003 से प्रारंभ और 30 अप्रैल, 2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सहयोजित करने हेतु राज्य सभा से सात सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और सभा में से सात सदस्यों का उक्त सभा के निम्नलिखित समिति में कार्य करने के लिए सभापति के निर्देशानुसार चयन किया जाए।"

(2) मुझे लोक सभा को यह सूचना भी देनी है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को विधिवत उक्त समिति के लिए चुन लिया गया है:

(1) श्री कलराज मिश्र

(2) श्री ललितभाई मेहता

(3) श्रीमती अम्बिका सोनी

(4) श्री जीवन राय

(5) श्री सुरेश कलमाड़ी

(6) श्री सतीश प्रधान

(7) श्री के. कलावेंकट राव

(तीन) "मुझे लोक सभा को ये सूचना देने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 3 मार्च, 2003 को हुई अपनी बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया:

कि यह सभा संकल्प करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2003 से प्रारंभ और 30 अप्रैल, 2004 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए दोनों सभाओं को अनुसूचित जातियों

और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है और एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार सभा में से दस सदस्यों का उक्त समिति में कार्य करने हेतु चयन करती है'

(2) मुझे लोक सभा को यह भी सूचना देनी है कि उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त समिति के लिए चुन लिया गया है:

(1) प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा
(2) श्री नाना देशमुख
(3) श्री गांधी आजाद
(4) श्री वीरभद्र सिंह
(5) श्री वी.वी. राघवन
(6) डा. फागुनी राम
(7) श्री राजू परमार
(8) श्री सुखदेव सिंह लिब्रा
(9) श्री अनिल कुमार
(10) श्री आर. कामराज।

अपराह्न 12.03$^{1}/_{2}$ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

आठवां, नौवां और दसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(एक) तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड संबंधी आठवां प्रतिवेदन-अत्यधिक संचालन क्षमता सृजन के कारण हुआ परिहार्य व्यय;

(दो) एयर इंडिया लिमिटेड संबंधी नौवां प्रतिवेदन-सामान्य बिक्री एजेंट को दिया गया अनुचित लाभ; और

(तीन) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक विषयक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (2001-2002) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी दसवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.04 बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार, श्री संघप्रिय गौतम, सदस्य के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा का एक सदस्य चुने तथा संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार चुने गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार, श्री संघप्रिय गौतम, सदस्य के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुए स्थान पर लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा का एक सदस्य चुने तथा संयुक्त समिति के लिए राज्य सभा द्वारा इस प्रकार चुने गए सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.04$^{1}/_{2}$ बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

प्रतिमाओं का अनावरण करने के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण जैसा कि आपको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा बसवेश्वर की प्रतिमाओं

का अनावरण करने हेतु संसद भवन परिसर में आज (28.4.003) को अपराह्न 6.30 बजे एक समारोह आयोजित किया जाएगा। माननीय राष्ट्रपति ने प्रतिमाओं का अनावरण करने की सहमति प्रदान की है।

सदस्यों के समारोह में भाग लेने हेतु सभा आज अपराह्न 6.00 बजे स्थगित होगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, हम शून्य काल को लेते हैं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैंने शुक्रवार को कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था और आपने कहा कि मुझे सोमवार को इस पर शून्य काल में बोलने का अवसर दिया जाएगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए पहले हमें बोलने का मौका दिया जाए।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): इनका लाठी से संबंधित मामला है।

अध्यक्ष महोदय: विजय कुमार जी, मैंने शुक्रवार को अखिलेश सिंह जी को आज सबसे पहले बोलने की मान्यता दी थी इसलिए मैं पहले उनको मौका दे रहा हूं।

कुंवर अखिलेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के मुंडेरवा में पुलिस की गोली से तीन किसान मारे गये थे। इस सदन के मैं, कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, मैंने यह प्रकरण उठाया था। इसी सदन के अंदर जब राज्य सरकार के बयान के आधार पर, केन्द्र सरकार ने, अपना वक्तव्य दिया था तो उसके अंतर्गत केवल एक किसान के मारे जाने की बात कही गयी थी। मैं आपके संज्ञान में यह बात लाया था कि तीन किसानों की मौत के मामले में सदन को गुमराह किया गया है, सदन के साथ धोखाधड़ी की गयी है। बार-बार जब मैंने यह मामला उठाया तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी मुझसे कुपित हो गयी। इसके बाद जब संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, मायावती जी द्वारा, भ्रष्टाचार के मामले को रखा गया और जब उस भ्रष्टाचार में हिस्सेदारी मांगी गयी तो उस प्रकरण को भी मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, इस सदन के अंदर उठाया और उसका टेप भी आपको सुपुर्द किया। मान्यवर, इसके पश्चात् मायावती जी ने समाचार पत्रों और मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक तौर पर हमें धमकाया कि जो लोग मेरे खिलाफ बायनबाजी कर रहे हैं उनको सबक सिखाया जाएगा और जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में महामहिम राज्यपाल जी को यह टेप सौंपी, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मेरे विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। लेकिन जब अधिकारियों ने उन्हें बताया कि यह मामला लोक सभा का है और लोक सभा इस पर कार्यवाही कर सकती है तो उनके हाथ बंध गये।

मान्यवर, इसके बाद मेरी हत्या के लिए उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया डॉन मुख्तियार अंसारी, जिन्होंने विश्व-हिन्दू-परिषद् के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नंद किशोर रूंगटा की निर्मम हत्या की थी, उनको और उत्तर प्रदेश के अपराधी मंत्री अमरमणि त्रिपाठी, जिन्हें माननीय राजनाथ सिंह जी की सरकार ने बच्चे के अपहरण के मामले में गिरफ्तार करके बर्खास्त करने का काम किया था, उन्हें मेरे और मेरे भाई की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी। मुख्तियार अंसारी को उत्तर प्रदेश की सरकार का खुला संरक्षण प्राप्त है, यह मेरा आरोप है। ...*(व्यवधान)* मान्यवर, मैं मार्कंडेय काटजू जी के फैसले को आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष जी, यह क्या आरोप लगा रहे हैं, ...*(व्यवधान)* मुख्यमंत्री इनको मारने की कोशिश करेंगी। ...*(व्यवधान)* क्या बेसलैस बातें लोक सभा के अंदर कही जाएंगी?

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये, इनका नोटिस है।

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष जी, कभी टेप की बात, कभी फैसले की बात, ये कहना क्या चाहते हैं?

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अपराधी मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को, मुझे और मेरे भाई की हत्या के लिए, मुख्यमंत्री मायावती जी ने खुला संरक्षण दे रखा है। अभी चार दिन पहले इलाहाबाद हाई-कोर्ट के जजों ने उसके खिलाफ फैसला दिया और उसके खिलाफ एक लाख रुपये के जुर्माने का आदेश दिया है। उसके बाद भी उसको पद पर बैठाए रखा गया है। मुख्तियार अंसारी को भी इस प्रकार का खुला संरक्षण दिया गया है कि वे जेल से सीधे डीजीपी के दफ्तर में जा रहे हैं। कल तो उन्होंने जिला जेल में जेलर के ऊपर रिवाल्वर तानने का काम किया ...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री द्वारा कुंवर अखिलेश सिंह और उनके छोटे भाई कुंवर कौशल सिंह की हत्या के लिए उनको निर्देशित किया गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इस विषय में माननीय गृह मंत्री जी को लिखा है कि वे आपको सुरक्षा देंगे।

कुंवर अखिलेश सिंह: मान्यवर, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री द्वारा बदले की भावना से हमारे और हमारे भाई की हत्या की साजिश रची जा रही है और अपराधी मंत्री को संरक्षण दिया जा रहा है। माफिन डॉन मुख्तियार अंसारी को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। ...*(व्यवधान)* जेलर के ऊपर रिवाल्वर तानने वाले अपराधी को संरक्षण दिया जा रहा है इसलिए मैं चाहता हूं कि यह सदन इस बात को संज्ञान में ले कि मेरी और मेरे भाई की जान को खतरा है। इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, 30 अप्रैल को बिहार में "तेल पिलावन" और 'लाठी चलावन" रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का नारा है "भाजपा भगावन और बुश भगावन"। एक टीवी सीरियल चल रहा था उसमें एक राम खिलावन थे। उनके द्वारा बिहार में जो रैली का आयोजन किया गया है, उससे आज की तारीख में बिहार की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। बिहार के सारे व्यवसायी अपनी-अपनी दुकानें बंद करके भाग चुके हैं। जिन लोगों की दुकानों में कड़वे तेल के टिन थे, उन्हें राम खिलावन के लोगों ने उठा लिया और लाठी को मजबूत बनाने के लिए उसी तेल को लगा रहे हैं। बिहार के सारे स्कूल बंद हो चुके हैं, संस्थाएं बंद हो चुकी हैं। बच्चों के माता-पिता बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि कहीं उनका अपहरण न हो जाए।

रैली के नाम पर जबरन चन्दा उगाही का धन्धा हो रहा है। बसों को रास्ते में रोककर महिलाओं और बच्चों को उतार दिया जाता है और उन बसों को मंत्री व विधायकों के आवास पर भेज दिया जाता है। वहां जो सरकार चल रही है, उसको कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। इस तेल-पिलावन-लाठी-चलावन रैली ...*(व्यवधान)* बिहार की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ...*(व्यवधान)* इस मामले में राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि तेल-पिलावन-लाठी चलावन रैली पर प्रतिबंध लगाया जाए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह की रैली में खुल्लम-खुल्ला लाठी जैसे हथियार को लेकर पटना के गांधी मैदान में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बिहार का वातावरण बिल्कुल विषाक्त हो चुका है। हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। कांग्रेस के लोग हल्ला कर रहे हैं, अगर आप इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो बिहार सरकार को समर्थन क्यों दे रहे हैं। तेल-पिलावन-लाठी-चलावन रैली को आपका समर्थन है और इसका परिणाम आप भोगेंगे, यही हम आपको बताना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, बिहार में अत्यन्त भीषण परिस्थिति पैदा हो रही है। बिहार में जंगल राज चल रहा है और लाखों लोगों से जबरन चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है। वहां की सारी बसें इकट्ठी कर ली गई हैं। स्कूल बन्द कर दिए गए हैं। प्राइवेट दफ्तर ही नहीं सरकारी दफ्तर तक बन्द कर दिए गए हैं। सब लोगों को लाठी लेकर वहां पर इकट्ठा किया जा रहा है। 30 तारीख को वहां पर सिविल वार जैसे हालात पैदा किये जा रहे हैं। अगर कांग्रेस के लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो सोनिया जी यहां सदन में बैठी हुई हैं, वे इस बारे में अपनी पार्टी की नीति बतायें। बिहार में जो तेल-पिलावन-लाठी-चलावन रैली का आयोजन हो रहा है और जंगल राज चल रहा है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? अगर कांग्रेस पार्टी को आब्जैक्शन है, तो उसके बारे सोनिया जी अपनी पार्टी की राय स्पष्ट करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पी. मोहन।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बिहार की स्थिति पर कोई चर्चा नहीं है।

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): महोदय, लगातार दूसरे वर्ष भी तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में स्थिति काफी खराब है और वहां सूखा की स्थिति चल रही है। गत वर्ष कावेरी बेसिन के जिलों विशेषकर डेल्टा किसानों और धान की खेती की हालत काफी खराब रही। कावेरी डेल्टा में भूख के कारण मौतें भी हुई हैं।

महोदय, गत वर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून में भरपूर बारिश नहीं हुई और मौसम वैज्ञानिकों द्वारा चालू वर्ष के बारे में जो भविष्यवाणी की है वह भी आशाजनक नहीं है। वे मानसून में बारिश के नहीं होने के बारे में पूर्वानुमान लगा रहे हैं। तमिलनाडु विशेषकर कावेरी डेल्टा के जिलों के तन्जावुर क्षेत्र में फसलों के नष्ट होने और कृषि की असफलता के कारण भारी नुकसान हुआ है। इसलिए, कावेरी तटवर्ती राज्यों के लिए भागीदारी सूत्र तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जीरो आवर में मेरे सामने 22 विषय हैं। मैं सभी को इजाजत देना चाहता हूं। बिहार का विषय खत्म हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बिहार की स्थिति पर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)***

***श्री पी. मोहन:** कावेरी नदी प्राधिकरण की बैठक न्यायाधिकरण और उच्चतम न्यायालय दोनों के आग्रह के अनुसार पिछले काफी समय से नहीं बुलाई गई है। इससे पहले कि गत वर्ष की तरह इसमें विलम्ब हो, प्रधान मंत्री द्वारा कावेरी नदी प्राधिकरण की बैठक बुलाई जानी चाहिए। मैं इस बात को जानता हूं कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री ने केन्द्र को इस संबंध में पत्र लिखा है। तमिलनाडु को कावेरी जल की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए जून के पहले सप्ताह में मेट्टूर बांध से पानी छोड़ने हेतु केन्द्र को तीव्र कार्रवाई करनी चाहिए। मैं केन्द्र सरकार से पूरी स्थिति का जायजा लेकर कावेरी नदी प्राधिकरण की बैठक बुलाने के लिए, व्यावहारिक सूत्र तैयार करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि जून के पहले सप्ताह में मेट्टूर बांध से जल छोड़ा जाना सुनिश्चित हो सके।

श्री ई. एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): महोदय, मैं भी अपने आपको उनसे सम्बद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम भी सम्बद्ध किया जाएगा।

अपराह्न 12.15 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) शिक्षा के मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन के बारे में

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। हमारे संविधान में शिक्षा के अधिकार को शामिल करने के लिए संशोधन किया गया था और जब संशोधन विधेयक पर इस सभा में चर्चा हो रही थी तो सदस्यों ने कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे।

एक यह मुद्दा भी उठाया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 45 में उल्लेख है कि 0-14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। श्री उन्नीकृष्णन द्वारा उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया गया था। उस मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। उसका तात्पर्य यह हुआ कि 0-14 वर्ष तक आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए।

जब सभा में यह मामला उठाया गया था तो मंत्री जी ने कहा था कि हम शिक्षा के अधिकार को कार्यान्वित करने और उसे एक वास्तविकता बनाने के लिए कानून बनाएंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि कानून में वह यह भी प्रावधान करेंगे कि 0-6 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों की भी देख-रेख की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे के परिवार के सदस्य और समाज भी उत्तरदायी होगा। चूंकि सभा में आश्वासन दिए जाने के लगभग एक वर्ष बाद हम अभी भी सरकार द्वारा बनाए जाने वाले उस कानून की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो इन आश्वासनों की पूर्ति करे और यह सुनिश्चित करे कि बच्चों को वास्तविक शिक्षा का अधिकार दिया जाए।

हम सरकार से सूचना की मांग कर रहे हैं कि सरकार ने इस संबंध में क्या किया है। यदि सरकार ने कुछ किया है तो हम यह देखना चाहेंगे कि सभा में विधेयक कब लाया जाएगा और कब यह पारित किया जाएगा। हम सरकार से इस प्रकार की सूचना चाहते हैं। इसके अलावा कोई अन्य विधि नहीं है। जिसका उपयोग उपलब्ध समय में सूचना प्राप्त करने के लिए किया जा सके, इसलिए हम यह मुद्दा उठा रहे हैं। हम सरकार से आशा करते हैं कि जिस मुद्दे को मैंने अपनी पार्टी और अन्य सभी पार्टियों की ओर से उठाया है के संबंध में वह उपयुक्त प्रतिक्रिया दें।

अध्यक्ष महोदय: अब, मैं श्री रामजी लाल सुमन को आमंत्रित करता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: क्या सरकार इसका उत्तर देगी?

अध्यक्ष महोदय: संसदीय कार्य मंत्री यहां हैं। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए संसदीय कार्य मंत्री इसे संबंधित मंत्री को ध्यान में ला सकते हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं मंत्री जी की सुविधा के लिए उस बात को दोहरा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: वह उत्तर दे रही हैं।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: संविधान में राइट टू एजुकेशन का अमैंडमेंट लाया गया और उसके बाद सरकार की तरफ से बिल लाने की बात कही गई थी लेकिन एक साल बाद भी बिल नहीं आया। वह बिल आना इसलिए जरूरी है कि बिल लाए बिना राइट टू एजुकेशन को उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसके साथ

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

ही इसमें जीरो टू सिक्स इअर के बच्चों का भी ध्यान रखने की बात है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके बारे में रिस्पौंड करे।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से इस बारे में बात करूंगी। जो शिवराज पाटील जी ने बात रखी, उनकी और सदन की भावनाओं से उन्हें अवगत कराऊंगी। वह जो भी चाहेंगे, कब इसे ला रहे हैं या इस बारे में क्या योजना है, मैं उससे सदन को अवगत कराऊंगी।

अपराह्न 12.19 बजे

(दो) एयर इंडिया के कुछ पायलटों द्वारा सार्स से प्रभावित क्षेत्रों में उड़ानों का प्रचालन न किये जाने के कारण उनके निलंबन और इससे उड़ानों के प्रचालन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, एअर इंडिया ने 27 पायलट्स को निलम्बित कर दिया है। दुनिया में दो दर्जन से ज्यादा देशों में सार्स का प्रकोप है और हिन्दुस्तान में भी आहिस्ता-आहिस्ता इसका प्रकोप होने लगा है रोज कोई न कोई केस आइडेंटिफाई हो जाता है। कल कोलकाता में सार्स का एक केस आइडेंटिफाई हुआ। इसी वजह से पायलट्स हड़ताल पर जाने वाले थे लेकिन 27 पायलट्स को निलम्बित कर दिया गया। इस विभाग के संबंधित मंत्री यहां बैठे हैं। वह जानते हैं कि अप्रैल माह में एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइन्स को इससे करोड़ों रुपये का घाटा हुआ। पायलट्स स्वास्थ्य मंत्री से मिलना चाहते थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन पायलट्स को निलम्बित करने से पहले उनसे कोई बात की गई थी और क्या यह सुनिश्चित किया गया कि उनके स्वास्थ्य की पूरी हिफाजत की जाएगी। सरकार ने इस मामले में लापरवाही बरतने का काम किया है। हमारे देश के लोग खाड़ी से यहां आना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हड़ताल हो जाए और पायलट्स को निलम्बित कर दिया जाए, यह अत्यधिक गम्भीर मामला है। मेरा मानना है कि अगर सरकार ने पायलट्स से विचार-विमर्श किया होता, उन्हें विश्वास में लिया होता तो यह नौबत नहीं आती। देश में सार्स का प्रभाव निरन्तर बढ़ रहा है। सार्स का मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह पड़ा कि पायलट्स ने यह समझा कि उनके स्वास्थ्य की जांच करायी जाए, उन्हें सुरक्षित रखा जाए और सरकार की तरफ से गारंटी दी जाए कि उड़ान भरते समय उनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाएगा।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि पायलट्स से क्या बातचीत की गई और क्या उन्हें विश्वास में लिया गया? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सभी के नोटिसेज मेरे पास हैं। यदि आप कोआपरेट करेंगे तो हर एक नोटिस देने वाले को चांस दूंगा। प्लीज को-आपरेट मी। मैं हर नोटिस को महत्व देता हूं।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, यह पायलटों के लिए ही चिंता का विषय नहीं है बल्कि यह पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। एयर इंडिया के पायलट यात्रियों और देश के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। किसी अन्य अन्तरराष्ट्रीय विमानन कंपनी के पायलटों ने ऐसे हथकंड़े कभी नहीं अपनाए हैं। पायलट कहते हैं कि वे चिंतित हैं। वे मांग कर रहे हैं कि उनके कैबिन क्रू और कॉकपिट क्रू को स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी किया जाए। इन विमानों में सैकड़ों यात्री यात्रा कर रहे हैं। यात्रियों के मामलों में पायलट इस बात पर कब क्यों नहीं देते हैं? वे केबिन क्रू के मामले में ही इस बात पर बल क्यों दे रहे हैं? एयर इंडिया के पायलटों द्वारा की जा रही यह मांग अनुमति, अवांछित और निर्मम हैं। उनका यह कार्य निन्दनीय है।

उन्होंने कुवैत को भी इसमें शामिल किया है। हम सब जानते हैं कि कुवैत के संबंध में क्या समस्यायें हैं। अब लोग बड़ी संख्या में कुवैत जा रहे हैं। इंडियन एयरलाइन कुवैत क्षेत्र में उड़ानें संचालित कर रही हैं। एयर इंडिया के पायलट कहते हैं कि वे 'सार्स' से डरे हुए हैं। क्या यह एयर इंडिया के पायलटों तक ही सीमत है? उन्हें सभी लाभ, सभी भत्ते दिए गए हैं और हर तरह से उन पर विचार किया जाता है। फिर भी, वे इस देश के लोगों की सेवा नहीं कर रहे हैं। विमान यात्री काफी कठिनाई में हैं। मैं सरकार को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए बधाई देता हूं। कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। उन्हें या तो सेवा में वापस आ जाना चाहिए या उन्हें सेवा से हटा दिया जाना चाहिए, इन लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखायी जानी चाहिए। वे देश को हानि पहुंचा रहे हैं और उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मैं मंत्री जी को कड़ी और त्वरित कार्रवाई के लिए बधाई देता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि यदि आवश्यक हो तो लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु आगे और कदम उठाएं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह भी अनुरोध करूंगा कि कुवैत जाने वाले तथा उन देशों में जाने वाले यात्रियों हेतु इंडियन एयरलाइन्स के और अधिक विमानों की व्यवस्था की जाये।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): अध्यक्ष जी, इस विषय पर मेरा भी नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर आपका नोटिस नहीं है, दूसरे विषय पर है। इस विषय पर श्री ई. अहमद के अलावा किसी और सदस्य का नोटिस नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कटारिया जी, आप बैठिए। एक विषय चालू है और मैंने आपको बता दिया है, मैं इसके बाद आपको चांस दूंगा।

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष जी, जिस तरीके से पायलट्स की स्ट्राइक हुई है, यह बहुत सीरियस मामला है। मैं श्री शाहनवाज जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पायलट्स के खिलाफ जो कार्यवाही की है, बिल्कुल ठीक किया है। पायलट्स को पांच-पांच लाख रुपये तनख्वाह दी जा रही है और वे अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहे हैं। अगर देश की आर्मी के अंदर यह फीलिंग्ज हो जाये तो देश का क्या होगा? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पायलट्स ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके भी वही विचार हैं जो मंत्रीजी के हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, जब पायलट्स अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी तो वह जहाज में जायेगा ...*(व्यवधान)* ये फालतू बात कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* इनके पास कोई काम नहीं है। जब पायलट सुरक्षित होगा, तभी वह उड़ान भरेगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है।

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के लोग आपे से बाहर हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय: लगता है कि विपक्ष इस विषय पर एकमत नहीं है।

[अनुवाद]

मंत्री जी क्या आप इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे?

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी: अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। लोग एतराज करेंगे, तो क्या मैं बैठ जाऊंगा। मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद मंत्री जी से बुलवाइये। क्या सुमन जी इस हाउस को चलायेंगे?

अध्यक्ष जी, गल्फ कंट्रीज की 50 प्रतिशत फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। लोगों को परेशानी हो रही है। लोग एअरपोर्ट्स पर दो-दो, तीन-तीन दिन से पड़े हुये हैं। जो सरकारी मुलाजिम हैं, 5 लाख तनख्वाह पा रहे हैं, उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वे फैसला करेंगे कि कहां उसे जाना है या कहां नहीं जाना है। अगर सिर्फ इसलिए कि हमारी ईश्यू बैस्ड सपोर्ट है, हम हमेशा हर बात पर खिलाफ बोलने का काम करेंगे, इसका मतलब यह नहीं कि अगर देश का मामला होगा और समाजवादी पार्टी के लोग आंखें बंद करके उसकी मुखालफत करेंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि पायलट्स के खिलाफ सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए, उन्हें वार्निंग दी जानी चाहिए। उन्हें वार्निंग देनी चाहिए और फ्लाइट्स को ठीक ढंग से चलाना चाहिए। दुनिया के अंदर किसी को इतनी ज्यादा तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं, जितनी इन्हें दी जा रही हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: तनख्वाह क्या चीज होती हैं। अध्यक्ष महोदय, जिंदगी से बड़ी तनख्वाह नहीं होती है। जब वे अपने को सुरक्षित महसूस करेंगे तो उड़ान भरेंगे। यहां उनके स्वास्थ्य का सवाल है। तनख्वाह क्या होती है। ...*(व्यवधान)*

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उसका जिंदगी से क्या ताल्लुक है। कोई मिलिट्री वाला कह दे कि मैं नहीं जाता, मेरी जिंदगी का सवाल है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राशिद अलवी कृपया बैठ जाइए। मैंने माननीय मंत्री जी को इस पर संक्षिप्त वक्तव्य देने हेतु आमंत्रित किया है।

[हिन्दी]

श्री राशिद अलवी (अमरोहा): मेरी यही प्रार्थना है कि ये फ्लाइट्स चलाई जानी चाहिए और अगर जरूरत पड़े तो बाहर से पायलट बुलाने चाहिए।

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): सर, संसद में एक बार हमारी चर्चा हुई थी, जब जाड़े में फ्लाइट्स लेट होती थीं तो संसद में हमें कहा गया था कि अब कैट-3 आपने लगा लिया है। लेकिन कैट-3 का उपयोग आपके पायलट नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय तब मैंने आपका संरक्षण प्राप्त किया था और कहा था कि पायलट को कैट-3 की ट्रेनिंग करवायेंगे। हमारे यहां दो तरह के एक्जीक्यूटिव पायलट हैं, कुछ एक्जीक्यूटिव हैं, वे आधे हैं और आधे इंडियन पायलट गिल्ड के पायलट्स हैं। सारे पायलटों ने ट्रेनिंग कर ली है। जब हमने इंडियन पायलट गिल्ड के पायलटों से कहा कि आप ट्रेनिंग कर लें तो उन्होंने पर पायलट 75,000 रुपये एक्सट्रा मांगे। हमने कहा यह संभव नहीं है। एयर इंडिया छः साल के बाद प्रोफिट हमें आई है। इससे 35 करोड़ रुपये का एक्सट्रा खर्च आयेगा। उसके बाद इराक वार आ गया। वे इस इंतजार में थे कि जब भी सरकार फंसेगी, तब हम उसे ऐन वक्त पर धोखा देकर अपनी मांगे मनवायेंगे। क्योंकि 1974 के बाद से आज तक किसी पायलट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई एयर इंडिया ने नहीं की। 1974 के बाद पहली बार यह कार्रवाई हुई है।

अध्यक्ष महोदय, इराक में वार चल रहा था। जिस दिन इराक वार खत्म हुआ तो इन्होंने आठ अप्रैल को हमें नोटिस दिया कि कुवैत में हम नहीं जायेंगे। कुवैत में सद्दाम हुसैन का कोई खतरा नहीं है। माननीय सदस्य ने जिंदगी का सवाल उठाया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: सद्दाम हुसैन का खतरा कभी नहीं था, आप सद्दाम हुसैन के खतरे की बात क्यों कर रहे हैं।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि हम कुवैत नहीं जायेंगे। दुनिया की किसी एयरलाइन के किसी पायलट ने और किसी भी एयरलाइन ने कुवैत जाने से मना नहीं किया। लेकिन इंडियन पायलट गिल्ड के लोगों ने कुवैत जाने से मना कर दिया। उसके बाद हमने कुवैत की फ्लाइट्स एक्जीक्यूटिव पायलटों से चला लीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम सिंगापुर और हांगकांग नहीं जायेंगे। हमने कहा, ठीक है आप सिंगापुर और हांगकांग न जाएं। हमने वे फ्लाइट्स भी एक्जीक्यूटिव पायलटों से ऑपरेट कर लीं। एयर इंडिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ...*(व्यवधान)*

श्री राशिद अलवी: श्री सुमन को वहां भेज दें। ...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: अध्यक्ष महोदय, हमने सिंगापुर और हांगकांग की फ्लाइट्स भी एक्जीक्यूटिव पायलटों से चला लीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। जब इन्होंने देखा कि एयर इंडिया को कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो इन्होंने एक नई शर्त फिर लाद दी। इन्होंने कहा कि अगर कोई पायलट सिंगापुर या हांगकांग दस दिन के अंदर गया हो, यानी दस दिन के अंदर अगर वह उसमें गया हुआ है और वह सर्टीफिकेट लिखकर दे कि वह वहां नहीं गया है, तभी हम उसके साथ फ्लाई करेंगे। यह एकदम नाजायज मुद्दा था। हमने कहा यह कैसे हो सकता है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जनता के लिए यहां बैठे हैं, जनता द्वारा चुनकर आये हैं। अगर यात्रियों को एयरपोर्ट पर परेशानी हो रही है तो हमें उसका सवाल बहुत गंभीरता से उठाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने ऐन वक्त पर हड़ताल की घोषणा नहीं की, यह यूरोप गये, अमरीका गये और इन्होंने कहा कि पहले लिखकर दो कि इनमें से कोई भी क्रू दस दिन से सिंगापुर या हांगकांग नहीं गया है, तब हम जायेंगे और उन्होंने फ्लाइट्स को उड़ाने से मना कर दिया। इन्होंने पूरी दुनिया में एयर इंडिया की इमेज को खराब करने का काम किया। जो एयरपोर्ट्स पर आप टी.वी. चैनलों पर देख रहे होंगे, जो बाइट दिखा रहे हैं कि यात्री परेशान हैं, वे एयर इंडिया के मैनेजमेन्ट की वजह से नहीं है। अगर इन्होंने हड़ताल की घोषणा की होती तो हम उसे फिर से रीशेड्यूल करते। लेकिन ये लोग एयरपोर्ट पर आते हैं, अपना बैग रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि आप लिखकर दो। कल को ये सवाल पूछेंगे कि अगर इनमें से कोई यात्री दस दिन में सिंगापुर और हांगकांग गया है, श्री रामजीलाल सुमन जी भी अगर हांगकांग या सिंगापुर से दस दिन में लौटकर आते तो इनका नाम सुनते ही वे मना कर देंगे कि हम नहीं जायेंगे, क्योंकि उन्होंने यह तय कर लिया कि हम किसी न किसी शर्त पर एयर इंडिया के मैनेजमैन्ट को झुकायेंगे।

अध्यक्ष महोदय, दो तरह के रूल्स हैं। हैल्थ मिनिस्टर भी यहां बैठी हैं। डब्ल्यू.एच.ओ. ने किसी भी एयरलाइंस को मना नहीं किया कि वह सिंगापुर या हांगकांग न जाएं और "आइटा" जो इंटरनेशनल बॉडी है, जो एयरलाइंस ऑपरेट कराती है, उसने कहीं पर यह डायरेक्शंस जारी नहीं की कि एयरलाइन सिंगापुर या हांगकांग नहीं जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह शुभ सूचना संसद को देना चाहता हूं कि उनकी इस हड़ताल के बावजूद एयर इंडिया ने पूरी तैयारी कर ली है। आपने कहा कि हमने बातचीत नहीं की। हमने सैक्रेटरी, सिविल एविएशन को कहा कि वह बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली नहीं आयेंगे। हमने फिर मुम्बई बातचीत के लिए भेजा, मुम्बई में बातचीत हुई। हमने कहा कि आप जो पैसेंजर्स को

ऐन वक्त पर मना कर देते हैं कि हम फ्लाई नहीं करेंगे, उसकी वजह से कई बीमार लोगों को परेशानी हुई है, किसी को ऑपरेशन कराने के लिए अमरीका जाना है, किसी को यूरोप जाना है, किसी का एग्जाम है, किसी की नौकरी का सवाल है।

जब हमको उनको कहा कि आप एक बार आ जाएं, आपकी ग्रीवियैन्सेज पर हम बातचीत करेंगे। एयर इंडिया अभी प्रॉफिट में आई है और डिसइनवैस्टमेंट की लिस्ट से उसको हमने बाहर किया है। पिछले साल 15 करोड़ का प्रॉफिट किया और इस साल हम सौ करोड़ का प्रॉफिट करने जा रहे हैं। अगर इराक वार नहीं होता तो हम तीन-चार सौ करोड़ प्रॉफिट करने की स्थिति में होते। तो क्या जितना प्रॉफिट करें, सारा पायलट्स को बांट दें जिनकी तनख्वाह पहले से ही चार-पांच लाख रुपये है? लेकिन आपके माध्यम से देश को एक सूचना देना जरूरी है कि उड़ान प्रतिशत देखा जाए तो 20 प्रतिशत एयर इंडिया ऑपरेट करती है, 12 प्रतिशत इंडियन एयरलाइन्स ऑपरेट करती है और 68 प्रतिशत विदेशी एयरलाइन्स ऑपरेट करती हैं। मैं आपके जरिये सूचना देना चाहता हूं कि एयर इंडिया में इंडियन पायलट गिल्ड की हड़ताल के बावजूद हमने अमेरिका, यूरोप और लंदन की कोई फ्लाइट कैन्सल नहीं की है। दूसर बात यह है कि हमारी जो फ्लाइट्स जा रही थीं, जो अखबारों में आ रहा था कि 37 प्रतिशत फ्लाइट्स कैन्सेल की हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया की हैं, जो 37 पूरे हफ्ते की बताई हैं, एक दिन की नहीं है। इसके बावजूद आज एयर इंडिया को जो 20 प्रतिशत उड़ान का हिस्सा प्राप्त है, उसमें हम 15 प्रतिशत ही उड़ा पा रहे हैं और पांच प्रतिशत का हमें लॉस है। वह पांच प्रतिशत जो ट्रैफिक है, जिस तरह से साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन एयरलाइन्स जाती हैं, उसका लोड वैसे ही कम था, हांग कांग और सिंगापुर कोई जाने को तैयार नहीं है। हमारे कई मित्रों को हम कहते हैं कि आप फ्री चले जाइए, वे फ्री में जाने के लिए भी तैयार नहीं हैं। उस पर ट्रैफिक की जो कमी थी, वह इंडियन एयरलाइन्स में ट्रांसफर हो गई है। इसलिए यात्रियों को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आइन्दा आप एयरपोर्ट पर इस तरह की कोई घटना नहीं सुनेंगे कि कोई यात्री परेशान है। हमने इंडियन पायलट गिल्ड से कहा है और हम लेबर मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं कि पायलट हड़ताल पर भी नहीं जा रहे हैं और व्यवधान डाल रहे हैं। इसके लिए वे हड़ताल को अवैध घोषित करें, इसकी प्रकिया हम शुरू कर रहे हैं।

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी ओर से, सासंद रामचन्द्र बैंदा की ओर से, सांसद किशन सिंह सांगवान जी की ओर से, डा. सुधा यादव जी की ओर से जिला फरीदाबाद में तैनात कुछ अधिकारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का एक नोटिस आपके सामने रखा है। 15 मार्च, 2003 को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों एवं पदाधिकारियों की एक बैठक फरीदाबाद में चल रही थी। इतने में ही शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि फरीदाबाद के एक सैक्टर में 5000 मकानों को गिरा दिया गया है, आप जाकर मौके पर देखें। हम वहां मौके पर देखने के लिए गए। ...*(व्यवधान)*

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया जा रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे प्रिविलेज नोटिस पर बोल रहे हैं।

श्री रतन लाल कटारिया: हम मौके पर इसलिए देखने गए ताकि सारी घटना को मुख्य मंत्री जी को या केन्द्रीय नेतृत्व के ध्यान में लाया जाए, लेकिन इतने में ही फरीदाबाद के पुलिस अधीक्षक कविराज उप मंडल अधीक्षक जितेन्द्र भैया, फरीदाबाद डैवलपमैंट की संयुक्त सचिव श्रीमती अनीता यादव के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिस कर्मचारी आए और उन्होंने सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों पर लाठियों से हमला कर दिया। मैंने पुलिस अधीक्षक को बताया कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और यह हमारा विशेषाधिकार है कि हम सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करके मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाएं या केन्द्र के ध्यान में लाएं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से प्रकृति ने भुज को तबाह कर दिया था, उसी प्रकार पुलिस अधिकारियों ने फरीदाबाद के सैक्टर 29 में 5000 मकानों को गिराकर वहां ऐसी स्थिति बना दी थी जैसे भुज में प्रकृति ने बनाई थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। प्रिविलेज नोटिस है, मुझे सुनना तो पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री रतन लाल कटारिया: इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसदों पर जिस प्रकार का हमला हुआ है, उसके लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस सारे मामले की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराएं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से घटना के समय पुलिस द्वारा मुझ पर तथा मेरी पार्टी के विधायकों, सांसदों, पदाधिकारियों पर कातिलाना हमला किया गया और जो प्रदर्शनकारी थे उन पर लाठीचार्ज किया गया। मुझे चोटें आईं। इस कारण मुझे तीन दिन तक राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। मेरी पार्टी के विधायकों और सांसदों को भी काफी चोटें आईं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने आपको माननीय सदस्य, श्री रतन लाल कटारिया से संबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम उनके साथ संबद्ध किया जाएगा।

मुझे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उपमंडल अधिकारी, फरीदाबाद और संयुक्त सचिव, फरीदाबाद नगर निगम के विरुद्ध 25 अप्रैल 2003 को विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस प्राप्त हुआ है जिस पर सर्वश्री रतनलाल कटारिया, रामचन्द्र बैंदा, किशन सिंह सांगवान, डा. सुधा यादव, संसद सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर हैं और इस नोटिस में इन संसद सदस्यों पर 15 मार्च 2003 को हमला करने के लिए तथाकथित रूप से पुलिस अधिकारियों को आदेश देने का आरोप है।

मैंने पहले ही इस विषय में गृह मंत्रालय से तथ्यात्मक टिप्पणी की मांग की है। मैं केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय से जानकारी मिलने के बाद इस विषय में निर्णय लूंगा।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात कहने की अनुमति प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय: इन्दौरा जी, जब राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हो जाएगी, तब मैं आपको भी अपनी बात कहने का अवसर दूंगा। आप अपने स्थान पर जाकर बैठिए।

श्री अजय सिंह चौटाला (भिवानी): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री रतन लाल कटारिया: अध्यक्ष महोदय, वैसे हमें अपनी सारी रिपोर्ट माननीय मुख्य मंत्री जी को ही देनी थी, लेकिन ये पुलिस अधिकारियों का बचाव कर रहे हैं। इसलिए हमें मजबूर होकर यह विषय सदन में लाना पडा। ...*(व्यवधान)*

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: अध्यक्ष महोदय, हमें थोड़ा समय दीजिए। हम आपको हकीकत बताना चाहते हैं।

श्री अजय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, इन्होने और इनकी पार्टी के लोगों ने एस.पी. को गर्दन से पकड़कर सड़क पर घसीटा और पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चौटाला जी, मैंने आपसे कहा कि जब इन्फार्मेशन आ जाएगी, तो मैं आपको अपनी बात कहने का अवसर दूंगा।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): अध्यक्ष महोदय, हमें सिर्फ एक मिनट का समय दीजिए। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। ये लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एक महीने पहले हुई घटना को आज सदन में उठाकर प्रोपैगंडा करना चाहते हैं। यदि ये ऐसा करेंगे, तो क्या हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं मिलेगा।

अपराह्न 2.39 बजे

[हिन्दी]

(तीन) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में केन्द्र के कथित निर्णय के बारे में

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही गम्भीर विषय पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि यह सबसे बड़ा और अहम मामला है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के 13 सांसदों और 49 विधायकों की सीटों को बढ़ाने का सवाल है और यह परिसीमन (डीलिमिटेशन), जैसा कि आपको विदित ही है, संविधान के 84वां संशोधन, जो वर्ष 2001 में किया गया और जिसकी अधिसूचना 4.6.2002 में हुई, जिसके अंतर्गत अब वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा और इसके लिए श्री कुलदीप सिंह, जो उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, उन्हें परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परिसीमन आयोग ने दिनांक 4.7.2002 से अपना कार्य करना शुरू कर दिया है।

इसमें लिखा है कि जो परिसीमन होगा वह 1991 के आधार पर होगा और 2026 तक सीट उतनी ही रहेंगी, लेकिन मुख्य रूप से घाटा और लाभ अनुसूचित जाति का होगा। हम सब लोगों ने इसमें मांग की थी कि 2001 के, जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाए। इस संबंध में मेरे पास कुलदीप सिंह जी का पत्र भी है, जो चेयरमैन हैं। उन्होंने भी 17 दिसम्बर को तत्कालीन लॉ मिनिस्टर को लिखा। उसमें उन्होंने कहा था कि यह बहुत इनजस्टिस है कि आप 30 साल के बाद परिसीमन करने जा रहे हैं और आप इसे 1991 के आधार पर कर रहे हैं तथा फिर 2026 में होगा। आप 2001 का, जो आपके पास ऑलरेडी सेंसस हो चुका है, उसके आधार पर क्यों नहीं कर रहे हैं, तब जवाब दिया गया कि 2001 सेंसस का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 2001 का विधिवत तरीके से नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन सारे के सारे फैक्ट्स आ चुके हैं। उसके बाद भी उन्होंने जब पत्र लिखा, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह आउटडेटेड

आधार पर करना ठीक नहीं होगा। आप हमें समय दीजिए और उपलब्ध कराइए, हम दो-तीन महीने के अंदर 2001 के आधार पर डिलिमिटेशन करने को तैयार हैं। कानून मंत्री जी ने जवाब दिया, 21 जनवरी को, जिसमें उन्होंने कहा कि सारी बातों को ध्यान में रख कर हमने 1991 तय किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पासवान जी, जब बिल आएगा उस समय आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: महोदय, आपरेटिव पार्ट है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपरेटिव पार्ट है, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री राम विलास पासवान: आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इस संबंध में हमने जब हाउस में कहा कि हम एसोसिएटेड मेम्बर्स हैं और हमें बुलाया नहीं गया। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं। 13 मार्च को कानून मंत्री जी ने बैठक बुलाई और उस समय उन्होंने हम लोगों को कहा कि डिलिमेटशन कमीशन तैयार नहीं है, हम 2001 को इनसिस्ट करेंगे तो 1971 के आधार पर चुनाव होगा। उसके बाद आपने निर्देश दिया, उसके मुताबिक 16 मार्च, 2003 को निर्वाचन सदन में परिसीमन आयोग की बैठक हुई। वहां दोनों पक्षों के काफी सदस्य थे। हमने जब वहां इस बात को पूछा तो कुलदीप सिंह जी ने कहा कि मैंने लॉ मिनिस्टर को ऐसा नहीं कहा है और मैं अभी भी कहता हूं कि यदि वे हमें 15 दिन के अंदर दें तब तो संभव है तथा यदि 15 दिन के बाद कानून में चेंज भी करेंगे तो संभव नहीं होगा, हमें 1971 के आधार पर परिसीमन करना पड़ेगा।

महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि पूरा सदन 2001 के लिए तैयार है, लेकिन 2001 की आड़ में कहीं ऐसा न हो कि न माया मिले, न राम। न 2001 हो और न 1991 हो तथा हम 1971 के आधार पर चले जाएं। अभी हम लोगों को जो डाटा मिला है उसके मुताबिक 1991 के आधार पर 13 एमपीज और 49 एमएलएज का सीट एससी, एसटी का बढ़ेगा, जिसमें महाराष्ट्र में 17 और दो, कर्नाटक में 12 एमएलए और दो एमपी तथा मध्य प्रदेश में 12 एमएलए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पासवान जी, जब बिल आएगा तब आप बोलिए।

श्री राम विलास पासवान: महोदय, मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री शमशेर सिंह दूलो (रोपड़): मैं भी पासवान जी के साथ एसोसिएट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके नाम संबद्ध कर दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: सरकार ने निर्णय लिया है कि हम 2001 के आधार पर करने जा रहे हैं, लेकिन जो इलैक्शन कमीशन और परिसीमन आयोग के साथ बैठे हैं, इसके लिए वे तैयार नहीं हैं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी यदि परिसीमन आयोग तैयार हो जाए और उसके लिए फिर इन्हें पार्लियामेंट आना पड़ेगा, 1991 को 2001 के लिए चेंज करना पड़ेगा। इन्हें 2001 का नोटिफिकेशन करना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* महोदय, चार साल का समय परिसीन आयोग को दिया जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ दो साल दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप क्रियात्मक पक्ष की चर्चा नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: महोदय, आप मेरा एक सजेशन सुन लीजिए।

मेरा आपसे आग्रह है कि पूरा का पूरा सदन 2001 के आधार पर परिसीमन के लिए तैयार हैं, लेकिन यदि 2001 के आधार पर नहीं होता है तो फिर 1971 के आधार पर नहीं होना चाहिए, 1991 के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। जिन सरकारों को इससे इफैक्ट हो रहा है, वहां से एक कांस्प्रेसी चल रही है कि किसी तरह से 2001 की आड़ में इसे 1971 में ले जाओ, इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार की मंशा क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री शमशेर सिंह दूलो: सरकार की तरफ से इस पर टिप्पणी आनी चाहिए कि क्या होने वाला है, यह बहुत गम्भीर समस्या है। इसमें मैं अपने आपको एसोसिएट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): मैं भी इससे अपने आपको एसोसिएट करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इससे अपने आपको एसोसिएट करता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस विषय का जब सदन में बिल आयेगा तो चर्चा कीजिएगा। यह क्या जीरो ऑवर का विषय है, जो इस पर चर्चा होनी चाहिए।

डा. सुशील कुमार इन्दौरा: कटारिया जी ने जो प्रश्न उठाया है, उसके तथ्यों से संबंधित फाइल मैं आपकी इजाजत से टेबल पर रखना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, रख दीजिए।

श्री राम विलास पासवान: इस संबंध में सरकार कुछ कहना चाहती है, कुछ नहीं बोलना चाहती है या सरकार को कुछ मतलब ही नहीं है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

मैंने यही कहा है कि बिल आने के बाद चर्चा होगी। आप जरा मंत्री जी को सुनिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: रामदास जी बैठिए। आप क्या कर रहे हैं, बैठिए प्लीज। मंत्री जी को सुनिये।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, देखा जाये तो यह विषय गम्भीर नहीं है, जिसे शून्यकाल में उठायें और सरकार उस पर प्रतिक्रिया दे दे। इसके ऊपर बाकायदा बिल आ रहा है, जिस पर पूरी चर्चा होगी। उस समय जितनी गम्भीरता से बातें कही जाएंगी, उतनी ही गम्भीरता से सरकार प्रतिक्रिया देगी। यह जीरो आवर के प्रश्न थोड़े ही हैं कि जीरो ऑवर में सरकार इस पर रैम्पॉड करेगी।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष जी, देश के विभिन्न भागों में मस्तिष्क ज्वर से होने वाली सैकड़ों मौतों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रतिवर्ष देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया आदि जनपदों के साथ ही बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मस्तिष्क ज्वर से सैकड़ों मौतें होती हैं। बरसात के बाद जब मस्तिष्क ज्वर, जिसे एन्सेफ्लाइटिस कहते हैं, की बीमारी फैलती है तो 16 साल से नीचे के बच्चे इसकी चपेट में आते हैं। जो बालक इसकी चपेट में एक बार आ जाता है, या तो वह मर जाता है या फिर मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की स्थिति में पहुंच जाता है। पिछली बार भी इस मुद्दे को मैं यहां सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में लाया था। उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि इस पर बरसात से पहले ही वैक्सीनेशन की व्यवस्था उन क्षेत्रों में केन्द्र सरकार की तरफ से हो जाये तो काफी हद तक इसे नियंत्रित किया जा सकता है। पिछली बार रैडक्रास सोसायटी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आदि जनपदों के साथ ही देश के विभिन्न भागों में मस्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का आदेश दिया गया था, लेकिन वहां पर अभी तक इस प्रकार के कोई कदम उन क्षेत्रों में सोसायटी के माध्यम से नहीं हो पाये हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, मैं मंत्री जी अनुरोध करना चाहता हूं कि बरसात के बाद मस्तिष्क ज्वर से जो सैकड़ों मौतें होती हैं, इन्हें रोकने के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था अभी से प्रारम्भ की जाये।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): मैंने अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्थायी संसदीय समिति के गठन की आवश्यकता के संबंध में पहले भी यह मुद्दा उठाया है। संविधान के अनुसार 1952 से हमारे पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधी स्थायी संसदीय समिति है। हमने अ.पि.व. के लिए 1993 से आरक्षण दिया है। इन आरक्षणों के उचित कार्यान्वयन के लिए एक स्थायी संसदीय समिति होनी चाहिए जैसाकि महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हमारे पास समितियां हैं। यह विषय गत तीन वर्षों से लम्बित है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि भारत सरकार को एक अलग समिति बनानी चाहिए क्योंकि आबादी का पचास प्रतिशत पिछड़ा वर्ग है। हमने अन्य पिछड़े वर्ग को इतनी सुविधाएं दी हैं। किन्तु उनसे संबंधित कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए कोई स्थायी समिति नहीं है। अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि अ.पि.व. के लिए अलग संसदीय समिति बनाएं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रेणुका चौधरी (खम्मम): अध्यक्ष महोदय, ओ.बी.सी., एस.सी./एस.टी. माइनोरिटीज आदि में 50 परसेंट महिलायें हैं जबकि उनका कहीं कोई जिक्र नहीं आता। ...*(व्यवधान)* महिला आरक्षण बिल अभी तक पेंडिंग है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारा विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। हमने 24 तारीख को उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)* सुश्री मायावती जी ने पूरे संसद की अवमानना की है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास गवर्नमेंट से कुछ इन्फोर्मेशन तो आने दीजिए। सुश्री मायावती जी की ओर से कुछ तो इन्फोर्मेशन आने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि हो रही है। लोग पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)* मैंने इस संबंध में नोटिस दिया है कि दिल्ली में लोगों को पीने के पानी के लिए दिक्कत हो रही है। मेरे इलाके में लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस आ रहा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं भावी पीढ़ी के बारे में अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अब, एनसीईआरटी इतिहास की कुछ पुस्तकें प्रकाशित कर रही है। आज के 'टाइम्स आफ इंडिया' में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है कि इन किताबों में नाजी पार्टी के संस्थापक हिटलर को एक महान समाजवादी और राष्ट्रवादी के रूप में दर्शाया गया है। किन्तु उन लाखों यहूदियों के विषय में जिनका नरसंहार हुआ था। एक शब्द भी उल्लेख नहीं है। उनका नरसंहार हुआ। साथ ही, हिटलर की नाजीवादी पार्टी द्वारा प्रचारित नाजी जैसी उत्कृष्टता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। वे न केवल यूरोपीय या अफ्रीकी लोगों पर बल्कि भारतीयों पर भी अपनी उत्कृष्टता का दावा कर रहे थे। इसके विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अत: एक युवा या बालक जो इतिहास को पढ़ रहा है वह सोचेगा कि हिटलर महान व्यक्ति है। उसे महान ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा क्योंकि वह समाजवाद और राष्ट्रवाद का समर्थक था। इसके विपरीत, तथ्य कुछ और हैं। इन तथ्यों का उल्लेख किए बिना और हिटलर को राष्ट्रवादी और समाजवादी के रूप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति दर्शाना बहुत खतरनाक है। केवल इतना ही नहीं अन्य कई ऐसे उदाहरण हैं। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। यदि ऐसी स्थिति रही तो भावी पीढ़ी हिटलर, मुसोलिनी और अन्य तानाशाहों की प्रशंसक बनेगी जिन्होंने मानवता की नृशंस हत्या की थी।

अत: मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इतिहास का इसके उचित परिप्रेक्ष्य में पुन:लेखन करें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इस उम्र में आप इतनी तकलीफ क्यों उठाते हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री लाल बिहारी तिवारी: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में इस समय डेढ़ करोड़ की आबादी है जिसमें से लगभग 50 लाख लोग ...*(व्यवधान)* यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, आप इसे इतना महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि सरकार को इस विषय में जवाब देने का निर्देश दे सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि ये जो कह रहे हैं वह किया जाए। उन्होंने निश्चित रूप से अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय उठाया है। यदि हमारी पाठ्यपुस्तकों में हिटलर को नायक के रूप में, सकारात्मक तौर पर दिखाया जा रहा है तो यह इतिहास के मात्र पुनर्लेखन नहीं बल्कि विरूपन का भयावह उदाहरण है।

अध्यक्ष महोदय: सरकार इस बात पर ध्यान दे सकती है।

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की आबादी डेढ़ करोड़ के करीब है जिसमें 50 लाख लोग झुग्गी-झोंपड़ी, अनअथोराइज्ड कालोनी, पुनर्वास बस्ती, गरीब बस्ती में रहते हैं। दिल्ली की श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार ने इन बस्तियों में पीने के पानी के लिए कोई लाइन नहीं डाली है। वहां टैंकर भेजकर पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। पिछले एक हफ्ते से एक बूंद पानी भी टैंकरों द्वारा उन गरीब बस्तियों में नहीं गया है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की पापुलेशन के हिसाब से 850 एम.जी.डी. वाटर की आवश्यकता है जबकि 600

[श्री लाल बिहारी तिवारी]

एम.जी.डी. वाटर की उपलब्धता है। इसमें से 200 एम.जी.डी. वाटर बेकार हो जाता है। कुल मिलाकर दिल्ली को 400 एम.जी.डी. वाटर मिलता है। इतनी भयंकर गर्मी में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है।

140 एम.जी.डी. वाटर प्लांट सोनिया बिहार में बनाने का काम सन् 2000 के अंदर पूरा होना चाहिए था लेकिन आज तक वह काम पूरा नहीं हुआ। इससे लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक तिहाई पॉपुलेशन है, वहां 200 एम.जी.डी. पानी मिलना चाहिए, लेकिन 50 एम.जी.डी. पानी भी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली की गरीब जनता पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रही है। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस बारे में कुछ न कुछ बताएं कि पानी का क्या होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से संचार मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इटावा में अभी संचार निगम द्वारा मोबाइल सेवा सैल-1 शुरू की गई है। लेकिन मोबाइल सेवा शुरू होते ही उसमें इतने ज्यादा कनैक्शन दे दिए गए कि आए दिन टेलीफोन बंद रहते हैं। वे काम नहीं करते। क्षमता से ज्यादा कनैक्शन देने की वजह से ग्राहकों को दो-दो, तीन-तीन घंटे तक बात नहीं हो पाती। अत: मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मोबाइल सेवा की क्षमता बढ़ाई जाए। जसवंत नगर में न मोबाइल का टावर लगाया गया है और न ही डब्ल्यू.एल.एल. का टावर लगाया गया है। इससे वहां के कनैक्शन धारकों को बड़ी परेशानी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में केबल की लाइन भी नहीं बिछाई गई है। मैं कहना चाहता हूं कि जसवंत नगर में डब्ल्यू.एल.एल. और मोबाइल सेवा के टावर लगाए जाएं जिससे जनता को लाभ मिल सके। ...*(व्यवधान)* तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केबल नहीं बिछायी गयी जिसके कारण यह क्षेत्र दूरभाष सेवाओं से पूरी तरह उपेक्षित है। नवीन मोबाइल टावर बकेवर, अजीतमुल सैफई तथा कठकोटी को चालू नहीं किया गया है।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारा 24 तारीख का नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने अभी आपको न नहीं कहा है।

श्री रामजीलाल सुमन: हमने आपको 24 अप्रैल को नोटिस दिया था। यह पूरे सदन की अवमानना है। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री सुश्री मायावती ने पूरे सदन को मनुवादी कहा है। यह बहुत गंभीर मामला है। हमें आपका संरक्षण चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको इजाजत देने वाला हूं। आप बैठिए।

कुंवर अखिलेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, समाजवादी कभी मनुवादी हो ही नहीं सकते। बार-बार मनुवादी कह कर अपमानित किया जा रहा है। पूरे सदन को गालियां दी जा रही हैं। मान्यवर, इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री सुश्री मायावती संसदीय लोकतंत्र की गरिमा का लगातार हनन करती जा रही हैं, उपहास उड़ाती जा रही हैं। हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा। लेकिन मुझे मन्यवर क्यों कहते हैं? आप मान्यवर भी कहते हैं और कुछ मानते नहीं है।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हमारा 24 अप्रैल का नोटिस है। हमने आपसे विनम्र प्रार्थना की थी। यह बहुत गंभीर मामला है। यह संसद की अवमानना की परिधि में आता है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.58 बजे

(चार) महिला आरक्षण विधेयक के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, महिला रिजर्वेशन बिल अभी तक लंबित है। महिलाओं को 33 प्रतिशत रिजर्वेशन देने के प्रस्ताव के बारे में हमारा नया सुझाव है। सब मैम्बर्स को लगता है कि उनकी सीट जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक-तिहाई सीटों को बढ़ाने की आवश्यकता है। 182 सीटों को बढ़ा कर इस ईशू को सॉल्व करना चाहिए। भारत सरकार को जल्दी से जल्दी इस ईशू को इम्प्लीमैंट करने की आवश्यकता है। मेरी मांग है कि एस.सी., एस.टी. और माईनौरिटी की महिलाओं को 110 सीटें और जनरल महिलाओं को 72 सीटें, इस तरह 182 सीटें बढ़ा कर इस मामले को सॉल्व करना चाहिए।

मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्ष को मैडम कैसे बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि मैडम पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर महिला रिजर्वेशन बिल के बारे में कुछ बोलना चाहती हैं तो मेरी उनको इजाजत है, नहीं तो रामजी लाल सुमन जी, आप बोल सकते हैं।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): मैडम से पूछ लीजिए।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष जी, महिला आरक्षण विधेयक को टालने का पुरुष वर्ग नया तरीका निकाल रहा है। उसमें से एक तरीका आज आठवले जी ने इजाद किया है। अब यह नई चीज है कि जितनी सीटें हैं, उसमें 182 सीटें और बढ़ाएं तब महिलाओं को आरक्षण दें यानी 540 सीटों में से आरक्षण न दें, 182 सीटें और बढ़ाएं। इसे लटकाने, टकराने और टरकाने के कई तरीके निकाले जा रहे हैं। एक नया तरीका आज इजाद किया गया है और उस पर चाह रहे हैं कि मैं इनको प्रतिक्रिया दूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रतिक्रिया नहीं देतीं तो इनके लिए अच्छा था।

श्री रामदास आठवले: मैंने कहा है कि सीटें बढ़ा कर इस ईशू को सॉल्व कर दिया जाए। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमने 24 अप्रैल को आपको विशेषाधिकार हनन का नोटिस उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ दिया था। 21 अप्रैल को आपकी कृपा से यहां बहुत अच्छी और सार्थक चर्चा हुई थी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के मुख्य मंत्री काल में जो विवेकाधीन कोष का जो तथाकथित दुरुपयोग हुआ, उसके सिलसिले में 137 अपराध एक ही दिन में श्री मुलायम सिंह यादव और पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के खिलाफ पंजीकृत हो गए। पूरे सदन ने इस पर चिंता व्यक्त की कि गलत परम्परा पड़ेगी। हम लोग तमिलनाडु को अपवाद मानते हैं लेकिन उ.प्र. ने अब तमिलनाडु को भी पीछे छोड़ दिया है।

स्वस्थ राजनीति के लिए बेहतर यह है कि एक आचार संहिता मुख्य मंत्रियों के लिए बने। आपने यह भी निर्देशित किया था कि प्रधान मंत्री जी इस मामले पर बैठक बुलाएं और बैठक बुलाने के बाद एक आचार संहिता बन जाए। इसके बाद जब इस सदन में सवाल उठा तो उसी दिन अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने कहा कि संसद और लोक सभा मनुवादियों की जमात है। यह विशेषाधिकार हनन की परिधि में आता है। लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये थे और पूरी संसद को मनुवादी कहना किसी भी कीमत पर न्यायसंगत नहीं है। जहां तक मुलायम सिंह यादव जी का विवेकाधीन कोष के दुरुपयोग की बात कही गई है, मायावती ने अपने मुख्यमंत्री काल के पांच महीने के कार्यकाल में 145 मामलों में इन्होंने विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग किया है। मेरे पास निश्चित जानकारी है कि जितना विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग मायावती के राज में हुआ है, विवेकाधीन कोष का उतना दुरुपयोग कहीं नहीं हुआ।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास इसी विषय पर नोटिस पड़े हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हमारा इसी विषय पर नोटिस है। हम यह चाहते हैं कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं रूलिंग दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे सर्वश्री रामजीलाल सुमन, तूफानी सरोज, रघुनाथ झा, रामरती बिन्द और कुंवर अखिलेश सिंह, संसद सदस्यों से सभा की अवमानना करने के लिए उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कुमारी मायावती के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

जैसाकि सदन को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री कुमारी मायावती जिनके विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचनाएं दी गई हैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्य हैं।

यह सुस्थापित परंपरा है कि एक सदन दूसरे सदन के किसी सदस्य पर अपने अधिकार का दावा या प्रयोग नहीं कर सकता है।

कौल और शकधर के अनुसार.....जब संसद के किसी सदस्य द्वारा राज्य विधान मंडल के किसी सदस्य के विरुद्ध अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा संसद के किसी सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना की जाती है, तो इस संबध में, जैसाकि मैंने सभा में कुछ दिन पहले उल्लेख किया था कि परिपाटी यह है कि 'जब किसी सभा में विशेषाधिकार भंग अथवा अवमानना का ऐसा प्रश्न उठाया जाता है जिसमें दूसरी सभा का सदस्य अंतर्ग्रस्त होता है, तो पीठासीन अधिकारी ऐसे मामले को उस विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी के पास भेज देता है जिसका वह सदस्य होता है तथा वह मामले का निपटान उसी

[अध्यक्ष महोदय]

प्रकार से करता है जैसे कि वह उसी सभा के सदस्य के विशेषाधिकार भंग का मामला हो।'

तद्नुसार, मैं यह मामला उत्तर प्रदेश विधान सभा के माननीय अध्यक्ष को समुचित कार्यवाही करने और हमें इस संबंध में की गई कार्यवाही की सूचना देने के लिए भेज रहा है।

शून्य काल के लिए निर्धारित सभी सूचनाओं पर बोला जा चुका है। विशेषाधिकार सूचना पर भी मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है।

सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेंगे।

(एक) धुले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डीडी-1 और डीडी-2 चैनलों के बेहतर प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिए भामेर गांव में एक टीवी रिले टावर स्थापित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामदास रूपला गावीत (धुले): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र धुले महाराष्ट्र के अंतर्गत साझी तहसील की अधिकतर आबादी जनजाति के लोगों की है। इस क्षेत्र में दूरदर्शन का डीडी-1 और मैट्रो-चैनल की सुविधा न होने के कारण यहां की जनता इस सुवधा का लाभ नहीं उठा पा रही है। साथ ही संसदीय क्षेत्र के शिंदखेडा तहसील में डीडी-1 चैनल की सुविधा शिरपुर के रिले केन्द्र से उपलब्ध है, लेकिन यहां से मैट्रो-चैनल की व्यवस्था नहीं है और इस क्षेत्र के लोग भी इस सुविधा से वंचित हैं।

अत: आपके माध्यम से सूचना एवं प्रसारण मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र धुले के अंतर्गत साकी तहसील के निजामपुर गांव के निकट भामेर गांव के पास रिले टी.वी. टावर बनाने तथा शिंदखेड़ा तहसील में शिरपुर रिले केन्द्र से मैट्रो चैनल प्रसारण अविलम्ब शुरू किये जाने हेतु उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें।

(दो) बिहार के बेगूसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत सड़कों का समुचित रखरखाव किये जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): महोदय, केन्द्रीय सड़क निधि अंतर्गत राजकीय राजमार्गों, प्रमुख जिला सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों से भिन्न अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के सुधार से सबंधित प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। इस मद में बिहार राज्य में बहुत कम योजनायें स्वीकृत हुई हैं, जबकि राज्य के सड़कों में सुधार की व्यापक जरूरत है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बेगूसराय में चार जिलों बेगूसराय, शेखपुरा, लखीसराय एवं जमुई की कई महत्वपूर्ण सड़कें आती हैं, जिनका जीर्णोद्धार आवश्यक हैं। वे इस प्रकार हैं–एक, बरबीधा से शेखपुरा व सिकन्दारा जमुई रोड। दो, शेखपुरी से लखीसराय रोड। तीन, शेखपुरा से मेहूस माफो शहरा रोड। चार, शेखपुर अरियरी शाहपुर मोड। पांच, शेखपुरा आढ़ा रोड। छः, टीटी हथियावा, हथियावा शेखपुरा मेहूस रोड, और सात, लखीसराय सिकन्दरा रोड से प्रतापपुर।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर निवेदन करना चाहता हूं कि उक्त योजना के अंतर्गत उपरोक्त सड़कों में सुधार कराने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में सड़कों की स्थिति को बेहतर बनाने की कृपा की जाए।

(तीन) राजस्थान में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बारूदी सुरंगों के विस्फोट के कारण बाड़मेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रभावित लोगों को मुआवजा दिये जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी (बाड़मेर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर का 800 किलोमटीर बार्डर पाकिस्तान से जुड़ा है। जब अधिक समय तक फौजों का भारत-पाक सीमा पर लगाया जाता था, उस समय सरकार ने जो किसानों की फसलें खराब की थी, उनको मुआवजे का कुछ भाग दे दिया है। जहां

तक बारूदी सुरंगें फटने के बाद मुआवजा का प्रश्न है, सरकार ने उससे हुई दुर्घटनाओं के बारे में और सिविल लोगों के और उनके पशुओं की हानि के बारे में मुआवजा पैकेज बना लिया है। परन्तु बहुत से मामलों में सिविल लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है। लोगों को विकलांग होने, चोट लगने व उनके पशुओं की हानि होने का भी मुआवजा नहीं दिया गया है।

अत:, मैं आपके माध्यम से रक्षा मंत्रालय से निम्न कार्यों के लिए प्रार्थना करता हूं:

1. किसानों का बकाया पैसा केन्द्र सरकार फौरेन राज्य सरकार को दे।
2. बाड़मेर व जैसलमेर में सर्वे कराया जाए कि कितने लोग व पशु बारूदी सुरंग से जख्मी हुए।
3. कितने लोगों को और पशुओं का मुआवजा मिल गया है और बाकी कितने लोग व पशु हैं, जिनका मुआवजा नहीं मिला है।
4. बाकी लोगों और जख्मी पशुओं के मुआवजे का तुरन्त भुगतान कराया जाए।

(चार) चंडीगढ़ में आवासों के तेलक्षेत्र अनुपात में वृद्धि करने और भवनों में आवश्यकता आधारित अतिरिक्त निर्माण को नियमित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, परिवारों के आकार बढ़ने के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत अधिक जगह हेतु बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने तथा बड़े आवासों को खरीदने में असमर्थ होने की वजह से, चंडीगढ़ में विभिन्न श्रेणियों के आवासों के नब्बे प्रतिशत से अधिक स्वामियों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किये बगैर स्वयं अपने भूखंडों में वर्षों से कुछ अतिरिक्त निर्माण किए हैं।

अधिकारियों द्वारा ऐसे व्यक्तियों को अचानक जारी किए गए नोटिसों की वजह से, जिसमें कहा गया है कि वे या तो ऐसे निर्माण को ढहा दें अथवा अपने उक्त आवास वाले भूखंडों के पुनर्ग्रहण के लिए तैयार रहें, उनमें व्यापक चिन्ता और भय का माहौल है। अधिकांश प्रभावित व्यक्ति मध्यम आय वर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं अथवा निम्न आय वर्ग के लोग हैं जिन्होंने अपनी जीवनभर की बचत इन साधारण आवासों पर खर्च की है। व्यापक स्तर पर आवासों को ढोने का कार्य अव्यवहारिक और अवांछित है। शहरी भूमि उपयोग के वर्तमान मानदंडों के अनुरूप तेलक्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) को संशोधित किये जाने की आवश्यकता है।

मैं सरकार से चंडीगढ़ में आवासों के तलक्षेत्र अनुपात में वृद्धि करने और भवनों में आवश्यकता आधारित अतिरिक्त निर्माण को नियमित किये जाने का अनुरोध करता हूं बशर्ते तत्संबंधी प्लानों को वास्तुशास्त्र सम्मत स्वीकृति प्राप्त हो।

(पांच) एड्स से लड़ने के लिए एक व्यापक रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता

डा. मन्दा जगन्नाथ (नगर कुरनूल): महोदय, हाल के वर्षों में एड्स पूरे देश में अत्यंत तीव्र गति से फैल रहा है। इस बात के बावजूद कि भारत में किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या की तुलना में कहीं अधिक एड्स के रोकथाम पर प्रतिवर्ष 1,000 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं, इसके वायरस फैलते ही जा रहे हैं। चार मिलियन से अधिक भारतीय एच.आई.वी. पॉजीटिव है, यह संख्या 1994 की तुलना में दुगुनी है। भारत में एड्स के 35 प्रतिशत मामले 15-24 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं में पाए जाते हैं परन्तु उन्हें इस संबंध में जानकारी देने हेतु मात्र कुछ परियोजनाएं ही चल रही हैं। देश में बगैर किसी उत्तरदायित्व के अविश्वसनीय गैर-सरकारी संगठनों की बाढ़-सी आ गयी है जिनकी नजर संबंधित निधियों को हासिल करने पर हैं। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के दिशा-निर्देशों का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। एड्स के प्रति जागरूकता में काफी कमी आयी है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एड्स से लड़ने के लिए एक स्पष्ट और व्यापक रणनीति तैयार करे, निधि वितरण और उसके उपयोग पर नियमित निगरानी के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों पर नियंत्रण रखे तथा धोखाधड़ी करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह मांग को पूरा करने हेतु सरकारी अस्पतालों में परामर्श केन्द्रों और चिकित्सा केन्द्रों की तत्काल स्थापना करे।

(छह) देश के किसी भी भाग में रहने वाले अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के लिए एक वृहत समान नीति तैयार किये जाने की आवश्यकता

डा. के. मलयसामी (रामनाथपुरम): महोदय, हमारे देश की एक आम बात है कि एक राज्य से अनेक प्रवासी दूसरे राज्यों में जाकर बस गए हैं। इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में तमिलनाडु के लोग पिछले कुछ दशकों में तमिलनाडु से स्थानांतरित होकर दिल्ली और उसके आसपास बस गए हैं।

जहां तक आमतौर पर प्रवासियों और विशेषकर तमिलों द्वारा सामना की जा रही विशिष्ट समस्या का सवाल है, मंडल आयोग ने सही से रिपोर्ट दी है तथा राज्यवार अ.पि.व. की सूची अधिसूचित

[श्री के. मलयसामी]

की गई है ताकि वे उन रियायतों और लाभों का उपभोग कर सकें जिनके वे हकदार हैं। परन्तु प्रवासी ऐसे लाभों को प्राप्त करने से तब तक वंचित हैं जब तक उनका संबंधित समुदाय उस राज्य में अधिसूचित नहीं हो जाता जहां वे आकर बसे हैं। इस असंगति की वजह से अन्य राज्यों विशेषकर तमिलनाडु से आकर बसे प्रवासियों को काफी मुश्किलों व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: यही वह समय है, जब इस राष्ट्रीय समस्या का संज्ञान लिया जाए और मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह दिल्ली में विशेषकर तमिलों द्वारा सामना किये जा रहे लम्बे समय से लम्बित इस मुद्दे को सुलझाने हेतु एक अंतरिम रणनीति के अलावा एक व्यापक नीति तैयार करे।

(सात) सिखों के विवाहों के पंजीकरण के लिए आनंद विवाह अधिनियम में उपयुक्त संशोधन किये जाने की आवश्यकता

सरदार सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): महोदय, आनंद विवाह अधिनियम, 1909 एक पांच खंडों वाला अधिनियम है जिसे आनंद कारज के सिख विवाह अनुष्ठान को विधि सम्मत बनाने हेतु अधिनियमित किया गया था। प्रभावी खंड 2 में उल्लेख है कि "वे सभी विवाह जो आनंद नामक सिख विवाह अनुष्ठान के अनुसार विधिवत् सम्पन्न किये जाएंगे अथवा किए गए हैं, उन्हें संबंधित विधिवत् अनुष्ठान की तिथि से प्रभावी, उत्तम और कानूनन वैध माना जाएगा।"

एक सच्चा सिख, पुरुष और महिला हिन्दू विवाह अधिनियम अथवा विशेष विवाह अधियिम के प्रावधानों के तहत अपने विवाह का पंजीकरण करवाना घृणित कार्य समझता है।

महोदय, आपके माध्यम से हम सिख यह चाहते हैं कि हमारे कानून और इसके निम्नलिखित प्रावधानों को लागू किया जाए:

1. भारत में तथा विदेशों में रह रहे सिखों के लिए विवाह के पंजीकरण संबंधी खंडों को शामिल करने हेतु आनंद विवाह अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार किया जाता है।
2. सिख विवाह पूर्णतया इसी अधिनियम के तहत शासित होना चाहिए।
3. उपरोक्त अधिनियम का विस्तार करने हेतु विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की जानी चाहिए।

(आठ) भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने हेतु वन कानूनों में छूट दिये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं सेंचुरी संबंधी कानूनों से मेरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन दोनों कानूनों के चलते मेरे भरूच संसदीय क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्र एवं आदिवासी क्षेत्रों के विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, न प्रधान मंत्री सड़क योजनाएं बन पा रही हैं और न ही बिजली संबंधी ग्राम विद्युतीकरण एवं टेलीफोन आदि दूसरे विकास कार्य शुरू किये जा सके हैं। अभी हमने केन्द्र सरकार से अपने इस संसदीय क्षेत्र के कन्जी बान्दरी गांव की सड़क के लिए एक करोड़ 42 लाख रुपए स्वीकृत करवाए परन्तु इन दोनों कानूनों से यह कार्य भी शुरू नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया है परन्तु इन समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए इन कानूनों को शिथिल करे जिससे आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों के विकास कार्य में कोई बाधा न पड़े।

(नौ) क्षेत्र की जैव विविधता के संरक्षण के लिए तमिलनाडु के नेशनल मैरीन पार्क के नजदीक मुनैकाडु में लाल शैवाल की खेती पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. मोहन (मदुरै): तमिलनाडु में रामेश्वरम तट के निकट पाक स्ट्रेट मूंगा की चट्टानों और जैव विविधता के मामले में धनी है तथा यह नेशनल मैरीन पार्क का हिस्सा है। दुर्भाग्यवश, नेशनल मैरीन पार्क के निकट मुनैकाडु में विभिन्न प्रकार के लाल शैवाल की खेती की जा रही है जो मूंगा की चट्टानों को नष्ट कर सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनी, पेप्सी ने मछुआरों को रोजगार प्रदान करने के नाम पर राज्य सरकार के समर्थन से इस आकर्षक शैवाल फार्म को शुरू किया है। डा. एम.एस. स्वामीनाथन जैसे प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिकों ने लाल शैवाल की इस बहुत ही खतरनाक प्रजाति के बारे में गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है। इस लाल शैवाल से मात्र बहुराष्ट्रीय कम्पनी को काफी लाभ होगा जबकि इससे जैव विविधता में असंतुलन पैदा होगी जिसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के जैव-

पादप समुदाय नष्ट हो जाएंगे। सूखे 'यूचेमा कोटोनी' अर्थात लाल शैवाल की यह विदेशी प्रजाति) की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 1 लाख रुपये प्रति टन है तथा इसे आमतौर पर समुद्रतल से इकट्ठा किया जाता है। परन्तु दुर्भाग्यवश पेप्सी इंडिया लिमिटेड ने स्वार्थवश इसे कृषि उत्पाद के रूप में बदल दिया है तथा 400 हेक्टेयर भूमि पर फैले फार्म में इसकी खेती शुरू कर दी है जिससे हमारा पारितंत्र खतरे में पड़ गया है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से पेप्सी इंडिया लिमिटेड, जो इस दुर्लभ शैवाल के सारतत्व, 'कैरेगीनन' का प्रयोग शीतल पेय और कॉकटेल के स्वाद और घनत्व को बढ़ाने हेतु करता है, द्वारा की जा रही लाल शैवाल की खेती पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करता हूं।

(दस) देश में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए ठोस उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, मौसम विभाग ने देश को चेतावनी देते हुये आगाह किया है कि इस वर्ष अकाल पड़ने की सम्भावना है। गत वर्ष देश के 14 राज्यों की सूखे की स्थिति ने विशेष रूप से किसान की कमर तोड़ कर रख दी है। अगर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही हो गई तो देश का किसान गहन संकट का शिकार हो जायेगा। देश में कृषि चौपट हुई तो न उद्योग चल पायेंगे और न सेवा क्षेत्र से लोग पेट भर पायेंगे। इसलिए मौसम विभाग की चेतावनी को गम्भीरता से लेने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने कम वर्षा होने का संकेत भी किया है, असमय वर्षा होने की सम्भावना भी बतायी है। समय रहते यदि हम उपाय कर सकें तो कम वर्षा और असमय वर्षा के कुप्रभावों से देश को बचाया जा सकता है। अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि मानसून की वर्षा शुरू होने से पहले व्यापक स्तर पर जल संचय की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर करायी जाये, आम आदमी को प्रेरित किया जाये और सरकार उसमें सहयोग को तैयार रहे तो जल के अभाव को एक सीमा तक दूर किया जा सकता है। साथ ही देश के किसान को खाद, बीज आदि के लिए समय पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष उपाय किये जायें ताकि जैसे ही किसान जमीन जोतने, बोने की आवश्यकता समझे, वह अपने काम को कर सके। अत: सरकार विशेषकर कृषि विभाग और वित्त विभाग व जल संसाधन विकास विभाग त्वरित सक्रिय करे और देश के किसान की सहायता के लिए आगे आये।

अपराह्न 2.20 बजे

वित्त विधेयक, 2003–*विचाराधीन*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम वित्त विधेयक पर आगे विचार करने के लिए मद संख्या 12 पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में कोई भी सदस्य नहीं बोल रहा है। वित्त विधेयक के लिए 12 घंटे का समय आवंटित किया गया है। सामान्य चर्चा के लिए 10 घंटे 30 मिनट का समय आवंटित किया गया है। सामान्य चर्चा के लिए एक घंटा 25 मिनट ले लिया गया है। सामान्य चर्चा के लिए उपलब्ध शेष समय आठ घंटे 55 मिनट है।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा): महोदय, मैं वित्त विधेयक, 2003 के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

इस बात का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि संसद में बजट पर चार हिस्सा भागों में चर्चा होती है। पहला भाग बजट के प्रस्तुतीकरण पर सामान्य चर्चा है जिसमें हम बजट की नीति, सामान्य मुद्दों, विकास दर, बेरोजगारी की समस्या आदि पर चर्चा करते हैं। दूसरे भाग में हम विभिन्न मंत्रालयों और उनकी मांगों आदि के संबंध में सभा में चर्चा करते हैं। इस वर्ष, हमने केवल दो मंत्रालयों की मांगों पर चर्चा की। वास्तव में, तीन मंत्रालयों को चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया था लेकिन हम केवल दो मंत्रालयों पर चर्चा कर सके, श्रम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तीसरा भाग विनियोजन है और अंतिम भाग वित्त विधेयक है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं।

सामान्य मुद्दों पर चर्चा करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में पांच निर्धारित लक्ष्य रखे हैं, जिनका मैं विस्तार में चर्चा करने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने प्राथमिकताओं का निर्धारण ठीक से किया गया है और मैं इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री की तारीफ करना चाहूंगा। वैसे मुझे आम बजट पर बोलने का कभी मौका ही नहीं मिला। उनके लक्ष्य हैं–गरीबी उन्मूलन, हमारे नागरिकों की जीवन भर की चिंताएं जिनमें स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और रोजगार शामिल हैं, बुनियादी विकास को सुधार के माध्यम से वित्तीय स्थिति का सुदृढ़ीकरण और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने सहित बजटीय बाधाओं को धीरे-धीरे समाप्त करना। इस वर्ष सेवा कर और मूल्यवर्द्धित कर शुरू करना। अगली सिंचाई सहित कृषि और उससे संबंधित बातें हैं; और फिर निर्यात संवर्द्धन और सुधार प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने सहित निर्माण क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने की बात है।

[श्री विजयेन्द्र पाल बदनोर]

बजट प्रस्तावों में धारा 88(यू) के अंतर्गत मौजूद 40,000 रु. से 50,000 रु. तक वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए मानक कटौती में बढ़ोत्तरी, विकलांग व्यक्तियों के लिए कटौती में वृद्धि, धारा 88 के अंतर्गत बच्चों के लिए 12000 रु. तक शिक्षा शुल्क में छूट प्रदान करना तथा वरिष्ठ नागरिकों को 5000 रु. तक का अतिरिक्त कर लाभ दिया जाना स्वागतयोग्य है और ये लोगों की आर्थिक दशा सुधारने में मील का पत्थर साबित होंगी। लेकिन कुछ अन्य मुद्दे हैं जिनकी ओर इस सभा और माननीय वित्त मंत्री जी, का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

घरेलू कंपनियों के मामले में, जो अन्य भारतीय कंपनी से लाभांश आय प्राप्त कर रही हैं, ऐसे लाभांश वर्ष 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 115(0) के अंतर्गत 12.5 प्रतिशत की दर पर लाभांश कर देय है। अंतर्निगमित लाभांश पर क्रमिक प्रभाव के रूप में कोई कटौती स्वीकृत नहीं की गई। दूसरे शब्दों में, लाभांश कर के पश्चात् भारतीय कंपनियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली लाभांश आय पर छूट दी जानी चाहिए जैसाकि पूर्व में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80(ङ) के अंतर्गत छूट दी गई थी। कुछ सुरक्षोपाय किए जाने चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है, किन्तु मैं महसूस करता हूं कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। हमें पूर्ववर्ती छूट पर धन वापिस किया जाना चाहिए।

अब मैं ब्याज और अन्य आय पर स्रोत कर कटौती किए जाने के बारे में बात करूंगा। इसकी प्रक्रिया सरल, सुविधाजनक और पारदर्शी होनी चाहिए।

वर्तमान में वर्ष के अंत में सात दिनों के भीतर अलग से फार्म 15(एच) और उसके पश्चात् अलग से टी.डी.एस. रिटर्न भरना काफी भारी हो जाता है और इसका कोई रचनात्मक उपयोग भी नहीं है। इसमें बहुत ही सरल प्रक्रिया अपनाए जाने की आवश्यकता है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले को भी देखें।

वास्तविक पूंजी राशि बीमा के 20 प्रतिशत से भी अधिक राशि प्रीमियम रखकर बीमा पॉलिसियों के संबंध में धारा 88 के अंतर्गत दी जाने वाली कर छूट वापस लेना, मैं समझता हूं निवेश पर नकारात्मक असर पड़ेगा। यदि पालिसी, इसको हम रु. 1,00,000 कहें और वार्षिक प्रीमियम 20,000 रु. या इससे अधिक धारा 88 के अंतर्गत कोई लाभ उपलब्ध नहीं है। बोनस (लाभांश) भी कर योग्य होगा।

अगला मुद्दा है जो मैं उठाना चाहता हूं वह है धारा 10(36) के अंतर्गत 1.3.2003 से 28.2.2004 तक सूचीबद्ध इक्विटी शेयर्स हस्तांतरण पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर खुली छूट प्रदान करना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह लाभदायक होगा। परंतु मैं समझता हूं कि इसमें किसी प्रकार की हेराफेरी किए जाने की गुंजाइश हो सकती है क्योंकि कंपनियों के कारोबार के शेयरों में हेरा-फेरी हो सकती है। इस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि खामियों को दूर किया जा सके।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री को भी कुछ सुझाव देना चाहता हूं। धारा 50(ग) के प्रावधानों को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है, जहां अचल सम्पत्ति का विक्रेता 'वास्तविक विचारण' की तुलना में सरकारी प्राधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार मूल्य पर पूंजी लाभ करदायी है। विश्व में कहीं भी इस तरह का प्रावधान नहीं है। इसे गत वर्ष शुरू किया गया था और इसके बारे में मैंने पिछले साल भी कुछ कहा था। जमीन-जायदाद पर इस प्रावधान का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस ओर भी ध्यान दें।

यहां, क्या मैं यह भी कह सकता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था में काले धन की बड़ी भूमिका है? कई वर्ष पहले, स्वैच्छिक आय घोषणा योजना (वी.डी.एस.) हुआ करती थी और कई अन्य कदम भी उठाए गए थे। मैं यह महसूस करता हूं कि काला धन बाहर निकालने के लिए कुछ योजनाएं होनी चाहिए, विशेष रूप से यदि उनका उपयोग बुनियादी विकास योजनाओं में किया जा सका हो। अभी हम राजस्थान और कई अन्य राज्यों में सूखा और अकाल से त्रस्त हैं। यदि इस काले धन को बाहर निकाला गया और सूखा और अकाल प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कुछ बांड भी जारी किए गए, तो मैं समझता हूं यह बहुत अच्छा विचार होगा। यदि काला धन बाहर आता है, तो मुझे पक्का यकीन है, इससे अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा।

अंत में, मैं शेयर बाजार और पूंजी बाजार के बारे में भी कहना चाहूंगा। करोड़ों भारतीयों का पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ है। शेयर बाजार का मीडिया में कवरेज बराबर होता रहेगा। संवेदी सूचकांक का बार-बार चढ़ना-उतरना जनता के मूड को प्रभावित करता है और शेयर बाजार में उछाल उन्हें आकर्षक लगता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में आठ प्रतिशत तक की विकास दर बढ़ाने के क्रम में, जो हम सचमुच चाहते हैं और जिसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं और जो हमारी सरकार के एजेंडे में है—मैं महसूस करता हूं कि शेयर बाजार में कुछ निवेश कराने के लिए शेयर बाजार के बारे में कुछ अवश्य किया जाना चाहिए।

मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। चालू बजट में माननीय वित्त मंत्री ने शेयरों में निवेश के लिए कई प्रोत्साहनों का प्रस्ताव किया है। इनमें शामिल हैं: प्राप्तिकर्ता के हाथ में लाभांश को कर मुक्त करना; शेयरों पर दीर्घकालिक पूंजी लाभ, जिसके

बारे में मैं बात कर रहा था, कर से छूट दी गई है। मैं नहीं समझता कि शेयर बाजार के पुनरुद्धार के लिए कई बेहतर उपाय किये गये हैं। हालांकि, इन सबके बावजूद, भारत में बजट की घोषणा के बाद शेयर बाजार में लगातार गिरावट आ रही है।

यह बड़ी रोचक बात है कि पिछले तीन महीनों में, कराची शेयर बाजार का सूचकांक, हम उनके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी दस प्रतिशत का उछाल आया और उसी अवधि में बाम्बे स्टाक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक में दस प्रतिशत की गिरावट आई। प्रत्येक दिन हम महसूस करते हैं कि इसमें गिरावट आती जा रही है। यदि हम पड़ोसियों की बात नहीं करना चाहते तो अमरीका की बात करें। पिछले तीन महीनों में नैस्डेक में पांच प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई जबकि हमारे संवेदी सूचकांक में, जैसाकि मैंने कहा, 10 प्रतिशत की गिरावट आई। यह सब इसके बावजूद कि सभी बाह्य और भौगोलिक कारक जैसे इराक युद्ध, सार्स जीवाणु का भय, आदि ने पूरे विश्व के शेयर बाजार को प्रभावित किया है। यह सब भी सकारात्मक प्रभावों के बावजूद, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, उसे वर्ष 2003-2004 के बजट में शुरू किया।

मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं जो बदला या (बी.एल.ई.एस.एम.) अथवा ए.एल.बी.एम. की प्रशंसा करे। लेकिन फिर भी, वह पूंजी बाजार में देश में ही विकसित हुई प्रणाली है और यह स्वीकार्य थी। मैं जो नहीं समझ सकता हूं, वह यह कि इसके साथ कुछ गलत होता तो आप इससे बचना चाहते।

यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे सड़क पर दुर्घटना होने पर, आप उसे बंद नहीं करते; आप केवल वहां सुरक्षा और नियमन चाहते हैं। अत: मेरा मानना है कि हमें कुछ ऐसे उपायों की आवश्यकता है।

आपने मार्जिन ट्रेडिंग प्रारम्भ किया है। जब मैं (जे.पी.सी.) संयुक्त संसदीय समिति का सदस्य था, तबसे मार्जिन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं। संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) में भी हमने कहा था कि हमें निवेश करना चाहिए, हमें निवेश प्रणाली शुरू करनी चाहिए थी, जिसकी शेयर बाजार में आज की जरूरत है।

भारत में सभी संपत्तियों की खरीद के लिए ऋण और वित्त सस्ते ढंग और आसानी से उपलब्ध हैं। चाहे वह टी.वी. हो, कार हो, मोटर साइकिल हो, घर की सभी वस्तुयें हो या ट्रक हो। लेकिन यदि आप बाजार में शेयर खरीदना चाहते हैं, तो ऋण की कोई प्रणाली नहीं है। बैंक आपको आसानी से ऋण नहीं देते हैं और शेयरों के लिए यही बात शेयर बाजार के संबंध में है। मंदी वाले शेयर बाजार के परिणामस्वरूप, भारत में प्राथमिक बाजार से काफी कम निवेश आता है। प्राथमिक बाजार के भावी उपयोगकर्त्ता भारत में संसाधनों के दोहन की बजाय विदेशों में इक्विटी पूंजी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

एक सक्षम मार्जिन ट्रेडिंग प्रणाली समय की मांग है और इससे बाजार को आवश्यक लिक्विडिटी और उछाल मिलेगा। मेरा मानना है कि यह किया जाना चाहिए। अन्यथा हमारे उद्योगों में भी सम्पन्नता नहीं आएगी क्योंकि पूंजी बाजार में मंदी है और दुलमुलापन थी। इसीलिए मेरा मानना है कि शेयर बाजार में उछाल लाने के लिए कुछ खास किया जाना चाहिए।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष आम आदमी का बोझ कम करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने कई कदम उठाये हैं।

ऐसा करते समय उन्होंने लघु उद्योग क्षेत्र को कतिपय रियायतें दी हैं, कतिपय लघु क्षेत्र के उत्पादों को अनारक्षित किया गया है, जिससे इसे बड़े उद्योगों से काफी प्रतिस्पर्धा मिलने की संभावना है। मैं माननीय वित्त मंत्री से चाहता हूं कि लघु क्षेत्र में निर्माण किये जा रहे जिन उत्पादों को अनारक्षित किया गया है, उन्हें कुछ और समय के लिए आरक्षित रखा जा सकता था। लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार पैदा कराने वाली इकाइयां शामिल हैं। लघु उद्योग क्षेत्र हमारे देश का प्रमुख नियोजक है। लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को कुछ और अधिक रियायतें तथा उत्पाद शुल्क छूट की सीमा को एक करोड़ से दो करोड़ रुपये किये जाने पर वित्त मंत्री जी को विचार करना चाहिए। इसमें लघु उद्योग क्षेत्र का काम चलता रहेगा और वे बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा में टिक पायेंगे।

आज हम वृद्धि दर को लेकर चिंतित हैं। सूखे से वृद्धि दर पर काफी प्रभाव पड़ा है और कृषि क्षेत्र में उत्पादन स्तर में गिरावट आयी है। पिछले चार या पांच वर्षों की तुलना में इस वर्ष उत्पादन स्तर न्यूनतम है। हमने इससे पहले किसान समुदाय पर इस तरह का प्रभाव नहीं देखा था। कृषक समुदाय जो जनसंख्या के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। आज किसान इस बात को लेकर हताश हैं कि क्या मानसून आज से 45 दिनों बाद आयेगा या नहीं। प्रेस में इस बारे में काफी भ्रामक बयान आ रहे हैं कि इस वर्ष मानसून के देर से आने की संभावना है। उम्मीद की जानी चाहिए मानसून समय से आयेगा ताकि जनसंख्या को तीन चौथाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले किसान खेती के काम में लग सके।

उस उद्देश्य के लिए कदम उठाये गये हैं ताकि वे बीज खरीदने में सक्षम हो सके और अन्य कृषि संबंधी अन्य आवश्यकताओं की खरीद कर सकें।

[डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति]

आज किसान समुदाय को बैंकों से कोई ऋण नहीं मिलता। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि कृषि ऋण पर ब्याज माफ कर दिया जायेगा। मेरे साथ-साथ हर व्यक्ति ने सोचा था कि ऋण पर ब्याज माफ कर दिया जायेगा। तथापि उन्होंने केवल 20% ब्याज ही माफ किया है। इसका मतलब है कि केवल एक वर्ष का ब्याज माफ किया गया है और उन्होंने ब्याज की बकायी राशि ऋण में जोड़ दी है। इसके परिणामस्वरूप वे फिर ऋण जाल में फंस रहे हैं। उनके लिए पुन: ऋण प्राप्त करना बहुत कठिन है, जिसकी उन्हें आगामी मानसून में आवश्यकता है। यह बहुत गंभीर समस्या है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जनता और माननीय सदस्यों की भावनायें समझें। हर व्यक्ति ने सोचा था कि पूरा ब्याज माफ किया गया है। मेरा उनसे अनुरोध है कि इस मामले की जांच करें और कृषि ऋण पर लगाये गये समूचे ब्याज को माफ करें ताकि किसानों को शुद्ध-पत्र का ही भुगतान करना पड़े और वे आने वाले मौसम के लिए कृषि तैयारी हेतु अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर सकें।

आज किसान समुदाय को बीमा की जरूरत है। बीमा योजना केवल कुछ फसलों के लिए ही लागू है और वह भी यादृच्छिक आधार पर। माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि इसके लिए एक पृथक बीमा निकाय बनाया जायेगा।

मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीमा संगठन की स्थापना के लिए तुरन्त कदम उठाये जायें ताकि फसल बीमा शुरू की जा सके। बीमा और दावों के निपटान के लिए मंडल/तालुक/ब्लाक को इकाई के रूप में लिया जाता है। इकाइयों के नाम एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलते रहते हैं। मेरा कहना है इस प्रयोजनार्थ ब्लाक को इकाई के रूप में लेना नितांत दोषपूर्ण और अव्यवहारिक है। इसके बजाय राजाचगांव, जहां भूमि और फसल संबंधी रिकार्ड उपलब्ध रहते हैं, को इकाई के रूप में माना जाये। इससे अधिक लोकप्रिय फसलों को बीमा के तहत लाने में सहायता होगी और इसका लाभ किसान समुदाय को मिलेगा। मुझे आशा है कि मानसून शुरू होने के पहले इस निकाय की स्थापना के लिए माननीय वित्त मंत्री जरूरी कदम उठायेंगे। मुझे आशा है कि ब्लाक की वर्तमान इकाई को बदलकर राजस्व गांव करने हेतु वे आदेश जारी करेंगे।

मेरा माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध है कि ऋण देते समय ही उसी राशि से फसल बीमा की राशि ले ली जाये ताकि किसान उन भुगतानों का बोझ महसूस न करें और साथ ही बैंक भी भुगतान की ओर से आश्वस्त हो जायें। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पहलू का ध्यान रखेंगे।

सहकारी बैंक देश में किसानों के लिए ऋण के मुख्य स्रोत हैं। हालांकि, आज अधिकांश सहकारी बैंकों की स्थिति विभिन्न कारणों से अस्त-व्यस्त है इस दिशा में समन्वय और किसानों को धन वितरण हेतु सहकारी बैंकों को धन उपलब्ध कराने का कोई तंत्र नहीं है। अत: मेरा वित्त मंत्री से अनुरोध है कि प्रत्येक जिले में केन्द्रीय सहकारी बैंक को सुदृढ़ किया जाये और राज्य तथा केन्द्र सरकार के सहयोग से निगरानी तंत्र स्थापित किया जाये ताकि किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इससे अपनी कठिनाइयों से निपटने में कृषक समुदाय को जो हमारे देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है, को आसानी होगी।

अब मैं हथकरघा और वस्त्र उद्योग पर आता हूं। कुछ छोटे हथकरघा हैं जो कुछ ब्राण्ड वाले वस्त्रों का निर्माण करते हैं। लेकिन वे यह लाभ बड़े पैमाने पर नहीं करते हैं। अब उन पर उत्पाद शुल्क लगाया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऐसी इकाइयों को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जाये। यदि वर्तमान स्तर पर शुल्क जारी रहता है, तो ये इकाइयां बाजार में बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगी। इससे इस क्षेत्र में रोजागर की स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह क्षेत्र पहले ही विपणन सुविधाओं के अभाव के कारण पहले ही संकट का सामना कर रहा है और अब उत्पाद शुल्क लगाये जाने से इस क्षेत्र पर अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। मैं वित्त मंत्री से इस मुद्दे पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

मेरा अगला मुद्दा विद्युत के महत्वपूर्ण क्षेत्र के बारे में है। आज हर चीज के लिए विद्युत की जरूरत होती है। हमने अभी हाल में विद्युत विधेयक पारित किया है, जो उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में बहुत सहायक होगा। विद्युत उत्पादन हेतु पूंजीगत सामान (कैपिटल गुड्स) के आयात पर रियायती कर की दर की अनुमति देने के संबंध में कतिपय मानदण्ड बनाये गये हैं। 440 वोल्ट वाली उच्च क्षमता के पारेषण वाले उपकरणों में पांच प्रतिशत की रियायत की अनुमति दी जाये। साथ ही यह प्रतिबंध लगाया गया है कि 1000 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाली वृहत विद्युत परियोजनाएं सामान (गुड्स) का आयात कर सकती हैं। आज देश में एक हजार मेगावाट से अधिक की क्षमता वाली कितनी विद्युत परियोजनाएं आ रही हैं? जो भी विद्युत परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं वे सभी छोटी परियोजनाएं हैं। अत: मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस शर्त को हटाएं और कम क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए भी रियायती कर दर को लागू करें ताकि सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जा सके।

आज देश में बिजली की जरूरत है। हर जगह बिजली की कमी है। लगभग सभी राज्यों में बिजली की कमी है। बिजली उपलब्ध नहीं है। कृषि भी विद्युत से अंतर संबद्ध है किन्तु हम कृषि क्षेत्र को अपेक्षित मात्रा में बिजली नहीं दे पा रहे हैं। हम

आज भी कई गांवों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे कृपया इस पहलू पर भी ध्यान दें।

440 वोल्टेज पारेषण को जोड़ने वाली विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को रियायत दी जानी चाहिए। अनेक मुख्यमंत्रियों ने माननीय मंत्री को यह रियायत देने के बारे में लिखा है। अत: मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पहलू पर भी ध्यान दें।

महोदय, अनेक बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। किंतु उन्होंने जो भी रियायतें दी हैं वे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए दी गई हैं। इसके साथ-साथ मैं यह चाहता हूं कि वे वृहत विद्युत परियोजनाओं के लिए रियायत दें। पुन: मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो बिजली की कमी से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। अत: मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री इन पहलुओं पर ध्यान दें।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा उठाए गए कदमों की ईमानदारी से प्रशंसा करता हूं। मैं कंपनी स्तर पर लाभांश कर को हटाने के बारे में भी कहना चाहता हूं। किंतु कुछ कंपनियां लाभांश कर अदा कर सकती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने निवेशकों के स्तर पर लाभांश कर को हटा दिया है। इससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

इन थोड़े से शब्दों के साथ, मैं माननीय वित्त मंत्री को वित्त विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए बधाई देता हूं और मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त विधेयक, 2003-04 पर हो रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की। अभी जब हमने विनियोग विधेयक 2003-04 का अध्ययन किया तो इन्होंने इसमें कृषि और सहकारिता विभाग को तथा कृषि से जुड़े हुए विभागों को शीर्ष पर रखने का काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार की किसानों के संदर्भ में जो उपेक्षा है, निश्चित तौर पर यह उपेक्षा किसानों की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। अगर मद संख्या में इन्होंने कृषि को प्राथमिकता के आधार पर लिया है तो सरकार ने कार्य रूप में कृषि के प्रति जितने उपेक्षा के भाव दर्शाये हैं, उसी कारण आज किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं।

मान्यवर, इस सदन के अंदर किसानों के सवाल पर कई चर्चाएं हुई। उन चर्चाओं के दरम्यान सरकार की तरफ से जो उत्तर आये, उन उत्तरों के संदर्भ में यदि आप दृष्टि डालें तो सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए कोई भी सार्थक प्रयास नहीं किया गया। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 35 प्रतिशत है लेकिन भारत सरकार ने धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत किसान के धान की खरीद नहीं हुई। जो थोड़ा बहुत धान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भंडारित हुआ, वह बिचौलियों के माध्यम से हुआ।

मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 110 रुपये से लेकर 130 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान देश के किसानों को समर्थन मूल्य योजना पर व्यावहारिक खरीद न होने के कारण हुआ। यही नहीं, अभी आपने गेहूं के लिए समर्थन मूल्य योजना घोषित कर दी है। वर्तमान में गेहूं का सीजन चल रहा है। मैं अन्य राज्यों का उदाहरण नहीं देना चाहता लेकिन इस साल उत्तर प्रदेश में औसत गेहूं की पैदावार 50 प्रतिशत से भी ज्यादा घट गयी है। कुछ जगहों पर तो यह स्थिति है कि दो क्विंटल प्रति एकड़ की दर से गेहूं का उत्पादन हुआ है। उसके बावजूद आज जो आपने समर्थन मूल्य तय किया है, उसके विपरीत 450-460 रुपये प्रति क्विंटल पर किसानों का गेहूं बिचौलियों द्वारा खरीदा जा रहा है।

मान्यवर, सबसे ज्यादा दुर्दशा गन्ना किसानों की है। गन्ना किसानों के सवाल पर इस सदन में चर्चा हुई और जब मुंडेरवा के तीन किसान पुलिस की गोली से आंदोलनरत् रहते हुए मारे गये तो आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इस सदन में, सदन की भावना का ध्यान रखते हुए, सदन की भावना का आदर करते हुए, पांच रुपये प्रति क्विंटल एम.एस.पी. में बढ़ोत्तरी करने का कार्य किया। इसके लिए हम प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्या अलग तरह की है। प्रधान मंत्री जी द्वारा पांच रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी के पश्चात और चार रुपये प्रति क्विंटल एक्साइज ड्यूटी में चीनी मिल मालिकों को छूट देने के बाद भी आज उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को एम.एस.पी. 82 रुपये से 85 रुपये निर्धारित हो रहा है।

गत वर्ष उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य 95 रुपये और 100 रुपये क्विंटल मिला और इस साल बाढ़ की विभीषिका, सूखे की विभीषिका का सामना करने के पश्चात् जब गन्ना किसानों ने गन्ने का उत्पादन किया तो आपने गन्ने का मूल्य साढ़े 82 रुपये और 85 रुपये क्विंटल निर्धारित किया। मेरी अपनी निश्चित जानकारी है, लगभग 275 करोड़ रुपये की सब्सिडी का फायदा चीनी उद्योग को किया गया है। 150 से 200 करोड़ रुपये इन्होंने एक्सपोर्ट सब्सिडी दी है और ओशन सब्सिडी 7 डालर प्रति मीट्रिक टन की दर से लगभग 70 करोड़ रुपये भारतीय मुद्रा में इस क्षेत्र को दी है। जो लगभग 400 करोड़ रुपये चीनी उद्योग को सब्सिडी के रूप में दिए गए हैं, यदि उस 400 करोड़ रुपये

[कुंवर अखिलेश सिंह]

को देश के गन्ना उत्पादकों को दिया गया होता तो निश्चित तौर पर देश के गन्ना उत्पादकों को फायदा होता। लेकिन इस सब्सिडी का चीनी मिल मालिकों ने किसानों के पक्ष में कोई भी उपयोग नहीं किया। मेरे पास उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं, पूरे देश के आंकड़े नहीं हैं, गत वर्ष जब 95 रुपये और 100 रुपये क्विंटल चीनी मिल मालिकों ने गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य दिया, तब चीनी का रेट बाजार में 11 रुपये औसत था 11 रुपये चीनी बेचने के बाद गन्ना किसानों का चीनी मिल मालिकों का गत वर्ष 71.84 प्रतिशत बकाया था। इस साल जब...* उत्तर प्रदेश सरकार की तिकड़म से और चीनी मिल मालिकों की साजिश से गन्ना किसानों के रेट घटा दिए तो अभी प्राईवेट चीनी मिलों के ऊपर गन्ना किसानों का 71.95 प्रतिशत बकाया है। गत वर्ष जब उनको अधिक मूल्य देना पड़ा, उस दर पर ही उन्होंने चीनी बेची। उस समय 71.84 प्रतिशत बकाया था और आज जब उनको कम मूल्य देना पड़ा तो गन्ना किसानों का बकाया अधिक है ...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): माननीय सदस्य ने न्यायपालिका के बारे में कहा है। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: मैं निश्चित तौर पर मानता हूं कि अगर सरकार और चीनी मिल मालिक किसान का गला घोंटने का काम करेंगे तो हम इस सदन से आग्रह करेंगे ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमान देव, जब वे यह बात नहीं मान रहे हैं तो आप इस मुद्दे को नहीं उठा सकते हैं। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। वे इस पर ध्यान देंगे और इसका उत्तर देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव: किंतु वे न्यायालयों के बारे में कैसे कह सकते हैं? मैं माननीय सदस्य के इस कथन पर आपत्ति कर रहा हूं। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह कार्यवाही में शामिल किया जाएगा? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: मेरा पर्टीकुलर उस पर आरोप नहीं है। उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका ने चीनी मिल मालिकों के पक्ष में जो फैसला दिया है, समाजवादी पार्टी का मानना है कि चीनी मिल मालिक और सरकार ने मिलकर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का गला घोंटने का काम किया।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव: वे न्यायालय के निर्णय और न्यायिक प्रणाली पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदय, यहां इस बात पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर: उपाध्यक्ष महोदय, ये कोर्ट के डिसीजन पर नहीं कह सकते। आपने कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यहां न्यायालयों के निर्णय पर कोई झूठा आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह: अभी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का प्राईवेट चीनी मिल मालिकों पर 71.95 प्रतिशत बकाया है। वित्त मंत्री जी, कल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री साहिबा के साथ प्रधान मंत्री जी, उप प्रधान मंत्री जी, खाद्य और रसद मंत्री श्री शरद यादव जी ने एक बैठक की। वित्त मंत्री जी, आप थे या नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने समाचार-पत्रों में जो तस्वीरें देखी हैं, उनके आधार पर नाम गिनाए हैं। उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने केन्द्र के पाले में गेंद फेकते हुए कह दिया कि अगर राज्यों को गन्ने का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दे दिया जाए तो हम निश्चित तौर पर गन्ना किसानों का फायदा कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना खरीद नीति के अंतर्गत अगर 15 दिन के अंदर चीनी मिल मालिक गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान नहीं करेंगे तो उन्हें गन्ना किसानों को ब्याज की अदायगी करनी पड़ेगी और अगर 30 दिन के अंदर भुगतान नहीं करेंगे तो उन चीनी मिल मालिकों के खिलाफ रिकवरी सर्टीफिकेट जारी हो जाएगा। जरा उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री साहिबा से पूछिए कि किसी चीनी मिल मालिक के खिलाफ उन्होंने आज की तारीख में रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किया है। आज गन्ना पिराई को पांच महीने से ऊपर हो गए और 71.95 प्रतिशत अभी एम.एस.पी. मूल्य बाकी है। हम राज्य सरकार के मूल्य की बात नहीं करते। प्रधान मंत्री जी ने जिस मूल्य की घोषणा की है, वह 71.95 प्रतिशत बाकी है और गत वर्ष से इस वर्ष चीनी मिल मालिकों को 600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुनाफा हुआ है। पिछले साल जो उन्होंने भुगतान किया और इस साल भुगतान किया है, केवल दाम के अंतर को आप देख लीजिए तो 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उनको मुनाफा हुआ है और उसके बाद भी चीनी मिल मालिकों द्वारा अगर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं किया गया और केवल चीनी मिल मालिकों की बात आप छोड़ दीजिए।

जो उत्तर प्रदेश की सरकारी और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें हैं, उन्होंने अभी प्रथम पखवारे का भुगतान नहीं किया। कम से कम आप लोग मुख्य मंत्री साहिबा से यह कह दें कि आपके नियंत्रण में चलने वाली जो चीनी मिलें हैं, उनके गन्ना मूल्य का तो भुगतान कर दें। प्रथम पखवारे का भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, यह स्थिति है। आज किसान बेबस है, लाचार है और बेबसी में, लाचारी में, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देख लीजिए। आज भी किसानों का गन्ना खड़ा है। किसानों का गन्ना पेरा नहीं जाएगा, यह दहशत पैदा करके चीनी मिल मालिकों द्वारा घटतौली करके, किसानों का शोषण अलग किया जा रहा है। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि उस दिन आपने यह कहा था कि चीनी में कड़वाहट नहीं पैदा करना चाहते। लेकिन जिस चीनी के अंदर किसानों का रक्त घुला हुआ है, मुंडेवा में एक नहीं तीन-तीन किसानों की शहादत, रामकोला में दो-दो किसानों की शहादत हुई है। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर विषय है और इस पर वित्त मंत्री जी को निश्चित तौर पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। नियमों के अंतर्गत आप जो भी किसानों का भला कर सकते हैं, वह कीजिए।

अभी मैंने माननीय प्रधान मत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर, अपनी सीट से उठकर उनके पास जाकर कहा था कि प्रधान मंत्री जी, नियमों के अंतर्गत 15 दिन के बाद बकाये पर ब्याज देने का नियम है, अगर किसानों को बकाये पर ब्याज अदा कर दीजिएगा तो किसान का 92-93 रुपये क्विंटल हो जाएगा, पिछले साल से दो रुपया कम पाएंगे लेकिन इस तरह से आप उनका थोड़ा दर्द कम कर सकते हैं। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है कि आप विशेष पहल करने का कार्य करें और कृषि क्षेत्र की जिस तरह से उपेक्षा हो रही है, आज सूखे की स्थिति आ गई है। किसान जो फसल बो रहे हैं, उसमें उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, आज सूखे की स्थिति आ गई है। किसान जो फसल बो रहे हैं, उसमें उनको पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है और इसलिए नहीं मिली कि राज्य सरकारों की प्राथमिकताएं दूसरी होंगी तो बिजली प्राप्त नहीं होगी। इसलिए विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इन सवालों पर आप राज्य सरकारों को स्पष्ट दिशानिर्देश देने का कार्य करें। किसी भी परिस्थिति में किसानों की बिजली की कटौती को हम क्षम्य नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे। अगर इस तरह का निर्देश देंगे तो निश्चित तौर पर उनका उत्पादन बढ़ेगा और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर उनके घर में दो पैसे ज्यादा आएंगे। इसलिए विशेष परिस्थिति पर आप ध्यान देंगे, ऐसी में आशा करता हूं।

कई विभागों की मांगों को आपने इसके अंतर्गत रखा है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह माना है कि राज्यों के अंतर्गत चिकित्सा का विषय है। यह केन्द्र से संबंधित नहीं है लेकिन राज्यों के अंदर देख लीजिए कि हालत क्या है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिया गया। एक करोड़ रुपये की लागत से नहीं, एक करोड़ चालीस लाख रुपये की लागत से सामुदायिक भवन बनकर तैयार है। तीन-तीन साल से बनकर तैयार है लेकिन वहां कहीं भी डॉक्टर का पता नहीं है। सफेद हाथी की तरह भवन बनकर तैयार खड़े हैं।

शिक्षा की दुर्दशा अलग हो रही है। प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में अगर एक विद्यालय है तो उसमें एक अध्यापक है और पता चल रहा है कि वहां 350-400 बच्चे हैं और अगर अध्यापक नहीं आएंगे और बच्चों की फौज होगी तो एक अध्यापक उन 400-450 बच्चों को कैसे शिक्षित करेगा, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। भारत सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत स्पष्ट दिशानिर्देश राज्यों को दिये हैं कि इनका अनुपालन करते हुए प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण करेंगे। लेकिन प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत राज्यों के द्वारा खासकर उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जी ने डीआरडीए की मोनीटरिंग और विजिलेंस कमेटी बना दी है। इस कमेटी का अध्यक्ष माननीय सदस्यों को बना दिया है। हमने अपने स्तर पर जब अपने जिले की समीक्षा की तो यह पाया कि भारत सरकार द्वारा जो सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारम्भ की गई, भारत सरकार द्वारा सूखा राहत योजना के अंतर्गत राज्यों को धन दिया गया, जिसमें आपने निर्देश दिया कि 25 प्रतिशत राज्य अपना अंश धन देंगे और 75 प्रतिशत धन भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय द्वारा धन देने का काम किया जाएगा और इस तरह से सौ प्रतिशत कम होगा। मैंने समीक्षा में यह पाया कि सूखा राहत में भारत सरकार ने अपना धन दिया लेकिन राज्य सरकार ने अपने अंश धन को उसमें नहीं मिलाया। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के पैसे को ही सूखा राहत योजना के अंतर्गत डाइवर्ट कर दिया गया।

अपराह्न 3.00 बजे

इस तरह से जिन योजनाओं की मद में आप धनराशि दे रहे हैं, राज्यों के द्वारा उस धनराशि का सदुपयोग आपके दिशा-निर्देशों के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको भी आप ध्यान में रखें। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो भारत सरकार के दिशा-निर्देश हैं उसमें कोई गांव यदि एक हजार की आबादी से ऊपर का है अगर कच्चे मार्ग का होगा, तो प्राथमिकता के

[कुंवर अखिलेश सिंह]

आधार पर पहले उस गांव को जोड़ना है। लेकिन उस गांव को छोड़ दिया जा रहा है और जो गांवों वर्ष 1990-1992 या 1995 में ही पिच मार्गों से जुड़ गये हैं और अगर उसका कोई दूसरा मार्ग पिच मार्गों से नहीं जुड़ा है तो उन मार्गों को उनसे जोड़ा जा रहा है। ये जो विसंगतियां पैदा हो रही हैं और धन का दुरुपयोग हो रहा है, उसको भी आप रोकने का काम करें। प्रधान मंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जो आकलन उत्तर प्रदेश से आये हैं उसमें प्रति-किलोमीटर 20 लाख से 22 लाख रुपये का आकलन आया है। मैं बड़े ही अदब से आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन कर दें तो 17 लाख रुपये से 18 लाख रुपये में उसी गुणवत्ता की सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। ये जो 25 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोत्तरी का आकलन प्रस्तुत किया जा रहा है यह आपके धन की लूट हो रही है। इस लूट पर भी आपको अंकुश लगाना चाहिए।

अभी पिछले दिनों हथकरघा क्षेत्र में आपने जो एक्साइज ड्यूटी लगाने का काम किया है, उसके कारण मऊ जनपद, मुबारकपुर, गोरखपुर, भिवंडी और मालेगांव तथा देश के विभिन्न हिस्सों में पावरलूम में काम करने वाले लोग हड़ताल पर चले गये। उनको अपना जीवन असुरक्षित लगने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि यदि हमारा व्यवसाय समाप्त हो जाएगा तो हमारा परिवार भुखमरी के कगार पर चला जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने पावरलूम पर एक्साइज ड्यूटी लगाई है तो उसे वापस लेने का काम करें।

रेडीमेड क्षेत्र जो अभी तक लघु उद्योग के अंतर्गत आता था, उसे लघु क्षेत्र से बाहर निकाल करके उसको भी टैक्सेशन की श्रेणी में लाने का आपने काम किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि उसे भी आप उस श्रेणी से बाहर निकाल करके, रेडीमेड क्षेत्र में जो करोड़ों लोग कार्यरत हैं, उन करोड़ों लोगों को भुखमरी का शिकार होने से बचाने का कार्य करें।

अभी आपने जो पिछले दिनों घोटाले हुए थे उनके लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया था। उस संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दी है। मेरी जानकारी में आया है कि होम-ट्रेड में एक श्रीयम सिक्योरिटीज कंपनी है। ये होम-ट्रेड की मर्चेंट बैंकर थी। सेबी के एक जांच अधिकारी ने इस श्रीयम् सिक्योरिटीज के विरुद्ध आदेश दिया है कि श्रीयम् सिक्योरिटीज का लाइसेंस निरस्त कर देना चाहिए। परन्तु अभी तक सेबी ने अपने ही जांच अधिकारी के आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया है। मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पर इसका कार्यान्वयन होना चाहिए।

इंफोर्मेशन टैक्नोलॉजी क्षेत्र की एक मास्टेक कंपनी है जिसके ऊपर सर्कुलर ट्रेडिंग का आरोप है। दस अप्रैल को स्टॉक मार्किट में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शेयर मूल्य में 40 प्रतिशत की गिरावट आई है। मास्टेक शेयर के दाम 460 रुपये से घटकर के 260 रुपये एक दिन के अंदर हो गये हैं। एनएसई और बीएसई ने मास्टेक शेयर के ट्रांजैक्शन की जनवरी से लेकर के 10 अप्रैल तक की यदि आप जांच सेबी और सीबीआई से करवाए तो स्पष्ट तौर पर आप घोटाला पाएंगे। जिस तरह से पहले शेयर घोटाला हुआ था उसी तरह से घोटालों की पुनरावृत्ति करने की यह प्रथम शुरुआत है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि मास्टेक कंपनी के ऊपर जो मैंने आरोप लगाए हैं, इन आरोपों की आप सेबी और सीबीआई से जांच कराने का काम करें। वरना, जिस तरह से पहले घोटाले हुए, बाद में घोटाले हुए और यह जो घोटालों की नयी शृंखला चल रही है, यह आपकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का काम करेगी।

[अनुवाद]

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चालू वित्त वर्ष के वित्त विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। वित्त विधेयक और बजट की चर्चा करने से पहले, चूंकि दोनों अंतर संबद्ध है, मैं अनेक कारणों से वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। इसमें से पहला कारण यह है कि वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में 17.9 प्रतिशत से ज्यादा का संग्रहण सुनिश्चित कराने में सफल हुए हैं। उन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि ऋण वसूली अधिकरण को 215.19 करोड़ रुपये की गत वर्ष की बकाया वसूली प्राप्त हो। आयात-निर्यात नीति भी बहुत अच्छी है जिसका लक्ष्य कुल वैश्विक व्यापार का एक प्रतिशत होना है जोकि काफी अच्छी उपलब्धि है।

अपराह्न 3.05 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं*]

इसके अतिरिक्त, उन्होंने तीन बिलियन डालर के उच्च लागत वाले मुद्रा ऋणों की समयपूर्व पुनर्अदायगी सुनिश्चित की और विदेशी मुद्रा भंडार 76 बिलियन डालर हो गया है।

सभापति महोदया, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके लिए मैं उनका पुनः धन्यवाद करता हूं।

महोदया, जब मैं वित्त विधेयक की बात करूंगा तो यह स्वाभाविक है कि मैं बजट की कुछ बातों पर भी बोलूंगा। बजट और वित्त विधेयक की कुछ बातों पर बोलने से पहले मैं लार्ड टेनीसन को उद्धृत करना चाहूंगा क्योंकि मेरा यह मानना है कि यह उद्धृण वित्त मंत्री के ढंग, तरीके और कार्यों का कुशलता से वर्णन करेगा। आपकी अनुमति से मैं उद्धृत करता हूं: "वे गलती

से चूक रहित दृढ़ता से नियमित, अच्छी प्रकार से प्रभावरहित और पूर्णतया त्रुटिहीन है।'' मैं समझता हूं कि अंतिम भाग 'पूर्णतया त्रुटिहीन' महत्वपूर्ण है। एक सैन्यकर्मी होने के नाते ये सदैव तीर को निशाने पर ही मारेंगे इधर-उधर नहीं। वह यही कह रहे हैं।

महोदया, श्री प्रियरंजन दासमुंशी को यहां उपस्थित होना चाहिए था। वे आईटीसी-इंडियन टैबिको कंपनी का उल्लेख कर रहे थे कि इस कंपनी को सरकार को 20,000 करोड़ रुपये देने हैं तथा यह मामला ऋण अपीलीय अधिकरण तक खिंचता चला गया है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री ने इस प्रकार के उल्लेखों का अनुमान लगा लिया था और इसीलिए उन्होंने वित्त विधेयक में यह संकेत किया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35 को संशोधित किया जाएगा ताकि अपीलीय निकायों, उच्च न्यायालयों को उन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु अधिक शक्तियां दी जा सकें जो अनेक सालों से लंबित पड़े हैं। पुन: मैं उन्हें पूर्णतया त्रुटिहीन' कहता हूं, अनेक मायनों में काफी अच्छे हैं।

महोदया, अब मैं बजट के उस भाग की बात करता हूं जिन्हें प्रस्तुत तथा पारित कर दिया गया है। वर्ष 2003-2004 का बजट पेश करते समय उन्होंने हर बात पर ध्यान दिया और बजट बनाते समय उन्होंने गत वर्ष घटती औद्योगिक वृद्धि, गिरती राजस्व प्राप्ति, सुरक्षा संबंधी परिवेश, धीमी होती विश्व की आर्थिक वृद्धि पर भी ध्यान दिया। अत: इन बातों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने एक व्यापक सोच अपनाई। सभापति महोदया, जैसाकि आप जानती हैं कि देश में भीषण सूखे के कारण गत वर्ष कृषि में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि 3.1 प्रतिशत से नीचे तक हो गई। इसका भी ध्यान रखा गया है।

महोदया, पांच प्राथमिकताएं बनाई गई हैं। मैं उन सभी की बात नहीं कर रहा हूं किंतु स्वास्थ्य और स्वास्थ्य बीमा संबंधी एक प्राथमिकता का उल्लेख करना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बीमा कवरेज हेतु व्यक्तियों के लिए 1 रुपया, निश्चित संख्या वाले परिवार के लिए 1.50 रुपये और बड़े परिवारों के लिए 2 रुपये दिये जा रहे हैं। उन्हें बीमा लाभ मिलेगा और समाज के गरीब वर्गों के लिए यह बहुत आवश्यक है। चिकित्सा उपकरण के उन्नयन और विकलांगों की सहायता हेतु आयकर छूट दी जाती है। माननीय मंत्री ने एक समुदाय आधारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है। पांच प्राथमिकताओं में यह काफी अच्छी प्राथमिकता है। माननीय वित्त मंत्री ने एक अन्य चिंता वरिष्ठ नागरिक पैंशन योजना 'वरिष्ठ पेंशन योजना' के बारे में सोचा। ये कुछ बातें हैं जिनका मैंने उल्लेख करने के बारे में सोचा है।

महोदया, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात वित्तीय सुदृढ़ीकरण से संबंधित है। मैं वित्त मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन का उल्लेख करना चाहता हूं। जब हम वित्तीय सुदृढ़ीकरण की बात करते हैं तो मैं माननीय सदस्यों का ध्यान सार्वजनिक ऋण प्रणाली की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें लड़खड़ाती बाजार ऋण व्यवस्था है।

यह बहुत बड़ी धनराशि है। केन्द्र सरकार ने लगभग 95859 करोड़ रुपये उधार लिये हैं। राज्य सरकारों ने 17276 करोड़ रुपये उधार लिये हैं और केन्द्रीय गारन्टी प्राप्त संस्थाएं, राज्य वित्तीय संस्थाएं भी उधार ले रही हैं। ये सभी उधार ले रहे हैं।

जैसा कि आपको विहित है, राज्यों को धनराशि प्रदान की जाती है। पहले वित्त आयोग का आबंटन आता है, जो राज्यों के आबंटन का लगभग 60 प्रतिशत होता है। शेष 40 प्रतिशत में से 20 प्रतिशत भाग योजना आयोग से आता है और शेष 20 प्रतिशत भाग भारत सरकार के विभागों के विवेकाधीन अनुदानों से आता है। जैसाकि आप जानते हैं, योजना आयोग से जो 20 प्रतिशत आय प्राप्त होता है, लगभग 60 प्रतिशत राज्य सरकारों के लिए ऋण, नि:संदेह आसान ऋण के रूप में होता है। लेकिन, वर्षों से 60 प्रतिशत आसान ऋण 2,44,000 करोड़ रुपये हो गया है। राज्यों को केन्द्र सरकार को 2,44,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। यह लगभग असंभव है। वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए और वित्त विधेयक को प्रस्तुत करते समय इस बात को ध्यान में रखा है।

उन्होंने अति विचारपूर्ण ढंग से यह सोचा है कि वित्तीय पुनर्गठन किया जा सकता है। वित्तीय पुनर्गठन करते समय उन्होंने पहली बात जो सोची है वह है-समयबद्ध तरीके से केन्द्र सरकार के व्यय को कम करना। आप सभी को यह विदित है कि केन्द्रीय मंत्रालय आय की ओर ध्यान दिये बगैर धनराशि स्वीकृत करते हैं। इसलिए, वित्त मंत्री ने विभिन्न समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किये हैं और धनराशियां विभिन्न मंत्रालयों की राजस्व रसीदों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जारी की जा रही हैं। केन्द्र सरकार का वित्तीय पुनर्गठन आरंभ करने के लिए माननीय मंत्री जी ने यह अच्छा कदम उठाया है और इसी वर्ष के भीतर उपलब्ध संसाधनों से समयबद्ध तरीके से बजटीय आबंटन करके उन्होंने नकदी प्रबंधन किया है। यह एक छोटी उपलब्धि नहीं है। एक बार इसे प्राप्त कर लिया गया तो मुझे पूरा विश्वास है कि वित्तीय पुनर्गठन बहुत अच्छा हो जायेगा।

राज्य सरकारों की बात करें तो वित्त मंत्री जी ने एक कार्य यह किया है कि उन्होंने भारत सरकार को राज्य सरकारों द्वारा देय 2,44,000 करोड़ रुपये के कुल ऋण को ले लिया है और उन्होंने 13 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के अलावा एक करोड़ रुपये से थोड़ी अधिक राशि के कूपन रेट ले लिये हैं। इसलिए, इस समस्या से उबरने के उद्देश्य से वित्त विधेयक ने एक अच्छी शुरुआत की है। जैसाकि वित्त मंत्री जी ने इसे लघु बचत ऋणों आदि के रूप में

[श्री अनादि साहू]

आसान ऋण में परिवर्तित करने का प्रयास किया है, राज्यों के लिए 2,44,000 करोड़ रुपये की विशाल धनराशि से इसके दूसरे पहलू की ओर जाने में कोई कठिनाई नहीं है। ऋण की अदला-बदली भी लाभप्रद है।

बजट और उससे संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें बहुत कम सफलता मिली है-और इसे मैं अल्प सफलता मानता हूं। जहां तक वैट का संबंध है, इसका काफी विरोध हुआ है और इसमें काफी शंकाएं भी हैं और वे भी इस तथ्य के बावजूद कि वित्त मंत्री ने अनिश्चित शर्तों के बिना यह घोषणा की है कि 100 प्रतिशत मुआवजा प्रथम वर्ष में दिया जायेगा और विभिन्न प्रकार की सहायता जो विशुद्ध मुआवजा न होगी-दी जायेगी।

अधिकारिता समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री बने थे, की बैठक दिनांक 23 अप्रैल को हुई थी और उसने बहुत-से सुझाव दिये हैं। सुझाव यह संकेत करते हैं कि वैट आयेगा। यह लागू होगा और इसे ध्यान में रखना होगा। पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नयी व्यवस्था आती है। हमें इस समय हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप ढलना होगा।

राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकारिता समिति ने दिनांक 23 अप्रैल को वैट संबंधी तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिये। ये निर्णय हैं: वैट में व्यापारियों की थ्रैशहोल्ड सीमा की प्रवेश राशि को बढ़ाकर 25 लाख से 50 लाख रुपये कर दिया है।

यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैट कम करने के लिए सभी औषधियों पर इसे केवल 4 प्रतिशत करने के लिए और राज्यों में औद्योगिक इकाइयों के लिए कर प्रोत्साहनों की रक्षा करने के लिए राज्यों को छूट देने के लिए थ्रैशहोल्ड सीमा को बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने की सिफारिश की गयी है। ये प्रोत्साहन क्या हैं? तीन प्रोत्साहन दिये गये हैं। ये हैं: छूट, रियायत और आस्थगन। मैं आशा करता हूं कि जब वैट पर निर्णय लिया जायेगा तब इन बातों पर ध्यान रखा जायेगा जैसाकि मैंने शुरू में कहा है, बहुत थोड़ी सफलता मिली है और इन सभी मामलों का आस्थगन हो सकता है। बाद में वित्त मंत्री की कुछ घोषणाओं से स्थितियां बदल सकती हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा, वित्त मंत्री ने स्वयं के बिछाये जाल से छुटकारा पाने हेतु बजटीय बाधाओं को दूर करने के लिए और एक आधुनिक कर प्रशासन और व्यय सुव्यवस्थीकरण के अंतर्गत राजस्व वृद्धि के माध्यम से वित्तीय पुनर्गठन की नींव रखने के लिए कदम उठाये हैं। मुझे उनके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि राजकोषीय घाटा बहुत अधिक है। यह लगभग 156,637 करोड़ रुपये है। यह बहुत अधिक है। यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5.6 प्रतिशत है और इस राजकोषीय घाटे को दूर करने की आवश्यकता है। जैसाकि मैंने पहले कहा, राज्यों द्वारा 244,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है और राज्य मुक्त बाजार से भी बड़ी मात्रा में उधार ले रहे हैं। मैं नहीं जानता कि यदि वित्तीय घाटे को उचित ढंग से नियंत्रित नहीं किया गया तो क्या यह अगले दो वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद का दस प्रतिशत हो सकता है। इसलिए, राज्य सरकारों की फिजूलखर्ची को नियंत्रित करना होगा। उन पर उचित ढंग से नियंत्रण रखना होगा।

वित्त विधेयक आ चुका है। लेकिन अभी इसे स्वयं संसद द्वारा पारित किया जाना है। इसलिए, यह आवश्यक है कि आरंभ से ही कदम उठाए जाएं। सरकार ने 12800 पद समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। उसने प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए भी कदम उठाए हैं लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। जब हम राजकोषीय ढांचे की बात करते हैं जो सर्वथा बढ़ रहा है, मुद्रास्फीति की दर को कम रखने की बात सोची जानी है।

मुझे पत्रों को देख लेने दें। थोक मूल्य सूची के अनुसार मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत है और उपभोक्ता मूल्य सूची के अनुसार मुद्रास्फीति इसी वर्ष की फरवरी में 3.86 प्रतिशत थी। मैं सुझाव दूंगा कि, यद्यपि मेरी ओर से सुझाव हास्यास्पद लग सकता है, यह आवश्यक है कि मुद्रास्फीति कम करने के लिए कुछ सख्त कार्रवाई की जाए।

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): आपने मुद्रास्फीति के नवीनतम आंकड़े नहीं देखे हैं। आप आज का पत्र देखें।

श्री अनादि साहू : कृपया मुझे अपने विचारधारा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। इसकी आप अपने ढंग से व्याख्या कर सकते हैं।

इसलिए, यह आवश्यक है कि मुद्रास्फीति की दर को कम किया जाता है।

अब वित्त विधेयक की ही बात करें, जैसाकि मैंने पहले कहा, वित्त विधेयक कई पहलुओं को ध्यान में रखता है। मैडम, जैसाकि आपको पता है, गत दो वर्षों के भीतर कारपोरेट नियमों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। विलय करने वालों, कनवर्जेन्स और कंपनियों के कार्यकरण से संबंधित अन्य मामलों में कंपनी नियमों में हमने संशोधन किये हैं। एक बार कारपोरेट नियम में, सामाजिक विधान में तथा सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े सभी संबंधित मामलों और ऐसी ही अन्य बातों में जब हम कोई संशोधन करते हैं तो यह आवश्यक है कि सभी कानूनों की परिभाषा में परिवर्तन किया जाए। वित्त विधेयक में इन सभी चीजों की परिभाषाओं को परिवर्तित करना होता है और इस बात का ध्यान रखा गया है। आप इस बात की दाद देंगे कि अकेले वित्त विधेयक में 120 परिभाषाओं

में संशोधन करने के बारे में सोचा गया है। यह एक अच्छी शुरुआत की गयी है। मैं उन परिभाषाओं की विस्तारपूर्वक चर्चा नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि सभी इनसे भली-भांति अवगत है। जब परिभाषाओं में संशोधन किया जा रहा है, कई बातों में स्वयं परिवर्तन हो जायेगा, व्याख्या में परिवर्तन हो जायेगा और बहुत-सी चीजें सरल हो जायेंगी।

वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक में यह संकेत किया है कि प्रक्रियागत सरलीकरण किए जाएंगे। प्रक्रियाधीन सरलीकरणों से कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। आयकर क्षेत्र में काफी समस्याएं थीं।

प्रक्रियाधीन सरलीकरणों में इसका भली-भांति उल्लेख किया गया है। अवर अधिकारियों को शक्तियां प्रदान की गयी हैं ताकि उन लोगों की दिक्कतें दूर की जा सकें जिनका आयकर के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है अथवा उत्पाद शुल्क के अधिकारियों की समस्याएं दूर की जा सकें जिन्हें कार्रवाई करनी है। यह प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बहुत अच्छा कदम है। इससे काफी रियायतें मिली हैं। केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम में बहुत अच्छी तरह से संशोधन किया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपील इत्यादि के बारे में उच्च न्यायालयों की दखल हो।

इसलिए वित्त विधेयक में सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। यह एक बहुत अच्छा और व्यापक विधेयक है जिसका यह सुनिश्चित करने में दूरगामी प्रभाव रहेगा कि यह देश प्रगति पर अग्रसर हो और निकट भविष्य में अच्छे परिणाम लाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं वित्त मंत्री जी को पुन: धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदया, जब कोई वित्त विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा होता है जो कि सरकार के बजटीय प्रस्तावों को प्रभावशाली बनाने हेतु एक विधायी हथियार है, तो उसका ध्यान बजटीय प्रस्तावों में निहित दर्शन व उद्देश्यों की ओर स्वत: आकर्षित हो जाता है।

महोदया, इस वर्ष माननीय वित्त मंत्री का घोषित केन्द्रीय उद्देश्य 'हमारे नागरिकों का सर्वांगीण कल्याण' है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि:

> 'प्राय: यह पाया जाता है कि पूरी बजटीय प्रक्रिया भारत की बहुसंख्यक जनता की अनदेखी कर सिर्फ कुछ लोगों से संबंधित रहती है यहां ऐसा नहीं है।'

वास्तव में ये शब्द प्रशंसनीय हैं। परन्तु मुझे लगता है कि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। भाजपा ने पिछले पांच वर्षों के दौरान मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को आर्थिक मोर्चे पर बहुत बुरी तरह झटका देने के बाद अब मध्यम वर्ग को, जिसे वह अपना वोट बैंक समझती है, प्रभावित करने का व्यर्थ प्रयास किया है। परन्तु वित्त मंत्री महोदय, मैं अत्यन्त विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आप शीघ्र ही महसूस करेंगे कि यत्र-तत्र थोड़ी बहुत सुविधा देकर देश के बुद्धिजीवी वर्ग को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। आपने अपने बजट भाषण की शुरुआत बहुचर्चित पांच प्राथमिकताओं का ब्यौरा देते हुए की है परन्तु: अंतत: आप यह बताने में विफल रहे कि उनके लिए सार्थक रूप से क्या किया जा सकता है।

आपने गरीबों को भोजन और पैसा मुहैय्या कराने की बात कही है। परन्तु आपके प्रस्ताव, महोदया यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें इस संबंध में दृढ़ इच्छा शक्ति या स्पष्ट मान्यता की कमी को दर्शाते हैं। दूरदर्शी श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दसाब्दियों पहले शुरू की गयी हरित क्रांति के कारण ही आज हमारे गोदामों में अतिरिक्त खाद्यान्न भरे पड़े हैं। यह शर्म की बात है कि इसके बावजूद आज गरीब जनता को, जिनके बारे में आप चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं, भूखों सोना पड़ता है।

सरकार बढ़ती बेरोजगारी से चिन्तित है। परन्तु यह चिन्ता इस वित्त विधेयक में कहां दृष्टिगोचर हो रही है? हमारे देश में कृषि क्षेत्र रोजगार सृजन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। हम सभी इस बात को स्वीकारते हैं। परन्तु कृषि को कम महत्व दिया गया है। वित्त मंत्री हाइ-टेक बागवानी के लिए 50 करोड़ रुपया आवंटित करके ही संतुष्ट दिखते हैं। सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए निवेश की जरूरतों को नजरअंदाज किया है। फसलों के विविधीकरण, उत्पादों की किस्मों अथवा गुणवत्ता में सुधार तथा खरीद की व्यवस्थित प्रक्रिया हेतु इस क्षेत्र में निवेश के लिए किसी प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं की गयी है।

महोदया, दूसरे दिन मात्र थोड़ी-सी वर्षा ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बिक्री हेतु बाजार में लाए गए गेहूं को काफी क्षति पहुंचाई है। यह क्षति एक सौ करोड़ रुपये से अधिक की है। वर्षों से, हम इस परिस्थिति से निपटने तथा खाद्यान्नों को व्यवस्थित खरीद हेतु पर्याप्त प्रबंध करने में विफल रहे हैं। कृषि उत्पादन में 3.1 प्रतिशत की गिरावट—इसे हम इनकार नहीं कर सकते—की वजह से सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमानित 5.6 प्रतिशत से घटकर 4.4 प्रतिशत हो गयी है। वित्त मंत्री महोदय, आपसे उम्मीद थी कि आप इस स्थिति को सुधारने हेतु इस वित्त विधेयक में कुछ निश्चित कदम उठाएंगे। परन्तु इस विधेयक में इसका बिल्कुल जिक्र नहीं है।

सरकार और बड़े व्यावसायिक घरानों के बीच सड़क निर्माण में प्रस्तावित भागीदारी के बारे में काफी प्रचार किया जा रहा है।

[श्री पवन कुमार बंसल]

मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु कृषि के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मैं इसी बात को रखना चाहता हूं।

लघु उद्योग का भाग्य अभी भी बदतर है। यह अबतक लाखों लोगों को नौकरियां मुहैय्या कराता रहा है। परन्तु अब, चूंकि भाजपा के एजेण्डे में गरीबों का कोई स्थान नहीं है, लघु उद्योग मृतप्राय स्थिति में हैं। लघु उद्योगों को दिए गए छूट वापस लिए जा रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आदेश पर जो कि हमारे लघु उद्योग को निगल जाना चाहती हैं, ये छूट वापस लिए जा रहे हैं ताकि किसी भी उद्यमी नवयुवक के पास अपना कोई छोटा व्यवसाय शुरू करने का अवसर न रहे। इस सरकार के वर्तमान सलाहकार यही महसूस करते हैं कि ऐसे लोग निश्चित रूप से साधारण सेल्सगर्ल्स और सेल्समैन के रूप में बदल जाएं।

लघु उद्योग इकाइयां एक-एक करके बंद होती जा रही हैं जिनका परवाह करने वाला कोई नहीं है। इसी वर्ष, लघु उद्योग आरक्षित सीमा से 75 और वस्तुओं को वापस ले लिया गया है। विश्व व्यापार संगठन प्रणाली को इसका कारण बताया गया है जहां इन वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। मैं पूरी विनम्रता के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह निरर्थक तर्क है। यह छलपूर्ण हो सकता है। कुशल, अर्द्ध कुशल और अकुशल लाखों श्रमिकों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ रही हैं। कृपया कल्पना कीजिए कि निवेश की कितनी धनराशि बर्बाद होगी तथा कितने शिक्षित उद्यमी कंगाल हो जाएंगे। लघु उद्योग छूट के तहत पात्रता सीमा के आंकलन हेतु छूट प्राप्त वस्तुओं के मूल्य को शामिल किया जाएगा; जिससे लघु उद्योग और भी प्रभावित होगा।

महोदय, सरकार कर का दायरा बढ़ाने को इच्छुक है। मैं इसका सिद्धांत में समर्थन करता हूं। परन्तु, मैं पाता हूं कि बिल्कुल गलत जगह पर जोर दिया गया है। मैं समझता हूं कि देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे किसी न किसी रूप में कर का भुगतान करना नहीं पड़ता है। वस्तुत:, यदि आप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष करके रूप में भुगतान की जा रही उसकी आय की प्रतिशतता को देखें तो पाएंगे कि गरीब ही इस संबंध कुचले जा रहे हैं। आयकर अनेक करों में से मात्र एक कर है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के करोड़ों लोगों की आर्थिक स्थिति तथा पुन: बढ़ती मुद्रास्फीति के नद्देनजर अधिकतम लोगों को आयकर के दायरे में लाने की चिन्ता उचित है और न ही समान; जबकि वे विभिन्न अन्य रूपों में पर्याप्त कर का भुगतान कर चुके हैं।

इस संबंध में, मैं कहना चाहता हूं कि वस्तुत: लोग यह आशा करते रहे हैं कि आयकर से छूट की सीमा बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपया की जाएगी। वे सदस्य जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं, उन्होंने कुछ साल पहले लोगों को इस प्रकार के छूट का वायदा करके उन्हें खुशहाली का रास्ता दिखाया था। लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं किया गया है। अभी भी छूट की सीमा वही है जिससे लोगों को अपने वर्तमान वेतन पर आयकर का भुगतान करना अत्यंत कठिन हो रहा है।

अतिरिक्त प्रभार के बारे में चूंकि इसके लिए अस्तित्व का कारण का आधार समाप्त हो चुका है। इसलिए इस प्रकार को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। अतिरिक्त प्रभार अथवा उपकर अस्थायी उपाय है। मंत्री महोदय, आप इसे स्थायी नहीं बना सकते तथा यह कहना कि अब यह सिर्फ 5 लाख रुपये से ऊपर की आय वाले लोगों के लिए है, उचित नहीं है।

यदि हम सहमत है कि जिन कारणों और परिस्थितियों ने हमें अधिभार लगाने के लिए बाध्य किया वे अब विद्यमान नहीं है तो निश्चित रूप से अधिभार को समाप्त करना होगा और हमें कर के दायरे को बढ़ाने, कर प्रणाली में सुधार करने और इस प्रकार से राजस्व संग्रहण में सुधार हेतु अन्य उपाय खोजने होंगे। इस संबंध में, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा की गई टिप्पणियों का जिक्र करूंगा। वह यही बात कहती है और मैं इसे उद्धृत करता हूं: ''समिति के लिए यह गंभीर चिंता का विषय है कि आयकर, निगमकर केन्द्रीय उत्पाद, सीमाशुल्क पर राजस्व संग्रहण के संबंध में बजट अनुमानों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है:

> ''कर वसूली में निरन्तर कमी एक गंभीर चिंता का विषय है और इसके लिए कड़े उपाय करने की आवश्यकता है। समिति विभाग के इस विचार से सहमत नहीं है कि करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक रूप से कर दिया जाता है और अतिरिक्त कर जुटाने के प्रयासों से बड़ी मात्रा में राजस्व मिलने की सम्भावना नहीं है और राजस्व जुटाने के क्षेत्र में आयकर के मुख्य आयुक्त की जिम्मेदारी सीमित है। समिति का विचार है कि इस प्रकार के गम्भीर मसले को विभाग द्वारा हल्के ढंग से लिया जा रहा है।''

समिति का यही कहना है। हम यहां पर देखते हैं कि सरकार कर संग्रहण प्रणाली में सुधार करने के अपने प्रतिबद्धताओं और उत्तरदायित्व को पूरा नहीं कर पा रही हैं और वह एकमात्र जिस चीज का सहारा लेती है वह है लोगों पर कर लगाना। इस मानसिकता को बदलना होगा।

महोदया, सेवा कर के मामले को ही लीजिए। इसे पांच प्रतिशत से बढ़ाकर आठ प्रतिशत कर दिया गया है जो कि 60 प्रतिशत की विशाल वृद्धि है। जिन सेवाओं पर कर लगाया गया है उनको ही लीजिए। कोरियर एजेन्सी के माध्यम से मात्र एक पत्र भेजा जाना, टूर ऑपरेटर जिसके पास मात्र एक टैक्सी ही हो

सकती है के माध्यम से छोटी-मोटी यात्रा, समाचार पत्रों में निधन संबंधी सूचना बुकिंग करने वाले व्यक्ति पासपोर्ट आकार की फोटो खिंचवाने वाले विद्यार्थी या स्टुडियो से अपने स्कूल भ्रमण की फिल्म रोल को विकसित करवाने वाले विद्यार्थी, किसी विषय में आपको निष्पादन में सुधार हेतु निजी ट्यूशन लेने वाले विद्यार्थी, पुलओवर को ड्राइक्लीन्ज करवाने वाले व्यक्ति, ट्रेवल एजेन्सी के माध्यम से मात्र 200 रुपये का रेल टिकिट बुकिंग करने वाले व्यक्ति को सेवाकर के दायरे में लाया गया है। यहां तक कि करार के अंतर्गत गृहिणी द्वारा अपने रसोई गैस के स्टोव की मरम्मत हेतु अल्पकालिक मैकेनिक की सेवाएं लेने हेतु उसे अब सेवा कर भी देना होगा और यह सूची अन्तहीन है।

हमने वर्ष 1994 में मात्र तीन सेवाओं के लिए सेवा कर लगाने की प्रणाली शुरू की थी। मैं सेवा कर लगाये जाने को औचित्यपूर्ण मानता हूं लेकिन इसी छोटी सेवाओं पर नहीं लगाया जाए। सरकार जो उन सेवाओं को इसमें शामिल करना चाहिए जिनमें बड़े लोग सन्लिप्त होते हैं और जहां करोड़ों रुपयों का कारोबार करने वाली परामर्शदात्री सेवायें, वकीलों की फीस, वास्तुकार की फीस, लागत लेखाकार की फीस इत्यादि जैसी बड़ी सेवाओं पर यह कर लगाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार बहुत ही छोटी और कम समय वाली सेवाओं पर सेवाकर लगाना चाहती है जो कि सही नहीं है। सरकार ने बारीकी से अनुसंधान किया जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति सेवाप्रदाता है चाहे वह 10 रुपये की सेवा दे रहा हो या 100 रुपये की उस पर कर लगा दिया गया। कल्पना कीजिए कि इसमें कितनी कागजी कार्रवाई होगी और सबसे बढ़कर अधिकार सम्पन्न उत्पाद शुल्क निरीक्षक के नियम लागू होंगे और इसमें हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इस संबध में मेरी यही चिंता है। मैं समझता हूं कि यही माननीय मंत्रीजी का लोक-अनुकूल और सुगम कर प्रणाली के लिए नुस्खा है।

महोदया, पांच प्राथमिकताओं के अंतर्गत प्रमुख प्राथमिकता के रूप में रोजगार सृजन की घोषणा की गई है। मैं प्रधान मंत्री के प्रत्येक वर्ष 1 करोड़ रोजगार सृजन जैसे बड़े मजाक का जिक्र नहीं करूंगा। मैं माननीय वित्त मंत्री की कार विनिर्माताओं को दी गई रियायतों से संबंधित बात का जिक्र करूंगा जिसमें यह कहते हुए बचाव किया गया है कि एक कार का तात्पर्य 20 लोगों को रोजगार देना है। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी इस बारे में मुझसे अधिक जानकारी रखते हैं कि संगठित क्षेत्र में कुल श्रमिकों में से लगभग सात प्रतिशत श्रमिक कार्यरत हैं और मैं नहीं जानता हूं कि उनमें से कितने कार विनिर्माण में लगे हैं, लेकिन मैं यह तो जानता हूं कि असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 92 प्रतिशत श्रमिक सरकार से कोरे वायदे ही प्राप्त कर पाते हैं। आज लघु उद्योगों के बंद होने से ही नहीं बल्कि बड़े उद्योगपति भी अकुशल और अर्धकुशल श्रमिक को निकाल बाहर कर रहे हैं और इसके बावजूद भी सरकार इन लोगों की आवश्यकता के अनुसार कानूनों में सुधार कर इस प्रक्रिया को सुगम बनाने पर तुली हुई है।

कारें सस्ती कर दी गई हैं। हां, लेकिन किसके लिए? उन लोगों के लिए जिनके पास धन उड़ाने के लिए उपलब्ध है जबकि वर्तमान वित्त विधेयक में जो कर प्रस्ताव है उनसे गरीब और मध्यम वर्ग की आवश्यकता की प्रत्येक आवश्यक वस्तु की कीमतें बढ़ेगी। आप किसी भी प्रावधान को लीजिए, सेवा करों की लम्बी सूची, लगाए गए विभिन्न करों का अध्ययन करेंगे तो पायेंगे कि उसका एक मात्र परिणाम यह होगा कि हर चीज की कीमत बढ़ेगी।

मैं उस कदम का स्वागत करता हूं जहां यह कहा गया है कि दो बच्चों पर शिक्षा संबंधित व्यय को कर से छूट होगी। यह छूट स्वीकृत की जानी चाहिए यद्यपि मैं इसमें एक दोष पाता हूं क्योंकि कहा जा रहा है कि यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए है। मैं समझता हूं कि इसे एक परिवार के लिए होना चाहिए क्योंकि इस रियायत को परिवार में दो बच्चों से अधिक को नहीं दिया जाना चाहिए। इस तरह से आप परिवार के आकार को सीमित कर सकते हैं और परिवार नियोजन संबंधी कानूनों को लागू कर सकते हैं। लेकिन अलग विषय पर बात कर रहा हूं। वह विद्यार्थियों को ऐसी रियायत दे रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ वह उनको भुगतान करने के लिए भी बाध्य कर रहे हैं।

मैंने फोटोग्राफी के उदाहरण का जिक्र किया था। यदि कोई विद्यार्थी छोटा फोटाग्राफ चाहता है तो उसे अधिक भुगतान करना होगा। मैं उस वर्दी का भी जिक्र करूंगा जिसे एक छोटे स्कूल के विद्यार्थी को खरीदना पड़ता है। माननीय मंत्री वस्त्र क्षेत्र, सिलेसिलाए वस्त्रों के लिए जो कुछ करने जा रहे हैं, उसे उस वर्दी के लिए भी, कागज के लिए भी, पुस्तिकाओं के लिए अधिक पैसा देना होगा। इन सबके लिए उसे अधिक खर्च करना पड़ेगा। इसलिए, इन सब चीजों का अंतिम परिणाम यह होगा कि बोझ में सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी।

महोदया, मैंने सरकार की दार्शनिकता तथा सरकार के उद्देश्यों के आधार का जिक्र किया था, ये प्रस्ताव धनी लोगों के अनुकूल है और इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस विधेयक के किसी भी प्रावधान को ले लीजिए। आप उसे धनी लोगों के अनुकूल और पूर्वाग्रह से ग्रसित पायेंगे। यही कारण है कि मैंने उस बात का जिक्र किया था जिसे बजट भाषण आरम्भ करते समय माननीय वित्त मंत्री को कहना पड़ा था, "कि इस देश के आम लोगों की प्राय: अनदेखी की जाती है। यह बात अब इसमें नहीं होगी", उन्होंने कहा था। वास्तविकता कुछ और ही है। यह काम धनी लोगों के अनुकूल है।

[श्री पवन कुमार बंसल]

महोदया, शायद, एक कदम का हर जगह स्वागत किया गया है लेकिन मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। वित्त मंत्री ने इस वर्ष 1 मार्च के बाद खरीदी गई इक्विटियों पर दीर्घकालिक पूंजी लाभों पर कर को माफ कर दिया है। इसका एक पक्ष उत्कृष्ट है और वह कहेंगे कि इससे शेयर बाजार को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन इस प्रस्ताव की सच्चाई कुछ अलग ही है। महोदया, मुझे पूरा विश्वास है कि वित्त मंत्री जी उस जमा खर्च प्रणाली के बारे में जानते होंगे जो कि देश में धनशोधन और काले धन को सफेद धन में बदलने हेतु चल रही है।

अब, इस प्रावधान के अंतर्गत आप इक्विटीज पर दीर्घकालिक पूंजी लाभों के मामले में छूट देते हैं। यह एक ऐसा प्रावधान है जिससे इस प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि जिस के पास काफी धन होगा-मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा-वह इस रास्ते का उपयोग कर लेगा। इसमें दलाल आएंगे, जाली कंपनियां बनेंगी या वे पहले से ही कार्य कर रही होगी, उन्हें शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया जाएगा, एक वर्ष बाद जब इसे दीर्घकालिक पूंजी हटाने का अधिकार प्राप्त होगा तो इसके शेयर बेच दिए जाएंगे। शेयरों के मूल्य कृत्रिम ढंग से कम कर दिए जाएंगे। इन्हें प्रीमियम पर पुन: बेच दिया जाएगा और इसका परिणाम यह होगा कि दलाल अपनी दलाली, कमीशन से संतुष्ट हो जाएगा लेकिन इस प्रक्रिया में सरकार 80 प्रतिशत से अधिक कर राजस्व से वंचित हो जाएगी। यदि मैं गलत नहीं हूं तो यही बात इसको प्रभावित करेगी और यदि मैं गलत हूं तो मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इसको व्याख्या करें। क्या यह इसका सम्भावित परिणाम नहीं होगा? महोदया, यूनिट-64 के निवेशकों के लिए निश्चित रूप से ऐसी छूट की आवश्यकता थी और मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इक्विटीज पर लाभ के मामले में, जिसकी व्याख्या करने की मैंने कोशिश की, सम्भावित राजस्व हानि की कल्पना नहीं की जा सकती है।

अब, मैं उत्पाद शुल्क के बारे में संक्षिप्त जिक्र करूंगा। उत्पाद शुल्क एक ऐसा कर है जो देश के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। मुझे खुशी है कि विगत दिनों में वित्त मंत्री ने सिलेसिलाए वस्त्रों में भी लगे लघु उद्योग को दी गई छूटों को वापस लेने के प्रस्ताव को ही वापस लेने की अपनी मंशा घोषित की है। अभी हमें जानना है कि अभी इसका पूरा विवरण क्या है। लेकिन मैं मानता हूं कि वह कल इसकी घोषणा करेंगे या वित्त विधेयक पर मतदान करने से पहले हम इसे अन्त: इसी रूप में स्वीकार कर लेंगे।

परन्तु इसके साथ ही, महोदया, यह ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें जोर देना है यह मुद्दा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा मेरे साथ बात करते हुए भी उठाया गया था और यदि इसे वापस नहीं लिया जाता है तो करोड़ों स्वरोजगार वाले परिवारों जो बाजार से कपड़ा खरीदते हैं और मेलों में तथा सड़क के किनारे बेचने के लिए सस्ती किस्म के कपड़े सिलते हैं। उन पर बुरा असर पड़ेगा और साधारण उपभोक्ता तथा छात्रों जिनके बारे में मैंने अभी बताया था के लिए कीमतों में भारी वृद्धि होगी।

महोदया, माननीय मंत्री द्वारा पहले भी यह कारण दिया गया था कि जब "मल्टी फाइबर" समझौता समाप्त होगा और हमें प्रतिस्पर्धात्मक बनना पड़ेगा तो हमें स्वयं को वर्ष 2005 की आकस्मिता के लिए तैयार करना पड़ेगा। यह ठीक है। किन्तु क्या इन रियायतों को वापस लेना लोगों के उस वर्ग से हमें रियायतों को वापस लेना जो अपने हाथों से कठिन परिश्रम करते हैं और सम्पूर्ण परिवार एक विशेष छोटे व्यापार मे लगा रहता है, क्या उन परिवारों से रियायतों को वापस लेना हमारे परिस्पर्धात्मक होने का मंत्र है? मैं पूरी विनम्रता से पुन: कहता हूं कि इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना सुनिश्चित करने हेतु सरकार को इन रियायतों को समाप्त करने अथवा वापस लेने की जरूरत नहीं।

मेरा कहना है कि बाहर से आकर अपना ब्रांड प्रयोग करके 2001 रुपए कीमत वाली शर्ट बनाने वाले लोगों के साथ 150 अथवा 100 रुपए वाली शर्ट जिसे लोग हर जगह खरीदते हैं, बनाने वाले लोगों जैसा व्यवहार करना औचित्यपूर्ण नहीं है। महोदया, दुर्भाग्य से शायद लोग इस सरकार की योजना में नहीं आते। जैसा मैंने अभी कहा कि केवल धनी लोग जिनके पास बर्बाद करने के लिए धन है और जो एक शर्ट पर 2000 रुपए खर्च कर सकते हैं, वे ही इसकी कार्य योजना में आते हैं।

मैं पुन: वित्त मंत्री को विद्युत करघा क्षेत्र का पुनरुद्धार करने की बात करते हुए सुनकर प्रसन्न हूं। यह ठीक है। जब हमारे पास उसकी पूरी जानकारी अथवा उसका ब्यौरा होगा तो हम उसका स्वागन करेंगे। विद्युत करघा में भी देश भर में लाखों परिवार लगे हुए हैं। अपनी छोटी कुटिया में अथवा अपने छोटे से घर में उनके पास एक, दो, तीन या चार छोटे विद्युत करघे है। विद्युत करघा का अर्थ है हथकरघा का थोड़ा उन्नत रूप। उनके पास एक फोटो मशीन है और वे उस पर कार्य करते हैं और उन पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। हमें उनकी बात से पता चला कि है प्रोसेसर पर उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा परन्तु प्रस्ताव में मुझे कहीं दिखाई दिया है कि यदि प्रक्रिया में कहीं भी वाष्प का प्रयोग किया जाता है तो इस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा। महोदया, मैं समझता हूं कि इसे उन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। और किसी ने नहीं बल्कि प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा था कि हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करने का होना चाहिए कि श्रम वाले उद्योगों को उचित महत्व मिले, उचित हिस्सा मिले और सरकार से आवश्यक प्रोत्साहन मिले, परन्तु जो प्रस्ताव मैंने देखा उससे हम निश्चित ही उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे।

खाद्य तेल भी ऐसी चीज है जिसका गरीबों पर प्रभाव पड़ता है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह पहला अवसर है जब खाद्य तेलों पर आठ प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया गया है। परन्तु सफाई दी जा रही है कि यह पैक किए हुए और ब्रांड वाले तेल के लिए है। महोदया, इस सरकार द्वारा इस देश में उपभोक्तावाद को बढ़ावा दिया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि गांव का आदमी भी ऐसा खाद्य तेल खरीदने दुकान पर जाएंगे जो उसे पैकेट में मिलेगा, चाहे वह पाउच हो अथवा एक छोटा पीपा हो अथवा एक छोटी बोतल हो और निश्चय ही वह पहले वाला गांव का कच्चा घानी सरसों का तेल लेने नहीं जाएगा जहां एक कोल्हू तेल निकालता था। आपको वह कहीं नहीं मिलेगा। यह केवल छोटे ब्रांड है बड़े ब्रांड नहीं। यदि मेरे पास एक एक्सपेलर होता और मैं इसे एक ब्रांड नाम दे देता और मैं इसे बाजार में रखता तो उस पर वास्तव में उत्पाद शुल्क लगता। उससे किस पर प्रभाव पड़ेगा? निर्माता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा बल्कि उससे लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, मेरा कहना है कि इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए।

मुझे पता नहीं कि क्या माननीय मंत्री गरीब लोगों द्वारा तेल की छोटी बोतल लेने को विलासिता का कार्य मानते हैं। किसी तरह, जब उसमें 'रिफाइनरी' शब्द प्रयोग किया गया है तो यह करके अध्यधीन होता है। मैं मंत्री जी और उनकी सामर्थ्य का भी बहुत आदर करता हूं परन्तु मुझे आश्चर्य है कि क्या वह भ्रमित हो रहे हैं अथवा पेट्रोलियम उत्पाद रिफाइनरी को सरसों-तेल रिफाइनरी को साथ मिला रहे हैं जैसा कि उनके सहयोगी डा. मुरली मनोहर जोशी खगोल विज्ञान की फलित ज्योतिष के साथ मिलाने की गलती कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह वैसा ही कुछ है। यदि रिफाइनरी शब्द का प्रयोग होता है तो यह कर के अध्यधीन होगा। मैंने आठ फिट गुणा आठ फिट के स्थान पर सरसों-तेल की रिफाइनरी लगी देखी है।

पूरी ईमानदारी से, मैं कुछ वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में कटौती को स्वीकार करता हूं। यह एक स्वागत योग्य उपाय है। परन्तु इसके साथ ही मैं सोचता हूं कि उपभोक्ता को घुमाव पर क्या लाभ होगा। उसे चौराहे पर हानि ही होगी क्योंकि उस खुदरा बिक्री मूल्य प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ता का यह लाभ खुदरा बिक्री मूल्य पर कटौती दरों को पांच प्रतिशत कम करके बहुत कम कर दिया जाएगा। इसलिए, जो लाभ बताया गया है जो कि विश्व के सामने प्रदर्शित किया गया है वह वास्तव में मिलेगा नहीं। मुझे यही महसूस होता है।

जब माननीय मंत्री व्यय आय और व्यय के बीच असंतुलन को नियंत्रित करने हेतु नगदी के प्रबंधन की बात करते हैं तो उन्हें मीडिया सेल के लिए क्यों जाना चाहिए? जो कि उन्हें अपने लिए चाहिए, गीताकृष्णन समिति रिपोर्ट ने बहुत विस्तृत सिफारिशें की हैं जिसमें सरकार से कहा गया है कि जहां कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है वहां उनकी संख्या कम की जाए। यहां माननीय मंत्री एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष मीडिया सेल बना रहे हैं। उसकी आवश्यकता क्यों है? यह केवल गलत सूचना के अभिमान को छोड़ने के लिए है। यह वास्तव में लोगों की इच्छा जानने के लिए नहीं है। यह उन आंकड़ों अथवा जो विद्यमान ही नहीं है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास है।

अब मैं मीडिया विज्ञापन पर आता हूं। मैं जानता हूं कि पूर्व सरकारें भी उसमें शामिल रही हैं। परन्तु मैं रोज देखता हूं कि वर्तमान सरकार विज्ञापनों पर पैसा खर्च करने में अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। मैंने पहले भी यह बात कही है। यदि किसी विशेष मंत्री ने कार्यालय में 100 दिन पूरे कर लिए तो आप माननीय मंत्री की उपलब्धियों का बखान करते हुए समाचार पत्रों में एक पूरे पृष्ठ का विज्ञापन निकालेंगे। जब सरकार दो वर्ष अथवा तीन वर्ष अथवा कितने भी वर्ष पूरे करती है तो क्या आप उन आंकड़े को स्वीकार करते हैं या नहीं कि आपको केंद्रित करते हुए सभी समाचार पत्रों में पृष्ठ निकालते हैं और बताते हैं कि सरकार की यह उपलब्धि है। मैं समझता हूं कि इस सबको बंद किया जाना चाहिए।

सभापति महोदया: यह वित्त मंत्री को छोड़कर है। मैंने उनका विज्ञापन नहीं देखा हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: मुझे ऐसी आशा है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने उनका विज्ञापन नहीं देखा है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): ऐसा इसलिए है क्योंकि वह फोटोजेनिक नहीं हैं।

श्री पवन कुमार बंसल: शायद उनकी तस्वीर अन्य लोगों से अच्छी आती है परन्तु वह अपनी तस्वीर को प्रकाशित करने से बचते हैं। मैं निश्चय ही इसका अनुमोदन करता हूं ...*(व्यवधान)* मुझे कई बातें कहनी हैं। मैं समझता हूं कि हमारे पास पर्याप्त समय है। परन्तु यदि आप चाहें तो मैं केवल एक बात कहूंगा और वह 'वैट' के बारे में है क्योंकि माननीय मंत्री ने उसका जिक्र किया है। 'वैट' ऐसी चीज है जिसकी जरूरत है, जो वांछनीय है क्योंकि इससे पारदर्शिता आएगी और इससे करों की अपवंचना को कम करने में मदद मिलेगी। परन्तु इस तरह के प्रावधान के लिए आपको उसके लिए आकार तैयार करना पड़ेगा; आपको लोगों को साथ लेकर चलना पड़ेगा; और आपको उन लोगों को समझना पड़ेगा जिन्हें इसे लागू करने की जरूरत है, जो इस योजना का हिस्सा होंगे कि उसके यह लाभ होंगे। वैसा नहीं किया गया। उसकी अनुपस्थिति में केवल अव्यवस्था फैल सकती है। हमारे देश में अर्ध-शिक्षित लोग एक-आदमी की दुकान अथवा एक दुकान में

[श्री पवन कुमार बंसल]

दो लोग कार्य करने वाली दुकान चलाते हैं। इस जटिल कर-प्रणाली से वे लोग आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर पाएंगे? यदि वे आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे तो इंस्पेक्टर अपना कार्य करेगा क्योंकि मुझे लगता है कि कतिपय वस्तुओं पर इनपुट क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा। स्व-निर्धारण इत्यादि के बावजूद भी यदि वह सब होगा तो लोगों को इससे क्या लाभ होगा? इसलिए, मेरी केवल यही इच्छाएं है कि इस विषय का समाधान किया जाए परन्तु जल्दी में नहीं। आपको इसे तैयार करके लोगों को इसके बारे में समझना पड़ेगा कि यह बात है। उसके लिए आपको अपनी अकाउंटेंसी और कार्यालयों को आधुनिक बनाना होगा। आपको सरकारी अवसंरचना में सुधार करना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि आप कुछ वर्षों में सी.एस.टी. को समाप्त नहीं करेंगे बल्कि इसे तत्काल वापस लिया जाएगा।

माननीय वित्त मंत्री को हमें यह भी आश्वासन देना होगा कि राज्यों को प्रवेश शुल्क, चुंगी और इस प्रकार की अन्य चीजों को वापस लेने के लिए समझाया जाएगा।

सभापति महोदया: आपके दल से आठ और माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री पवन कुमार बंसल: मैं समाप्त करूंगा।

सभापति महोदया: आप जो कह रहे थे उसे समाप्त कीजिए।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे केवल एक बात कहनी है।

मैं लाभांश कर की बात कर रहा था, जो मेरी अंतिम बात है। मैं प्राप्तकर्ता के हाथों में मिलने वाले लाभांश को कर मुक्त करने की तारीफ करता हूं। पिछले वर्ष मेरी यह मांग थी। मैंने कहा था कि प्राप्तकर्त्ता को नहीं देना चाहिए किन्तु अब मुझे पता चला है कि लाभांश के वितरक को अब भी 12.5 प्रतिशत देना पड़ेगा। मेरे विचार से, इस पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए क्योंकि लाभांश पर कोई भी कर दोहरे कराधान की स्थिति पैदा करेगा। अतएव मैं अपील करता हूं और मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस दिशा में उचित कदम उठाएं।

अन्त में, मैं इस वित्त विधेयक के प्रावधानों को सम्पन्न समर्थन पाता हूं। गरीब लोग जिनके विषय में चिन्ता व्यक्त की जाती है उनको इस वित्त विधेयक के किसी प्रावधान से लाभ नहीं मिलेगा। बल्कि उन्हें आने वाले दिनों में जीवनयापन और महंगा लगेगा।

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): माननीय सभापति महोदया, यहां वित्तीय वर्ष 2003-2004 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाने वाले विधेयक पर चर्चा लाई गई है। इस वित्त विधेयक का मैं अपनी और अपनी पार्टी शिवेसना की ओर से समर्थन करता हूं। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। हिन्दुस्तान ग्रामीण इलाकों में बसा हुआ है, ज्यादातर लोग छोटे-छोटे गांवों में, छोटे-छोटे कस्बों में, मोटे-मोटे उद्योग धंधों से अपना पेट पालते हैं। 70-80 फीसदी ग्रामीण जनता ऐग्रीकल्चर और ऐग्रीकल्चर के साइड बिजनस पर निर्भर करती है। अगर हमें अपनी अर्थनीति को मजबूत करना है तो जब तक हम ग्रामीण इलाकों में किसान और छोटे-मोटे काश्तकारों तो राहत नहीं देंगे, तब तक अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होने वाली है, ऐसा मेरा दावा है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन कुछ बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अभी वित्त मंत्री जी द्वारा बजट पेश किया गया जिसमें पावरलूम, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोग जो छोटी-मोटी चीजें बनाते हैं, जिनका भारी योगदान है, रेडीमेट गारमैंट्स, छोटे-छोटे उद्योग, जो गरीब लोग, हैंडीकैप लोग करते हैं, इस बजट में उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है। पावरलूम, रेडीमेड गारमैंट्स आदि पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है, शिवसेना उसका पुरजोर विरोध करती है। इस पर सरकार का विशेष ध्यान देना होगा। *...(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): आपके विरोध की सुनवाई कहां है? *..(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव: सुनवाई होगी। जब मौका आएगा, तब हम सुनाएंगे। यह जो एक्साइज टैक्स बढ़ाया है, *..(व्यवधान)*

सभापति महोदया: फाइनेंस मिनिस्ट्री से हाउस में कोई नहीं है। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर भी नहीं है।

श्री सुरेश रामराव जाधव: फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर अगर सुनने वाला कोई नहीं है तो व्यवस्था कैसे होगी? *..(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: मैं वित्त मंत्रालय के बारे में बात कर रही हूं।

..(व्यवधान)

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा): दो वित्त राज्य मंत्री अनुपस्थित हैं ..*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया: फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई रहना चाहिए, इतना महत्वपूर्ण बिल है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है। सिंचाई मंत्री बेकार में बैठे हुए हैं। ..*(व्यवधान)* फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले कहां गए? ..*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव: वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है, मैं एक किसान का बेटा हूं और जो किसान की समस्या है, किसान दो-तीन तरीके के होते हैं। लोक सभा के सदस्य श्री शरद पवार भी किसान हैं। लेकिन ऐसे बड़े किसानों की समस्या मैं यहां नहीं रखूंगा लेकिन जो मीडियम काश्तकार हैं जिनके पास पांच एकड़ दस एकड़ खेती होती है और अगर एकड़-दो एकड़ जमीन वाले काश्तकार हैं, उनकी समस्या सही मायने में ज्यादा ज्वलंत है। माननीय मंत्री जी से बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम वित्त मंत्री जी से मिले। माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी हम मिले हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने जो बजट में पॉवरलूम-हैंडलूम और रेडीमेड गारमेंट्स, इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, इनकी एक्साइज ड्यूटी खत्म करना जरूरी है। इसके लिए हमारे पूर्व मुख्य मंत्री नारायण राणे के नेतृत्व में हम सब लोग, शिव सेना पार्टी के लोग माननीय प्रधान मंत्री जी से मिले और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया कि एक्साइज ड्यूटी जो लगाई है, उसको हम खत्म करेंगे और छोटे-छोटे उद्योग हैं, उनको एक्साइज ड्यूटी से बाहर रखेंगे। जो छोटे उद्योग हैं, क्योंकि एक छोटी चीज बनाने के लिए, एक छोटा खिलौना बनाने के लिए उसे चार-पांच घूमना पड़ता है और निचले वाला इंस्पेक्टर लोगों को बहुत तकलीफ देगा। इसलिए आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पॉवरलूम-हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और रेडीमेड गारमेंट्स पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई है, उसको खत्म कर दें।

मेरी पार्टी वैट का समर्थन करती है। वैट केन्द्र सरकार और राज्यों को भी जल्दी से जल्दी लागू करना जरूरी है क्योंकि टैक्स चुराने वाले व्यापारी लोग हैं जिनको हम टैक्स चोर कहते हैं। इससे उनको मौका नहीं मिलेगा। व्यापार में एकरूपता आएगी। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष हमारा जो बजट है, उसको समर्थन मिलेगा। हमारी अर्थ-नीति मजबूत करने के लिए वैट से फायदा होगा। उसके लिए जल्दी से जल्दी वित्त मंत्री जी ने हरेक राज्य का आह्वान किया है कि वह जल्दी से जल्दी वैट को लागू करे क्योंकि वैट लागू करने के बाद जो परिणाम आएगा, वह अर्थ-नीति मजबूत करने के लिए फायदेमंद होगा। इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है।

अपराह्न 4.00 बजे

इसमें सरलता आयेगी और टैक्स चोर टैक्स की चोरी नहीं कर पाएंगे। हमारी पार्टी वैट का समर्थन करती है और वैट लागू करने के लिए केन्द्र और सज्य सरकारों को जल्दी से जल्दी कदम उठाने चाहिए।

किसी भी राज्य में कोओपरेटिव्ज बैंक्स गरीबों, काश्तकारों और किसानों को ऋण देने में मददगार साबित होते हैं वह उनको ऋण देने का माध्यम होते हैं। धनवान लोगों के लिए तो बड़े-बड़े बैंक होते हैं। लेकिन किसान की खेती में आने वाली चीजों के लिए सोसाइटी के कोआपरेटिव्ज बैंक्स ही मददगार होते हैं। लेकिन आज कोओपरेटिव्ज बैंकों की हालत अच्छी नहीं है। मैं अपने राज्य महाराष्ट्र का उदाहण देना चाहता हूं। हमारे राज्य के कोओपरेटिव्ज बैंकों में 280 करोड़ रुपये का घोटाला है। हमने यह बात इस सदन के अंदर नियम 377 और जीरो आवर में बार-बार उठाई है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि कोओपरेटिव्ज बैंकों के ऊपर आज दोहरा नियंत्रण है। एक तरफ स्टेट के रजिस्ट्रार का और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक का नियंत्रण है। इसमें से एक के हाथ से नियंत्रण को खत्म कर देना चाहिए जिससे एक जगह जवाबदेही हो सके। महाराष्ट्र में अभी 280 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। स्टेट रजिस्ट्रार कहता है कि रिजर्व बैंक के पास जाओ और रिजर्व बैंक वाले बोलते हैं कि स्टेट के रजिस्ट्रार के पास जाओ। इसके कारण कोओपरेटिव्ज बैंकों में घोटाले बढ़ते जा रहे हैं। अगर छोटे किसान, काश्तकार और गरीब आदमी के कोओपरेटिव्ज बैंकों को बचाना है तो इसे स्टेट रजिस्ट्रार से बचाना होगा और रिजर्व बैंक के कंट्रोल में देना होगा या नाबार्ड जैसी संस्था के हाथ में इसके कंट्रोल को देना होगा। यह मेरा सुझाव है।

तीसरी बात, मैं एनपीए के बारे में कहना चाहता हूं। अगर एक गरीब किसान को हजार, दो हजार या पांच हजार या दस हजार रुपये का कर्जा अपने खेत में खाद या बीज डालने के लिए चाहिए तो कम से कम एक-दो महीने तक उसको कर्जा नहीं मिलता है और जेब से पहले हजार रुपया देना पड़ता है। लेकिन जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो देश का धन लूटने वाले लोग हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बैंकों को जानबूझकर लूटा जा रहा है। हमारा आज तक का एनपीए एक लाख दस हजार करोड़ रुपये का है। पब्लिक सैक्टर बैंकों का एनपीए 56 हजार करोड़ रुपये,

[श्री सुरेश रामराव जाधव]

कमर्शियल बैंक का एनपीए 70 हजार करोड़ रुपये, अर्बन बैंक का 18 हजार करोड़ रुपये और चार हजार करोड़ रुपये प्राइवेट बैंकों का एनपीए है। इस तरह से कुल मिलाकर 110 हजार करोड़ रुपये एनपीए का पैसा है।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अगर हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाना है, अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है, अगर हमें विकास की दर को प्राप्त करना है तो इन बड़े-बड़े लूटेरों से देश को बचाएं और इन्हें अंदर करें। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो देश के साथ गुनाह करते हैं, देश को लूटते हैं, बदमाश और चोर हैं, उनके खिलाफ पोटा का कानून लगाना चाहिए, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और देश मजबूत हो सके।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): आप अन्य लोगों को पोटा के अधीन गिरफ्तार करवाना चाहते हैं किन्तु क्या आप यह नहीं चाहते कि पोटा के तहत गिरफ्तार श्री वैको को छोड़ा जाए?

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव: महोदया, इस संबंध में मैंने पहले भी डिमांड की थी कि आप ऐसे लोगों की लिस्ट डिक्लेयर करें, जिससे पता लग सकें कि ऐसे कौन-कौन लोग हैं। इन लोगों में काश्तकार, छोटे व्यापारी, हैंडलूम और पावर लूम क्षेत्र में लगे लोग भी हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से प्रार्थना करना चाहता हूं कि एनपीए की लिस्ट डिक्लेयर करनी चाहिए। इस बारे में पूरा देश जानकारी चाहता है और सदन के सदस्य भी जानकारी चाहते हैं। वास्तविकता यह है कि इस संबंध में कानून बना हुआ है, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। हम वित्त मंत्री जी के पास एमपीलैड योजना में दी जानी वाली राशि को दो करोड़ से तीन करोड़ करने के लिए निवेदन करने के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी कहेंगे, तो ही उस राशि को बढ़ायेंगे, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एमपीलैड में राशि को बढ़ायें या न बढ़ायें, लेकिन एनपीए में जो 1 करोड़ 10 हजार रुपये की राशि है, उसके बारे में ब्रह्मा जी से जल्दी बात करें, ताकि देश के विकास के लिए वह राशि रिकवर हो सके। कानून में ऐसा प्रावधान करना चाहिए, प्रापर्टी को एसैस करने का ठोस कानून बनाना चाहिए। इस बारे में एक काम्प्रिहान्सिव बिल लायें, ताकि सख्ती से इस दिशा में कार्यवाही की जा सके।

महोदया, मैं एक बात छोटे उद्योगों के बारे में कहना चाहता हूं। स्माल स्केल उद्योग जो ग्रामीण इलाकों में आते हैं, ब्लाक लैवल की यूनिट्स हों या ताल्लुका लैवल की यूनिट्स हों, इन उद्योगों पर जो नेचरल आपदायें आती हैं, इनमें स्पिनिंग मिल भी हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि इस समस्या से निपटने के लिए एक अलग से फन्ड बनाने की जरूरत है। इस फन्ड को बनाकर उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है और काम दिया जा सकता है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले सत्र में माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसानों द्वारा लिए कर्जे पर ब्याज माफ किया है। कर्जा रिन्यु भी किया है। मेरे विचार से इस टैम्पोरेरी सोल्युशन से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी। यदि हम किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। मैं इस बारे में पहले भी बोल चुका हूं। यदि छोटे काश्तकारों को सही मायने में राहत देनी है तो उनके बारे में लाइफ लौंग नीति बनाएं। उनका अस्थायी तौर पर लोन माफ करने से स्थिति नहीं सुधरेगी। इससे थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। मैं इसके लिए सरकार का अभिनन्दन भी करता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। केन्द्र सरकार किसानों को ऋण के बोझ से बाहर निकालने के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए। आपने वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

श्री बालकृष्ण चौहान (धोसी): सभापति महोदया, आपने मुझे वित्त विधेयक पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं अपनी ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। काफी चीजों पर माननीय मंत्री जी ने राहत पहुंचायी है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां एक विरोधाभासी चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह एक चुनावी राजनीतिक बजट है और दूसरी तरफ एक्साइज ड्यूटी और वैट को लेकर पूरे देश के व्यवसायी और बुनकर आन्दोलन कर रहे हैं। बात समझ में नहीं आती कि यह कहां से राजनीतिक चुनावी बजट हो गया?

मैं कुछ खास बिन्दु रखना चाहता हूं और उनमें एक बिन्दु वस्त्र उद्योग से संबंधित है। इस बारे में भ्रम की स्थिति है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वह इसे स्पष्ट करें। वित्त विधेयक का हम समर्थन करते हैं। आपने बजट भाषण में कहा था कि हाथ से संसाधित कपड़ों पर छूट को बनाए रखना है, लेकिन यह छूट तभी मिलेगी जब किसी भी संसाधित प्रक्रिया में किसी विद्युत अथवा भाप का उपयोग न किया गया हो। 25 तारीख के वक्तव्य में माननीय मंत्री जी ने हथकरघा को कर मुक्त पहले से बताया और घोषणा की कि वह कर मुक्त रहेगा लेकिन देश में जो बुनकरों की स्थिति है जिसे पावरलूम कहते हैं, उनका संज्ञान लेने की जरूरत है। दो स्थितियों से सरकार अवगत है-

हस्तकरघा और पावरलूम लेकिन मैं उनके बीच की स्थिति को बताना चाहूंगा जिसे माननीय मंत्री जी ने वित्त विधेयक के खंड 130 में स्पष्ट भी किया है। ''यदि केन्द्र सरकार द्वारा इस बात का समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित की जाने वाली अपवादित प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन रहते हुए किसी उत्पाद शुल्क या माल जिस पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहणीय है, उत्पाद शुल्क के संदाय से छूट दे सकेगी।'' मैं इस तरह माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 25 जिलों में, तमिलनाडु के सलेम जिले में और देश के अन्य हिस्सों में इस तरह के हैंडलूम्स हैं जिन्हें बुनकरों ने अपनी बुद्धि और अनुभव से डेवलप कर दिया है। वे पावरलूम की श्रेणी में नहीं आते हैं। मात्र आधे हॉर्स पॉवर की मोटर लगाने से वे पावरलूम्स नहीं हो जाएंगे। इस वजह से सारे बुनकरों में भय व्याप्त हैं और वे भ्रम में हैं, आन्दोलित हैं और लगातार भूख-हड़ताल पर महीने से बैठे हुये हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने 25 अप्रैल को सदन में आश्वासन भी दिया था लेकिन फिर भी वे हड़ताल पर हैं।

सभापति महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के मऊ क्षेत्र से आता हूं जहां मुबारकपुर और आजमगढ़ जिले में बनारसी साड़ी का केन्द्र है। इससे अलावा अदरी वलीदपुर, मौहम्मदाबाद, खैराबाद, पूराघाट, कोपागंज सारा बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है। सारे लोग अपना कारखाना बंद करके सड़क पर आ गये हैं और सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हड़ताल कर रहे हैं। इसलिए इसका संज्ञान लेना आवश्यक है क्योंकि ये पावरलूम्स नहीं हैं। जो पावरलूम्स होती हैं, उनमें बीम लगती है, उनसे 500-600 साड़ी निकलती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है। हमारे बुनकर पूर्वांचल और देश के अन्य हिस्सों में हैं। वहां जो हैंडलूम्स हैं, मैं उसके अंदर की बात बताना चाहता हूं। हैंडलूम का जो सूत इस्तेमाल होता है, उस पर एक्साइज ड्यूटी पहले ले ली जाती है। पहले कोन को लेकर चरखी पर बुनकर वह लच्छी बनाता है, उस लच्छी को फिर डाई करता है। उसके बाद लच्छी को उतार कर उसकी लुण्डी बनाता है। उसके बाद ईंट से लटकाकर, जैसा हस्तकरघा चलाया जाता है, उसे टांग दिया जाता है। इसमें बीम का इस्तेमाल नहीं होता। इसी कारण देश के जितने पावरलूम्स हैं, उनका उत्पाद भिन्न है। वे 10 रंग नहीं, हजारों रंग की साड़ियां दे सकते हैं। इसमें अलग-अलग सूत रंगे जाते हैं। जो रंग चाहते हैं, उसमें अलग-अलग ताना आ जाता है। यह कह देना कि वे मोटर से चल रहा है, ठीक नहीं है। मैं उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा।

गांव का कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। वह मिट्टी को गूंथकर हाथ से डंडे को चाक पर चलाता है, बर्तन बनाता है जो हमारे देश की परम्परा रही है। उस बर्तन को फिर आव में डालता है, उसे पकाता है, सुखाता है, फिर वह उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। लेकिन आज जिस तरह से वैज्ञानिक आविष्कार हुये हैं, वह मानवीय श्रम को कम करने के लिए, आधे हॉर्स पॉवर की मोटर लगाकर, उसमें बैल्ट लगा देता है तो इसे मशीनीकरण नहीं माना जाएगा। ऐसा मानव की सुविधा के लिए किया गया है। हमारे पूर्वांचल के बुनकरों ने जो आधे हॉर्सपॉवर की मोटर लगाई है, उसकी गति बहुत कम है। इस प्रक्रिया से मात्र 30-40 साड़ी निकलती है, जब काम खत्म हो जाता है, एक दिन में एक दो साड़ी ही निकलती है जबकि पावरलूम उद्योग में एक दिन में 30 साड़ियां निकलती हैं। इसलिए इस उत्पाद को अपवादित रूप में लिया जाये और वित्त विधेयक में अपवाद रूप से एक्साइज ड्यूटी से इसे मुक्त रखा जाये। इस हेतु सरकार आश्वासन दे कि जो आधे हॉर्स पावर की मोटर से उत्पाद हो रहा है, उसे मुक्त रखने के लिए अधिसूचना जारी की जायेगी। बुनकरों के भय को दूर किया जाये ताकि वे काम शुरू कर सकें।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अगर मुक्त नहीं किया?

श्री बालकृष्ण चौहान: तो भी हम वित्त विधेयक का समर्थन करेंगे। इसी तरह से गांवों में छोटे उद्योग के रूप में महिलायें रेडीमेड गारमेंट का कार्य स्व-रोजगार के माध्यम से कर रही हैं। वे छोटे-छोटे बच्चों के लिए कपड़े, महिलाओं के लिए पेटीकोट, ब्लाउज का उत्पादन कर रही हैं।

उन्हें भी मुक्त रखने की आवश्यकता है, वे भी उससे मुक्त रखने चाहिए। उत्पाद शुल्क का हिसाब-किताब, लेखा-जोखा वे नहीं दे सकते हैं, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रेड मार्क वाले, बड़ी-बड़ी कम्पनी वाले लोग हैं, उनसे ही उत्पाद शुल्क वसूला जाए। यह नॉर्म न रखा जाए कि जब उत्पादन हो गया, कपड़े सिल गये तो हम सब पर ड्यूटी लेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन्हें इस चीज से बरी रखें।

सभापति महोदया, हमने खास तौर से हैंडलूम उद्योग पर जोर दिया है, जिसे लोग पावरलूम मान रहे हैं, उसे संज्ञान में लिया जाए, क्योंकि कपड़ा आदमी की मूलभूत आवश्यकता है। आदमी की प्राकृतिक आवश्यकता हवा, पानी और भोजन है। भोजन बिना आदमी एक-दो दिन रह सकता है, लेकिन कपड़े बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता है। सभ्य समाज में कपड़े बिना आदमी एक मिनट भी नहीं रह सकता। इसलिए यह पूरे मानव समुदाय की जरूरत है। अगर इस पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ायेंगे तो उससे छोटे बच्चों और गरीब लोगों के कपड़ों का उत्पादन महंगा हो जायेगा और वे कम्पिटीशन में नहीं टिक पायेंगे।

[श्री बालकृष्ण चौहान]

मैं बुनकरों की मांग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वे कह रहे हैं कि जब 24 परसेन्ट, 30 परसेन्ट सूत पर हम टैक्स देते रहे तो आज उसे घटाकर 16 परसेन्ट करने की क्या जरूरत थी। सरकार को जरूरत थी तो वह 24 परसेन्ट ले रही थी। उसे घटाने की क्या जरूरत थी, हम वह टैक्स देते ही रहे थे। आज इसे लेकर बुनकरों में रोष है कि कटौती करके उन पर बोझ लादा जा रहा है। इसलिए गरीबों की पीठ पर लात मारिये, लेकिन पेट पर लात मारना मानवीय दृष्टिकोण नहीं है। जनहित में इसे अपवादित रूप में हैंडलूम और पावरलूम के बीच के लूम की स्थिति को भांपने की जरूरत है।

हमारे देश में जुगाड़ से चलने वाली बहुत सी चीजें हैं। हमारा देश जुगाड़ू देश है। यहां तमाम तरह के जुगाड़ से गाड़ी चल रही है। आज किसानों की गाड़ी को देखिये, आप न उसे ट्रैक्टर कह सकते हैं, न जीप कह सकते हैं और न ट्रॉली कह सकते हैं। उसे हम जुगाड़ गाड़ी कहेंगे। उसी तरह से देश में जुगाड़लूम भी चल रहे हैं। इसलिए उसे पावरलूम न माना जाए। विकेन्द्रीकरण के रूप में माननीय मंत्री जी ने कहा था कि विकेन्द्रीकरण का जो रूप है, जो छोटे स्वरोजगारी हैं, उन्हें हम मुक्त करेंगे। लेकिन जो शब्द प्रयोग में आ रहे हैं कि जो लूम मोटर से चलेगा, भाप से चलेगा, उस पर हम एक्साइज ड्यूटी लेंगे, यह बिल्कुल भ्रामक है। इसलिए निश्चित रूप से आज माननीय मंत्री बता दें कि हम जो विकेन्द्रीकृत रूप से एक-दो लूम चला रहे हैं, वे पावरलूम नहीं हैं और दूसरी भ्रांतियां जो चल रही हैं, आज और कल अखबारों में आया कि अगर इसे मुक्त कर देते हैं जो विकेन्द्रीकृत रोजगार वाले, एक-दो लूम वाले लोग हैं, जहां सैन्ट्रलाइज होगा, वे सारा माल जहां इकट्ठा करेंगे, उस व्यापारी पर एक्साइज ड्यूटी लग जायेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हैंडलूम के कपड़ों पर न कभी एक्साइज ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वह पावरलूम का उत्पाद नहीं है। इसलिए मैं पुनः बहुत विनम्र भाव से निवेदन करूंगा कि आज माननीय मंत्री जी इस चीज को निश्चित कर दें, ताकि वे लोग अपना कारोबार शुरू करें। लोग आंदोलन और हड़ताल करके अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि हम 28 से 30 तारीख तक की बैठक देखेंगे और उसके बाद आगे निर्णय लेंगे। इन्हें शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदया, मैं वित्त मंत्री द्वारा पुरःस्थापित वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वस्तुतः दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह दूसरा वित्त विधेयक है। मैं उन्हें उन नीतियों को बनाने के लिए बधाई देता हूं जिनकी सिफारिश दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में की गयी थी।

राष्ट्रीय विकास परिषद को दिए गए दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आठ प्रतिशत के औसत वृद्धि दर को पाने के लिए प्रतिव्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य सुझाया गया था।

इसे व्यवहार्य बनाने के लिए इस वित्त विधेयक के माध्यम से कई लक्षित क्षेत्रों को लिया गया है यथा गरीबी कम करना, रोजगार सृजन और जीवन स्तर में सुधारने के लिए कतिपय महत्वपूर्ण सूचकों में सुधार जिससे की जीवन स्तर में सुधार हो सके। इसमें स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा सूचक शामिल है। ऐसा देखा गया है कि विपक्ष हमारी सरकार की आलोचना करता रहा है कि हम चार वर्षों में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए हैं। हमने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया है और सरकार सर्वोत्तम प्रयास कर रही है। माननीय प्रधान मंत्री ने एक घोषणा भी की थी कि वर्ष 2020 तक भारत एक विकसित देश होगा। वित्तीय समस्याओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी उस प्रणाली पर आधारित है।

ऐसा देखा गया है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का वैसा विकास नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। सिंचाई का मामला लीजिए। स्वतंत्रता के बाद से, 1951 में संविधान लागू होने के बाद, हम देश में कृषि भूमि के मात्र 40 प्रतिशत की सिंचाई कर पाए हैं। इस बारे में बड़े क्षेत्रीय असमानताएं और क्षेत्रीय असन्तुलन हैं। मेरे राज्य उड़ीसा का मामला लीजिए। आज तक आर्थिक सूचक हमें बताते हैं कि उड़ीसा की 47.7 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। इसका अर्थ है उड़ीसा में हर दूसरा आदमी गरीब है। काफी समय से कई क्षेत्रीय असन्तुलन है। यह केवल पिछले चार वर्षों में नहीं हुआ है। हमारी सरकार सभी राज्यों के बीच समानता लाने का प्रयास कर रही है ताकि न केवल अन्तर्राष्ट्रीय बल्कि राज्यान्तर्गत असन्तुलन समाप्त हो और देश की सम्पत्ति देश के विपतिग्रस्त भागों में समान रूप से वितरित हो।

वित्त विधेयक में इसकी परिकल्पना है और अतएव इतना अधिक धन ग्रामीण विकास क्षेत्र में दिया गया है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में भारी धन दिया गया है। यह 5,60,000 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाला नदियों को आपस में जोड़ने वाला बड़ा कार्यक्रम है। हमने विद्युत उत्पादन को बढ़ाकर एक लाख मेगावाट करने का निर्णय लिया है। विद्युत विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि राज्य विद्युत बोर्ड, प्रतिवर्ष लगभग 36,000 करोड़ रु. के घाटे में चल रहे थे। हमने इसे विनियामक परिषद में बदलने का प्रयास किया है जिससे हमें अधिक बिजली मिल सके जो देश और राज्य के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है।

हमारे देश में सिंचाई की क्षमता है। हमारे देश में विद्युत उत्पादन की क्षमता है। किन्तु आज तक हम परमाणु ऊर्जा से मात्र 2.4 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन कर पाए हैं। आलोचनाओं के बाद हमने पाया है कि परमाणु संयंत्र सुरक्षित हैं। वे वातावरण को प्रदूषित नहीं करेंगे और परमाणु कचरे का उचित निपटारा संभव है। नई प्रौद्योगिकी विकसित हुई है तो हम क्यों देश के सम्पूर्ण विद्युत उत्पादन में से मात्र 2.4 प्रतिशत विद्युत परमाणु ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित कर रहे हैं? इस क्षेत्र में संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। जब माननीय वित्त मंत्री वाद विवाद का उत्तर देंगे तो मैं आशा करता हूं कि वे विद्युत उत्पादन के इस विशेष प्रकार पर कुछ प्रकाश डालेंगें।

हमारी सरकार पूरी निष्ठा से पंचायती राज संस्थानों और शहरी निकायों से संबंधित संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों को लागू करना चाहती है, जैसा पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। उन्होंने कभी पंचायत चुनाव नहीं करवाए। बिहार में कई वर्षों से त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली नहीं थी। अत: ग्रामीण विकास, स्वसहायता समूह गठन तथा ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए भेजा गया धन कैसे खर्च होता? अत एव सच्चे अर्थों में 73वां और 74वां संशोधन क्रियान्वित होना चाहिए ताकि देश की विकास प्रक्रिया को आगे विकेन्द्रीकृत किया जा सके। विकास के सभी महत्वपूर्ण लक्षित क्षेत्रों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा का इस त्रिस्तरीय पंचायती संस्थानों द्वारा उचित प्रबंधन होना चाहिए।

हमारी सरकार ने विकास को वह दिशा दी जिससे पंचायत राज को बहुत से अधिकार मिले ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ और जीवंत हो सके। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। जनसंख्या के 70 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर करते हैं।

जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करता हूं, तो इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा जैसी बहुत सी अड़चनें हैं। पहले, प्राकृतिक आपदाओं से अस्थायी रूप से निपटा जाता था। लेकिन समय आ गया है कि आपदा प्रबंधन किया जाएगा। इस पर पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए था लेकिन उस सरकार ने कभी भी उस दिशा में विचार नहीं किया। उस सरकार के लोगों ने बाढ़ और सूखे का राजनीतिकरण करने की सोची। उन्होंने इस स्थिति को मतदाताओं को आकर्षित कर वोट खीचने वाली मशीन बनाने का प्रयास किया है। लेकिन हमारी सरकार इस प्रक्रिया को बदलना चाहेगी। हम यह देखना चाहेंगे कि आपदा के संबंध में उचित ढंग से प्रबंधन किया जाए। आपदा प्रबंधन समय की मांग है। हमें हजारों करोड़ रुपये का घाटा होता है जिससे देश की अर्थव्यवस्थाओं में होने वाली उन्नति अवरुद्ध होती है। इसलिए, आपदा प्रबंधन एक लक्षित दृष्टिकोण के साथ प्रमुख लक्षित क्षेत्र होना चाहिए ताकि उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों को भविष्य में हानि न हो। हमारे देश में चक्रवात आए। अब हमारे देश में बार-बार सूखा पड़ रहा है। अब, देखते हैं अगर बेहतर नौ वर्षों के बाद अच्छी फसलें होती हैं। पुन: सूखा पड़ा। अत, ऐसी आपदाओं का आपदाओं के समय सिर्फ प्रबंधन नहीं किया जाता है। इसकी पहले से भली भांति योजना बनाई जानी जरूरी है। आपदा के आने की संभावना है। अत:, हमें उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे पास अपने किसानों और गरीब लोगों के लिए सुरक्षा कवच होना चाहिए। इस प्रकार के सुरक्षा कवच का अभाव है। मुझे वर्ष 1965-66 और 1985-86 के सूखे के दिन याद आते हैं जब भारत के कुछ भागों में लोगों को अपने बच्चे बेचने पड़े थे। हमारी अर्थव्यवस्था में उन्नति नहीं की है। किसानों को पानी नहीं दिया जाता है।

सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती है इसलिए वह उन्हें बहुत से ऋण प्रदान कर रही है। वह उनकी फसलों का बीमा कर रही है और समय पर उन्हें ऋण भी दिए गए हैं। किसान, क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं ताकि उन्हें आसानी से उधार मिल सके और वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकें। जब किसान अपने ऋण का वापस भुगतान न कर सके और उसे आपदाओं द्वारा नुकसान हो तो वह क्या करे? वह आत्महत्या करने के लिए बाध्य हो जाता है। लेकिन ऐसा गत चार वर्षों से नहीं हो रहा है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्ष 1951 के बाद से, ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। आपने सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रम और नवरत्न बनाए। आज, आर्थिक सर्वेक्षण करता है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की सकल गैर-निष्पादक आस्तियां (एनपीए) 7164 करोड़ रुपये से 70,905 करोड़ रुपये तक बढ़ी जबकि वर्ष 2000-2001 में कुल गैर-निष्पादक आस्तियां 3,084 करोड़ रुपये से बढ़कर 35,000 करोड़ रुपये हो गई। इसलिए, पूर्ववर्ती सरकारों के शासनकाल में भी यह घाटा होता रहा है और न कि सिर्फ इस सरकार के समय से यह घाटा हो रहा है।

अब यह सरकार विषयों को सुचारू रूप से निपटाने का प्रयास कर रही है। यह सरकार विनिवेश नीति को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। इस विषय पर सभा में विपक्ष की ओर से बहुत अधिक आलोचना की गई थी। विपक्ष ने बाल्को के विनिवेश के मुददे पर कम से कम 15 दिनों तक सभा की कार्यवाही को 15 दिनों तक रोके रखा। सभा की कार्यवाही में बाधा डालने की वजह से करोड़ों रुपये व्यर्थ हो गए। आज बाल्को को कोरबा में मैसर्स स्टरलाईट द्वारा अपने अधिकार में ले लिया गया है। उन्हीं मुख्यमंत्री ने मुझे उनका नाम नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह सभा में उपस्थित नहीं है-बाल्को के विनिवेश का विरोध किया था। तब उन्होंने कहा था कि वह बाल्को का

[श्री बिक्रम केशरी देव]

निजीकरण नहीं चाहेंगे क्योंकि बाल्को जनजातीय क्षेत्र में स्थित है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में उन्हीं के प्रशासन ने मैसर्स स्टरलाईट को और अधिक भूमि दी क्योंकि वे बाल्को के आधुनिकीकरण पर 5000 करोड़ रु. और व्यय करना चाहते हैं। यह स्पष्ट रूप से विपक्ष की पक्ष बदलने वाली नीतियों को सिद्ध करता है। अब मैसर्स स्टरलाईट को आमंत्रित किया गया है क्योंकि वे बाल्को के आधुनिकीकरण पर 5000 करोड़ रु. और व्यय करना चाहते हैं, तब से बाल्को की कोरबा इकाई से किसी कार्मिक की छंटनी नहीं की गई है।

महोदया, जो अन्य मुद्दा यहां पर उठाया गया था वह मोडर्न बेकरी के बारे में था। वह कंपनी बहुत अच्छी चल रही है। वहां एक भी कार्मिक की छंटनी नहीं की गई है और एक इंच भी भूमि भी नहीं बेची गई है क्योंकि यह एक जीवंत कंपनी है और वह काफी लाभ अर्जित कर रही है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में यह नीतियां हैं जो इस देश के लिए नई हैं। अब हमारे पास विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था है। इस देश का वर्ष 1993 में कांग्रेस सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था से परिचय कराया गया था। श्री प्रणव मुखर्जी उस समय वाणिज्य मंत्री थे और यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो उरुग्वे के वार्ता दौर में हस्ताक्षर किए थे। उस समय उन्होंने कभी भी कृषक समुदाय के बारे में नहीं सोचा। कृषि के संबंध में समझौते को खाली छोड़ दिया गया। उस पर कुछ भी नहीं लिखा गया। इस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे मंत्रालयीय दल ने, दोहा में, भारत के विचारों को सामने रखने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन उसके बाद इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। विकसित देश हमारे विरुद्ध व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। वे देश अपनी राजसहयताओं में कटौती नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे हमारी राज सहायताओं में कटौती करने को कह रहे हैं। यह इस सरकार की बेवकूफी नहीं है बल्कि यह इस सरकार से पहले की बेवकूफी है। इनमें सुधार करना होगा।

एक दिन भारत के माननीय राष्ट्रपति ने हमें नास्ते के लिए आमंत्रित किया था और हम नास्ते के लिए गए थे। उन्होंने यह जिक्र किया कि उनकी भी भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने की दृष्टि है। क्या हम हमेशा एक विकासशील राष्ट्र के रूप में बने रहना पसंद करेंगे और विकसित राष्ट्र बनने के लिए, दसवे वित्त आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाना चाहिए। यहां पर मैं यह जिक्र करना चाहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री वित्त विधेयक में 160 संशोधन लेकर आए और ये सबवे अत्यावश्यक संशोधन हैं जो पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था के हस्तशिल्प क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और मूलभूत क्षेत्र के हितों से संबंध रखते हैं तथा यह विशेष रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अत्यावश्यक है।

उदाहरण के लिए, हम रत्न और आभूषण क्षेत्र को लें। पैरा संख्या 20 में यह उल्लेख किया गया है कि निर्माता और उत्पादक मूल्यवान और अर्ध-मूल्यवान रत्नों को तराशने और पालिस करने को बढ़ावा देंगे और इस संबंध में इसे और अधिक सरल बनाने के लिए संशोधन किए गए हैं ताकि इस व्यापार को बढ़ावा मिल सके क्योंकि रत्न और आभूषण इस देश में चाय और काफी के बाद सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले क्षेत्र हैं। इसी तरह, मंत्री महोदय ने वैट (वीएटी)- मूल्य संवर्धित कर जोड़ दिया है। जिस किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसमें उसके संसाधन के दौरान कुछ मूल्य जोड़ दिया जाता है, और 12.5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के संहित कर लगाया जाएगा। इसे उससे और अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा। यहां मैं माननीय वित्त मंत्री से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा इस मामले पर गहराई से विचार करने का अनुरोध करता हूं। हथकरघा क्षेत्र और ग्रामीण हस्तशिल्प जैसे असंगठित क्षेत्र में बहुत अधिक लोग काम कर रहे हैं जैसे रत्नों और आभूषणों का काम जो अब हस्तशिल्प क्षेत्र के अंतर्गत आए हैं। इनको भी थोड़ी सी राहत दी जानी चाहिए। अन्यथा यह क्षेत्र मिट जाएगा। वे भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। कुम्हार और लुहार जैसे ग्रामीण शिल्पी जो ग्रामीण व्यापार से जुड़े हैं, पूरे विश्व में मशहूर हैं तथा हम इन हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात से करोड़ों डालर कमाते हैं। इसलिए इन्हें और अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय को इस पर गौर करना चाहिए और इस मामले पर एक बार फिर से गहराई से विचार करना चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा। यदि किसी उत्पाद विशेष की एक जगह से दूसरी जगह ढुलाई की जाती है तथा यदि ढुलाई करने के पश्चात् ढुलाई को उस उत्पाद के मूल्यवर्धक के रूप में लिया जाता है तो इससे इस उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप उसकी विपणन क्षमता घट जाती है। इस प्रकार, मैं समझता हूं कि इन सभी कारकों पर विचार करते हुए माननीय मंत्री को इस पर दुबारा गौर करना चाहिए ताकि मूल्यसंवर्धन में शामिल होने वाले प्रक्रियागत फार्मूलों द्वारा देश के गरीब कारीगार दिग्भ्रमित न हों।

मैं अपना भाषण समाप्त करने से पहले माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि निधियों के आवंटन में किसी प्रकार का क्षेत्रीय असंतुलन नहीं होना चाहिए। मैं ऋण विनिमय योजना के लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं जिसकी पहल उन्होने यह सुनिश्चित करने के लिए की है कि राज्यों पर वित्तीय भार करीब 5,000 करोड़ रुपये कम हो जाएगा। इस प्रकार, यह राज्यों को मिलने वाला एक प्रकार का सुगम ऋण है जिसे वे बाद में चुका सकते हैं।

आज आप यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हमारे अधिकांश उच्च विद्यालयों में शिक्षकों को वेतन पाने के अर्ह होने के बाद पिछले सात से आठ वर्षों से वेतन नहीं

मिला है। उड़ीसा में, शिक्षकों को दान और ट्यूशन शुल्कों आदि में से मात्र 400 रु. से 500 रुपये मासिक भुगतान के रूप में मिलते हैं। मुझे विश्वास है कि दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति होगी। सरकार ने निजी महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान की है परन्तु यद्यपि कि व्याख्याता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित पूरा वेतनमान प्राप्त करने का हकदार हैं उन्हें मात्र 500 रुपये मिल रहे हैं। राज्य ये समस्याएं झेल रहे हैं। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि यह ऋण विनिमय राज्यों को संसाधन जुटाने में सहायता पहुंचाएगा।

इसके अलावा, उड़ीसा खनिजों के मामले में काफी समृद्ध है। देश के क्रोम अयस्क का पचहत्तर प्रतिशत हिस्सा उड़ीसा में पाया जाता है। परन्तु सर्वाधिक दुःखद स्थिति यह है कि उड़ीसा में पाये जाने वाले सभी खनिजों को कच्चे माल के रूप में ही बेच दिया जाता है। उनका कोई मूल्यवर्धन नहीं होता। हमारे पास उद्योग नहीं हैं। मुझे पता नहीं कि आखिर उड़ीसा को इतने वर्षों तक क्यों नजरअंदाज किया जाता रहा। हमारे पास लम्बा समुद्रतट है तथा वहां सामुद्रिक उद्योग काफी उत्पादक और समृद्ध उद्योग हो सकता है। हमारे पास क्रोम अयस्क, रत्न-पत्थर, लौह अयस्क और मैंगनीज के रूप में सर्वाधिक खनिज संसाधन हैं। आप किसी भी अयस्क का नाम लें वह उड़ीसा में उपलब्ध है। हमारे पास झारखंड के जादुगोड़ा में यहां तक कि यूरेनियम उपलब्ध है। आज हम परमाणु ऊर्जा से विद्युत पैदा कर रहे हैं जो कुल विद्युत उत्पादन का मात्र 2.4 प्रतिशत है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बोलने हेतु मुझे समय देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदया, वित्त विधेयक पर होने वाली बहस में मैं सारे भेद खोल देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि तीन बहुमूल्य सिद्धांत है, जिनमें से पहला सिद्धांत टैक्स लगाना है।

''नदीयक पानी नदीये जो हमर डुंगा सुखायलो।''

मतलब जनता से टैक्स लेना और उन्हीं पर खर्च करना। दूसरा सिद्धांत टैक्स लेने का है। जिस तरह से भंवरा और मधुमक्खी फूल को बिगाड़े बगैर पराग और मधु ले लेती है उसी तरह से जो लोग आमद करते हैं, लाभ उठाते हैं, उनसे कुछ टैक्स ले लिया जाये तो उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। हमारा कहना है कि जब वे लोग खत्म ही हो जायेंगे तो आप टैक्स किससे लेंगे, यह मूल सिद्धांत है। तीसरा सिद्धांत है गरीबों का राज, जिसे कहा जाये कि गरीब लोगों के इस्तेमाल की जो चीजे हैं, उनको सस्ता किया जाये और जो अमीर आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं, लग्जूरियस आइटम्स हैं, विलासिता संबंधी आवश्यकताएं हैं, उनको महंगा कर दिया जाये। हम नहीं समझते कि यह कोई बड़ी चीज है या इसमें दिमाग लगाने की चीज है। यह साधारण सी बात है। अब यह कैसे-कैसे हो रहा है, यह सब भेद हम खोलना चाहते हैं।

जो आम लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं, उसको आप सस्ता करिये और जो अमीर लोगों के इस्तेमाल की चीजें हैं, लग्जूरियस हैं, उनको महंगा कीजिए। अब आपने कार को सस्ता किया है, यानी कार के दाम घटाये हैं। एयरकंडीशनर के दाम कम किये हैं जो कि गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म करता है। अब कौन आदमी एयरकंडीशनर लगाता है? मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने उसे सस्ता क्यों किया? इसी तरह से विदेशों से जो शराब आ रही है, उसको कौन आदमी पीता है? उसे पीने वाले के घेरे में माननीय मंत्री जी है। उसे आपने सस्ता किया है। मेरा कहना है कि पहले चालिहा कमेटी बनी थी फिर उसके बाद केलकर कमेटी बनी। उन्होंने कहा कि किसान पर टैक्स लगाइये और जो पूंजीपति उत्पादन से कमाते हैं, उन्हें टैक्स फ्री करिये, जिसे माननीय मंत्री जी ने मान लिया है कि इतना भारी अंधेर है- आमद करने वाले पर टैक्स है और लाभांश पर टैक्स फ्री। इसका क्या जवाब है? जो व्यक्ति आमद करता है, उस पर इनकम टैक्स लग रहा है और जो लाभ उठाता है, उस लाभांश को माननीय मंत्री जी ने फ्री कर दिया।

दूसरा शेयरों की बिक्री पर दीर्घावधि पूंजी लाभों पर से कर हटाना। आपने यह टैक्स क्यों माफ किया है? मेरा पहला सवाल है कि लाभांश पर आप टैक्स कैसे माफ कर रहे हैं? इसी तरह जो शेयर बेचने वाला लांग टर्म कैपिटल गेन होगा, उसे भी इन्होंने माफ कर दिया है। जो आमद करके लाभ उठायेगा, जो शोषण करेगा, उसे सब टैक्स माफ और जो गरीब है, उस पर सब टैक्स लगेगा। मिट्टी का तेल, डीजल, खाद आदि पर जो कि गरीबों के इस्तेमाल की चीजें हैं, उन सब पर टैक्स लगेगा। आप खुद देखिये कि कार की बिक्री में बढ़ोत्तरी हुई है जबकि ट्रैक्टर की बिक्री में घटौती हुई है क्योंकि किसान की हालत खराब है। किसान मर रहा है। ..*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह: ट्रैक्टर पर छूट नहीं देंगे। ..*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: ये सब मूल बातें हैं। हम इन सब विद्वान लोगों पर छोड़ देते हैं कि वह परसेंटेज के हिसाब से देखें। ..*(व्यवधान)*

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): लाठी पर भी टैक्स लगेगा। ..*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: टैक्स मारक लोगों के खिलाफ ही लाठी निकाली है। ..*(व्यवधान)* उसके बिना कोई उपाय नहीं है। ..*(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव: लाठी को कौन तेल दे रहा है। ..*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: तेल देकर उसको मजबूत किया जा रहा है। ..*(व्यवधान)* इसी तरह वैट यानी वैल्यू ऐडेड टैक्स है। अब सामानों के उत्पादन में वैल्यू एडीशन हुआ नहीं और वैल्यू एडेड टैक्स लगा दिया है, इस कारण कोलाहल मचा हुआ है। मंत्री जी ने दावा किया है कि हमने इसे मुख्य मंत्री, वित्त मंत्री और सब राज्यों से सहमति लेकर किया है। सब राज्यों में आन्दोलन शुरू हो गए, बाजार बंद हो गए। इनकी भीड़ में हम नहीं जानते कि लोग कैसे सहमत हो गए। राज्य सरकारों ने कह दिया कि यह भारत सरकार का काम है, उसने वैट लगाया है। आन्दोलन शुरू हो गए, अभी लोग टाल रहे हैं, कहते हैं कि बनिया वर्ग ने वोट से जिताया था, हम दवाई कर रहे हैं, उनको ठंडा करने के लिए लोग यहां आ गए हैं। आपने किसानों को क्या छूट दी। लोग कहते हैं कि कृषि मंत्री टैक्स लगाते हैं इसलिए उनको बोला गया तब उस पर रोक लगी। जीरो टिलर मशीन, जिसे किसान इस्तेमाल करते हैं, उस पर टैक्स क्यों लगा रहे हैं, उस पर टैक्स क्यों नहीं खत्म करते। बड़े-बड़े कारपोरेट लोग जो चाहते हैं, वही हो जाता है लेकिन किसान बेचारे मर रहे हैं। लोग कहते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. एग्रीमेंट हुआ, तो अमरीका के किसानों से कम्पीटिशन करना है। जीरो टिलर और रंग-बिरंगी मशीन, जोतने वाली, काटने वाली आदि सभी की कीमतें बढ़ रही हैं और ट्रैक्टरों की खरीद घट गई है। इन सब चीजों को टैक्स फ्री करने की सोचिए और करना चाहिए।

नार्थ ईस्ट की इंडस्ट्री, छोटे उद्योग, मल्टी नेशनल्स के कहने पर देशभर के छोटे उद्योग मर गए और यहां मल्टी नेशनल्स का बोलबाला हो रहा है। यदि लघु उद्योग जीएगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उत्पादन होगा, उस सबकी वर्ल्ड मार्किट भी है, लेकिन मल्टी नेशनल्स नहीं चाहते कि यहां के लघु उद्योग बचे। इसलिए उन पर एक्साइज ड्यूटी और रंग-बिरंगे टैक्स लगा कर उन्हें मारो और वे मर रहे हैं। लघु उद्योग सिक हो गए हैं और मल्टी नेशनल्स के पौ बारह हो रहे हैं। हम देखेंगे कि सभी कसौटियों पर देश हित सर्वोच्च हो। देश के गरीब लोग कैसे जिएंगे, किसान कैसे तरक्की करेगा, उसके पक्ष में आपकी क्या नीतियां हैं। उधर से एक आदमी खड़ा होता है-जय हो, जय हो और किसान, मजदूर की क्षय हो, क्षय हो, विदेशी पूंजीपतियों की जय हो, ब्लैक मार्कीटियर्स की जय हो, मैं यही सुन और देख रहा हूं।

फाइनैंस बिल पर कई दिनों से बहस चल रही है। नार्थ ईस्ट में एक्साइज ड्यटी माफ कर दी गई थी ताकि वहां उद्योग बढ़ें, पान मसाला, तम्बाकू आदि की खेती में बहुत मजदूर इकट्ठे काम कर रहे थे, वहां की एक्साइज ड्यूटी वगैरह माफ कर दी गई थी। लेकिन जो सुविधा उनको दी गई थी, वह वापिस कर ली गई, कहा गया कि अभूतलक्षी प्रभाव से सब हिसाब लेंगे। श्री सोमनाथ टर्जी मार्क्सवादी नेता हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी। इनके मंत्री डा. सी.पी. ठाकुर नार्थ ईस्ट के मंत्री हैं और लघु उद्योग के मंत्री भी हैं। उन्होंने वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा। हम नहीं जानते कि वह उस पत्र पर क्या कार्यवाही करेंगे। नार्थ ईस्ट का मामला जब आता है तो लोग हम कहने आते हैं कि हमें क्या पीड़ा है। वित्त मंत्री जी बताएं कि क्या कठिनाई हुई जो नार्थ ईस्ट के लोगों को दी गई सुविधा वापिस कर ली गई। क्या आप चाहते हैं कि नार्थ ईस्ट के लोग मरें? 1998 में प्रधान मंत्री जी द्वारा तय की हुई सुविधा को वापिस ले लिया गया। हम नहीं जानते कि कौन सी अंडरग्राउंड शक्तियां इसके पीछे काम कर रही हैं कि लघु उद्योगों को मार दिया जाए, मेहनतकश लोगों को खत्म कर दिया जाए, निरुत्साहित किया जाए, किसानों को निरुत्साहित किया जाए।

हम सुनते हैं कि केलकर आई.एम.एफ. वर्ल्ड बैंक के आदमी हैं। वे कहां काम करते थे, हम इसकी डिटेल नहीं जानते। वे उसी लॉबी के व्यक्ति हैं और वही इनके सलाहकार हैं। कैसे देश बचेगा, कैसे किसान, मेहनतकश लोग, कम आमदनी वाले लोगों का काम कैसे चलेगा, इस बारे में साफ बातें होनी चाहिए, यह मैं माननीय सदन से अपील करना चाहता हूं। इनकी टैक्स प्रणाली चौपट हो गई है। 1952-1954 में 600-700 करोड़ रुपये के काले धन का अनुमान था, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इकौनौमिक्स के प्रोफैसर आए थे, जिन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बुलवा कर लाए थे। उन्होंने बताया कि 600-700 करोड़ काला धन है। यह काला धन बढ़ता जा रहा है और बीच में आईएमएफ ने रिपोर्ट दी। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, विभिन्न विद्वानों ने तथा प्रोफेसर अरुण कुमार, जवाहर लाल विश्वविद्यालय के जो हैं, सबने कहा और अभी कहते हैं कि 8 लाख करोड़ काला धन है। यह कालाधन छिपाया हुआ है। इस काले धन को निकालने के लिए आपने कौन सी कार्रवाई की है? यह जो गरीब आदमी पर, सामान्य आदमी पर टैक्स लगाने का काम कर रहे हैं, यह 8 लाख करोड़ जो काला धन है, इसको निकालने के लिए कौन सी कार्रवाई आपने की है, यह बताएं। इसी के कारण देश की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। कहते हैं कि जांच कमेटी बैठेगी। विभिन्न कमेटी बैठी हैं। 25-30 वर्षों में काला धन निरंतर बढ़ रहा है। इसको निकालने के लिए सरकार कौन सी कार्रवाई करने जा रही है? ये सारी बातें देश और यहां की जनता जानना चाहती है। बड़े आदमियों का पौवारा हो रहा है और गरीब आदमी की गरीबी

बढ़ती जा रही है। यह कौन सी टैक्स प्रणाली आप चला रहे हैं? इस तरह से नॉन-पर्फार्मिंग एसैट्स पर भाषण कर रहे थे कि डेढ़ लाख करोड़ है। जो बड़े-बड़े पूंजीपति और सीआईआई है, जितने बड़े पूंजीपति लोग हैं, इन लोगों ने पैसा लेकर देश का खजाना डुबो दिया है। गांव का किसान, बेरोजगार आदमी ऋण लेता है तो उसकी वसूली करने के लिए गरीब आदमी के गर्दन में गमछा लगाना, ऋण की वसूली करने के लिए कार्रवाई की जाती है जिससे वह रात-रात भर भय से रहता है कि अब पकड़ने आये, अब पकड़ने आए। जो गरीब आदमी है, जिस पर 1000, 2000, 5000 या 10,000 लोन बाकी है, जो मेहनतकश किसान है, उसके लिए इतने कानून है और जिन बड़े पूंजीपति लोगों ने डेढ़ लाख करोड़ रुपया लूटकर रख लिया, जो मल्टी-नेशनल पूंजीपति लोग हैं, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई चल रही है? उसके लिए कौन सा कानून है? हिन्दुस्तान में यह क्या हो रहा है? गरीब आदमी पर बकाया है तो उसका अपमान करना, उसकी गर्दन में गमछा लगाना, कुर्की करवाना और सारी कार्रवाइयां की जाती हैं और पूंजीपति लोगों ने करोड़ों-करोड़ों रुपये, अरबों रुपये ऋण लूटकर रख लिया, उसके लिए क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? इन सब चीजों का भेद खुलना चाहिए। इंकम टैक्स का बकाया 62,000 करोड़ रुपये का हमारा बकाया है, रख लिया, उसकी वसूली करने के लिए सरकार क्या कर रही है? एक्साइज टैक्स का केस कर दिया, 1550 करोड़ एक्साइज टैक्स का रुपया केस में रख दिया जो सरकार केस में हार जाती है और व्यापारी जीत जाएंगे तो यह हिसाब हम खोजना चाहते हैं। इस तरह से वित्त विधेयक में जितना फार्मूला आता है, वह इतना उलट-पुलट वाला है कि जिससे टैक्स चोरी करने वाले जो लोग हैं, उनको फायदा होगा और टैक्स देने वाले लोगों पर टैक्स लगेगा। इससे आम आदमी का कल्याण नहीं होने वाला है और न ही देश की आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। चालीस हजार करोड़ का नुकसान टैक्स वसूली में हुआ है जिसमें 22,000 करोड़ वाली डिविडेंड पर है। कैसे लोग माफ कर देते हैं? इवैलुएशन ऑफ टैक्स, इतनी भारी लॉबी है कि हमने बिहार के लिए वित्त मंत्री जी से आग्रह किया था। एक राष्ट्रीय विकास योजना आई थी, उसमें सब ट्रांसमिशन वाला 365 करोड़ की योजना स्वीकृत हो गई। उसका काम शुरू होना था। लेकिन आपका कौन अफसर है कि वह इतना पेच लगाता है कि हमने दो बार प्रार्थना की। वह कहता है कि कैबिनेट में जाएगा। सारा कानून इसी पर लागू होगा। जब तक बरसात पार हो जाएगी और फिर दाम बढ़ जायेंगे। इतना भारी गलत काम हो रहा है। वह योजना भी पिछड़ गई। वह कैसे लागू नहीं हुई? आपने कहा कि हमने निदेश दे दिया है लेकिन वह अफसर नहीं माना। योजना आयोग कलप रहा है कि अब क्या करें? तुरंत काम शुरू होना था। ट्रांसमिशन इंसर्टेंट सैक्टर में सरप्लस बिजली है लेकिन वहां किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलती है।

अपराह्न 5.00 बजे

अगर ट्रांसमिशन लाइनों को दुरुस्त कर दिया जाए तो गांवों में किसानों को 24 घंटे बिजली मिलेगी। मैं समझता हूं कि इसमें कोई परेशानी सरकार को नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सम विकास योजना से जो पैसा इस काम के लिए मंजूर किया था, वह राज्य को देना चाहिए। पता चला है कि अभी वह प्रपोजल केबिनेट में जाएगा, ढाई साल तो ऐसे ही बीत गए हैं और पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। यह मैं वित्त मंत्री जी पर छोड़ देता हूं कि वे बिहार के बारे में क्या करने वाले हैं। जो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं, उसमें आप राज्यों को पैसा देते हैं। बिहार से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स के रूप में काफी पैसा केन्द्र को आता है। लेकिन वहां आज भी रूरल रोड्स की हालत बहुत खराब है। एक भी पैसा बिहार को सेंट्रल रोड फंड से नहीं मिला है। वहां जो राष्ट्रीय हाईवे हैं और नेशनल हाईवे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। राज्य सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह इनकी हालत ठीक कर सके इसलिए भारत सरकार को इसमें मदद देनी चाहिए। और कुछ नहीं हो तो इस फंड में जो बिहार की हिस्सेदारी बनती है, वह पैसा ही उसको दे दें।

गत तीन साल में ग्रामीण विकास योजना के तहत बिहार को 301 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। इंदिरा आवास योजना में 130 करोड़ रुपए, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में 96 करोड़ रुपये, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार में 38 करोड़ रुपये और पीने के पानी की योजना में 37 करोड़ रुपये, कुल मिलाकर 301 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। वह सारा पैसा विकसित राज्यों को दे दिया गया है। डी.आर.डी.ए. को सीधे पैसा जाता है। कहा जाता है कि अमुक डी.आर.डी.ए. ने ठीक से पैसा खर्च नहीं किया और हिसाब नहीं दिया। अगर बिहार के अंदर एक जिले में पैसा ठीक से खर्च नहीं हुआ तो दूसरे जिले को आप वह पैसा दे दें। लेकिन आपने सारे राज्य का पैसा काट कर विकसित राज्यों को दे दिया। यहां दिल्ली में सचिवालय में बिहार के साथ भेदभाव होता है। बिहार का हिस्सा मारा जा रहा है। इसी बात को लेकर बिहार में हम लोगों ने 30 अप्रैल को एक रैली का आयोजन किया है, जिसमें सारे राज्य से लोग आएंगे। बिहार देश का आबादी का दसवां हिस्सा है। बिहार भारत का दिल है। बिना बिहार के विकास के देश आगे नहीं बढ़ सकता। अगर कोई समाजशास्त्री यह दावा करता है कि बिहार को छोड़ कर देश आगे बढ़ जाएगा, तो वह असत्य कहता है। आठवीं योजना में बिहार को 12,000 करोड़ रुपया मिला था, लेकिन बहुत सा रुपया खर्च नहीं हुआ। इसी तरह से नौवीं योजना में हमें 16,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन खर्च सिर्फ दस हजार करोड़ रुपए ही हुए। सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स में भी हर साल करीब 1100 करोड़ रुपये की कटौती बिहार की हो रही है। 364 योजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं, लेकिन उनमें भी

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

कटौती हो रही है और हमें पैसा नहीं मिल रहा है। आप कहते हैं कि खर्चा नहीं हो पाता। हम तीन हजार करोड़ रुपए टैक्स देते हैं, उस पर दंड सूद भी देते हैं। जो राज्य पिछड़े हुए हैं, उनकी तरफ खास ध्यान देना चाहिए। आज पिछड़े राज्यों में क्षेत्रीय असमानता बढ़ रही है, क्योंकि डिसपैरिटी हो रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार क्षेत्रीय असंतुलन दूर करे।

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद): वहां गरीबों को तेल नहीं मिलता और आप लाठी को तेल पिला रहे हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: देश को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

सभापति महोदया: आप चेयर को एड्रैस करें और समाप्त करें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: मैं अभी खत्म करता हूं। यहां पर शाहनवाज हुसैन जी, रामजीवन सिंह जी बैठे हुए हैं। बिहार से सभी सांसद प्रधान मंत्री जी से मिले थे और उनको ज्ञापन दिया था। उसमें मांग की गई थी कि बिहार का सेंट्रली स्पांसर्ड स्कीम्स का हिस्सा मारा जा रहा है इसलिए बिहार का कर्ज माफ किया जाए। हमारा सवाल यह है कि बिहार में केन्द्रीय सरकार की योजनाओं के काम में कटौती हुई है, इसलिए बिहार का कर्जा माफ करो। आप आंख मीचकर सरकार का समर्थन कर रहे हैं। बिहार के मंत्री बिहार के हितों की अनदेखी करके केन्द्र सरकार की नौकरी कर रहे हैं। हमारा पहला सवाल है कि बिहार का कर्जा माफ करो और दूसरा सवाल है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। नेशनल डैवलपमेंट कौंसिल ने जो क्रीटैरिया तय किया है वह बिहार पूरा करता है, पांच शर्तों को बिहार पूरा करता है। दसवें वित्त आयोग ने 1996-1997 में जो रुपया दिया, वह हमको मिला और झारखंड को भी मिला। झारखंड ने पंचायत के चुनाव नहीं कराये लेकिन बिहार में चुनाव हुए। फिर भी हमारा पैसा काट लिया गया। करीब सवा चार सौ करोड़ रुपया, जिसकी अनुशंसा 10वें वित्त आयोग ने की थी उसको भारत सरकार ने रोक लिया।

कहा गया है कि बाढ़ से करीब 1200 से 1500 करोड़ रुपये की बर्बादी होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत-नेपाल समझौता क्या बिहार सरकार के हाथ में है। कवरसेन कमेटी ने कहा था कि राज्य सरकार के बस में बाढ़ नियंत्रण नहीं है। वहां गंडक, बागमती और कमला-बालान नदी जो हिमालय से आती है और नेपाल से आने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदियों से 12 से 15 सौ करोड़ रुपये की बर्बादी हर साल होती है। बाढ़ सुखाड़ से सात जिले जो तीन साइडों में पड़ते हैं प्रभावित हैं, 10 लाख हैक्टेयर जल-जमाव है। बाढ़-सुखाड़, जल-जमाव चार प्राकृतिक आपदाओं से बिहार में तबाही होती है। भारत सरकार के पास उसका निदान है। अगर इन सब सवालों को नहीं देखा जाएगा तो रीजनल-विषमता बढ़ेगी और वह देश के हित में नहीं होगी। संविधान में भी सिद्धांत है कि जो राज्य पीछे छूट जाएं, उनको सहूलियतें देकर राष्ट्र की मूल धारा में लाया जाए। जो हमारी हिस्सामारी हो रही है और बिहार को उसका हिस्सा न देने के बहाने बनाए जा रहे हैं, उनसे राज्य पिछड़ रहा है। हमारे जिले वैशाली के अध्यक्ष श्री रामविलास पासवान हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया है और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में सात करोड़ रुपया एक स्कीम में हमारे जिले ने भेजा है। जिला बोलता है कि हमने हिस्सा भेज दिया, ये कहते हैं कि नहीं दिया। इसलिए एक ही स्कीम में सात करोड़ रुपया काट लिया गया। मुजफ्फरपुर जिले का इंदिरा आवास योजना का 16 करोड़ रुपया काट लिया। इसी तरह से 1 करोड़ 94 लाख रुपया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का काट लिया। वहां सांसदों को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बना दिया गया है। उसके बाद भी अगर हमारे हिस्से की कटौती होगी तो वहां राज्य में जो जिला-परिषद् और एमएलए बैठे हैं वे एमपी लोगों को हूट करेंगे और कहेंगे कि आप लोग भारत सरकार में बैठे हो और भारत सरकार कटौती कर रही है। बंगाल और आसाम का भी 100 करोड़ रुपये से ज्यादा काटा गया है, उत्तर प्रदेश का भी रुपया काटा गया है तथा और भी बहुत से राज्यों का पैसा काटा गया है। मेरा कहना है कि सांसदों की भी सुरक्षा होनी चाहिए। नहीं तो वहां के मुखिया से लेकर एमएलए तक एमपीज को हूट करेंगे, उनकी फजीहत करेंगे। इसलिए हम अपील करते हैं कि माननीय सांसदों को फजीहत से बचाया जाए और केन्द्र द्वारा कटौती बंद की जाए। राज्यों का हिस्सा मार करके भारत सरकार दानी बन रही है, इसे राज्य बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा कहना यह है कि यह वित्त-विधेयक गरीब लोगों के खिलाफ है, और पूंजीपतियों के फेवर का है। इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और सदन को इसे पास नहीं होने देना चाहिए। इसलिए सदन इस पर विचार करे और वित्त विधेयक को खारिज करे।

श्री अरुण कुमार: सभापति महोदया, वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में विचारार्थ वित्त विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय सदस्यों ने काफी विस्तार से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और मैं भी कुछ शब्दों में अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं।

महोदया, जब देश आजाद हुआ था, तो किसानों के नेता स्वामी सहजा सरस्वती जी ने एक नारा दिया था-"जो अन्न वस्त्र उपजाएगा, शासन वही चलाएगा। भारत वर्ष उसी का है, उसे आगे बढ़ाएगा।" लेकिन आजादी के इतने लम्बे समय के बाद भी "जो अन्न वस्त्र उपजाएगा, शासन वही चलाएगा" की भावना केन्द्र से

दूर है। आजादी के 55 वर्षों की आजादी के बाद गांवों की जो स्थिति है, खेत-खलिहानों की जो स्थिति है, इस विषय में रघुवंश प्रसाद जी या अरुण कुमार कितनी ही चर्चा कर लें, निश्चित तौर से भारत का जो स्वरूप है, जो भारत की आत्मा है, वह कराह रही है। गन्ना किसान भी आज तबाह हो रहे हैं।

अपराह्न 5.12 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि पावरलूम में काम करने वालों की संख्या करोड़ों में है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बगल में गया क्षेत्र है, उसकी भी यही सिथति है। बुनकरों की स्थिति दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है। उन पर लगाया गया टैक्स सम्पूर्ण रूप से सर्वनाश की ओर ले जाएगा। इन टैक्स के लगाने के बेरोजगारी की समस्या हमारे सामने प्रश्नचिन्ह की तरह खड़ी है। समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों बेरोजगारी की संख्या खड़ी करना चाहती है। हम वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिस तरह से उन्होंने खाद पर लगाए गए कर को रोल-बैक किया, उसी तरह से इस दिशा में भी कदम उठायें। बुनकर भी किसानों की कैटेगरी में ही आते हैं। बुनकरों की 80 फीसदी आबादी की समस्या उनके सामने है। निश्चित तौर पर उन बुनकरों की समस्याओं पर वे ध्यान देंगे, क्योंकि जब हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, तो यह समस्या हमारे सामने खड़ी रहती है। सरकार में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, मल्टीनेशनल और नेशनल कैपिटलिस्ट का दबाव निश्चित तौर से ज्यादा रहा है। रघुवंश प्रसाद जी भी सरकार में रहे हैं, उनको भी स्थिति के बारे में पता है। मेरा सुझाव है कि इस दबाव को खत्म किया जाना चाहिए।

महोदय, इसी प्रकार वैल्यु एडेड टैक्स की स्थिति भी परिलक्षित हो रही है। इसकी वजह से भी स्थिति खराब हो रही है। यदि अब एक रैशनलाइज्ड सिस्टम बनाया जा रहा है तो इसे निश्चित तौर पर सरकार को सख्ती से लागू करना चाहिए। इसी सवाल पर यदि किसानों को टैक्स के घेरे में लेने की बात होती है तो इतनी जोर से आवाज नहीं उठती है। इसका डॉमिनैंट फैक्टर क्या है आज गन्ना किसान मर रहे हैं और उनके बारे में माननीय अखिलेश जी बराबर आन्दोलित होते हैं, सदन आन्दोलित होता है। इस विषय में सदन में कई बार चर्चा भी हुई लेकिन कुछ भी परिणाम सामने नहीं आए। इस बारे में एक कमेटी भी बनी लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को ही रखा गया है। यह समस्या केवल उत्तर प्रदेश के किसानों की नहीं है। यह समस्या बिहार और हरियाणा के किसानों और अन्य कई प्रदेशों में जहां गन्ने की खेती होती है उन सब के सामने है। इसलिए उस कमेटी में सभी राज्यों के प्रतिनिधि होने चाहिए और हर राज्य को उसमें अलग से जोड़ कर वहां के मिल मालिकों को बुला कर इस समस्या का समाधान ढूंढा जाना चाहिए।

जादव जी एनपीए के बारे में कह रहे थे। इसमें लगभग 80 हजार करोड़ रुपये की राशि है। मेरी सूचना के हिसाब से 25 हजार करोड़ रुपया लिटिगेशन में है लेकिन इसके बाद भी लगभग 56 हजार करोड़ रुपया कारपोरेट हाउसेज के पास बकाया है। विडम्बना है कि इतनी बड़ी राशि में से 8245 करोड़ रुपया दो साल में वेव किया गया। जब किसानों का सवाल आता है तो उन्हें कोई राहत नहीं दी जाती है। आज भी देश में ब्रिटिश शासन के बनाए कानून हैं। जब हमारी पार्टी के नीतिश कुमार जी कृषि मंत्री थे, उस समय सदन में यह सवाल उठाया गया था। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में राज्य सरकारों को लिख रहा हूं। किसान यदि लोन के एवज में डिफॉल्टर होते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ता है और जेल का सारा खर्च उनसे वसूला जाता है। आजादी के इतने लंबे समय बाद भी यह कानून बरकरार है। माननीय कृषि मंत्री जो किसानों के रहनुमा चौधरी चरण सिंह के पुत्र हैं, वह यहां बैठे हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वह इस बारे में सोचें। यदि कोई अपराधी जेल जाता है या दूसरी किसी दफा में जेल जाता है तो उनका सरकार खर्च वहन करती है लेकिन जब किसान छोटा सा ऋण अदा न करने के कारण डिफॉल्टर होता है तो वह उससे वसूला जाता है। जब राज्य सरकार को इस बारे में लिखा गया तो क्या हुआ? नतीजा वही का वही है। निश्चित तौर पर यदि इस राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो राष्ट्र की पहचान गांव, खेतों और खलिहानों से ही हो सकती है। देश की सीमा की रक्षा करते हुए कई लोग शहीद हो रहे हैं। हमें विज्ञान या शिक्षा के क्षेत्र में जो समर्पण और साहस देखने को मिल रहा है, वह गांव की मिट्टी से पैदा होने वालों में ही दिखायी दे रहा है। ऐसा साहस शहरी मानसिकता में पले लोगों में नहीं है। जिस मजबूत हिन्दुस्तान की कल्पना हमारे मन में है उसे पूरा करने के लिए मजबूत गांव की कल्पना करनी होगी। रघुवंश बाबू किसानिया और कारखनिया का जो नारा लगा रहे हैं जो लोहिया जी का नारा था, वह नारा मात्र आज तक बना है। दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। भारी संख्या में गांवों से शहरों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। इस पलायन को कैसे रोका जाये? जब तक यह पलायन नहीं रुकेगा, निश्चित तौर पर शहरों में अराजकता फैलेगी।

सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां काफी नर-संहार हुआ करता है। नक्सलवाद, प्राइवेट सेना के लिए जहानाबाद जिला बहुत बदनाम है। यदि आप उस स्थान को देखें तो पायेंगे कि वहां 4 हजार एकड़ जमीन रखने वाला कोई आदमी नहीं, केवल 2-3-4 बीघा जमीन रखने वाला किसान ही है जो हिंसा

[श्री अरुण कुमार]

का शिकार हो रहा है। वे लोग बेरोजगार हैं। उस क्षेत्र में कोई विद्यालय नहीं, शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं। जो छोटे-मोटे उद्योग हैं, टैक्स के कारण उनका सर्वनाश हो रहा है। लोगों को खाने के लिए तेल नहीं मिलता लेकिन लाठी पिलावन हो रहा है। हम यह सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि जहां राज्य को आधुनिक चीजों से लैस करना चाहिए था, उसका विकास होना चाहिए था, वहां आर्थिक स्थिति बद से बदतर है। बिहार को वर्ष 1952-57 में बैस्ट गवर्नड स्टेट कहा जाता था लेकिन आज लाठी पिलावन के माध्यम से कहा जा रहा है कि कहां वार करना है। दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति के लिए केन्द्र सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बिहार सरकार को 350 करोड़ रुपया दिया गया लेकिन मात्र 48 करोड़ रुपया खर्च किया गया। इस प्रकार राज्य का विकास कैसे होगा? आपको जानकर आश्चर्य होगा और आप जानते भी हैं लेकिन आपकी मजबूरी है। आप इस स्वाभाव के लोग नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि फूड फार वर्क भारत सरकार की योजना है। एक लम्बे समय के बाद बिहार में डैमोक्रेटिक पैटर्न डेवलप किया गया है। पंचायत चुनावों के बाद हमारे क्षेत्र में फूड फार वर्क कार्यक्रम के अंतर्गत एक चावल का ट्रक दुकान से उठाया और दुकान पर ही बेचने का काम किया गया। कमिश्नर ने ट्रक को पकड़वाया और वह ट्रक चार दिन तक थाने में पड़ा रहा। राज्य सरकार के एक मंत्री ने कमिश्नर, कलैक्टर और एस.पी. से कहा कि उस मामले में कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होगी। यह बात सभी अखबारों में छपी है। इस राज्य का क्या होगा? क्या आप भारत सरकार की इस योजना के मामले में कल्पना कर सकते हैं? यह लाठी किसलिये हैं? क्या उन गरीबों, दलितों पर चलाने के लिए है।

इंदिरा आवास योजना का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके परिवार के 5-5 लोगों ने इस योजना में डेढ़ लाख रुपये खींचकर अपना नया भवन बनवाया है। यह योजना गरीबों, दलितों और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए है लेकिन यह लाल कार्ड उन्हें मिला है जिनके पास लाठी है। जब लाठी को तेल पिलाया जायेगा तो केन्द्र सरकार की सारी योजनायें कहां खड़ी होगी, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को राज्य सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसको खुद ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिये जिससे अराजक स्थिति से राज्य बाहर निकल सके। सिर्फ यह कहना कि प्रबंधन ठीक नहीं, राज्य को अलग करके देखने से निश्चित तौर पर उस राज्य का विकास नहीं होगा। यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तरी बिहार जहां की नदियां नेपाल की वजह से अभिशाप हैं, जहां सवा से डेढ़ लाख मेगावाट हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोडक्शन का सर्वे हुआ है, उसे भारत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और जो विकास के मामले पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें चिन्हित करके इस योजना को कार्यान्वित कराना चाहिए।

सभापति महोदय, एक सवाल के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, मैं आपकी घंटी का सम्मान करता हूं शिक्षा लोकतंत्र की रीढ़ है। वैसे तो भारत सरकार ने शिक्षक मित्र की एक योजना चलाई है और उसकी बहाली भले ही हमने अपने कोरे सपनों का पूरा करने के लिए शिक्षक मित्र की योजना को एक अभियान के रूप में चलाया हो और सर्व शिक्षा का संकल्प लिया हो, शिक्षक मित्र की बहाली किस तरीके से और किस राशि से करने की भारत सरकार की जो योजना है, हम समझते हैं कि यह एक ऐसी योजना है, जो अंधकार में धकेलने की योजना कही जा सकती है। हमारे यहां 70-80 रुपये दैनिक मजदूरी के रूप में एक अनस्किल्ड मजदूर को पेमेन्ट होता है। लेकिन एम.ए., बी.ए. पास लोगों की आप 2200 रुपये में शिक्षक मित्र के रूप में बहाली कर रहे हैं और जिस तरीके की पंचायत की व्यवस्था उसे बहाल करने की है और जिस तरीके से उसे बहाल किया जा रहा है, हम समझते हैं कि हम एक गंभीर संकट पैदा करने जा रहे हैं। राज्य सरकार ने शिक्षा का सर्वनाश किया ही है, लेकिन यदि केन्द्र सरकार भी इस संकल्प के साथ कि हम शिक्षा से गरीबों का कल्याण करेंगे, झोपड़ियों में रहने वाले और खेत-खलिहानों से निकलने वाले लोगों को इस छोटी राशि के माध्यम से हम एक सफल शिक्षक और सफल नागरिक पैदा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा यह संकल्प पूरा नहीं होगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा डेवलपमैन्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी मजबूती के लिये यदि हम खेत-खलिहानों, गांवों और झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं तो एक तरफ पब्लिक स्कूल आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित होकर अमीरों के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ 2200 रुपये यानी कि एक शिक्षक को दैनिक मजदूरी भी नहीं मिलेगी तो किस तरह के शिक्षकों का अपाइंटमैन्ट और किस तरह के बच्चों के निर्माण का कार्य वहां होगा, इसकी कल्पना आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उन्हें हमें सैन्ट्रलाइज करना चाहिए और उनमें हमें तीन चीजों पर गौर करना चाहिए कि हम रोड, बिजली, शिक्षा ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: और स्वास्थ्य।

श्री अरुण कुमार: स्वास्थ्य आप तेल पिलाकर ठीक कर देंगे। यदि उपरोक्त चीजों पर गौर किया जाए तो हम सफल हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर): सभापति महोदय, क्या आप आसन से व्यवस्था देंगे कि लाठी को तेल नहीं लगाया जाएगा। तेल की बहुत शॉर्टेज हो रही है।

[अनुवाद]

***श्री सी. श्रीनिवासन** (डिंडीगुल): सभापति महोदय, वित्त विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मै आपको धन्यवाद देता हूं। वित्त विधेयक केवल राजस्व और व्यय के बीच की खाई को पाटने का ही उपक्रम नहीं है। यह महज केवल नये करों के प्रस्ताव ही नहीं करता है। इसका उद्देश्य समाज के निर्धन और कमजोर तबकों को राहत पहुंचाना भी होना चाहिए। इस बात पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है कि वित्त विधेयक के प्रस्तावों से प्रभावित हुये बगैर क्या कमजोर वर्गों की क्रय क्षमता में वृद्धि होती है और क्या दबे कुचले वर्गों को आजीविका कमाने के अवसर मिले हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अमीर और गरीब के बीच की विषमता को कम कर सकें। कराधान और वित्तीय नीति से केवल उद्योगपतियों और अमीरों को ही अवसर उपलब्ध नहीं होना चाहिए। इस ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए कि गरीब और मध्यवर्ग के हित प्रभावित न हों।

हम एक ही समय मे सभी राज्यों में समान रूप से मूल्यवर्धित कर लगाना चाहते थे। लेकिन हमने इन तिथियों को एक बार नहीं अपितु तीन बार स्थगित किया है। इसे इस वर्ष 1 जून से लागू किया जाना है। यह मूलत: केन्द्र का निर्णय है। यह सभी राज्यों की आम सहमति वाला निर्णय है। लेकिन सच्चाई यह है कि केन्द्र सरकार के निर्णय के कारण राज्य सरकारें अलोकप्रिय हो रही हैं। यह अपने हाथों द्वारा अपनी ही आंख को नुकसान पहुंचाने के समान है। देश के सभी वित्तीय समाचार पत्रों ने नई बैट प्रणाली के लाभ-हानि के बारे में संपादकीय लिखे हैं। उन्होंने इस नई प्रणाली के राजस्व संग्रहण प्रविधियों के बारे में सरकार को चेताया भी है।

हमारे वित्त मंत्री माननीय श्री जसवंत सिंह ने चर्चा शुरू होने पर अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में वैट के बारे में विस्तार से भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हमारे व्यापारिक समुदाय को शिक्षित करना होगा और व्यापक स्तर पर अभियान चलाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे उद्योग और वाणिज्य संघ को तैयार रहना होगा। देश भर के सभी राज्यों में समान रूप से इस कर को लगाने की तिथि के बारे में निर्णय लेने से पहले ये सभी उपाय कर लिये जाने चाहिए थे। आप जो कर रहे हैं, काफी पहले कर लिया जाना चाहिए था। एक कहावत है कि करे कोई भरे कोई। यह दूसरे के किये को हमारे द्वारा भरने का उदाहरण है। केन्द्र सरकार के वित्तीय उपाय और वित्त नीति को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि राज्य सरकारें अधर में न लटकें और न ही गंभीर रूप से प्रभावित हो। यह आवश्यक है।

जब हमने दसवीं योजना के दौरान वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया था, हमने 8% की दर का लक्ष्य रखा था लेकिन वृद्धि दर 6.2% से घटकर 5.5% रह गयी है। आपने कहा था कि पिछले वर्ष असफल मानसून विश्व अर्थव्यवस्था में मंदी की प्रवृत्ति और इराक पर मंडराते युद्ध के बादल उतार-चढ़ाव के मुख्य कारण हैं। अब इराक युद्ध करीब समाप्त हो गया है। जितनी आशंकायी, तेल के मूल्य उतने नहीं बढ़े हैं। कोई वृद्धि नहीं हुई है। अत: हमें वृद्धि हेतु प्रोत्साहन उपायों के बारे में सोचना चाहिए। आपने 339 करोड़ रुपये के कर प्रस्तावों की घोषणा की है। इसमें इस वर्ष के दौरान और बजट के पूर्व कराधान और राजसहायता को वापस लिया जाना शामिल नहीं है प्रत्यक्षकरों के प्रभाव की तुलना में अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव अधिक है। अत: हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। उदाहरणार्थ केन्द्रीय बजट में घोषित सेनवेट और उत्पाद शुल्क से हथकरघा और लघु वस्त्र विनिर्माण इकाइयों पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। उत्पाद शुल्क की ऊपरी सीमा में परिवर्तन और सेनवैट की शुरुआत से इन इकाइयों को कर प्रस्तावों के विरुद्ध आंदोलन करनी पड़ा। तमिलनाडु की माननीया मुख्यमंत्री डा. पुरत्ची थालवी ने इन कड़े उपायों के बारे में पत्र लिखा था कि इससे ये उद्योग और कामगार समाप्त हो जायेंगे। माननीय वित्त मंत्री ने अब कुछ स्पष्टीकरण दिये हैं जिससे इस क्षेत्र के लोगों को काफी राहत मिली है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि या तो उन्हें पुनर्गठित किया जायेगा या वापस ले लिया जायेगा। एच.टी.पी.ई. धागों से मच्छरदानी बनायी जाती है। इस पर 10% शुल्क लगाने से उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस कुटीर उद्योग को उत्पाद शुल्क से अलग रखा जाना चाहिए।

केन्द्रीय करों में राज्यों विशेषकर तमिलनाडु के हिस्से में गिरावट आयी है। इस घाटे की ऋण के रूप में आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति हो पाती है।

एक ऐसे समय में जब तमिलनाडु में वित्तीय सुधार तेजी से चलाये जा रहे हैं, केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि अपर्याप्त होती है। मैं केन्द्र सरकार से तमिलनाडु की वित्तीय हालत को पुनर्बहाल करने का अनुरोध करता हूं जो पुनर्गठन और वित्तीय नीति में आमूल चूल परिवर्तन कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा तमिलनाडु को एक ऐसे समय में दी गई यह राशि अपर्याप्त है जब तमिलनाडु ने केन्द्र से भी अधिक वित्तीय सुधार किये हैं। तमिलनाडु जैसे अग्रणी राज्य और उसकी मांग की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। तमिलनाडु में वित्तीय सुधार संबंधी उपाय जोरों से किये जा रहे हैं। दिसम्बर 2002 में राष्ट्रीय विकास

*मूलत: तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री सी. श्रीनिवासन]

परिषद की बैठक में तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डा. पुरत्ची थालवी ने जोर देकर कहा था कि वित्तीय सुधार संबंधी उपायों को लागू करने के लिए केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम होना चाहिए। लेकिन अभी तक कोई परामर्शदात्री तंत्र नहीं बनाया गया है। उन्होंने उसी एन.डी.सी. बैठक में यह भी कहा था कि महंगाई गन्ने की दर में एकतरफा वृद्धि नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अब तक केन्द्र ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। मैं वित्त मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि एन.डी.सी. जैसे मंच पर उनकी अपील के बावजूद राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा नहीं किया गया।

जहां तक वैट का सवाल है, तमिलनाडु ने काफी निवेश किया है। तमिलनाडु सरकार की पहल पर वहां विविध औद्योगिक आधार तैयार किया गया है। वैट प्रणाली के तहत निर्यात उत्पादों के लिए आदानों पर लगने वाले कर को वापस लेना पड़ेगा। यह एक असंगत स्थिति है और यह राज्यों विशेषकर तमिलनाडु को बुरी तरह से प्रभावित करती है।

हमने दसवीं योजना में 8% की विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया है लेकिन अब तक दी गई केन्द्रीय सहायता से हम 3% की वृद्धि भी सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह तमिलनाडु के लिए अधिक आवंटन करे और इस दिशा में तमिलनाडु के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए तेजी से धनराशि जारी करे।

हम त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम चला रहे हैं जिसके लिए धनराशि केन्द्र से प्राप्त होती है, तमिलनाडु में सूखे के कारण हम वृहत् जल प्रबंधन प्रणाली से वंचित हैं। हमें मंझोली और लघु सिंचाई योजनाओं से काम चलाना पड़ता है। हम इस शताब्दी के सबसे भयंकर सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चूंकि हम त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम से किसी धनराशि का आहरण नहीं कर पाये हैं, इसलिए मैं केन्द्र से आग्रह करता हूं कि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को इस तरह उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए जिससे तमिलनाडु को उसका हिस्सा मिल सके। इस घड़ी में, न्यूनतम 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता है और राज्य को लगातार बुरी तरह प्रभावित करने वाली इस प्राकृतिक आपदा पर विचार कर केन्द्र को इस धनराशि को प्रदान करना चाहिए। केन्द्र से जो धनराशि दी जाती है वह 70 : 30 के अनुपात में दी जाती है अर्थात 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में। हमारी मुख्य मंत्री पुराची थलैवी ने केन्द्र से इस अनुपात को 50 : 50 के रूप में बदलने हेतु मामला उठाया है। मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे राज्य के हित में इस दलील पर केन्द्र अनुग्रहपूर्वक विचार करे।

खुले बाजार में ऋण 6 प्रतिशत की दर पर उपलब्ध है जबकि केन्द्र योजनागत व्यय के लिए 10.5 प्रतिशत की दर तथा गैर-योजनागत व्यय के लिए और ऊंची ब्याज दर पर ऋण देता है। इसलिए, मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि तमिलनाडु सरकार को खुले बाजार से और ऋण लेने की अनुमति दी जाए ताकि वह इस मात्रात्मक असन्तुलन को पार कर सके क्योंकि यहां असमानता अधिक है और ऋण भार संबंधी स्थिति काफी विकट है। तमिलनाडु की माननीय मुख्य मंत्री ने ईमानदारीपूर्वक इन मामलों को केन्द्र से उठाया है। मेरा आप से उत्तरदायी और सकारात्मक रूप अपनाए जाने का अनुरोध है। निवेशकों द्वारा तमिलनाडु को उच्च प्राथमिकता दी जाती है इसलिए हमें खुले बाजार से और अधिक ऋण लेने की अनुमति दी जानी लाभप्रद होगी। तमिलनाडु में बेरोजगारी की दर देश की तीसरी सबसे ऊंची दर है और यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है और शताब्दी के इस भयंकर सूखे ने तमिलनाडु के दु:खों को और बढ़ा दिया है। हम केन्द्र से सूखा राहत उपायों के लिए पैकेज चाहते हैं, तब कहीं जाकर हम बेरोजगार लोगों को आजीविका दे सकेंगे। मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि हमारे काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए और चावल दिए जाएं।

दसवीं योजनावधि के दौरान ही प्रायद्वीपीय जल ग्रिड प्रणाली के कार्यान्वयन को उच्च प्राथमिकता दिए जाने की अति आवश्यकता है। महानदी को वैगई से जोड़ने तथा सभी प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ने से इस विशाल क्षेत्र से गरीबी दूर हो जाएगी। कृपया, आप इसमें तमीराबरानी नदी को भी जोड़ें।

वार्षिक रूप से 645 करोड़ रु. की लागत वाली हमारी पौष्टिक मध्याह्न भोजन योजना देश में पहली योजना है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों से सम्मान प्राप्त हुआ है। जिस केन्द्र सरकार ने इसके लिए उदारतापूर्वक सहायता देने का वायदा किया था उसे अभी इस पर कार्य करना है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस सामाजिक कल्याण कार्यक्रम हेतु शत प्रतिशत सहायता दी जाए।

चैन्नई में एक दूसरे विमानपत्तन हेतु आवेदन अभी केन्द्र के पास लम्बित है और यदि और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना है तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाद चैन्नई को दूसरे सुविधा सम्पन्न केन्द्र के रूप में घोषित करने के लिए हमने अनुरोध किया था। मुझे आशा है कि केन्द्र हमारे अनुरोध को स्वीकार करेगा।

जब आप नकदी भण्डार अनुवीक्षण की बात करते हैं तो केन्द्र को सुनिश्चत करना होगा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि को आनुपातिक अंशदान के नाम से बिना किसी पूर्व शर्त के राज्यों को जारी किया जाए। राज्य सरकार ही राज्य के लोगों से प्रत्यक्षत: जुड़ी हुई है और केन्द्रीय योजनाएं भी राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए, मैं आपसे इसकी पुन: जांच करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि राज्य में

वित्तीय संकट के कारण लोगों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित सामाजिक कल्याण योजनाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय बजट में आपने सेवा क्षेत्र पर लगने वाले कर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दिया है और आपने दस और सेवा उद्योगों की पहचान की है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि सेवा क्षेत्र और इस पर कराधान को बिक्री कर की भांति राज्य सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। इससे दोहरे कराधान से बचने में सहायता मिलेगी और इससे राज्य के लिए अपेक्षित धनराशि जुटाने में भी सहायता मिलेगी। तमिलनाडु में अब ममता की मूर्ति शासन कर रही है। लेकिन केन्द्र में लोगों के मनोमस्तिष्क पर सौतेला रवैया राज कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु को कम धनराशि मिलती है, हाल में, जब मैंने परती भूमि विकास पर प्रश्न उठाया था तो मैं जानना चाहता था कि केन्द्र किस प्रकार से राज्यों की सहायता कर रहा है। यह बताया गया था कि केन्द्र 7 : 5 के अनुपात में सहायता देता है। यह भी बताया गया था कि केन्द्र राज्यों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों को विदेशी एजेंसियों को आवश्यक सहायता हेतु अग्रेसित करता हूं। इसी तरह के लिखित उत्तर में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश को 400 करोड़ रुपये से भी अधिक सहायता प्राप्त हुई है जबकि तमिलनाडु को मात्र चार परियोजनाओं के लिए केवल 12 करोड़ रुपये प्राप्त हुए जबकि केन्द्र के पास उसकी 11 परियोजनाएं लम्बित हैं। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से परती भूमि विकास में असमानता और क्षेत्रीय असन्तुलन से बचने का अनुरोध करता हूं। अन्य सामाजिक योजनाओं में ही नहीं बल्कि भूमि विकास के मामले में केन्द्र को उदारतापूर्वक सहायता देनी चाहिए और संबंधित राज्य के सुनिदेशित प्रशासनिक उपायों के अनुरूप पर्याप्त आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए।

इस समय जब तमिलनाडु डा. पुराची थलैवी के ओजस्वी नेतृत्व में अपने खोये गौरव को पुन: प्राप्त करने हेतु महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार संबंधी उपायों को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है तो मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इसे केन्द्रीय करों से पर्याप्त धनराशि की हिस्सेदारी दी जाए। अध्यक्षपीठ को इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर देने के लिए पुन: धन्यवाद के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं चिरपरिचित कारणों से वित्त विधेयक का विरोध करने हेतु खड़ा हुआ हूं। विधेयक के प्रावधानों पर विचार करने से पूर्व सबसे पहले मैं सभा के सामने देश की वर्तमान स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं।

जब हम वित्त विधेयक अथवा कर प्रस्तावों की बात करते हैं तो जो पहला प्रश्न आता है वह देश में रोजगार की स्थिति के बारे में है। यह विधि की विडंबना है कि हम परसों युवक कार्यक्रम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं कर सके। उसके कारण सुपरिचित है? सरकार ने लाभकारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश करने का निर्णय लिया और इसी कारण हम उस दिन युवक कार्यक्रम पर चर्चा नहीं कर सके। उस विषय पर चर्चा करने का अवसर चार दशक के पश्चात आया। इस सभा के इतिहास में यह पहली बार था कि युवक मामलों का विषय इस सभा में चर्चा के लिए आया। दुर्भाग्य से वह चर्चा नहीं हो सकी। यह विधि की विडंबना है।

आज देश में युवाओं की क्या स्थिति है। मैं एक वृद्ध आदमी हूं और मुझे युवाओं के बारे में बोलना ही है। बेरोजगारी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधान मंत्री को भी स्थिति की जानकारी है। वे जवाहर रोजगार योजना की बात करते है। बहुत से प्रस्ताव हैं परन्तु कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि सार्वजनिक सेवाओं में भर्ती लगभग रुक गई है क्योंकि सरकार का मत है कि आगे और भर्ती की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकारें सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप रिक्त हुए पदों को भी नहीं भर रही हैं। केन्द्र सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर कम करने पर भी विचार कर रही है। यह स्थिति है।

विनिवेश की प्रक्रिया के माध्यम से लगभग सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है। युवाओं को नौकरियों से हटाया जा रहा है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो देश में लगभग 40 करोड़ युवा रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह बहुत गम्भीर स्थिति है। हर रोज अखबारों में अपराधियों के फलने-फूलने और कानून तोड़े जाने की खबरें देखते हैं। यह सब युवाओं को रोजगार प्रदान करने की हमारी विफलता का परिणाम है। यह बहुत गम्भीर स्थिति है। बजट में इस गम्भीर स्थिति का कोई समाधान नहीं किया गया है। इस समस्या को हल किये बिना हम उन्नति नहीं कर सकते और हम उन्नतिशील देश होने का दावा नहीं कर सकते।

देश में युवा वर्ग असंतुष्ट है। देश में युवाओं में आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लोग हिंसक हो रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। वे अब बेरोजगार हैं और उन्हें निकट भविष्य में कोई रोजगार मिलने का मौका भी नहीं दिखाई देता। सरकार की नीति उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से पीछा छुड़ाने की है जो रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं।

कृषि क्षेत्र की बात करें तो वहां भी रोजगार के अवसर दिन-ब-दिन घट रहे हैं। मेरा राज्य केरल नगदी-फसल उत्पादन करने वाला राज्य है। हम देश के 90 प्रतिशत रबड़ का उत्पादन करते

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

हैं। रबड़ उद्योग बहुत खराब स्थिति में है और रबड़ के किसान भूख से मर रहे हैं। सरकार उन किसानों की मदद के लिए आगे नहीं आ रही है। सरकार ने भारत में रबड़ के किसानों की दशा सुधारने हेतु कुछ नहीं किया।

यह भी विधि की विडम्बना है कि प्राकृतिक रबड़ को कृषि उत्पाद के रूप में नहीं बल्कि कच्चे माल के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। इसी कारण हमें सरकार से कोई संरक्षण नहीं मिलता।

टैरिफ नीति रबड़ उत्पादकों के हितों के विरुद्ध है। इसलिए, वे टैरिफ सुरक्षा के लिए नहीं मान रही है। किंतु सरकार ने रबड़ उत्पादकों के प्रति कान बंद किए हुए है। महोदय, केरल देश की कुल रबड़ का 90 प्रतिशत उत्पादन करती है।

महोदय, यही बात चाय उद्योग के बारे में है। यह भी खस्ता हाल है। चाय की फसल भी बड़े गम्भीर संकट से गुजर रही है। उत्पाद शुल्क भी समाप्त कर दिया गया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इस देश में चाय आयात करने की अनुमति दी गई है। इसके परिणामस्वरूप पूरे राष्ट्र में चाय उद्योग बहुत गम्भीर स्थिति में पहुंच गया है।

काली मिर्च तथा सुपारी सहित सम्पूर्ण बागान फसलें संकट में चल रही हैं। नारियल उत्पादकों की क्या स्थिति है। वे भी उसी संकट का सामना कर रहे हैं। मैंने पहले भी सभा में कहा है कि नारियल के पेड़ों में किसी घातक बीमारी के कारण नारियल उत्पादकों को वास्तव में भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। वे सूख रहे हैं। परन्तु अभी तक इस बीमारी को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। नारियल बोर्ड तथा केन्द्र सरकार द्वारा दी गई एकमात्र सलाह यह है कि आप पेड़ काटिये और हटाइये; आपको 50 रुपए दिए जाएंगे। किंतु कोई हल नहीं किया जा रहा है। कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। कृषि उत्पादन बहुत कम हो गया है। नारियल उत्पादकों की यही वर्तमान स्थिति है।

महोदय, इसके अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन के समझौते के अनुसार नारियल उत्पाद नामत: कोपरा और नारियल तेल को कृषि उत्पादों में शामिल नहीं किया जाता। उन्हें केवल औद्योगिक कच्चा माल कहा जाता है। इसी कारण उन्हें कोई टैरिफ संरक्षण नहीं मिल रहा है। नारियल तेल, पाम आयल यहां तक कि कोपरा मलेशिया और अन्य देशों से आयात किया जा रहा है जो केरल और अन्य दक्षिणी राज्यों में किसानों के हितों के लिए हानिकारक है। परन्तु कोई समाधान नहीं है।

महोदय, हम कई बार सरकार से मिले परन्तु उन्होंने कुछ नहीं किया और वे नारियल उत्पादकों के बचाव के लिए नहीं आये। नारियल की उन्हें बाजार में कोई कीमत नहीं मिल रही है। अब, एकमात्र हल है नारियल पानी को बेचना क्योंकि पानी अब बहुत महंगी चीज है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मिनरल वाटर के रूप में पानी आयात कर रही हैं। इसलिए, अब मिनरल वार नारियल पानी के बराबर आ जाएगा। यह नारियल उत्पादकों के लिए एकमात्र समाधान है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन: परन्तु यह अधिक महंगा है। *..(व्यवधान)*

श्री वरकला राधकृष्णन: परन्तु कोई समाधान नहीं है। वहां भी हमारी स्थिति बहुत दयनीय है। अब, हम सुन रहे हैं कि बिहार की भी उपेक्षा की जा रही है। परन्तु हम समझते थे कि केवल केरल की ही उपेक्षा की जा रही है। हम वर्षों पुराने उद्योगों को बचाने के लिए कोई हमारे बचाव में नहीं आया। केरल के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षों से नकदी फसल जैसे नारियल, रबर, इलायची का उत्पादन पूरी साल भर किया जाता है। अत: हम कहां जाए? वित्त मंत्री जी कृपया मुझे सलाह दीजिए। हम कहां जाएं? क्या हम भारतीय नहीं हैं? हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा है। थोपे गए विनियमों के कारण हमें बाजार से कोई कीमत नहीं मिल रही है। लगाए गए उत्पाद शुल्क और केन्द्र सरकार को शुल्क नीति ने हमें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है।

अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि कृपया स्थिति पर विचार करें अन्यथा उनके लिए जीवित रहना बहुत कठिन होगा।

अब मैं औद्योगिक क्षेत्र की बात करूंगा। हथकरघा उद्योग और वस्त्र उद्योग का मामला लें। वे भूखे मर रहे हैं। कपास उद्योग पूरे भारत में पर्यावरणीय अनुकूल उद्योग है।

उत्पादन को बेचना बहुत कठिन है। शुल्क लगाए जाने के कारण वे भी भूख से मर रहे हैं। हथकरघा उद्योग को सरकार से कोई प्रोत्साहन या कोई छूट नहीं मिल रही है। उन्हें कपड़ा मिल मालिकों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ रही है। इसका परिणाम क्या होगा? इसके परिणामत: पूरे केरल में हथकरघा उद्योग बन्द हो जाएगा—केवल केरल में ही नहीं, किन्तु ऐसी ही स्थिति तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों की भी है। इन सभी राज्यों में कोई बिक्री नहीं है; वे इसे बेच नहीं सकते हैं। करघा या धागे की कीमत भी महंगी कर दी गयी है; और वे कपड़ा मिल मालिकों से प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर सकते। उनकी सहायता कौन करेगा? यह एक कुटीर उद्योग है और उनकी मदद कौन करेगा? कोई

उपाय नहीं है और न ही कुछ किया गया है। ऐसा सुधार नीति या वैश्वीकरण या निजीकरण के कारण हो रहा है।

कई नारे दिये जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर नतीजा यह है कि वे सब भूख से मर रहे हैं। वहां भूखमरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्न भर रखे हैं। वे वहां हैं, जब केवल प्रधान मंत्री कहेंगे तब ये जारी किये जाएंगे। वे काम के बदले अनाज की बात करते हैं। ऐसा कहां हो रहा है? कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। तब क्यों गोदामों में इन्हें रखा गया है? लाखों टन खाद्यान्न का भंडार है और वह खराब हो रहा है किन्तु उन्हें लोगों को खाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। लोग सड़कों पर भूखे मर रहे हैं और हम शेखी मार रहे हैं कि भारत एक बहुत सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वाला देश है और हम विकासोन्मुखी राष्ट्र हैं, इत्यादि। हम वित्त विधेयक के प्रावधानों पर भी सविस्तार चर्चा करते हैं। इसका नतीजा क्या है? यह कुछ नहीं बल्कि भूखमरी है। खाद्यान्न वहां रखे हुए हैं किन्तु उन्हें जारी नहीं किया जा रहा है।

शेयर बाजार की स्थिति क्या है? क्या हमारे शेयर बाजार की स्थिति स्थिर है? नहीं। मुम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक और अन्य सूचकांक नीचे गिर रहा है। भारत में शेयर बाजार में भी स्थिरता नहीं है। अत: हमारी स्थिति बहुत अधिक खतरनाक है। जब तक हम कुछ बड़े कदम नहीं उठाते तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

मैं काले धन के बारे में एक टिप्पणी के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम सब काले धन की बात करते हैं। यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक चुनौती है। क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की है? पहले संपत्ति की स्वैच्छिक घोषणा हेतु एक योजना थी। कोई भी स्वेच्छा से आय घोषित करने के लिए सामने नहीं आया। बिना हिसाब किताब वाला धन अभी भी है। अब भी समय है वे इसकी जांच कर सकते हैं। किसी दिन वे 1000 रु., 500 रु., 100 रु. और 50 रु. वाले सभी नोट का विमुद्रीकरण कर सकते हैं। वे पुलिस छापों के अलावा भी अचानक ऐसा कर सकते हैं। पुलिस छापों के मामले में लोगों को यह जानकारी दी जाती है कि पुलिस का छापा पड़ने वाला है और दोषी को इसकी जानकारी होती है। अत: आप कृपया ऐसा मत कीजिए। आप किसी एक दिन घोषित करें कि इन-इन नोटों को ऐसी सभी मुद्राएं अन्य नोट से बदली जाएंगी। क्या वे ऐसा कर सकते हैं जिससे काला धन बाहर निकलेगा? यदि वे ऐसा करते हैं, तब हमें स्थिरता मिलेगी। क्या उनमें यह कहने की हिम्मत है कि एक खास तिथि से इन मूल्यों की सारी मुद्राएं अवैध हो जाएंगी और उन्हें बदला जाएगा? यदि वे ऐसा करते हैं तो कालाधन बाहर आ जाएगा। क्या प्रधान मंत्री ऐसा कर सकते हैं? यदि ऐसा किया जाता है तो कुछ सीमा तक हमारी अर्थव्यवस्था को चुनौती देने वाले काले धन को हम बाहर निकाल पाएंगे, तब भी, मैं यह नहीं कहूंगा कि यह काम पूरा होगा। जब तक हम इस प्रकार का बड़ा कदम नहीं उठाते तबतक यह बहुत मुश्किल होगा। किन्तु हमें ऐसा करना होगा। तब ही काला धन बाहर निकलेगा और हम अनुमान लगा पाएंगे कि यह हमारे आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार खतरनाक है।

अत: जब तक बड़ा कदम नहीं उठाया जाता हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आएगी। हमारी स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। युवाओं को रोजगार एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो बद से बदतर होता जा रहा है। मैं इससे सहमत हूं कि माननीय वित्त मंत्री की कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं और वे समर्पित व्यक्ति हैं किन्तु उन्हें समाज के प्रति अपने दायित्व को दृढ़तापूर्वक पूरा करना चाहिए। लोकतंत्र में दृढ़ता की आवश्यकता है। अत: उन्हें काला धन बाहर निकलने के लिए दृढ़ निर्णय लेना चाहिए जो देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में काफी सहायक होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के.ए. सांगतम (नागालैंड): महोदय, मैं दुखी मन से यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपके माध्यम से मैं पूर्वोत्तर के लोगों की आम भावना से माननीय वित्त मंत्री को अवगत कराना चाहूंगा।

आजादी के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्योग या आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिक गतिविधि नहीं हुई है। तब केवल असम राज्य था। कुछ छोटे जिले थे जिन्हें बाद में विभाजित करके छोटे राज्य बना दिए गए। 1972 से इन छोटे राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वहां कार्य शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि ये राज्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद अस्तित्व में आए। उस समय इन राज्यों में अन्य राज्यों के समान बुनियादी ढांचा नहीं था। अतएव, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवाद और अन्य कानून और व्यवहार की समस्या रही। इन परिस्थितियों के अंतर्गत औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकी है।

24 दिसम्बर 1997 की औद्योगिक नीति पूर्वोत्तर क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक गतिविधियों के लिए 10 वर्षों की अवधि हेतु एक करावकाश देने वाली थी। केवल माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के पास ऐसी सोच थी कि उन्होंने पूर्वोत्तर विकास के लिए अलग मंत्रालय बनाया। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत और दि. 24 दिसम्बर 1997 के कार्यालय ज्ञापन में शामिल पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक नीति के अनुपालन में भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 8 जुलाई 1999 की अधिसूचना सं. 32/99/सीई

[श्री के.ए. सांगतम]

के द्वारा एक आदेश निकाला जिसमें असम और त्रिपुरा राज्यों में उत्पादक इकाइयों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आदि में छूट दी गयी है। इस छूट को 31 दिसम्बर 1999 को वापस ले लिया गया। माननीय प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के कारण इसे क्रमशः 17 जून, 2000, 28 अगस्त 2000 और 9 नवम्बर 2000 को पुनः लागू कर दिया गया।

उत्पाद शुल्क में छूट के लाभ को वित्त मंत्रालय द्वारा 22 जून, 2001 को सिगरेट पर से और तम्बाकू युक्त पान मसाला तथा चबाने वाले तम्बाकू पर से 1 मार्च, 2001 को पुनः वापस ले लिया गया। इसके लिए यह बताया गया था कि सिगरेट विनिर्माता कंपनियों द्वारा नीति का दुरुपयोग, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के बाहर सिगरेट का विनिर्माण करते थे और फिर पूर्वोत्तर को दिए गए करावकाश तथा उत्पाद छूट का लाभ लेने के लिए उसे वहां लाते हो। इस छूट को देने के पीछे यह पूरा विचार बहुत अच्छा था किन्तु कुछ कंपनियों द्वारा इसका लाभ उठाने के कारण पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को कष्ट उठाना पड़ा और इसके परिणामतः लोगों को बिना किसी सामाजिक लाभ के राजस्व का भारी नुकसान हुआ।

इस प्रकार के संवेदनशील क्षेत्र के प्रति केन्द्र सरकार की ढुलमुल नीति का पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे वस्तुतः व्यावसायिक घरानों का विश्वास कम हुआ है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि पूरे 10 वर्षों का करावकाश और उत्पाद शुल्क में छूट, आयकर, बिक्रीकर, नगरपालिका कर इत्यादि देने के बावजूद पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसका आंशिक असर हुआ है।

[हिन्दी]

सभापति महोदयः आपका भाषण जारी रहेगा।

अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 29 अप्रैल, 2003/9 वैशाख, 1925 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।